SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार
2025 का प्रतिवेदन संख्या 3
(अनुपालन लेखापरीक्षा – सिविल एवं वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए

उत्तराखण्ड सरकार
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या - 3

विषय सूची		
विवरण	**संदर्भ**	
	प्रस्तर	**पृष्ठ सं.**

प्राक्कथन		xi
विहंगावलोकन		xiii
अध्याय-1 **प्रस्तावना**		
प्रस्तावना	1.1	1
लेखापरीक्षा आच्छादन	1.2	1
संसाधन और अनुप्रयोग	1.3	1
लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.4	3
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई	1.5	5
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के बकाया उत्तर	1.5.1	5
लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	1.5.2	5
सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	1.5.3	6
इकाइयों के लेखों की लेखापरीक्षा की स्थिति	1.6	6
राज्य विधानमण्डल में इकाइयों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों को पटल पर रखे जाने की स्थिति	1.7	7
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली	1.8	8
निष्कर्ष	1.9	10
अध्याय-2 **विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ** **(राजस्व क्षेत्र के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर)**		
परिवहन विभाग		
₹ 2.98 करोड़ का अलाभकारी व्यय और विभाग व ठेकेदार के बीच ₹ 1.74 करोड़ का अनसुलझा विवाद	2.1	11
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग		
संचार मीडिया पर ₹ 10.79 करोड़ का अलाभकारी व्यय	2.2	13
आपदा प्रबंधन विभाग		
उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.3	17
कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उत्तराखण्ड सरकार		

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.4	52
पर्यटन विभाग		
केंद्रीय योजनाओं 'प्रसाद' और 'स्वदेश दर्शन' के अंतर्गत अवसंरचना के विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.5	67
शहरी विकास विभाग		
सलाहकार की नियुक्ति पर ₹ 8.06 करोड़ का व्यय	2.6	88
अनियमित खरीद के कारण ₹ 75.49 लाख का अतिरिक्त व्यय	2.7	90
कुम्भ मेला कार्यों के प्रबंधन और कार्यान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.8	92
अध्याय-3 **राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**		
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग		
पंजीकृत लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टांप शुल्क एवं निबंधन शुल्क के न्यूनारोपण से संबन्धित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	3.1	115
खनन विभाग		
रॉयल्टी की वसूली न होना	3.2	140
राजस्व विभाग		
अनियमित व्यय	3.3	141
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष की स्थापना और उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	3.4	144
₹ 2.84 करोड़ की जुर्माना राशि का गैर-अधिरोपण	3.5	156
अवैध रूप से खनन/परिवहन किए गए उप खनिजों के उपयोग के कारण ₹ 252.26 करोड़ की धनराशि का जुर्माना लगाने में विफलता	3.6	157
राज्य कर विभाग		
जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	3.7	159
₹ 5.37 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ	3.8	213
कर का अनारोपण	3.9	214

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
कर का अनारोपण	3.10	216
कर निर्धारण अधिकारी की उचित सतर्कता में कमी के कारण ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर ₹ 18.81 लाख का करापवंचन	3.11	217
मिथ्या प्रपत्र-सी के उपयोग पर अनियमित कर छूट	3.12	219
कर का न्यूनारोपण	3.13	221
अध्याय-4 **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ**		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन	4.1	223
सरकारी कंपनियों की परिभाषा	4.1.1	223
लेखापरीक्षा का अधिदेश	4.1.2	223
एस पी एस ई और राज्य के जी एस डी पी में उनका योगदान	4.1.3	225
एस पी एस ई में निवेश और बजटीय सहायता	4.1.4	226
एस पी एस ई से प्रतिफल	4.1.5	229
ऋण भुगतान	4.1.6	232
एस पी एस ई का प्रदर्शन	4.1.7	234
एस पी एस ई को हो रही हानि	4.1.8	238
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा	4.1.9	239
सी ए जी द्वारा एस पी एस ई के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	4.1.10	239
एस पी एस ई द्वारा लेखे प्रस्तुत करना	4.1.11	239
सी ए जी की निगरानी-लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	4.1.12	242
सीएजी की निगरानी भूमिका का परिणाम	4.1.13	243
लेखांकन मानकों/इंड-ए एस के प्रावधानों का अनुपालन न करना	4.1.14	247
प्रबंधन पत्र	4.1.15	247
निष्कर्ष	4.1.16	248
अनुशंसाए	4.1.17	248
ऊर्जा विभाग		
"पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	4.2	249
राजस्व की हानि	4.3	278

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.1	विभाग और संबंधित संस्थाओं का विवरण	283
1.2	विभिन्न संस्थाओं के खातों का बकाया दर्शाने वाला विवरण	289
2.3.1	कार्यों को पूर्ण करने में विलंब का विवरण	291
2.3.2	उ आ रि प - अ वि के निर्धारित समापन के बाद पूर्ण होने वाले संभावित कार्यों का विवरण	292
2.3.3	स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में लगे समय का विवरण	293
2.3.4(अ)	बढ़ी हुयी दर अनुसूचियों (एस ओ आर) के उपयोग से कार्यों की अतिरिक्त लागत	294
2.3.4(ब)	बढ़ी हुयी दर अनुसूचियों (एस ओ आर) के उपयोग से कार्यों की अतिरिक्त लागत	297
2.3.5(अ)	दोषपूर्ण डिजाइन को अपनाने के कारण एस डी आर एफ परिसर की आंतरिक सड़कों की अतिरिक्त लागत	298
2.3.5(ब)	पेवमेंट की मोटाई के दोषपूर्ण/अतिरिक्त प्रावधान का विवरण	299
2.3.6	निविदाओं को अंतिम रूप देने और अनुबंध आवंटन में असामान्य विलम्ब	300
2.3.7	विभिन्न कंसल्टेंसी फर्मों द्वारा प्रमुख विशेषज्ञों के लिए भारित किए गए पारिश्रमिक का विवरण	301
2.3.8	न त सं कार्यों में निष्पादित आर सी सी एम-30 फेशिया कार्य का विवरण	302
2.3.9(अ)	हर्जाने का विवरण (क्षे प क्रि इ के कार्य)	303
2.3.9(ब)	प क्रि इ के कार्यों में हर्जाने का विवरण	304
2.3.10	बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण न करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने का विवरण	305
2.4.1	चयनित 20 प्रशिक्षण प्रदाताओं का विवरण	306
2.4.2	₹ 2.34 करोड़ का अधिक भुगतान	307
2.4.3	₹ 1.61 करोड़ की वसूली न होना	310
2.4.4	अलग-अलग अभ्यार्थियों के लिए एक ही खाता संख्या	313
2.4.5	शून्य नियुक्ति वाली 31 टी पी का विवरण	316
2.5.1	हटाये गए या स्थान/दायरे में परिवर्तन किए गए घटकों का विवरण	317
2.5.2	जागेश्वर में प्रस्तावित कार्यों में कटौती का विवरण	318
2.8.1	टुकड़ों में जारी अनियमित स्वीकृतियों का विवरण	319

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
2.8.2	कार्यों के अनियमित कार्यान्वयम का विवरण	320
2.8.3	(अ) हरिद्वार में नील नदी की धारा पर चंडी द्वीप को जोड़ने के लिए दो नए स्टील पाइल पुलों का निर्माण और विघटन कार्य (₹ 1407.83 लाख)	321
	(ब) हरिद्वार में गौरीशंकर द्वीप को बैरागी कैंप से जोड़ने के लिए गंगा नदी की छोटी धारा पर दो नए स्टील पाइल पुलों का निर्माण और विघटन कार्य (₹ 436.02 लाख)	322
2.8.4	सड़कों के निर्माण के लिए महंगी सामग्री के उपयोग का विवरण	323
2.8.5	परिनिर्धारित क्षति (एल डी) की कम वसूली का विवरण	325
3.1.1	स्टाम्प शुल्क (स्टा शु) और निबंधन शुल्क (नि शु) का न्यूनारोपण	326
3.1.2	स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण	327
3.1.3	स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण	328
3.1.4	स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण	331
3.1.5	स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण	333
3.1.6	स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण	334
3.1.7	स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण	342
3.1.8	स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण	343
3.1.9	निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण	344
3.2.1	ईंट भट्ठा संचालकों पर बकाया रॉयल्टी का विवरण	345
3.5.1	अवैध रूप से खनिजों का परिवहन/खनन करने वाले वाहनों का विवरण	346
3.6.1	ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती का विवरण	347
3.7.1	(अ) "सेक्टर ऑडिट" के लिए चयनित नमूने का विवरण	356
	(ब) "सीमित लेखापरीक्षा" हेतु चयनित नमूनों का विवरण	356
	(स) "विस्तृत लेखापरीक्षा" के लिए चयनित नमूने का विवरण	372
3.7.2	चयनित सेक्टरों की विवरणियों की संवीक्षा का विवरण	376
3.7.3	चयनित सेक्टरों के अन्य जी एस टी कर प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट	378
3.7.4	चयनित सेक्टर के विवरणी विलंब से/न जमा करने वालों का विवरण	380

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
3.7.5	पंजीकरण रद्द करना और अंतिम विवरणी की गैर-प्रस्तुति	382
3.7.6	आई टी सी का अधिक लाभ लिया जाना	384
	आर सी एम के अन्तर्गत लाभ उठाये गये आई टी सी के विरूद्ध कर भुगतान	385
	आर सी एम के अन्तर्गत कर के कम भुगतान के विरूद्ध जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर-9 में लाभ उठाये गये आई टी सी (कर के भुगतान के बिना आर सी एम)	385
	आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ	386
	गलत आई एस डी क्रेडिट विलोमित	386
	वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आई टी सी के बीच समाधान (प्रपत्र 9सी की तालिका 14टी)	387
	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच प्राप्त आई टी सी में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका-12एफ)	387
	जी एस टी आर-9सी (तालिका 5आर) में घोषित कुल आवर्त में विसंगति	388
	जी एस टी आर-9सी (तालिका 7जी) में घोषित करयोग्य आवर्त में विसंगति	389
	लेखा बहियों और वार्षिक विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति (तालिका 9आर)	390
	कर देनदारियों का गैर-भुगतान	391
	जी एस टी आर-3बी विवरणी दाखिल न करना	392
	ब्याज का कम भुगतान	392
3.7.7	उन प्रकरणों का विवरण, जहां डाटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगति	393
	उन प्रकरणों का विवरण, जहां लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पहले कार्रवाई की गई थी	394
	उन प्रकरणों का विवरण, जहां विभाग के पास वैध स्पष्टीकरण थे	396
	अनुपालन विचलन (वसूली की गई) के अन्तर्गत प्रकरणों का विवरण	398
	अनुपालन विचलन (एस सी एन जारी किए गए) के अन्तर्गत प्रकरणों का विवरण	399

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	उन प्रकरणों का विवरण, जो लेखापरीक्षा के प्रश्नों के उत्तर में विभाग द्वारा करदाताओं के साथ पत्राचार के अधीन थे	401
	उन प्रकरणों का विवरण, जिनमें विभाग के उत्तर अस्वीकार्य थे (लेखापरीक्षा खंडन)	402
	उन प्रकरणों का विवरण, जिनमें विभाग के उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये थे	402
	प्रकरणों का विवरण, जहां विभाग ने अवगत कराया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर रहे है	404
3.7.8	जी एस टी आर-3बी विलम्ब से दाखिल करने पर ब्याज का भुगतान न करना	405
3.7.9.i	कर भुगतान के साथ रिवर्स चार्ज तंत्र के अतंर्गत प्राप्त आई टी सी में विसंगति	409
3.7.9.ii	आर सी एम के अतंर्गत प्राप्त आई टी सी में विसंगति	410
3.7.9.iii	शून्य/छूट प्राप्त और गैर-जी एस टी आपूर्ति के लिए आई टी सी का गैर/कम प्रत्यावर्तन	412
3.7.9.iv	शून्य/छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए आई टी सी का गैर/संक्षिप्त प्रत्यावर्तन	416
3.7.9.v	इनपुट सेवा वितरण क्रेडिट के अतंर्गत आई टी सी का लाभ लिए जाने में विसंगति	417
3.7.9.vi	जी एस टी आर-2ए और जी एस टी आर-9 में आई टी सी की विसंगति होना	418
3.7.9.vii	समायोजन के बाद जी एस टी आर-9 में असंबद्ध आई टी सी	425
3.7.9.viii	जी एस टी आर-9सी में आई टी सी से संबंधित विसंगति देखी गई (तालिका 14टी)	431
3.7.9.ix	आई टी सी का लाभ लिये जाने में विसंगति	435
3.7.9.x	कर देनदारियों के डेबिट और आई टी सी तुलनात्मक विवरण और इलेक्ट्रॉनिक नकद/क्रेडिट खाते के बीच विसंगति	440
3.7.9.xi	2ए में आई टी सी और वस्तुओं के आयात पर आई टी सी के दावे में विसंगति	441
3.7.9.xii	जी एस टी आर-9सी में आई टी सी और 2ए में आई टी सी के दावे विसंगति	442
3.7.9.xiii	सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना आईटीसी का लाभ लिया जाना	443

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
3.7.9.xiv	अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट का लाभ उठाना	447
3.7.10.i	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-3बी के बीच देय कर की विसंगति	448
3.7.10.ii	जी एस टी आर-9 में कर भुगतान के संदर्भ में जी एस टी आर-1, जी एस टी आर-9 की अधिक से अधिक कर देयता की तुलना करने पर गैर-प्रभारित कर देयता	451
3.7.10.iii	जी एस टी आर-9 के कर भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और नकद खाते के ऋण के बीच विसंगति	458
3.7.10.iv	जी एस टी आर-9सी में घोषित करयोग्य आवर्त में असंबद्धता	459
3.7.10.v	जी एस टी आर-9सी के 9आर के अनुसार असंबद्ध कर भुगतान	460
3.7.10.vi	कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के मध्य विसंगति	461
3.7.10.vii	कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के मध्य विसंगति	462
3.7.10.viii	लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच विसंगति के कारण कर का गैर-भुगतान	463
3.7.10.ix	वर्ष 2017-18 (पहली तिमाही) की वैट अवधि के आवर्त पर कर का कम अधिरोपण	464
3.7.10.x	कर का अल्प भुगतान (जी एस टी आर-9)	469
3.7.10.xi	कर का भुगतान न करना	470
3.7.10.xii	जॉब वर्कर से तैयार माल निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त न होने के बावजूद कर का भुगतान न करना	471
3.7.10.xiii	अतिरिक्त रिफंड की अनुमति	472
4.1.1	नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सा क्षे उ के वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसके लिए लेखे प्राप्त हुए थे	474
4.1.2	31 मार्च 2022 तक एस पी एस ई से संबंधित इक्विटी और दीर्घावधि ऋण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	477
4.1.3	31 मार्च 2022 तक इक्विटी, ऋण और गारंटी के शेष के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखें और एस पी एस ई के लेखें के बीच अंतर दिखाने वाला विवरण	479
4.1.4	उस अवधि के दौरान कार्यशील सा क्षे उ में राज्य सरकार के निवेश (ऋण और अनुदान/सब्सिडी) की स्थिति दर्शाने वाला विवरण, जिसके लिए खाते बकाया हैं	481

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
4.2.1	सब-स्टेशनों पर गंभीर अतिभार दर्शाने वाला विवरण	483
4.2.2	कंपनी द्वारा एम टी पी सी के एन-1 आकस्मिकता मानदंडों का अनुपालन नहीं करने को दर्शाने वाला विवरण	484

प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय 1, 2 और 3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते है जबकि अध्याय 4 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सरकारी विभागों, कंपनियों/सांविधिक निगमों एवं अन्य संस्थाओं के बारे में परिचय एवं सामान्य जानकारी दी गई है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-2** नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा किए गए व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में मार्च 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय-3** में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-4** सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कंपनियों (इन कंपनियों में वह कंपनियाँ भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी माना गया है) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 139 एवं 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपादित की जाती है एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के साथ ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत संपादित की जाती है।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लिखित हैं जो वर्ष 2021-22 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आए, साथ ही साथ वे प्रकरण भी उल्लिखित हैं, जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे परंतु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। वर्ष 2021-22 की आगामी अवधि से संबंधित दृष्टांतों को, जहाँ कही भी संबंधित एवं आवश्यक हुए, सम्मिलित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

अध्याय-1: प्रस्तावना

अध्याय-2: विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ **(राजस्व क्षेत्र के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर)**

अध्याय-3: **राजस्व क्षेत्र के विभागों** से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-4: **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों** पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 3,101.07 करोड़ है।

अध्याय-1: प्रस्तावना

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड सरकार के 60 विभागों के साथ 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा इसके अन्तर्गत 48 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, आदि) की लेखापरीक्षा आती है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार के 60 विभागों के अन्तर्गत कुल 48,755 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 39 विभागों की 503 इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा संपादित की गयी। इस प्रतिवेदन में आठ विषयों- "उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना-अतिरिक्त वित्तपोषण", "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (पी एम के वी वाई 2.0)", "प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना की केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना का विकास", "कुम्भ मेला कार्यों का प्रबंधन और निष्पादन", "दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली", "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी आई एल आर एम पी) के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) की स्थापना और उपयोग", "जी एस टी भुगतानों और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी" और "पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) और 15 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं जो दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 11 विभागों से संबंधित हैं।

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न विभागों/संस्थाओं में 33 प्रकरणों में इंगित की गई ₹ 275.57 करोड़ की वसूली, संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार की गई थी। इसके सापेक्ष, 03 प्रकरणों में ₹ 0.02 करोड़ (0.007 *प्रतिशत*) की वसूली की गई।

अध्याय-2: विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ (राजस्व क्षेत्र के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर)

लेखापरीक्षा प्रस्तर

₹ 2.98 करोड़ का अलाभकारी व्यय और विभाग व ठेकेदार के बीच ₹ 1.74 करोड़ का अनसुलझा विवाद

खराब वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही की कमी के परिणामस्वरूप छोड़े गए काम पर ₹ 2.98 करोड़ का अलाभकारी व्यय एवं अनुबंध की समाप्ति के 69 माह बाद भी, ठेकेदार के बकाया से संबंधित विवाद का अनसुलझा रहना।

(प्रस्तर 2.1; पृष्ठ संख्या 11)

संचार मीडिया पर ₹ 10.79 करोड़ का अलाभकारी व्यय

वर्ष 2013 की आपदा के पश्चात केदारनाथ और उसके आसपास के विकास कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए ₹ 10.79 करोड़ की लागत से संचार मीडिया के निर्माण की परियोजना बिना उचित प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं के शुरू की गई। सम्पूर्ण व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 2.2; पृष्ठ संख्या 13)

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण के प्राधिकारी योजनाबद्ध तरीके से उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण परियोजना का प्रबंधन करने में असफल रहे क्योंकि सेतुओं, सड़क/नदी तट संरक्षण एवं एस डी आर एफ (चरण-II) प्रशिक्षण सुविधा से संबन्धित 23 चिन्हित कार्यों को परियोजना में आच्छादित नहीं किया गया था, जबकि ₹ 75.81 करोड़ की कार्यक्रम निधि का उपयोग दायरे से बाहर के कार्यों के लिए किया गया था। कार्यों के आगणन/अनुमोदन में कमी पाई गई क्योंकि 43 कार्य (कुल 74 में से) उच्चतर लागत पर आगणित थे, दोषपूर्ण डिजाइनों को अपनाया गया था, आवश्यकता से अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी थी और स्वीकृत झूला पुलों के सापेक्ष स्टील-ट्रस पुलों का निर्माण किया जा रहा था, जिन्हे सम्यक तत्परता से टाला जा सकता था।

कार्यक्रम प्रतिपादन तंत्र लगभग सभी मोर्चों पर अप्रभावी था क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान आकस्मिकता आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों की समय पर खरीद और निविदाओं के अंतिमिकरण करने/अनुबंध गठित करने में लगातार देरी पायी गयी थी। 96 *प्रतिशत* कार्यों को पूर्ण होने में विलम्ब हुआ और बहुत धीमी प्रगति के कारण, ₹ 82.35 करोड़ लागत के दो पुलों और एक सार्वजनिक भवन के निर्माण का कार्य, उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना-अतिरिक्त वित्तपोषण के विस्तारित समय के भीतर भी पूरा होने की संभावना कम थी। अधिक भुगतान, ठेकेदारों को अनुचित लाभ, कार्यों के लिए अतिरिक्त सामग्री का अनुचित उपभोग किये जाने के प्रकरण थे, जिनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 2.3; पृष्ठ संख्या 17)

अनुशंसा:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- ***दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना, जिसके कारण राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।***

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (पी एम के वी वाई 2.0) पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड में पी एम के वी वाई 2.0 योजना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा बेरोजगार युवाओं और स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को कौशल/रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी।

130 बैचों के 90 *प्रतिशत* से अधिक अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण/ गैर-प्रमाणित थे, हालांकि, संबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं से ₹ 1.61 करोड़ समायोजित/वसूल नहीं किए गए थे। 39,353 सफलतापूर्वक प्रमाणित अभ्यर्थियों में से किसी को भी ₹ 500 का मौद्रिक पुरस्कार नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पात्र अभ्यर्थियों को ₹ 1.97 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। गैर-आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन और प्रमाणन के बावजूद 22,314 महिला अभ्यर्थियों को ₹ 2.23 करोड़ की मासिक वाहन भत्ता सहायता प्रदान नहीं की गई।

नियुक्त 16,489 अभ्यर्थियों में से किसी को भी नियुक्ति सहायता राशि ₹ 3.79 करोड़ प्राप्त नहीं हुई। कुल 48,389 नामांकित अभ्यर्थियों में से मात्र 7,525 अभ्यर्थियों को इंडक्शन किट प्रदान की गई और मात्र 8,504 अभ्यर्थियों को हस्त-पुस्तिका प्रदान की गई। अभिलेखों की नमूना जांच से प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियुक्ति के प्रमाण के रूप में प्रदान किए गए दस्तावेजों में विसंगतियों के प्रकरण प्रकाश में आए, जैसे कि लेन-देन की तिथियों में कालक्रम का अभाव, समान लेनदेन संख्या और विभिन्न अभ्यर्थियों के बैंक विवरणों में समान तिथियां में निकाली गई समान राशि, जो अभिलेखों में छेड़छाड़ का संकेत देती है। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा विभिन्न संगठनों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति का दावा करने वाले उदाहरण भी थे, हालांकि ये संगठन उल्लिखित पते पर नहीं पाए गए थे।

98 प्रशिक्षण प्रदाताओं में से 31 प्रशिक्षण प्रदाताओं ने योजना की पूरी पांच वर्ष की अवधि के लिए एक भी नियुक्ति प्रदान नहीं किया था, हालांकि, विभाग ने इन प्रशिक्षण प्रदाताओं के खराब प्रदर्शन का संज्ञान नहीं लिया और 5,610 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए कुल ₹ 3.89 करोड़ का भुगतान किया। एम आई एस आंकड़ों की जांच में विसंगतियां सामने आई जैसे 511 अभ्यर्थी जो मूल्यांकन के दौरान विफल रहे या अनुपस्थित रहे, 41 प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियुक्त दर्शाया गया था, जो पोर्टल पर आकड़ों में प्रामाणिकता की कमी की ओर इशारा करते हैं। यह प्रमाणित करता है कि विभाग द्वारा कमजोर निगरानी और प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं क्षेत्रीय कौशल परिषदों के दावों के अप्रभावी सत्यापन के कारण प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियुक्ति से संबंधित गलत एम आई एस डेटा प्रस्तुत किए, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन में पाया गया।

इस प्रकार, उत्तराखण्ड में पी एम के वी वाई का कार्यान्वयन कई आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों और गंभीर अनियमितताओं से घिरा हुआ था।

(प्रस्तर 2.4; पृष्ठ संख्या 52)

अनुशंसाएँ:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- ***बेरोजगार युवाओं को कुशल प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन किए जाने एवं प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है;***

- ***चेकलिस्ट, निरीक्षण और आंतरिक लेखापरीक्षा, रिपोर्ट/रिटर्न की प्रणाली और इसकी समीक्षा को लागू करने की आवश्यकता है जिससे अनियमितताओं का पता लगाने में मदद मिलेगी;***
- ***सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं और क्षेत्रीय कौशल परिषदों द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण, प्रमाणन और नियुक्ति के दावों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच की जानी* चाहिए और फर्जी दावों के संबंध में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।**

केंद्रीय योजनाओं 'प्रसाद' और 'स्वदेश दर्शन' के अंतर्गत अवसंरचना के विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

भूमि की अनुपलब्धता और कार्य स्थल की उपलब्धता से संबंधित अन्य प्रकरणों, निर्दिष्ट प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) आदि के कारण, हेरिटेज सर्किट के 68 घटकों में से 10 और केदारनाथ परियोजना के 71 घटकों में से 22, जिनकी लागत ₹ 50.33 करोड़ थी, या तो हटा दिए गए या उनका स्थान/दायरा बदल दिया गया। हेरिटेज सर्किट के पांच घटकों पर किए गए ₹ 3.94 करोड़ का व्यय गलत स्थल चयन के कारण अलाभकारी रहा।

विभाग की ओ&एम योजना में कमी थी क्योंकि केदारनाथ परियोजना के लिए कोई ओ&एम योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी और हेरिटेज सर्किट, बद्रीनाथ और केदारनाथ परियोजना के अंतर्गत निर्मित लगभग सभी प्रमुख घटक उनके निर्माण के उपरांत 30 से 64 महीनों तक निष्क्रिय रहे। गलत स्थल चयन और उचित संचालन एवं रखरखाव के अभाव में, हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत ₹ 14.41 करोड़ की लागत वाले 16 घटक और तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) के अंतर्गत केदारनाथ एवं बद्रीनाथ परियोजना में ₹ 8.94 करोड़ की लागत वाले 10 घटक, उनके पूर्ण होने उपरांत काफी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अप्रयुक्त रह गए।

हेरिटेज सर्किट और केदारनाथ परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर ₹ 4.88 करोड़ की लागत से पाँच व्याख्या/सूचना केंद्रों का निर्माण किया गया, हालाँकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अगस्त और अक्टूबर 2022) के दौरान सभी व्याख्या केंद्र असंचालित और बंद पाए गए।

निगरानी समिति के गठन में देरी, मार्च 2022 तक बैठकें आयोजित न करना और निर्माण के बाद किसी भी निगरानी तंत्र का अभाव, विभाग में प्रभावी निगरानी तंत्र के अभाव को दर्शाता है।

(प्रस्तर 2.5; पृष्ठ संख्या 67)

अनुशंसाएँ:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- ***स्थल का चयन आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए पर्यटकों की आमद, पर्यटक सुविधाओं का सर्वेक्षण एवं पर्यटकों की शिकायतों/ सुझावों पर आधारित एक डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए;***
- ***निर्मित परिसंपत्ति का उचित एवं सफल संचालन व रख-रखाव, योजना के उद्देश्य की पूर्ति का आधार है। इसलिए, विभाग द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों का उचित संचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।***

लेखापरीक्षा प्रस्तर

सलाहकार की नियुक्ति पर ₹ 8.06 करोड़ का अनियमित व्यय

विभाग ने निविदाएं आमंत्रित नहीं की और नियमों का उल्लंघन करते हुए सलाहकार को भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.06 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.6; पृष्ठ संख्या 88)

अनियमित खरीद के कारण ₹ 75.49 लाख का अतिरिक्त व्यय

विभाग, नियमों का पालन करने और एक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी खरीद प्रक्रिया को लागू करने और सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.49 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.7; पृष्ठ संख्या 90)

कुम्भ मेला कार्यों के प्रबंधन और निष्पादन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में आयोजित कुम्भ मेला, 2021 कोविड-19 महामारी परीक्षण में अनियमितताओं, कार्यों के अनुचित आवंटन, विभिन्न विभागों द्वारा दोषपूर्ण क्रियान्वयन और नियोजन से प्रभावित रहा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया कि निष्पादित की जाने वाली 13 परियोजनाएँ रद्द कर दी गईं और इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित ₹ 36.99 करोड़ राज्य सरकार को वापस नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप धनराशि अवरुद्ध रही।

चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में देरी और क्षतिपूर्ति राशि वसूले नहीं किए जाने के प्रकरण थे। मेलाधिकारी द्वारा प्रयोगशालाओं का पैनलीकरण तो किया गया था, परंतु प्रयोगशालाओं की सूची बनाने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति में निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया गया था।

मेला प्रशासन की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने, कार्यों को विभाजित करने और दो प्रभागों द्वारा, बिना आवश्यक वित्तीय स्वीकृति के कार्यों को निष्पादित करने, संरचना को ध्वस्त करने के बाद स्टील की कम प्राप्ति और अस्थायी सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 5.52 करोड़ की परिहार्य लागत वृद्धि आदि के उदाहरण थे।

हालांकि, पुलिस विभाग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के साथ पुलिस निगरानी प्रणाली (पी एस एस) का उपयोग करके भीड़ प्रबंधन करना सराहनीय था।

(प्रस्तर 2.8; पृष्ठ संख्या 92)

अनुशंसा:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- ***सामूहिक समारोहों के ऐसे आयोजनों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की समय पर क्रय और स्थापना।***

अध्याय-3: राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

पंजीकृत लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टांप शुल्क एवं निबंधन शुल्क के न्यूनारोपण से संबन्धित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

नमूना जांच में कई प्रणालीगत कमियां सामने आईं, जैसे सॉफ्टवेयर में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं होना, भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली के साथ "भूलेख" अभिलेखों का एकीकरण नहीं किया जाना, पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और विशिष्ट पहचान (यू आई डी) के साथ वेब सेवा लिंक नहीं होना और स्टांप अधिनियम की अनुचित धाराओं के अंतर्गत विलेख पत्रों के

गलत वर्गीकरण के प्रकरणों को कलेक्टर, स्टांप को संदर्भित करना। इसके अतिरिक्त, अनुपालन प्रकरणों में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क के न्यूनरोपण से संबंधित प्रकरण प्रकाश में आए, जैसे दस्तबरदारी, बंधक, तितिम्मा, व्यवस्थापन और विभाजन विलेख, अलग शेयर, पारिवारिक हस्तांतरण और मुख्तारनामा के प्रकरण।

इस प्रकार, उचित स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क लगाने हेतु दस्तावेजों के वर्गीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारियों द्वारा अधिनियमों, नियमों और नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 6.63 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

(प्रस्तर 3.1; पृष्ठ संख्या 115)

अनुशंसा:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- ***पंजीकरण सॉफ्टवेयर को उन्नत किया जा सकता है जिससे तितिम्मा विलेख का उसके मूल विलेख के साथ मिलान किया जा सके, भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली के साथ "भूलेख" अभिलेखों का एकीकरण और पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और यू आई डी के साथ वेब सेवा लिंक का प्रावधान किया जाए।***

लेखापरीक्षा प्रस्तर

रॉयल्टी की वसूली न होना

रॉयल्टी की वसूली न होने के कारण ईंट भट्टा संचालको को ₹ 10.04 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

(प्रस्तर 3.2; पृष्ठ संख्या 140)

अनियमित व्यय

कुमाऊं मंडल के आयुक्त द्वारा, आयुक्त कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार कार्य में ₹ 4.23 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

(प्रस्तर 3.3; पृष्ठ संख्या 141)

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी आई एल आर एम पी) के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) की स्थापना और उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

विभागीय स्तर पर अप्रभावी नियोजन के परिणामस्वरूप पायलट जिलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों (एम आर आर) की स्थापना हेतु कार्य का क्रियान्वयन अधूरा रहा। एम आर आर की स्थापना से संबंधित कार्य के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग द्वारा तहसील कार्यालयों में इसके लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी। वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना ही एम आर आर में सिविल कार्य निष्पादित कर दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक कार्य मदों पर व्यय हुआ। बोर्ड द्वारा संबंधित तहसीलों में एम आर आर की स्थापना से पूर्व ही उपकरण/सामग्री क्रय कर ली गई थी, जिसके कारण उक्त उपकरण कई तहसीलों में अप्रयुक्त/डंप पड़े रहे। जिन तहसील कार्यालयों में ये उपकरण स्थापित किए गए थे, कर्मचारियों की कमी के कारण वहाँ भी इनका उपयोग नहीं हो सका।

(प्रस्तर 3.4; पृष्ठ संख्या 144)

लेखापरीक्षा प्रस्तर

₹ 2.84 करोड़ की जुर्माना राशि का गैर-अधिरोपण

विभाग द्वारा उत्तराखण्ड खनिज नियमावली, 2005 के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दरें लागू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अवैध खनन सामग्री वाले 334 वाहनों के विरुद्ध ₹ 2.84 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।

(प्रस्तर 3.5; पृष्ठ संख्या 156)

अवैध रूप से खनन/परिवहन किए गए उप खनिजों के उपयोग के कारण ₹ 252.26 करोड़ की धनराशि का जुर्माना लगाने में विफलता

खनन नियमों और विनियमों, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं सरकारी आदेशों में परिकल्पित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करने में जिलाधिकारियों/अन्य प्राधिकारीयों की विफलता/लापरवाही के कारण ₹ 252.26 करोड़ का जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 3.6; पृष्ठ संख्या 157)

'जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभागीय निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) विवरणी दाखिल की बदलती प्रवृत्ति और निरंतर डाटा विसंगतियों के संदर्भ में किया गया था, जिसका उद्देश्य विवरणी दाखिल और कर भुगतान, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह एस एस सी ए मुख्य रूप से करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी के विश्लेषण पर आधारित था, जिसने 2017-18 के लिए दायर जी एस टी विवरणी में जोखिम वाले क्षेत्रों, चेतावनी सूचनाओं और कुछ प्रकरणों में नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया। एस एस सी ए में उत्तराखण्ड राज्य कर विभाग के क्षेत्राधिकार संरचनाओं (सेक्टरों)/राज्य क्षेत्राधिकार संरचनाओं के निरीक्षण कार्यों का दो स्तरों पर मूल्यांकन करना शामिल था - वैश्विक डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर पर सेक्टरों, जी एस टी विवरणी और आंतरिक लेखापरीक्षा के गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ जिसमें करदाता अभिलेखो तक पहुंच शामिल थी।

विभाग ने विवरणी की जांच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (मई 2022) तैयार करने के बाद, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 2017-18 और 2018-19 की विवरणी की जांच शुरू की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित 10 सेक्टरों में आने वाले 2017-18 से 2020-21 से संबंधित कुल प्रकरणों (79,057) में से, विभाग उक्त अवधि के दौरान केवल 364 (0.46 *प्रतिशत*) प्रकरणों की जांच कर सका। करदाताओं द्वारा कर देयता के स्व-मूल्यांकन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए विभाग को विवरणी की जांच और आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए करदाताओं के अतिरिक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए, जिसके कारण लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणी में देखी गई विसंगतियों को तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकी। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि करदाताओं के अभिलेखों की विस्तृत जांच के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुँच सके।

विभाग को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया देने की भी आवश्यकता है ताकि सीमित और विस्तृत लेखापरीक्षा के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियों का शीघ्र समाधान किया जा सके और सरकार को देय राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

अनुपालन कमियों की अधिकता को देखते हुए, विभाग को समय समाप्त होने से पहले सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से, विभाग को विवरणी और आंतरिक लेखापरीक्षा की जांच को मजबूत करने और विवरणी दाखिल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, अन्य कर अधिकारियों की रिपोर्टों का अनुसरण, पंजीकरण रद्द करने और चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए सेक्टरों में संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(प्रस्तर 3.7; पृष्ठ संख्या 159)

अनुशंसाएँ:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- ***उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्यों को विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त कर मांग को देखते हुए वृद्धि की जा सकती है।***
- ***विभाग प्रकरणों के कालबाधित होने से पहले निर्दिष्ट बकाया राशि की वसूली के साथ-साथ विवरणी और आंतरिक लेखापरीक्षा की जांच सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रीय दलों को भी निर्देश दे सकता है।***

लेखापरीक्षा प्रस्तर

₹ 5.37 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ

स्वीकार्य/सत्यापित/देय आई टी सी की सापेक्ष व्यापारी को अधिक आई टी सी का लाभ दिया गया था, जिसके कारण ₹ 5.37 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.8; पृष्ठ संख्या 213)

कर का अनारोपण

कारोबार के हस्तान्तरण के पश्चात अचल परिसम्पत्तियों पर कर आरोपित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 45.38 लाख की राजस्व क्षति हुई जिस पर ₹ 37.44 लाख का ब्याज भी देय है।

(प्रस्तर 3.9; पृष्ठ संख्या 214)

कर का अनारोपण

विभाग ने अन्तिम स्टॉक पर कर नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.44 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

(प्रस्तर 3.10; पृष्ठ संख्या 216)

कर निर्धारण अधिकारी की उचित सतर्कता में कमी के कारण ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर ₹ 18.81 लाख का करापवंचन

वैधानिक विवरणी दाखिल करने के अभाव एवं जी एस टी विवरणियों के साथ प्रति सत्यापन की कमी के कारण व्यापारी को एकतरफा करमुक्त घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर ₹ 18.81 लाख का करापवंचन हुआ।

(प्रस्तर 3.11; पृष्ठ संख्या 217)

मिथ्या प्रपत्र-सी के उपयोग पर अनियमित कर छूट

कर की रियायती दर का लाभ लेने के लिए व्यापारी द्वारा मिथ्या प्रपत्र-सी उपयोग किए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.70 लाख के कर का न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 47.63 लाख का अर्थदण्ड एवं कर की भुगतान न की गयी राशि पर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था।

(प्रस्तर 3.12; पृष्ठ संख्या 219)

कर का न्यूनारोपण

कर की गलत दर लागू करने एवं व्यापारी द्वारा आयातित वस्तुओं (डीजल/पेट्रोल) की कम खरीद प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप ₹ 32.71 लाख की राजस्व क्षति हुई।

(प्रस्तर 3.13; पृष्ठ संख्या 221)

अध्याय-4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

उत्तराखण्ड में, 31 मार्च 2022 को 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (चार वैधानिक निगम और 28 सरकारी कंपनियां जिनमें नौ निष्क्रिय सरकारी कंपनियां और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी शामिल हैं) थे। यह प्रतिवेदन 2019-20 से 2021-22 तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके खातों की प्राप्ति के आधार पर 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एस पी एस ई) के वित्तीय प्रदर्शन को संक्षेप में

प्रस्तुत करती है (या जिसके संबंध में इन वर्षों से संबंधित कम से कम एक खाता 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त हुआ है)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) की तुलना में इन 14 एस पी एस ई के कारोबार का अनुपात पिछले तीन वर्षों में घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में एस पी एस ई के योगदान में कमी आई है।

31 मार्च 2022 तक, 32 एस पी एस ई में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 8,993.76 करोड़ था। इसमें से उत्तराखण्ड सरकार ने इक्विटी के रूप में ₹ 3,856.24 करोड़ और दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 969.83 करोड़ का अंशदान किया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 1,297.35 करोड़ का अनुदान/सब्सिडी प्रदान की गई।

वर्ष 2021-22 में सात एस पी एस ई द्वारा अर्जित ₹ 270.24 करोड़ के कुल लाभ में से 98.30 *प्रतिशत* का योगदान चार एस पी एस ई द्वारा किया गया था। लाभ अर्जित करने वाले दो एस पी एस ई ने वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को लाभांश भुगतान/घोषित किया था, हालांकि, पांच अन्य एस पी एस ई ने कोई भी लाभांश का भुगतान/घोषित नहीं किया था।

छः एस पी एस ई द्वारा रिपोर्ट की गई अवधि 2021-22 के दौरान हुए ₹ 216.35 करोड़ के कुल हानि में से अकेले यू पी सी एल की हानि ₹ 151.75 करोड़ की थी।

संचित घाटे से सात एस पी एस ई का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और उनका निवल मूल्य नकारात्मक था। इन सात एस पी एस ई में से पांच एस पी एस ई पर उत्तराखण्ड सरकार का ₹ 295.66 करोड़ का ऋण बकाया है। एस पी एस ई, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, अपने खातों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप, 19 सरकारी कंपनियों के 130 वार्षिक खाते बकाया थे। इसमें दो निष्क्रिय कंपनियों के 57 वार्षिक खाते शामिल थे। इसके अलावा चार सांविधिक निगमों के 12 वार्षिक खाते भी बकाया थे। एस पी एस ई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 180.06 करोड़ और परिसंपत्तियों/देनदारियों पर ₹ 280.30 करोड़ था।

(प्रस्तर 4.1; पृष्ठ संख्या 223)

"पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन नियमावली, जिसे पारेषण परियोजनाओं के नियोजन ओर कार्यान्वन के लिए उपयोग किया जाना था, के अभाव में परियोजनाओं की नियमित आधार पर पहचान नहीं की जा सकी।

कंपनी अधिकांश परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादित करने में विफल रही। इसमें परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक देरी के लिए प्रस्तुत औचित्य की समीक्षा करने और भविष्य में देरी से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं था। किए गए समझौतों और अनुबंधों के आवंटन और निष्पादन में कमियों के उदाहरण थे। कंपनी के पास परियोजनाओं की निगरानी के लिए किसी औपचारिक समीक्षा तंत्र का भी अभाव था जो संभावित बाधाओं की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद कर सके।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी से पहले कार्य आवंटन पत्र जारी करने के अप्रभावी निधि प्रबंधन के परिणामस्वरूप ₹ 20.27 करोड़ का अनुदान अनुपलब्ध रहा।

कंपनी के पास अपना स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप समय पर प्रणाली में सुधार अप्रभावी था।

(प्रस्तर 4.2; पृष्ठ संख्या 249)

अनुशंसाएँ:

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- ***पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड अनुदान की समाप्ति और उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा लागत की अस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना;***
- ***यह सुनिश्चित करना कि कंपनी परियोजना प्रबंधन के लिए अपनी निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाए तथा कंपनी के आकार और आवश्यकता के अनुरूप अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करे।***

लेखापरीक्षा प्रस्तर

राजस्व क्षति

उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने से राजस्व की हानि ₹ 5.96 करोड़ हुई।

(प्रस्तर 4.3; पृष्ठ संख्या 278)

अध्याय-1

प्रस्तावना

अध्याय-1

1.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड शासन के 60 विभागों के साथ-साथ 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) और 48 अन्य इकाइयों (स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों, आदि) की लेखापरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। विभागों और संबंधित इकाइयों के ब्योरे ***परिशिष्ट-1.1*** तथा उनका सार **तालिका-1.1** में दिया गया है।

तालिका-1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों और इकाइयों का ब्योरा

विभागों की कुल संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा क्षे उ) की कुल संख्या	अन्य इकाइयों (स्वायत्त निकायों /प्राधिकरणों आदि) की कुल संख्या	सा क्षे उ और अन्य इकाइयों की कुल संख्या
60	32	48	80

1.2 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2021-22 के दौरान, उत्तराखण्ड शासन के 60 विभागों के अंतर्गत कुल 48,755 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 39 विभागों के अंतर्गत 503 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा संपादित की गई। इस प्रतिवेदन में आठ विषयों- "उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना-अतिरिक्त वित्तपोषण", "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (पी एम के वी वाई 2.0)", "प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना की केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना का विकास", "कुम्भ मेला कार्यों का प्रबंधन और निष्पादन", "दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली", "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी आई एल आर एम पी) के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) की स्थापना और उपयोग", "जी एस टी भुगतानों और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी" और "पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) और 15 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं जो दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 11 विभागों से संबंधित हैं।

1.3 संसाधन और अनुप्रयोग

राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 38,205 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 में ₹ 43,057 करोड़ थी। इसमें से 33 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹ 14,176 करोड़) और छः *प्रतिशत करेत्तर* राजस्व (₹ 2,756 करोड़) के माध्यम से प्राप्त हुआ था। शेष 61 *प्रतिशत,* भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों

में राज्य के हिस्से (₹ 9,906 करोड़) और सहायता अनुदान (₹ 16,219 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ था। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति और उसके घटकों को **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

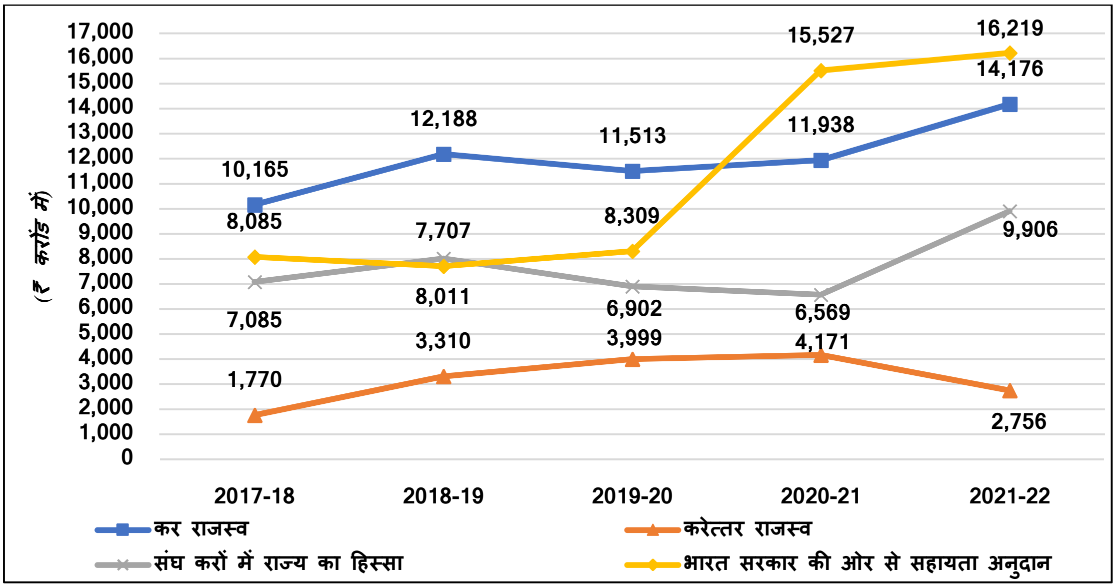

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 35,074 करोड़ से बढ़कर ₹ 46,810 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84.02 *प्रतिशत* (2017-22 के दौरान 82.92 *प्रतिशत* से 85.57 *प्रतिशत* तक) था, जबकि इसी अवधि में पूंजीगत व्यय 14.10 *प्रतिशत* से 16.86 *प्रतिशत* के मध्य था। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक कुल व्यय के घटकों की प्रवृत्ति को **चार्ट-1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.2: कुल व्यय: इसके घटकों की हिस्सेदारी की प्रवृत्तियां (*प्रतिशत* में)

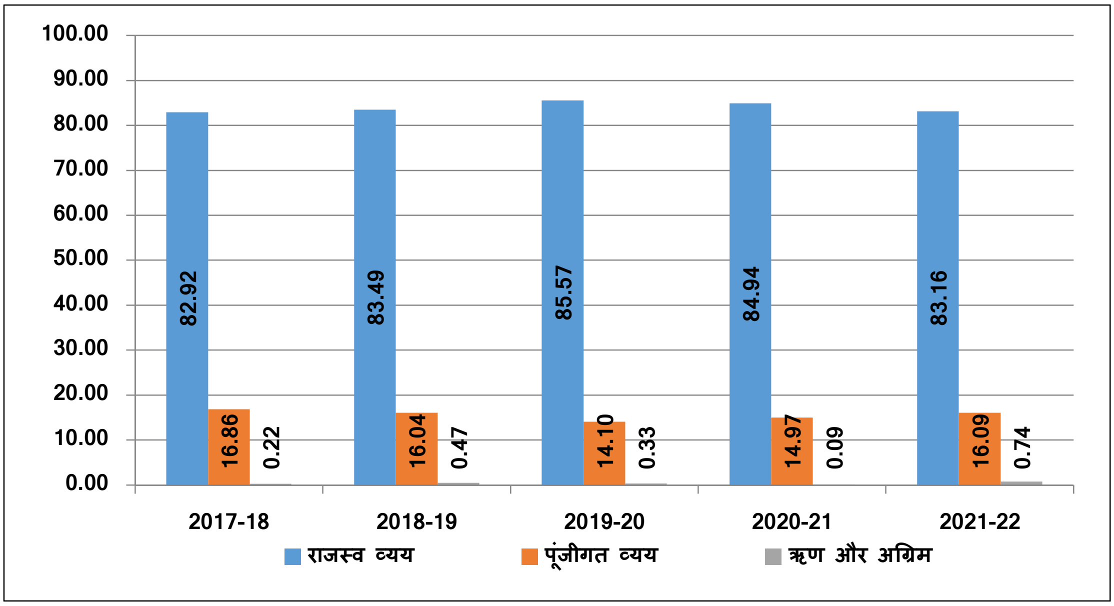

वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 12.70 *प्रतिशत* (₹ 4,852 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरी ओर राजस्व व्यय में केवल 4.96 *प्रतिशत* (₹ 1,838 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई।

1.4 लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार जानने के लिए चार चरण का अवसर प्रदान करती है, यथा

लेखापरीक्षा मेमो: स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा के दौरान ही उत्तर देने के लिए निर्गत किया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र): लेखापरीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर जारी किया जाता है, जिसका उत्तर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख द्वारा चार सप्ताह के भीतर दिया जाना होता है।

प्रलेख प्रस्तर: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पूर्व उन विभागाध्यक्षों को, जिनके प्रभार में लेखापरीक्षित इकाइयां कार्य करती हैं, छः सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु निर्गत किया जाता है।

बहिर्गमन गोष्ठी: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर, शासकीय/विभागीय विचारों को जानने के लिए, विभागाध्यक्षों और राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागाध्यक्षों/राज्य सरकार को खंडन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या संतोषजनक नहीं होते हैं, मात्र तभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण प्रतिवेदन या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में सम्मिलित करने के लिए कार्रवाई की जाती है। तथापि, अधिकांश प्रकरणों में, लेखापरीक्षित इकाइयां, समयबद्ध और संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं, जैसा नीचे दर्शाया गया हैः

- ***निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति***

मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवादनों (नि प्र) की विस्तृत समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 10,090 नि प्र में शामिल 29,283 प्रस्तर 31 मार्च 2022 तक निस्तारण के लिए बकाया थे, जैसा नीचे **तालिका-1.2** में ब्योरा दिया गया है। इनमें से, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी डी ओ) ने 247 नि प्र में सम्मिलित 406 प्रस्तरों के संबंध

में प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किए, जबकि 9,843 नि प्र में सम्मिलित 28,877 प्रस्तरों के संबंध में डी डी ओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

तालिका-1.2: बकाया नि प्र और प्रस्तर

क्र.सं.	अवधि	बकाया नि प्र की संख्या *(प्रतिशत)*	बकाया प्रस्तरों की संख्या *(प्रतिशत)*
1	2021-22	274 *(2.72)*	886 *(3.03)*
2	एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष तक या कम	1,877 *(18.60)*	6,458 *(22.05)*
3	तीन वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्ष तक या कम	1,635 *(16.20)*	5,297 *(18.09)*
4	पाँच वर्ष से अधिक	6,304 *(62.48)*	16,642 *(56.83)*
कुल		***10,090 (100)***	***29,283 (100)***

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

वर्ष 2020-21 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की 23 बैठकें (ए सी एम) आयोजित की गईं थीं, जिनमें तीन नि प्र और 98 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में विभागीय अधिकारियों के साथ दो ए सी एम आयोजित की गयी थीं, जिसमें तीन नि प्र एवं 79 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया था।

- ***लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2021-22 में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति***

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2021-22 के लिए आठ विषयों, "उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना-अतिरिक्त वित्तपोषण", "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (पी एम के वी वाई 2.0)", "प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना की केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना का विकास", "कुम्भ मेला कार्यों का प्रबंधन और निष्पादन", "दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली", "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी आई एल आर एम पी) के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) की स्थापना और उपयोग", "जी एस टी भुगतानों और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी", "पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) तथा 15 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों, जो दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 11 विभागों से संबंधित हैं, को संबंधित प्रशासनिक विभागों के मुख्य सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा और लेखा

विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के विनियम 138 में प्रावधान है कि सरकार के संबंधित विभाग के सचिव निर्दिष्ट समय के भीतर प्रलेख प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। सात एस एस सी ए और 14 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में शासन के उत्तर/ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो गई हैं। अनुस्मारकों के बावजूद एक लेखापरीक्षा प्रस्तर और एक एस एस सी ए के संबंध में शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

1.5 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

1.5.1 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के बकाया उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच की प्रक्रिया की सर्वोच्चता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इसे कार्यपालिका से उचित और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त हो। अप्राप्त उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति नीचे **तालिका-1.3** में दी गई है।

तालिका-1.3: अप्राप्त उत्तरों की स्थिति

संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले) और अनुपालन लेखापरीक्षा (अ ले) के प्रस्तर		नि ले /अ ले के प्रस्तरों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्राप्त नहीं हुए	
		नि ले	अ ले	नि ले	अ ले
2013-14	03.11.2015	04	18	04	14
2014-15	17.11.2016	03	19	03	13
2015-16	02.05.2017	02	21	02	09
2016-17	20.09.2018	02	19	01	11
2017-18	10.12.2019	02	19	02	16
2018-19	06.03.2021	01	13	01	07
2019-20 एवं 2020-21	15.03.2023	01	21	01	20
योग		***15***	***130***	***14***	***90***

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

1.5.2 लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2020-21 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/ स्वायत्त निकायों से संबंधित 15 निष्पादन लेखापरीक्षा और 130 अनुपालन

लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से लोक लेखा समिति ने 12.41 *प्रतिशत* प्रस्तरों {18 प्रस्तरों (01 नि ले/17 अ ले)} को चर्चा के लिए लिया था। 31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति में चर्चा की स्थिति का ब्योरा नीचे **तालिका-1.4** में दिया गया है।

तालिका-1.4: 31 मार्च 2022 तक पी ए सी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2013-14 से 2020-21 के लिए गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राजस्व अनुभाग से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के नि ले/वि ले/अ ले
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	145(15 नि ले +130 अ ले)
पी ए सी द्वारा चर्चा के लिए लिया गया	18(01 नि ले +17 अ ले)
पी ए सी द्वारा की गई अनुशंसा	-
कृत कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त हुई	41
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

1.5.3 सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

वर्ष 2000-01 से 2021-22 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 10 निष्पादन लेखापरीक्षा और 76 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, सार्वजनिक उपक्रम समिति (सा उ स) ने 07 निष्पादन लेखापरीक्षा और 61 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को चर्चा के लिए लिया था। 31 मार्च 2022 तक सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा की स्थिति का ब्योरा नीचे **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5: 31 मार्च 2022 तक सा उ स द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के नि ले/वि ले/अ ले
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	86 (10 नि ले 76 अ ले)
सा उ स द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिया गया	68 (07 नि ले + 61 अ ले)
सा उ स द्वारा की गई अनुशंसा	--
कृत कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त हुई	--
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	--

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

1.6 इकाइयों के लेखों की लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य सरकार की इकाइयों के संबंध में, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा, इन इकाइयों के शासकीय अधिनियमों/सरकारी आदेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार सी ए जी को सौंपी जाती है, उनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सी ए जी

द्वारा तैयार किए जाते हैं और शासन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखा के साथ राज्य विधानमण्डल में रखे जाते हैं।

- ***इकाइयों के लेखों को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने में बकाया***

उत्तराखण्ड की 35 इकाइयों[1] के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा सी ए जी को सौंपी गई थी। 30 सितम्बर 2022 तक, दो इकाइयों ने 2021-22 तक के अपने लेखों को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत किया। जिन वर्षों के लिए वार्षिक लेखे बकाया हैं, उनकी स्थिति (सक्रिय या निष्क्रिय) ***परिशिष्ट-1.2*** में दी गयी है और उनका सार **तालिका-1.6** में दिया गया है।

तालिका-1.6: विभिन्न इकाइयों के लेखा का बकाया दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	इकाइयों की संख्या	इकाई सक्रिय है या निष्क्रिय है	वर्ष जिनके लिए लेखे बकाया हैं	बकाया लेखों की संख्या
1.	26	सक्रिय	2005-06 से 2021-22	89
2.	09	निष्क्रिय	1987-88 से 2021-22	203
कुल	***35***			***292***

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

1.7 राज्य विधानमण्डल में इकाइयों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों को पटल पर रखे जाने की स्थिति

31 दिसम्बर 2022 तक, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प्र) के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों जिन्हें अभी राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखा जाना शेष है, का ब्योरा नीचे **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7: पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा जिन्हे अभी राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखा जाना है, का ब्योरा को दर्शाने वाला विवरण

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">इकाइयों का नाम</th><th rowspan="2">वह वर्ष जब तक राज्य विधानमंडल के पटल पर पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा रखे गए</th><th colspan="2">राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे न जाने वाले पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा की स्थिति</th><th rowspan="2">पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा को पटल पर रखे न जाने का कारण</th></tr>
<tr><th>पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा का वर्ष</th><th>सरकार/इकाइयों को पृ ले प्र जारी करने की तिथि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ)</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td><td>09.12.2021</td><td>उ वि नि आ द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td rowspan="3">उत्तराखण्ड जल संस्थान</td><td rowspan="3">2015-16</td><td>2016-17</td><td>06.08.2018</td><td rowspan="3">उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए</td></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>06.03.2019</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>26.02.2021</td></tr>
</table>

[1] बत्तीस एस पी एस ई, दो राज्य स्वायत्त निकाय और एक अर्ध-न्यायिक निकाय।

क्र. सं.	इकाइयों का नाम	वह वर्ष जब तक राज्य विधानमंडल के पटल पर पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा रखे गए	राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे न जाने वाले पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा की स्थिति		पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा को पटल पर रखे न जाने का कारण
			पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा का वर्ष	सरकार/इकाइयों को पृ ले प्र जारी करने की तिथि	
3.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधान विकास एवं निर्माण निगम	2018-19	-	-	-
4.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2009-10	2010-11	21.11.2014	उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2011-12	21.11.2014	
			2012-13	01.12.2014	
			2013-14	10.02.2016	
			2014-15	10.02.2016	
			2015-16	17.07.2017	
5.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2013-14	2014-15	16.08.2017	उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2015-16	16.08.2017	
			2016-17	17.05.2018	
			2017-18	24.04.2019	
			2018-19	27.10.2020	
6.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	-	वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लेखा 21 फरवरी 2022 को प्राप्त हुए जिनको 01 जून 2022 को अंतिम रूप दिया गया। इसके कारण निगम, मार्च 2022 तक इनको विधायिका के समक्ष नहीं रख सका। हालांकि, उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के प्रबंधन के साथ चर्चा के अनुसार इसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।		
7.	उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)	2016-17	2017-18	12.11.2021	उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2018-19	26.02.2021	
8.	उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण		2018-19	22.01.2020	उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2019-20	28.05.2021	

1.8 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न विभागों/ इकाइयों में 33 प्रकरणों में इंगित ₹ 275.57 करोड़ की वसूली को संबंधित विभागों/इकाईयों द्वारा स्वीकार किया गया

था। इसके सापेक्ष, तीन प्रकरणों में ₹ 0.02 करोड़ (0.007 *प्रतिशत)* की वसूली की गई जैसा **तालिका-1.8** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-1.8: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/इकाइयों द्वारा स्वीकार/प्रभावी की गई वसूली

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा में इंगित और विभाग/इकाई द्वारा स्वीकार की गई वसूली		वसूली की गई	
		प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
2021-22					
राज्य कर	विलम्ब कर अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न लगाना और आई टी सी से संबंधित प्रकरण	17	2.36	-	-
वन	अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा रॉयल्टी की वसूली न करना तथा देय प्रतिभूति राशि जमा न करना	07	5.47	-	-
यू के एफ डी सी	राजस्व की वसूली न होना	03	0.35	-	-
राज्य आबकारी	शराब की दुकानों का प्रबंधन न होने के कारण राजस्व की वसूली न होना तथा निर्धारित देय राजस्व को विलंब से जमा करने के परिणामस्वरूप ब्याज की लंबित वसूली	02	267.13	-	-
सिंचाई	ठेकेदार से अर्थदण्ड की वसूली न होना	01	0.24	-	-
आर डब्ल्यू डी	वेतन	01	0.0116	01	0.0075
ग्रामीण विकास	वेतन	01	0.0027	01	0.0027
पेयजल	रॉयल्टी	01	0.0095	01	0.0095
कुल		***33***	***275.57***	***03***	***0.020***

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के अनुपालन प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु मुख्यालय को भेजे गये 16 प्रलेख प्रस्तरों में से राजस्व विभाग से संबंधित एक प्रलेख प्रस्तर के सापेक्ष ₹ 5.16 लाख की वसूली की गई है। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में 15 प्रलेख प्रस्तर शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ₹ 32.71 लाख की आपत्ति की गई राशि के सापेक्ष डीलर द्वारा ₹ 29.79 लाख जमा किए गए हैं जैसा **प्रस्तर-3.13** में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, जी एस टी

भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर एस एस सी ए से संबंधित राज्य कर विभाग से प्राप्त उत्तरों के अनुसार, ₹ 8.88 करोड़ जमा किए गए हैं।

1.9 निष्कर्ष

राज्य सरकार के अधिकांश विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा को निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों के प्रारंभिक उत्तर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए थे। लोक लेखा समिति द्वारा केवल 12.41 *प्रतिशत* प्रस्तरों को चर्चा हेतु ले सकी। अधिकांश राज्य इकाइयों के वार्षिक लेखे को तैयार करने हेतु अत्यधिक बकाया थे। इकाइयों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/ लेखे को भी राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा नहीं गया था। विभाग/ इकाइयां लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूलियों का केवल 0.007 *प्रतिशत* ही वसूल कर सकी। यह सब शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का विषय है।

अध्याय-2

विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

(राजस्व क्षेत्र के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर)

अध्याय-2

विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
(राजस्व क्षेत्र के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर)

परिवहन विभाग

2.1 ₹ 2.98 करोड़ का अलाभकारी व्यय और विभाग व ठेकेदार के बीच ₹ 1.74 करोड़ का अनसुलझा विवाद

खराब वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही की कमी के परिणामस्वरूप छोड़े गए काम पर ₹ 2.98 करोड़[1] का अलाभकारी व्यय एवं अनुबंध की समाप्ति के 69 माह के बाद भी ठेकेदार के बकाया से संबंधित विवाद का अनसुलझा रहना।

उत्तराखण्ड सरकार का परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, समीपस्थ राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के अंदर राज्य संचालित बस सेवा प्रदान करने और प्रत्येक दिन 100,000 से अधिक लोगों की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3,50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग संबंधित पूंजीगत परियोजनाओं की निगरानी, शासकीय स्तर पर बेहतर वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही प्रणाली के लिए भी उत्तरदायी है।

कार्यालय परिवहन आयुक्त (आयुक्त), देहरादून के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2020) में पाया गया कि शासन द्वारा हल्द्वानी शहर में एक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आई एस बी टी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया था (जनवरी 2008)। तदनुसार, आयुक्त द्वारा उक्त आई एस बी टी की स्थापना हेतु एक फर्म के साथ इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण (ई पी सी) मोड पर अनुबंध गठित किया था (जून 2016)। उक्त अनुबंध के अनुपालन में, आयुक्त ने अनुबंधकर्ता फर्म को समान धनराशि की बैंक गारंटी (बी जी) के सापेक्ष ₹ 7.60 करोड़ का संचालन अग्रिम प्रदान किया गया (सितम्बर 2016)। आई एस बी टी की स्थापना का कार्य प्रगति पर होने के दौरान, 29 दिसम्बर 2017 को आयुक्त के संज्ञान में आया कि ₹ दो करोड़ की बैंक गारंटी की वैधता 19 दिन पहले अर्थात 10 दिसम्बर 2017 को ही समाप्त हो गयी थी। तदनुसार, आयुक्त ने अनुबंध करने वाली फर्म को 'सुधार करने का नोटिस' जारी किया, जिसके अंतर्गत उक्त फर्म को सात दिनों के अंदर अर्थात

[1] भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ₹ 0.83 करोड़, परामर्श हेतु ₹ 0.77 करोड़ और निर्माण स्थल विकास हेतु ₹ 1.38 करोड़।

04 जनवरी 2018 तक नवीनीकृत बी जी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। चूंकि अनुबंधित फर्म 'सुधार करने के नोटिस' का जवाब देने में विफल रही, आयुक्त ने 14 दिनों की समाप्ति पर (यानी 18 जनवरी 2018 तक) उक्त अनुबन्ध के निरस्तीकरण किए जाने के संबंध में ठेकेदार को सूचित किया (04 जनवरी 2018)। आगे, उक्त 14 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, आयुक्त ने उपलब्ध बी जी जब्त करके फर्म से ₹ 5.60 करोड़ की वसूली कर ली थी। इस प्रक्रिया में, आयुक्त द्वारा ठेकेदार पर ₹ दो करोड़ के लंबित संचालन अग्रिम और उस पर लागू ब्याज का संज्ञान नहीं लिया गया।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि उक्त अनुबंध को निरस्त करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहा था और निरस्तीकरण हेतु दिये गए नोटिस का जवाब देने में भी विफल रहा था। इसके अतिरिक्त, एक नामित समिति ने सरकार के प्रति ठेकेदार की देनदारी का आकलन ₹ 3.11 करोड़ (असमायोजित संचालन अग्रिम ₹ 2.00 करोड़ एवं बकाया संचालन अग्रिम पर ब्याज के ₹ 1.11 करोड़) और किए गये कार्य के लिए ठेकेदार के प्रति सरकार की देनदारी के रूप में ₹ 1.38 करोड़ का आंकलन किया था। फिर भी, सरकार ने इस परियोजना को किसी अन्य स्थान[2] पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था।

तथापि सरकार अनुबंध के निरस्तीकरण के 69 माह के उपरान्त भी अनुबंध के अंतर्गत ब्याज सहित लंबित संचालन अग्रिम की वसूली करने और अनुबंध के अंतर्गत देनदारियों की वसूली करने में असमर्थ रही थी। साथ ही बजट मैनुअल के प्रस्तर 81, शासनदेश संख्या 466/xxx (2)2005 दिनांक 05 मार्च 2005 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका (खंड V-भाग 1) के नियम-82 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत, ₹ 2.98 करोड़ (वन भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹ 0.83 करोड़, परामर्श हेतु ₹ 0.77 करोड़ और निष्पादित एवं अधूरे छोड़े गये कार्य हेतु ₹ 1.38 करोड़) के आर्थिक नुकसान को बट्टे खाते में डालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इस प्रकार, खराब वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही की कमी के परिणामस्वरूप छोड़े गए कार्य पर ₹ 2.98 करोड़[3] का अलाभकारी व्यय और अनुबंध निरस्त होने के 69 माह

[2] शासनादेश संख्या-698, दिनांक- 19 दिसम्बर 2018 ।

[3] भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ₹ 0.83 करोड़, परामर्श हेतु ₹ 0.77 करोड़ और निर्माण स्थल विकास हेतु ₹ 1.38 करोड़।

के बाद भी ठेकेदार की सरकार के प्रति बकाया धनराशि और ठेकेदार के प्रति सरकार की देनदारियों सहित विवाद अनसुलझा रहा। परियोजना जो जनवरी 2018 में पूर्ण होना निर्धारित थी, अक्टूबर 2022 तक शुरू की जानी बाकी थी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

2.2 संचार मीडिया पर ₹ 10.79 करोड़ का अलाभकारी व्यय

वर्ष 2013 की आपदा के पश्चात केदारनाथ व उसके आसपास के विकास कार्यों को प्रदर्शित करने हेतु ₹ 10.79 करोड़ की लागत से संचार मीडिया के निर्माण की परियोजना बिना उचित प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं की प्रक्रिया के शुरू की गई। सम्पूर्ण व्यय अलाभकारी रहा।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली {नियम 3(1)} में प्रावधान है कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसमें आगे {नियम 10(1)} प्रावधान है कि ₹ 25.00 लाख एवं इससे अधिक की अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाए।

राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करने की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यू एस डी एम ए) की है। जबकि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग (डी आई पी आर) विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली लोक कल्याण गतिविधियों के बारे में विभिन्न मीडिया के माध्यम से जनता को जानकारी देकर राज्य सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक सेतु की भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग फिल्मों, प्रदर्शनियों, गीतों और नाटकों एवं विभिन्न प्रचार प्रकाशनों के माध्यम से जनता के लिए सरकार की नीतियों, संकल्पों, प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी प्रसारित करने का कार्य करता है।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (प्रस्तर 33-ई) के अनुसार, ऐसे कार्य जिनमें उच्च कोटि के तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, सक्षम प्राधिकारी ठेकेदारों को लघुसूचीबद्ध करने के उद्देश्य से योग्यता हेतु अनुरोध (आर एफ क्यू)/ अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ एल) प्रक्रिया का पालन करके ठेकेदारों का चयन कर सकते है,

जिन्हे प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) चरण में वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इसका उद्देश्य विश्वसनीय निविदादाताओं की पहचान करना है जो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय क्षमता रखते हैं।

आगे, बजट मैनुअल के अध्याय VII के प्रस्तर 47 में यह प्रावधान है कि नयी योजना में होने वाला व्यय, नयी नीति के अपनाने में, नयी सुविधा को लागू करने या जो व्यय किसी वर्तमान सुविधा के प्रकार या प्रसार में बड़ा परिवर्तन करने में होता है उसे सामान्यतया 'नया व्यय' माना जाएगा। वित्त विभाग से नए व्यय की उन समस्त योजनाओं का परीक्षण करने और उनके संबंध में परामर्श देने की अपेक्षा की जाती है, जिनके लिए बजट में व्यवस्था करने का प्रावधान है।

दिनांक 05 जून 2007 के शासनादेश के अनुसार, नई परियोजनाओं की मंजूरी में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी सभी योजनाएं/परियोजनाएं जिनमें सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है अथवा प्रस्ताव के किसी भाग में ₹ 50.00 लाख का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा किसी एक इकाई पर ₹ 5.00 करोड़ या उससे अधिक का अनावर्तक व्यय शामिल है, को अनिवार्य रूप से अनुमोदन के लिए व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ई एफ सी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले विभागीय समिति द्वारा परियोजना के उद्देश्यों, लक्षित लाभार्थियों, कानूनी ढांचे, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, समय सीमा, जोखिम विश्लेषण, वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण आदि जैसे मुद्दों की जाँच की जानी चाहिए।

फरवरी 2022 में सूचना और लोक संपर्क निदेशालय, देहरादून (डी आई पी आर) की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार (जनवरी 2015) ने श्री केदारनाथ जी को उसकी मूल भव्यता में बहाल करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किए जा रहे राहत और पुनर्निर्माण कार्यों पर संचार मीडिया (प्रत्येक 44 मिनट के 12 धारावाहिक) बनाने का निर्णय लिया। उक्त धारावाहिकों में उत्तराखण्ड की धार्मिक पौराणिक कथाओं, धर्म, लोग, समृद्ध संस्कृति और व्यंजनों की झलक भी शामिल थी। संचार मीडिया के दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए, परियोजना के प्रारूपों में विश्वसनीय प्रस्तावकों के रूप में लोकप्रिय हस्तियों को शामिल करना भी वांछित था। तदनुसार, आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए) ने मैसर्स कैलाश एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड फर्म के साथ ₹ 9.48 करोड़

(सेवा कर अतिरिक्त) की अनुमानित लागत में 12 धारावाहिकों की एक टीवी श्रृंखला के निर्माण के लिए एक अनुबंध गठित किया (अप्रैल 2015)। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, एस डी एम ए द्वारा जुलाई 2017 में डी आई पी आर को मास्टर कॉपी उपलब्ध कराई गयी, लेकिन मई 2023 तक अर्थात, कार्य सौंपे जाने के लगभग आठ वर्ष बाद व कार्य पूरा होने के लगभग छः वर्ष बाद भी धारावाहिक का प्रसारण किसी भी मास मीडिया में नहीं किया गया था। भुगतान की अनुसूची के अनुसार, जनवरी 2020 तक फर्म को ₹ 10.79 करोड़[4] का भुगतान किया गया था।

आगे की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने निम्नानुसार पाया:

- एक अंतर-विभागीय समिति (मई 2016) द्वारा प्रकाश में लाया गया कि लगभग ₹ 10 करोड़ की लागत वाली परियोजना का प्रचार केवल एक समाचार पत्र में किया गया जबकि दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों की आवश्यकता थी; तकनीकी बोली में केवल दो फर्मों ने भाग लिया था, जिसके सापेक्ष एक बोली अस्वीकार कर दी गई थी। इस प्रकार, केवल एक फर्म ने ही वित्तीय बोली के चरण में भाग लिया; परियोजना की स्वीकृति संबन्धित साक्ष्य के रूप में कोई भी शासनादेश नहीं था; इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं था कि एस डी एम ए को अपने स्तर पर उस मूल्य की परियोजना को लागू करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं; अधिप्राप्ति नियमावली 2008, के अनुसार अपेक्षित विचारार्थ विषय (टी ओ आर) अथवा प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर एफ पी) योजना की निविदा आमंत्रित करने से पूर्व तैयार नहीं किए गए थे। उपर्युक्त खामियों को जून 2016 में कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया था। हालांकि, परिणाम ज्ञात नहीं था।
- उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत लगभग ₹ 10 करोड़ की अनुमानित लागत वाली एक नई योजना/कार्य/परियोजना को 'नया व्यय' माना जाएगा। तदनुसार, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय VII प्रस्तर 49 में उल्लिखित विस्तृत औचित्य तैयार किया जाना चाहिए था। तथापि उपलब्ध कराये गये अभिलेख से यह पता नहीं चलता है कि ऐसा किया गया था।
- अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त प्रस्ताव/परियोजना की जाँच व्यय वित्त समिति द्वारा नहीं की गई थी। जो जून 2007 के शासनादेश के अर्न्तगत अपेक्षित था।

[4] आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ₹ 7.54 करोड़ (₹ 6.64 करोड़ अनुबंध राशि का 70 *प्रतिशत* + ₹ 0.90 करोड़ का सेवा कर) की धनराशि एवं सूचना विभाग द्वारा शेष ₹ 3.25 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया था।

- सरकारी लेखापद्धति के मानकों[5] के अनुसार, संकट के निवारण के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए गए सभी व्यय के लिए मुख्य शीर्ष- 2245 को डेबिट किया जाएगा। किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय के लिए उचित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को डेबिट किया जाएगा तथापि, एस डी एम ए ने उक्त संचार मीडिया बनाने पर कार्य 'आपदा' (मुख्य शीर्ष- 2245) पर ₹ 7.54 करोड़ का व्यय प्रभारित किया, जो कि गलत वर्गीकरण/ निधियों का व्यपवर्तन था।
- कार्य सौंपे जाने के दो वर्ष पश्चात (अप्रैल 2015), राज्य सरकार ने महसूस किया कि एस डी एम ए के पास उक्त क्षेत्र में कोई आधारभूत क्षमता एवं विशेषज्ञता नहीं है एवं उक्त कार्य को संपादन, प्रसारण और ₹ 3.26 करोड़ की अदत्त धनराशि के भुगतान आदि के संबंध में दायित्व के साथ डी आई पी आर को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया (मई 2017)। यह किसी परियोजना की जिम्मेदारी को जाँच पड़ताल, योग्यता और जोखिम न्यूनीकरण के बिना ही हाथ में लेने को दर्शाता है।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने (जून 2023) अवगत कराया कि धारावाहिक के मूल्यांकन और गुणवत्ता परीक्षण के लिए सितम्बर 2019 में शासन स्तर पर गठित समिति ने धारावाहिक के कुछ अध्यायों (भागों) में कुछ संपादन करने और विभिन्न भाषा विशेषज्ञों से धारावाहिक का परीक्षण कराने का निर्णय लिया। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि धारावाहिक के सभी भागों का अंतिम रूप से परीक्षण किए जाने बाद ही धारावाहिक का प्रसारण किया जाना चाहिए। कालान्तर में केदारनाथ धाम के पुनरोद्धार और अवसंरचना विकास से संबंधित कार्य किए गए जिससे केदारनाथ की एक नई छवि बनी। आगे बताया, चूंकि धारावाहिक की शूटिंग इस नई छवि के निर्माण से पहले हुई थी और उक्त धारावाहिक को प्रसारित करने से पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए धारावाहिक को प्रसारित नहीं किया गया। वित्तीय नियमों के उल्लंघन के प्रकरण पर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग ने परियोजना को मंजूरी देने में वित्तीय नियमों में निर्धारित की गयी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। साथ ही, सरकार को यह महसूस करने में दो वर्ष लग गए कि एस डी एम ए के पास उक्त

[5] मुख्य-लघु लेखाशीर्ष की सूची में उल्लिखित मुख्य शीर्ष 2245 का नोट 1।

क्षेत्र में कोई आधारभूत क्षमता और विशेषज्ञता नहीं है और कार्य डी आई पी आर को हस्तांतरित कर दिया। आगे, 2017 में मास्टर कॉपी प्राप्त करने के पश्चात, सरकार ने धारावाहिक के मूल्यांकन और गुणवत्ता परीक्षण के लिए समिति का गठन करने में दो और वर्ष लगा दिए। अंत में, कार्य सौंपे जाने के लगभग आठ वर्ष बाद और कार्य पूर्ण होने के लगभग छः वर्ष बाद, दोनों विभाग संयुक्त रूप से ₹ 10.79 करोड़ की लागत से बनाए गए संचार माध्यमों का उपयोग करने में विफल रहे। यह सार्वजनिक धन के उपयोग के प्रति सरकार के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में उक्त निवेश का उपयोग करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं थी।

इस प्रकार, वित्तीय नियमों का अक्षरतः अनुपालन करने में विफलता और धारावाहिक के प्रसारण में विभाग द्वारा अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹ 10.79 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ।

आपदा प्रबंधन विभाग

2.3 उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

जून 2013 में, उत्तराखण्ड भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ के रूप में एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था जिसके परिणामस्वरूप भौतिक अवसंरचना, कृषि, मानव और पशु जीवन का व्यापक विनाश/भारी नुकसान के अतिरिक्त आजीविका, पर्यटन और सार्वजनिक सेवाओं पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। आपदा से उबरने के लिए भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, नागरिक समितियों और अन्य दानदाताओं द्वारा सहायता प्रदान की गयी थी।

वर्ष 2013 की आपदा से उबरने के लिए, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित "उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (यू डी आर पी)[6] को राज्य में फरवरी 2014 से जून 2019 तक लागू किया गया था। मूल परियोजना (यू डी आर पी) के अनाच्छादित कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना-अतिरिक्त वित्तपोषण (यू डी आर पी-ए एफ) नाम से भारत सरकार के माध्यम से

[6] 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण (पी146653, सी आर -5313 आई एन) 25 अक्टूबर 2013 को स्वीकृत हुआ और 07 फरवरी 2014 से प्रभावी था।

विश्व बैंक से 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 672 करोड़) का नया ऋण प्राप्त किया (मार्च 2019)। यू डी आर पी-ए एफ की निर्धारित समापन तिथि 31 मार्च 2022 थी जिसे मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण 30 सितम्बर 2023 तक के लिए दो बार विस्तारित किया गया।

2.3.2 कार्यक्रम का दायरा

यू डी आर पी-ए एफ की परियोजना लागत 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 840 करोड़)[7] है और इसके दायरे में निम्नलिखित गतिविधियाँ/घटक सम्मिलित हैः

(अ) सेतु, सड़क संरक्षण एवं नदी तट संरक्षण 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 616 करोड़)

(यू डी आर पी घटक - ग्रामीण सड़क संयोजन)

i. क्षतिग्रस्त/ढह गए 64 पुलों का पुनर्निर्माण;

ii. भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए लगभग 15 चयनित महत्वपूर्ण ढलानों की सुरक्षा एवं संयोजन में सुधार के उद्देश्य से सड़क संरक्षण कार्य; और

iii. पांच (05) महत्वपूर्ण स्थलों में नदी तट के कटाव के जोखिम को कम करने एवं इसके परिणामस्वरूप संपर्क विच्छेदन को कम करने के लिए नदी तट संरक्षण (न त सं) कार्य।

(ब) राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (रा आ प्र ब) के लिए प्रशिक्षण सुविधा 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 140 करोड़)

(यू डी आर पी घटक: टी ए सी बी डी आर एम[8])।

चरण-I: सम्बद्ध सेवाओं सहित भवनों का निर्माण (प्रशासनिक और प्रशिक्षण खंडों, बहुउद्देशीय हॉल, आवासीय परिसर, औषधालय, बैरक, स्टोर आदि)।

चरण-II: बाह्य प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ रा आ प्र ब कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अवसंरचना का विकास।

(स) आकस्मिकता आपातकालीन प्रतिक्रिया घटक (आ आ प्र घ)

यू डी आर पी-ए एफ के लिए हस्ताक्षरित ऋण समझौते के समर्थकारी प्रावधान के अनुसार, इस घटक को परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान किसी भी समय

---

[7] ऋण: 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 672 करोड़) व राज्य का हिस्साः 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 168 करोड़) [विनिमय दरः ₹ 70 प्रति अमेरिकी डॉलर]।

[8] आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण।

आपातकालीन व्यय को पूरा करने के लिए उधार प्राप्त कर्ता के अनुरोध से सक्रिय किया जा सकता है।

(द) कार्यान्वयन समर्थन 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 84 करोड़)

यह घटक परियोजना प्रबंधन इकाई (प प्र इ) और संबंधित परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों (प क्रि इ) के संचालन सहित परियोजना की परिचालन लागत के समर्थन लिए है। यू डी आर पी के दौरान बैंक के समर्थन से राज्य द्वारा स्थापित मौजूदा निष्पादन तंत्र की संस्थागत क्षमता को इस अतिरिक्त वित्तपोषण का हिस्सा बनाए रखा।

2.3.3 संगठनात्मक ढाँचा

यू डी आर पी-ए एफ कार्यों की स्वीकृति और प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) का गठन किया गया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व परियोजना निदेशक, यू डी आर पी-ए एफ द्वारा किया गया जो कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव भी हैं। यू डी आर पी-ए एफ के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढाँचा नीचे दिए गए ***प्रवाह-चार्ट*** के अनुसार हैः

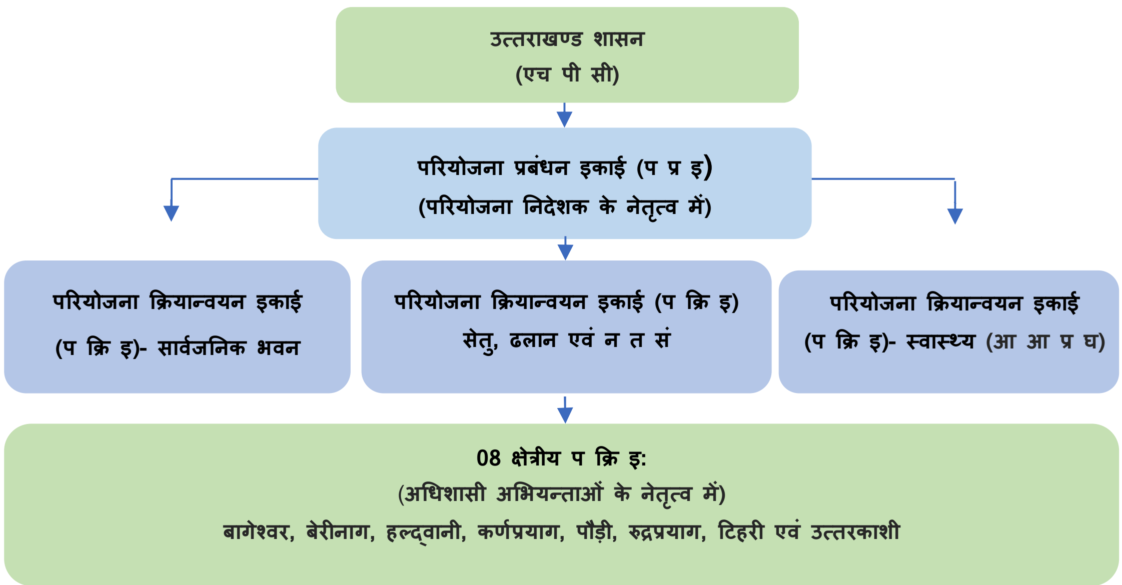

प क्रि इ और क्षे प क्रि इ (सेतु, ढलान और न त सं) के लिए कर्मचारियों को लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) व सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया गया था; और प क्रि इ (सार्वजनिक भवन) के लिए ब्रिड्कुल (ब्रिज, रोपवे, टनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड) से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया गया था। प क्रि इ (स्वास्थ्य) द्वारा आ आ प्र घ को स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के विशेषज्ञों की मदद से लागू किया गया था। कार्य के प्रबंधन के लिए प क्रि इ/क्षे प क्रि इ की क्षमताबर्धन हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों की भी भर्ती की गयी थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा का दायरा एवं आच्छादन

हाल ही के वर्षों में उत्तराखण्ड में जून 2013 की आपदा से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं[9] संपादित की गयी। क्योंकि ये अतिरिक्त कार्य पहले शामिल नहीं थे इसलिए यू डी आर पी-ए एफ कार्यों की यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा संपादित की गयी। इस उद्देश्य के लिए, प प्र इ, सभी तीन प क्रि इ और चार क्षे प क्रि इ[10] (कुल आठ में से) से संबन्धित 67[11] कार्यों/पैकेजों के अभिलेखों की जाँच, सम्पूर्ण यू डी आर पी-ए एफ कार्यान्वयन से संबंधित अवधि (अप्रैल 2019 से जून 2022) हेतु की गई। यह लेखापरीक्षा मई एवं सितम्बर 2022 के बीच आयोजित की गई थी।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पहले, एक प्रवेश गोष्ठी (28 मार्च 2022) में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव और यू डी आर पी-ए एफ के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यप्रणाली और समयसीमा पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर एक बहिर्गमन गोष्ठी (22 मार्च 2023) में भी इसी स्तर के साथ चर्चा की गई तथा राज्य सरकार/यू डी आर पी-ए एफ के प्रतिउत्तरों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

2.3.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्याः

- प प्र इ/प क्रि इ द्वारा पुनर्निर्माण कार्यों की योजना और परियोजना स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया;
- प क्रि इ/क्षे प क्रि इ द्वारा कार्यों का समग्र प्रबंधन और निष्पादन मितव्ययी, कुशल, प्रभावी था; और

---

9 (1) सी ए जी की वर्ष 2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 02 के माध्यम से तत्काल प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्स्थापना गतिविधियाँ, और (2)- सी ए जी की वर्ष 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं-02 के माध्यम से उत्तराखण्ड 2013 की आपदा के उपरान्त में बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण।

10 क्षेत्रीय प क्रि इ: बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी एवं उत्तरकाशी।

11 अड़तीस (38) सेतु, पाँच-ढलान, पाँच-नदी तट संरक्षण, नौ-कंसल्टेन्सी ठेके, दो-सार्वजनिक भवन एवं आ आ प्र घ के आठ पैकेज।

- आवंटित निधियों का प्रत्येक स्तर पर प्रबंधन, सर्वोत्तम उपयोग और कार्यों को ससमय पूर्ण किए जाने हेतु सुनिश्चित करने में सक्षम था।

2.3.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

यह लेखापरीक्षा निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में की गई थीः

- यू डी आर पी-ए एफ के लिए विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित समझौते के नियम व शर्तें तथा परियोजना कार्यान्वयन नियमावली/मूल्यांकन दस्तावेजों के प्रावधान;
- कार्यों के आगणन, स्वीकृतियों और निष्पादन के लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अनुपालनीय आवश्यक तकनीकी विशिष्टियाँ और मानक;
- विश्व बैंक अधिप्राप्ति नियमावली, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली और राज्य के अन्य वित्तीय नियम जो निधियों के प्रबंधन और कार्यों के निष्पादन पर लागू होते हैं; और
- राज्य सरकार/एच पी सी द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेश, अधिसूचनाएं, निर्देश।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में उल्लिखित किया गया है:

2.3.7 कार्यों की समग्र स्थिति एवं आच्छादन

यू डी आर पी-ए एफ एक समयबद्ध कार्यक्रम है जो 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 840 करोड़) के कुल परिव्यय के साथ सितम्बर 2023 (विस्तारित) तक पूर्ण किए जाने हेतु अधिसूचित है। हालांकि, प प्र इ, यू डी आर पी-ए एफ द्वारा हाल ही में (मई 2023) यह बताया गया कि अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर में परिवर्तन के कारण कार्यक्रम का दायरा ₹ 840 करोड़ से संशोधित कर ₹ 887.36 करोड़ कर दिया गया है।

एच पी सी द्वारा स्वीकृत कार्यों/अन्य गतिविधियों (वित्तीय और भौतिक स्थिति) की घटक-वार स्थिति **तालिका-2.3.1** में दी गई है और परिकल्पित कुल कार्यों का विवरण, इनमें से आच्छादित कुल कार्य, समय पर पूर्ण कार्य एवं विलम्ब से पूर्ण कार्य व वर्तमान तक प्रगति पर कार्यों की संख्या **चार्ट-2.3.1** में दर्शायी गयी हैः

तालिका-2.3.1: 31 मार्च 2023 को वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

क्र. सं.	यू डी आर पी-ए एफ के घटक	स्वीकृत कार्य/पैकेज		वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति		
		सं.	लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)	पूर्ण कार्य	कार्य प्रगति पर	पूर्ण कार्यों का प्रतिशतता
1-	सेतु कार्य	58	335.95	312.10	51	07	*87.93*
2-	सड़क संरक्षण कार्य	08	35.09	30.81	08	-	*100*
3-	नदी तट संरक्षण कार्य[12]	05	59.20	57.33	05	-	*100*
4-	सार्वजनिक भवन/ टी ए सी बी डी आर ए एम	03	209.01	152.25	02	01	*66.67*
5-	आ आ प्र घ पैकेज	08	125.96	99.70	08	-	*100*
6-	परामर्श अनुबन्ध	10	122.15	112.90	04	06	
7-	कार्यान्वयन समर्थन	-			-	-	
योग		***92***	***887.36***	***765.09***	***78***	***14***	

स्रोत: *यू डी आर पी-ए एफ द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना (मई 2023)।*

चार्ट-2.3.1: कुल परिकल्पित कार्यों, शुरू किए गए कार्यों, समय पर पूरे किए गए कार्यों, देरी से पूरे किए गए कार्यों और प्रगतिशील कार्यों का विवरण (संख्या में)

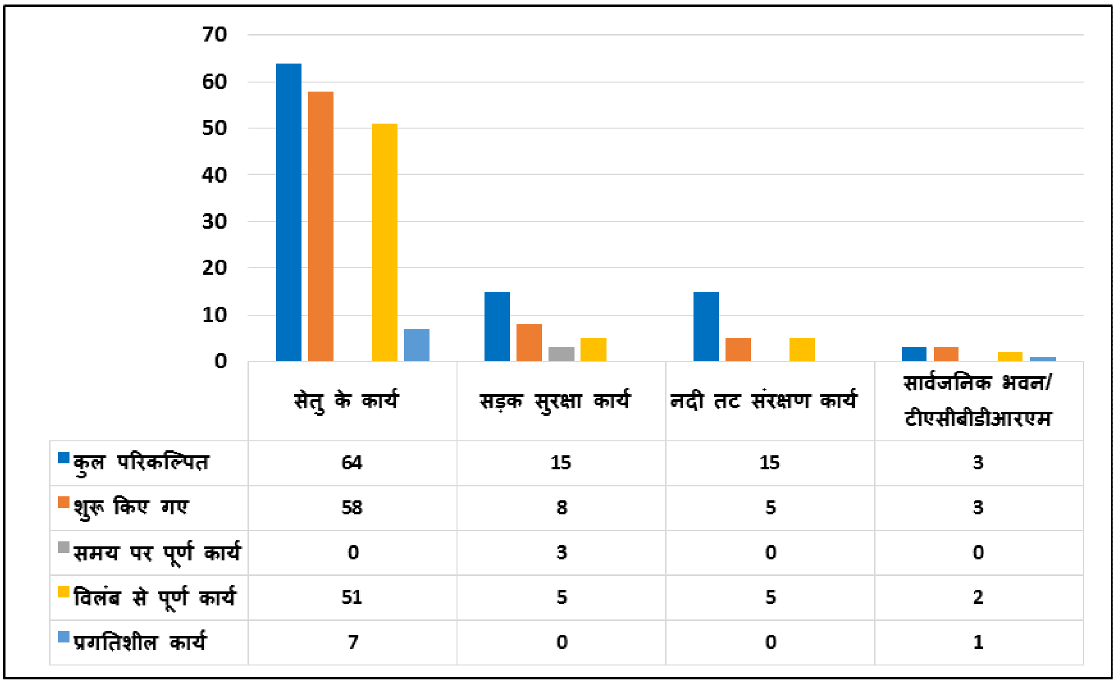

[12] मूल परियोजना यू डी आर पी के अन्तर्गत यू डी आर पी-ए एफ कार्यों से संबंधित ₹ 51.10 करोड़ की धनराशि भारित की गई थी क्योंकि विश्व बैंक से अतिरिक्त वित्तपोषण की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कम से कम 30 *प्रतिशत* नए कार्यों को आरंभ करने की आवश्यकता थी जिसे स्वीकृत धनराशि/व्यय के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

यू डी आर पी-ए एफ के कार्यों और परिव्यय के समग्र आच्छादन से संबंधित कमियों को निम्नलिखित प्रस्तरों में वर्णित किया गया है:

2.3.7.1 चिन्हित परियोजनाओं का अपूर्ण आच्छादन

मूल परियोजना (यू डी आर पी) के टी ए सी बी डी आर एम घटक के अन्तर्गत, नदी तट को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक अवसंरचना का विश्लेषण और पहचान करने के लिए चार नदी (भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा और काली) तटों का 'नदी आकृति विज्ञान' अध्ययन किया गया था। इसके आधार पर न त सं के लिए कुल 15 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गयी थी। इसी तरह, सार्वजनिक अवसंरचना के संरक्षण/सड़क संपर्क में सुधार के लिए 15 महत्वपूर्ण ढलानों और 64 सेतु कार्यों की पहचान की गई और इन्हें यू डी आर पी-ए एफ में सम्मिलित किया गया।

हालांकि, केवल पांच न त सं (दो नदियों में)[13], आठ ढलान संरक्षण और 58 पुलों के पुनर्निर्माण/ स्थापन का काम शुरू किया गया और शेष चिन्हित कार्यों (10-न त सं, 07-ढलान संरक्षण और 06-सेतुओं) को यू डी आर पी-ए एफ के दायरे से आच्छादित नहीं किया गया था। इसलिए, नदी तट/ढलानों और पुलों के इन चिन्हित लेकिन अनाच्छादित स्थलों (24 *प्रतिशत*) पर आपदा का खतरा अभी भी बना है और इन महत्वपूर्ण स्थानों में सार्वजनिक अवसंरचना की रक्षा करने और सड़क संपर्क में सुधार के उद्देश्य अप्राप्त हैं।

प प्र इ द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया (अगस्त 2022) कि कोविड-19 महामारी के कारण, आ आ प्र घ को सक्रिय कर दिया गया था और कार्यक्रम निधि का कुछ हिस्सा चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए व्यपवर्तित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप इन चिन्हित कार्यों में कटौती हुई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन कार्यों के आच्छादन के लिए कोई प्रस्ताव उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, मई 2020 में आ आ प्र घ के सक्रिय किए जाने तक कार्यों का चयन और स्वीकृति दी जा चुकी थी, इसलिए आ आ प्र घ अन्य चिन्हित कार्यों को निष्पादित न किए जाने का कारण नहीं हो सकता।

---

[13] अलकनन्दा (चार स्थल) एवं मंदाकिनी (एक स्थल)।

2.3.7.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल घटक का आंशिक कार्यान्वयन

राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (रा आ प्र ब) के लिए जॉलीग्रांट, देहरादून में प्रशिक्षण सुविधा के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में ब्रिड्कुल (जून 2016) को नामित किया और राज्य योजना के अंतर्गत परियोजना के लिए एक वास्तुकला और डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म (मै. आर्कक्वेक डिजाइनर) को नियुक्त किया (नवम्बर 2016)।

चरण-I: भवनों और संबद्ध सेवाओं का निर्माण	**11 मिलियन अमेरिकी डॉलर** ***(₹ 77.00 करोड़)***
चरण-II: प्रशिक्षण अवसंरचना और गतिविधियाँ	**09 मिलियन अमेरिकी डॉलर** ***(₹ 63 .00 करोड़)***

तत्पश्चात, रा आ प्र ब प्रशिक्षण सुविधा को यू डी आर पी-ए एफ में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (जैसा कि बॉक्स में दिखाया गया है) की लागत से दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई थी। इस सुविधा को क्षमता विकास और एक वर्ष में लगभग 1,500 रा आ प्र ब कर्मियों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ अन्य संगठनों/हितधारकों के लिए एक प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र विकसित करने के लिए स्थापित करने की योजना बनाई गई थी ताकि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अद्यतन मॉड्यूल और उपकरणों के साथ पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, आधुनिक तकनीकों से ज्ञान प्रदान किए जा सकें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंसल्टेंसी फर्म ने 2018 में चरण-1 के कार्यों के लिए अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) प्रस्तुत की थी लेकिन चरण-2 के लिए डी पी आर को अभी तक (जून 2022) अंतिम रूप नहीं दिया गया/कार्यान्वयन के लिए ब्रिड्कुल को सौंपा नहीं गया था। परिणामस्वरूप, केवल चरण-1 के कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है और यू डी आर पी-ए एफ के अन्तर्गत ₹ 63.00 करोड़ की लागत के रा आ प्र ब प्रशिक्षण सुविधा के सम्पूर्ण चरण-2 को (मार्च 2023) आरम्भ ही नहीं किया जा सका। इस प्रकार, प्रतिवर्ष लगभग 1,500 रा आ प्र ब कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास तथा अन्य लोगों के लिए एक प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र की स्थापना के इस घटक का मुख्य उद्देश्य हासिल नहीं हुआ (मार्च 2023)।

प क्रि इ-सार्वजनिक भवन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2023) बताया कि जॉलीग्रांट में रा आ प्र ब परिसर के लिए बाह्य प्रशिक्षण सुविधाओं को हटाया नहीं गया है और इसका निर्माण विश्व बैंक की आगामी नई परियोजना जो कि प्रक्रिया में है, के माध्यम से प्रस्तावित है।

2.3.7.3 कार्यक्षेत्र से बाहर के कार्यों और गतिविधियों का आच्छादन

विश्व बैंक से यह अतिरिक्त वित्तपोषण उन विशिष्ट गतिविधियों/कार्यों के लिए प्राप्त किया गया था जिन्हें यू डी आर पी के अन्तर्गत संपादित नहीं किया जा सका था और इस प्रकार यू डी आर पी-ए एफ में सम्मिलित किया गया था। विश्व बैंक के साथ राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित यू डी आर पी-ए एफ ऋण समझौता और अन्य दस्तावेज भी, किसी आपात स्थिति में परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान यू डी आर पी-ए एफ का अभिन्न अंग होने के कारण सक्रिय होने वाली आ आ प्र घ की लागत को छोड़कर, कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य कार्यों/ गतिविधियों के समावेश/ आच्छादन के लिए कोई शिथिलता प्रदान नहीं करता है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 75.81 करोड़ लागत के निम्न उल्लेखित कार्यों/ गतिविधियों को यू डी आर पी-ए एफ पर अनियमित रूप से भारित किया गया था:

- प क्रि इ सार्वजनिक भवन के अन्तर्गत, एच पी सी के यथोचित अनुमोदन के साथ ₹ 30.64 करोड़[14] (जुलाई 2022) के अद्यतन व्यय सहित ₹ 73.40 करोड़ लागत के आई टी पार्क, देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (उ रा आ प्र प्रा) भवन के निर्माण के दो सक्रिय अनुबंध (निर्माण कार्य एवं डी एस सी) प्रगतिशील हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि यह कार्य यू डी आर पी की अपूर्ण परियोजनाओं में से एक था फिर भी इसे यू डी आर पी-ए एफ के दायरे में शामिल नहीं किया गया था। यद्यपि इसकी लागत ₹ 73.40 करोड़ को यू डी आर पी-ए एफ में भारित किया जा रहा था।

  प क्रि इ ने अतिरिक्त वित्तपोषण के अन्तर्गत कार्य को सम्मिलित किए जाने सम्बन्ध में अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2022) कि परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि यू डी आर पी-ए एफ अधीन नई गतिविधियाँ और मूल परियोजना की शेष गतिविधियाँ जो अंतिम तिथि के बाद भी जारी हो, दोनों का वित्तपोषण किया जाएगा।

  यद्यपि, दिसम्बर 2021 में कार्यक्रम के पुनर्गठन के बावजूद इस कार्य के लिए यू डी आर पी-ए एफ में कोई विनिर्दिष्ट परिव्यय प्रावधानित नहीं है। यहां यह उल्लेख करना सार्थक है कि अतिरिक्त वित्तपोषण के अंतर्गत इस उ रा आ प्र प्रा भवन निर्माण कार्य को सम्मिलित करने का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक को किया गया था (जुलाई 2018), परंतु विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

[14] ₹ 30.45 करोड़ निर्माण कार्य प्रगति पर एवं ₹ 0.19 करोड़ डी एस सी को भुगतान हेतु।

- यू डी आर पी-ए एफ परियोजना अनुबन्ध के प्रावधान[15] में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि परियोजना लागू करने वाली संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि अधिग्रहण व किसी मुआवजे, पुनर्वास सहायता या पुनर्वास कार्य-योजनाओं के लागू प्रावधान के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों के भुगतान खर्च का वित्तपोषण स्वयं के संसाधनों से किया जाए। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा में पाया गया कि प क्रि इ (सेतु, ढलान एवं न त सं) द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों को आजीविका निर्वाह अनुदान एवं महिला प्रधानित परिवार के लिए एकमुश्त सहायता के रूप में भुगतान करने के लिए सात क्षे प क्रि इ को ₹ 1.37 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गयी (अगस्त 2021), जो तदनुसार संबंधित लाभार्थियों को वितरित की गई। प प्र इ ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (अप्रैल 2023) कि मुआवजे की राशि एच पी सी की पूर्व स्वीकृति के साथ वितरित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यू डी आर पी-ए एफ परियोजना समझौते के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार ऐसी लागत राज्य सरकार को अपने संसाधनों से वहन करनी थी।
- क्षे प क्रि इ - बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि यू डी आर पी-ए एफ के परियोजना खाते से एक ठेकेदार[16] को जिला अल्मोड़ा के दो मोटर मार्गों[17] के निर्माण से संबन्धित ₹ 1.04 करोड़ का भुगतान किया गया था, जबकि ये कार्य यू डी आर पी-ए एफ के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं थे। उत्तर में, प प्र इ द्वारा बताया गया (अप्रैल 2023) कि व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जा चुकी है क्योंकि यह मूल परियोजना (यू डी आर पी) से संबंधित है जो जून 2019 को बंद हो गई थी। यद्यपि, यू डी आर पी-ए एफ के अंतर्गत वित्त पोषण निर्धारित कार्यों के लिए था, जिसमें उपरोक्त कार्य शामिल नहीं थे।

2.3.7.4 कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब

यू डी आर पी-ए एफ परिचालन नियमावली (अध्याय-4 का प्रस्तर-4) प्रावधानित करती है कि सिविल कार्यों का क्रिन्यावयन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जिला स्तर पर क्षे प क्रि इ एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा राज्य स्तर पर प क्रि इ के समग्र पर्यवेक्षण/निगरानी के अधीन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर

---

[15] अनुसूची की धारा-1 सी का खण्ड-7।

[16] मै. टेक्निकल कंसल्टेंट व कंस्ट्रक्सन एसोसिएट्स।

[17] विश्वनाथ- जस्कोट मोटर मार्ग एवं धौरा-रतनखान मोटर मार्ग।

समग्र परियोजना प्रबंधन एवं तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार कार्यों के निष्पादन, ग्राहक/ ठेकेदारों/ अन्य हितधारकों के बीच समन्वय और निर्धारित समय के अंतर्गत कार्य योजना तैयार करने में ठेकेदारों की सहायता करने व कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए यू डी आर पी-ए एफ कार्यों की प्रत्येक श्रेणी के अनुश्रवण के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत समर्पित कंसल्टेंसी फर्मों (***प्रस्तर 2.3.9.3 संदर्भित***) को नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समर्पित कंसल्टेंसी फर्मों को नियुक्त किए जाने और उन पर ₹ 51.60 करोड़[18] के खर्च के बावजूद भी यू डी आर पी-ए एफ का संपूर्ण निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र कार्यों को समय पर पूर्ण करने में विफल रहा क्योंकि मात्र तीन (चार *प्रतिशत*) कार्य (ढलान - 5, 6 व 9) समय पर पूर्ण हुये थे। 30 जून 2022 तक, 24 कार्यों (33 *प्रतिशत*) को पूर्ण करने में छः माह और 18 (25 *प्रतिशत*) कार्यों को पूर्ण करने में 06 से 24 माह तक की देरी हुई थी, शेष 28 कार्य (38 *प्रतिशत*) अभी भी सारभूत देरी ***(परिशिष्ट-2.3.1)*** के साथ प्रगति पर थे। चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण कार्य बाधित हुये थे, इसलिए प क्रि इ द्वारा ठेकेदारों को समय विस्तार प्रदान किया गया था। एच पी सी द्वारा प्रदत्त समय विस्तार को ध्यान में रखने के बावजूद, लगभग 63 *प्रतिशत* कार्य जो या तो पूरे हो चुके हैं या अभी भी प्रगति पर थे**,** में छः माह से अधिक की देरी हुई। यह विलम्ब न केवल जनता तक कार्य को उपलब्ध कराने में अवरोधक साबित हुआ अपितु परियोजना कार्यान्वयन लागत में वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार सिद्ध हुआ (देखें ***प्रस्तर-2.3.7.7)***।

इसके अतिरिक्त, बहुत धीमी प्रगति के कारण, यू डी आर पी-ए एफ के विस्तारित समय के अन्तर्गत ₹ 82.35 करोड़ लागत के दो सेतुओं और एक सार्वजनिक भवन के निर्माण के पूरा होने की संभावना बहुत कम थी ***(परिशिष्ट-2.3.2)।*** चूंकि विश्व बैंक द्वारा समापन तिथि के विस्तार के लिए अपने अनुमोदन (मार्च 2023) में इंगित किया गया था कि कार्यक्रम के समापन के बाद प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी**,** इसलिए इन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर स्थानांतरित होने की प्रबल संभावना थी। लेखापरीक्षा में पाया कि इन कार्यों की धीमी प्रगति के लिए ठेकेदारों की कमजोर वित्तीय स्थिति जिम्मेदार थी। कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से सामग्री आपूर्तिकर्ता को सीधे भुगतान के लिए यू डी आर पी अधिकारियों ने हाल ही में दो सेतुओं के कार्यों (बी आर -69 व 85) के लिए त्रिपक्षीय एस्क्रो (निलंब) खाता (जून 2022) खोलने का फैसला किया था।

[18] पर्यवेक्षण कंसल्टेंसी पर 31 मार्च 2022 तक का व्यय।

प प्र इ द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया (अप्रैल 2023) कि परियोजना का कार्य मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुआ था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार और विश्व बैंक ने परियोजना को पहले मार्च 2023 तक और पुनः सितम्बर 2023 तक विस्तार की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी अपूर्ण कार्य इस विस्तारित समय अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किए जाने नियत हैं।

2.3.7.5 चिकित्सा उपकरणों की ससमय और पूर्ण अधिप्राप्ति में कमी

कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रभावी उपायों के कार्यान्वयन और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के लिए विभिन्न चिकित्सा उपकरणों/मशीनों की खरीद द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के तत्काल उन्नयन के लिए आ आ प्र घ को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर[19] (₹70 करोड़) के आवंटन के साथ (मई 2020) सक्रिय किया गया था। इसके बाद (जून 2021), आवंटन को बढ़ाकर 16.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 113.96 करोड़) कर दिया गया। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- आपात घटक होने के बावजूद, आ आ प्र घ के अंतर्गत प क्रि इ द्वारा लगभग 93 *प्रतिशत* चिकित्सा उपकरण/मशीनों की खरीद एच पी सी की स्वीकृति प्राप्त होने से 10 से 15 महीनों के बाद ***(परिशिष्ट-2.3.3)*** पूरी की गयी। परिणामस्वरूप, यह कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढांचे को अपेक्षित सहायता प्रदान नहीं कर सका।
- प क्रि इ द्वारा सम्पूर्ण कोविड अवधि के दौरान ₹ 39.00 करोड़ लागत की तीन एम आर आई मशीनों की खरीद नहीं की जा सकी क्योंकि उनकी आपूर्ति का ठेका बहुत विलम्ब से (अक्टूबर 2022) दिया गया था और मशीनों की आपूर्ति/स्थापना मई 2023 में की गई थी।
- एच पी सी द्वारा 31 प्रयोगशालाओं के लिए 62 प्रयोगशाला-तकनीशियनों (प्रत्येक के लिए 2 तकनीशियन) को संविदा[20] के आधार पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मई 2020)। इसके सापेक्ष, प क्रि इ केवल

---

[19] परियोजना की लागत 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अन्तर्गत।

[20] प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए परंतु कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसे दो साल तक विस्तार दिया गया।

08 प्रयोगशालाओं के लिए मात्र 09 से 16 तकनीशियनों[21] को नियुक्त करने में सफल रही और शेष 23 प्रयोगशालाओं के लिए कोई भी तकनीशियन उपलब्ध नहीं कराया गया था।

उपरोक्त वर्णित लंबी प्रक्रिया के कारण कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु यू डी आर पी-ए एफ परियोजना के अन्तर्गत आ आ प्र घ को सक्रिय करने का वांछित उद्देश्य प्रभावित रहा।

प प्र इ द्वारा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए सूचित (अप्रैल 2023) किया गया कि स्वास्थ्य उपकरणों की अधिप्राप्ति, स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों की जिम्मेदारी थी जो कोविड-19 महामारी के चरम समय के दौरान अन्य कर्तव्यों के निर्वहन में भी सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, क्रय समिति के सदस्य भी कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे जिसके कारण उनके लिए आ आ प्र घ के अंतर्गत अधिप्राप्ति के लिए पर्याप्त समय निकालना मुश्किल हो गया था।

2.3.7.6 अतिरिक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जाना

सी ए जी की वर्ष 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं-02 (प्रस्तर-3.2.1.3) में, लेखापरीक्षा द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि यू डी आर पी के अन्तर्गत तैयार की गई 36 सेतुओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) अनुपयोगी रही थी, जिस पर विभाग ने आश्वासन दिया था कि इन डी पी आर का उपयोग विश्व बैंक से अतिरिक्त वित्त पोषण के अंतर्गत किया जाएगा।

प क्रि इ (सेतु, स्लोप एवं न त सं), देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया (जुलाई 2022) कि यू डी आर पी - ए एफ के कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, सेतु कार्यों के लिए कुल 64 डी पी आर की आवश्यकता थी तथा यू डी आर पी के अंतर्गत तैयार 36 डी पी आर उपयोग के लिए यू डी आर पी-ए एफ के अंतर्गत उपलब्ध थे। पहले से ही डी पी आर उपलब्ध होने के बावजूद, प क्रि इ द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त डिजाइन एवं पर्यवेक्षण परामर्शदात्री (डी एस सी) फर्मों के माध्यम से ₹ 10.17 करोड़ की लागत से कुल 83 नई डी पी आर फिर से तैयार की गईं। हालांकि, एच पी सी द्वारा स्वीकृत 58 सेतु कार्यों के संदर्भ में केवल 51 नई (83 में से) और 07 पुरानी (पहले से उपलब्ध 36 में से) डी पी आर को यू डी आर पी-ए एफ हेतु उपयोग में लाया जा सका। तदनुसार, ₹ 4.27 करोड़ की

[21] दिसम्बर 2020 से मार्च 2022 तक प्रत्येक माह के लिए एक से दो तकनीशियन।

लागत से यू डी आर पी-ए एफ के अंतर्गत तैयार की गई 32 नई डी पी आर का समुचित उपयोग नहीं किया गया क्योंकि प क्रि इ द्वारा आवश्यकता से अधिक डी पी आर तैयार की गई थीं।

उत्तर में, प क्रि इ द्वारा बताया गया कि आ आ प्र घ के सक्रिय होने के कारण कार्यों की संख्या में कमी आई है जिसके कारण इन डी पी आर का उपयोग नहीं किया जा सका तथा अप्रयुक्त डी पी आर को अन्य स्रोतों से धन की उपलब्धता के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखना होगा कि तैयार और उपलब्ध 36 अतिरिक्त डी पी आर के उपयोग के बारे में विभाग द्वारा दिया गया पिछला आश्वासन भी आंशिक रूप से ही पूरा किया गया था।

2.3.7.7 परियोजना कार्यान्वयन की उच्च लागत

यू डी आर पी-ए एफ के कुल परिव्यय 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 840 करोड़) में से 10 *प्रतिशत* धनराशि (12 मिलियन अमेरिकी डॉलर/ ₹ 84 करोड़) परियोजना के कार्यान्वयन समर्थन के लिए आवंटित/ निर्धारित की गई थी, जैसा कि ***प्रस्तर-2.3.2(द)*** में वर्णित है। यद्यपि, मार्च 2022 के अंत तक परियोजना के कार्यान्वयन समर्थन पर ₹ 97.23 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है, जो मूल स्वीकृति के सापेक्ष 16 *प्रतिशत* अधिक थी। इस प्रकार, इस घटक हेतु प्रावधानित सम्पूर्ण धनराशि मार्च 2022 तक समाप्त हो चुकी थी तथा सितम्बर 2023 के अंत तक इसमें अग्रेत्तर वृद्धि संभावित है।

आ आ प्र घ के सक्रिय होने और दायरे से बाहर के कार्यों (जैसा कि पिछले *प्रस्तर* में वर्णित है) के आच्छादन सहित कार्यक्रम की उच्च कार्यान्वयन लागत के परिणामस्वरूप कम नियोजित कार्यों का आच्छादन हुआ जबकि यू डी आर पी-ए एफ का समग्र परिव्यय यथावत था (120 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।

2.3.8 कार्यों का आगणन एवं स्वीकृतियाँ

यू डी आर पी-ए एफ कार्यों के आगणन एवं स्वीकृतियों सम्बन्धी कमियों पर चर्चा निम्नवत हैः

2.3.8.1 बढ़ी दरों के प्रयोग से कार्यों की अतिरिक्त लागत

निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित उत्तराखण्ड सरकार की प्रत्येक सरकारी एजेंसी प्रचलित दर (एस ओ आर) के आधार पर कार्य आगणन तैयार करती हैं। इस उद्देश्य

के लिए, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा हर वर्ष सड़क और सेतुओं से संबन्धित कार्यों के लिए प्रत्येक ब्लॉक/जिले के लिए मद-वार दर सूचियाँ एक विशिष्ट कार्यालय ज्ञापन के साथ अधिसूचित की जाती है जिसमें सेतु कार्यों के लिए अतिरिक्त उपरि-प्रभार[22] (लघु सेतु[23]-10 *प्रतिशत*, प्रमुख सेतु-15 *प्रतिशत* एवं सेतुओं का पुनर्वासन- 20 *प्रतिशत*) अनुमन्य है। यद्यपि, भवन निर्माण कार्यों और वे मदें जो लो नि वि दर सूचियों में उपलब्ध नहीं हैं, के लिए दिल्ली दर सूची (डी एस आर) का प्रयोग किया जाता है।

नीचे उल्लिखित स्वीकृत डी पी आर/ आगणनों में दरों का प्रयोग त्रुटिपूर्ण/ बढ़ा-चढ़ाकर किया गया था:

अ) कुल स्वीकृत 58 सेतु कार्यों में से 32 स्टील-ट्रस मोटर सेतु थे जबकि 26 पैदल झूला पुल/आर सी सी (प्रबलित सीमेंट कंक्रीट) सेतु थे। प क्रि इ (सेतु, ढलान और न त सं), देहरादून में 32 मोटर सेतुओं के स्वीकृत आगणनों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन सेतुओं के लिए स्टील ट्रस सामग्री की दो मदों के लिए आगणन/स्वीकृतियाँ बढ़े हुए अतिरिक्त[24] उपरि-प्रभार को जोड़ कर प्रदत्त थी, जिसके परिणामस्वरूप ***परिशिष्ट-2.3.4 (अ) व (ब)*** में दिए गए विवरण के अनुसार कार्यों की स्वीकृत लागत में ₹ 5.17 करोड़ की वृद्धि हुई।

उत्तर में, प प्र इ द्वारा बताया गया (अप्रैल 2023) कि ये अतिरिक्त उपरि-प्रभार (सेतुओं के लिए 15 *प्रतिशत* के अतिरिक्त) ठेकेदार के लाभ (10 *प्रतिशत*) और लागू करों (6 *प्रतिशत*) के लिए की मोर्थ दर-सूची डेटाबुक और लो नि वि -कार्यालय ज्ञापन दिनाँक 15 सितम्बर 2017 के अनुसार थे। यद्यपि, उत्तर इस तथ्य के आधार पर भ्रामक था, क्योंकि सेतुओं के कार्यों के लिए वार्षिक लो नि वि दर-सूचियों में प्रावधान उसी मोर्थ डेटाबुक पर आधारित है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन दोनों घटकों के लिए उपरि-प्रभार 12.5 *प्रतिशत* एवं श्रम उपकर के लिए 1 *प्रतिशत* अतिरिक्त है। तदनुसार, लघु

---

22 श्रम, परिवहन, पुलों के प्रक्षेपण और निर्माण की अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए।

23 लघु सेतु वह सेतु है जिसकी कुल लंबाई (स्पान) 60 मीटर तक है और 60 मीटर से अधिक स्पान का सेतु प्रमुख सेतु है।

24 इन दोनों कार्यमदों के आगणन के लिए कुल 27.5 *प्रतिशत* से 34 *प्रतिशत* के उपरि-प्रभार जोड़े गए, जबकि लघु सेतुओं के लिए 23.5 *प्रतिशत* और प्रमुख सेतुओं के लिए 28.5 *प्रतिशत* आवश्यक मानक थे।

एवं प्रमुख सेतुओं के लिए कुल स्वीकार्य उपरि-प्रभार क्रमशः 23.5 *प्रतिशत* और 28.5 *प्रतिशत* है, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई है।

ब) सभी पाँच न त सं कार्यों में, सुरक्षा दीवारों के पीछे पत्थर भरान (एच पी एस) के लिए कुल 17,048 घनमीटर मात्रा अनुमानित/स्वीकृत की गई थी। जिनमें से चार न त सं कार्यों के लिए स्वीकृत दरें[25] लो नि वि -दर सूची(विविध मद: 12-10@ ₹ 710.30/घ.मी[26]) पर आधारित थी जबकि न त सं - मैथाणा (चमोली) के लिए अनुमोदित दर डी एस आर (मद-2.25@ ₹125.75/घ.मी.) पर आधारित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रारम्भ में न त सं - मैथाणा के आगणन को लो नि वि-दर सूची के आधार पर तैयार किया गया था परन्तु उस दर को शासन स्तर पर तकनीकी परीक्षण समिति (टी ए सी) द्वारा (सितम्बर 2019) में डी एस आर (मद-2.25) के अनुसार ₹ 125.75/घ.मी. लिए जाने हेतु इस आधार पर संशोधित किया गया था कि नींव के लिए 21,788 घ.मी. मात्रा[27] की खुदाई का प्रावधान है, जिसमें से 4,365 घ.मी.[28] स्थल पर उपलब्ध सामग्री के रूप में आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इससे इस मद की लागत में ₹ 28.34 लाख की कमी आएगी।

तदनुसार, लेखापरीक्षा का मत था कि वही डी एस आर (₹ 125.75/घ.मी.) अन्य चार न त सं कार्यों की स्वीकृति के लिए लिया जाना चाहिए था क्योंकि सभी चारों कार्य नदी तल में निष्पादित किए जाने थे, जिसमें पत्थर भरान कार्य निष्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थरों की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं थी। यद्यपि आगणनों की इन त्रुटियों की पहचान न तो डी पी आर तैयार करने/प्रूफ चेकिंग (प्रमाण जाँच) के लिए जिम्मेदार डी एस सी और न ही यू डी आर पी अधिकारियों द्वारा आगणनों के स्वीकृति के समय की गई।

2.3.8.2 कार्यों की अतिरिक्त लम्बाई

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्न उल्लिखित दो प्रकरणों में, कार्यो की स्वीकृतियां अतिरिक्त लंबाई के लिए प्रदत्त थी, जो कि परिहार्य थी:

---

[25] क्रमशः ₹ 688.60/घन मी., ₹ 669.70/घन मी., एवं ₹ 772.20/घन मी.।

[26] लो नि वि- दर सूची (विविध मद: 12-10) मई 2019 से लागू।

[27] तत्पश्चात टी एस प्रदान करते समय मात्रा 23195 घन मी की गयी।

[28] टी एस के अनुसार वास्तविक बी ओ क्यू 3823 घ मी स्वीकृत थी।

- वित्तीय हस्तपुस्तिका (खंड-VI) के नियम-318, जो कि तकनीकी स्वीकृति (टीएस) से संबंधित है, में प्रावधानित है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए उचित रूप से विस्तृत अनुमान तैयार किया जाना चाहिए और कार्य शुरू होने से पहले इसे प्राप्त किया जाना चाहिए। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह इस बात की गारंटी से अधिक कुछ नहीं है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से मजबूत हैं और अनुमान सटीक रूप से गणना किए गए हैं और पर्याप्त डेटा पर आधारित हैं।

न त सं बांसवाड़ा (रुद्रप्रयाग) की स्वीकृत डी पी आर/टी एस (नबम्बर 2018) के प्रावधानों के अनुसार, ₹ 7.38 करोड़ की लागत से 380 मीटर लंबाई और 8.20 मीटर ऊंचाई में सी सी फाउंडेशन/एप्रन के साथ आर आर एम (रेंडम रब्बल मेसोनरी) सुरक्षा दीवार का कार्य निष्पादित किया जाना था। हालाँकि, कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया (मई 2022) गया कि चैनेज 120 से 190 (70 मीटर) में सुरक्षा दीवार का निर्माण गैबियन (जालीदार) दीवार के साथ केवल 02 मीटर की ऊँचाई के साथ किया गया था क्योंकि यहाँ विद्यमान भू-स्तर नदी तल से 04 मीटर ऊपर था। इसके अतिरिक्त, स्थल की सुरक्षा के लिए स्थल पर बहुत बड़े आकार के पत्थर भी मौजूद हैं। इसलिए, इस न त सं की परियोजना के अंतर्गत ₹ 1.36 करोड़ लागत (समानुपात के आधार पर) की 70 मीटर लंबाई के लिए प्रावधान (8.20 मीटर ऊँचाई में आर आर एम दीवार/ सी सी कार्य) को सम्मिलित करना/ स्वीकृति देना गलत था जो कि डी पी आर/टी एस को तैयार करते/स्वीकृति देते समय अधिकारियों द्वारा स्थल की अनुचित योजना/सर्वेक्षण की खामी को भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कार्य के कार्यक्षेत्र में किए गए इस परिवर्तन के लिए एच पी सी से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था जो कि ऐसे प्रकरणों में आवश्यक था।

प क्रि इ द्वारा उत्तर में बताया (अप्रैल 2023) कि इस कार्य के लिए आंकड़ों का संग्रहण/स्थल सर्वेक्षण वर्ष 2015-16 में किया गया और डी पी आर को अंतिम रूप 2017-18 में दिया गया जबकि निर्माण जनवरी 2020 में प्रारम्भ किया गया था, इस अवधि में कार्यस्थल की स्थिति में बदलाव के कारण निर्माण कार्य का कार्यक्षेत्र बदल गया था जो पहाड़ी नदियों के प्रकरण में सामान्य है। उत्तर इसी आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि पहाड़ी नदियों की घुमावदार प्रवृत्ति को जानते हुए टी एस प्रदान करने से पहले साइट की नवीनतम स्थिति का पता लगाने और

अनुमानों की सटीक गणना करने के लिए अद्यतन स्थल सर्वेक्षण की आवश्यकता थी। जबकि, इस प्रकरण में स्थल सर्वेक्षण 2015-16 के दौरान किया गया था एवं स्वीकृति 2018-19 में दी गई थी, जो तीन वर्ष के अंतराल को दर्शाता है।

- राज्य लोक निर्माण विभाग के स्थायी आदेशों (नवम्बर 1989 और फरवरी 2013) के अनुसार, पुल निर्माण कार्यों के लिए स्थल चयन/स्पैन (दो भार वहन करने वाले अंशों के बीच की दूरी) के निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी, कार्य के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, एवं अधिशासी अभियंता की एक टीम है और यदि आवश्यक हो तो वे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक की आवश्यक सहायता ले सकते हैं।

  क्षे प क्रि इ-उत्तरकाशी के अभिलेखों की जांच में पाया कि उत्तरकाशी जिले के सेम-भरदार-गाजणा पैदल मार्ग में जलकुर नदी पर 36 मीटर लंबे स्टील ट्रस पैदल सेतु के लिए ₹ 1.67 करोड़ की स्वीकृति दी गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2022) कि सक्षम प्राधिकार प्राप्त टीम द्वारा इस पुल के लिए उपयुक्त स्थल/स्पैन 30 मीटर निर्धारित किया गया था (अप्रैल 2019) और साथ ही भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक की रिपोर्ट (जून 2019) में भी इसका उल्लेख किया गया था। जबकि, इस पुल के लिए डी पी आर, सलाहकार (डी एस सी) द्वारा 36 मीटर लंबाई के लिए तैयार किया गया था (अक्टूबर 2019) और तदनुसार मंजूरी दी गई थी, साथ ही निष्पादन भी 36 मीटर लंबाई के लिए किया गया था। यद्यपि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक की रिपोर्ट और डी पी आर के बीच एक अंतर्निहित विरोधाभास था, लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि स्थल चयन/स्पैन से संबंधित ये दस्तावेज स्वीकृत डी पी आर में संलग्न थे, डी पी आर में स्वयं कुछ स्थानों पर सेतु स्पैन को 30 मीटर दर्शाया गया था।

  लेखापरीक्षा द्वारा इस प्रकरण को इंगित किए जाने पर प क्रि इ/प्र प्र इ द्वारा कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं दिया गया।

2.3.8.3 सड़क कार्यों की अतिरिक्त स्वीकृत लागत

डोईवाला, देहरादून में रा आ प्र ब परिसर के आंतरिक सड़क नेटवर्क को सब-बेस, बेस कोर्स और सीमेंट कंक्रीट (आई आर सी -एस पी-58 पर आधारित) की 450 मिमी. मोटी परतों[29] के साथ निर्माण के लिए डिज़ाइन/स्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 450 वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सी वी पी डी) की उच्च

[29] 150 मि मी जी एस बी (जी-1), 100 मि मी डी एल सी सी (ड्राइ लीन सीमेंटियस कंक्रीट) एवं 200 मि मी एम-30 सी सी (सीमेंट कंक्रीट)।

विशिष्टियों[30] पर इन सड़क कार्यों के डिजाइन/मंजूरी के लिए अनियमित रूप से अपनाया गया था जबकि 20 वर्षों के लिए इसकी प्रक्षेपित यातायात गणना 50 सी वी पी डी से थोड़ा अधिक थी। इन उच्च विशिष्टियों को अपनाने के परिणामस्वरूप कुल ₹ 4.78 करोड़ से निर्मित (जुलाई 2022 के 25वें चलित बिल) इन सड़क कार्यों (19,314.45 वर्गमी.) पर 95 मिमी. की अतिरिक्त मोटाई के कारण ₹ 1.10 करोड़ लागत का निष्पादन हुआ ***[परिशिष्ट-2.3.5(अ)]***।

इसी तरह, पांच सड़क सुरक्षा कार्यों (ढलानों) के प्रभावित क्षतिग्रस्त हिस्सों के पुनर्निर्माण के लिए पेवमेंट की मोटाई मानक (आई आर सी -एस पी-62) से अधिक (15 से.मी. पी सी सी)[31] रखी गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन कार्यों पर ₹ 45.26 लाख की अतिरिक्त लागत आयी ***[परिशिष्ट-2.3.5(ब)]***।

उत्तर में, प क्रि इ द्वारा बताया गया कि इन सड़क कार्यों के लिए पेवमेंट डिजाइन आई आर सी -एस पी-58 विशिष्टियों के अनुसार हैं किन्तु वे आवश्यक मानकों के सापेक्ष रखे गए उच्च प्रावधानों को तर्कसंगत नहीं ठहरा सके जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 1.55 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

2.3.9 ठेकों की अधिप्राप्ति और आवंटन

परिचालन नियमावली (यू डी आर पी-ए एफ) के अध्याय-4 में उल्लिखित है कि कम मूल्य के सभी ठेकों (सामग्री, कार्य और सेवाएं) का आवंटन एवं अधिप्राप्ति सरकारी ई-अधिप्राप्ति पोर्टल के उपयोग से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (एन सी बी) प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाएगी। परामर्श सेवाओं के लिए, रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध (आर ई ओ आई) अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के लिए भी खुला होगा। तदनुसार, प क्रि इ द्वारा यू डी आर पी-ए एफ के अंतर्गत लगभग 92 कार्यों/पैकेजों की समग्र अधिप्राप्ति (संदर्भ **तालिका-2.3.1**) की गई थी।

संबंधित प क्रि इ में इन अधिप्राप्तियों से संबन्धित गतिविधियों के मूल्यांकन के दौरान पायी गयी विसंगतियों के विवरण निम्नवत है:

---

30 450 सी वी पी डी से कम वाली सड़कों को आई आर सी-एस पी-62 (विशिष्टि-4,7) के अनुसार अधिकतम 355 मि मी मोटाई की विभिन्न परतों की संरचना के साथ डिजाइन किया जाना है।

31 इन सड़कों के सी सी पेवमेंट के लिए जी एस बी और डब्ल्यू बी एम की आवश्यक मोटाई की दो परतों (एम-15 की 15 सेमी और एम-30 की 17 सेमी से 20 सेमी) का प्रावधान किया गया था। हालाँकि, आई आर सी (एस पी: 62-2014) के विनिर्देश -4.6 से 4.8 के अनुसार, यातायात श्रेणी और उत्तराखण्ड क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एम-30 परत की एकल सी सी परत पर्याप्त थी।

2.3.9.1 निविदाओं को अंतिम रूप देने और ठेकों के आवंटन में असामान्य विलम्ब

निविदा आमंत्रण अधिसूचना (नि आ अ) के अनुसार, सभी कार्यों की निविदाओं को 120 दिनों की अधिकतम वैधता अवधि के अन्तर्गत अंतिम रूप दिया जाना था और ठेकेदारों को स्वीकृति पत्र (एल ओ ए) निर्गत करने की तारीख से 21 दिनों के अन्तर्गत अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाने थे। इस संदर्भ में, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (उ अ नि) 2017 के मूल सिद्धांत [नियम-3(12)] में प्रावधान है कि बोली की वैधता के विस्तार को हतोत्साहित किया जाना चाहिए तथा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसका सहारा लिया जाना चाहिए।

प क्रि इ (सेतु, ढलान और आरबीपी) में यू डी आर पी - ए एफ कार्यों की निविदा प्रक्रिया की लेखापरीक्षा (जुलाई 2022) में पाया गया कि 25 कार्यों (34 *प्रतिशत*) की निविदाओं को 120 दिनों की निर्धारित अवधि (329 दिनों तक की देरी) के भीतर अंतिम रूप नहीं दिया गया था क्योंकि नि आ अ के बाद कई-बार शुद्धिपत्र[32] जारी किए गए थे। जाँच में आगे पाया गया कि 59 कार्यों (81 *प्रतिशत*) के संबंध में एल ओ ए जारी होने के 21 दिनों के भीतर (137 दिनों तक की देरी) अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किए गए थे ***(परिशिष्ट-2.3.6)***। इसलिए प क्रि इ इन कार्यों की निविदा प्रक्रिया को कुशल तरीके से या अधिकतम निर्धारित अवधि के भीतर भी अंतिम रूप देने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप न केवल कार्यों को पूरा करने में देरी हुई बल्कि परियोजना की कार्यान्वयन लागत में वृद्धि भी हुई ***(संदर्भित प्रस्तर - 2.3.7.1 व 2.3.7.7)।***

प प्र इ द्वारा उत्तर में बताया गया (अप्रैल 2023) कि जारी की गई नि आ अ की समयसीमा बाध्यकारी नहीं है क्योंकि निविदा दस्तावेजों (आई टी बी खण्ड-18.2) में यह भी उल्लिखित होता है कि असाधारण परिस्थितियों में नियोक्ता बोलीदाता से अपनी बोलियों की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है जो प्रत्येक प्रकरण में विधिवत किया गया था। उत्तर में शुद्धिपत्रों के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, जो निविदाओं के अंतिमिकरण में हुये विलम्ब के लिए जिम्मेदार थे।

2.3.9.2 परामर्शदाताओं की नियुक्तियाँ

परिचालन नियमावली (अध्याय-4 की धारा-13) प्रावधानित करती है कि प क्रि इ/ प प्र इ को सर्वेक्षण, डिजाइन, मूल्यांकन, तृतीय पक्ष के गुणवत्ता प्रभाव, निगरानी

[32] निविदा प्रपत्रों, विशिष्टियों एवं निविदा जमा करने/खुलने की तिथियों में संशोधन के लिए।

और आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता व वित्त आदि में सहायता प्रदान करने के लिए यू डी आर पी-ए एफ के अंतर्गत जैसा भी आवश्यक हो, अतिरिक्त तकनीकी सहायता सलाहकार (डी एस सी /सी एस सी /पी सी सी)[33] को अनुबंधित किया जा सकता है। तदनुसार, दो प क्रि इ द्वारा गुणवत्ता और लागत आधार चयन (क्यू सी बी एस) निविदा प्रक्रिया के आधार पर सात राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार/फर्मों को नियुक्त किया गया जिसमें तकनीकी बोली के लिए 80 *प्रतिशत* महत्व और वित्तीय बोलियों के लिए 20 *प्रतिशत* महत्व नियत था। इन परामर्शी अनुबन्धों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियों पायी गयी थी:

- विश्व बैंक अधिप्राप्ति विनियमों में ठेकों में मोलभाव करने का प्रावधान सम्मिलित है। इसके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी अधिप्राप्ति में, पूर्व समीक्षा के अधीन, बैंक ठेकों के अंतिम आवंटन से पहले नियोक्ता द्वारा मोलभाव के उपयोग पर सहमत हो सकता है। उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन प्रमुख परामर्शी अनुबन्धों के प्रकरण में मोलभाव के ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए थे जबकि इनमें समान सेवायेँ देने वाले कार्मिकों के पारिश्रमिक के लिए प्रतिपूर्ति शुल्क में काफी अंतर था ***(परिशिष्ट-2.3.7)***। इस प्रकार, यदि इन अनुबन्धों को अंतिम रूप देने से पहले प क्रि इ द्वारा तर्कसंगत मोलभाव किया जाता तो इनकी लागत में कमी की जा सकती थी।

  > डी एस सी स्लोप्स (मै. सी सीई ई) द्वारा एक प्रमुख-विशेषज्ञ (स्ट्रक्चरल इंजीनियर/ब्रिज डिजाइन इंजीनियर) के लिए प्रति माह ₹ 2 लाख का पारिश्रमिक लिया गया और डी एस सी सेतु (मै. टी पी एफ गैटिन्सा) द्वारा उसी प्रमुख-विशेषज्ञ[34] के लिए प्रति माह ₹ 4 लाख का पारिश्रमिक लिया।

- सेतुओं के निर्माण के लिए आरम्भ में 18 माह के लिए डी एस सी अनुबंध (मै. टी पी एफ गेटिन्सा यूरोस्टूडियोस एस एल के साथ) हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें टीम लीडर (टी एल) के पारिश्रमिक और उसके कार्यालय व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान दो घटकों में; पहले छः माह के दौरान डी पी आर तैयार करने के लिए एकमुश्त और शेष 12 महीनों के दौरान पर्यवेक्षण कार्य के लिए

---

33 डिजाईन और पर्यवेक्षण सलाहकार (डी एस सी), निर्माण और पर्यवेक्षण सलाहकार (सी एस सी), प्रमाण जाँच सलाहकार (पी सी सी)।

34 हालांकि, ठेके के आवंटित होने के पश्चात, विशेषज्ञ को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापन किया गया था, किन्तु उतनी ही अनुबंधित धनराशि का भुगतान किया गया था।

समय-आधार पर शामिल है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प क्रि इ द्वारा फर्म को दिसम्बर 2018 से मई 2019 की अवधि के लिए दोनों घटकों का पूरा भुगतान किया गया (एकमुश्त घटक और समय-आधार घटक के अन्तर्गत भुगतान) था। परिणामस्वरूप, टी एल के पारिश्रमिक और उनके कार्यालय व्यय के प्रतिपूर्ति शुल्क का ₹ 29.21 लाख का दोहरा भुगतान किया गया था।

2.3.9.3 एम्बुलेंस आपूर्ति के लिए किफायती दरों को अस्वीकार किया जाना

कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों के मद्देनजर, प क्रि इ (आ आ प्र घ) द्वारा जयपुर स्थित एक फर्म (मै. कमल कोच वर्क्स) से 100 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बी एल एस) और 40 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ए एल एस) एम्बुलेंस की खरीद[35] ₹ 36.96 करोड़ में की गई, जिन्हें प्रबंधन और संचालन के लिए (जनवरी से मार्च 2021 के मध्य) स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि इस खरीद में कुल 140 एम्बुलेंस के लिए संयुक्त निविदा आमंत्रित (जून 2020) की गयी थी परन्तु निविदा में बी एल एस और ए एल एस एम्बुलेंस के लिए पृथक-पृथक दरें आमंत्रित की गई थीं। उक्त के अनुक्रम में कुल चार बोलियां प्राप्त हुईं जिनमें 100 बी एल एस एम्बुलेंस के लिए न्यूनतम बोली मै. सर्वोत्तम अप्लायंसेज द्वारा (₹ 18.25 करोड़ + जी एस टी) और 40 ए एल एस एम्बुलेंस के लिए मै. कमल कोच वर्क्स द्वारा (₹ 9.95 करोड़+ जी एस टी) दी गई थी। यद्यपि, मै. सर्वोत्तम अप्लायंसेज ने 40 ए एल एस के लिए ₹ 10.90 करोड़ + जी एस टी और मै. कमल कोच वर्क्स ने 100 बी एल एस के लिए ₹ 18.93 करोड़ + जी एस टी के रूप में दरें प्रस्तुत की गयी थी। तदनुसार, बी एल एस और ए एल एस एम्बुलेंस की आपूर्ति के लिए ठेके न्यूनतम बोलीदाताओं को अलग-अलग दिए जाने चाहिए थे परन्तु प क्रि इ द्वारा ऐसा नहीं किया गया था और कुल 140 एम्बुलेंस की आपूर्ति के लिए एकल ठेका मै. कमल कोच वर्क्स को आवंटित किया गया था, जो सयुंक्त रूप से न्यूनतम बोली थी।

प क्रि इ द्वारा उत्तर में बताया गया (अगस्त 2022) कि निविदा अभिलेखों के अनुसार सभी मदों का मूल्यांकन एक पैकेज के रूप में किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि दोनों की आपूर्ति (ए एल एस और बी एल एस)

[35] मै. कमल कोच वर्क्स (पी) लिमिटेड जयपुर के साथ अनुबन्ध संख्या-02/ प क्रि इ-हेल्थ/ सी ई आर सी/ यू डी आर पी-ए एफ/ 2020 दिनांक 09 अक्टूबर 2020।

के लिए संयुक्त वित्तीय बोलियों पर विचार करने के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी और प क्रि इ सार्वजनिक धन की बचत के हित में अलग-अलग दरों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रकार, 100 बी एल एस एम्बुलेंस के लिए प्राप्त किफायती दरों को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 87.04 लाख[36] की अतिरिक्त लागत आयी, जो स्पष्ट रूप से चयनित आपूर्तिकर्ता के प्रति अनुचित पक्षपात की ओर इंगित करती है।

2.3.9.4 निविदा प्रतिभूति को जब्त न करके ठेकेदार को अनुचित लाभ

तीन सेतुओं (बी आर-37, 55 व 60) की निविदा प्रक्रिया में, एक ही ठेकेदार[37] की निविदा दरें सबसे कम पाई गईं, जिसके सापेक्ष ₹ 26.82 लाख की आवश्यक निविदा प्रतिभूति भी जमा की गई थी। कुछ समय पश्चात, प क्रि इ को एक शिकायत प्राप्त हुई (02 दिसम्बर 2019) और पाया गया कि इस ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा प्रस्ताव में निर्माणाधीन कार्यों की अपनी प्रतिबद्धता को छुपाया गया था। इसलिए, एकल बोली होने के कारण बी आर -55 के कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई तथा अन्य दो कार्यों को मूल निविदा में दूसरे न्यूनतम बोलीदाताओं को आवंटित किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि उक्त ठेकेदार को प क्रि इ द्वारा यू डी आर पी-ए एफ कार्यों की बाद की निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित किया गया था परंतु मानदंडों के अनुसार उसकी निविदा प्रतिभूति जब्त नहीं की गयी थी। इसलिए, प क्रि इ द्वारा उसे ₹ 26.82 लाख का अनुचित लाभ दिया गया।

2.3.10 कार्यों का निष्पादन

कार्यों के निष्पादन से संबंधित कमियों का विवरण निम्नवत है:

2.3.10.1 झूला सेतुओं के स्थान पर गर्डर सेतुओं का निर्माण

राज्य सरकार की प्रचलित नीति (जुलाई 2017) के अनुसार, ₹ 10 करोड़ से अधिक लागत वाले सेतुओं के कार्यों को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ई पी सी)[38] मोड

---

[36] निविदा दरों में अंतर = ₹ 68.00 लाख + 28 *प्रतिशत* जी एस टी।

[37] मै. डी एस कंस्ट्रक्शन, मुजफ्फरनगर, यू पी।

[38] ई पी सी अनुबंधों के लिए, आर एफ बी (बोली के लिए अनुरोध) आमंत्रित किया जाता है जिसके लिए ठेकेदारों द्वारा पूरे काम के लिए एकमुश्त धनराशि उद्धृत की जाती है और अनुबंध के परिभाषित लक्ष्य के अनुसार प्रतिशत भार में भुगतान किया जाता है। इस मोड में, ठेकेदार को आर एफ बी में ग्राहक विभाग द्वारा दिए गए कार्य के दायरे के लिए नवीनतम आई आर सी/आई एस कोड के आधार पर काम का डिजाइन, निर्माण, विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग करना होता है।

के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है। तदनुसार, ₹ 63.20 करोड़ की आगणित/स्वीकृत लागत वाले पांच यू डी आर पी-ए एफ सेतुओं के कार्यों को ₹ 67.05 करोड़ की लागत से ई पी सी मोड के अंतर्गत आवंटित किया गया। इनमें से, दो सेतु (बी आर-66 व बी आर-100) क्रमशः आर सी सी मोटर सेतु (₹ 18.46 करोड़) और पैदल आर्क स्टील ट्रस सेतु (₹ 10.94 करोड़) थे तथा शेष तीन (बी आर-86, 87 और 88) पैदल झूला सेतु (₹ 37.65 करोड़) थे।

प क्रि इ (सेतु, ढलान एवं न त सं), देहरादून और क्षे प क्रि इ -बागेश्वर (दो सेतुओं) में ई पी सी कार्यों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि आर सी सी मोटर सेतु और पैदल आर्क स्टील ट्रस सेतुओं को उनकी स्वीकृति/अनुबंधों के अनुसार निष्पादित किया जा रहा था परन्तु तीन झूला सेतुओं, जिनका कार्य एक ही ठेकेदार[39] को आवंटित किया गया था (₹ 37.65 करोड़), का निर्माण निम्नवत प्रतिस्थापित डिजाइनों के अनुसार स्टील गर्डर/आर्क ब्रिज के रूप में किया जा रहा था:

मूल डिजाइन	*क्रमशः बी आर- 86, 87 व 88 के निर्माण हेतु प्रयुक्त डिजाइन*
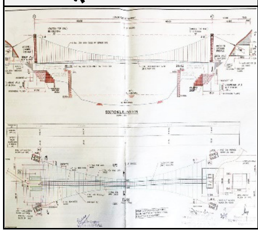	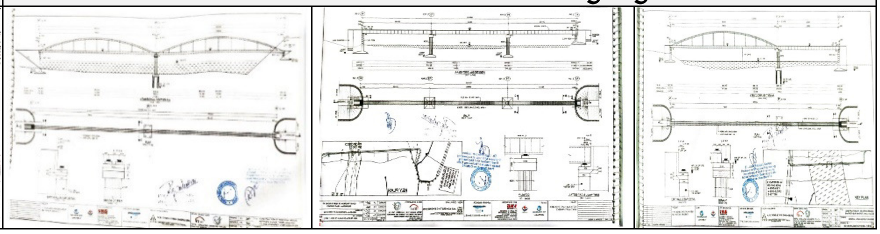

उत्तर में, प क्रि इ द्वारा बताया गया कि ई पी सी अनुबंध, ठेकेदार को कार्य की आवश्यकतानुरूप स्वयं की डिजाइन आधारित अपनी लागत प्रभावी प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य की आवश्यकता का अधिदेश झूला सेतुओं के निर्माण के लिए था। यद्यपि, यदि यू डी आर पी-ए एफ प्राधिकारियों को इन तीन स्थानों पर स्टील आर्क/गर्डर पुलों का निर्माण स्वीकार्य था, तो इसका आगणन/स्वीकृति/निविदा झूला सेतुओं के नाम पर न कर तदनुसार ही प्राप्त/प्रदत्त होनी चाहिए थी।

2.3.10.2 सेतुओं के कार्यों में इस्पात सामग्री की अधिक खपत

वित्तीय हस्तपुस्तिका (खंड-VI) का नियम-383 यह प्रावधानित करता है कि जहां किसी कार्य में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन घटित हो, यद्यपि आवश्यक नहीं है कि इसमे बढ़ा हुआ परिव्यय सम्मिलित हो, ऐसे प्रकरणों में एक संशोधित आगणन

[39] मै. वी के गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, पंचकुला, हरियाणा।

तैयार कर मूल स्वीकृति अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति (टी एस) प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यू डी आर पी-ए एफ में, सेतु कार्यों की डी पी आर, डी एस सी (मै. टी पी एफ गैटिंन्सा इक्वोस्टुडियोस) द्वारा तैयार की गई थी और इसकी प्रूफ चेकिंग इस परियोजना के लिए नियुक्त प्रूफ चेकिंग कंसल्टेंसी (पी सी सी: मै. सोविल लिमिटेड) द्वारा की गई थी। तत्पश्चात, प्रत्येक कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प क्रि इ (सेतु, ढलान एवं न त सं), यू डी आर पी-ए एफ, देहरादून के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्षे प क्रि इ टिहरी और उत्तरकाशी से संबंधित स्टील ट्रस सेतुओं के निम्नलिखित प्रकरणों में सेतुओं के किसी भी प्रकार की पुनरीक्षित/संशोधित तकनीकी स्वीकृति के बिना ही सामग्री की खपत में भारी वृद्धि हुयी थी:

- सात सेतुओं के प्रकरण में, 1,061.344 मी. टन की स्वीकृत मात्रा के सापेक्ष 1,148.64 मी. टन स्टील ट्रस की खपत की गई। यह इस तथ्य के बावजूद था कि स्वीकृत डी पी आर/टी एस में स्टील ट्रस की 10 *प्रतिशत* अतिरिक्त मात्रा पहले ही ली गयी थी।
- तेरह सेतुओं के प्रकरण में, 20 एम एम ब्यास के हाई स्ट्रेन्थ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की स्वीकृत मात्रा 57,768 के सापेक्ष कुल 1,59,710 बोल्ट्स की खपत की गई।

प क्रि इ द्वारा अपने उत्तर में बताया गया (सितम्बर 2022) कि स्टील सामग्री/बोल्ट में वृद्धि सेतुओं में ज्यादा सेक्शन के उपयोग और अतिरिक्त स्प्लाइस (रस्सी) जोड़ प्रदान करने के कारण हुई थी। यद्यपि लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों में पाया गया कि अतिरिक्त खपत कार्यों के स्वीकृत संशोधित डिजाइन/संशोधित तकनीकी स्वीकृति के बिना थी।

2.3.10.3 रा आ प्र ब भवनों के लिए स्टील बार (सरिया) का अनुचित उपयोग

जॉलीग्रांट देहरादून में रा आ प्र ब प्रशिक्षण परिसर के निर्माण के लिए, भूकंप जोन-IV क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सभी भवनों को आर सी सी (प्रबलित सीमेंट कंक्रीट) फ्रेम संरचना के साथ मंज़ूरी दी गई थी। प्लिंथ (नीव) स्तर तक 3,816 घन मी. आर सी सी कार्य में उपयोग के लिए कुल 368.94 मी.टन सरिया (टी एम टी)

तथा प्लिंथ स्तर के ऊपर 6,815.46 घन मी. आर सी सी मद के लिए 1,159.58 मी.टन सरिया का उपयोग आगणित/स्वीकृत था। बाद में, प्लिंथ स्तर तक 4,537.84 घन मी. आर सी सी कार्य के लिए 433.98 मी. टन सरिया और प्लिंथ स्तर से ऊपर 9,201.52 घन मी. आर सी सी मद के लिए 1,309.99 मी. टन सरिया के उपयोग के लिए विचलन स्वीकृत (मई 2021) किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्लिंथ स्तर कार्य से ऊपर के कार्य के लिए सरिया का उपयोग असामान्य रूप से बहुत अधिक था (25वें चालू बिल के भुगतान तक) क्योंकि सरिया की पूरी स्वीकृत मात्रा (1,309.99-मी. टन) का उपयोग केवल 6,801.35 घन मी. (74 *प्रतिशत*) आर सी सी कार्य के निर्माण के लिए किया गया था।

उत्तर में, प क्रि इ द्वारा बताया गया कि प्रथम विचलन में प्लिंथ स्तर से ऊपर के लिए एम-25 आर सी सी कार्य की मात्रा की गणना में एक अंकगणितीय त्रुटि हुई (9,201.52 घन मी. के स्थान पर 6,871.78 घन मी. होना चाहिए) जो कि बचत है और इसे अंतिम विचलन में कम किया जाएगा। हालांकि, न तो उक्त अंकगणितीय त्रुटि के दस्तावेज लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किए गए थे और न ही दिया गया तर्क स्वीकार्य है क्योंकि यदि एम-25 कार्यमद (6,871.78 घन मी.) की अंतिम मात्रा मूल स्वीकृति (6,815.46 घन मी.) के लगभग बराबर रही तो इसके लिए सरिया का उपयोग भी तदनुरूप लगभग 1,160 मी. टन होना चाहिए था, यद्यपि जो नहीं था।

2.3.10.4 नदी तट संरक्षण कार्यों के संशोधित दायरे का आंशिक निष्पादन

विश्व बैंक मिशन के स्थलीय दौरे (जून 2019) के दौरान दिये गए सुझाव पर एच पी सी ने यू डी आर पी-ए एफ के कुल पाँच नदी तट संरक्षण (न त सं) में से दो न त सं कार्यों (कोठियालसैण एवं बिरही) के दायरे को बदल दिया था (अगस्त/ सितम्बर 2019), जिसके अनुसार रिटेनिंग वॉल (पुश्ता) के निचले 3 मीटर हिस्से की सुरक्षा के लिए कंक्रीट का ग्रेड एम-20 (प्रदान किए गए डिजाइन के अनुसार) के स्थान पर एम-30 से होना था क्योंकि बड़े पत्थरों के अंदर लुढ़कने और रिटेनिंग वॉल से टकराने की संभावना थी। फाउंडेशन ब्लॉक और एप्रन ब्लॉक सुरक्षा के बाहरी हिस्से को एम-30 आर सी सी फेशिया से बने 50 सेमी. सुरक्षात्मक आवरण द्वारा अतिरिक्त रूप से मजबूत किया जाना था जिससे निर्मित संरचना मलबे के लुढ़कने से उत्पन्न घर्षण के सापेक्ष काफी सुरक्षित हो सके। तदनुसार, दोनों कार्यों के लिए सक्षम

प्राधिकारी द्वारा ₹ 9,417 प्रति घन मी. की दर से आर सी सी एम-30 फेसिया की एक अतिरिक्त मद (फरवरी 2020) को स्वीकृति दी गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2022) कि इन न त सं कार्यों के लिए ठेके नवम्बर 2018 में आवंटित किए गए और निर्माण मार्च 2021 में पूरा हुआ था। यद्यपि, प्रत्येक स्तर पर आर सी सी एम-30 फेशिया कार्य (3 मीटर ऊंचाई तक दीवार, नींव और एप्रन में) ***परिशिष्ट-2.3.8*** में दिए गए विवरण के अनुसार आंशिक रूप से निष्पादित पाया गया था। दोनों न त सं कार्यों के लिए निष्पादित यह अल्प/आंशिक आर सी सी एम-30 फेशिया कार्य दीवारों, नींव और एप्रन ब्लॉक को अतिरिक्त सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। इसलिए, आर सी सी (एम-30 और एम-20) की अंतर दरों से ₹ 94.42 लाख[40] के अतिरिक्त व्यय के उपरान्त भी इन कार्यों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने का लक्षित उद्देश्य हासिल नहीं हुआ था।

अपने उत्तर में प क्रि इ द्वारा एम-30 फेशिया कार्य के आंशिक निष्पादन के तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2022) कि एच पी सी की स्वीकृति प्राप्त होने तक कार्य के कुछ भाग को कार्य के मूल दायरे (एम-20) के साथ निष्पादित किया जा चुका था। इस प्रकार, एम-30 फेशिया कार्य का आंशिक निष्पादन न त सं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के लक्षित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

2.3.10.5 देवली-जाखणी नदी तट संरक्षण की आर सी सी दीवार के लिए परिहार्य अतिरिक्त काउंटरफोर्ट्स

अलकंदा नदी के कटाव से प्रभावित देवली और जाखनी गांवों की सुरक्षा के लिए एक आर सी सी (रींफोर्सड सीमेंट कंक्रीट) कैंटिलीवर दीवार (काउंटरफोर्ट के साथ) को मंजूरी दी गई (अप्रैल 2018)। इसके अन्तर्गत, देवली-जाखणी न त सं में 726 मीटर आर सी सी दीवार का निर्माण, दीवार के पीछे हर 3 मीटर की दूरी पर 1,746.70 घन मी. आर सी सी सामग्री के प्रयोग से 203 काउंटरफोर्ट[41] (0.60 मी. मोटाई एवं 12 मी. लम्बाई/ऊँचाई) के साथ किया जाना था। यद्यपि, दीवार की स्वीकृत लंबाई एवं डिजाइन में बिना किसी परिवर्तन के 2,520.20 घन मी. सामग्री के उपयोग से 240 काउंटरफोर्ट (2.425 मी. की औसत दूरी में) का निर्माण किया गया था।

---

[40] कोठियालसैण: ₹ 36.79 लाख (₹ 9,417 - ₹ 6,200 x 1,143.636 घन मी.) एवं बिरही: ₹ 57.63 लाख (₹ 9,417 - ₹ 6,300 x 1,848.79 घन मी.)।

[41] एक प्रतिधारण दीवार में काउंटरफोर्ट का निर्माण दीवार को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करने के लिए एक विशेष दूरी पर किया जाता है।

प क्रि इ द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार प्रत्येक पैनल में काउंटरफोर्ट का असंगत अंतर था जिसे निष्पादन के दौरान ठीक किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि क्षे प क्रि इ-रुद्रप्रयाग के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा इस न त सं स्थल के संयुक्त निरीक्षण (मई 2022) के दौरान यह पाया गया कि कुछ काउंटरफोर्ट का निर्माण बहुत कम दूरी (1 मीटर) पर किया गया था और दो काउंटरफोर्ट के बीच समान दूरी की ऐसी कोई समरूपता नहीं थी (जैसा कि नीचे दी गयी चित्रों में दर्शाया गया है):

		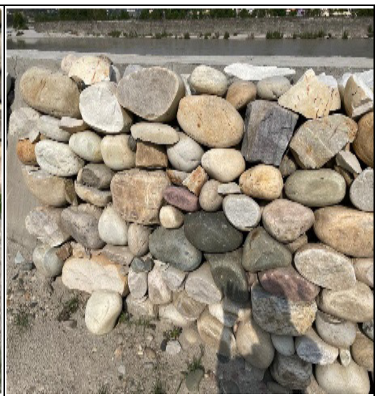
निर्मित आर सी सी दीवार का ऊपरी दृश्य	***दो काउंटरफोर्ट के बीच कम दूरी***	***अनावश्यक पत्थर भरान कार्य***

2.3.10.6 ठेकेदारों को अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्षे प क्रि इ -उत्तरकाशी में, एक पुल[42] की एक कार्यमद के अभिलेख माप में दोहराव था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 10.54 लाख का अधिक भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, एक अन्य पुल (बी आर-58) के कार्य में ₹ 6.61 लाख लागत के 5.98 मी. टन स्टील की खपत/अभिलेख माप में भी दोहराव था, लेकिन लेखापरीक्षा की तिथि तक ठेकेदार द्वारा इसके लिए बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी तरह, क्षे प क्रि इ -टिहरी के एक पुल में पाया गया कि एक गैर-निर्धारित मद लागत ₹ 7.72 लाख के लिए मापें इस तथ्य के बावजूद अलग से दर्ज/भुगतानित थी, कि संबन्धित एक्सेसरीज़ (सहायक उपकरण) को पहले से ही मापा/गिना जा चुका था एवं ठेकेदार को इसका भुगतान कार्य की मुख्य निर्धारित मद के साथ किया जा चुका था।

[42] बिंगसी-चैनी में कमल नदी पर 70 मीटर लम्बा स्टील ट्रस पैदल पुल (बी आर-81) में चेकर प्लेट (7.91 मी.ट.)।

इसके अतिरिक्त, हस्ताक्षरित अनुबंध (जी सी सी) के खण्ड-37 में यह प्रावधान है कि यदि किए गए कार्य की अंतिम मात्रा किसी विशेष मद के लिए मात्रा के बिल (बी ओ क्यू) में मात्रा से 25 *प्रतिशत* से अधिक भिन्न है, बशर्ते मूल्य परिवर्तन प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के एक *प्रतिशत* से अधिक हो, तो परियोजना प्रबंधक परिवर्तन की अनुमति देने के लिए दर को समायोजित करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक सेतु के कार्य (बी आर-32) में दो कार्यमदों (फाउंडेशन में पी सी सी एवं इसके एच वाई एस डी सरिया) की मात्राओं में भारी परिवर्तन था, जिसके लिए क्षे प क्रि इ बागेश्वर द्वारा मूल्य समायोजन किया गया था, लेकिन इसकी गणना त्रुटिपूर्ण की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.47 लाख का अधिक भुगतान हुआ था।

लेखापरीक्षा में इन प्रकरणों को उजागर करने पर, क्षे प क्रि इ द्वारा ₹ 19.73 लाख[43] के अधिक भुगतान को स्वीकार कर लिया गया तथा अधिक भुगतान की वसूली के साथ-साथ अतिरिक्त मापी मात्रा की लागत ₹ 6.61 लाख की धनराशि के भुगतान को जारी नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। प प्र इ द्वारा अपने उत्तर में ठेकेदारों से अधिक भुगतान की पूरी वसूली की सूचना दी गयी (अप्रैल 2023)।

2.3.11 निधियों एवं ठेकों का प्रबंधन

यू डी आर पी-ए एफ की परिचालन नियमावली (अध्याय-5: वित्तीय प्रबंधन), सरकारी आदेशों में निहित नियम व शर्तें (प प्र इ को धनराशि निर्गत करने के लिए) और परियोजना प्राधिकारियों एवं ठेकेदारों के बीच हस्ताक्षरित अनुबंधों के प्रविधान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों एवं अनुबंधों के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर निधियों/अनुबंधों के वास्तविक प्रबंधन में कमी पायी गयी, जैसा कि आगे प्रस्तरों में वर्णित किया गया है:

2.3.11.1 निधियों का अतिरिक्त अनुमान, मांग एवं निकासी

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ उत्तराखण्ड सरकार[44] द्वारा प प्र इ (यू डी आर पी- ए एफ) द्वारा प्रेषित की गई मांगों के अनुसार उ रा आ प्र प्रा के व्यक्तिगत खाते (पी एल ए) के माध्यम से प्रदान की जाती है। पी एल ए से आहरित धनराशियों को प प्र इ/प क्रि इ/क्षे प क्रि इ के बैंक खातों में रखा जाता है।

[43] क्षे प क्रि इ - उत्तरकाशी (₹ 10.54 लाख), बागेश्वर (₹ 1.47 लाख) एवं टिहरी (₹ 7.72 लाख)।

[44] विश्व बैंक से राज्य सरकार को स्वीकार्य धनराशि की प्रतिपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के निपटान के माध्यम से वास्तविक उपयोग के आधार पर की जाती है।

बजट की मांग, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एवं इसके सापेक्ष निर्गत निधियों का विवरण **तालिका-2.3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.3.2: बजट की माँग, स्वीकृति एवं निर्गत धनराशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आगणित बजट/प प्र इ द्वारा प्रेषित मांग		राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत परिव्यय		निर्गत धनराशि	
	प्रशासनिक	परियोजना	प्रशासनिक	परियोजना *(प्रतिशत)*	प्रशासनिक	परियोजना *(प्रतिशत)*
2018-19	20	200	20	150 *(75)*	8	30 *(20)*
2019-20	उपलब्ध नहीं है		10	250	5	120 *(48)*
2020-21	15	435	15	300 *(69)*	13	155 *(52)*
2021-22	20	480	20	350 *(73)*	15	335 *(96)*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प प्र इ द्वारा कार्यक्रम के वार्षिक परिव्यय की स्वीकृति के लिए उ रा आ प्र प्रा के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत वार्षिक बजट अनुमान (बी ई), अवास्तविक/बढ़े हुए थे (जैसा कि **तालिका-2.3.2** में दर्शाया गया है)। वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित वास्तविक परिव्यय प्रेषित की गयी मांगों के अनुरूप नहीं थे जबकि धन के धीमे उपयोग के कारण अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत वास्तविक धनराशियाँ बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त, प प्र इ द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन की वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन बिना ही पी एल ए से धनराशि का आहरण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प प्र इ/प क्रि इ/क्षे प क्रि इ के बैंक खातों में बड़ी धनराशियाँ अव्ययित अवशेष थी जो मार्च 2019 के अंत से मार्च 2022 तक क्रमशः ₹ 5.97 करोड़/₹ 33.31 करोड़/₹ 21.32 करोड़ एवं ₹ 50.99 करोड़ थी।

प प्र इ द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि अव्ययित शेष धनराशि में ठेकेदारों के बिलों से काटी गई प्रतिधारण धनराशि (₹ 25.86 करोड़) भी सम्मिलित है।

इससे स्पष्ट था कि सम्पूर्ण अव्ययित शेष धनराशि मात्र प्रतिधारण धनराशि से संबन्धित नहीं थी। इसलिए, परियोजना प्राधिकारियों का यह दायित्व था कि वे निधियों (प्रतिधारण धनराशि के अतिरिक्त) का उपयोग परियोजना उद्देश्यों के लिए करें।

2.3.11.2 कार्यों के निष्पादन में देरी के लिए ठेकेदारों पर हर्जाना अधिरोपित न किया जाना

ठेकों के प्रबंधन और कार्यपूर्ति में समय मूल तत्व है, इसलिए यू डी आर पी-ए एफ ठेकों में एक प्रावधान शामिल किया गया था कि ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की

लक्षित तिथि या किसी अन्य प्रदत्त माइलस्टोन का उल्लंघन करने पर नियोक्ता को दैनिक आधार पर परिनिर्धारित क्षति (एल डी)[45] का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कई प्रकरणों में ठेकेदारों को कोविड-19 महामारी, मानसून के मौसम और रुक-रुक कर होने वाली बारिश के कारण बिना हर्जाने के एच पी सी द्वारा अक्सर समय विस्तार (ई ओ टी) दिया गया था। चूंकि कोविड-19 महामारी की स्थिति अप्रत्याशित थी, इसलिए एल डी के बिना समय विस्तार दिया जाना उचित था। लेकिन मानसून सीजन और रुक-रुक कर होने वाली बारिश के लिए बिना हर्जाने समय विस्तार प्रदान करना ठेकेदारों के लिए अनुचित लाभ था, क्योंकि ये मौसम की स्थितियाँ अनुबंध की समग्र समय सीमा में अंतर्निहित हैं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों[46] में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, ठेकेदारों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यों के लिए अपने संसाधनों को इस प्रकार योजित/क्रियाशील करें ताकि मौसमी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाए।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना (कोविड-19 अवधि के लिए समयवृद्धि को छोड़कर) में पाया गया कि 24 पुल कार्यों और पाँच न त सं कार्यों के प्रकरण में ₹ 3.52 करोड़ की एल डी धनराशि ***[(परिशिष्ट-2.3.9(अ)]*** अधिरोपित/वसूल करने की आवश्यकता थी, जो ठेकेदारों पर अधिरोपित/वसूल नहीं की गई।

इसी प्रकार, उ रा आ प्र प्रा और रा आ प्र ब भवनों के निर्माण को पूर्ण करने में निर्धारित अवधि से क्रमशः सात माह और दो वर्ष से अधिक की देरी हुई थी तथा चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा काफी विलम्ब किया गया (संदर्भित ***प्रस्तर 2.3.7.5),*** जिसके लिए ठेकेदारों पर ₹ 14.55 करोड़ ***[परिशिष्ट-2.3.9(ब)]*** धनराशि की एल डी अधिरोपित की जानी चाहिए थी, लेकिन प क्रि इ द्वारा अनुबंधों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार कोई भी एल डी अधिरोपित/वसूल नहीं किया गया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि रा आ प्र ब और उ रा आ प्र प्रा भवनों के ठेकेदारों को एच पी सी द्वारा कुल 11 समय विस्तार दिए गए थे, जिनमें से 08 समय विस्तार को इस शर्त के साथ दिया गया था कि इस

---

[45] अधिकतम अनुबन्ध लागत का 10 *प्रतिशत*।

[46] संख्या 5362/III(2)/21-75(सामान्य) 2000टीसी दिनांक 09 नवम्बर 2021 एवं संख्या 1197/III07-75 (सामान्य)/2000 दिनांक 24 फरवरी 2014।

समय विस्तार के बाद ठेकेदार द्वारा लिया गया कोई भी अतिरिक्त समय अनुबंध के संबन्धित प्रावधान के अनुसार एल डी अधिरोपण के अधीन होगा। यद्यपि उ रा आ प्र प्रा भवन के ठेकेदार को अनुबंध के प्रावधान के अनुसार ₹ 2.15 करोड़ की मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया था लेकिन प्राधिकारियों ने कार्य में विलम्ब के लिए किसी भी ठेकेदार को दंडित नहीं किया गया था।

2.3.11.3 बीमा आवरण प्रदान न करने के लिए जुर्माना वसूल न किया जाना

विभिन्न कार्यों के लिए हस्ताक्षरित अनुबंधों में प्रावधानित (जी सी सी-13.1; पी सी सी के साथ पठित) है कि ठेकेदार, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों पर कार्य की शुरुआत से लेकर दोष देयता अवधि के अंत तक की अवधि के लिए बीमा कवर/आवरण प्रदान करेगा। यदि ठेकेदार प्रावधानों के अनुसार बीमा सुनिश्चित/प्रदान नहीं करता है, तो नियोक्ता ठेकेदारों के भुगतान से धनराशि काट लेगा और अनुपालन सुनिश्चित करेगा। ऐसे प्रकरणों में, बीमा प्रावधानों का पालन न करने के लिए ठेकेदार पर ₹ 2.00 लाख/ ₹ 5.00 लाख[47] का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षित चार क्षे प क्रि इ में बीमा कवरेज से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 37 ऐसे प्रकरणों में जिनमे आवश्यक बीमा पॉलिसियां समाप्त हो चुकी थीं और ठेकेदारों द्वारा बीच की अवधि के लिए या कार्य की दोष देयता अवधि के अंत तक इसका नवीकरण नहीं कराया गया था, इनके द्वारा न तो बीमा प्रीमियम काटा गया और न ही ₹ 83 लाख का आवश्यक जुर्माना लगाया गया ***(परिशिष्ट-2.3.10)***।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग में संचालन के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में तीन एम्बुलेंस[48] क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन प क्रि इ की एक महत्वपूर्ण गलती के कारण बीमा फर्म (न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा उनके बीमा दावों को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि खरीदे गए वाहनों का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग के नाम पर किया गया था वस्तुतः बीमा पॉलिसियां प क्रि इ के नाम पर थीं।

2.3.11.4 भुगतानित रॉयल्टी संबन्धित धोखाधड़ी वाले दावे

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-70(1) में प्रावधान है कि खनन पट्टा या परमिट धारक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति,

[47] जुर्माने की राशि न त सं (सं. 02, 04 और 05) के प्रकरण में ₹ 5.00 लाख और अन्य के लिए ₹ 2.00 लाख।

[48] वाहन संख्या-यू के-07/जी ए -3127 (31 अगस्त 2021), यू के -07/जी ए-3124 (16 मई 2021) व यू के -07/जी ए-3117 (12 जून 2021)।

किसी भी परिवहन माध्यम से उपखनिज का माल ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फार्म-जे या एम एम-11 में पास जारी करेगा। तदनुसार, निर्माण कार्यों में लघु खनिज के उपयोग के लिए प्रत्येक ठेकेदार को निष्पादित कार्यों के लिए अपने भुगतान प्रमाणपत्रों/बिलों के साथ भुगतान की गयी रॉयल्टी एवं लघु खनिज सामग्री को निर्माण स्थल तक ले जाने संबन्धित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों के अभाव में, लागू रॉयल्टी और जिला खनिज निधि के प्रति योगदान को कोषागार में प्रेषण के लिए ठेकेदारों के बिलों से काट लिया जाता है।

लेखापरीक्षा में ठेकेदारों द्वारा भुगतानित रॉयल्टी एवं परिवहन पास से संबन्धित प्रस्तुत ई-प्रपत्रों/अस्वीकार्य प्राप्तियों की डुप्लिकेट प्रतियों पर ₹ 11.66 लाख[49] रॉयल्टी की अनियमित छूट के प्रकरण पाए गए। इनमें से, तीन क्षे प क्रि इ (बागेश्वर, टिहरी और उत्तरकाशी) द्वारा ₹ 7.15 लाख की वसूली किए जाने की सूचना (अप्रैल 2023) दी गयी और शेष कार्यालयों ने संबंधित ठेकेदारों से लागू रॉयल्टी की धनराशि की वसूली का आश्वासन दिया था।

2.3.12 पर्यवेक्षण एवं निगरानी

मोटे तौर पर, यू डी आर पी-ए एफ के लिए त्रि-स्तरीय आंतरिक परियोजना निगरानी एवं पर्यवेक्षण तंत्र प्रदान किया गया है जिसमें शीर्ष स्तर पर एच पी सी और राज्य स्तर पर तकनीकी/विषय विशिष्ट विशेषज्ञों (विभागीय/संविदात्मक) द्वारा समर्थित प प्र इ/प क्रि इ हैं और जिला/जमीनी स्तर पर विभागीय तकनीकी अधिकारियों और प्रत्येक श्रेणी के कार्यों के लिए पर्यवेक्षण कंसल्टेंसी के समर्पित दलों द्वारा समर्थित क्षेत्रीय प क्रि इ सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक मिशन/दल नियमित रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं और अपने चार्टर (घोषणा पत्र) के अनुसार समय-समय पर राज्य और कार्य स्थल का दौरा करते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एच पी सी एवं विश्व बैंक मिशन/टीमों द्वारा कार्यक्रम/कार्यों के पर्यवेक्षण और निगरानी गतिविधियों को क्रमशः आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त और निर्गत सहायता ज्ञापनों को अच्छी तरह से अभिलिखित किया गया था। लेकिन विभागीय तकनीकी अधिकारियों[50] एवं विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्यों के

[49] रुद्रप्रयाग (₹ 3.39 लाख), बागेश्वर (₹ 4.76 लाख), उत्तरकाशी (₹ 0.97 लाख), टिहरी (₹ 1.42 लाख), प क्रि इ - सा भ (₹ 1.12 लाख)।

[50] मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य विषय विशिष्ट विशेषज्ञ।

निरीक्षण/ पर्यवेक्षण का अभिलेखन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में अनुपलब्ध था। कार्यक्रम के पर्यवेक्षण और निगरानी में पायी गयी अन्य कमियां निम्नवत हैं:

2.3.12.1 अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा

यू डी आर पी-ए एफ परिचालन नियमावली (अध्याय-4) में प्रावधान है कि प प्र इ की एक आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई, (एक सी ए फर्म को नियुक्त कर) अधिप्राप्ति (कार्य, सामग्री और परामर्श सेवाओं) में लगे सभी प क्रि इ / क्षे प क्रि इ की समय-समय पर आंतरिक अधिप्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार होगी। यह आंतरिक लेखापरीक्षक समग्र परियोजना प्रबंधन की प्रभावशीलता और परियोजना मूल्यांकन दस्तावेजों और संचालन/ तकनीकी/ खरीद/ वित्तीय प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों के गैर-अनुपालन/ विचलन पर भी एक पेशेवर राय व्यक्त करेंगे। तदनुसार, परियोजना के आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए प प्र इ द्वारा एक सी ए फर्म[51] को नियुक्त किया गया था।

सी ए फर्म द्वारा जारी त्रैमासिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा केवल करों/रॉयल्टी/प्रतिभूतियों/अग्रिमों की अल्प-कटौती से संबन्धित कुछ मामूली मुद्दे उठाए गए/रिपोर्ट किए गए थे तथा समग्र परियोजना प्रबंधन की प्रभावशीलता और यू डी आर पी-ए एफ प्रावधानों के गैर-अनुपालन या विचलन पर एक पेशेवर राय व्यक्त करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य को संबोधित करने सम्बन्धी एक भी मुद्दा नहीं था। इस प्रकार, समग्र परियोजना प्रबंधन के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा अप्रभावी पायी गयी। इसके बावजूद, प प्र इ स्तर से सी ए फर्म को अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सुधार के लिए निर्देशित नहीं किया गया था।

प प्र इ द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया गया (अप्रैल 2023) कि सी ए फर्म को लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए समग्र परियोजना प्रबंधन पर अधिक सावधानी बरतने और भविष्य के प्रतिवेदनों में सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया है।

[51] मै. अंशुल अग्रवाल एंड कंपनी को 24 माह के लिए (मार्च 2020) मार्च 2022 तक ₹ 25.00 लाख की लागत पर अनुबंधित किया गया था, लेकिन अनुबंध को ₹ 6.67 लाख के अतिरिक्त भुगतान के साथ मार्च 2023 तक विस्तारित किया गया।

2.3.12.2 सामाजिक व पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा अपर्याप्त पर्यवेक्षण

यू डी आर पी-ए एफ, परिचालन नियमावली (अध्याय-6) के प्रावधान के अनुसार, समवर्ती आंतरिक पर्यावरणीय/ सामाजिक निगरानी, कार्य परामर्शदाताओं द्वारा की जानी थी जबकि प प्र इ द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा सुरक्षा/अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-परियोजनाओं की त्रैमासिक पर्यावरणीय और सामाजिक निगरानी करनी थी।

प प्र इ की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा/अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए छः समर्पित विशेषज्ञों[52] को नियुक्त किया गया था, लेकिन अपेक्षित रूप[53] से कार्यों/उप-परियोजनाओं का उनके द्वारा आच्छादन नहीं किया गया। परियोजना के कुल 73 निर्माण स्थलों[54] में से सामाजिक विशेषज्ञों द्वारा केवल 38 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया और पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा 67 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया। सेतुओं के तीन स्थलों (बी आर-62, 64 व 96) का निरीक्षण उनमें से किसी के द्वारा कभी भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 73 निर्माण स्थलों में से केवल चार स्थलों का ही इन विशेषज्ञों ने पूरी परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान चार बार से अधिक निरीक्षण किया।

2.3.13 निष्कर्ष

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना - अतिरिक्त वित्तपोषण (यू डी आर पी-ए एफ) प्राधिकारीगण योजनाबद्ध तरीके से यू डी आर पी-ए एफ परियोजना का प्रबंधन करने में असफल रहे क्योंकि सेतुओं, सड़क/नदी तट संरक्षण एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (चरण-II) प्रशिक्षण सुविधा से संबन्धित 23 चिन्हित कार्यों को परियोजना में आच्छादित नहीं किया गया था, जबकि ₹ 75.81 करोड़ की कार्यक्रम निधि का उपयोग दायरे से बाहर के कार्यों के लिए किया गया था। कार्यों के आगणन/अनुमोदन में कमी पाई गई क्योंकि 43 कार्य (कुल 74 में से) उच्चतर लागत पर आगणित थे, दोषपूर्ण डिजाइनों को अपनाया गया था, आवश्यकता से अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी थी और स्वीकृत झूला पुलों के सापेक्ष स्टील ट्रस पुलों का निर्माण किया जा रहा था।

---

52 एक सामाजिक सामुदायिक विकास/जेंडर विशेषज्ञ (एस सी डी जी एस), दो सामाजिक/जेंडर अधिकारी, एक पर्यावरण/पुनर्वास विशेषज्ञ और दो पर्यावरण अधिकारी।

53 कम से कम 15 माह की निर्माण अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम पाँच निरीक्षण।

54 58-पुल, 08-ढलान, 05-आर बी पी व 02 सार्वजनिक भवन के निर्माण स्थल।

कार्यक्रम प्रतिपादन तंत्र के लगभग सभी मोर्चों पर कमी थी क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान आ आ प्र घ के अंतर्गत निविदाओं के अंतिमिकरण करने/अनुबंध गठित करने व चिकित्सा उपकरणों की समय पर खरीद में लगातार देरी पायी गयी थी। 96 *प्रतिशत* कार्यों को पूर्ण होने में विलम्ब हुआ और बहुत धीमी प्रगति के कारण यू डी आर पी-ए एफ के विस्तारित समय के भीतर भी ₹ 82.35 करोड़ लागत के दो पुलों और एक सार्वजनिक भवन के निर्माण के पूरा होने की संभावना बहुत कम थी। इस प्रकार, इन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर हस्तांतरित हो सकती है क्योंकि कार्यक्रम के बंद होने के बाद दावों की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

यहाँ अधिक भुगतान, ठेकेदारों को अनुचित लाभ, कार्यों के लिए अतिरिक्त सामग्री का अनुचित उपभोग किए जाने जैसे प्रकरण थे जिनकी पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

2.3.14 अनुशंसाएं

राज्य सरकार निम्न पर विचार कर सकती है:

- ***स्वीकृति एवं निविदा प्रदान करने के उपरांत लागत आगणनों/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वतंत्र तकनीकी जाँच हेतु एक तंत्र की स्थापना;***
- ***दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना, जिसके कारण राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।***

कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

2.4 प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.4.1 प्रस्तावना

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (पी एम के वी वाई 2.0), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम एस डी ई), भारत सरकार (भा स) द्वारा जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य स्कूल/कॉलेज छोड़ने वालों और बेरोजगार युवाओं को कुशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करना था। यह योजना पूरी तरह से भा स द्वारा वित्तपोषित थी। इस योजना के दो घटक हैं (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित केन्द्र प्रायोजित केन्द्र प्रबंधित (सी एस सी एम) (75 *प्रतिशत*) और

(ii) उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन[55] (यू के एस डी एम) द्वारा कार्यान्वित केन्द्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सी एस एस एम) (25 *प्रतिशत*)। पी एम के वी वाई 2.0 की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड राज्य में सी एस एस एम घटक की योजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी की कमियों पर प्रकाश डालती है।

पी एम के वी वाई 2.0 का सी एस एस एम घटक अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक राज्य में लागू किया गया था। सचिव, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उत्तराखण्ड, मिशन के अध्यक्ष हैं। परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड कौशल विकास सोसायटी (यू एस डी एस) कार्यकारी अधिकारी के रूप में योजना के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यू के एस डी एम ने 25 क्षेत्रों के 103 जॉब रोल्स में प्रशिक्षण देने के लिए 98 प्रशिक्षण प्रदाताओं (टी पी) को सूचीबद्ध किया। प्रशिक्षण प्रदाताओं को उनके स्वयं के नामित प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से युवाओं को कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए थे। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को स्वायत्त उद्योग के प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एस एस सी) द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। प्रशिक्षण प्रदाता (टी पी) प्रशिक्षण पूर्ण होने के तीन माह के भीतर सफलतापूर्वक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से कम से कम 50 *प्रतिशत* को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार थे। उपर्युक्त लक्ष्यों की उपलब्धि के बाद, टी पी का भुगतान तीन किस्तों में किया जाना था[56]। टी पी और एस एस सी को भारत सरकार के पोर्टल[57] पर नामांकित/ प्रशिक्षित/ मूल्यांकित/ प्रमाणित/ नियुक्त अभ्यर्थियों का वास्तविक समय डेटा दर्ज/अद्यतन करना भी आवश्यक है, जिसकी निगरानी और सत्यापन राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है।

2.4.2 लेखापरीक्षा का दायरा और उद्देश्य

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए सी एस एस एम घटक को आच्छादित किया और यू के एस डी एम के अभिलेखों की जाँच की। नामांकित

---

55 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत वर्ष 2013 में पंजीकृत हुई।

56 प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर 30 *प्रतिशत*, प्रशिक्षुओं के सफल प्रमाणीकरण पर 50 *प्रतिशत*, प्रमाणित प्रशिक्षुओं की नियुक्तियों पर 20 *प्रतिशत*।

57 कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (एस डी एम एस) और कौशल भारत पोर्टल (एस आई पी)।

अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या और किए गए भुगतानों के आधार पर विस्तृत जाँच के लिए 20 टी पी का चयन किया गया था ***(परिशिष्ट-2.4.1)***। 98 टी पी द्वारा दिखाए गए कुल 17,749 अभ्यर्थियों में से, 12,775 अभ्यर्थी (71.98 *प्रतिशत)* को इन 20 टी पी द्वारा नियोजित दिखाया गया था। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में स्थित नियोजित अभ्यर्थियों और नियोक्ता संगठन का दूरभाषिक और भौतिक सत्यापन भी किया गया[58]।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि क्या योजना का कार्यान्वयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था और प्रशिक्षित युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करने का परिणाम प्राप्त किया गया था।

2.4.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में आयोजित की गयी थी:

- योजना के दिशा-निर्देश एवं परिचालन नियमावली
- योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र
- भारत सरकार का पोर्टल, एस डी एम एस और एस आई पी (कौशल भारत पोर्टल)
- नियोजित अभ्यर्थियों और नियोक्ता संगठनों का भौतिक और दूरभाषिक सर्वेक्षण

2.4.4 निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम एस डी ई) ने उत्तराखण्ड में पी एम के वी वाई 2.0 सी एस एस एम के अंतर्गत 48,236 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए ₹ 74.26 करोड़ (अप्रैल 2017) स्वीकृत किए। हालाँकि, वर्ष 2017-18 के लिए प्रदान किए गए प्रशिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में जब यू के एस डी एम विफल रहा, तो स्वीकृत धनराशि घटाकर ₹ 61.99 करोड़ (मई 2019) कर दी गई। यू के एस डी एम को ₹ 61.99 करोड़ की संपूर्ण संशोधित स्वीकृत धनराशि मई 2019 तक प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष ₹ 60.18 करोड़ [59](97 *प्रतिशत)* का उपयोग मई 2022 तक किया जा चुका था। योजना की वित्तीय और भौतिक उपलब्धि का विवरण नीचे **तालिका-2.4.1** में दिया गया है:

---

[58] 502 अभ्यर्थियों का दूरभाषिक सत्यापन और 104 नियुक्त अभ्यर्थियों का भौतिक सत्यापन।

[59] प्रथम और द्वितीय किस्त के लिए टी पी को भुगतान, एस एस सी को भुगतान और प्रशासनिक व्यय।

तालिका-2.4.1: योजना की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति	व्यय	नामांकित अभ्यर्थी	प्रशिक्षित अभ्यर्थी	प्रमाणित अभ्यर्थी	नियुक्त अभ्यर्थी
2017-18	20.32	0.63	270	270	252	55
2018-19	0	12.55	13,251	13,098	10,891	5,673
2019-20	14.70	21.36	19,463	19,290	16,143	6,231
2020-21	15	15.31	15,285	15,277	12,008	5,748
2021-22	11.97	2.51	120	60	59	42
2022-23	0	7.82	0	0	0	0
कुल	***61.99***	***60.18***	***48,389***	***47,995***	***39,353***	***17,749 (45.10)***

नोट: कोष्ठक में दिया गया आंकड़ा कुल प्रमाणित अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल नियुक्त अभ्यर्थियों का प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्यापक रूप से व्याख्या निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है:

2.4.5 वित्तीय प्रबंधन

कुल प्रशिक्षण लागत की गणना कुल लक्ष्यों और प्रति प्रशिक्षु औसत प्रशिक्षण लागत को गुणा करके की गई थी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को भुगतान सहायता भी प्रदान की जानी थी। ख़राब वित्तीय प्रबंधन के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

2.4.5.1 वित्तीय दायित्व का सृजन

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 2017-18 में 13,200 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रथम किस्त के रूप में ₹ 20.32 करोड़ जारी किए और निर्देश दिया कि वर्ष 2017-18 के प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण लक्ष्यों को संशोधित किया जाएगा। यह देखा गया कि मिशन द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए दिए गए लक्ष्य प्राप्त नहीं किए और ₹ 0.63 करोड़ खर्च करके केवल 270 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया। तदनुसार, एम एस डी ई ने मई 2019 में वित्तीय स्वीकृति को संशोधित कर ₹ 61.99 करोड़ कर दिया और मिशन को संशोधित स्वीकृति के अनुसार अपने प्रशिक्षण लक्ष्यों को संशोधित करने का निर्देश दिया। हालाँकि, मिशन ने अपने प्रशिक्षण लक्ष्यों को संशोधित नहीं किया, और सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में, मूल स्वीकृत धनराशि के अनुसार अगले तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) में प्रशिक्षित करने के लिए 34,750 अभ्यर्थियों[60] का लक्ष्य (जुलाई 2019) निर्धारित

[60] 2017-18 और 2018-19 तक 13,521 अभ्यर्थी पहले ही नामांकित हो चुके थे।

किया। इसके कारण, प्रशिक्षण की लागत ₹ 61.99 करोड़ से बढ़कर ₹ 80.80 करोड़ हो गयी और ₹ 60.18 करोड़ खर्च करके टी पी को केवल प्रथम और द्वित्तीय किस्त का भुगतान किया गया और 17,749 अभ्यर्थियों के सफल नियोजन का दावा करने के बावजूद भी तृत्तीय किस्त की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका। साथ ही, जैसा कि ***प्रस्तर-2.4.6.2*** में चर्चा की गई है, अभ्यर्थी भुगतान सहायता से वंचित रह गए।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि भारत सरकार ने अतिरिक्त धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया था। राज्य सरकार का उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा के दौरान भारत सरकार का ऐसा कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला।

2.4.5.2 प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनुचित लाभ।

जाँच के दौरान, प्रशिक्षण प्रदाताओं (टी पी) को अनुचित लाभ दिए जाने के प्रकरण संज्ञान में आए जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

1. **₹ 2.34 करोड़ का अधिक भुगतान:** किसी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देने के लिए पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय के स्तर के अनुसार, अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए आधार लागत को तीन श्रेणियों[61] में वर्गीकृत किया गया है। लेखापरीक्षा जाँच से ज्ञात हुआ कि 20 चयनित टी पी में से 16 टी पी को प्रथम और द्वित्तीय किस्तों के लिए प्रथम श्रेणी की उच्च दर पर भुगतान किया गया था, जबकि प्रशिक्षण को द्वितीय/तृत्तीय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट-2.4.2)***।

   विभाग ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि टी पी को भुगतान प्रथम श्रेणी की दरों के अनुसार किया गया था क्योंकि ये पाठ्यक्रम भारत सरकार के पोर्टल[62] में प्रथम श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मात्र पाँच प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की श्रेणी को 2022 में प्रथम श्रेणी में अपग्रेड किया गया था जबकि शेष 14 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभी भी द्वितीय/तृत्तीय श्रेणी में सूचीबद्ध थे और वर्ष 2020 में किया गया भुगतान प्रथम श्रेणी के अनुसार था।

---

[61] श्रेणी I @ ₹ 46.70, श्रेणी II @ ₹ 40.00 और श्रेणी III @ ₹ 33.40 ।

[62] www.skillindia.gov.in ।

2. **₹ 1.61 करोड़ की वसूली न होना:** दिशानिर्देश के प्रस्तर 1.7.2 के अनुसार, प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देने वाले/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु टी पी को वितरित की गई प्रथम किस्त की धनराशि को बाद की किस्तों से समायोजित किया जाएगा। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 130 बैचों[63] के 90 *प्रतिशत* से अधिक अभ्यर्थी बाहर/अनुत्तीर्ण/गैर-प्रमाणित थे। इस प्रकार, मिशन को संबंधित टी पी से प्रथम किस्त की धनराशि ₹ 1.61 करोड़ ***(परिशिष्ट-2.4.3)*** को समायोजित/वसूली करने की आवश्यकता थी, जो नहीं की गयी थी।

   इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, विभाग ने अवगत कराया कि उन सभी टी पी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ईमेल लिखा गया है, जिन्हें प्रथम किस्त का भुगतान किया गया था, लेकिन द्वित्तीय किस्त के लिए दावा नहीं किया है, जिसके बाद तदनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3. **धनराशि का व्यपवर्तन ₹ 25.73 लाख:** प्रशिक्षण प्रदाता, स्किल प्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और एन आई ए सी ई फाउंडेशन को क्रमशः ₹ 18.77 लाख और ₹ 6.96 लाख का भुगतान जनरल हाउसकीपिंग कम डोमेस्टिक कुक और डाटा एंट्री ऑपरेटर पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त टी पी के सापेक्ष इन जॉब रोल की प्रविष्टि पोर्टल पर पी एम के वी वाई डेटा में नहीं पाई गई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि उक्त बैच रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई एल एस टी पी[64]) में संचालित किए गए थे।

इस प्रकार, उत्तर से स्पष्ट है कि ₹ 25.73 लाख की धनराशि पी एम के वी वाई योजना (केन्द्र प्रायोजित) से ई एल एस टी पी योजना (राज्य प्रायोजित) में व्यपवर्तित कर दी गई।

2.4.6 दिशानिर्देशों, नियमों और निर्देशों का अनुपालन

एम एस डी ई द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशानिर्देशों, नियमों और निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

---

[63] एस डी एम एस पोर्टल के 54 बैच और एस आई पी पोर्टल के 76 बैच।

[64] ई एल एस टी पी 2020-21 में शुरू की गई एक राज्य वित्त पोषित कौशल विकास योजना है।

2.4.6.1 अभ्यर्थियों एवं प्रशिक्षक के आधार सत्यापन के बिना भुगतान

राज्यों के लिए परिचालन नियमावली के खंड 6.4 के अनुसार, ए ई बी ए एस (आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली) सी एस एस एम का एक गैर-परक्राम्य (अपरिवर्तनीय) हिस्सा और पी एम के वी वाई 2.0 का अभिन्न अंग था। तदनुसार, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों की उपस्थिति संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर अनिवार्य कर दिए गए। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देश के खंड 1.4.2 के अनुसार, टी पी को प्रशिक्षण लागत का संवितरण अभ्यर्थियों और प्रशिक्षक के आधार सत्यापन से जोड़ा जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा बार बार मांगे जाने पर भी इकाई ने प्रशिक्षण केन्द्रों पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की स्थापना और अभ्यर्थियों/प्रशिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार, अभ्यर्थियों/ प्रशिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के आंकडों के अभाव में, प्रशिक्षण की सत्यता स्थापित नहीं की जा सकी। इसे आगे लाभार्थी सर्वेक्षण के साथ जोड़ा गया, जैसा कि ***प्रस्तर-2.4.8*** में व्यापक रूप से चर्चा की गई है, जहां यह पाया गया कि कई लाभार्थी अभ्यर्थियों ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें कोई प्रशिक्षण/प्रमाणपत्र/नियुक्ति प्राप्त हुई थी। इस प्रकार, अभ्यर्थियों और प्रशिक्षकों का आधार सत्यापन किए बिना, टी पी को प्रशिक्षण लागत के रूप में ₹ 53.59 करोड़ (मई 2022) का भुगतान किया गया।

2.4.6.2 अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता

युवाओं को प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके कौशल को सुविधाजनक बनाने के लिए, दिशानिर्देश में विभिन्न प्रकार की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक सहायता अनिवार्य थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-2022 के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसी कोई सहायता प्रदान नहीं की गई थी जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

1. **सफल प्रमाणीकरण पर मौद्रिक पुरस्कार (आर्थिक सहायता) का भुगतान नहीं किया गया:** एम एस डी ई द्वारा जारी परिपत्र संख्या बी-12012/1/2017-एस एन पी दिनांक 10 अगस्त 2018 के अनुसार, प्रत्येक सफल प्रमाणित अभ्यर्थी को आर्थिक सहायता/मौद्रिक पुरस्कार के रूप में ₹ 500 का भुगतान किया जाना था। हालाँकि, सफलतापूर्वक प्रमाणित 39,353 अभ्यर्थियों में से किसी को भी ऐसा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पात्र अभ्यर्थियों को ₹ 1.97 करोड़ की मौद्रिक पुरस्कार धनराशि का भुगतान नहीं किया गया।

2. **वाहन भत्ता सहायता:** दिशानिर्देश के प्रस्तर 1.7.5 के अनुसार, गैर-आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन और प्रमाणन पर, सभी महिला अभ्यर्थियों और विकलांग व्यक्तियों (पी डब्ल्यू डी) को निर्धारित दरों[65] के अनुसार वाहन भत्ता प्रदान किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22,314 महिला अभ्यर्थियों (एक विकलांग व्यक्ति सहित) में से किसी को भी वाहन भत्ता सहायता प्रदान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पात्र अभ्यर्थियों को प्रति माह ₹ 2.23 करोड़[66] की वाहन भत्ता सहायता का भुगतान नहीं किया गया।
3. **पोस्ट प्लेसमेंट सहायता:** दिशानिर्देश के प्रस्तर 5.8 के अनुसार, नए कुशल अभ्यर्थियों को उनकी नई नौकरियों/व्यवसायों में स्थापित होने के लिए प्रति माह ₹ 1,500[67] की दर से पोस्ट प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 16,489 नियुक्त अभ्यर्थियों में से किसी को भी पोस्ट प्लेसमेंट सहायता प्रदान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप पात्र अभ्यर्थियों को पोस्ट प्लेसमेंट सहायता धनराशि ₹ 3.79 करोड़[68] का भुगतान नहीं हुआ।
4. **इंडक्शन किट और हस्तपुस्तिका :** परिचालन नियमावली के प्रस्तर 6.5 के अनुसार, राज्य प्रत्येक नामांकित अभ्यर्थी के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को हस्तपुस्तिका के साथ-साथ इंडक्शन किट की आपूर्ति हेतु एक उपयुक्त और दक्ष प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं। हालाँकि, कुल 48,389 नामांकित अभ्यर्थियों में से, केवल 7,525 अभ्यर्थियों को इंडक्शन किट प्रदान की गईं और केवल 8,504 अभ्यर्थियों को हस्तपुस्तिका प्रदान की गईं।

विभाग ने अवगत कराया कि डी बी टी के माध्यम से मौद्रिक पुरस्कार/आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश 2018 में प्राप्त हुए थे, तब तक सभी लक्ष्य आवंटित किए जा चुके थे और उस समय सभी नामांकित अभ्यर्थियों का सत्यापन असंभव था। इसके

---

[65] निवास जिले के भीतर प्रशिक्षण केन्द्र: ₹ 1,000 प्रति माह, निवास जिले के बाहर प्रशिक्षण केन्द्र: ₹ 1,500 प्रति माह।

[66] जिले के बाहर के अभ्यर्थियों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध न होने के कारण राशि की गणना केवल जिले के मूल निवासी के आधार पर की गई।

[67] निवास जिले के भीतर नियुक्ति (पुरुष-एक माह, महिला-दो माह), निवास जिले के बाहर नियुक्ति (पुरुष-दो माह, महिला-तीन माह)।

[68] जिले के बाहर के अभ्यर्थियों की जानकारी उपलब्ध न होने के कारण राशि की गणना जिले के मूल निवासी के आधार पर की गई, 7,707 पुरुष अभ्यर्थियों को ₹ 1.16 करोड़ और 8,782 महिला अभ्यर्थियों को ₹ 2.63 करोड़।

अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को पोस्ट प्लेसमेंट और वाहन भत्ता सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं कराया गया था।

उत्तर भ्रामक था क्योंकि 72 *प्रतिशत* का लक्ष्य (34,750 अभ्यर्थी) जुलाई 2019 में आवंटित किया गया था और प्रति अभ्यर्थी औसत प्रशिक्षण लागत में अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने वाले सभी भुगतान शामिल थे।

2.4.6.3 प्रशिक्षण प्रदाता के साथ अनुबंध/समझौते पर हस्ताक्षर करना

राज्य हेतु परिचालन नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार, पैनल में शामिल होने के बाद, राज्य कौशल विकास मिशन और संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता के बीच एक अनुबंध/ समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालाँकि, मिशन द्वारा पैनल में शामिल किसी भी टी पी के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था। मिशन ने स्वीकार किया कि किसी भी टी पी के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) हस्ताक्षर नहीं किया गया था और इसका ध्यान अन्य चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान रखा जायेगा।

2.4.7 नियुक्ति में पाई गईं अनियमितताएं

दिशानिर्देश के प्रस्तर 5.5 के अनुसार, अभ्यर्थियों की नियुक्ति टी पी की प्राथमिक जिम्मेदारी है और राज्य प्राधिकारियों को नियुक्ति की उचित ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। योजना के अंतर्गत, 48,389 नामांकित अभ्यर्थियों के सापेक्ष 17,749 अभ्यर्थियों (36.68 *प्रतिशत*) को नौकरी देने का दावा किया गया था। लेखापरीक्षा ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति में गंभीर अनियमितताएं पाई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.4.7.1 नियुक्ति के नकली दस्तावेजों को प्रस्तुत करना

पी एम के वी वाई दिशानिर्देश का प्रस्तर 5.6 निर्धारित करता है कि किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति का वैध प्रमाण[69] टी पी द्वारा तिमाही आधार पर राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इन दस्तावेजों को सत्यापित करना राज्य प्राधिकरण की जिम्मेदारी थी, जिसके बाद ही तृत्तीय किस्त की धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

[69] नियुक्ति पत्र, नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्ची और बैंक खाता विवरण या पासबुक प्रविष्टियों आदि के रूप में वेतन भुगतान प्रमाण।

अभिलेखों की जाँच से तीन टी पी[70] द्वारा नियुक्ति के प्रमाण के रूप में प्रदान किए गए दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां प्रकाश में आईं, जैसे अभ्यर्थियों के बैंक विवरण में न केवल लेनदेन की तिथि में कालक्रम का अभाव था बल्कि विभिन्न अभ्यर्थियों की एक समान लेनदेन संख्या, एक समान तिथि और एक समान धनराशि आहरित की गयी थी, लेन-देन की तिथि अमान्य और विभिन्न प्रारूपों में होना, एक ही अभ्यर्थी के बैंक विवरण और वेतन पर्ची में अलग-अलग बैंक का नाम, विभिन्न कर्मचारियों के वेतन पर्ची में समान हस्ताक्षर और कई अभ्यर्थियों के लिए एक ही खाता संख्या पाया जाना ***(परिशिष्ट-2.4.4)***। यह इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुये अवगत कराया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए उक्त तीनों टी पी द्वारा अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तदनुसार, सचिव, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है और अन्य टी पी द्वारा अभ्यर्थियों के नियुक्ति का सत्यापन शुरू कर दिया गया है।

नियुक्ति से जुड़ी तृत्तीय किस्त का भुगतान

बाद के चरण मे प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए तृत्तीय किस्त का भुगतान महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रथम और द्वित्तीय किस्त प्रक्रिया केवल टी पी से संबंधित थी। हालाँकि, तृत्तीय किस्त में, एक नियोक्ता के दस्तावेजों को भी जोड़ा जाना था, और रोजगार के प्रमाण के लिए दस्तावेज जाली नहीं हो सकते है।

मिशन ने पी एम के वी वाई 2.0 योजना के सी एस एस एम में 17,749 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दर्शायी थी, लेकिन 31 मार्च 2022 तक किसी भी टी पी को तृत्तीय किस्त का भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन की अन्य कौशल प्रशिक्षण योजनाओं जैसे रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई एल एस टी पी) में 3,431 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दर्शायी गई और उत्तराखण्ड कार्य बल विकास परियोजना (यू के डब्ल्यू डी पी) में 10,632 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दर्शायी गई, लेकिन किसी भी योजना में तृत्तीय किस्त का भुगतान नहीं किया गया।

[70] टेक्नोपैक एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड, जी डी गोयनका यूनिवर्सिटी, एन आई ए सी ई फाउंडेशन।

2.4.7.2 नियोक्ता संगठन की गलत जानकारी

लेखापरीक्षा द्वारा दो जनपदों यू एस नगर एवं हरिद्वार में नियोक्ता संगठन का भौतिक सत्यापन किया गया। जनपद यू एस नगर में, टी पी अर्थात टेक्नोपैक एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड ने चार अलग-अलग संगठनों[71] में 92 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का दावा किया। हालाँकि, इनमें से कोई भी कंपनी उल्लिखित पते पर नहीं मिली। इसी प्रकार, जनपद हरिद्वार में टी पी टेक्नोपैक एडवाइजर्स प्रा. लि. और डी यूनिक एजुकेशनल सोसाइटी ने सात विभिन्न संगठनों[72] में 278 अभ्यर्थियों के नियुक्ति का दावा किया। भौतिक सत्यापन के दौरान, हालांकि पांच संगठन उल्लिखित पते पर पाए गए, लेकिन उन्होंने उक्त टी पी द्वारा अपने संगठन में किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति से इनकार किया। दो कंपनियां उल्लिखित पते पर नहीं मिलीं।

अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उचित ट्रैकिंग यू के एस डी एम की जिम्मेदारी थी लेकिन मिशन ने न तो सभी टी पी द्वारा नियुक्ति के प्रमाण के लिए समय पर पूर्ण दस्तावेज जमा कराना सुनिश्चित किया, न ही टी पी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सत्यापित किया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने नियोक्ता संगठन के बारे में टी पी द्वारा दी गई गलत जानकारी पर कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है।

2.4.7.3 शून्य नियुक्ति

दिशानिर्देश के प्रस्तर 5.4.6 के अनुसार एक वर्ष की अवधि में नियुक्ति 50 *प्रतिशत* से कम है, तो टी पी को विशेष जॉब रोल में प्रशिक्षण बंद करने के लिए कहा जा सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 98 टी पी में से, 31 टी पी ने योजना की पूरी पांच वर्ष की अवधि में एक भी नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी थी ***(परिशिष्ट-2.4.5),*** इसके बावजूद मिशन ने इन टी पी के खराब प्रदर्शन का संज्ञान नहीं लिया। इन टी पी को 5,610 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए कुल ₹ 3.89 करोड़ का भुगतान किया गया था।

---

[71] एसके ब्यूटी रिसोर्सेज प्रा. लिमिटेड जसपुर (23 अभ्यर्थी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जसपुर (23 अभ्यर्थी), बंसल पैथोलॉजी सेंटर काशीपुर (22 अभ्यर्थी) और डॉ. एस के अरोड़ा हेल्थ केयर काशीपुर (24 अभ्यर्थी)।

[72] अल्पना होटल (57 अभ्यर्थी), होटल किंग (67 अभ्यर्थी), होटल विनायक (45 अभ्यर्थी), लुक्स यूनिसेक्स सैलून (21 अभ्यर्थी), मैक्स सिटी हॉस्पिटल, मंगलौर (24 अभ्यर्थी), मैक्स सिटी हॉस्पिटल, उदघलहेड़ी (24 अभ्यर्थी), टेलर्न लेडीज़ बुटीक (40 अभ्यर्थी)।

राज्य सरकार ने प्रकरण को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना में नियुक्ति की कमी एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भविष्य में नियुक्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदाता के चयन और प्रशिक्षण कार्यान्वयन में आवश्यक बदलाव करने के लिए दृढ़ हैं।

2.4.8 प्रशिक्षण/प्रमाणन/नियुक्ति का एम आई एस आँकड़े

परिचालन नियमावली के अध्याय-8 के अनुसार, राज्य अभ्यर्थियों के पूर्ण प्रशिक्षण चक्र का प्रबंधन/निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) पोर्टल या अपने स्वयं के एम आई एस का उपयोग कर सकते हैं। योजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान, यू के एस डी एम ने अप्रैल 2017 से एन एस डी सी के एम आई एस पोर्टल, जिसे कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एस डी एम एस) नाम दिया गया है और जुलाई 2019 से इसके नए संस्करण स्किल इंडिया पोर्टल (एस आई पी) का उपयोग किया है।

प्रशिक्षण प्रदाताओं (टी पी) और क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एस एस सी) को धनराशि की गणना और भुगतान संबंधित टी पी और एस एस सी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए आकड़ों के आधार पर किया जाना था। आकड़ों में टी पी द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण एवं नियुक्ति और एस एस सी द्वारा किए गए मूल्यांकन/ प्रमाणन के बारे में विवरण शामिल होता हैं।

एम आई एस आँकड़ों की जाँच में कई विसंगतियां सामने आईं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, जिसने पोर्टल पर अपलोड किए गए आकड़ों की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न किया:

- ✓ कुल 511 अभ्यर्थी जो मूल्यांकन के दौरान असफल या अनुपस्थित रहे, उन्हें 41 टी पी द्वारा नियुक्त दर्शाया गया था।
- ✓ 107 अभ्यर्थियों को जॉब रोल 'प्लंबिंग' के लिए प्रशिक्षण केन्द्र 'एपेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट' में प्रशिक्षण दिया गया, जो एक कंप्यूटर सेंटर है।
- ✓ नामांकन के समय एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए किया गया था।

उपरोक्त प्रकरण एम आई एस आकड़ों में हेरफेर का संकेत देते हैं। यू के एस डी एम में एम आई एस मैनेजर की तैनाती के बावजूद ऐसी किसी भी विसंगति की जाँच नहीं

की गई। टी पी द्वारा दर्ज किए गए आकड़ों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 502 अभ्यर्थियों का दूरभाषिक सर्वेक्षण और 104 अभ्यर्थियों का भौतिक सत्यापन किया, जिन्हें विभिन्न कंपनियों में नियुक्त किए जाने का दावा किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि:

- दूरभाषिक सर्वेक्षण में 59 अभ्यर्थियों (12 *प्रतिशत)* और भौतिक सत्यापन में 16 अभ्यर्थियों (15 *प्रतिशत)* ने पी एम के वी वाई योजना के अंतर्गत किसी भी प्रशिक्षण में भाग लेने से इंकार किया।
- दूरभाषिक सर्वेक्षण में 121 अभ्यर्थियों (24 *प्रतिशत)* और भौतिक सत्यापन में 21 अभ्यर्थियों (20 *प्रतिशत)* ने किसी भी मूल्यांकन परीक्षा में बैठने से इनकार किया।
- दूरभाषिक सर्वेक्षण में 280 अभ्यर्थियों (56 *प्रतिशत)* और भौतिक सत्यापन में 84 अभ्यर्थियों (81 *प्रतिशत*) ने मूल्यांकन पूरा होने पर कोई भी प्रमाण पत्र प्राप्त होने से इनकार किया।
- दूरभाषिक सर्वेक्षण में 495 अभ्यर्थियों (99 *प्रतिशत)* और भौतिक सत्यापन में सभी 104 अभ्यर्थियों ने किसी भी नियुक्ति/नौकरी पाने से इनकार किया।

यू के एस डी एम ने टी पी को प्रथम किस्त के रूप में ₹ 24.23 करोड़ एवं द्वित्तीय किस्त के रूप में ₹ 29.36 करोड़ और एस एस सी को ₹ 5.55 करोड़ का भुगतान एम आई एस आँकड़ों को सत्यापित किए बिना किया जो नियमों का उल्लंघन था। दिशानिर्देश के विपरीत, धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए अनिवार्य नियंत्रण और जाँच जैसे बायोमेट्रिक उपस्थिति, मूल्यांकन की पूरी वीडियोग्राफी आदि नहीं की गई और प्रथम एवं द्वितीय किस्त का पूर्ण भुगतान कर दिया गया। राज्य सरकार ने अवगत कराया कि प्रकरण संज्ञान में आने पर पोर्टल में आकड़ों की सुरक्षा एवं सत्यापन और अनुमोदन को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र सिस्टम डेवलपर की सेवा ली गई है। भविष्य में मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि उसका एक प्रतिनिधि मूल्यांकन तिथि पर प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होगा तथा बैच मूल्यांकन की पूर्ण वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी।

2.4.9 कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नियमों के अनुपालन के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती है, धोखाधड़ी, दुरुपयोग और कुप्रबंधन से बचाती है और उच्च

अधिकारियों को विश्वसनीय वित्तीय और प्रबंधकीय जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यू के एस डी एम की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बहुत कमजोर और अपर्याप्त थी। कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को उजागर करने वाले कुछ प्रकरण इस प्रकार हैं:

2.4.9.1 निगरानी में चूक

परिचालन नियमावली के प्रस्तर 10 में कहा गया है कि सी एस एस एम घटक के कार्यान्वयन और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार प्राधिकरण यानी यू के एस डी एम की है। उनके द्वारा उत्तरदायित्व का अप्रभावकारी निर्वहन करने के कारण, योजना को दिशानिर्देश के अनुसार संचालित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप गलत आँकड़े, फर्जी प्रशिक्षण और नियुक्ति जैसी अनियमितताएं हुई, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

राज्य प्राधिकरण ने कोई चेकलिस्ट जारी नहीं की और न ही निरीक्षण, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट/रिटर्न और उसकी समीक्षा की कोई प्रणाली स्थापित की जिससे अनियमितताओं का पता लगाने में मदद मिलती।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एस एस सी) द्वारा गलत दावेदारी।

योजना दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि यह सुनिश्चित करना एस एस सी की जिम्मेदारी है कि केवल प्रामाणिक और योग्य प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया जाए। एस एस सी को उन प्रकरणों की निगरानी करनी है जो अनैतिक प्रथाओं में लिप्त होने का संकेत देते हैं और किसी भी मुद्दे/विसंगति के प्रकरण में, एस एस सी को उचित कार्रवाई के लिए तुरंत राज्य सरकार को रिपोर्ट करना है। इसके अतिरिक्त, यदि एस एस सी कदाचार में शामिल पाए गए तो एस एस सी पर उचित वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है।

जैसा कि उपरोक्त ***प्रस्तर-2.4.8*** में बताया गया है, 39,353 अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रमाणित दर्शाया गया था और एस एस सी द्वारा उनके मूल्यांकन शुल्क का दावा किया गया था जबकि कुछ अभ्यर्थियों ने किसी भी प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन में भाग नहीं लिया। यदि मिशन ने एस एस सी के दावों का सत्यापन किया होता, तो इससे एस एस सी के साथ-साथ टी पी के कदाचार के प्रकरण शासन के संज्ञान में आ जाते।

इस प्रकार, मिशन के कमजोर निगरानी तंत्र ने न केवल टी पी को दिशानिर्देश का उल्लंघन करने और फर्जी दस्तावेज प्रदान करके व्यय बढ़ाने में सक्षम बनाया, बल्कि योजना के परिणाम को भी प्रभावित किया।

2.4.9.2 शिकायत निवारण तंत्र का अभाव

दिशानिर्देश के प्रस्तर 1.4.12 के अनुसार, एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया गया कि तंत्र में ऐसी कोई शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद नहीं थी। इसके अतिरिक्त मिशन द्वारा प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण के अभिलेख भी नहीं रखे जा रहे थे। नियुक्त अभ्यर्थियों के दूरभाषिक और भौतिक सत्यापन से यह भी पता चला कि अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए किसी भी हेल्पलाइन नंबर या किसी अन्य तंत्र से अनजान थे।

राज्य सरकार ने उत्तर (मार्च 2024) दिया कि अब समय-समय पर प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए पी डी, यू के एस डी एम की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति का गठन[73] किया गया है।

<u>सीएम हेल्पलाइन</u>

लेखापरीक्षा ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की जाँच की, जहां किसी भी राज्य के विभाग की शिकायत दर्ज की जा सकती है और पी एम के वी वाई योजना से संबंधित दस शिकायतें मिलीं जिनमें अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र और रोजगार न मिलने की शिकायत की थी। इसके अतिरिक्त, प्रतिबंधित की गयी टी पी, टेक्नोपैक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित सभी शिकायतें जिला रोजगार अधिकारी ने, इस योजना के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी, यू के एस डी एम के ध्यान में लाए बिना स्वयं ही निस्तारित कर दिया।

2.4.10 निष्कर्ष

पी एम के वी वाई 2.0 योजना बेरोजगार युवाओं और स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को कौशल/रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों अर्थात अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन और नियुक्ति में कई कमियां और प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव पाया। एक ओर, टी पी को अनुचित लाभ दिया गया, दूसरी ओर, अभ्यर्थियों को वित्तीय

[73] पत्र संख्या 241/यू एस डी सी/सी&सी आर सी/382 दिनांक 14 जून 2023 के माध्यम से।

सहायता से वंचित कर दिया गया जिसके वे पात्र थे। मिशन की कमजोर निगरानी के कारण, प्रशिक्षण प्रदाताओं ने फर्जी एम आई एस आँकड़े और नियुक्ति से संबंधित जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। मिशन ने टी पी और एस एस सी के दावों का सत्यापन नहीं किया, जबकि लेखापरीक्षा ने भौतिक सत्यापन में कई नियुक्तियाँ फर्जी पाई। अभ्यर्थियों की नियुक्ति में पाई गई गंभीर अनियमितताएँ भी इंगित करती है कि प्रशिक्षण प्रदाताओं का चयन किए जाने के दौरान मिशन द्वारा अपर्याप्त जांच की गई थी। इस प्रकार, उत्तराखण्ड में पी एम के वी वाई (सी एस एस एम) का कार्यान्वयन कई आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों और गंभीर अनियमितताओं से घिरा हुआ था।

2.4.11 अनुशंसाएं

राज्य सरकार निम्न पर विचार कर सकती है:

i. ***बेरोजगार युवाओं को कुशल प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन किए जाने एवं प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है;***

ii. ***चेकलिस्ट, निरीक्षण और आंतरिक लेखापरीक्षा, रिपोर्ट/रिटर्न की प्रणाली और इसकी समीक्षा को लागू करने की आवश्यकता है जिससे अनियमितताओं का पता लगाने में मदद मिलेगी;***

iii. ***सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं और एस एस सी द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण, प्रमाणन और नियुक्ति के दावों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उनकी जाँच की जानी चाहिए और फर्जी दावों के संबंध में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।***

पर्यटन विभाग

2.5 केंद्रीय योजनाओं 'प्रसाद' और 'स्वदेश दर्शन' के अंतर्गत अवसंरचना के विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.5.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में एक समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत है जो पर्यटन के विकास और रोजगार सृजन के लिए एक बड़ी संभावना प्रदान करती है। यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की अपार संभावना और आवश्यकता है। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में, चिन्हित तीर्थयात्रा

और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से "प्रसाद"[74] योजना तथा विषय-आधारित पर्यटक सर्किट[75] विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना (एस डी एस) नाम से दो प्रमुख योजनाएं प्रारंभ की। दोनों योजनाएं पूर्णरूप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित थीं।

2.5.2 संगठन एवं लेखापरीक्षा क्षेत्र

पर्यटन विभाग का सचिव, पर्यटन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। विभाग अपनी नीतियों को वैधानिक बोर्ड अर्थात उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (यू टी डी बी) के माध्यम से क्रियान्वित करता है। विभाग का सचिव यू टी डी बी के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी होते हैं। विभाग, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सृजित की गई परिसंपत्तियों को कुमाऊं मंडल विकास निगम (के एम वी एन), गढ़वाल मंडल विकास निगम (जी एम वी एन) एवं सरकारी निजी कंपनी भागीदारी (पी पी पी) मोड पर निजी सस्थाओं, जैसा भी प्रकरण हो, को हस्तांतरित करता है। विभाग ने योजनाओ का कार्यान्वयन/निर्माण विभिन्न संस्थाओं जैसे के एम वी एन, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यू पी आर एन एन), नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रकशन कॉर्पोरेशन (एन पी सी सी) द्वारा कराया।

केंद्रीय योजनाओं 'प्रसाद' एवं एस डी एस के अंतर्गत अवसंरचना के विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मई 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान निष्पादित की गई। एस डी एस के अंतर्गत 'हेरिटेज सर्किट' एवं 'प्रसाद' के अंतर्गत 'केदारनाथ का एकीकृत विकास' और 'बद्रीनाथ का एकीकृत विकास' योजनाओं को जाँच हेतु चयनित किया गया था। यू टी डी बी, यू पी आर एन एन, के एम वी एन एवं एन पी सी सी, के अभिलेखों की जाँच की गई। संबंधित जिलों के जिला पर्यटन विकास अधिकारियों से भी सूचना एकत्र की गई। उक्त के अतिरिक्त, योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित अवसंरचनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया।

---

[74] तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन।

[75] पर्यटक सर्किट को ऐसे मार्ग के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर कम से कम तीन प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित हो जो पृथक-पृथक व दूर-दूर हों। सर्किट में प्रवेश एवं निकास बिंदु सुपरिभाषित होने चाहिए जिससे कि सर्किट में प्रवेश करने वाला पर्यटक सर्किट पर चिन्हित अधिकांश स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित हो।

2.5.3 योजनाओं की स्थिति

योजनाओं का विवरण एवं स्थिति नीचे **तालिका-2.5.1** में दी गई है:-

तालिका-2.5.1: योजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	स्वीकृत[76] लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय	कार्य की संख्या		स्थिति
				स्वीकृत[77]	क्रियान्वित	
हेरिटेज सर्किट (एस डी एस)	76.32	67.62	68.91	68	67	पूर्ण
केदारनाथ ('प्रसाद')	34.77	34.77	34.77	71	63[78]	पूर्ण
बद्रीनाथ ('प्रसाद') चरण[79]	20.31	20.79	12.49	12	12	प्रगति में
योग	***131.40***	***123.18***	***116.17***	***151***	***142***	

स्रोतः यू टी डी बी।

2.5.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

केंद्रीय योजनाओं 'प्रसाद' एवं एस डी एस के अंतर्गत अवसंरचना के विकास पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी कि क्या:

i. योजना के डिज़ाइन एवं उद्देश्यों के अनुसार घटकों की पहचान की गई, उन्हें प्राथमिकता दी गई एवं योजनाबद्ध किए गए;

ii. परियोजनाओं को कुशल, प्रभावी एवं समन्वित तरीके से निष्पादित किया गया, ताकि बुनियादी ढांचे से एकीकृत विकास प्राप्त किया जा सके; एवं

iii. विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत विकसित सुविधाओं के संचालन व रख-रखाव के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित की गई थी।

2.5.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड के मुख्य स्रोत थे:

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देश/निर्देश/परिपत्र;
- राज्य सरकार/कार्यान्वयन संस्था द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र;
- स्वीकृति की शर्तें;
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/लोक निर्माण विभाग निर्माण मैनुअल;
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (समय-समय पर संशोधित) और
- वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड VI, उत्तराखण्ड सरकार।

---

76 योजनाओं की पुनरीक्षित स्वीकृत लागत।

77 मूल स्वीकृत के अनुसार।

78 71 घटकों में से नौ घटक हटाये गए एवं एक नया घटक परियोजना में जोड़ा गया।

79 राज्य सरकार (रा स) ने बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिलटाउन के रूप में विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया एवं विकास योजना को दो चरणों में प्रस्तावित किया। तदनुसार, मूल स्वीकृति को मार्च 2022 में दो चरणों में संशोधित किया गया था। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में पुनरीक्षित स्वीकृति का पहला चरण आच्छादित है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.5.6 योजना

लेखापरीक्षा ने पाया कि नियोजन स्तर पर कई कमियाँ थी जिनकी चर्चा नीचे की गई है:-

2.5.6.1 स्थल चयन/ भूमि संबंधी प्रकरण

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन संस्था को यह सुनिश्चित करना था कि परियोजना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि सभी बाधाओं से मुक्त हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भूमि की अनुपलब्धता एवं कार्य स्थल की उपलब्धता से संबंधित अन्य प्रकरणों, निर्दिष्ट प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन ओ सी), आदि के कारण ₹ 50.33 करोड़ लागत के हेरिटेज सर्किट के 68 घटकों में से 10 घटक एवं केदारनाथ परियोजना के 71 घटकों में से 22 घटक या तो हटा दिए गए या उनके स्थान/ दायरे बदल दिये गए ***(परिशिष्ट-2.5.1)***। संक्षेप में स्थिति नीचे **तालिका-2.5.2** में दी गई है:

तालिका-2.5.2: हटाये गए या स्थल/दायरे परिवर्तन किए गए घटकों का संक्षिप्त विवरण

(₹ लाख में)

योजना का नाम	विवरण	घटकों की संख्या	लागत
हेरिटेज सर्किट	हटाये गए	1	267.74
	स्थान में परिवर्तन	3	1,461.29
	दायरे में परिवर्तन	6	932.69
योग		***10***	***2,661.72***
केदारनाथ परियोजना	हटाये गए	9	69.07
	स्थान में परिवर्तन	10	1,368.24
	दायरे में परिवर्तन	3	933.76
योग		***22***	***2,371.07***
महायोग		***32***	***5,032.79***

स्रोत: विभाग के अभिलेखों से निकाला गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि विस्तृत आगणन प्रस्तुत करते समय सरकारी भूमि उपलब्ध थी लेकिन क्रियान्वयन के समय, भूमि की उपलब्धता के संबंध में विवाद थे। शासन का उत्तर स्वतः पुष्टि करता है कि परियोजना की परिकल्पना/ विस्तृत आगणन को अंतिम रूप देते समय उचित सावधानी सुनिश्चित नहीं की गई एवं परियोजना अधिकारियों द्वारा विवाद मुक्त भूमि की उपलब्धता के संबंध में संदेहयुक्त घोषणा प्रस्तुत की गई।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि हेरिटेज सर्किट के पांच घटकों पर किया गया व्यय (₹ 3.94 करोड़) गलत स्थल चयन के कारण अलाभकारी रहा। अतः जिस उद्देश्य से

इनका निर्माण किया गया था वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, जैसा कि नीचे **तालिका-2.5.3** में वर्णित है:

तालिका-2.5.3: गलत स्थल चयन

(₹ लाख में)

घटक के नाम	लागत	अलाभकारी रहने के कारण	विभाग का उत्तर	प्रतिउत्तर
बैजनाथ में विश्राम आश्रय	21.93	पर्यटक आवास गृह (प आ गृ), बैजनाथ के परिसर में निर्मित होने के कारण केवल प आ गृ के अतिथियों की जरूरतों को पूरा करेगा।	शासन ने कहा कि उक्त सुविधा जनता सहित सभी को बैजनाथ मंदिर का निर्बाध दृश्य प्रदान करती है।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कई आगंतुक जो प आ गृ के अतिथि नहीं हों, उक्त सुविधा का उपयोग करने में संकोच करेंगे।
देविधुरा में प्रवेश द्वार	13.99	बग्वाल मेला मैदान की ओर जाने वाली किसी भी सड़क पर प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं किया गया था।	शासन ने कहा कि उस स्थान पर एक प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है जहां से तीर्थयात्री पैदल चलकर मंदिर परिसर में आते हैं।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाहरी व्यक्ति/गैर स्थानीय निवासी मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं।
इको लॉग हट बैजनाथ के समीप व्यूप्वाइंट	13.42	व्यूप्वाइंट को इको लॉग हट के स्तर से नीचे बनाया गया है जो इसे एक व्यूप्वाइंट से अधिक बैठने की जगह बनाता है। इसके अतिरिक्त यह केवल प आ गृ अतिथियों की जरूरतों को पूरा कर सकता था।	शासन ने कहा कि निचले स्तर पर व्यूप्वाइंट का निर्माण जरूरी है क्योंकि वहां से हिमालय की पूरी श्रृंखला दिखाई देती है।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इको लॉग हट से ही हिमालय श्रृंखला का बेहतर दृश्य उपलब्ध है जो थोड़ी अधिक ऊंचाई पर है।
कटारमल में इको लॉग हट्स एवं प्रशासनिक ब्लॉक	322.66	*एक अव्यावहारिक स्थल पर निर्मित किया गया है जिसका विवरण नीचे **केस स्टडी-1** में दिया गया है।*		
बैजनाथ में प्रवेश द्वार	22.10	*प्रवेश द्वार मंदिर से लगभग 5 किमी की दूरी पर निर्मित किया गया है जिसका विवरण नीचे **केस स्टडी-2** में दिया गया है*		

<u>केस स्टडी 1- कटारमल में ₹ 3.23 करोड़ का अलाभकारी व्यय</u>

हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत ₹ 3.23 करोड़ की लागत से कटारमल सूर्य मंदिर के पास एक इको-लॉग हट एवं प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण किया गया।

स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अगस्त 2022) के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि निर्माण (अप्रैल 2020) के बाद से अवसंरचना बेकार एवं निष्क्रिय पड़ी

हुई थी एवं इसमें बिस्तर, फर्नीचर, रसोई, भोजन-कक्ष आदि का कोई साज-सामान नहीं था। प्रसंगवश पर्यटन विभाग का एक प आ गृ उसी स्थान पर (इको-लॉग हट के बगल में) 2005 से ही मौजूद था एवं पिछले 16 वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ा हुआ था। इस प्रकार, गलत स्थल चयन के कारण, कटारमल में इको लॉग हट के निर्माण पर किया गया व्यय (₹ 3.23 करोड़) अलाभकारी रहा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि चूंकि कटारमल मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और इसी के कारण स्वदेश दर्शन के अंतर्गत सुविधाएं बनाई गई हैं, इसलिए व्यय लाभदायक है। इसके अतिरिक्त वहां पर्यटन विभाग की भूमि भी उपलब्ध थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नवनिर्मित अवसंरचना (इको लॉग हट) एवं पहले निर्मित अवसंरचना (प आ गृ) निर्माण से ही निष्प्रयोज्य पड़ी थी।

<u>केस स्टडी-2: बैजनाथ प्रवेश द्वार</u>

हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत बैजनाथ में ₹ 22.10 लाख की लागत से प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाना था। तथापि, उक्त द्वार का निर्माण स्थल से लगभग पाँच किलोमीटर पहले किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि यद्यपि, आगणन प्रस्तुत करते समय सरकारी भूमि उपलब्ध थी, लेकिन भूमि की क्लीयरेंस से संबंधित विवाद के कारण मूलस्थल पर द्वार का निर्माण नहीं किया जा सका।

कौसानी मार्ग

2.5.6.2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विलम्ब

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजनाएं ऐसी भूमि पर प्रस्तावित की जानी चाहिए जो सभी दायित्वों से मुक्त हो एवं उसके लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां यथासमय प्राप्त की जा जाएँ, ताकि प्रस्तावित परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

हेरिटेज सर्किट के चार[80] चयनित स्थलों में से तीन[81] संरक्षित स्मारकों के आसपास थे, जिन्हें निष्पादन से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) से एन ओ सी प्राप्त किये जाने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ए एस आई से एन ओ सी[82] प्राप्त करने में देरी के कारण हेरिटेज सर्किट के कार्य की स्वीकृति आदेश में निर्धारित समय सीमा से विलंब से पूर्ण हुये। इसके अतिरिक्त, विभाग को जागेश्वर में ₹ 1.09 करोड़ के लागत के कार्य के प्रस्तावित दायरे को कम करने के लिए[83] विवश होना पड़ा ***(परिशिष्ट-2.5.2)***। इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि एस डी एस के अंतर्गत प्रस्ताव आवश्यक क्लीयरेंस सुनिश्चित किए बिना प्रस्तुत किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों[84] को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि भविष्य में यह त्रुटि दोहराई नहीं जाएगी।

2.5.6.3 उचित स्थल सर्वेक्षण की कमी के कारण लागत में वृद्धि

"बद्रीनाथ का एकीकृत विकास" परियोजना से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि स्थल की वास्तविक परिस्थितियों के कारण परियोजना/आगणन की स्वीकृति के पश्चात आरेखण को पुनरीक्षित (मार्च 2019) किया गया था। आरेखण में संशोधन के कारण सामग्री की मात्रा में वृद्धि हुई एवं दो घटकों 'पार्किंग' व 'क्यू कॉम्प्लेक्स के

---

80 बैजनाथ, कटारमल, देविधुरा एवं जागेश्वर।

81 बैजनाथ, कटारमल एवं जागेश्वर।

82 बैजनाथ के लिए अक्टूबर 2017 में, कटारमल के लिए जुलाई 2018 में एवं जागेश्वर के लिए अगस्त 2018 में।

83 ए एस आई द्वारा आपत्तियाँ किए जाने के बाद।

84 उत्तर में कहा कि यदि विस्तृत आगणन प्रेषित करते समय ही एन ओ सी प्राप्त कर ली गई होती तो प्रस्तावित कार्यों में कटौती नहीं होती।

साथ तीर्थयात्रा सुविधा केन्द्र'[85] की लागत में ₹ 8.44 करोड़ की वृद्धि हुई, जैसा कि **तालिका-2.5.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5.4: लागत वृद्धि का विवरण

(₹ लाख में)

घटक के नाम	विवरण	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	लागत में परिवर्तन	लागत में वृद्धि *प्रतिशत में*
क्यू कॉम्प्लेक्स के साथ तीर्थयात्रा सुविधा केन्द्र'	बी ओ क्यू के अनुसार द्वितीय निम्न भूतल की लागत	215.07	648.13	433.06	*200*
	बी ओ क्यू के अनुसार प्रथम निम्न भूतल की लागत	192.74	331.26	138.52	*71*
	योग (अ)	***407.81***	***979.39***	***571.58***	***140***
पार्किंग	बी ओ क्यू के अनुसार निम्न भूतल की लागत	268.39	536.76	268.37	*100*
	बी ओ क्यू के अनुसार भूतल की लागत	29.04	32.97	3.93	*13*
	योग (ब)	***297.43***	***569.73***	***272.3***	***92***
योग (अ + ब)		***705.24***	***1,549.12***	***843.88***	***120***

(स्रोत: एन पी सी सी एवं यू टी डी बी के अभिलेखों से निष्कर्षित)।

इस प्रकार, उक्त परियोजना का आगणन बिना उचित स्थलीय सर्वेक्षण के तैयार किया गया था। राज्य सरकार ने अवगत कराया कि सलाहकार द्वारा स्थल के सर्वेक्षण के बाद आगणन तैयार किया गया था, लेकिन बाद में अन्य तथ्यों (अत्यधिक बर्फवारी आदि) के संज्ञान में आने के बाद आरेखण में संशोधन किया गया। शासन का उत्तर स्वतः लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने से पहले उचित स्थलीय सर्वेक्षण (कार्यस्थल की टोपोलोजी एवं भारी बर्फवारी की स्थिति सहित) नहीं किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप आरेखण पुनरीक्षित हुआ एव कार्य की लागत 70 से 200 *प्रतिशत* तक बढ़कर ₹ 6.40 करोड़ का व्यय आंशिक अलाभकारी रहा, जैसा कि केस स्टडी-3 में वर्णित है।

[85] भीड़ प्रबंधन, जैसे दर्शन के लिए एक तरफा प्रवेश प्रणाली के साथ आभासी कतार प्रणाली एवं गतिशील भीड़ प्रबंधन, के लिए एक भवन (स्वीकृति में क्यू परिसर के साथ तीर्थयात्रा सुविधा केन्द्र के रूप से नामित) प्रस्तावित किया गया था। इस भवन को दर्शन के लिए लंबे समय तक खड़े रहने वाली कतारों से बचने के लिए भी प्रस्तावित किया गया था।

***केस स्टडी-3:* बद्रीनाथ में क्यू कॉम्प्लेक्स के साथ तीर्थयात्रा सुविधा केन्द्र**

बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ₹ 10.90 करोड़ लागत के 'क्यू कॉम्प्लेक्स के साथ तीर्थयात्रा सुविधा केन्द्र' की स्वीकृति पर्यटन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 में प्रदान की गई थी। सलाहकार द्वारा तैयार आगणन एवं ड्राइंग के अनुसार, 4,865 वर्गमीटर की चार मंजिला इमारत का निर्माण किया जाना था। तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए स्वीकृत आगणन में भोजन-कक्ष, रसोईघर, प्रतीक्षालय, सहायता केन्द्र, नियत प्रतीक्षा कुर्सियां, अमानती सामानघर, लिफ्ट, सौर फोटो वोल्टाइक बिजली उत्पादन प्रणाली, सौर जल तापन प्रणाली, डिजिटल जनरेटर सेट, टोकन कतार क्षेत्र आदि के प्रावधान शामिल किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सलाहकार द्वारा आरेखण में संशोधन के कारण, कॉम्प्लेक्स के निर्माण की लागत में 70-200 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं लागत वृद्धि को रोकने के लिए, संशोधित आगणन (₹ 10.16 करोड़) मात्र दो मंजिलों के लिए तैयार किया गया एवं उक्त सभी तीर्थयात्री सुविधाओं को सम्मिलित नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल 2,343 वर्ग मीटर के स्थान पर 3,712.57 वर्गमीटर के गलत विवरण प्रदान करके पर्यटन मंत्रालय से संशोधित अनुमानों की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।

मार्च 2023 तक ₹ 6.40 करोड़ का व्यय किया जा चुका था एवं अवसंरचना अभी भी निर्माणाधीन है समुचित स्थान एवं तीर्थयात्रा की सुविधाओं के अभाव में, उक्त भवन का उपयोग 'तीर्थयात्रा सुविधा केन्द्र' के रूप में नहीं किया जा सकेगा, जिससे ₹ 6.40 करोड़ का व्यय आंशिक रूप से अलाभकारी रहा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति 2,343 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए थी, जबकि 3,712.57 वर्ग मीटर क्षेत्र गलती से उल्लेख हो गया था। तीर्थयात्रा की सुविधाओं को हटाने के संबंध में बताया गया कि बद्रीनाथ परियोजना के दूसरे चरण में प्रस्तावित पर्यटक प्रबंधन केन्द्र के अंतर्गत तीर्थयात्रा सुविधा केन्द्र बनाया जाएगा। इसलिए, सुविधाओं को इस इमारत से हटा दिया गया था। इमारत का उपयोग करने के उद्देश्य/योजना के बारे में पूछे जाने पर, यह कहा गया कि इमारत का उपयोग क्यू कॉम्प्लेक्स एवं सुविधा केन्द्र के रूप में नहीं किया जाएगा। आगे कहा गया कि इसके उपयोग के लिए एक योजना बनाई गई है। हालांकि, इस तथ्य की पुष्टि के लिए लेखापरीक्षा के साथ ऐसी कोई योजना साझा नहीं की गई।

2.5.6.4 संचालन एवं प्रबंधन योजनाओं में कमी

पर्यटन मंत्रालय को प्रस्ताव/परियोजना भेजते समय स्वदेश दर्शन/ 'प्रसाद' योजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए की गई व्यवस्थाओं का विवरण ओ&एम योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाना था। ओ&एम योजना के अनुसार, योजना के अंतर्गत चिन्हित की गई/विकसित परियोजनाओं के सतत ओ&एम के लिए राज्य जिम्मेदार होंगे एवं इसके लिए सार्वजनिक/ निजी सस्थाओं के साथ आवश्यक व्यवस्था/ समझौते करेंगे। इस ओ&एम योजना के आधार पर पर्यटन मंत्रालय को परियोजनाओं की स्वीकृति देनी थी।

<u>केस स्टडी-4</u>

बैजनाथ में लाइट एंड साउंड शो

यू टी डी बी द्वारा ₹ 6.19 करोड़ की लागत का एक घटक "लाइट एंड साउंड शो" बैजनाथ में प्रस्तावित किया गया एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितम्बर 2016 में स्वीकृत किया गया था। हालांकि, स्वीकृति के 20 माह बाद, यू टी डी बी ने इसके सफल संचालन में संदेह एवं गैर-रख-रखाव की संभावना का हवाला देते हुए घटक को हटाने का पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध किया। यह बिना सम्यक प्रयासों के घटकों को प्रस्तावित करने के विभाग के लचर रवैये को दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि कार्यान्वयन के समय यह विचार किया गया था कि इसके संचालन एवं रख-रखाव में समस्याएं होंगी। इसलिए, घटक को हटा दिया गया था। इस प्रकार, उत्तर स्वतः लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग की ओ&एम योजना में कमी थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

(अ) केदारनाथ परियोजना के लिए कोई ओ&एम योजना प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

(ब) एक घटक को ओ&एम में कठिनाई का हवाला देते हुए हटा दिया गया था ***(केस स्टडी-4** में संदर्भित)*

(स) हेरिटेज सर्किट, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ परियोजना के अंतर्गत निर्मित लगभग सभी प्रमुख घटक निर्माण के उपरान्त 30 से 64 माह तक निष्क्रिय रहे। कुछ प्रकरणों की चर्चा आगे के ***प्रस्तर 2.5.6.5*** में भी की गई है।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी के उत्तर में राज्य सरकार ने अवगत कराया कि ओ&एम के लिए परिसंपत्तियों को सौंपने की प्रक्रिया गतिमान है।

2.5.6.5 सृजित परिसंपत्तियों का उपयोग

किसी योजना के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों का संचालन एवं रख-रखाव उचित रूप से किया जाना चाहिए जिससे कि अभिप्रेत उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि गलत स्थल चयन एवं उचित ओ&एम के अभाव के कारण, हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत ₹ 14.41 करोड़ की लागत के 16 घटक एवं 'प्रसाद' के अंतर्गत केदारनाथ परियोजना के ₹ 8.94 करोड़ की लागत के दस घटक पूर्ण होने के उपरांत अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उपयोग में नहीं थे। हेरिटेज सर्किट एवं केदारनाथ व बद्रीनाथ परियोजनाओं के अंतर्गत निष्क्रिय रहे घटकों का घटक-वार ब्यौरा, **तालिका-2.5.5** और **2.5.6** में दिया गया हैं।

तालिका-2.5.5: हेरिटेज सर्किट के अनुपयोगी एवं निष्क्रिय घटकों का विवरण

(₹ लाख में)

योजना	स्थल	घटक के नाम	व्यय	पूर्ण होने का माह	जुलाई 2023 तक निष्क्रिय रहने की अवधि (माह में)
एस डी एस के अंतर्गत हेरिटेज सर्किट	जागेश्वर	मार्गीय सुविधा	131.03	अक्तूबर 2019	45
		डाण्डेश्वर में पार्किंग	127.90	जुलाई 2019	48
		कैफ़े	39.34	अप्रैल 2020	39
		शौचालय	61.14	दिसम्बर 2018	55
	कटारमल	ओपेन एयर थियेटर	33.84	अप्रैल 2018	63
		सूचना केन्द्र	175.23	नवम्बर 2019	44
		शौचालय	24.34	अप्रैल 2020	39
	बैजनाथ	ध्यान केन्द्र व कला दीर्घा	123.70	जून 2020	37
		घाट (110 मीटर)	165.00	नवम्बर 2019	44
		सूचना केन्द्र	92.03	जून 2020	37
	देविधुरा	एम्पीथियेटर	72.99	फरवरी 2020	41
	पाँच घटकों का गलत स्थल चयन		394.10	***तालिका 2.5.3 में वर्णित***	
एस डी एस का योग		***16 घटक***	***1,440.64***		

स्रोत: संयुक्त भौतिक निरीक्षण पर आधारित।

तालिका-2.5.6: 'प्रसाद' योजना के अनुपयोगी एवं निष्क्रिय घटकों का विवरण

(₹ लाख में)

योजना का नाम	स्थल	घटक के नाम	व्यय	पूर्ण होने का माह	जुलाई 2023 तक निष्क्रिय रहने की अवधि (माह में)
केदारनाथ परियोजना	अगस्त्यमुनि	सोवेनियर शॉप	76.79	मार्च 2019	52
		सूचना केन्द्र	11.45	मार्च 2019	52
		शौचालय ब्लॉक	12.56	मार्च 2018	64
	रुद्रप्रयाग	जिम कॉर्बेट मेमोरियल	90.45	जनवरी 2021	30
		सूचना केन्द्र	194.26	मार्च 2018	64
		हार्डवेयर कॉम्पोनेंट	255.00	मार्च 2019	52
	गुप्तकाशी	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	67.54	सितम्बर 2018	58
	उखीमठ	सूचना केन्द्र	14.80	जुलाई 2019	48
बद्रीनाथ परियोजना	बद्रीनाथ	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	147.50	अक्तूबर 2020	33
		पवित्र अपशिष्ट प्रबंधन	24.00	अक्तूबर 2020	33
'प्रसाद' में कुल		***10 घटक***	***894.35***		

(स्रोत: संयुक्त भौतिक निरीक्षण पर आधारित)।

विभाग ने बताया (अगस्त 2023) कि निर्मित अवसंरचनाओं को संचालित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग के उत्तर से यह स्पष्ट है कि अवसंरचनाएं 30 से 64 माह तक अनुपयोगी रहीं। उपरोक्त **तालिका 2.5.6** में उल्लेखित कुछ घटकों की कमियाँ आगे प्रस्तरों में वर्णित हैं।

2.5.6.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹ 2.39 करोड़ के व्यय से सृजित परिसंपत्तियों का अप्रयुक्त रहना

'प्रसाद' योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दो घटकों, एक बद्रीनाथ में (₹ 147.50 लाख लागत का बद्रीनाथ परियोजना के अंतर्गत) व दूसरा गुप्तकाशी में (₹ 86.12 लाख लागत का केदारनाथ परियोजना के अंतर्गत), की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, बद्रीनाथ के लिए एक पवित्र अपशिष्ट प्रबंधन घटक (₹ 24.00 लाख) भी स्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बद्रीनाथ के दोनों घटक व गुप्तकाशी के लिए स्वीकृत घटक का एक बड़ा भाग निष्क्रिय था। केस स्टडी- 5 में इसकी चर्चा की गई है।

केस स्टडी 5

₹ 2.39 करोड़ लागत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिसंपत्तियां का अनुपयोगी रहना

'प्रसाद' योजना के अंतर्गत गुप्तकाशी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत चार वाहन[86] क्रय किए गए (सितम्बर 2018)। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अक्टूबर 2022) के दौरान, वाहन ऊखीमठ पार्किंग में बिना किसी पंजीकरण संख्या के अनुपयोगी पड़े पाए गए। वाहनों के पहियों के नट बोल्ट पर जंग पाया गया जो कि यह दर्शाता है कि वाहन लंबे समय से असंचालित थे। इन वाहनों के साथ क्रय किए गए तीन डंपर प्लेसर कंटेनर भी अनुपयोगी पड़े थे। इसके अतिरिक्त, इस घटक के अंतर्गत क्रय किए गए स्टैंड वाले 50 स्टील के कूड़ेदान चार वर्ष से अधिक समय से भण्डार में अप्रयुक्त पड़े थे। इस प्रकार, उपरोक्त वस्तुओं के क्रय पर किया गया ₹ 67.54 लाख[87] का व्यय अलाभकारी रहा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत क्रय किए गए वाहन

भण्डार में अनुपयोगी पड़े हुये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत क्रय किए गए स्टील कूड़ेदान

इसी प्रकार, 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत बद्रीनाथ में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं पवित्र अपशिष्ट प्रबंधन घटकों के अंतर्गत, अक्टूबर 2020 में ठोस अपशिष्ट मशीन (₹ 147.50 लाख) एवं पवित्र अपशिष्ट मशीन (₹ 24.00 लाख) का क्रय किया गया। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितम्बर 2022) में यह पाया गया कि क्रय के पश्चात से कोई भी मशीन चालू नहीं थी। इस प्रकार, ₹ 171.50 लाख की मशीनें पिछले दो वर्षों से अनुप्रयोगी पड़ी थी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत क्रय की गई पवित्र अपशिष्ट मशीन

---

86 जेट सफाई वाहन, सीवर सक्शन वाहन, हाइड्रो कचरा वाहन एवं जे सी बी लोडर।

87 ₹ 59.23 लाख लागत के चार वाहन, ₹ 3.75 लाख लागत के तीन डंपर प्लेसर कंटेनर एवं ₹ 4.56 लाख लागत के स्टील के 50 कूड़ेदान।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि 'बद्रीनाथ के एकीकृत विकास' के ठोस अपशिष्ट एवं पवित्र अपशिष्ट प्रबंधन घटकों का परीक्षण किया जा चुका है और इसे हस्तानान्तरित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार, केदारनाथ के एकीकृत विकास के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक को क्रमशः जून 2018 व अक्टूबर 2018 में संचालन एवं रख-रखाव के लिए जिला पंचायत, रुद्रप्रयाग व नगर पंचायत, उखीमठ को हस्तानान्तरित कर दिया गया था।

यद्यपि बद्रीनाथ की उपर्युक्त परिसंपत्तियां संचालन के लिए न सौंपे जाने के कारण पिछले दो वर्षों से अनुप्रयोगी पड़ी थीं, जबकि केदारनाथ की परिसंपत्तियां अक्टूबर 2022 में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान उपयोगकर्ता संगठनों को सौंपे जाने के चार वर्ष बाद भी अप्रयुक्त पड़ी पाई गईं।

2.5.6.7 निर्मित परिसंपत्तियों के हस्तानान्तरण में विलंब

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यदायी संस्थाओ के अनुरोधों के बावजूद भी यू टी डी बी, जनवरी 2019 एवं उसके बाद पूर्ण हुयी परिसंपत्तियों **(तालिका- 2.5.5** और **2.5.6)** का हस्तानान्तरण लेने में विफल रहा एवं परिसंपत्तियाँ असंचालित रही। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, उपयोग के अभाव में कई परिसंपत्तियों में टूट-फूट पायी गई। अंततः, हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत जागेश्वर, कटारमल एवं बैजनाथ में सृजित परिसंपत्तियों को सितम्बर 2022 में के एम वी एन को हस्तानान्तरित किया गया एवं देवीधुरा में सृजित परिसंपत्तियों को जुलाई 2022 में माँ बाराही देवी मंदिर समिति को हस्तानान्तरित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि देवीधुरा की परिसंपत्ति का हस्तानान्तरण, ओ&एम एवं राजस्व साझाकरण व्यवस्था के नियम व शर्तों के बिना किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि सृजित परिसंपत्तियों के संचालन में निजी संस्थाओं की रुचि की कमी के कारण, बैजनाथ, जागेश्वर एवं कटारमल में निर्मित परिसंपत्तियों को संचालन के लिए के एम वी एन को हस्तानान्तरित करने का निर्णय लिया गया। विभाग ने अपने अद्यतन उत्तर (अगस्त 2023) में बताया कि के एम वी एन ने भी कटारमल की परिसंपत्तियों को संचालित करने में असमर्थता व्यक्त की है। अत: कटारमल एवं अन्य असंचालित संपत्तियों को जिला पर्यटन विकास समितियों के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव प्रगति पर है। उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि विभाग ने निर्मित परिसंपत्तियों को अपने अधीन लेने में विलम्ब किया।

2.5.6.8 असंचालित मूलभूत सुविधाएं

'प्रसाद' एवं हेरिटेज सर्किट (एस डी एस) का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे सूचना केन्द्र, शौचालय आदि सहित बुनियादी ढांचों का विकास करना था। इसके अतिरिक्त, ओ&एम योजना/प्रतिबद्धता के अनुसार, राज्य सरकार उनके सतत ओ&एम के लिए उत्तरदायी थी ***(संदर्भित प्रस्तर-2.5.6.4)*।**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अधिकांश शौचालय, सूचना केन्द्र एवं इमारतें जैसा कि नीचे वर्णित है, या तो ओ&एम योजना की कमी या अप्रभावी योजना के कारण असंचालित थे।

i. पर्यटकों को स्थल-विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना केन्द्रों की आवश्यकता होती है। हेरिटेज सर्किट एवं केदारनाथ परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर ₹ 4.88 करोड़ की लागत से पाँच सूचना केन्द्रों का निर्माण किया गया। तथापि, संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अगस्त व अक्टूबर 2022) के दौरान, सभी सूचना केन्द्र असंचालित एवं बंद पाए गए, जिनका विवरण नीचे **तालिका-2.5.7** में दिया गया है:

तालिका-2.5.7: असंचालित सूचना केन्द्रों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्थल	लागत	माह में पूर्ण हुये	जुलाई 2023 तक निष्क्रिय रहने की अवधि (माह में)	सूचना केन्द्र के संचालन के संबंध में शासन का उत्तर	संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया
हेरिटेज सर्किट						
1	कटारमल	175.23	नवम्बर 2019	44	के एम वी एन द्वारा संचालित किये जा रहे है	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान सभी सूचना केन्द्र असंचालित पाये गए
2	बैजनाथ	92.03	जून 2020	37		
योग		***267.26***				
केदारनाथ परियोजना						
1	अगस्त्यमुनि	11.45	मार्च 2019	52	जी एम वी एन को हस्तानान्तरित किया	
2	उखीमठ	14.80	जुलाई 2019	48	नगर पंचायत, उखीमठ को हस्तानान्तरित किया	
3	रुद्रप्रयाग	194.26	मार्च 2018	64	उद्योग विभाग को हस्तानान्तरित किया	
योग		***220.51***				
महायोग		***487.77***				

स्रोत: संयुक्त भौतिक निरीक्षण पर आधारित।

ii. स्वच्छ, सुलभ एवं क्रियाशील शौचालय, विशेष रूप से महिला पर्यटकों के लिए एक बुनियादी सुविधा प्रदान करते है। संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अगस्त एवं अक्टूबर 2022) में पाया गया कि हेरिटेज सर्किट एवं केदारनाथ परियोजना के अंतर्गत निर्मित ग्यारह शौचालय ब्लॉकों में से मात्र चार[88] ही संचालित थे। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा दी गई अद्यतन सूचना के अनुसार, सात असंचालित शौचालय ब्लॉकों में से चार अभी भी असंचालित थे जिनका विवरण नीचे **तालिका-2.5.8** में दिया गया है:

तालिका-2.5.8: असंचालित शौचालयों का विवरण

क्र सं	स्थल	शौचालय ब्लॉको की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण होने का माह	जुलाई 2023 तक निष्क्रिय रहने की अवधि (माह में)
हेरिटेज सर्किट					
1	जागेश्वर	2	61.14	दिसम्बर 2018	51
2	कटारमल	1	24.34	अप्रैल 2020	34
योग		***3***	***85.48***		
केदारनाथ परियोजना					
3	अगस्त्यमुनि	1	12.56	मार्च 2018	64
योग		***1***	***12.56***		
महायोग		***4***	***98.04***		

स्रोत: संयुक्त भौतिक निरीक्षण पर आधारित।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने अवगत कराया कि जागेश्वर में पार्किंग के पास निर्मित शौचालय ब्लॉक एवं कटारमल में शौचालय ब्लॉक का ओ&एम जिला पर्यटन विकास समिति के माध्यम से किए जाने की कार्यवाही प्रगति में है। अगस्त्यमुनि में निर्मित शौचालय का ओ&एम, पार्किंग के साथ किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, शौचालय ब्लॉक असंचालित/ अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जा रहे थे जैसा कि नीचे दिये गये चित्रों में दर्शाया गया है।

केदारनाथ परियोजना, अगस्त्यमुनि पुरुष शौचालय का उपयोग भंडारण के लिए किया जाना

केदारनाथ परियोजना, अगस्त्यमुनि महिला शौचालय का उपयोग रसोई के लिए किया जाना

[88] तीन शौचालय देविधुरा में एवं एक शौचालय जागेश्वर में।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विभाग ₹ 5.73 करोड़[89] की लागत से निर्मित अवसंरचना का उपयोग करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, अगस्तमुनि में निर्मित ₹ 0.13 करोड़ की लागत वाले शौचालयों का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था।

2.5.7 कार्यान्वयन

2.5.7.1 परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब

पर्यटन मंत्रालय के स्वीकृति आदेश के अनुसार सभी परियोजनाओं को, स्वीकृति/निधि जारी होने के 24 माह में, पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परीक्षण की गई परियोजनाओं में से कोई भी निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हुई थी। विवरण निम्न **तालिका-2.5.9** में दिया गया है।

तालिका-2.5.9: जुलाई 2023 तक परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	पूर्ण होने की तिथि		कुल विलम्ब (माह में)	विलम्ब के कारण
		निर्धारित	वास्तविक		
हेरिटेज सर्किट	26.09.2016	25.09.2018	19.11.2020	25	ए एस आई की आपत्तियाँ
केदारनाथ परियोजना	22.03.2016	21.03.2018	30.06.2021	39	भूमि की क्लियरेंस
बद्रीनाथ परियोजना	अप्रैल 2018	सितम्बर 2020 (धनराशि अवमुक्त होने से 24 माह)	निर्माणाधीन	34[90]	प्रतिकूल मौसम, भूमि वाद, इत्यादि

स्रोतः यू टी डी बी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि ए एस आई से एन ओ सी प्राप्त करने में देरी एवं भूमि संबंधी अन्य मुद्दों के कारण परियोजनाओं में विलम्ब हुआ।

2.5.7.2 नियमों का अनुपालन न किया जाना

वित्तीय नियमों के अनुसार कार्य[91] प्रारम्भ होने से पूर्व "तकनीकी स्वीकृति" (टी एस) प्राप्त की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008/2017 (संशोधित) के अनुसार ₹ 3.00 लाख/₹ 2.50 लाख से अधिक लागत के कार्य का आवंटन खुली निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जाना चाहिए।

[89] ₹ 4.88 करोड़ (सूचना केन्द्र) + ₹ 0.85 करोड़ (जागेश्वर एवं कटारमल के शौचालय)।

[90] जुलाई 2023 तक।

[91] वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर संख्या 318 के अनुसार।

इसके अतिरिक्त, 20 सितम्बर 2012 के शासनादेश के अनुसार, सरकारी विभागों के विभिन्न निर्माण कार्यों को कराने के लिए कार्यदायी संस्थाओ के साथ एक समझौता ज्ञापन एम ओ यू निष्पादित किया जाना था। उपरोक्त नियमों के अनुपालन की स्थिति **तालिका-2.5.10** में दी गई है।

तालिका-2.5.10: नियमों का अनुपालन

(₹ करोड़ में)

परीयोजना का नाम	कार्यदायी संस्था नाम	परियोजना की लागत	स्थिति		
			तकनीकी स्वीकृति	निविदा प्रक्रिया	समझौता ज्ञापन
हेरिटेज सर्किट	के एम वी एन	76.32	प्राप्त की गई	पालन किया गया	नहीं किया गया
केदारनाथ परियोजना	यू पी आर एन एन	34.77	प्राप्त नहीं की गई	पालन नहीं किया गया	नहीं किया गया
बद्रीनाथ परियोजना	एन पी सी सी	20.31	प्राप्त नहीं की गई	पालन किया गया	किया गया

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि यू पी आर एन एन एवं एन पी सी सी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, यू पी आर एन एन के द्वारा निविदाएं आमंत्रित नहीं की गयी एवं कार्य का निष्पादन कार्य आदेश के आधार पर किया। इसके अतिरिक्त, यू टी डी बी ने के एम वी एन एवं यू पी आर एन एन के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया था।

इंगित किए जाने पर, यू पी आर एन एन ने कहा कि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया गतिमान है, जबकि एन पी सी सी ने कोई उचित उत्तर नहीं दिया। निविदा प्रक्रिया के संबंध में, यू पी आर एन एन ने उत्तर दिया कि उन्होंने उत्तराखण्ड सरकार के दिनाँक 04 मार्च 2014 के आदेश के निर्देशों का पालन किया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य की बाहरी एजेंसियां अपने विभागीय नियमों का पालन करेंगी। यू पी आर एन एन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के अधिप्राप्ति नियम वैधानिक प्रकृति के थे एवं सरकारी आदेशों/ निर्देशों पर इसका अधिभावी प्रभाव था।

2.5.7.3 अर्जित ब्याज वापस न किया जाना - ₹ 2.33 करोड़

सामान्य वित्तीय नियम 2017 {नियम 230(8)} के अनुसार, अनुदान के विरुद्ध सभी ब्याज या अन्य आय अनिवार्य रूप से भारत सरकार के समेकित कोष में जमा की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना निधि (स्वदेश दर्शन और 'प्रसाद') पर ब्याज के रूप में ₹ 2.21 करोड़ की धनराशि (मार्च 2022 तक) अर्जित की गई, जो उक्त

योजनाओं के बैंक खातों में जमा की गई थी। अर्जित ब्याज ₹ 2.21 करोड़ में से केवल ₹ 1.15 करोड़ भारत सरकार की संचित निधि में जमा किए गए एवं शेष ₹ 1.06 करोड़ राज्य के राजकोष में जमा किए गए। इसके अतिरिक्त, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजना निधि पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 1.27 करोड़[92] की राशि उनके पास पड़ी हुई थी। इस प्रकार, भारत की संचित निधि में ब्याज की धनराशि (₹ 2.33 करोड़[93]) जमा न करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि राज्य के राजकोष में जमा ब्याज को भारत सरकार को वापस करने की प्रक्रिया गतिमान है एवं कार्यदायी संस्थाओं को अर्जित ब्याज को वापस करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2.5.7.4 अमान्य व्यय- ₹ 2.37 करोड़

योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि योजना निधि का उपयोग केवल योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि "हेरिटेज सर्किट” के क्रियान्वयन में ₹ 2.37 करोड़ का अमान्य व्यय किया गया था, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- के एम वी एन ने प आ गृ बैजनाथ एवं प आ गृ जागेश्वर के नवीनीकरण एवं उच्चीकरण पर योजना निधि के ₹ 1.01 करोड़ व्यय किए, जो स्वीकृति का हिस्सा नहीं थे।
- स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्यदायी संस्था के एम वी एन ने ₹ 1.36 करोड़ अपने कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किए।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि योजना को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए स्वीकृत धनराशि से प आ गृ बैजनाथ व जागेश्वर का नवीनीकरण एवं उच्चीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के वेतन के लिए कार्यदायी संस्था को सेंटेज शुल्क[94] प्रदान किया जाता है, लेकिन हेरिटेज सर्किट में, के एम वी एन को

---

[92] यू पी आर एन एन (केदारनाथ परियोजना की कार्यदायी संस्था) के पास ₹ 37.70 लाख एवं एन पी सी सी (बद्रीनाथ परियोजना की कार्यदायी संस्था) के पास ₹ 89.63 लाख।

[93] कुल अर्जित ब्याज ₹ 3.48 करोड़ (विभाग द्वारा ₹ 2.21 करोड़ एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ₹ 1.27 करोड़), इसमें से केवल ₹ 1.15 करोड़ भारत की समेकित निधि में प्रेषित किए गए।

[94] प्रावधानों के अनुसार, जब एक सरकारी विभाग किसी अन्य सरकारी विभाग का कार्य निष्पादित करता है तो उसे कार्य के निष्पादन के लिए पर्यवेक्षण, वास्तुकला एवं अन्य शुल्क के रूप में कुल परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान किया जाता है।

सेंटेज शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए इसे योजना के आकस्मिक निधि पर भारित किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सेंटेज शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था एवं योजना निधि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया जाना चाहिए था जिसके लिये इसे स्वीकृत किया गया हो।

2.5.7.5 ठेकेदार को ₹ 11.18 लाख का अनुचित लाभ

दरों की अनुसूची के अनुसार, प्लिंथ स्तर से नीचे एवं प्लिंथ स्तर से ऊपर आर सी सी कार्य की दर क्रमशः ₹ 6,230.20 प्रति घनमीटर एवं ₹ 7,074.30 प्रति घनमीटर थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि "हेरिटेज सर्किट" के अंतर्गत बैजनाथ में पार्किंग के लिए कार्यदायी संस्था के एम वी एन ने प्लिंथ स्तर से नीचे के 1,026.68 घनमीटर आर सी सी कार्यों के लिए ठेकेदार को ₹ 7,074.30 प्रति घनमीटर की उच्च दर पर भुगतान किया। इस प्रकार के एम वी एन द्वारा ठेकेदार को ₹ 11.18 लाख[95] का अनुचित लाभ दिया गया।

के एम वी एन ने अवगत कराया कि ₹ 11.18 लाख की धनराशि वसूल कर ली गई है परन्तु इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.5.7.6 निगरानी तंत्र में कमी

एस डी एस योजना के दिशानिर्देशों एवं दोनों योजनाओं के स्वीकृति आदेशों के अनुसार, राज्य को परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- राज्य स्तरीय निगरानी समिति ('प्रसाद' एवं एस डी एस दोनों के लिए) का गठन (अगस्त 2019) प्रथम परियोजना[96] की स्वीकृति के 46 माह बाद किया गया था। इसके अतिरिक्त, मार्च 2022 तक उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। इस प्रकार, राज्य स्तरीय निगरानी समिति अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकी।

---

95 ऊंचाई सूचकांक ₹ 2.42 लाख, लेबर सेस ₹ 0.11 लाख को जोड़ते हुये व छूट ₹ 0.02 लाख को घटाते हुये।

96 प्रसाद योजना के अंतर्गत केदारनाथ परियोजना।

- विभाग में पूंजीगत परिसंपत्तियों के उपयोग की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र की कमी के परिणामस्वरूप निर्माण के बाद परिसंपत्तियों का संचालन एवं रख-रखाव नहीं हो पाया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, यह बताया गया कि परिसंपत्तियों का संचालन पूरी तरह से उस संस्था का दायित्व है, जिसे परिसंपत्ति ओ&एम के लिए प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की निगरानी विभागीय बैठकों के माध्यम से की जा रही थी। यद्यपि, विभागीय बैठकों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार, निगरानी समिति के गठन में देरी, बैठकें न होना एवं निर्माण के बाद किसी भी निगरानी तंत्र का अभाव विभाग में एक प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी को दर्शाता है।

2.5.8 निष्कर्ष

परियोजनाओं के नियोजन में कई कमियां देखी गईं। डी पी आर/ प्रस्ताव उचित विचार-विमर्श जैसे, स्थल सर्वेक्षण के बाद, बाधा मुक्त भूमि सुनिश्चित करने एवं संबंधित संस्थाओं से एन ओ सी प्राप्त करने, इत्यादि के बाद प्रस्तुत किए जाने थे, जिसका पालन नहीं किया गया। उचित स्थल सर्वेक्षण की कमी के कारण बद्रीनाथ में लागत वृद्धि एवं निरर्थक व्यय के प्रकरण देखे गए। मूलभूत सार्वजनिक सुविधाओं जैसे शौचालय इत्यादि सहित अधिकांश निर्मित अवसंरचनाओं का लंबे समय तक हस्तांतरण नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप वे अनुपयोगी रही। उपरोक्त सभी कमियों के कारण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावित हुई।

2.5.9 अनुशंसाएं

राज्य सरकार निम्न पर विचार कर सकती है:

- ***डी पी आर किसी भी परियोजना का मुख्य हिस्सा होने के कारण, वास्तविक स्थल सर्वेक्षण, परामर्श एवं संबंधित हितधारकों से आवश्यक स्वीकृति के आधार पर तैयार किया जाना;***
- ***स्थल का चयन आवश्यकता के आधार पर किया जाना, जिसके लिए पर्यटकों की आमद, पर्यटक सुविधाओं का सर्वेक्षण एवं पर्यटकों की शिकायतों/ सुझावों पर आधारित एक डेटाबेस तैयार करना;***

- ***निर्मित परिसंपत्ति का उचित एवं सफल संचालन व रख-रखाव, योजना के उद्देश्य की पूर्ति का आधार है। इसलिए, विभाग द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों का उचित संचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना।***

शहरी विकास विभाग

2.6 सलाहकार की नियुक्ति पर ₹ 8.06 करोड़ का व्यय

विभाग ने निविदाएं आमंत्रित नहीं की एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए सलाहकार को भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.06 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 3 (1) और 3 (2) के अनुसार, समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। जब तक इन नियमों के अंतर्गत अथवा विशिष्ट आदेशों के अंतर्गत छूट न दी जाये, तब तक समस्त अधिप्राप्तियाँ निविदाओं के माध्यम से की जायेगी। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 55 (2) के अनुसार, जिन कार्यों/सेवाओं की अनुमानित लागत ₹ 15.00 लाख से अधिक है, उनके लिए 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा विभाग/संगठन के वैबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए।

उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन राज्य वित्त पोषित परियोजनाओं के सभी उप-परियोजना घटकों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की लेखापरीक्षा (फरवरी 2022) के दौरान, यह देखा गया कि उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं[97] के वित्तपोषण के उद्देश्यों के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेन्ट बैंक (ए डी बी) के साथ एक ऋण समझौता[98] (जनवरी 2013) किया। उक्त परियोजना में डिजाइन और पर्यवेक्षण परामर्श (डी एस सी) कार्य के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की आवश्यकता थी।

---

[97] इस परियोजना में शामिल होंगेः (अ) जल आपूर्ति एवं सीवरेज अवसंरचना में सुधार (ब) नैनीताल में जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव में सुधार (स) उन्नत परियोजना योजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन और पारदर्शिता।

[98] ऋण संख्या 2797-आई एन डी।

इसके लिए, कार्यान्वयन एजेंसी उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने जुलाई 2016 में डी एस सी कार्य के लिए सलाहकार[99] के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि जुलाई 2018 तक पूरा किया जाना निर्धारित था।

इसी दौरान, भारत सरकार द्वारा शहरी अवसंरचना विकास के लिए एक नए ऋण[100] (मार्च 2018) को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी। यह ऋण ए डी बी द्वारा प्रायोजित जल आपूर्ति और स्वच्छता/जल निकासी की एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अनुमोदित किया गया था। चूँकि यह एक नया ऋण था, इसलिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए नए सिरे से निविदा की आवश्यकता थी। यद्यपि, उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नए ऋण समझौते के अंतर्गत कार्यों के लिए मौजूदा डी एस सी[101] की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया (मई 2018) जो नए सलाहकार को चिह्नित करने के अवसर से वंचित होना दर्शाता था।

विभाग ने निविदा प्रक्रिया को पूरा करने में तीन वर्ष का समय लिया और अप्रैल 2021 में नए डी एस सी को नियुक्त करने के लिए एक नया समझौता किया। पुराने समझौते को मई 2018 से अप्रैल 2021 के बीच पाँच[102] बार बढ़ाया गया था। नए ऋण के सापेक्ष कार्य के लिए उक्त सलाहकार को 2020-21 के दौरान ₹ 8.06 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, निविदा आमंत्रित किए बिना नए ऋण के कार्यों के लिए पूर्व नियुक्त सलाहकार को ₹ 8.06 करोड़ का भुगतान किया गया जो अनियमित और नियमों के विरूद्ध था।

इसे इंगित किये जाने पर, राज्य सरकार ने (सितम्बर 2023) अवगत कराया कि नए डी एस सी की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया 2018 में समय पर शुरू की गई थी। चूंकि नए ऋण समझौते के अन्तर्गत कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य को समय पर पूरा करना आवश्यक था, इसलिए ए डी बी द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार तत्कालीन

---

[99] मै. टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरस लि., रोडिक कंसल्टेंटस प लि के साथ संयुक्त उद्यम में।

[100] ऋण संख्या 4,148-आई एन डी को मार्च 2018 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी। भारत सरकार ने दिसम्बर 2021 में ए डी बी के साथ समझौता किया था।

[101] मै. टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरस लि., रोडिक कंसल्टेंटस प लि के साथ संयुक्त उद्यम में।

[102] जनवरी 2019, अप्रैल 2019, जनवरी 2020, सितम्बर 2020 और अप्रैल 2021।

डी एस सी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए समय वृद्धि दी गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राधिकरण ने नए ऋण समझौते के अंतर्गत, नए डी एस सी के चयन के लिए नई निविदा जारी नहीं की और पुराने सलाहकार को तीन वर्ष की अवधि में पांच बार विस्तार दिया। नए ऋण के सापेक्ष कार्य, पहले से लगे डी एस सी द्वारा कराया गया था जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के विपरीत था।

2.7 अनियमित खरीद के कारण ₹ 75.49 लाख का अतिरिक्त व्यय

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (अध्याय 1 का खण्ड 7) में प्रावधान है कि सामग्री और मदें, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिनकी सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों को बार-बार आवश्यकता होती है, उन्हें राज्य सरकार को केंद्रीय क्रय संगठन या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए दर संविदा पर खरीदा जाएगा। ऐसी दर संविदाओं का समस्त विवरण विभाग/ सरकार की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा का मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में अन्य समान दर संविदाओ में दिये गये मूल्य से अधिक न हों एवं ऐसे दर संविदा आमतौर पर एक समय में एक वर्ष के लिए संपन्न किए जा सकते हैं।

नियम (अध्याय 1 का खण्ड 3) आगे यह प्रावधान करता है कि निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाएगा एवं अधिप्राप्ति के मूल्य को कम करने के लिए मांग को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल मांग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्च प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए क्रय करने की मात्रा को छोटे-छोटे भागों में विभाजित किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है (अध्याय 2 का खण्ड 35) कि सभी विभागों को ₹ 2.50 लाख से अधिक की समस्त वस्तुओं/ सामग्रियों और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए ई-प्रोक्योरमेंट का उपयोग करना चाहिए।

नगर निगम, ऋषिकेश के अभिलेखों (अगस्त 2021) की जाँच में पाया गया कि चूना पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और मैलाथियान पाउडर, जिनका उपयोग अक्सर स्वच्छता कार्यों में किया जाता है, वर्ष 2020-21 के दौरान एक ही विक्रेता[103] से एक बार ली गयी कोटेशन के आधार ₹ 1.01 करोड़ के मूल्य पर टुकड़ों में खरीदे गए थे। इसके

[103] मै. हिमालयन ईलेक्ट्रिक एण्ड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स ऋषिकेश।

अतिरिक्त, कम दरों का लाभ उठाने और जेम पोर्टल के माध्यम से उक्त सामग्री की खरीद के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।

आगे, जाँच से पता चला कि नगर निगम, ऋषिकेश ने उक्त सामग्री का क्रय (जेम) पोर्टल[104] पर उपलब्ध कीमत से तीन से पाँच गुना अधिक कीमत पर किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.49 लाख का अधिक व्यय हुआ, जिसका विवरण **तालिका-2.7.1** में दिया गया है।

तालिका-2.7.1: व्ययाधिक्य का विवरण

(₹ लाख में)

सामग्री	वर्ष के दौरान टुकड़ों मे क्रय	मात्रा (कुंतल मे)	क्रय दर नगर निगम ऋषिकेश (प्रति कुंतल)	क्रय सामग्री का मूल्य	जेम दर (प्रति कुंतल)	क्रय किए गए सामग्री का जेम के अनुसार मूल्य	अतिरिक्त लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)	(6)	(7)=(3)*(6)	(8)=(5)-(7)
चूना पाउडर	22	1455	0.035	50.93	0.009	13.10	37.83
ब्लीचिंग पाउडर	11	445	0.0588	26.17	0.01099	4.89	21.28
मैलथियान पाउडर	11	445	0.0548	24.39	0.018	8.01	16.38
योग				***101.49***		***26.00***	***75.49***

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा अन्य फर्मों से वर्ष 2019-20 में चूना पाउडर ₹ 418.00 प्रति क्विंटल की दर पर कोटेशन के आधार पर खरीदा जा रहा था, और 2020-21 के दौरान चूना पाउडर ₹ 3,500.00 प्रति क्विंटल पर खरीदा गया था, जो 2019-20 की दरों की तुलना में आठ गुना से अधिक था। इसके अतिरिक्त, समीपवर्ती नगर निगम देहरादून में 2020-21 के दौरान चूना पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर क्रमशः ₹ 483 और ₹ 3,158 प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि उक्त खरीद उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन अधिनियम, 2017[105] के नियम 123 का उल्लंघन करके की गई थी क्योंकि ₹ 1.01 करोड़ की सामग्री नगर निगम बोर्ड के प्रस्ताव/अनुमोदन के बिना खरीदी गई थी।

प्रकरण इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (नवम्बर 2023) कि मार्च 2020 में कोविड़ महामारी के कारण जेम पोर्टल से अधिप्राप्ति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायी थी। लोकहित

[104] अगस्त 2021, मैलाथियान ₹ 18.00 प्रति किग्रा।

[105] उत्तराखण्ड राज्य के शहरी विकास विभाग पर प्रभावी।

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सामग्री टुकड़ों में क्रय नहीं की गयी थी अपितु निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये उपलब्ध स्रोतों से की गयी गयी थी। आपूर्तिकर्ता को बाजार मूल्य, कोटेशन में अंकित मूल्य व सरकारी मूल्य में जो भी न्यूनतम हो, उस पर आपूर्ति करने को निर्देशित किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना जेम-पोर्टल में प्रदर्शित दरों से उच्च दरों पर एकल स्रोत आपूर्तिकर्ता से एवं टुकड़ों में अनियमित क्रय किया गया जो यह प्रदर्शित करता है कि विभाग नियमों का अनुपालन करने और पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं प्रभावी खरीद प्रक्रिया को लागू करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.49 लाख का अधिक व्यय हुआ।

2.8 कुम्भ मेला कार्यों के प्रबंधन और कार्यान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.8.1 प्रस्तावना

कुम्भ मेला, जिसका हिंदुओं के लिए गहरा धार्मिक महत्व है, चार शहरों यथा, हरिद्वार (उत्तराखण्ड), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), नासिक (महाराष्ट्र) और उज्जैन (मध्य प्रदेश) में बारी-बारी से प्रत्येक 12 वर्षों की अवधि में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक कुम्भ मेले में तीर्थयात्रियों की एक बड़ी भीड़ देखी जाती है। इसलिए, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए अवसंरचना में सुधार/निर्माण, सेवाएं और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई पहल करने की आवश्यकता है।

कुम्भ मेला 2021, 01 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर आयोजित किया गया था। बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण और तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, कुम्भ मेला क्षेत्र को राज्य के चार जिलों[106] में पड़ने वाले 23 सेक्टरों में विभाजित किया गया था। 19 नोडल विभागों/कार्यालयों[107] के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों/स्थानीय निकायों द्वारा अवसंरचना के कार्यों और अन्य सेवाओं को प्रारम्भ किया गया। नवम्बर 2021 से जनवरी 2022 तक कुम्भ मेला कार्यों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी थी, जिसमें कुम्भ मेला से संबंधित अभिलेख और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का निरीक्षण/विश्लेषण किया गया

[106] हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी।

[107] लो नि वि, सिंचाई, ग्रा नि वि नगर निगम, स्वास्थ्य, मेलाधिष्ठान, पेयजल, जल संस्थान, बिजली, परिवहन, होमगार्ड्स, सूचना, गृह, वन, डी एस ओ, डेयरी, पी आ रडी, संस्कृति, पर्यटन।

था। लेखापरीक्षा में राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा मेलाधिकारी को आवंटित अनुदान के सापेक्ष किए गए व्यय और मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से आवंटित धनराशि से किए गए व्यय को सम्मिलित किया गया।

2.8.1.1 संगठनात्मक ढांचा

शहरी विकास विभाग, कुम्भ मेला के आयोजन के लिए नोडल विभाग और मेला प्रशासन के लिए प्रशासनिक विभाग था। राज्य सरकार ने कुम्भ मेलाधिकारी को मेला प्रशासन कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त (जून 2019) किया। कुम्भ मेला में आने वाले तीर्थयात्रियों/ श्रद्धालुओं और नागरिकों की संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेलाधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य को भी नामित किया गया था। कुम्भ मेला के मेला प्रशासन हेतु संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

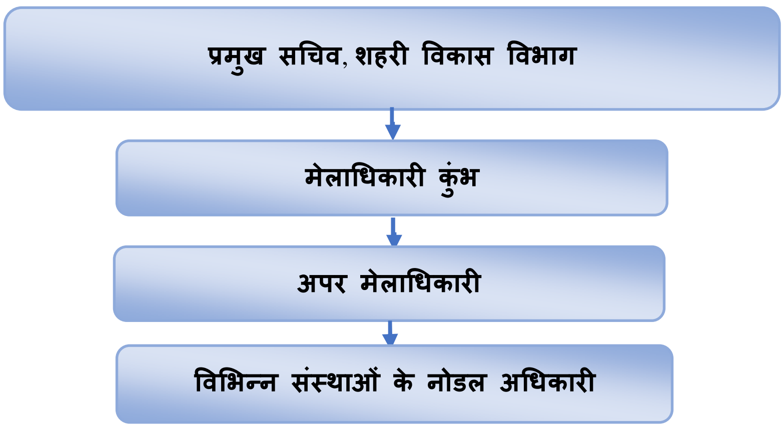

2.8.1.2 मेलाधिकारी कार्यालय की स्थापना

कुम्भ मेला का आयोजन संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम, 1938 (मेला अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकार कुम्भ मेले के प्रारम्भ होने से तीन-चार वर्ष पूर्व ही जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को मेलाधिकारी नियुक्त करके योजना प्रारम्भ कर देती है, जिनकी शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व अधिनियम में सुनिश्चित किये गये हैं। कुम्भ मेला 2021 के आयोजन के लिए, राज्य सरकार ने जून 2019 में जिलाधिकारी, हरिद्वार को मेलाधिकारी नियुक्त किया था।

2.8.1.3 वित्तीय प्रबंधन

मेले के प्रभावी प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिसमें तीर्थयात्रियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए स्थायी या अस्थायी अवसंरचनात्मक ढांचे/सेवाएं, नवीनीकरण और कनेक्टिविटी प्रदान करना और निर्माण करना शामिल है, केन्द्र और राज्य सरकार

द्वारा धनराशि आवंटित किया जाता है। कुम्भ मेला, 2021 के लिए ₹ 819.80 करोड़ (केंद्रीय अंश ₹ 700 करोड़ और राज्य अंश ₹ 119.80 करोड़[108]) के कुल आवंटन के सापेक्ष, मेलाधिकारी को ₹ 806.15 करोड़ की धनराशि जारी की गई थी। मेलाधिकारी ने दिसम्बर 2021 तक कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 586.93 करोड़ धनराशि (73 *प्रतिशत)* जारी की गई। विभिन्न विभागों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे **तालिका-2.8.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.8.1: आवंटित एवं जारी धनराशि का विवरण (दिसम्बर 2021 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	कार्यों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	राज्य सरकार द्वारा मेलाधिकारी को जारी धनराशि	मेलाधिकारी द्वारा कार्यकारी संस्थाओं को जारी धनराशि	जमा शेष
1	लोक निर्माण विभाग	107	226.02	225.63	189.25	36.38
2	सिंचाई विभाग	38	181.39	179.84	146.70	33.14
3	ग्रामीण निर्माण विभाग	18	23.45	23.45	20.34	3.11
4	नगर निगम	12	54.92	51.10	23.01	28.09
5	मेला स्वास्थ्य	21	76.14	70.10	27.77	42.33
6	मेला अधिष्ठान	15	61.71	57.64	23.42	34.22
7	पेयजल	37	61.63	61.20	51.82	9.38
8	जल संस्थान	15	23.73	22.58	16.67	5.91
9	ऊर्जा विभाग	23	59.27	44.92	28.58	16.34
10	परिवहन विभाग	4	6.57	6.57	4.36	2.21
11	होम-गार्ड	2	7.75	7.75	6.97	0.78
12	सूचना विभाग	3	5.33	5.33	2.86	2.47
13	गृह विभाग	10	71.25	39.69	36.05	3.64
14	वन विभाग	4	1.38	1.38	1.19	0.19
15	खाद्य आपूर्ति विभाग	3	4.09	4.09	3.91	0.18
16	डेयरी विभाग	1	0.35	0.35	0.27	0.08
17	पी.आर.डी.	1	1.80	1.80	1.44	0.36
18	संस्कृति विभाग	1	0.41	0.41	0.03	0.38
19	पर्यटन विभाग	1	2.32	2.32	2.28	0.04
योग		***316***	***869.51***	***806.15***	***586.92***	***219.23***

स्रोत : मेलाधिकारी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि दिसम्बर 2021 तक मेलाधिकारी स्तर पर ₹ 219.23 करोड़ (27 *प्रतिशत)* की धनराशि अभी भी अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

[108] ₹ 119.80 करोड़ की राशि में ₹ 52.05 लाख शामिल था जो पिछले कुंभ मेले से संबंधित था।

2.8.2 कुम्भ मेला अधिष्ठान

2.8.2.1 पी एल ए/ बैंक खातों में निधियों को अवरुद्ध रखना

व्यक्तिगत खाता बही (पी एल ए) को छोड़कर, जो कुछ शर्तों के अंतर्गत संचालित होते हैं, कोई भी लोक सेवक किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सार्वजनिक धनराशि को रोक कर नहीं रख सकता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्य सरकार ने सभी मौजूदा बैंक खातों को बंद करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2009) और वित्त विभाग की विशेष अनुमति के बिना बैंक खाते खोलने पर रोक लगा दी। इसके अतिरिक्त, खोले गए बैंक खातों पर अर्जित ब्याज को तुरंत कोषागार में जमा करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुम्भ मेला निधि की एक बड़ी मात्रा बैंक खातों में अवरुद्ध पड़ी थी। पी एल ए खातों की जाँच से पता चला कि निष्पादित की जाने वाली 13 परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया था और इन परियोजनाओं के निस्तारण के लिए रखी गई ₹ 36.99 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार को वापस नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप धनराशि अवरुद्ध हुई।

इसे इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2023) कि पी एल ए में पड़ी धनराशि मार्च 2023 में राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में स्थानांतरित कर दी गई थी। हालाँकि, जिन परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी की गयी थी, उन्हें रद्द कर दिए जाने के बाद बची हुई धनराशि वापस करने में देरी पर राज्य सरकार ने कोई उत्तर नही दिया। इसके अतिरिक्त, 20 माह से अधिक समय तक धनराशि अवरुद्ध करने के बाद उक्त कार्रवाई की गई है। केन्द्र सरकार को अव्ययित धनराशि वापस करने की कार्रवाई उपलब्ध नहीं थी।

2.8.2.2 अपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

वित्तीय नियमों के अनुसार, कोई भी कार्य तभी पूर्ण माना जाता है, जब संबंधित कार्यदायी संस्था उस कार्य के लिए प्राप्त धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय का पूर्णता प्रमाण पत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर देता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेलाधिकारी ने शहरी विकास विभाग को ₹ 362.19 करोड़ (वर्ष 2019-20 में जारी) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, जिन्होने फरवरी 2021 तक इसे केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिया। संबंधित अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि मेलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को उक्त तिथि तक ₹ 345.87 करोड़ की धनराशि जारी की थी। इस प्रकार, जारी किए गए

उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं थे, जो स्पष्ट रूप से मेलाधिकारी द्वारा शहरी विकास विभाग के साथ-साथ केन्द्र सरकार को अपूर्ण रिपोर्टिंग की ओर इंगित करता है।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (मई 2023) कि जारी की गई धनराशि के आधार पर उपयोगिता प्रमाणपत्र, मेला अधिष्ठान द्वारा सरकार/भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अपने उत्तर में (अगस्त 2023) कहा कि जारी की गई धनराशि और उससे व्यय के मिलान के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए मेला अधिकारी को निर्देश जारी (जून 2023) कर दिये गए।

2.8.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

2.8.3.1 ₹ 9.50 करोड़ की लागत वाली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन की खरीद में विक्रेता को अनुचित लाभ

मेला अस्पताल में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एम आर आई) मशीन खरीदने के लिए मेलाधिकारी स्वास्थ्य, द्वारा एक ई-निविदा जारी की गयी थी (दिसम्बर 2020)।

अभिलेखों की जांच में, यह पाया गया कि मेसर्स बोस्टन आइवी हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को निविदा प्रक्रिया में सफल घोषित किया गया था और उक्त एम आर आई मशीन के लिए विक्रेता को ₹ 8.92 करोड़ (जी एस टी सहित) की धनराशि का क्रय आदेश जारी किया गया (फरवरी 2021)। अनुबंध की शर्त के अनुसार यदि आपूर्तिकर्ता अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी या सभी

> ***मेला अस्पताल, हरिद्वार का भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2022)***
>
> लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुम्भ मेले (अप्रैल 2021) के समापन के बाद भी रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती न होने के कारण एम आर आई की सुविधा जनता के लिए उपलब्ध नहीं थी। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि संचालन के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

उपकरणों को वितरित करने या सेवाएं देने में विफल रहता है, तो क्रेता प्रति सप्ताह 0.5 *प्रतिशत* की कटौती करेगा, जो परिनिर्धारित क्षति (प क्ष) के रूप में अनुबंध के 10 *प्रतिशत* की अधिकतम कटौती के अधीन होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी निर्धारित अवधि (मार्च 2021) के भीतर एम आर आई मशीन की आपूर्ति करने में विफल रही और मशीन की आपूर्ति अक्टूबर 2021 में की गई। मशीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सका, जिस हेतु

इसे खरीदा गया था और इस प्रकार, उक्त खरीद का उद्देश्य विफल हो गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, विक्रेता को आपूर्ति में 201 दिन (28 सप्ताह) की देरी के कारण प क्ष के रूप में ₹ 89.20 लाख[109] की धनराशि ली जानी थी, लेकिन मेलाधिकारी स्वास्थ्य, ने विलंबित आपूर्ति पर कोई प क्ष नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप विक्रेता को अनुचित लाभ हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2023) कि एम आर आई मशीन राज्य निधि से खरीदी गई थी न कि कुम्भ मेला निधि से। हालाँकि, राज्य सरकार की निधियों से एम आर आई मशीन की खरीद मेलाधिकारी-स्वास्थ्य को देर से आपूर्ति पर परिनिर्धारित क्षति लगाने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं करती है, जबकि इस संबंध में अनुबंध में पर्याप्त प्रावधान थे।

2.8.3.2 कुम्भ मेले के दौरान कोविड परीक्षण

मेलाधिकारी, स्वास्थ्य के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार ने, नवीनतम[110] नकारात्मक आर टी-पी सी आर परीक्षण रिपोर्ट के बिना, कुम्भ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों/श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त कोविड-19 परीक्षण की व्यवस्था की थी। तदनुसार, राज्य सरकार ने मेलाधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य को कोविड-19 का अधिकतम परीक्षण करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं को शामिल करने का निर्देश दिया। अभिलेखों की जांच से पता चला कि कुम्भ मेले के दौरान 10 सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा 2,51,457 कोविड परीक्षण किए गए थे। लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

(अ) निजी प्रयोगशालाओं की चयन प्रक्रिया में अनियमितता

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 {नियम 25 (ड)} में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी, उन कार्यों, जिनके लिए उच्च स्तर की तकनीकी कौशल या जटिल अथवा नवीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, अभिरुचि की अभिव्यक्ति/ योग्यता के लिए अनुरोध (एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट/रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन) के माध्यम से ठेकेदारों का चयन करने का निर्णय ले सकता है। इस विधि के अधीन, पात्र और भावी निविदाताओं की लघुसूची तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी एक समिति

[109] प्रति सप्ताह 0.5 *प्रतिशत*, अनुबंध मूल्य से अधिकतम 10 *प्रतिशत* की कटौती के अधीन।

[110] यात्रा की तारीख से 72 घंटे पहले।

का गठन करेगा जिसमें समान प्रकार की परियोजनाओं/प्रौद्योगिकी से परिचित विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। अभिलेखों की जाँच से प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने में निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं:

- सूचीबद्ध होने वाली वाली प्रयोगशालाओं के चयन के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। इसके बजाय, मेलाधिकारी ने स्वयं निजी प्रयोगशालाओं का चयन/सूचीबद्ध किया।
- अभिरुचि की अभिव्यक्ति में लघुसूची के लिए निर्धारित तीन प्रमुख मानदंडों का पालन, जैसे (i) ₹ 100 के स्टांप पेपर पर प्रयोगशाला की सत्यनिष्ठा और गैर-काली सूची में डालने (ब्लैकलिस्टिंग) का प्रमाण पत्र (ii) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर)/उत्तराखण्ड के अंतर्गत प्रयोगशाला का पंजीकरण और (iii) प्रयोगशाला की दैनिक परीक्षण क्षमता की घोषणा का पालन नहीं किया गया था। केस स्टडी-1 में इसी बात पर नीचे प्रकाश डाला गया है:

<u>केस स्टडी-1</u>

- सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं में से एक "मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, नई दिल्ली" की अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं थी, किन्तु उक्त सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित किए बिना उसका चयन किया गया था। सेवा प्रदाता ने अपने आवेदन पत्र में घोषणा की कि फर्म आर ए टी[111] और आर टी-पी सी आर[112] परीक्षण के लिए अधिकृत है एवं राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं आई सी एम आर द्वारा अनुमोदित है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्म ने स्वयं परीक्षण करने के बजाय, इन परीक्षणों (मार्च 2021) को करने के लिए अन्य फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, सेवा प्रदाता द्वारा गलत जानकारी और झूठी घोषणा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, चार प्रयोगशालाओं ने त्रुटिपूर्ण दस्तावेज़[113] प्रस्तुत किए और आवश्यक मापदंडों[114] को पूरा नहीं किया, लेकिन मेलाधिकारी द्वारा उन्हें सूचीबद्ध किया गया।

---

111 रैपिड एंटीजन टेस्ट।

112 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन-पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन।

113 i. डॉ. रेमेडीज़ लैब, हैदराबाद: आवेदन के साथ स्टांप पेपर पर शपथ पत्र और प्रयोगशाला क्षमता का प्रमाण प्रदान नहीं किया गया था, ii. अंजलि लैब , हरियाणा: आवेदन के साथ कोई वांछित रिकॉर्ड नहीं, iii. हेमो जीनोमिक प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु: आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं था और iv. मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, नई दिल्ली: आवेदन के साथ आई सी एम आर/उत्तराखण्ड में प्रयोगशाला के पंजीकरण का प्रमाण पत्र नहीं था, लेकिन अन्य दो प्रयोगशाला (डॉ. लालचंदानी और नलवा) के प्राधिकरण पत्र इसके साथ संलग्न थे।

114 (i) ₹ 100 के स्टांप पेपर पर प्रयोगशाला की सत्यनिष्ठा और गैर-ब्लैकलिस्टिंग का प्रमाण पत्र (ii) आई सी एम आर/ उत्तराखण्ड के अंतर्गत प्रयोगशाला का पंजीकरण और (iii) प्रयोगशाला की दैनिक परीक्षण क्षमता की घोषणा।

- प्रयोगशालाओं के चयन में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (ई ओ आई के अनुसार), 15 जनवरी 2021 थी। यह पाया गया कि पंद्रह प्रयोगशालाओं में से छः निजी प्रयोगशालाओं ने मार्च और अप्रैल 2021 में आवेदन किया था और परीक्षण के लिए अधिकृत थे।

यह इंगित किये जाने पर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि तत्कालीन मेला अधिकारी (स्वास्थ्य) को अनियमितताओं के कारण निलंबित कर दिया गया था। उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि आर ए टी/ आर टी-पी सी आर परीक्षण करने के लिए उक्त फर्म का अनियमित चयन हुआ था।

(ब) आई सी एम आर पोर्टल की लॉगिन आईडी के विलम्ब आवंटन के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य का संकट

आई सी एम आर के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी प्रयोगशालाओं के लिए आई सी एम आर डेटाबेस में कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना और इसे राज्य/जिला स्तर के अधिकारियों को प्रतिवेदित करना अनिवार्य था ताकि रोगियों की उचित निगरानी और संपर्क स्थापित किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लॉगिन आईडी बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी एम ओ) से अनुरोध करने में, पांच निजी प्रयोगशालाओं के संबंध में 03 से 25 दिनों का विलम्ब हुआ। विवरण **तालिका-2.8.2** में दिया गया है

तालिका-2.8.2: आर ए टी और आर टी-पी सी आर परीक्षणों का विवरण

प्रयोगशाला का नाम	परीक्षण की आरंभ तिथि	लॉगिन आईडी जारी करने की तिथि	विलम्ब	कुल किये गये परीक्षण		लॉगिन आईडी जारी करने से पहले किए गए परीक्षण	
				आर ए टी	आर टी-पी सी आर	आर ए टी	आर टी-पी सी आर
नोवस पैथ, हरिद्वार	09.03.2021	03.04.2021	25	51,459	11,808	16,190	4,631
डी एन ए पैथ, देहरादून	03.04.2021	06.04.2021	03	19,804	2,894	761	0
फिक्की इमेजिंग, नई दिल्ली	01.04.2021	05.04.2021	04	1,426	5,086	0	43
मैक्स कॉर्पोरेट, नई दिल्ली	01.04.2021	09.04.2021	08	1,18,239	5,782	31,907	800
प्रेफ़ेर्ड पैथ, रूड़की	31.03.2021	06.04.2021	06	4,260	696	142	32
योग				***1,95,188***	***26,266***	***49,000***	***5,506***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रयोगशालाएं परीक्षणों के परिणाम, आई सी एम आर पोर्टल पर समय से अपलोड करने में विफल रहीं, जिसमें 43 कोविड पॉजिटिव प्रकरण शामिल थे। इसके अतिरिक्त, पाँच में से दो प्रयोगशालाओं द्वारा कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

इसे इंगित किए जाने पर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार ने कहा कि मैक्स कॉरपोरेट को छोड़कर सभी प्रयोगशालाओं का पंजीकरण समय पर किया गया था, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार के कारण समय पर रिपोर्ट अपलोड नहीं की जा सकी। आगे कहा गया कि भौतिक (ऑफ़लाइन) रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराई गई, जिसके आधार पर पॉजिटिव (कोविड) परीक्षण वाले व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोविड पॉजिटिव रोगियों के पंजीकरण और समय पर उपचार के दावे के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

(स) प्रयोगशालाओं द्वारा संदिग्ध/अनियमित परीक्षण

कुम्भ मेले के दौरान, मेलाधिकारी स्वास्थ्य द्वारा सूचीबद्ध दस निजी प्रयोगशालाओं द्वारा 2,51,457 व्यक्तियों[115] का परीक्षण[116] किया गया। मेलाधिकारी स्वास्थ्य, केवल 1,18,605 (47 *प्रतिशत*) व्यक्तियों[117] की जाँच करने वाली छः प्रयोगशालाओं का विवरण प्रदान कर सके। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

- निजी प्रयोगशालाओं और सरकारी प्रयोगशालाओं के परीक्षण परिणाम एक ही समय अवधि के लिए भिन्न-भिन्न थे। उदाहरण के लिए, छः निजी प्रयोगशालाओं में आर ए टी परीक्षण के सकारात्मक प्रकरण 0.3 *प्रतिशत* से 6.5 *प्रतिशत* के बीच थे, जबकि सरकारी प्रयोगशालाओं में यह 7.7 *प्रतिशत* था।
- स्वास्थ्य सचिव (28 दिसम्बर 2020) ने संबंधित प्रभारी को आर ए टी/ आर टी-पी सी आर परीक्षण से संबंधित संपूर्ण डेटाबेस की सॉफ्ट कॉपी और परीक्षण किए गए व्यक्तियों के मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और आधार कार्ड का विवरण दिखाने वाले दैनिक पंजीकरण रजिस्टर को सत्यापित करने का निर्देश दिया। हालांकि, ये अभिलेख मेलाधिकारी, स्वास्थ्य के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, परीक्षणों की प्रामाणिकता का विश्लेषण नहीं किया जा सका। बिना किसी सत्यापन के, दावा की गई कुल धनराशि ₹ 949.94 लाख के सापेक्ष ₹ 341.20 लाख का भुगतान किया गया। मेलाधिकारी स्वास्थ्य द्वारा भुगतान के पूर्व सत्यापन की अनदेखी कर संबंधित प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

---

[115] नोवस: 63,267, डी एन ए: 22,698, फिक्की: 6,512, स्टार: 1,933, हिंदुस्तान: 758, मैक्स कॉर्पोरेट: 1,24,021, प्रेफर्ड: 4,956, आहूजा: 19,100, फोकस: 6,651 और कोरो: 1,561 ।

[116] आर ए टी: 2,07,179 और आर टी-पी सी आर: 44,278 ।

[117] नोवस: 63,267, डी एन ए: 22,698, स्टार: 1,933, प्रेफ़र्ड: 4,956, आहूजा: 19,100 और फोकस: 6,651।

- 448 व्यक्तियों (आर ए टी 378[118] और आर टी-पी सी आर 70[119]) की प्रविष्टि दो बार पायी गयी और इसके लिए ₹ 1.69 लाख[120] की धनराशि का दावा किया गया था और उसके सापेक्ष दो पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं[121] को ₹ 0.66 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया था।

- मेलाधिकारी स्वास्थ्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचीबद्ध निजी प्रयोगशालाओं और कुम्भ मेला अवधि के दौरान, सी एम ओ द्वारा सूचीबद्ध समान प्रयोगशालाओं के तथ्यात्मक परीक्षण के विश्लेषण और सत्यापन पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक ही नमूना रेफरल फार्म (एस आर एफ)-आई डी के 333 व्यक्तियों के परीक्षण विवरण को (आर ए टी: 322 और आर टी-पी सी आर: 11) दोनों कार्यालयों (मेलाधिकारी स्वास्थ्य और सी एम ओ, हरिद्वार) में दावा/ शामिल किया गया। विवरण **तालिका-2.8.3** में दिया गया है। इससे पता चलता है कि दोनों कार्यालयों में बिना जांच के फर्जी परीक्षण विवरण शामिल किया गया था, जो एक गंभीर त्रुटि थी।

तालिका-2.8.3: फर्जी परीक्षण विवरण

प्रयोगशाला का नाम	आर ए टी	आर टी- पी सी आर
आहूजा पैथोलॉजी, देहरादून	227	11
नोवास पैथ, हरिद्वार	94	-
प्रेफ़र्ड पैथ, रूड़की	1	-
योग	***322***	***11***

तालिका-2.8.4: दोहरे परीक्षणों का विवरण

लैब का नाम	दोहरे एस आर एफ आई डी		नामों में दोहरापन		आई सी एम आर आई डी में दोहरापन	
	आर ए टी	आर टी- पी सी आर	आर ए टी	आर टी- पी सी आर	आर ए टी	आर टी- पी सी आर
आहूजा पैथोलॉजी, देहरादून	-	-	2	22	-	-
डीएनए पैथ, देहरादून	-	-	23	14	2	-
फोकस इमेजिंग, नई दिल्ली	-	-	-	-	3	-
नोवस पैथ लैब, हरिद्वार	-	1	13	21	1	1
प्रेफ़र्ड पैथ लैब, रूड़की	1	-	2	-	1	-
स्टार इमेजिंग, नई दिल्ली	-	-	8	-	-	-
कुल	***1***	***1***	***48***	***57***	***7***	***1***

उपरोक्त के अतिरिक्त, पांच निजी प्रयोगशालाओं ने 105 व्यक्तियों के परीक्षण करने का दो बार दावा किया (आर ए टी 48 और आर टी-पी सी आर 57)। जबकि नोवस और प्रेफर्ड लैब ने बिलों में एक ही एस आर एफ आईडी दो बार उद्धृत करके

---

[118] दोहरे मामलें 56 और फर्जी मामलें 322 ।

[119] दोहरे प्रकरण 59 और फर्जी प्रकरण 11 ।

[120] आर ए टी @354 और आर टी-पी सी आर @500 प्रत्येक।

[121] डी एन ए और नोवस पैथ लैब।

आर ए टी/आर टी-पी सी आर परीक्षण का दावा किया। इसके अतिरिक्त, चार निजी प्रयोगशालाओं ने एक ही आई सी एम आर आईडी के साथ आठ व्यक्तियों (आर ए टी 07 और आर टी पी सी आर 01) के दोहरे कोविड परीक्षण का दावा किया। विवरण साथ में दी गयी **तालिका-2.8.4** में दिया गया है।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि तत्कालीन मेलाधिकारी-स्वास्थ्य को कोविड परीक्षण में अनियमितता के कारण निलंबित कर दिया गया।

2.8.4 सिंचाई विभाग

सिंचाई विभाग को कुम्भ मेला-2021 के दौरान, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी/अस्थायी आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 31[122] कार्य आवंटित किए गए थे, जिसमें स्थायी और अस्थायी सड़क कार्य और घाटों की मरम्मत/विस्तार शामिल थे। लेखापरीक्षा के दौरान उल्लिखित टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.8.4.1 अनियमित रूप से कार्य दिया जाना

सिंचाई खण्ड (सि ख) हरिद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि ऊपरी गंगा नहर कॉजवे (पक्की सड़क) के दाहिने किनारे पर धनौरी-सिडकुल सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए ₹ 23.49 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी (सितम्बर 2019)। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, सड़क के विभिन्न हिस्सों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की गईं और उक्त कार्य को पूरा करने के लिए छः अनुबंध किए गए।

अनुबंधों में से एक अनुबंध[123] के तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान, एक निविदादाता[124] द्वारा निविदा प्रपत्र[125] जमा करने से संबंधित शर्त पूरी नहीं की गई थी। उक्त निविदादाता को, जिसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था, सफल घोषित कर दिया गया और कार्य उसे आवंटित कर दिया गया। इस प्रकार, अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।

इसे इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने अवगत कराया कि संबंधित अधीक्षण अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।

---

[122] हरिद्वार खण्ड- 22, नरेंद्रनगर खण्ड - 08 और रूड़की खण्ड - 01 कार्य।

[123] अनुबंध संख्या 22/एस ई/2019-20 दिनांक 19.12.2019 ₹ 1.03 करोड़ के लिए।

[124] मैं. कुमार कंस्ट्रक्शन।

[125] घोषणा और वारंटी से संबंधित प्रपत्र।

2.8.4.2 ठेकेदार को अनुचित लाभ

उत्तराखण्ड वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन 2018 के खंड-VI का प्रस्तर 3.16, एक प्राधिकारी द्वारा अनुबंध करने के लिए वित्तीय सीमाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, निविदा को अंतिम रूप देते समय प्राधिकारी द्वारा, वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खण्ड-6) अध्याय 14, (खण्ड-5) भाग 1 परिशिष्ट एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमवाली, 2017 में दिए गए सभी निर्देशों का अवलोकन/पालन किया जाना चाहिए। नियम 369, वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खंड-6) में यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्तिगत ठेकेदार उसी कार्य या आगणन के संबंध में दूसरा अनुबंध प्राप्त नहीं कर सकता है जबकि पहला अभी भी लागू है, यदि उसके अनुबंधों की कुल धनराशि संबंधित प्राधिकारी की स्वीकृति की शक्तियों से अधिक है।

सिंचाई खण्ड, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला हरिद्वार में (चैनेज किमी 6.260 से 51.910) गंग नहर कावंड पट्टी रोड (जटवाड़ा पुल से मोहम्मदपुर पावरहाउस तक) के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य करने के लिए, अधिशासी अभियंता ने एक ही ठेकेदार के साथ एक ही समय पर ₹ 116.44 लाख[126] के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे (सितम्बर 2019)[127], जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय शक्तियों का भी उल्लंघन था क्योंकि अधिशासी अभियंता की अनुबंध करने की अधिकतम सीमा केवल ₹ 75.00 लाख है।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि आपत्ति को विभाग ने स्वीकार कर लिया है एवं सूचित किया गया है कि कार्योत्तर अनुमोदन लेकर लेखापरीक्षा और राज्य सरकार को अवगत करा दिया जायेगा।

2.8.4.3 सलाहकार का अनियमित चयन

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (नियम 59**)** में प्रावधान है कि सलाहकारों के एकल स्रोत चयन से आमतौर पर बचा जाना चाहिए क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा का लाभ प्रदान नहीं करता है**,** चयन में पारदर्शिता का अभाव रहता है और अस्वीकार्य प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकता है। हालाँकि**,** कुछ विशेष परिस्थितियों में**,** यदि किसी विशेष सलाहकार का चयन करना आवश्यक होता है**,** जहाँ संबंधित विभाग/संगठन के समग्र

---

[126] अनुबंध सं. 07/ईई/2019-20 (कार्य क्रमांक 02) ₹ 58.58 लाख, अनुबंध सं. 08/ईई/2019-20 जॉब सं. 03) ₹ 57.85 लाख।

[127] जाब संख्या 02 की प्रारंभ और समाप्ति तिथियां क्रमशः 11 अक्टूबर 2019 और 10 फरवरी 2020 तथा जाब संख्या 03 की 19 नवम्बर 2019 और 18 मार्च 2020 थीं।

हित के संदर्भ में ऐसी फर्म/सलाहकार को नामांकित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ और औचित्य मौजूद है, तो एकल स्रोत चयन के लिए पूर्ण औचित्य को दर्ज किया जाना चाहिए और ऐसे एकल स्रोत चयन करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। ₹ 25.00 लाख से अधिक के एकल स्रोत चयन के लिए प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है।

सिंचाई खण्ड, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जुलाई 2019 में अधी अभि, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार एवं निदेशक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एस पी ए), नई दिल्ली के मध्य एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुबंध के अनुसार, एस पी ए को हरिद्वार में आस्था पथ का व्यापक लैंडस्कैपिंग (भू-निर्माण) डिजाइन तैयार करना था और इसका निर्माण करना था। जाँच के दौरान यह पाया गया कि सचिव, सिंचाई विभाग ने एस पी ए, नई दिल्ली को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के निर्देश दिए थे, परन्तु ऐसे एकल स्रोत चयन का कोई औचित्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। सलाहकार को ₹ 26.00 लाख (18 *प्रतिशत* जी एस टी को छोड़कर) की धनराशि का भुगतान किया गया था, प्रशासनिक विभाग की मंजूरी और वित्त विभाग की सहमति आवश्यक थी लेकिन ऐसी कोई मंजूरी या वित्त विभाग की सहमति नहीं ली गई थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि उक्त नियमों की जानकारी न होने के कारण वित्तीय विभाग की सहमति नहीं ली गयी थी, जिसका पालन भविष्य में किया जायेगा।

विभाग के जवाब से यह स्वतः स्पष्ट हो गया कि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना अनियमित रूप से सलाहकार का चयन किया गया है।

2.8.4.4 घाट कार्यों पर ₹ 34.77 लाख का विचलन एवं अनियमित व्यय

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी आदेश[128] (मार्च 2021) के अनुसार हर की पैड़ी क्षेत्र में घाटों[129] की मरम्मत कार्य हेतु कुम्भ मेला अधिकार प्राप्त समिति द्वारा ₹ 45.51 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। हालाँकि, मेला प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था क्योंकि प्राक्कलन, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

---

[128] आदेश सं. 668/IV-3/2020-04(02)/2021 ।

[129] एम एस एंगल, चेन, हुक, टाइल, पत्थर, रेलिंग, सी.सी. मरम्मत आदि।

आगे यह भी देखा गया कि सिंचाई खण्ड हरिद्वार द्वारा ₹ 414.74 लाख के कुछ अन्य कार्यों से संबंधित एक अनुबंध (संख्या 14/एस ई/2020-21) के अंतर्गत कार्य की अतिरिक्त मदों के रूप में उपरोक्त कार्य (घाटों की मरम्मत) पर ₹ 34.77 लाख की धनराशि व्यय की गई थी।

यह इंगित किये जाने पर, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि उक्त कार्य मेला प्रशासन[130] की अनुमति के बिना किया गया है तथा मेलाधिकारी हरिद्वार से अपेक्षा की गयी है कि समायोजित धनराशि ₹ 34.77 लाख की वसूली सम्बन्धित विभाग से तत्काल करायी जाए।

विभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट था कि घाट कार्यों पर ₹ 34.77 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

2.8.4.5 मेला प्रशासन के अनुमोदन के बिना ₹ 173.70 लाख के अतिरिक्त कार्य किये गये

कुम्भ मेलाधिकारी के निर्देशानुसार (पत्र संख्या 437/के एम/तकनीकी सेल/2020-21 दिनांक 22 जून 2020) कार्य के डिज़ाइन/ड्राइंग (नक्शा) में मेला प्रशासन की अनुमति एवं अनुमोदन के बिना परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तथा बचत को अन्यत्र किसी अन्य मद पर खर्च करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता के पत्रांक 1571 दिनांक 20 मई 2020 के अनुसार यदि स्थल के निरीक्षण के दौरान अनुमोदित नक्शे में किसी आंशिक संशोधन की आवश्यकता हो तो उचित प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जाना चाहिए।

कुम्भ मेला-2021 के अन्तर्गत नरेन्द्रनगर में गंगा नदी के दाहिने तट पर मुनि की रेती क्षेत्र में शेष आस्था पथ के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासन से ₹ 1,280.10 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अगस्त 2019 में प्राप्त हुई थी।

यह पाया गया कि अनुमोदित नक्शे और डिजाइन में परिवर्तन करके उपरोक्त स्वीकृत धनराशि कि बचत से चैनेज 00 से 680 मीटर में ₹ 173.70 लाख का अतिरिक्त भूनिर्माण कार्य किया गया था। उक्त के लिए मेला प्रशासन से स्वीकृत नहीं ली गई थी।

---

[130] मेला प्रशासन, कार्यदायी विभाग के लिए बजट अवमुक्त करने, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्यों के प्रवेक्षण के लिए अधिकृत था।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि संबंधित विभाग के मुख्य अभियंता को मेलाधिकारी प्रशासन से कार्योत्तर अनुमोदन लेने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रकार बिना पूर्वानुमोदन/मंजूरी के कराये गये ₹ 173.70 लाख के अतिरिक्त कार्य की पुष्टि होती है।

2.8.5 लोक निर्माण विभाग

2.8.5.1 बिना अनुमति के कार्य का बंटवारा और निष्पादन

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (अध्याय- I, नियम 27) में प्रावधान है कि कार्यों का एक समूह जो एक परियोजना बनाता है उसे एक कार्य माना जाएगा, और सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन को एक कार्य के रूप में लिया जाना चाहिए। केवल, उच्च अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया से बचने के लिए कार्य का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। आगे यह भी प्रावधान है (अध्याय- II, नियम 40) कि कोई भी कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, या कोई दायित्व नहीं उठाया जाएगा जब तक कि प्रशासनिक/वित्तीय मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यय करने के लिए धन उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है।

अधिशासी अभियंता (ई ई), प्रांतीय खंड (पी डी), लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी), हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा कुम्भ मेला-2021 के लिए टेंटेज (तम्बू)/ बैरिकेडिंग (अवरोध लगाना) व्यवस्था, अस्थायी आश्रय स्थल और फायर वॉच टावर के निष्पादन के लिए 14 अतिरिक्त कार्यों ***(परिशिष्ट-2.8.1)*** को अनियमित स्वीकृति दी गई थी, जिसकी लागत ₹ 22.54 करोड़ थी। अधिकारियों[131] द्वारा ₹ 2.00 करोड़ की उनकी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत, कार्यों को विभाजित करके अनियमित रूप से स्वीकृति (मार्च 2021) दी गई थी। हालाँकि, इसके मुख्य कार्यों (₹ 7.81 करोड़) के लिए वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियाँ सक्षम प्राधिकारियों (क्रमशः राज्य सरकार और मुख्य अभियंता-पी डब्ल्यू डी) के स्तर से (कार्यों के समूह के रूप में) जारी की गईं (जनवरी 2021)। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.93 करोड़ ***(परिशिष्ट-2.8.2)*** की लागत वाले आठ कार्यों को भी बिना वित्तीय स्वीकृति के दो प्रभागों[132] द्वारा निष्पादित किया गया था।

[131] मेलाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता।

[132] पी डी, हरिद्वार (क्रमांक 1 से 7) और सीडी, लक्सर (क्रमांक 8)।

प्रकरण इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि इन कार्यों की स्वीकृति राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 15 मार्च 2021 को दी गयी थी। हालांकि लेखापरीक्षा (फरवरी 2022) के दौरान और यहां तक कि बहिर्गमन गोष्ठी के समय भी विभाग के पास ऐसी कोई मंजूरी उपलब्ध नहीं थी।

2.8.5.2 दोषपूर्ण योजना

प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दो पुलों के निर्माण और विघटन से संबंधित कार्य क्रमशः ₹ 14.08 करोड़ और ₹ 4.36 करोड़ की धनराशि के लिए स्वीकृत किए गए थे। प्रतिक्रिया में, प्रत्येक कार्य के लिए एकल निविदा प्राप्त हुई जिसमें विभाग द्वारा उद्धृत और स्वीकृत दरें, विभागीय दरों ***(परिशिष्ट-2.8.3(अ) और 3(ब))*** की तुलना में क्रमशः 27.33 *प्रतिशत* और 26.23 *प्रतिशत* अधिक थीं। एक पुल को आसपास के क्षेत्र के भूविज्ञान, अपेक्षित यातायात की मात्रा, मौसम की स्थिति, हाइड्रोलिक डेटा इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है और तदनुसार ये कारक पुल का विस्तार तय करने में प्रभाव डालते हैं। पुल के डिजाइन को अंतिम रूप देने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/अनुमान के अनुमोदन के बाद, कार्य की मदों की मात्रा में बदलाव की कम से कम गुंजाइश होती है।

जाँच में पाया गया कि विभाग ने प्राक्कलन में निर्दिष्ट मात्रा कम कर दी (सितम्बर 2020) ताकि परियोजना की कुल लागत न बढ़े। मात्रा में कमी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि पुल की परियोजना रिपोर्ट में अधिक आगणन किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि उठाई गई आपत्ति विभाग द्वारा स्वीकार कर ली गई है, इसलिए सचिव, लोक निर्माण विभाग से अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

2.8.5.3 अस्थायी पुल से भण्डार में ₹ 1.04 करोड़ की स्टील की कम प्राप्ति

₹ 21.72 करोड़ की लागत से तीन अस्थायी पुलों का निर्माण कार्य स्वीकृत (अप्रैल व मई 2020) किया गया। इन तीन पुलों में से, गंगा नदी पर एक पुल[133] का निर्माण 1,114.203 मीट्रिक टन स्टील से किया गया था (1,051.23 मीट्रिक टन स्टील ठेकेदार[134] को डिवीजनल स्टोर से जारी किया गया था और शेष 62.973 मीट्रिक टन

---

[133] गौरी शंकर आइलैंड (टापू) से बैरागी कैंप को जोड़ने वाला।

[134] अनुबंध क्रमांक-21/एस ई-सी सी/2020-21 दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अंतर्गत।

सीधे ठेकेदार द्वारा क्रय किया गया था)। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आयोजन के समापन के पश्चात् पुल को विघटित किया जाना था और स्टील सामग्री की पूरी मात्रा प्रभागीय भण्डार में वापस जमा की जानी थी।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि आयोजन की समाप्ति के पश्चात्, पुल को विघटित कर दिया गया था और इस काम के लिए जारी/क्रय की गई 1,114.203 मीट्रिक टन स्टील सामग्री की आवश्यक कुल मात्रा के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा केवल 974.223 मीट्रिक टन स्टील जमा किया गया था। इसलिए, ठेकेदार से ₹ 1.04 करोड़[135] लागत की 139.98 मीट्रिक टन स्टील की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि साइट से 27.773 मीट्रिक टन स्टील बरामद नहीं हुआ था, जिसकी लागत (₹ 24.07 लाख) ठेकेदार से वसूल कर ली गई है। हालाँकि, आंशिक वसूली स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुल 139.98 मीट्रिक टन स्टील कम वसूल किया गया था।

2.8.5.4 अस्थायी सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 5.52 करोड़ की परिहार्य लागत वृद्धि

हरिद्वार में विभिन्न कुम्भ मेला क्षेत्रों के लिए 61.264 किमी अस्थायी सड़कों के निर्माण से संबंधित कार्य, जिसकी लागत ₹ 10.23 करोड़ (जी एस टी सहित) थी, मार्च 2021 में दी गई विभिन्न स्वीकृतियों के अंतर्गत निर्माण खण्ड (सी डी), लो नि वि, लक्सर को सौंपा गया था।

61.264 किमी की सड़क की लंबाई आंशिक रूप से ग्रैनुलर सब-बेस (जी एस बी) सामग्री के साथ और शेष वाटर बाउंड मैकडैम (डब्ल्यू बी एम) के साथ प्रावधानित थी जैसा कि **तालिका-2.8.5** में बताया गया है:

तालिका-2.8.5: जी एस बी और डब्ल्यू बी एम के बीच लागत का अंतर

उपयोग की गई सामग्री	सड़क की लंबाई	मात्रा (घन मीटर में)	दर प्रति घन मीटर	आगणन के अनुसार कुल धनराशि (जी एस टी के बिना) ₹ लाख में
जी एस बी	10.74 कि मी	11,814.00	656.70	77.58
जी एस बी पर कुल व्यय				*77.58*
डब्ल्यू बी एम II	50.524 कि मी	21,253.49	1,914.80	406.96
डब्ल्यू बी एम III	50.524 कि मी	21,212.71	2,000.00	424.25
डब्ल्यू बी एम पर कुल व्यय				*831.21 (परिशिष्ट-2.8.4)*

अलग-अलग लंबाई में अलग-अलग सामग्री का प्रावधान कराने का कोई विशेष कारण नहीं था। चूंकि डब्ल्यू बी एम बिछाना, जी एस बी की तुलना में लगभग तीन गुना

[135] 139.98 एम टी @ ₹ 73,987.10 प्रति टन।

महंगा है, अतः यदि पूरी लंबाई का प्रावधान जी एस बी के साथ किया गया होता तो ₹ 5.52 करोड़[136] के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

प्रभाग/राज्य सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि मूल कार्य के अंतर्गत अस्थायी सड़कों के निर्माण के लिए जी एस बी का उपयोग सफल नहीं रहा और बाद के चरणों में कई स्थानों पर जी एस बी के उपर डब्ल्यू बी एम कार्य करना पड़ा। यह भी बताया गया कि मेला प्रशासन द्वारा इन अतिरिक्त सड़क कार्यों के निष्पादन के लिए केवल 10-12 दिनों का समय दिया गया था, इसलिए विभाग के पास डब्ल्यू बी एम के उपयोग की अनुमति देने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि ये सामग्री स्थानीय खदानों/ क्रशर से आसानी से खरीदी जाती है, जबकि स्थानीय रूप से उपलब्ध जी एस बी सामग्री के संग्रहण और ग्रेडिंग में अतिरिक्त समय लगता। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जी एस बी कार्य की विफलता के लिए केवल ठेकेदारों द्वारा कार्य के घटिया निष्पादन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, अन्यथा, भारतीय सड़क कांग्रेस और पुल कार्यों के तकनीकी मानदंडों विशिष्टता संख्या-401 और 404 के अनुसार दोनों प्रकार की सामग्रियों (जी एस बी या डब्ल्यू बी एम) के उपयोग की अनुमति है।

इस प्रकार, महंगी सामग्री के उपयोग के परिणामस्वरूप कार्यों की लागत में ₹ 5.52 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसे उचित योजना/किफायती विकल्प चुनने और कार्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन से टाला जा सकता था।

2.8.5.5 कुम्भ मेला कार्य पर अनियमित व्यय (₹ 1.12 करोड़) को प्रभारित करना

अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा काटी या खोदी गई किसी भी सड़क को हुए नुकसान के बदले में लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनी सड़कों पर सड़क काटने का शुल्क वसूला जाता है। लोक निर्माण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय प्रभाग ने, उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त सड़क काटने के शुल्क से हुए नुकसान की मरम्मत का काम किया।

कुम्भ मेला-2021 के अन्तर्गत, हरिद्वार शहर में पुरानी दिल्ली नीतिपास सड़क (कुछ अन्य सड़कों सहित) के नवीनीकरण का कार्य पी डी (पी डब्ल्यू डी), हरिद्वार को ₹ 9.46 करोड़ (अक्टूबर 2020) की लागत से स्वीकृत किया गया था। इस कार्य के

[136] 21,253.49 घ.मी.x₹ 1,258.10 (₹ 1,914.80-₹ 656.70)=₹ 267.39 लाख; 21,212.71 घ.मी. x ₹ 1,343.30 (₹ 2,000-₹ 656.70) = ₹ 284.95 लाख, कुल = ₹ 552.34 लाख।

स्वीकृत आगणन के अनुसार 12,746.70 वर्गमीटर में सड़क के किनारों पर रखे गए मौजूदा इंटरलॉकिंग सीमेंट ब्लॉक (टाइल्स) को हटाकर पुनः स्थापित किया जाना था। लेकिन यू पी सी एल, रिलायंस और अन्य एजेंसियों द्वारा सड़क के किनारे केबल बिछाने के कारण कार्य के निष्पादन के समय 90 *प्रतिशत* मौजूदा इंटरलॉकिंग टाइलें क्षतिग्रस्त पाई गईं। परिणामस्वरूप केवल 1,475.34 वर्गमीटर मौजूदा टाइलों का पुन: उपयोग किया गया। प्रभाग (2020 और 2021) द्वारा जारी उचित अनुमति (एन ओ सी) के साथ और आवश्यक सड़क काटने के शुल्क जमा करने के बाद, इन एजेन्सियों द्वारा केबल बिछाए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पी डब्ल्यू डी ने अतिरिक्त कार्य के रूप में ₹ 111.68 लाख[137] की लागत पर नई इंटरलॉकिंग टाइलों के साथ 14,570.56 वर्गमीटर का कार्य निष्पादित किया और पूरा व्यय कुम्भ मेला-2021 के कार्य पर प्रभारित किया गया। यह अनियमित था क्योंकि इस व्यय को संबंधित कार्य एजेंसियों से प्राप्त सड़क कटिंग शुल्क की निधि से वसूला जाना चाहिए था। इस अनियमित व्यय को कुम्भ मेला निधि में भारित करने के लिए प्रभाग/राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

2.8.5.6 कार्यों के निष्पादन में देरी के लिए क्षतिपूर्ति की कम वसूली ₹ 1.87 करोड़

कार्य पूरा होने में देरी के लिए ठेकेदार पर लगाए जाने वाले परिनिर्धारित क्षति (एल डी) के लिए प्रत्येक अनुबंध में विशिष्ट प्रावधान शामिल होते है। इस संबंध में, मुख्य अभियन्ता (पी डब्ल्यू डी), उत्तराखण्ड द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था (अक्टूबर 2019) कि अनुचित समय के लिए क्षतिपूर्ति/एल डी की गणना हस्ताक्षरित[138] अनुबंध की निर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी, जो कि लागत मूल्य के 10 *प्रतिशत* की अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

हालाँकि, प्रांतीय खण्ड (पी डब्ल्यू डी), हरिद्वार में कुम्भ मेला कार्यों के 10 अनुबंधों के प्रकरण में यह पाया गया कि सक्षम अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों पर कार्यों के निष्पादन में देरी के लिए क्षतिपूर्ति/एल डी विवेकाधीन आधार पर आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप शासकीय कोष को ₹ 1.87 करोड़ ***(परिशिष्ट-2.8.5)*** की हानि हुई और ठेकेदारों को उस सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

---

[137] [(14,570.56 वर्गमीटर x ₹ 690.90/वर्गमीटर) x 99.05 *प्रतिशत*] + 12 *प्रतिशत* जी एस टी= ₹ 1,11,67,705.14 (₹ 111.68 लाख)।

[138] जी पी डब्ल्यू- 9 का खंड- 4 या जी सी सी का खंड- 46 ।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि बिटुमेन (डामरी करण) कार्यों के निष्पादन के लिए साइटों (स्थान) की देरी से उपलब्धता और अनुपयुक्त मौसम की स्थिति के कारण कार्यों में देरी हुई, इसलिए, इसके लिए एल डी उपयुक्त नहीं था।।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग के सक्षम अधिकारियों (ठेकेदार की ओर से) द्वारा निर्धारित किसी भी अनुचित देरी के लिए एल डी हस्ताक्षरित अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए न कि इन प्रकरणों की तरह विवेकाधीन आधार पर।

2.8.6 पुलिस

2.8.6.1 भीड़ प्रबंधन और अपराध नियंत्रण

चूंकि कुम्भ मेला जैसे बड़े समारोहों में भीड़ प्रबंधन और अपराध नियंत्रण महत्वपूर्ण पहलू हैं, इसलिए पुलिस महानिरीक्षक (आई जी) कुम्भ मेला ने पुलिस निगरानी प्रणाली (पी एस एस) की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें सी सी टी वी कैमरे, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे, डिस्प्ले बोर्ड और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली इसके मुख्य घटक के रूप में शामिल होने थे।

इसके क्रम में सी सी टी वी कैमरे, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे, डिस्प्ले बोर्ड और एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से युक्त पुलिस निगरानी प्रणाली (पी एस एस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया (फरवरी 2021)। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के उपयोग में यह एक अग्रणी पहल थी। यह पाया गया कि पी एस एस की स्थापना अप्रैल 2021 में ₹ 9.12 करोड़ की लागत से की गई थी। हालाँकि, पी एस एस के सेट (समूह) में पायी गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

(अ) पी एस एस के संचालन में कमी

पी एस एस के प्रस्ताव में विभिन्न बुद्धिमत्तापूर्ण क्षमताओं वाले 310 कैमरे, पांच परिवर्तनीय संदेश प्रदर्शन प्रणाली और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली शामिल थे। इन कैमरों के अभिलेख और लॉगबुक की जाँच से कई कमियां सामने आईं, जिनका विवरण **तालिका-2.8.6** में दिया गया है:

तालिका-2.8.6: पी एस एस के संचालन में कमियाँ

प्रकरण	अवलोकन
अपर्याप्त उपकरण/सेट अप	कुम्भ मेले की शुरुआत में 310 कैमरे लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था। स्थापना बहुत धीमी गति से हुई और अंततः कुम्भ मेले के अंत में लक्ष्य प्राप्त किया गया (30 अप्रैल 2021)। (05 अप्रैल 2021 को 208 कैमरे, 20 अप्रैल 2021 को 271 कैमरे और 30 अप्रैल 2021 को 10 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे सहित 310)।
स्थापित कैमरों का कार्य न करना	स्थापित किये गये सभी कैमरे हमेशा क्रियाशील नहीं रहते थे। मेला अवधि के दौरान इन कैमरों के निष्क्रिय रहने का *प्रतिशत* पांच से 51 *प्रतिशत* तक था। इसके अतिरिक्त, तार के टूटने और बिजली व्यवस्था में व्यवधान के कारण 15 अप्रैल 2021 को शाम 04 बजे से शाम 05 बजे तक पी एस एस ने सभी स्थापित कैमरों तक पहुंच खो दी। बैकअप सिस्टम (सुरक्षित प्रतिलिपि प्रणाली) की कमी ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिए ख़राब योजना को उजागर करती है। लेखापरीक्षा ने मेले (मई 2021 से जनवरी 2022) के बाद इन कैमरों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया और पाया कि निष्क्रिय कैमरों का *प्रतिशत* 55 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था।
कनेक्टिविटी लाइनों का खुले मे होना	पी एस एस निगरानी का एक महत्वपूर्ण उपकरण था और इसलिए, इसकी कनेक्टिविटी लाइनें भूमिगत होनी चाहिए थीं ताकि शरारती तत्व किसी भी परिस्थिति में सिस्टम को बंद न कर सकें। शुरुआत में यह प्रस्ताव पी एस एस के लिए भूमिगत फाइबर केबल वायरिंग बिछाने का था, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया।

इसे इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2023)

(ब) पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव

चूंकि पी एस एस एक उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणाली थी, इसलिए इसके संचालन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। यह देखा गया कि नियंत्रण कक्ष में कोई तकनीकी कर्मचारी तैनात नहीं था और 12 कार्यस्थलों को अस्थायी रूप से नियुक्त नौ कर्मियों के माध्यम से पाली में संचालित किया जा रहा था। इन लोगों को नाममात्र का प्रशिक्षण दिया गया था। यह भी पाया गया कि उक्त प्रणाली के संबंध में कोई रिपोर्ट/रिटर्न तैयार नहीं किया जा रहा था और अभिलेखों में अधूरी जानकारी उपलब्ध थी।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि पी एस एस में कार्यरत कर्मी पिछले 10 वर्षों से निगरानी का कार्य कर रहे हैं और सी सी टी वी

निगरानी का कार्य सभी पुलिस कर्मियों द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया है। राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी एस एस में अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम और पी एस एस में प्रतिनियुक्त कर्मियों की कमी के कारण पी एस एस से संबंधित अभिलेखों/डेटा का रख-रखाव अधूरा था।

2.8.7 शहरी स्थानीय निकाय

2.8.7.1 पूर्व मूल्यांकन के बिना वाहनों की खरीद

कुम्भ मेला-2021 के लिए निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए मेलाधिकारी द्वारा नगर निगम (एन एन), हरिद्वार और नगर पालिका परिषद (एन पी पी), शिवालिक नगर, हरिद्वार को ₹ 18.71 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी।

उक्त शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) के संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि कुम्भ मेला-2021 में अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन और एकीकरण के लिए सभी वाहन कुम्भ मेला के शुरू होने से पहले नहीं खरीदे गए थे। यह पाया गया कि इन वाहनों की आपूर्ति कुम्भ मेला की अवधि के दौरान टुकड़ों में की गई थी और एक स्ट्रीट लोडर की आपूर्ति कुम्भ मेला समाप्त होने के पश्चात् गई थी। कुम्भ मेला, 2021 के लिए खरीदे गए लेकिन उपयोग नहीं किए गए वाहनों का विवरण नीचे **तालिका-2.8.7** में दिखाया गया है:

तालिका-2.8.7: खरीदे गए वाहनों का विवरण और उनके उपयोग की स्थिति

क्र. सं.	खरीदे गए वाहन का नाम	मात्रा (संख्या में)	आपूर्ति की तिथि	धनराशि (₹ लाख में)	उपयोग की स्थिति
एन एन हरिद्वार					
1.	ट्रैक्टर के साथ नाला सफाई मशीन	04	20.04.2021	43.56	मशीन में तकनीकी खराबी के कारण वाहन का उपयोग मेले में नहीं हो सका।
2.	स्ट्रीट लोडर	01	20.05.2021	14.40	मेला समापन के बाद वाहन की आपूर्ति की गई।
3.	बैकहो लोडर	01	12.04.2021	22.88	उपयोग नहीं किया।
4.	ई-रिक्शा	58	10.03.2021 से 19.04.2021	80.33	चालक की अनुपलब्धता के कारण ई-रिक्शा का उपयोग नहीं किया जा सका।
एन पी पी शिवालिक नगर, हरिद्वार					
1	ई-रिक्शा	09	06.04.2021 से 21.04.2021	17.86	कुम्भ मेला में उपयोग नहीं किया गया।
2	मिनी टिपर	05	08.04.2021	38.10	कुम्भ मेला में उपयोग नहीं किया गया।
योग				***217.13***	

उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यू एल बी ने ₹ 217.13 लाख के वाहन खरीदे जिनका कुम्भ मेला के दौरान उपयोग नहीं किया गया। यह इंगित करता है कि वाहनों की खरीद केवल उपलब्ध धन को उपयोग करने हेतु की गई थी।

आगे यह भी पाया गया कि ई-रिक्शा की खरीद में व्यय की गई धनराशि ₹ 17.86 लाख में से ₹ 16.20 लाख ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जनशक्ति के प्रावधान हेतु योजना से डायवर्ट करके लिया गया था। इस संबंध में कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी।

ट्रैक्टर के साथ चार नाला सफाई मशीनें अप्रैल 2021 में प्राप्त हुईं। हालाँकि, आपूर्ति की गई मशीनों का उपयोग कुम्भ मेला 2021 में नहीं किया जा सका क्योंकि मशीन में उपयोग की जाने वाली बकेट का आकार आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। निविदा अभिलेखों की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा/आपूर्ति आदेश में आवश्यक विशिष्टताओं का उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, मशीन का कोई तकनीकी निरीक्षण नहीं किया गया जिसके कारण बिना उपयोग के वस्तुओं की खरीद की गई। इसलिए, ₹ 43.56 लाख की लागत की चार मशीनें निष्क्रिय पड़ी रहीं।

इसे इंगित किए जाने पर, लेखापरीक्षित इकाई ने, लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि कुम्भ मेला 2021 के दौरान वाहनों/मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सका।

2.8.8 अनुशंसाएं

राज्य सरकार निम्न पर विचार कर सकती है:

(i) सामूहिक समारोहों के ऐसे आयोजनों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की समय पर क्रय और स्थापना;

(ii) क्रय किए गए वाहनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग।

अध्याय-3

राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-3

राजस्व क्षेत्र के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग

3.1 पंजीकृत लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टांप शुल्क एवं निबंधन शुल्क के न्यूनारोपण से संबन्धित विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 प्रस्तावना

स्टाम्प शुल्क (स्टा शु) और निबंधन शुल्क (नि शु) की प्राप्तियां, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, (भा स्टा अधि), पंजीकरण अधिनियम (पंजी अधि), 1908 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू हैं, के अनुसार विनियमित की जाती है। उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, विलेखों के निष्पादन पर स्टा शु एवं नि शु आरोपणीय होता है। सम्पत्ति का मूल्यांकन, उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत, जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्कल दरों के अनुसार किया जाता है। विलेखों का उचित वर्गीकरण, पंजीकृत किए जा रहे विलेखों पर उचित स्टा शु एवं नि शु आरोपित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गलत वर्गीकरण से राज्य सरकार को राजस्व हानि हो सकती है।

3.1.2 कर प्रशासन

शीर्ष स्तर पर, सचिव, वित्त, विभाग का प्रमुख होता है जो शासन स्तर पर अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के समग्र प्रशासन का उत्तरदायित्व महानिरीक्षक निबंधन (म नि नि) का होता है। वह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त निबंधन कार्यालयों पर सामान्य अधीक्षण का कार्य करता है और अधिनियम (पंजी अधि, 1908 की धारा 69) के अनुरूप नियम बनाने की शक्तियां रखता है। उसकी सहायता हेतु एक अपर महानिरीक्षक निबंधन (अ म नि नि), एक उप महानिरीक्षक निबंधन (उ म नि नि) कुमाऊं क्षेत्र, पांच सहायक महानिरीक्षक निबंधन (स म नि नि), 13 जिला निबंधक (जि नि) और 49 उप-निबंधक (उ नि) होते हैं।

3.1.3 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की वर्ष 2019-20 से 2021-2022 की कुल प्राप्तियाँ **तालिका-3.1.1** में दी गयी है:

तालिका-3.1.1: वर्षवार राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
स्टांप शुल्क	790.15	812.36	1,120.14
निबंधन शुल्क	221.92	237.28	296.10
योग	*1,012.07*	*1,049.64*	*1,416.24*

3.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादित की गई थी कि क्या:

- पंजीकरण के लिए प्रस्तुत विलेखों को अधिनियम के अनुसार उचित रूप से वर्गीकृत किया गया था;
- दस्तबरदारी, तितिम्मा (शुद्धि पत्र), विभाजन, व्यवस्थापन एवं बंधक विलेख पत्रों पर स्टा शु और नि शु का संबंधित अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार आरोपण, संग्रहण और लेखांकन किया गया और शासन के हित की रक्षा की गई;
- उ नि द्वारा विलेखों को कलेक्टर स्टांप को भा स्टा अधि, 1899 की धारा 47-क के अंतर्गत निर्दिष्ट करते समय उचित प्रक्रिया का पालन किया गया;
- उपनिबंधक कार्यालय (उ नि का) में प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से मिलान हेतु प्रावधान हैं; एवं
- स्टाम्प और निबंधन विभाग द्वारा क्रेता और विक्रेता के मतदाता पहचान पत्र आधार/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस विवरण के सत्यापन हेतु प्रावधान हैं।

3.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- भारतीय स्टांप अधिनियम (भा स्टा अधि) 1899;
- भारतीय स्टांप अधिनियम (भा स्टा अधि) उत्तराखण्ड संशोधन 2016;
- पंजीकरण अधिनियम (पंजी अधि) 1908;
- पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011;
- उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली में दिये गए पंजीकरण नियम;
- सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882;
- उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति मूल्यांकन नियमावली, 2015;
- स्टा शु एवं नि शु की अनुसूचियाँ एवं
- उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत किए गए परिपत्र एवं आदेश।

3.1.6 लेखापरीक्षा आच्छादन एवं पद्धति

- स्टांप एवं निबंधन विभाग में "कोर निबंधन प्रणाली (को नि प्र)" के माध्यम से पंजीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान पंजीकृत विलेखों के वर्गीकरण से संबंधित स्टाम्प और निबंधन विभाग की गतिविधियों एवं कामकाज को आच्छादित करने हेतु मई 2022 से अक्टूबर 2022 के मध्य एस एस सी ए का निष्पादन किया गया था। लेखापरीक्षा पद्धति में प्रतिस्थापन के साथ आकार के समानुपाती प्रायिकता (पी पी एस डब्ल्यू आर) विधि के आधार पर चयनित 49 उ नि का में से 13[1] नमूना जांच किए गए उ नि का में पंजीकृत विलेखों से संबंधित दस्तावेजों और आंकड़ों की जांच और विश्लेषण शामिल था, जो यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया गया कि विलेखों/लिखतों को उचित रूप से वर्गीकृत किया गया था एवं स्टा शु और नि शु, भा स्टा अधि 1899, पंजी अधि, 1908 और विभिन्न जिलों के सर्किल दरों और बाजार मूल्य दिशानिर्देशों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आरोपित, संग्रहित और लेखबद्ध किए गए। दिनांक 06 मई 2022 को सचिव, वित्त एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ प्रवेश गोष्ठी आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र, मानदंड और पद्धति पर चर्चा की गई। 09 फरवरी 2023 को बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित किया गया।
- 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान, चयनित 13 उ नि का में दस्तबरदारी, तितिम्मा, व्यवस्थापन, बंधक और विभाजन से संबंधित कुल 8,797 विलेख पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 1,426 (16.21 *प्रतिशत)* विलेखों का नमूना परीक्षण यह आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.7 प्रणालीगत प्रकरण

- ***सॉफ्टवेयर में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से मिलान करने का प्रावधान***

भा स्टा अधि 1899 की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद 34-क में, शुल्क के साथ प्रभार्य एक लिखत जिसके संबंध में उचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, विशुद्ध रूप से लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए प्रावधान है। किसी विलेख को तितिम्मा विलेख

[1] उ नि-प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, देहरादून, उ नि-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, रुड़की, उ नि-प्रथम एवं द्वितीय विकासनगर, उ नि रुद्रपुर, बागेश्वर, सितारगंज एवं ऋषिकेश।

के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु दोनों विलेखों के तथ्यों और आंकड़ों की तुलना करने के लिए मूल विलेख के साथ तितिम्मा विलेख का मिलान होना चाहिए। यह पाया गया कि पंजीकरण सॉफ्टवेयर में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से मिलान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) में राज्य सरकार ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि विभागीय सॉफ्टवेयर में इसके लिए प्रावधान मौजूद है। तथापि, जब सभी डेटा का डिजिटलीकरण हो जाता है (डेटा डिजिटलीकरण की प्रक्रिया गतिमान है), तो उपर्युक्त समस्या का समाधान हो जाएगा।

- ***भू-अभिलेखों के सत्यापन हेतु निबंधन प्रणाली का "भूलेख" अभिलेखों से एकीकरण न होना***

"भूलेख" अभिलेखों का निबंधन प्रणाली के साथ एकीकरण किया जाना आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विक्रेता सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी है एवं बेची जा रही भूमि का रकबा (क्षेत्रफल) सम्पत्ति स्वामी के संबन्धित खसरा/खतौनी से अधिक नहीं है। म नि नि, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के कार्यालय से एकत्रित अभिलेखों एवं सूचनाओं की जांच में पाया गया कि बिक्री की जा रही भूमि के भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली का भू-अभिलेखों के साथ एकीकरण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, लेखपत्रों के पंजीकरण के समय, भूमि अभिलेख के विवरण का सत्यापन नहीं किया जा सकता है जिससे विक्रेता की वास्तविकता एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेची गई भूमि का रकबा, बिक्री की जा रही भूमि के खसरा/खतौनी के क्षेत्रफल से अधिक नहीं है।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) में राज्य सरकरा ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि विभागीय डेटा के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया गतिमान है एवं राजस्व विभाग के डाटा का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया जाना शेष है।

- ***विक्रेता, खरीदार और गवाहों की पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी एवं यू आई डी ए आई के साथ कोई वेब सेवा लिंक न होना***

दस्तावेजों के पंजीकरण के समय विक्रेता, खरीदार और गवाहों की पहचान सत्यापित करने के लिए, मतदाता पहचान पत्र/आधार/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस डेटा का स्टाम्प और

निबंधन विभाग के साथ लिंक होना चाहिए। कार्यालय, महा नि0 नि, स्टांप एवं निबंधन विभाग से एकत्र किए गए अभिलेखों और सूचनाओं की जांच में पाया गया कि पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और यू आई डी ए आई के साथ कोई वेब सेवा लिंक नहीं थी ताकि पंजीकरण के समय विक्रेता, खरीदार और गवाहों द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड का सत्यापन हो सके एवं संभावित धोखाधड़ी और प्रतिरूपण को रोका जा सके।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) में राज्य सरकार ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि बिना ए डी वी (आधार डेटा वॉल्ट) और एच एस एम (हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल) के यू आई डी के साथ एकीकरण नहीं किया जा सकता है। उक्त की खरीद और कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

- ***लेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के प्रकरण, कलेक्टर, स्टांप को स्टा अधि की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निर्दिष्ट नहीं किए गए थे***

भा स्टा अधि**,** 1899 की धारा 47-क (1) (घ) के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारियों को, लेखपत्रों के पंजीकरण से पहले उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए, स्टा शु कमी के प्रकरणों को कलेक्टर, स्टांप को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है एवं वह धारा 33 (1) के अंतर्गत उसे जब्त कर सकता है, जबकि धारा 47-क (3) के अंतर्गत कलेक्टर, स्टाम्प स्वप्रेरणा से प्रकरणों को मँगा कर परीक्षण कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पंजीकृत लेखपत्रों पर उचित शुल्क का भुगतान किया गया है।

तेरह चयनित उ नि का में से ग्यारह[2] में यह पाया गया कि ऐसे लिखत जो गलत वर्गीकरण के कारण उचित रूप से स्टांपित (मुद्रांकित) नहीं थे, पंजीकरण के पश्चात, भा स्टा अधि, 1899 की धारा 47-क (3) के अंतर्गत कलेक्टर को निर्दिष्ट किए गये थे जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। अपर जिला अधिकारियों (अ जि अ) (वित्त और राजस्व)[3] ने निर्दिष्ट किए गए प्रकरणों को धारा 47क (1) और 47क (3) के अंतर्गत विभाजित करके विवरण प्रस्तुत नहीं किया। पुनः, यह भी पाया गया कि अधिनियम की गलत धाराओं के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकरणों को भी अ जि अ

[2] उ नि-प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, देहरादून, उ नि-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, रुड़की, उ नि-प्रथम एवं द्वितीय विकासनगर, उ नि रुद्रपुर, एवं उ नि ऋषिकेश।

[3] अ जि अ (वि एवं रा)-देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर।

(वि एवं रा)[4] द्वारा स्वीकार किया गया था, जिससे अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफलता हुई। इसके परिणामस्वरूप आम जनता का उत्पीड़न हो सकता है।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) में राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि गलत वर्गीकरण के वादों को उचित धाराओं में निर्दिष्ट करने हेतु, विभाग समस्त उ नि को निर्देश जारी करेगा।

3.1.8 अनुपालन के प्रकरण

मई 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान चयनित 13 उ नि का की 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि के अभिलेखों के नमूना परीक्षण में, 1,426 प्रकरणों में से 343 प्रकरणों (24.05 *प्रतिशत)* में ₹ 6.63 करोड़ के स्टा शु और नि शु के न्यूनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला। अनुपालन प्रकरणों से संबंधित निष्कर्षों का सारांश **तालिका-3.1.2** में वर्गीकृत और चित्रित किया गया है।

तालिका-3.1.2: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1.	दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	106	422.39
2.	बंधक विलेखों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	61	25.86
3.	नए विलेखों के तितिम्मा विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	125	101.28
4.	व्यवस्थापन विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	14	33.78
5.	विभाजन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	15	39.84
6.	पृथक हिस्सों को एक हिस्से के रूप में वर्गीकरण के परिणामस्वरूप नि शु का न्यूनारोपण	16	8.30
7.	परिवार के अधीन सदस्यों के बीच हस्तांतरण के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	05	9.58
8.	मुख्तारनामा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण	01	22.12
	योग	***343***	***663.15***

[4] भा स्टा अधि 1899 की धारा 2(9) (ख) के अनुसार अ जि अ (वि एवं रा) कलेक्टर स्टांप के रूप में कार्य करते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है। इंगित किए गए प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा किए गए नमूना परीक्षण पर आधारित हैं।

3.1.8.1 दान एवं विभाजन विलेखों को दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

भा स्टा अधि 1899 की अनुसूची 1 (ख) के अनुच्छेद 55 के अनुसार दस्तबरदारी विलेख एक ऐसा विलेख है जिसमें कोई व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति पर या किसी निश्चित सम्पत्ति पर, दावे को त्याग दे। दस्तबरदारी की आवश्यक शर्तें[5] यह हैं कि त्यागकर्ता और त्यागग्रहीता सम्पत्ति का सह-स्वामी होना चाहिए और सह-स्वामी को सभी सह-स्वामियों के पक्ष में दावे का त्याग करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति का अधिकार, स्वामित्व या हित समाप्त नहीं होता है, जिसके पास सम्पत्ति का स्वामित्व अधिकार है और सम्पत्ति को त्यागग्रहीता के पक्ष में अंतरित नहीं किया जा सकता है। त्याग करने का दावा किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में वृद्धि नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने टी मम्मो बनाम वी के रामास्वामी प्रकरण में प्रतिपादित किया है कि यदि विलेख में, अधिकार हस्तांतरित करने की मंशा व्यक्त की गई है तो इसे हस्तांतरण विलेख माना जाना चाहिए। भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1 (ख), अनुच्छेद 33 के अनुसार ऐसा पंजीकृत विलेख जिसके द्वारा त्यागकर्ता ने अपने अधिकार, स्वामित्व या हित को त्यागग्रहीता के पक्ष में बिना किसी प्रतिफल के त्याग दिया हो, का वास्तविक प्रभाव सम्पत्ति का दान के रूप में अंतरण होगा। किसी व्यक्ति की निर्वसियत मृत्यु हो जाती है तो सम्पत्ति का हस्तांतरण, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 एवं 16 के अनुसार होता है। उत्तराधिकार के रूप में सम्पत्ति अर्जित करने वाले उत्तराधिकारी सह स्वामी होते हैं एवं प्रत्येक सह स्वामी का हिस्सा निर्धारित[6] होता है। उनमें से प्रत्येक का हिस्सा पृथक एवं स्पष्ट है। केवल एक कानूनी उत्तराधिकारी को सम्पत्ति पर अधिकार या स्वामित्व तभी मिल सकता है यदि अन्य कानूनी उत्तराधिकारी इसे बिक्री या दान विलेख के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं। भा स्टा अधि 1899 की धारा 27 के अनुसार उ नि द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे तथ्य जो विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता प्रभावित करते हों, सम्पूर्णतया एवं सत्यतापूर्वक

---

5 ए आई आर 1986 आन्ध्र प्रदेश 42 ।

6 ए आई आर 1979 इलाहबाद 305 ।

व्यक्त किए गए हैं एवं भा स्टा अधि 1899 की धारा 3 से संबन्धित अनुसूची 1 (ख) में उल्लिखित वर्गीकरण के आधार पर शुल्क आरोपित किए गए है। स्टा शु और नि शु की उपयुक्त दरों को आरोपित करने हेतु लेखपत्रों के सही वर्गीकरण के लिए उ नि को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत लेखपत्रों की गहन जांच करनी चाहिए। दस्तबरदारी विलेख पर देय स्टा शु, ₹ 2,500 तक दावे के मूल्य या धनराशि पर सात *प्रतिशत* है और उसके पश्चात अधिकतम ₹ 210 है और नि शु केवल ₹ 100 है।

ग्यारह उप नि का में निष्पादित 501 दस्तबरदारी विलेखों की जांच में पाया गया कि लेखपत्रों को पंजीकृत करते समय उचित स्टा शु एवं नि शु आरोपित करने हेतु 106 प्रकरणों में लेखपत्रों के वर्गीकरण के संबंध में उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.22 करोड़ के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ। निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

अ उत्तराधिकार के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति के अधिकार, स्वत्व (स्वामित्व विलेखों) एवं स्वामित्व हस्तांतरण का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

पाँच कार्यालयों के 16 प्रकरणों में यह पाया गया कि सम्पत्ति के स्वामी की निर्वसीयत मृत्यु हो गई, हिंदू, उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 और 16 में निर्धारित उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार सम्पत्ति हस्तांतरित की गई। निर्धारित हिस्सा वाले कानूनी उत्तराधिकारियों ने बिना किसी प्रतिफल के अपने हिस्सों को अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया था और दस्तबरदारी विलेखों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सभी अधिकार, स्वत्व और स्वामित्व को दूसरे उत्तराधिकारी के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। इसे दस्तबरदारी विलेख के स्थान पर दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। दान विलेख पर आरोपणीय स्टा शु की दर, सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पाँच *प्रतिशत* है, जबकि पारिवारिक सदस्य के प्रकरण में दर, सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक *प्रतिशत*[7] है और देय नि शु धनराशि का दो[8] *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.48 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट-3.1.1)***।

---

7 उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-9 संख्या XXVII(9)/2013/स्टांप-20/2010 देहरादून: दिनांक 23 जुलाई 2013 ।

8 उत्तर प्रदेश शासन अधिसूचना संख्या SR 3814/11-95 दिनांक 15 सितम्बर 1995 ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि ***परिशिष्ट-3.1.1*** के क्रम संख्या 4, 5 और 12 से 16 के प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा इंगित जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किए गए थे, जबकि ***परिशिष्ट-3.1.1*** के क्रमांक 1,2,3 और 6 से 11 तक के प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा।

ब ऐसे लेखपत्र, जिनमें सह-स्वामियों में से एक द्वारा त्याग किया गया हिस्सा अन्य सभी सह-स्वामियों के पक्ष में नहीं था, का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

चार कार्यालयों के 16 प्रकरणों में यह पाया गया कि सम्पत्ति के सह-स्वामियों में से एक ने बिना किसी प्रतिफल के अपना हिस्सा अन्य सभी सह-स्वामियों के स्थान पर कुछ सह-स्वामियों के पक्ष में त्याग कर दिया और सम्पत्ति का सभी अधिकार, स्वत्व और स्वामित्व भी हस्तांतरित कर दिया। इसे दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.04 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट-3.1.2)***।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि ***परिशिष्ट-3.1.2*** के क्रम संख्या 3 से 8 तक के प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था, जबकि ***परिशिष्ट-3.1.2*** के क्रम संख्या 1, 2 एवं 9 से 16 के प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा।

स ऐसे लेखपत्र, जिसमें त्यागकर्ता एवं त्यागग्रहीता सम्पत्ति के सह-स्वामी नहीं थे, का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

दो कार्यालयों के दो प्रकरणों[9] में यह पाया गया कि त्यागकर्ता द्वारा सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिफल के त्यागग्रहीता के पक्ष में त्याग कर दिया गया था। जबकि, त्यागकर्ता और त्यागग्रहीता सम्पत्ति के सह-स्वामी नहीं थे। इसे दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.81 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

[9] विक्रय पत्र सं 4257/2020, ₹ 0.29 लाख, उ नि-प्रथम विकासनगर एवं 933/2022, ₹ 0.52 लाख, उ नि-तृतीय, देहरादून।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा।

द ऐसे लेखपत्र, जिनमें त्यागग्रहीता को त्यागकर्ता द्वारा राजस्व अभिलेखों में सम्पत्ति के उत्परिवर्तन का अधिकार दिया गया था, का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

सात कार्यालयों के 70 प्रकरणों में यह पाया गया कि त्यागकर्ता द्वारा त्यागग्रहीता के पक्ष में बिना किसी प्रतिफल के सौंपी गई सम्पत्ति को या तो भूमि अभिलेखों में त्यागग्रहीता के पक्ष में उत्परिवर्तित कर दिया गया था या उत्परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी, जो दस्तबरदरी विलेखों के प्रावधानों के विरुद्ध था। त्याग दिया गया दावा भू-राजस्व अभिलेखों में किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में वृद्धि नहीं कर सकता है। इसे दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.82 करोड़ के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट-3.1.3)***।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि ***परिशिष्ट-3.1.3*** में उल्लिखित 70 प्रकरणों में से, क्रमांक 44 और 45 पर उल्लिखित दो प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था। शेष प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

य विभाजन विलेख का दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

भा स्टा अधि, 1899 की धारा 2(15) के अनुसार, विभाजन विलेख का अर्थ उस विलेख से है जिससे किसी सम्पत्ति के सह-स्वामी उस सम्पत्ति को अलग-अलग भागों में विभाजित करे या विभाजित करने का इकरार करे। पुनः, विभाजन उन सह-स्वामियों के बीच संभव है जिनके पास पूर्ण या समान अधिकार नहीं हैं। भा स्टा अधि 1899 की अनुसूची-1 ख के अनुच्छेद 45 के अनुसार, पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त विभाजन के लिखत पर देय स्टा शु सम्पत्ति के अलग किए गए हिस्से या हिस्सों की धनराशि या मूल्य के बराबर धनराशि का सात *प्रतिशत* है। नगरपालिका की सीमा के भीतर पारिवारिक सदस्यों[10] के प्रकरण में देय स्टा शु की

[10] अधिसूचना सं. 35/XXVII (9)/2011/स्टांप-20/2010 दिनांक 24 जनवरी 2011 ।

दर एक *प्रतिशत* है, जो ₹ 10 करोड़ तक के लिखत पर अधिकतम ₹ एक लाख और ₹ 10 करोड़ से अधिक मूल्य के लिखत पर ₹ तीन लाख है और नगरपालिका सीमा के बाहर, देय स्टा शु की दर 0.25 *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है जबकि देय नि शु सम्पत्ति के मूल्य का दो *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है।

दो कार्यालयों के दो प्रकरणों[11] में यह पाया गया कि सम्पत्ति के सह-स्वामियों के बीच विभाजन था और उक्त विलेखों को दस्तबरदारी विलेख के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.06 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.8.2 बंधक विलेखों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

नौ उ नि का में निष्पादित 180 बंधक विलेखों की जांच में पाया गया कि दस्तावेजों के वर्गीकरण के संबंध में भा स्टा अधि 1899 के सुसंगत प्रावधानों का 61 विलेखों में पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.86 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

अ) बिना कब्जा, बंधक विलेखों का कब्जा सहित बंधक विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 40 (क) और 40 (ख) में कब्जे के साथ या बिना कब्जे बंधक पत्रों का वर्गीकरण किया गया है। जब ऐसे विलेख में उल्लिखित सम्पत्ति या सम्पत्ति के किसी हिस्से का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दिया जाता है या देने के लिए सहमति दी जाती है, तो देय स्टा शु ऐसे विलेख की कुल धनराशि पर पांच *प्रतिशत* है, जबकि बिना कब्जे के बंधक पत्र पर स्टा शु की दर सात *प्रतिशत* और देय नि शु ऐसे विलेख की कुल धनराशि पर दो *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है।

[11] विक्रय पत्र सं. 657/2020, ₹ 3.48 लाख, उ नि-तृतीय, देहरादून & 134/2021, ₹ 0.58 लाख उ नि ऋषिकेश।

छः उप नि का में 46 प्रकरणों में यह पाया गया कि बिना कब्जे वाले बंधक विलेखों को कब्जे वाले बंधक विलेखों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.35 लाख के स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट-3.1.4)***।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि ***परिशिष्ट-3.1.4*** के क्र सं 30 से 44 तक के प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था, जबकि क्र सं 1 से 29 और क्र सं 47 को जाँच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्र सं 45 और 46 के प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि उक्त प्रकरण स्वत्व पत्रों के निक्षेप से संबंधित थे क्योंकि विलेखों में इसका उल्लेख किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलेख को, भा स्टा अधि, 1899 के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया था एवं सात *प्रतिशत* के स्थान पर पांच *प्रतिशत* की दर से स्टा शु वसूला गया था।

ब) प्राप्त की गई धनराशि के स्थान पर बंधक रखी गई सम्पत्ति के मूल्य पर शुल्क का अधिरोपण

जब किसी विलेख में उल्लिखित सम्पत्ति या सम्पत्ति के किसी हिस्से का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दिया जाता है या देने के लिए सहमति दी जाती है, तो ऐसे विलेख द्वारा प्राप्त की गई धनराशि पर स्टा शु देय होता है और इस हेतु सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया जाता है। एक विलेख[12] की जांच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 30 लाख की ऋण धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन गिरवी रखी गई सम्पत्ति का मूल्य ₹ 8,96,000 था जो ऋण धनराशि से कम था। इसके अतिरिक्त, ₹ 30 लाख के स्थान पर ₹ 8,96,000 पर सात *प्रतिशत* की दर से स्टा शु आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.54 लाख के स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि प्रकरण को जाँच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

---

[12] विक्रय पत्र सं 5488/2021, उ नि रुद्रपुर।

स) बंधक विलेख पर बॉन्ड पर लागू स्टाम्प शुल्क का अधिरोपण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद 40 (ख) के अनुसार, बिना कब्जे वाले बंधक विलेख पर बांड[13] पर लागू दर से ही स्टा शु देय है जो विलेख द्वारा सुरक्षित धनराशि पर आरोपित होता है। अधिसूचना संख्या के एस बी-5-3706/11-1998, दिनांक 31 अगस्त 1998 द्वारा बॉन्ड पर भुगतान योग्य स्टा शु को घटाकर चार *प्रतिशत* कर दिया गया था। उक्त अधिसूचना में यह विशेष रूप से उल्लिखित किया गया था कि कम की गई दरें केवल अनुच्छेद 15 द्वारा आच्छादित लिखतों पर लागू होंगी और किसी अन्य अनुच्छेद के अंतर्गत प्रभार्य अन्य वर्ग के लिखतों पर लागू नहीं होंगी भले ही वे बांड के रूप में शुल्क के लिए प्रभार्य हों।

तीन उ नि का में 14 प्रकरणों में यह पाया गया कि बंधक विलेख के रूप में पंजीकृत विलेखों पर बांड पर लागू स्टा शु की दर से गणना करते हुए सात *प्रतिशत* के स्थान पर चार *प्रतिशत* की दर से स्टा शु की वसूली की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.97 लाख के स्टा शु का न्यूनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट-3.1.5)***।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि क्र सं 1 से 5 तक के प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था, जबकि क्र सं 6 से 14 तक के प्रकरणों को जाँच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.8.3 नए विलेखों के तितिम्मा विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1 (ख) के अनुच्छेद 34-क के अनुसार, किसी लिखत में विशुद्ध रूप से लिपिकीय त्रुटि को तितिम्मा विलेख द्वारा ठीक किया जा सकता है। तितिम्मा विलेख के परिणामस्वरूप मूल विलेख के सापेक्ष, पक्षों के अधिकार और कानूनी स्थिति, सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली में उल्लिखित पंजीकरण नियम 350 के अनुसार, जहां विवरण की त्रुटि को ठीक करने और मूल मंशा को परिवर्तित करने के लिए पक्षकारों की सहमति से पंजीकरण के पश्चात, विलेख में परिवर्तन किया जाता है तो यह परिवर्तन लिखत को पहले से पंजीकृत

---

[13] बांड में ऐसा विक्रय पत्र शामिल है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरे को धन अदा करने के लिए आबद्ध करता है।

विलेख से भिन्न बनाता है। परिवर्तित विलेख पर स्टा शु और नि शु नए सिरे से लगाया जाना चाहिए। तितिम्मा विलेख पर देय स्टा शु और नि शु ₹ 100 है जबकि नए लिखत[14] पर भा स्टा अधि, 1899 की धारा 3 से संबन्धित अनुसूची 1(ख) में उल्लिखित लेन-देन की प्रकृति के अनुसार स्टा शु देय होता है एवं नि शु संपति के मूल्य का दो *प्रतिशत* की दर और अधिकतम ₹ 25,000 है।

तेरह उ नि का में निष्पादित 655 तितिम्मा विलेखों की जांच में पाया गया कि 13 कार्यालयों के 125 प्रकरणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन यथा क्षेत्रफल, माप, सीमा, विक्रेता, क्रेता, गाँव के नाम, खसरा संख्या, खेत संख्या, भूखंड संख्या, स्थान के नाम आदि परिवर्तित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, मूल विलेखों की तुलना में तितिम्मा विलेखों में नए तथ्यों को शामिल किया गया था और इसके बावजूद उन्हें तितिम्मा विलेखों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जबकि, उक्त विलेखों को एक नए विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट-3.1.6)***।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने कुल 125 आपत्तियों में से 95 को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि 13 प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया है, जबकि 82 प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा। शेष 30 प्रकरणों में, राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि सुधार लिपिकीय प्रकृति के थे और उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 351 के अंतर्गत विवरण की त्रुटि को ठीक करने के लिए पूरक विलेख निष्पादित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित मूल विलेखों की तुलना में उक्त विलेखों में महत्वपूर्ण[15] परिवर्तन भी थे, जो उनकी मूल मंशा को परिवर्तित करने के लिए किए गए थे जिससे परिणामस्वरूप उक्त विलेख, उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 350 के अनुसार, नए विलेख थे।

---

[14] लिखत के अंतर्गत प्रत्येक दस्तावेज़ और अभिलेख शामिल है जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है।

[15] महत्वपूर्ण परिवर्तन में माप, सीमा, भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल आदि शामिल है, जैसा कि परिशिष्ट 3.1.6 में वर्णित है।

3.1.8.4 व्यवस्थापन विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

आठ उ नि का में निष्पादित 46 व्यवस्थापन विलेखों की जांच में पाया गया कि 14 विलेखों में व्यवस्थापन विलेखों के रूप में लेखपत्रों के वर्गीकरण के संबंध में भा स्टा अधि 1899 के सुसंगत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.78 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

अ) व्यवस्थापन विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण

भा स्टा अधि, 1899 की धारा 2 (24) में उल्लिखित आवश्यक शर्तों में से एक के अनुसार, व्यवस्थापन का अर्थ चल या अचल सम्पत्ति का लिखित रुप में कोई गैर वसीयतनामा[16] प्रबंध[17] है, जिसका उद्देश्य व्यवस्थापक की सम्पत्ति को उसके परिवार के बीच वितरित करना, या उन लोगों के लिए जिनके लिए वह प्रावधान करना चाहता है या उस पर निर्भर किसी व्यक्ति के लिए प्रावधान करना है। यह उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए जो सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी है और लाभार्थी उसके पारिवारिक सदस्य हैं या वे हैं जिनके निर्वाह की वह व्यवस्था करना चाहता है। इसका निष्पादन पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 58 के अनुसार, पारिवारिक सदस्य के अतिरिक्त व्यवस्थापन विलेखो पर देय स्टा शु व्यवस्थापित की गई सम्पत्ति के मूल्य या धनराशि के बराबर धनराशि का सात *प्रतिशत* है, जबकि पारिवारिक सदस्य के प्रकरण में यह 0.5 *प्रतिशत*[18] है जो ₹ 10 करोड़ मूल्य तक के लिखत पर अधिकतम ₹ एक लाख और ₹ 10 करोड़ मूल्य से अधिक के लिखत पर ₹ तीन लाख और देय नि शु व्यवस्थापित की गई सम्पत्ति की धनराशि या मूल्य के बराबर धनराशि का दो *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सम्पत्ति के सह-स्वामियों के बीच विभाजन के तीन प्रकरण[19] थे जिनमें से दो गैर-परिवार सदस्यों के मध्य थे और इन सभी प्रकरणों को व्यवस्थापन विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा पारिवारिक सदस्यों से जुड़े एक प्रकरण में ₹ 1,000 के स्टा शु का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त,

---

16 'गैर वसीयतनामा' का अर्थ एक ऐसा विक्रय पत्र है जो निष्पादक की मृत्यु के बाद प्रभाव में आने के लिए नहीं है।

17 व्ययन स्थानांतरण के विचार को व्यक्त करता है।

18 अधिसूचना सं.36/XXVII(9)/2011/स्टांप-20/2010 दिनांक 24 जनवरी 2011 ।

19 विक्रय पत्र सं 3221/2019 (₹ 0.99 लाख), 9083/2021 (₹ 4.06 लाख) एवं 7162/2021 (₹ 5.11 लाख), उ नि विकासनगर।

गैर-पारिवारिक सदस्यों के शेष दो प्रकरणों में प्रत्येक में ₹ 1,100 का भुगतान किया गया। इन प्रकरणों में भुगतान किया गया स्टा शु न तो विभाजन पर लागू होता है और न ही परिवार के भीतर या बाहर के व्यवस्थापन पर। तथापि, इन विलेखों को व्यवस्थापन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.16 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि समस्त प्रकरणों को जाँच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

ब) गैर पारिवारिक सदस्यों से जुड़े प्रकरणों का पारिवारिक सदस्यों के मध्य व्यवस्थापन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

लेखापरीक्षा द्वारा दो कार्यालयों के दो[20] प्रकरणों में पाया गया कि पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य के मध्य व्यवस्थापन विलेखों को पारिवारिक सदस्यों के मध्य के प्रकरणों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.01 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

स) दान विलेख का व्यवस्थापन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 के अनुसार, दान किसी विद्यमान चल या अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण है जो स्वेच्छा से और बिना प्रतिफल के दाता द्वारा दान प्राप्तकर्ता को किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1(ख) का अनुच्छेद 33, दान विलेख से संबंधित लेन-देन को विनियमित करता है। दान विलेख पर देय स्टा शु सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पाँच *प्रतिशत* है जबकि पारिवारिक सदस्य के प्रकरण में एक *प्रतिशत* है। प्रभार्य नि शु सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सह-स्वामियों में से एक द्वारा व्यवस्थापन विलेखों के माध्यम से अन्य के पक्ष में सम्पत्ति के हस्तांतरण के छः प्रकरण थे, जिनमें से पांच प्रकरण पारिवारिक सदस्यों के मध्य थे। लेखपत्रों के तथ्यों से ज्ञात हुआ कि ये विभाजन के प्रकरण थे और इसमें दान विलेखों के माध्यम से सम्पत्तियों का

[20] विक्रय पत्र सं. 498/2021 (₹ 2.26 लाख)-उ नि तृतीय देहरादून एवं 3222/2021 (₹ 0.74 लाख)-उ नि ऋषिकेश।

हस्तांतरण भी शामिल था। तथापि, उक्त लेखपत्रों को पंजीकृत करते समय दान विलेखों से संबंधित तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.17 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट-3.1.7)***।

इसके अतिरिक्त, तीन प्रकरणों[21] में यह पाया गया गया कि पारिवारिक विवाद से बचने के लिए निष्पादित विलेखों को व्यवस्थापन विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि उक्त को दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.44 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि सभी प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.8.5 विभाजन विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु और नि शु का न्यूनारोपण

तेरह उ नि का में निष्पादित 39 विभाजन विलेखों की जांच में पाया गया कि विभाजन विलेखों के वर्गीकरण के संबंध में भा स्टा अधि, 1899 के सुसंगत प्रावधानों का 15 विलेखों में पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 39.84 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

अ) दान विलेख पर देय स्टा शु का विभाजन विलेख पर आरोपण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1 (ख) के अनुच्छेद 45 के अनुसार, पारिवारिक सदस्य के अतिरिक्त विभाजन विलेख पर देय स्टा शु सम्पत्ति के अलग किए गए हिस्से या हिस्सों की धनराशि या मूल्य के बराबर धनराशि का सात *प्रतिशत* है और देय नि शु सम्पत्ति के विभाजन के पश्चात शेष सबसे बड़े हिस्से पर दो *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है, जबकि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत दान विलेख पर देय स्टा शु, सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पांच *प्रतिशत* है।

लेखापरीक्षा द्वारा तीन प्रकरणों[22] में पाया गया कि गैर-पारिवारिक सदस्यों के बीच विभाजन था और उ नि ने उक्त को दान विलेख मानते हुए स्टा शु आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.47 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

---

[21] विक्रय पत्र सं. 6350/2019 (₹ 1.21 लाख) & 5674/2021(₹ 9.11 लाख) - उ नि रुद्रपुर एवं 5152/2020 (₹ 6.12 लाख) - उ नि तृतीय देहरादून।

[22] विक्रय पत्र सं. 4229/2019, ₹ 0.56 लाख, 3866/2020, ₹ 0.61 लाख, 7204/2020, ₹ 7.3 लाख, उ नि ऋषिकेश।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि समस्त प्रकरणों को जांच हेतु लिए कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

ब) विभाजन विलेख में गैर-कृषि भूमि का कृषि भूमि के रूप में गलत वर्गीकरण

सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा जारी सम्पत्ति के मूल्यांकन किए जाने सम्बन्धी (सर्किल दरों पर) सामान्य निर्देशों के अनुसार, यदि हस्तांतरित की जा रही सम्पत्ति का क्षेत्रफल 1,000 वर्ग मीटर या उससे कम है, तो कृषि भूमि का मूल्यांकन, गैर-कृषि दर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थित कृषि भूमि का मूल्यांकन, गैर-कृषि दर पर किया जाएगा यदि हस्तांतरित की जा रही सम्पत्ति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर या उससे कम है।

लेखापरीक्षा द्वारा दो कार्यालयों के पांच प्रकरणों में पाया गया कि सम्पत्ति के सह-स्वामियों के बीच सम्पत्ति का विभाजन किया गया था। विभाजन के पश्चात सम्पत्ति के सह-स्वामियों का हिस्सा 500 वर्ग मीटर से कम था और उक्त सम्पत्तियां नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थित थीं। पृथक किए गए हिस्से के मूल्यांकन हेतु गैर-कृषि दर के स्थान पर कृषि दर लागू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.52 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ ***(परिशिष्ट-3.1.8)***।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि समस्त प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

स) गैर-पारिवारिक सदस्यों के मध्य विभाजन से संबन्धित प्रकरणों को पारिवारिक सदस्यों के मध्य विभाजन के रूप में गलत वर्गीकरण

गैर-परिवार सदस्य के मध्य विभाजन की लिखत पर देय स्टा शु, सम्पत्ति के पृथक किए गए हिस्से या हिस्सों की धनराशि या मूल्य के बराबर धनराशि का सात *प्रतिशत* है, जबकि पारिवारिक सदस्यों के प्रकरण में यह एक *प्रतिशत* है, जो नगरपालिका सीमा के भीतर ₹ 10 करोड़ तक के लिखत पर अधिकतम ₹ एक लाख और ₹ 10 करोड़ से अधिक के लिखत पर ₹ तीन लाख है और नगरपालिका सीमा के बाहर 0.25 *प्रतिशत,* अधिकतम ₹ 25,000 है। जबकि नि शु, सम्पत्ति के विभाजन के पश्चात शेष सबसे बड़े हिस्से का दो *प्रतिशत,* अधिकतम ₹ 25,000 है।

लेखापरीक्षा द्वारा तीन प्रकरणों[23] में पाया गया कि पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों के मध्य विभाजन विलेख को पारिवारिक सदस्यों के मध्य विभाजन के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.47 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा एक विलेख[24] में स्टा शु और नि शु की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि विभाजित की जा रही भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि समस्त प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

द) ऐसे लिखत जिसमें सम्पत्ति के स्वामी, सह-स्वामी नहीं थे, का विभाजन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

भा स्टा अधि, 1899 की धारा 2 (15) के अनुसार, विभाजन विलेख का अर्थ ऐसे विलेख से है, जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सह-स्वामी, ऐसी सम्पत्ति को कई हिस्सों में विभाजित करते है या विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं। विभाजन का सार यह है कि संयुक्त स्वामित्व को पूर्ववर्ती सह-स्वामियों के पृथक स्वामित्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभाजन, उन सह-स्वामियों के मध्य संभव है जिनके पास पूर्ण या समान अधिकार नहीं हैं।

कार्यालय, उ नि-द्वितीय, देहरादून में निष्पादित एक विभाजन विलेख[25] की जांच में पाया गया कि दो व्यक्तियों द्वारा निष्पादित तीन विलेखों के माध्यम से तीन सम्पत्तियों को पृथक-पृथक क्रय किया गया था और उक्त को संयुक्त सम्पत्ति माना गया था। इसके अतिरिक्त, पूर्व से ही पृथक स्वामित्व वाली सम्पत्ति को प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के मध्य विभाजित किया गया था जिसमें क्रमशः तीन व्यक्ति और दो व्यक्ति शामिल थे। जबकि, वे सम्पत्ति के सह-स्वामी नहीं थे, अतः उक्त विलेख को दान विलेख के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.45 लाख[26] के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

---

[23] विक्रय पत्र सं. 2807/2020, ₹ 0.82 लाख उ नि-प्रथम, विकासनगर, 4073/2020, ₹ 4.25 लाख, उ नि द्वितीय, देहरादून, 1996/2020, ₹ 18.40 लाख, उ नि, सितारगंज।

[24] विक्रय पत्र सं. 6257/2021 ।

[25] विक्रय पत्र सं. 2023/2019 ।

[26] स्टा शु ₹ 4,200+₹ 4,200+₹ 6,620=₹ 15,020, नि शु ₹ 8,390+₹ 8,390+₹ 13,238= ₹ 30,018, स्टा शु + नि शु ₹ 15,020+₹ 30,018= ₹ 45,038 ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि प्रकरण को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

य) अन्य सह-स्वामियों को सहमति के माध्यम से दी गई सम्पत्ति का विभाजन विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

कार्यालय, उ नि-द्वितीय, देहरादून में निष्पादित दो विभाजन विलेखों[27] की जांच में पाया गया कि माँ और उसके दो बेटे सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी थे। माँ ने सहमति से बेटों को सम्पत्ति में अपना हिस्सा दिया और सम्पत्ति को बेटों के मध्य विभाजित कर दिया गया। माँ द्वारा बेटों को अपना हिस्सा दान में देने के पश्चात ही सम्पत्ति को बेटों के मध्य विभाजित किया जा सकता था। इस प्रकार, माता के हिस्से को विभाजन से पहले दान विलेख माना जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.93 लाख[28] के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टांप को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.8.6 पृथक हिस्सों को एकल हिस्से के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप नि शु का न्यूनारोपण

पंजी अधि 1908, की धारा 78 के अनुसार, राज्य सरकार दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए शुल्क तय करेगी। देय नि शु, प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य में से जो भी अधिक हो, का दो *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है। कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित कोई भी विलेख जिसमें उनके हिस्से पृथक हैं, या उनका हिस्सा सुनिश्चित है, पर प्रभार्य नि शु की धनराशि उस धनराशि का योग होगी जो उस विलेख से संबन्धित या उसमें शामिल पृथक विलेखों पर इस अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा आठ कार्यालयों के 16 प्रकरणों में पाया गया कि सम्पत्ति के हस्तांतरण के विलेख कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक के पास सम्पत्ति में पृथक हिस्सा था। फिर भी, ऐसे विलेखों पर पृथक रूप से नि शु आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.30 लाख के नि शु का

---

[27] विक्रय पत्र सं. 4006/2021, 1657/2022 ।

[28] देय स्टा शु, (₹ 1,09,08,841+₹ 33,57,667)x1 *प्रतिशत*=₹ 1,42,665 अर्थात ₹ 1,42,670 देय नि शु, ₹ 25,000+₹ 25,000= ₹ 50,000 ।

न्यूनारोपण हुआ, जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात तीन प्रकरणों में ₹ 0.75 लाख[29] जमा कर दिये गए थे ***(परिशिष्ट-3.1.9)***।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात 16 प्रकरणों में से, तीन प्रकरणों में ₹ 0.75 लाख की धनराशि वसूल की गई थी, दो प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया गया था एवं 10 प्रकरणों को जांच हेतु कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित एक प्रकरण में, यह उत्तर दिया गया कि सभी विक्रेता और सहमतिकर्ता ने संयुक्त रूप से प्रतिफल प्राप्त किया था। इस प्रकार, पृथक रूप से नि शु आरोपणीय नहीं था। प्रतिफल के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों ने अलग-अलग प्रतिफल प्राप्त किया था।

3.1.8.7 पारिवारिक हस्तांतरण प्रकरणों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण

लेखापरीक्षा द्वारा तीन उ नि का के पांच प्रकरणों में पाया गया कि परिवार के भीतर हस्तांतरण से संबंधित लेखपत्रों के वर्गीकरण के संबंध में भा स्टा अधि, 1899 के सुसंगत प्रावधानों का पांच विलेखों में पालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.58 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

अ) गैर-पारिवारिक सदस्यों को सम्पत्ति के हस्तांतरण का परिवार के भीतर हस्तांतरण के रूप में गलत वर्गीकरण

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या वित्त अनुभाग-9/सं.34/XXVII(9)/2010/स्टांप-20/2010 दिनांक 24 जनवरी 2011 के अनुसार पारिवारिक सदस्यों, जो सम्पत्ति के सह-स्वामी हैं और उनके हिस्से सम्पत्ति में निर्दिष्ट हैं, के बीच निष्पादित बिक्री विलेख पर, प्रतिफल या सम्पत्ति का बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर 0.25 *प्रतिशत* की दर से स्टा शु आरोपणीय है जो अधिकतम ₹ 1,000 है। देय नि शु प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य में से जो भी अधिक हो, का दो *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है।

---

[29] विक्रय पत्र सं. 755/2020 उ नि द्वितीय देहरादून, 523/2021 एवं 4773/2021 उ नि तृतीय रुड़की।

लेखापरीक्षा द्वारा एक कार्यालय के दो प्रकरणों[30] में पाया गया कि बिक्री विलेख गैर-पारिवारिक सदस्यों के बीच निष्पादित किए गए थे लेकिन उन्हें पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित माना गया था। तदनुसार, मात्र ₹ 1,000 का स्टा शु आरोपित किया गया था, जबकि प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी अधिक पर पांच *प्रतिशत* की दर से स्टा शु, आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त, एक प्रकरण[31] में, यह पाया गया कि बिक्री विलेख, पारिवारिक सदस्यों द्वारा निष्पादित किया गया था जो सम्पत्ति के सह-स्वामी नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.14 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि तीनों प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को जांच हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा।

ब) बिना प्रतिफल के सम्पत्ति के हस्तांतरण का पारिवारिक सदस्यों के बीच विक्रय विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण

सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अनुसार, बिक्री को भुगतान किए गए या वादा किए गए मूल्य या आंशिक भुगतान और वादा किए गए हिस्से के बदले स्वामित्व के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा एक कार्यालय के दो प्रकरणों[32] में पाया गया कि पारिवारिक सदस्यों के बीच बिना किसी प्रतिफल (विक्रय मूल्य) के सम्पत्ति का हस्तांतरण किया गया था और इसे बिक्री विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि कोई प्रतिफल नहीं था, इसलिए इसे दान विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था, जिस पर ₹ 1,000 के स्थान पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के एक *प्रतिशत* की दर से स्टा शु आरोपित किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.44 लाख के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों को कलेक्टर स्टाम्प को जांच हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा।

---

[30] विक्रय पत्र सं.7263/2020, ₹ 1.52 लाख & 3314/2019, ₹ 0.39 लाख, उ नि, ऋषिकेश।

[31] विक्रय पत्र सं.1380/2021, ₹ 0.23 लाख, उ नि-प्रथम, विकासनगर।

[32] विक्रय पत्र संख्या 1727/2020 & 1728/2020, ₹ 3.72 लाख प्रत्येक, उ नि, रुद्रपुर।

3.1.8.8 अखंडनीय मुख्तारनामा को खंडनीय मुख्तारनामा के रुप में वर्गीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण

भा स्टा अधि, 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 48 (ङ) और (ङ ङ) के अनुसार, जब अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए मुख्तारनामा या तो प्रतिफल लेकर या अखंडनीय अधिकार के माध्यम से दिया जाता है, तो उस पर हस्तांतरण के समान आरोपणीय दर से अर्थात प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पाँच *प्रतिशत* स्टा शु देय होगा एवं देय नि शु, प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य में से जो भी अधिक हो, का दो *प्रतिशत*, अधिकतम ₹ 25,000 है।

एक विक्रय विलेख[33] की जांच में पाया गया कि मुख्तार द्वारा, अचल सम्पत्ति, मुख्तारनामा के द्वारा विक्रय की गई। इसके अतिरिक्त, मुख्तारनामा जो कि विलेख[34] के माध्यम से निष्पादित किया गया था, खंडनीय पाया गया एवं उक्त पर ₹ 50 स्टा शु एवं ₹ 50 नि शु भुगतान किया गया। तथापि, संव्यवहार की सम्पूर्ण धनराशि मुख्तार द्वारा प्राप्त की गई थी, जैसा कि शपथ पत्र में उल्लिखित था। इस प्रकार, मुख्तारनामा अखंडनीय अधिकार के साथ वर्गीकृत होना चाहिए था, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के पाँच *प्रतिशत* की दर से स्टा शु आरोपित किया जाना चाहिए था और नि शु भी देय था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 22.12 लाख[35] के स्टा शु एवं नि शु का न्यूनारोपण हुआ।

बहिर्गमन गोष्ठी (फरवरी 2023) के दौरान, राज्य सरकार ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि प्रकरण को परीक्षण हेतु कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.1.9 विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी में कमी

उत्तराखण्ड बजट नियमावली के प्रस्तर 81 के अनुसार, विभाग के नियंत्रक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सरकार को देय सभी धनराशियों का नियमित रूप से एवं शीघ्र मूल्यांकन किया जाए, वसूला जाए और विधिवत रूप से सरकारी खाते में जमा किया जाए।

---

33 विक्रय पत्र संख्या 3889/2019 उ नि, रुद्रपुर।

34 विक्रय पत्र संख्या 108/2018, बुक IV में रजिस्ट्रीकृत।

35 3.9770 हेक्टेयर x ₹ 1,10,00,000 = ₹ 4,37,47,000 x 5 *प्रतिशत* = ₹ 21,87,350-50 + ₹ 25,000-50 = ₹ 22,12,250 ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V भाग-I के परिशिष्ट XIX ख के प्रस्तर 82 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी को पूर्ण और स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए है कि उसकी लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण सरकार को हुई किसी भी क्षति के लिए, वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा, और किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए उस सीमा तक जितना कि उसके कार्य या लापरवाही से हानि हुई है, व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उत्तराखण्ड शासकीय सेवक से वसूली - उत्तराखण्ड शासकीय सेवक सेवा नियमावली, 2003 के बिन्दु 3(क) के अनुसार शासकीय सेवक द्वारा आदेशों के उल्लंघन के कारण होने वाली हानि की वसूली पूर्ण या आंशिक रूप से उसी से की जानी चाहिए।

प्रशासन और अधीक्षण से संबंधित नियम- म नि नि को उ नि के प्रशासन और अधीक्षण हेतु पंजी अधि के नियम 69 के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए हैं। उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 285 के अनुसार, उ नि को यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत लेखपत्रों पर उचित स्टा शु आरोपित किया गया है और उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 385 और 387, जि नि को उ नि का के अभिलेखों और पंजिकाओ की जांच हेतु अधिकृत करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकृत लेखपत्र पर यथाविधि मोहर लगी हो।

ये नियम प्राधिकारियों के हानि को कम करने हेतु प्रारम्भिक चरण में गलतियों का पता लगाने और रोकने में अधिकारियों को सक्षम बनाते हैं। प्रणालीगत और अनुपालन प्रकरणो से संबंधित प्रस्तर क्रमशः 3.1.7 और 3.1.8 में इंगित त्रुटियों से पता चलता है कि नियंत्रक अधिकारी बजट नियमावली के प्रस्तर 81 और पंजी अधि के नियम 69 में परिकल्पित कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, जि नि और उ नि यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि पंजीकरण के लिए प्रस्तुत लेखपत्र पर यथाविधि मोहर लगी थी जैसा कि क्रमशः उत्तराखण्ड पंजीकरण नियमावली के नियम 385, 387 और 285 में परिकल्पना की गई थी।

इस प्रकार, उ नि का के कामकाज का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण एवं अधीक्षण करने में अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप विलेखों की नमूना जांच में बड़ी संख्या में त्रुटियां पायी गई, जिसके कारण राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई।

3.1.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में कई प्रणालीगत प्रकरण पाए गए जैसे कि सॉफ्टवेयर में तितिम्मा विलेख को उसके मूल विलेख से मिलान का कोई प्रावधान नहीं है, भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली के साथ भू-अभिलेख का कोई एकीकरण नहीं है, पहचान के सत्यापन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और यू आई डी के साथ कोई वेब सेवा लिंक नहीं है। इसके अतिरिक्त, विलेख के गलत वर्गीकरण के कारण स्टा शु और नि शु के न्यूनारोपण से संबंधित अनुपालन प्रकरण जैसे दस्तबरदारी, बंधक, तितिम्मा, व्यवस्थापन और विभाजन विलेख, सुभिन्न हिस्से, पारिवारिक हस्तांतरण प्रकरण और मुख्तारनामा प्रकरण पाये गए।

इस प्रकार, उचित स्टा शु और नि शु आरोपित करने के लिए लेखपत्रों के वर्गीकरण के लिए पंजीकरणकर्ता अधिकारियों द्वारा अधिनियमों, नियमों और नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का दृढ़ता से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 6.63 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

3.1.11 अनुशंसाएं

राज्य सरकार निम्न पर विचार कर सकती है:

- ***पंजीकरण सॉफ्टवेयर को उन्नत किया जा सकता है ताकि तितिम्मा विलेख का उसके मूल विलेख के साथ संबद्ध किया जा सके, भू-अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए पंजीकरण प्रणाली के साथ "भूलेख" अभिलेखों का एकीकरण और पहचान के सत्यापन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी, आयकर प्राधिकारी, परिवहन प्राधिकारी और यू आई डी के साथ वेब सेवा लिंक का प्रावधान किया जाए;***
- ***उ नि का द्वारा लेखपत्रों को पंजीकरण के पश्चात, अधिनियम की गलत धारा के अंतर्गत कलेक्टर स्टाम्प को निर्दिष्ट किए जाने के बजाय स्टाम्प ड्यूटी की प्रभार्यता के संबंध में पंजीकरण से पूर्व लेखपत्रों की विस्तृत जांच की जानी चाहिए;***
- ***कलेक्टर स्टाम्प को गलत धारा के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रकरणों का संज्ञान लेना चाहिए और म नि नि द्वारा उ नि को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रकरणों को निर्दिष्ट करने हेतु निर्देश जारी किया जा सकता है;***
- ***इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक चरण में त्रुटियों का पता लगाने के लिए म नि नि को स म नि नि द्वारा निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार के विलेखों की जांच हेतु मानदंड निर्धारित करना चाहिए;***

- ***अतः, राज्य सरकार/विभाग यह जांच करने के लिए सभी इकाइयों की विस्तृत समीक्षा कर सकता है कि यदि इसी प्रकार की त्रुटियां/चूक अन्यत्र भी हुई हैं तो उन्हें दूर किया जाए।***

खनन विभाग

3.2 रॉयल्टी की वसूली न होना

रॉयल्टी की वसूली न किये जाने के कारण ईंट भट्टा संचालको को ₹ 10.04 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया जाना।

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015[36] के नियम 7(1) के अनुसार, ईंट भट्टों से ईंटों का उत्पादन ईंट के पायों के आधार पर आगणित किया जाएगा। ईंट भट्टे से न्यूनतम 15 पाये हेतु 20 लाख ईंट उत्पादन का मानक निर्धारित करते हुए और प्रति पाया एक लाख ईंट अतिरिक्त मानते हुए गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016[37] में संशोधन करके ईंटों पर रॉयल्टी की दर ₹ 100 प्रति हजार उत्पादित ईंट निर्धारित की गयी थी।

जिला खनन अधिकारियों (डी एम ओ), हरिद्वार (अक्टूबर 2020 एवं अगस्त 2021) एवं ऊधम सिंह नगर (सितम्बर 2021) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ईंट भट्ठा संचालकों ने उपर्युक्त अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत, ईंटों के उत्पादन के लिए रॉयल्टी जमा नहीं की थी। विवरण नीचे दिया गया है:

(अ) डी एम ओ, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान 148 ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा 81.86 करोड़ ईंटों का उत्पादन किया गया था जिसके सापेक्ष निर्धारित दर के अनुसार ₹ 8.19 करोड़ की रॉयल्टी देय थी, किन्तु उक्त भट्ठा संचालकों द्वारा कोई रॉयल्टी जमा नहीं की गयी (***परिशिष्ट-3.2.1*** का क्रम संख्या 1 और 2)। इसके अतिरिक्त, डी एम ओ, यू एस नगर में यह भी पाया गया कि आठ ईंट भट्ठा संचालकों ने वर्ष 2020-21 के लिए कोई रॉयल्टी जमा नहीं की, यद्यपि 2.24 करोड़ ईंटों का उत्पादन किया गया था, जिसके सापेक्ष भट्ठा संचालकों द्वारा ₹ 0.22 करोड़ की रॉयल्टी जमा की जानी थी (***परिशिष्ट-3.2.1*** का क्रम संख्या 5)।

[36] कार्यालय ज्ञाप सं. 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा जारी।

[37] अधिसूचना संख्या 1754/VII-1/16/24-ख/07 टी सी दिनांक 08 दिसंबर 2016 द्वारा।

(ब) डी एम ओ, ऊधम सिंह नगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भट्ठा संचालकों[38] द्वारा 28.34 करोड़ ईंटों के उत्पादन के लिए देय ₹ 2.83 करोड़ की रॉयल्टी के सापेक्ष वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भट्ठा संचालकों द्वारा ₹ 1.20 करोड़[39] की रॉयल्टी जमा की गयी थी ***(परिशिष्ट-3.2.1*** *का क्रम संख्या 3 एवं 4)*।

इस प्रकार, ईंट भट्ठा संचालकों को ₹ 10.04 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय से एक व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इसकी समीक्षा की जा रही हैं। इस प्रकरण पर निर्णय की सूचना नियत समय में लेखापरीक्षा को दी जायेगी।

राजस्व विभाग

3.3 अनियमित व्यय

आयुक्त कार्यालय के जीर्णोद्धार कार्य में आयुक्त, कुमाऊं मंडल द्वारा ₹ 4.23 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियमावली, 2018 के अनुसार, सरकारी भवन पर कोई भी व्यय करने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के अनुसार, स्थायी सरकारी भवन को राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ प्राधिकारी जिसे शक्ति प्रदान की गई है, के आदेश के अंतर्गत ध्वस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2018 के अनुसार कोई भी मूल कार्य, मरम्मत, या रख-रखाव कार्य, सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने, एक उचित रूप से विस्तृत डिजाइन की स्वीकृति प्राप्त होने; विभिन्न वस्तुओं के विस्तृत विनिर्देश और मात्रा वाले अनुमानों को पी डब्ल्यू डी या किसी अन्य विशेष एजेंसी द्वारा स्वीकृति होने तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 (iii) के अनुसार किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लाभ के लिए आदेश पारित करने की स्वीकृति देने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

---

[38] वर्ष 2019-20 के दौरान 52 ईंट भट्ठा संचालक और वर्ष 2020-21 के दौरान 53 ईंट भट्ठा संचालक।

[39] वर्ष 2019-20 के दौरान 52 ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा ₹ 48.50 लाख की रॉयल्टी जमा की गई और वर्ष 2020-21 के दौरान 53 ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा ₹ 71.55 लाख की रॉयल्टी जमा की गई।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अनुसार, एक नई योजना पर शामिल व्यय, एक नई नीति को अपनाने में, एक नई सुविधा का प्रावधान, या किसी मौजूदा सुविधा की प्रकृति या विस्तार में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन को सामान्यतः "नए व्यय" के रूप में माना जाएगा। राज्य बजट के खण्ड III में 'नए व्यय' की अनुदानवार सूची है।

बजट मैनुअल के अनुसार, नई परियोजनाओं/ नए व्यय की लागत-लाभ विश्लेषण, लागत मानदंड की उपलब्धता, आवर्ती व्यय और इसकी संरचना, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता, धन के लिए मूल्य जैसे मानकों पर विस्तृत जांच होनी चाहिए।

आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल (आयुक्त) के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2022) में पाया गया कि आयुक्त के कार्यालय का जीर्णोद्धार ₹ 4.23 करोड़ की लागत से किया गया था। जीर्णोद्धार की लागत नैनीताल और उधम सिंह नगर[40] के जिला विकास प्राधिकरणों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की गई थी।

आयुक्त कुमाऊँ के कार्यालय भवन का नवीनीकरण कार्य

[40] आयुक्त कुमाऊँ को क्रमशः अधिसूचना संख्या 1814 (2)/वी-2/05 (आ.) और 1814 (2)/वी-2/05 (आ.) दिनांक 13 नवंबर 2017 के माध्यम से अध्यक्ष, डी डी ए नैनीताल और अध्यक्ष, यू एस नगर का कर्तव्य सौंपा गया है।

उक्त नवीनीकरण में निम्नलिखित अनियमिततायें थींः

अ. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018 के प्रस्तर 3.12 और उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रस्तर 40 (1) में उल्लिखित राज्य सरकार का अनुमोदन/ स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी,

ब. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 280 के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यालय भवन के एक हिस्से को हटाने/ध्वस्त करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन/ स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

स. सरकार की स्वीकृति/अनुमोदन के बिना ध्वस्त की गई सामग्री का निपटान किया गया था,

द. इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि उक्त नवीनीकरण तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार और सरकारी गैर-आवासीय भवनों पर लागू पैमाने/विनिर्देशों के अनुसार था, क्योंकि सरकार की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त नहीं की गई थी।

इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने आयुक्त का उत्तर अग्रेषित कर दिया। इसी तरह, आयुक्त ने अपने उत्तर में अपनी टिप्पणी दिए बिना जिला विकास प्राधिकरण (डी डी ए) का उत्तर अग्रेषित कर दिया। डी डी ए ने अपने उत्तर में कहा कि डी डी ए, नैनीताल की 8वीं बोर्ड बैठक[41] में, अध्यक्ष, डी डी ए, नैनीताल (पदेन रूप से मण्डल आयुक्त) के कार्यालय भवन का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, उक्त कार्य के लिए ₹ 63.90 लाख का अनुबंध[42] किया गया था (अक्टूबर 2020)। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अपनी 11वीं और 13वीं बैठक में उक्त कार्य के लिए क्रमशः ₹ 3.12 करोड़ और ₹ 4.95 करोड़ के संशोधित अनुमानों की स्वीकृति दी। डी डी ए नैनीताल ने दावा किया कि ये निर्णय "उत्तराखण्ड शहरी और देश योजना और विकास अधिनियम, 1973" (अधिनियम) के खण्ड IV[43] के अनुसार थे और इसलिए, किसी अन्य प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

---

[41] 08 जून 2020 को संपादित।

[42] ई-निविदा, अनुबंध संख्या 05/2020-21 के माध्यम से चयनित।

[43] राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य के सभी विकास क्षेत्रों के लिए 'उत्तराखण्ड आवास और शहरी विकास प्राधिकरण' नामक एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर हो जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और किसी भी विकास क्षेत्र के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकारी भवनों पर होने वाले व्यय से संबंधित वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम का खण्ड 4 नगर नियोजन के संदर्भ में अधिसूचित क्षेत्र के विकास की वकालत करता है और इसकी व्याख्या जिला विकास प्राधिकरण को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी सरकारी परिसर को संशोधित करने/बदलने/ध्वस्त करने का अधिकार देने के लिए नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, आयुक्त ने बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 (iii) में उल्लिखित वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन किया था।

इस प्रकार, कुमाऊं मण्डल के आयुक्त (डी डी ए, नैनीताल और उधम सिंह नगर के पदेन अध्यक्ष) ने सरकारी कार्यालय भवन के नवीनीकरण कार्यों पर ₹ 4.23 करोड़ का अनियमित व्यय करने के लिए डी डी ए, नैनीताल और यू एस नगर की निधियों का उपयोग किया।

3.4 डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष की स्थापना और उपयोग पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

विभागीय स्तर पर अप्रभावी योजना के कारण पायलट जिलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों (एम आर आर) की स्थापना का कार्य अधूरा रहा। आधुनिक अभिलेख कक्षों में फर्म द्वारा स्थापित उपकरण/ सामग्री निष्क्रिय पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप फर्म को अनुबंधित धनराशि ₹ 4.82 करोड़ के सापेक्ष भुगतानित धनराशि ₹ 2.75 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्म को संचालन अग्रिम बिना ब्याज के ही नहीं बल्कि बिना बैंक गारंटी के भी उपलब्ध कराया गया। पायलट जिलों के अतिरिक्त, राज्य के शेष जिलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना में सिविल कार्य के निष्पादन में अनावश्यक देरी हुई। इसके अतिरिक्त, सिविल कार्य के निष्पादन में मितव्ययिता का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ। आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना के लिए केंद्रीय-कृत अधिप्राप्ति के दौरान, अनावश्यक और अतिरिक्त सामग्री क्रय की गई थी, जिन्हें दो वर्षों से उपयोग में नहीं लाया गया था और उक्त अधिप्राप्ति पर किया गया ₹ 13.80 करोड़ का व्यय निरर्थक था।

3.4.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन एल आर एम पी), जिसे 2008 में स्वीकृति दी गई थी, जिन्हें दो योजनाओं क्रमशः भूमि अभिलेखों का

कम्प्यूटरीकरण (सी एल आर) और राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण को विलय करके प्रारम्भ किया गया था और तदुपरान्त इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम[44] (डी आई एल आर एम पी) के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न घटक शामिल हैं जो प्रभावी रुप से निम्नलिखित गतिविधियों में परिवर्तित होते हैं:

(i) अधिकारों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण; (ii) भू-कर मानचित्रों का डिजिटलीकरण; (iii) अधिकारों और भू-कर मानचित्रों के अभिलेखों का एकीकरण; (iv) सर्वेक्षण/ पुनर्सर्वेक्षण; (v) आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) (vi) तहसील, उप-मंडल, जिले में कंप्यूटर केंद्र और राज्य स्तर पर डेटा सेंटर; (vii) राजस्व कार्यालयों के बीच कनेक्टिविटी (जुड़ाव); (viii) उप-निबन्धक कार्यालयों और तहसीलों के बीच पंजीकरण और कनेक्टिविटी का कम्प्यूटरीकरण (ix) पंजीकरण और भूमि अभिलेखों का एकीकरण।

अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा (नवंबर 2021) की गयी थी। इसके अतिरिक्त, तीन जिलों (पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिले में प्रत्येक में चार तहसीलों) में भौतिक निरीक्षण भी किया गया था। डी आई एल आर एम पी के अंतर्गत एक प्रमुख गतिविधि, एम आर आर की स्थापना से संबंधित अभिलेख की जांच में पाया गया कि राज्य के सभी 128 तहसील कार्यालयों में एम आर आर स्थापित किए जाने थे और इन्हें अभिलेखों और मानचित्रों के भौतिक भंडारण के लिए कॉम्पैक्टर/भंडारण उपकरणों, कंप्यूटर/सर्वर, स्टोरेज एरिया नेटवर्क (एस ए एन), प्रिंटर आदि के साथ एक परिचालन क्षेत्र और दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतीक्षा/स्वागत के लिए एक सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के साथ स्थापित/उच्चीकृत किया जाना था। उक्त उद्देश्य के लिए, राजस्व बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून ने (नवंबर 2015) प्रत्येक तहसील में एम आर आर के लिए स्थान की न्यूनतम आवश्यकता 700 वर्ग फुट[45] निर्धारित की थी।

3.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

---

[44] 01 अप्रैल 2016 से शत-*प्रतिशत* केंद्रीय वित्त पोषण वाली एक केंद्रीय योजना।

[45] भंडारण और संचालन क्षेत्र के लिए 500 वर्ग फुट का एक कमरा तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के लिए 200 वर्ग फुट का एक कमरा।

- कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व चरण में सभी सबंधित मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई।
- आवंटित धनराशि मितव्ययिता और प्रभावी ढंग से व्यय की गई।
- कार्यों के निष्पादन में सुसंगत नियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों और आदेशों का अनुपालन किया गया।
- उपकरण/सामग्री की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया विवेकपूर्ण थी, और प्रक्रियाओं में विक्रेताओं के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।

3.4.3 डी आई एल आर एम पी के अन्तर्गत एम आर आर घटक की वित्तीय स्थिति 31 मार्च 2022 तक

डी आई एल आर एम पी के अन्तर्गत एम आर आर घटक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति **तालिका-3.4.1** में दी गई है।

तालिका-3.4.1: डी आई एल आर एम पी के अन्तर्गत एम आर आर घटक की 31 मार्च 2022 तक की वित्तीय स्थिति

(₹ लाख में)

स्वीकृत धनराशि		अवमुक्त धनराशि			किया गया व्यय	शेष धनराशि
स्वीकृति का वर्ष	धनराशि	केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल अवमुक्त		
2014-15	500.00	125.00	250.00	375.00	281.11	93.89
2019-20	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00	1,379.84	1,320.16
योग	***3,200.00***	***2,825.00***	***250.00***	***3,075.00***	***1,660.95***	***1,414.05***

जून 2014 में, पौडी (गढ़वाल) और अल्मोडा (प्रत्येक पायलट जिले की 10 तहसीलों में) के पायलट जिलों में एम आर आर स्थापित करने के लिए ₹ 5.00 करोड़ स्वीकृत किए गए थे और उक्त धनराशि जनवरी 2015 से मार्च 2019 तक तीन किश्तों में जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य की शेष 108 तहसीलों में एम आर आर स्थापित करने के लिए ₹ 27.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई (जून 2019)। उक्त धनराशि जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक दो किस्तों में जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

3.4.4 पायलट जिलों में एम आर आर की स्थापना

3.4.4.1 ₹ 2.75 करोड़ का अलाभकारी व्यय

चूँकि राज्य के सभी जिलों के तहसील कार्यालयों में एम आर आर स्थापित किए जाने थे, अतः अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून (बोर्ड) ने प्रारंभ में इस उद्देश्य के

लिए दो जिलों को पायलट जिलों[46] के रूप में चिन्हित किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने राज्य के सभी एम आर आर में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों[47] और अन्य आवश्यक सामग्री की केंद्रीयकृत अधिप्राप्ति करने का निर्णय लिया।

संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पायलट जिलों की 20 तहसीलों में कार्य[48] के निष्पादन के लिए एक फर्म[49] के साथ ₹ 4.82 करोड़[50] (प्रति तहसील ₹ 24.10 लाख) की धनराशि से एक अनुबंध गठित किया गया था (जून 2017)। दिसम्बर 2018 तक सभी तहसीलों में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। विभिन्न अंतरालों[51] पर उक्त कार्य के लिए ₹ 3.75 करोड़[52] की धनराशि मार्च 2019 तक अवमुक्त की गई। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- पर्याप्त जगह की अनुपलब्धता के कारण आठ तहसीलों[53] में कोई कार्य शुरु नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि तहसील कार्यालयों में एम आर आर स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना फर्म को ठेका दिया गया था।
- पौड़ी जिले की चार तहसीलों[54] में, जहां कार्य पूर्ण हो चुका था, संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2022) के दौरान पाया गया कि सिविल/इलेक्ट्रिक निर्माण कार्यों के निष्पादन, उपकरणों की स्थापना और भूमि अभिलेखों की स्कैनिंग में 11 से 23 महीने तक की देरी हुई।

---

[46] एम आर आर स्थापित करने के लिए प्रत्येक पायलट जिले, पौडी और अल्मोडा में 10 तहसीलों का चयन किया गया था और प्रति तहसील ₹ 25.00 लाख की दर से ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी (जुलाई 2014), जिसमें केंद्र और राज्य का अंश 50-50 *प्रतिशत* निर्धारित किया गया था।

[47] कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉम्पेक्टर, एयर कंडीशनर, यू पी एस आदि।

[48] समझौते के अनुसार एम आर आर में सिविल कार्य और विद्युतीकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉम्पेक्टर, एयर कंडीशनर आदि की स्थापना शामिल है। आवश्यक उपकरणों के साथ एम आर आर स्थापित करने के बाद, फर्म द्वारा भूमि रिकॉर्ड की स्कैनिंग के संबंध में सेवाएं भी प्रदान की जानी थी।

[49] जी आई एस कंसोर्टियम इंडिया प्रा. लिमिटेड।

[50] ₹ 24.10 लाख x 20 ।

[51] जनवरी 2015, मार्च 2015 और मार्च 2019 में अवमुक्त हुई।

[52] केंद्रीय अंश ₹ 1.25 करोड़ और राज्य अंश ₹ 2.50 करोड़।

[53] पौडी जिले की तहसील चौबट्टाखाल एवं चाकीसैंण; जिला अल्मोडा की तहसील सोमेश्वर, जैंती, भनोली, सल्ट, अल्मोडा और स्याल्दे।

[54] पौड़ी, श्रीनगर, लैंसडाउन, कोटद्वार।

- संबंधित तहसीलों के एम आर आर में भूमि अभिलेखों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था और स्थापित उपकरण निष्क्रिय पाए गए थे, जैसा नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है।

चित्र-1: तहसील लैंसडाउन

चित्र-2: तहसील पौड़ी

चित्र-3: तहसील कोटद्वार

राज्य सरकार ने आपत्ति स्वीकारते हुए अवगत कराया कि (जुलाई 2023) आठ तहसीलों में एम आर आर स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था, इन तहसीलों में वैकल्पिक स्थान की पहचान करने के पश्चात, कार्यदायी संस्था ने इस आधार पर कार्य शुरू करने से मना कर दिया कि एजेंसी चार वर्ष पहले उद्धृत/सहमत दरों पर काम निष्पादित नहीं कर सकती है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को अंतिम भुगतान कर दिया गया है तथा विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा, केवल 12 तहसीलों में कार्य पूर्ण होने के पश्चात निरस्त कर दी गयी है।

विभाग का उत्तर स्वतः स्पष्ट करता है कि तहसीलों में स्थान की उपलब्धता का आकलन किये बिना ही कार्य आवंटित कर दिया गया था। वैकल्पिक स्थान की पहचान के बावजूद, लेखापरीक्षा की तिथि तक, इन तहसीलों में एम आर आर स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। चूँकि अन्य तहसीलों में स्थापित उपकरण भी निष्क्रिय पाए गए, अतः विभागीय स्तर पर योजना की कमी के कारण एम आर आर स्थापित करने का पूरा उद्देश्य विफल हो गया। अतः अनुबंध के सापेक्ष, फर्म को किया गया ₹ 2.75 करोड़ का भुगतान आतिथि तक अलाभकारी रहा।

3.4.4.2 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए संचालन अग्रिम प्रदान करना

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (अध्याय 3 के प्रस्तर 53) में प्रावधान है कि ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है और भुगतान केवल किए गए कार्य के सापेक्ष ही किया जाना चाहिए। हालाकि, अपवाद के रूप में, अग्रिम धनराशि, धनराशि की कटौती या समायोजित होने तक, ब्याज के भुगतान के अधीन होगी। अग्रिम को

चुकाने या समायोजन को सुरक्षित करने के लिए बैंक गारंटी या अग्रिम का समायोजन लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी (फरवरी 2007) कार्यालय ज्ञापन[55] के अनुसार, संचालन अग्रिम पर 10 *प्रतिशत* साधारण ब्याज लिया जाना चाहिए, जो निविदा धनराशि के 10 *प्रतिशत* तक सीमित है। हालाकि, यह पाया गया कि:-

- फर्म को उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में बैंक गारंटी के बिना सितम्बर 2017 में अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों की 20 तहसीलों में एम आर आर तैयार करने के लिए ₹ 48.20 लाख (प्रति तहसील ₹ 2.41 लाख) का ब्याज मुक्त संचालन अग्रिम दिया गया था।
- उक्त अग्रिम में आठ तहसीलों में एम आर आर की स्थापना के लिए ₹ 19.28 लाख शामिल थे, जहां एम आर आर की स्थापना के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी। यह अग्रिम चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद जनवरी 2022 में वसूला/समायोजित किया गया। ₹ 19.28 लाख के उक्त अनियमित भुगतान पर, प्रति वर्ष 10 *प्रतिशत* की दर से ₹ 8.35 लाख[56] का साधारण ब्याज लगाया जाना अपेक्षित था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इन तहसीलों के लिए ठेकेदार को अग्रिम का अनियमित भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चार वर्षों से अधिक समय तक धनराशि अवरुद्ध रही।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि (जुलाई 2023) निविदा सूचना में संचालन अग्रिम के सापेक्ष बैंक गारंटी प्रदान करने की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। उत्तर स्वयं पुष्टि करता है कि बोर्ड ने अधिप्राप्ति नियमों की अनदेखी की थी और ठेकेदार को ब्याज मुक्त संचालन अग्रिम प्रदान करके और इसके लिए बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त को छोड़कर अनुचित लाभ प्रदान किया था।

3.4.5 शेष जिलों में एम आर आर की स्थापना

3.4.5.1 वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण किए बिना कार्य का निष्पादन

पायलट जिलों हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को तहसीलों में स्थान[57] की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया ताकि खरीदे जाने वाले उपकरणों को कार्यस्थल पर स्थापित किया जा सके। हालाँकि, यह देखा गया कि:

55 संख्या डी जी डब्ल्यू/एम ए एन/143 दिनांक 05 फरवरी 2007।

56 19.28 लाख × 10% × (52 महीने ÷ 12)।

57 प्रत्येक तहसील में 700 वर्ग फुट।

राज्य की शेष 108 तहसीलों में एम आर आर की स्थापना के लिए ₹ 27.00 करोड़[58] की धनराशि स्वीकृत की गई (जून 2019)। उक्त धनराशि दो चरणों में अवमुक्त की गई। ₹ 16.20 करोड़[59] जनवरी 2020 में और शेष धनराशि जुलाई 2021 में अवमुक्त की गई।

हालाँकि, अधिकतम उपलब्ध स्थान[60] के आधार पर, एम आर आर की स्थापना के लिए 65 तहसीलों पर विचार किया गया था। शेष तहसीले, जो स्वयं के भवनों में संचालित नहीं हो रही थी, को उक्त उद्देश्य के लिए नहीं लिया गया। सिविल निर्माण कार्यों[61] के निष्पादन के लिए, मार्च 2020 से मई 2020 की अवधि के दौरान सभी संबंधित जिलाधिकारियों को ₹ 1.48 करोड़[62] की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

तहसील कार्यालयों में एम आर आर के सिविल कार्यों को जिलाधिकारी कार्यालय की देखरेख में किया जाना था। एम आर आर के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि उक्त उद्देश्य के लिए अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोग कार्य की अवांछनीय मदों पर किया गया था।

तहसील टिहरी, धनोल्टी (जिला टिहरी), बेतालघाट एवं कोश्या कुटोली (जिला नैनीताल) में संगमरमर के फर्श को हटाकर टाइलें बिछायी गयी।	
तहसील नैनीताल में एम आर आर को लकड़ी की फॉल्स सीलिंग से सजाया गया था जैसा कि तस्वीरों में दिखाया गया है। इसे इंगित किये जाने पर राज्य सरकार ने अपने उत्तर में अवगत कराया (जुलाई 2023) कि भारत सरकार द्वारा जारी डी आई एल आर एम पी योजना के दिशा-निर्देशों में एम आर आर की स्थापना से संबंधित कार्य हेतु कोई निर्धारित मानक नहीं दिये गये हैं।	

58 ₹ 25.00 लाख प्रति तहसील के आधार पर।

59 स्वीकृत राशि का 60 *प्रतिशत।*

60 450 वर्ग फुट से कम।

61 उपलब्ध स्थान की मरम्मत कार्य, कमरों का विभाजन, विद्युत कार्य, पेंटिंग कार्य आदि।

62 65 तहसीलों के लिए ₹ 2.27 लाख प्रति तहसील।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह अधिप्राप्ति के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, [उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 और 2017 अध्याय-1, पैरा 3 (13)] जिसमें उल्लेख किया गया है कि अधिप्राप्ति करने वाले प्राधिकारी को 'वित्तीय औचित्य के मानकों' का कड़ाई से ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि भविष्य के कार्यों के पूर्वानुमान में। बोर्ड ने तहसील कार्यालयों में कार्य आरंभ करने से पहले आवश्यकता का विश्लेषण नहीं किया और जिलाधिकारी स्तर पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण निगरानी की कमी थी। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि वास्तविक आवश्यकता के बिना निधियों का उपयोग किया गया था।

3.4.5.2 उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु अनुचित योजना

बोर्ड ने अपने स्तर पर उपकरण[63] और अन्य आवश्यक सामग्री की केंद्रीयकृत अधिप्राप्ति करने का भी निर्णय लिया।

जाँच में पाया गया कि:

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लाभ से कीमतों में कमी होती है और फर्मों को उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित करते है।

- तहसीलों में उपकरणों सहित एम आर आर स्थापित करने के लिए बोर्ड ने कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉम्पेक्टर, ए सी, यू पी एस इत्यादि की केंद्रीकृत अधिप्राप्ति हेतु धनराशि ₹ 13.11 करोड़ (जी एस टी सहित) की ई निविदा की प्रक्रिया, नीचे दी गई शर्तों के साथ आरंभ की (दिसम्बर 2019):
    - पिछले तीन वर्षों से उत्तराखण्ड में स्थित केंद्र या राज्य सरकार के विभागों को आपूर्ति।
    - उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय एवं सेवा केन्द्र की स्थापना; और
    - तीन वर्ष से अधिक समय से उत्तराखण्ड से संबंधित टिन पंजीकरण होना।

उक्त शर्तों ने प्रतिस्पर्धी निविदा के दायरे को सीमित कर दिया।

[63] कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉम्पेक्टर, एयर कंडीशनर, यू पी एस आदि।

निर्धारित मानकों के अनुसार एम आर आर की स्थापना सुनिश्चित किए बिना और एम आर आर में सिविल कार्य प्रारम्भ होने से पहले ही, उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए दो चरणों[64] में, ₹ 13.11 करोड़ की धनराशि के क्रय आदेश जारी किए गए थे।

- बोर्ड को सूचित किया गया (मार्च 2020) कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत नैनीताल जिले की तहसील हल्द्वानी का पुनर्निर्माण किया जाना था और पुनर्निर्माण कार्य के दौरान एम आर आर स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया क्योंकि उक्त तहसील के लिए क्रय आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था (मार्च 2020)। साथ ही यह पाया गया कि जून 2020 में तहसील हल्द्वानी को आपूर्ति किए गए ₹ 20.00 लाख के उपकरण सीलबंद बक्सों में निष्क्रिय पड़े थे।

चित्र-4: तहसील हल्द्वानी

- अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 65 तहसीलों को मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक उपकरण सीधे आपूर्ति किए गए थे। केवल 26 तहसीलों में उपकरणों की स्थापना पूरी हो पाई थी और शेष तहसीलों में एम आर आर में सिविल कार्य पूरा न होने के कारण स्थापना अधूरी थी। अप्रैल 2021 तक फर्म को ₹ 12.32 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण स्थापित उपकरण भी उपयोग में नहीं लिए गए थे। चूंकि उपकरण या तो डंप कर दिये गये थे या उपयोग में नहीं लाये गये थे। अतः उपकरण की वारंटी भी सामग्री की आपूर्ति की तिथि से एक से पाँच वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली थी।
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को सहमत धनराशि का 90 *प्रतिशत* भुगतान उपकरण/ सामग्री की प्राप्ति पर और शेष 10 *प्रतिशत* धनराशि का भुगतान उनकी स्थापना के बाद किया जाना था। संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मार्च 2020 से अगस्त 2020 के दौरान सभी 65 तहसीलों में

[64] जनवरी 2020 में 40 तहसीलों के लिए पहला चरण और मार्च 2020 में 25 तहसीलों के लिए दूसरा चरण।

आपूर्ति के सापेक्ष, फर्म को 90 *प्रतिशत* भुगतान, आवश्यक गुणवत्ता मानकों की जांच किए बिना किया गया था। शेष 39 तहसीलों में उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित किये बिना ही आपूर्ति की गयी सामग्री के सापेक्ष शेष 10 *प्रतिशत* धनराशि का भुगतान भी फर्म को कर दिया गया (अप्रैल 2021)।

- 65 तहसीलों में एम आर आर में स्थापित किए जाने वाले उपकरण[65] पहुंचाने के लिए क्रय आदेश[66] जारी किए गए। उक्त उपकरण, आवश्यक कार्य के लिए एक[67] ऑपरेटर की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष प्रति स्थान पांच के अनुपात में वितरित किए गए थे। उपलब्ध

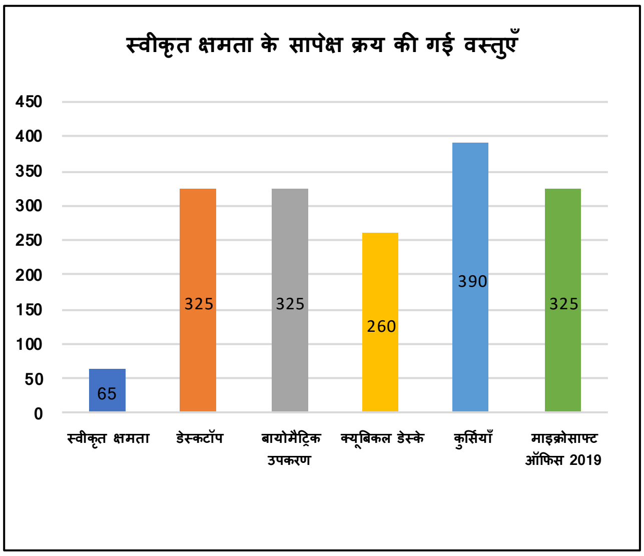

कर्मचारियों के सापेक्ष खरीदे गए उपकरण/ सामग्री को चार्ट में देखा जा सकता है। तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषण किए बिना अधिप्राप्ति की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रियता के साथ-साथ व्यर्थ व्यय भी हुआ। इसके अतिरिक्त, वारंटी की जल्दी समाप्ति और नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले उपकरणों की अधिप्राप्ति न करने के कारण अग्रिम खरीद विभाग के लिए नुकसानदेह थी।

---

65 390 मीडियम बैक कुर्सियाँ और 65 चार सीटों वाले बैक-टू-बैक वर्कस्टेशन (क्यूबिकल डेस्क)। इसके अतिरिक्त, 325 डेस्कटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टैण्डर्ड 2019 (यह उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट ओपन लाइसेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और इस उत्पाद की खरीद एक स्थायी सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रदान करती है)।

66 आदेश संख्या 4529/IV-41/2019-20 दिनांक 21 जनवरी 2020 एवं आदेश संख्या 5417/IV-41/2019-20 दिनांक 06 मार्च 2020।

67 भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए 120 तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की स्वीकृत संख्या 126 थी, जो प्रत्येक तहसील में लगभग एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर पहुंचती है।

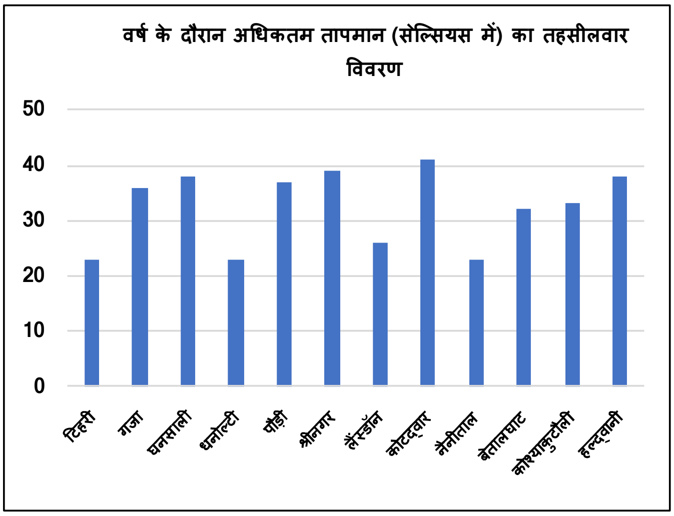

यह इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि (जुलाई 2023) कि उपकरणों की खरीद कंप्यूटर ऑपरेटरों/डेटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती के संबंध में नहीं की गई है, बल्कि भविष्य के कार्यों की जरूरतों और आधारभूत संरचना के विकास को ध्यान में रखते हुए की गई है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह अधिप्राप्ति के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, [उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 और 2017 अध्याय-1, पैरा 3 (13)] जिसमें उल्लेख किया गया है कि अधिप्राप्ति करने वाले प्राधिकारी को 'वित्तीय औचित्य के मानकों' का कड़ाई से ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि भविष्य के कार्यों के पूर्वानुमान में।

- एक हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य का 86.07 *प्रतिशत* भाग पहाड़ी क्षेत्र और 13.93 *प्रतिशत* भाग मैदानी है। यह पाया गया कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर एयर कंडीशनर की आवश्यकता का विश्लेषण किए बिना, बोर्ड ने 65 तहसीलों के एम आर आर के लिए 130 एयर कंडीशनर (ए सी) खरीदे थे (एक सर्वर रूम के लिए और एक परिचालन क्षेत्र के लिए) और प्रत्येक तहसील को आपूर्ति की थी।

उपर्युक्त तथ्य को चयनित तहसीलों में अधिकतम तापमान दर्शाने वाले चार्ट द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। चार्ट स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विशेष रूप से टिहरी, धनोल्टी, लैंसडाउन और नैनीताल के लिए ए सी की आवश्यकता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत कम थी कि इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 23-26 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इस प्रकार, विभाग ने ए सी की आवश्यकता का आकलन किए बिना उन क्षेत्रों के लिए भी ए सी खरीद लिए, जहाँ मौसम की स्थिति के कारण इसकी आवश्यकता नहीं थी।

3.4.5.3 निगरानी एवं समीक्षा तंत्र

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं को स्वीकृति देने और देश में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना स्वीकृति और निगरानी समिति की स्थापना की जानी थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य के साथ-साथ राज्य के प्रत्येक जिले में निगरानी एवं समीक्षा समिति का भी गठन किया जाना था।

यह पाया गया कि निगरानी और समीक्षा तंत्र निम्नलिखित कारणों से अप्रभावी था:

i. जिला-स्तरीय निगरानी और समीक्षा समिति (डी एल एम आर सी) का गठन नहीं किया गया था और डी एल एम आर सी के गठन के लिए राज्य-स्तरीय निगरानी और समीक्षा समिति (एस एल एम आर सी) द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

ii. डी एल एम आर सी के अस्तित्व में न होने के कारण निम्नलिखित अनियमितताएं एवं कमियाँ पायी गईं:

राजस्व बोर्ड को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर/उपायुक्त और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक डी एल एम आर सी का गठन करना आवश्यक था। समिति में भूमि राजस्व मामलों को देखने वाले ए डी एम/एस डी एम, जिला परिषद के सीईओ/ कार्यकारी अधिकारी, उप जिला रजिस्ट्रार, राज्य वन विभाग के प्रतिनिधि और एन आई सी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होने थे। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी अभिकरणों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना था। समिति से अपेक्षा की गयी थी कि त्रैमास में कम से कम एक बार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करें और राज्य स्तरीय निगरानी और समीक्षा समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

- ❖ जिला स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की जा सकी और कार्यक्रम का प्रगति प्रतिवेदन, जिसे एस एल एम आर सी को त्रैमासिक प्रस्तुत किया जाना था, प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
- ❖ कई तहसीलों में सिविल कार्य अपूर्ण थे और क्रय किये गए उपकरण समय पर स्थापित नहीं किये जा सके।
- ❖ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप है, उपकरण प्रेषण करने से पहले निविदादाता के परिसर में उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया था।

- उपकरणों की आपूर्ति सीधे तहसीलों को की जानी थी और संबंधित तहसीलों में उपकरणों को अपने कब्जे में लेने के पश्चात, यह जिला प्रमुखों की जिम्मेदारी थी कि वे राजस्व बोर्ड को बतायें कि उपकरण आवश्यकताओं और खरीद विनिर्देशों के अनुरूप हैं। हालाँकि, सामग्री/उपकरण की गुणवत्ता और विशिष्टताओं की जाँच तहसील स्तर पर नहीं की जा सकी।

इस ओर इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 नवंबर 2021 के अंतर्गत डी आई एल आर एम पी दिशानिर्देश-2018-19 के अनुसार, डी एल एम आर सी का गठन किया गया है और अनुपालन हेतु सभी जिलाधिकारियों को समय-समय पर निर्देश जारी किये गए हैं।

दिसम्बर 2021 से फरवरी 2022 के दौरान, चयनित जिलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि ऐसी कोई समिति अस्तित्व में नहीं थी, जो विभागीय स्तर पर योजना की कमी और कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संकेतक है। निश्चित समयावधि पर क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम की अप्रभावी निगरानी एवं प्रदर्शन मापदंडो को प्राप्त करने में विफलता के लिए बोर्ड के साथ-साथ जिलाधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

3.4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आधुनिक अभिलेख कक्ष स्थापित करने से संबंधित कार्य के निष्पादन से पूर्व विभाग द्वारा तहसील कार्यालयों में एम आर आर स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी। वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना एम आर आर में सिविल कार्य निष्पादित किया गया जिसके परिणामस्वरूप कार्य की अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय हुआ। संबंधित तहसीलों में एम आर आर स्थापित करने से पहले बोर्ड द्वारा उपकरण/सामग्री क्रय की गई थी, जिसके कारण कई तहसीलों में उक्त उपकरण अप्रयुक्त/डम्प पड़े रहे। जिन तहसील कार्यालयों में इसे स्थापित किया गया था, वहां भी कर्मचारियों की कमी के कारण उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.5 ₹ 2.84 करोड़ की जुर्माना राशि का गैर-अधिरोपण

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2005 (संशोधित नियम, अक्टूबर 2015) प्रावधानित करता है कि किसी क्षेत्र का अधिकृत प्रभारी अधिकारी (क्षेत्राधिकार के अंतर्गत) उन वाहनों पर नियत जुर्माना लगाएगा जो अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे है तथा अवैध रूप से परिवहन किये गये खनिज की लागत जिम्मेदार परिवहनकर्ताओं से निर्धारित दरों पर वसूल करेगा।

इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों में प्रावधान है कि जिला कलेक्टर, जहां भी आवश्यक हो, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की जांच करेगा, एवं अवैध रूप से खनन किये गये खनिज ले जाने वाले वाहन को जब्त करने और उस पर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। इसके अतिरिक्त, जिला कलेक्टर उप जिलाधिकारी (एस डी एम) को नियंत्रित करता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में निजी भवन के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री चुनने की अनुमति देता है।

उप जिलाधिकारी (एस डी एम), लक्सर, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर/ नवम्बर 2020), में पाया गया कि, एस डी एम लक्सर ने अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान खनिज के अवैध परिवहन तथा खनन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 334 वाहन पकड़े। एस डी एम लक्सर द्वारा उपर्युक्त वाहनों पर उत्तराखण्ड खनिज नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत खनिजों के अवैध परिवहन एवं खनन के लिए जुर्माना लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 334 वाहनों पर कम जुर्माना अधिरोपित करते हुये ₹ 2.84 करोड़ की धनराशि कम वसूली गयी थी, क्योंकि लागू की गयी दरें निर्धारित दरों से कम थी जैसा ***परिशिष्ट-3.5.1*** में ब्योरा दिया गया है।

सरकार ने (नवम्बर 2023) सूचित किया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का मुद्दा विचाराधीन है।

3.6 अवैध रूप से खनन/परिवहन किए गए उप खनिजों के उपयोग के कारण ₹ 252.26 करोड़ की धनराशि का जुर्माना लगाने में विफलता

वित्तीय नियमों[68] और सरकारी आदेशों[69] में यह परिकल्पना की गई है कि पूरी या आंशिक रूप से लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण सरकार को हुई वित्तीय हानि की वसूली सरकारी कर्मचारी से की जानी चाहिये।

[68] उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 81 के अनुसार, सरकारी देय का मूल्यांकन और वसूली नियमित रूप से और शीघ्रता से की जानी चाहिए: प्राप्तियों के किसी विशेष वर्ग के संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी विशेष व्यवस्था के अधीन, यह विभागीय नियंत्रण अधिकारियों का कर्तव्य है कि सरकार को देय सभी राशियों का नियमित रूप से और तुरंत मूल्यांकन किया जाए, वसूली की जाए और सरकारी खाते में विधिवत जमा किया जाए। साथ ही, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V के भाग-2 का परिशिष्ट 25 एवं शा. संख्या 28015/39-4-95-57/95 दिनांक 4/9/1995 यह प्रावधान करता है कि यदि अधिकारियों की लापरवाही के कारण कोई हानि होती है तो वे सभी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

[69] शासनादेश संख्या 466/xxx(2)2005 दिनांक 05 मार्च 2005 में वर्णित है कि यदि किसी कर्मचारी के अनियमित कार्यों के कारण सरकार को वित्तीय हानि होती है, तो इसकी वसूली संबन्धित कार्मिक से की जानी चाहिए।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली 2005 सपठित उत्तराखण्ड खनन नीति 2020, जिला अधिकारी (जि अ) को अन्य कथनों के साथ-साथ अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की जांच करने, सरकार द्वारा प्रायोजित निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को सड़क निर्माण के दौरान प्राप्त मलबे का उपयोग करने का लाइसेंस देने, उप खनिज के खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस देने, अवैध खनन सामग्री ले जाने वाले वाहन को जब्त करने और उस पर जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निर्देश दिया है कि जिला अधिकारियों को अवैध खनन के मामले में अनुकरणीय जुर्माना लगाना होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा यह प्रतिवेदित[70] किया गया (अगस्त 2018) कि जिम्मेदार प्राधिकारियों ने सरकारी परियोजनाओं में ठेकेदारों द्वारा अवैध उप खनिज के उपयोग का उचित संज्ञान नहीं लिया और इस प्रकार ₹ 237.10 करोड़ का जुर्माना लगाने में विफल रहे। जिसकी प्रतिक्रिया में, खनन विभाग द्वारा अवगत कराया गया (अगस्त 2019) कि कार्यदायी संस्था बिना फॉर्म एम एम-11 के खनिजों के परिवहन के मामलों को दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी/ जिला खनन अधिकारी को प्रेषित कर सकती हैं। पुनः लेखापरीक्षा ने सरकारी एजेंसियों द्वारा ठेकेदारों पर ₹ 104.08 करोड़ का जुर्माना न लगाने के संबंध में प्रतिवेदित किया था[71] (फरवरी 2022)।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस) आधारित डाटा संचालित लेखापरीक्षा (जुलाई-अगस्त 2022) के दौरान पाया गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकारी विभागों (पी डब्ल्यू डी, आर डब्ल्यू डी, सिंचाई आदि) द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करते समय फॉर्म एमएम-11 या फॉर्म जे ***(परिशिष्ट-3.6.1)*** के बिना, निर्माण स्थलों पर लाए गए उप खनिजों का उपयोग करने के लिए ठेकेदारों के बिलों से ₹ 63.06 करोड़ की रॉयल्टी की कटौती की गई। राज्य के सभी 13 जिलों के जिला अधिकारी और अन्य जिम्मेदार प्राधिकारी संयुक्त रूप से सरकारी परियोजनाओं में ठेकेदारों द्वारा अवैध उप-खनिजों के उपयोग के लिए निर्धारित अर्थदण्ड अर्थात रॉयल्टी का पांच गुना लगाने में विफल रहे। चूंकि ठेकेदारों के बिलों से केवल एक

[70] मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का प्रस्तर 2.2 ।

[71] वर्ष 2022 के प्रतिवेदन संख्या 3 का प्रस्तर 3.1.7 ।

गुना रॉयल्टी की कटौती की गई, इसलिए न्यूनतम ₹ 252.26 करोड़[72] के राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने सूचित किया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने का मुद्दा विचाराधीन हैं (नवम्बर 2023)।

इस प्रकार, खनन नियमों और विनिमयों, बजट नियमावली, वित्तीय पुस्तिका और सरकारी आदेशों में परिकल्पित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करने के लिए जिलाधिकारियों/अन्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण, ₹ 252.26 करोड़ की धनराशि का जुर्माना एकत्र नहीं किया जा सका, जिसके लिए संबन्धित अधिकारियों पर ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

राज्य कर विभाग

3.7 जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3.7.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) की शुरुआत ने केंद्र और राज्यों द्वारा उद्ग्रहीत और एकत्र किए गए कई करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। जी एस टी, जो 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र और राज्य एक समान कर आधार पर एक साथ जी एस टी लगाते हैं। केंद्रीय जी एस टी (सी जी एस टी) और राज्य जी एस टी (यू जी एस टी)/ केंद्र शासित प्रदेश जी एस टी (यू टी जी एस टी) प्रान्तीय आपूर्ति पर लगाया जाता है, और एकीकृत जी एस टी (आई जी एस टी) अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है।

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (यू जी एस टी) अधिनियम 2017 की धारा 59 जी एस टी को एक स्व-मूल्यांकन-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत कर देयता की गणना करने, संगणित कर देयता का निर्वहन करने और विवरणी दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। जी एस टी विवरणी को सामान्य जी एस टी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर विलंब शुल्क का भुगतान किया जाएगा। भले ही व्यवसाय का किसी विशेष कर अवधि के दौरान कोई कर दायित्व नहीं रहा हो, उसे अनिवार्य रूप से शून्य

[72] ₹ 3,15,31,90,630 - ₹ 63,06,38,126 = ₹ 2,52,25,52,504 ।

विवरणी दाखिल करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 में कहा गया है कि उचित प्राधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की जांच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियां सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है।

इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र के महत्व और राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के निरीक्षण तंत्र को ध्यान में रखते हुए यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) शुरू की गई थी।

3.7.2 संगठनात्मक व्यवस्था

राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य कर विभाग के समग्र प्रभारी हैं। विभाग राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के साथ-साथ उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम का प्रशासन करता है, जो संभागीय स्तर और मुख्यालयों पर राज्य कर के अपर आयुक्त, क्षेत्र स्तर पर संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के उपायुक्त, राज्य कर के सहायक आयुक्त और राज्य कर आयुक्त एवं अन्य संबद्ध कर्मचारीगण की सहायता से राज्य कर आयुक्त के समग्र नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन है।

3.7.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जी एस टी व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए उन्मुख थी। 'जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' का लेखा-परीक्षण निम्नलिखित लेखा-परीक्षण उद्देश्यों के साथ किया गया था ताकि इन पर आश्वासन प्राप्त किया जा सकेः

i. क्या नियम और प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर एक प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गयी थी और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और

ii. क्या सेक्टरों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

3.7.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं आच्छादन

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) मुख्य रूप से डाटा विश्लेषण के आधार पर सम्पादित किया गया था, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम वाले क्षेत्रों और लाल चेतावनी (यह एक चेतावनी है जो किसी स्थिति या व्यवहार के बारे में सावधान करती है) को उजागर

किया गया था। डाटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता का निर्वहन, पंजीकरण और विवरणी दाखिल के क्षेत्रों में 14 विचलनों के एक समूह की पहचान की गई। इस तरह के विचलनों का एक सीमित लेखापरीक्षा[73] के माध्यम से अनुपालन किया गया, जिसके माध्यम से इन विचलनों को संबंधित राज्य के विभागीय क्षेत्र संरचनाओं (सेक्टर) को सूचित किया गया और फील्ड दौरा किए बिना पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार क्षेत्र संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया गया था। सीमित लेखापरीक्षा (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा) को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरक किया गया था जिसमें क्षेत्राधिकार क्षेत्र संरचनाओं के साथ उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए फील्ड दौरा शामिल था। विवरणी और संबंधित संलग्नक और सूचनाओं को जी एस टी एन पोर्टल एप्लिकेशन-राज्य कर विभाग की बैक-एंड प्रणाली अर्थात पश्च भाग प्रणाली (बोवेब) के माध्यम से प्राप्त किया गया था ताकि करदाताओं से संबंधित डाटा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्यों) की जांच की जा सके। विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं से संबंधित क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से बिल जैसे प्रासंगिक बारीक अभिलेखों तक पहुंच भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, चयनित क्षेत्रों में विवरणी की जांच जैसे विभागीय संरचना की अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जांच और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि शामिल थी, जबकि चयनित सेक्टरों के कार्यों की लेखापरीक्षा में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि शामिल थी।

इस एस एस सी ए का प्रवेश गोष्ठी 13 जनवरी 2022 को अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के साथ आयोजित किया गया था और जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा आच्छादन और पद्धति पर चर्चा की गई थी। बहिर्गमन गोष्ठी 16 जून 2023 को अपर आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के साथ आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान विभाग द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मसौदा रिपोर्ट के लिखित उत्तरों को संबंधित प्रस्तरों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

3.7.5 लेखापरीक्षा नमूना

योजना के साथ ही मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए भी एक डाटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस एस एस सी ए के नमूने में

---

[73] सीमित लेखापरीक्षा में करदाता के बारीक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, खाता बही, बिल, समझौते आदि की मांग करना शामिल नहीं था।

सीमित लेखापरीक्षा के लिए डाटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमें फील्ड दौरा शामिल नहीं था; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना शामिल था जिसमें फील्ड दौरा और विभागीय परिसरों में करदाताओं के अभिलेखों की जांच शामिल थी; और सेक्टरों के अनुपालन कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए सेक्टरों का एक नमूना शामिल था।

इस एस एस सी ए के तीन अलग-अलग भाग निम्नलिखित थेः

(i) भाग I- सेक्टरों का लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा प्रकरणों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर अधिकार क्षेत्र वाले दस सेक्टरों को उनके निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के लिए सेक्टरों के नमूने के रूप में माना गया।

(ii) भाग II- सीमित लेखापरीक्षा

सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डाटा विश्लेषण के माध्यम से विवरणी के मध्य नियमों और विसंगतियों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलन की पहचान करके किया गया था। तदनुसार, इस एस एस सी ए के अंतर्गत सीमित लेखापरीक्षा के लिए 376 करदाताओं का चयन किया गया था।

(iii) भाग III- विस्तृत लेखापरीक्षा

यह करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए सेक्टरों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेख तक पहुँच करके संचालित किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन अतिरिक्त आई टी सी, (किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर भुगतान की गई जी एस टी धनराशि) कर देयता की विसंगति कुल आवर्त के लिए आनुपातिक छूट वाले आवर्त और अनियमित आई टी सी प्रत्यावर्तन जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर किया गया था। 36 सेक्टरों[74] से

[74] सेक्टर-1 अल्मोड़ा, सेक्टर-1,2,3,4,6,7 एवं 8 देहरादून, सेक्टर-2 हल्द्वानी, सेक्टर-1,2,3,4,5 एवं 6 हरिद्वार, सेक्टर-1 एवं 2 काशीपुर, सेक्टर-1 एवं 2 खटीमा, किच्छा, सेक्टर-1 कोटद्वार, सेक्टर-1 पिथौरागढ़, रामनगर, सेक्टर-1, 2 एवं 3 ऋषिकेश, सेक्टर-1,2,3 एवं 4 रूड़की, सेक्टर-1,2 एवं 3 रूद्रपुर, टनकपुर, सेक्टर-1 एवं 2 विकासनगर।

संबंधित 99 करदाताओं का 'विस्तृत लेखापरीक्षा' के लिए चयन किया गया जिसमें बड़े, मध्यम और छोटे स्तर[75] के करदाता शामिल थे।

इस एस एस सी ए के लिए चुने गए सेक्टरों की लेखापरीक्षा, सीमित लेखापरीक्षा और विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए नमूने का ब्योरा ***परिशिष्ट-3.7.1*** में दर्शाया गया है।

3.7.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में यू जी एस टी अधिनियम, आई जी एस टी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान **तालिका- 3.7.1** में दिए गए हैंः

तालिका- 3.7.1: मानदंडों का स्रोत

क्र. सं.	विषय	अधिनियम और नियम
1	करारोपण और संग्रह	यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 9
2	विपरीत कर संरचना	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 9 (3) और आई जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 5 (3)
3	आई टी सी का उपयोग और उपभोग	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 16 से 21; यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 22 से 30; यू जी एस टी नियम के नियम 8 से 26
5	आपूर्ति	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 7 और 8। यू जी एस टी अधिनियम की अनुसूची I, II और III
6	आपूर्ति का स्थान	आई जी एस टी अधिनियम की धारा 10 से 13
7	आपूर्ति का समय	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 12 से 14
8	आपूर्ति का मूल्य	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 15; यू जी एस टी नियमों के नियम 27 से 34
9	कर का भुगतान	यू जी एस टी अधिनियम के अध्याय X की धारा 49 से 53; यू जी एस टी नियमों के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
10	विवरणी दाखिल करना	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 37 से 47; यू जी एस टी नियमों के नियम 59 से 68 और 80 से 81। यू जी एस टी नियमों का भाग बी विवरणी का प्रारूप निर्धारित करता है
11	शून्य-श्रेणी की आपूर्ति	आई जी एस टी अधिनियम की धारा 16
12	कर निर्धारण और लेखापरीक्षा कार्य	यू जी एस टी अधिनियम की धारा 61, 62, 65 12 एवं 66; यू जी एस टी नियमों के नियम 99 से 102

[75] बड़े करदाता-60, मध्यम करदाता-30 और छोटे करदाता-09 ।

इसके अतिरिक्त, सी बी आई सी[76]/राज्य कर विभाग द्वारा विवरणी दाखिल करने, विभिन्न विवरणी दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, विवरणी दाखिल करने के लिए नियत तारीखों को विस्तारित करने, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों, कर के भुगतान, आई टी सी के लाभ का उपभोग एवं उपयोग करने, विवरणी की जांच और कर अनुपालन की निगरानी और मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी), जिसमें विवरणी दाखिल करने, विवरणी की जांच, पंजीयन का निरस्तीकरण और विश्लेषण एवं जोखिम प्रबन्धन महानिदेशालय (डी जी ए आर एम) तथा अन्य कर प्राधिकारियों की रिपोर्ट के सत्यापन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, से संबंधित जारी की गई अधिसूचनाएं और परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंड में शामिल है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- विवरणी दाखिल करने पर निगरानी - सेक्टरों की लेखापरीक्षा
- सीमित लेखापरीक्षा
- विस्तृत लेखापरीक्षा

3.7.7 विवरणी दाखिल करने पर निगरानी - सेक्टरों की लेखापरीक्षा

यू जी एस टी नियम के नियम 59 (1) के अनुसार, आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को धारा 37 के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति का ब्योरा प्रपत्र जी एस टी आर-1 में सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

यू जी एस टी नियमों के नियम 61 (1) के अनुसार, आई जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति या एक इनपुट सेवा वितरक या एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति या, जैसा भी प्रकरण हो, धारा 52 के अंतर्गत प्रपत्र जी एस टी आर-3 में धारा 39 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट

[76] केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड।

विवरणी सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

यू जी एस टी नियम के नियम 61(5) के अनुसार, जहां धारा 37 के अंतर्गत प्रपत्र जी एस टी आर-1 में और धारा 38 के अंतर्गत प्रपत्र जी एस टी आर-2 में विवरण प्रस्तुत करने का समय विस्तारित कर दिया गया है और इस तरह की परिस्थितियां आवश्यक हैं, वहाँ आयुक्त अधिसूचना द्वारा उन तरीकों और शर्तों को निर्दिष्ट कर सकता है जिनके अधीन विवरणी को प्रपत्र जी एस टी आर-3 बी में सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

3.7.7.1 विवरणी की जांच की धीमी गति

यू जी एस टी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल किए गये विभिन्न विवरणियों की जांच उचित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित किया जा सके और विवरणियों में किसी भी विसंगति या विसंगतियों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए नामित उचित अधिकारी सेक्टर अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, यू जी एस टी नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि विसंगतियाँ, यदि कोई पायी जाती है, तो करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचित किया जाएगा।

विभाग द्वारा परिपत्र पत्र सं. 925/आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड/मुख्यालय/ जी एस टी अनुभाग/2022-23 (मई 2022) ने एकरूपता सुनिश्चित करने और अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जांच की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने की दृष्टि से विवरणी की जांच पर विस्तृत दिशानिर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) जारी की गई। एस ओ पी के अनुसार, संयुक्त आयुक्त (कार्यकारी) जोखिम प्रबंधन और कर विश्लेषण द्वारा पहचाने गए प्रकरणों को जांच के लिए संबंधित उचित अधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 10 सेक्टरों में आने वाले 2017-18 से 2020-21 से संबंधित प्रकरणों की कुल संख्या (79,057) को देखते हुए, विभाग उक्त अवधि के दौरान केवल 364 (0.46 प्रतिशत) प्रकरणों की जांच कर सका ***(परिशिष्ट-3.7.2)***। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त जांच के लिए प्रकरणों की सूची एस ओ पी जारी होने की तिथि से छः महीने के अंतराल के बाद भी उचित अधिकारी को

उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके कारण, वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रकरणों की जांच इस तथ्य के होने पर भी नहीं की गई थी कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी करदाताओं द्वारा 07 फरवरी 2020 तक दाखिल की गई थी और ये प्रकरण सितम्बर 2023 में कालबाधित हो जायेंगी। यह विवरणी की जांच सुनिश्चित करने में विभाग की लापरवाही का संकेत देता है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किया गया (अगस्त-दिसम्बर 2022), विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.7.2 कर अधिकारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा में विलम्ब/आंतरिक लेखापरीक्षा आरंभ नहीं करना

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, एक सामान्य या एक विशिष्ट आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का लेखापरीक्षा ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति पर और उस तरीके से कर सकता है जो निर्धारित किया जाए। यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) "लेखापरीक्षा" को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणों और अन्य दस्तावेजों की जांच के रूप में परिभाषित करती है। जो घोषित कारोबार भुगतान किए गए करों, दावा किए गए धनवापसी और प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धतता को सत्यापित करने और इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ उसके अनुपालन का आकलन करने के लिए लागू है।

विभाग ने परिपत्र पत्र सं. 925/आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड/ मुख्यालय/ जी एस टी अनुभाग/2022-23 दिनांक 20 मई 2022 द्वारा एकरूपता सुनिश्चित करने और अधिनियम की धारा 65 और धारा 66 के अनुसार लेखापरीक्षा की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने की दृष्टि से विस्तृत दिशा-निर्देश/एस ओ पी जारी की।

जी एस टी के लिए 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्योरा **तालिका-3.7.2** में दिया गया हैः

तालिका-3.7.2: वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान संपादित लेखापरीक्षा	करदाताओं की कुल संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चुने गए करदाताओं की संख्या (*प्रतिशत* में)	संपादित की गई लेखापरीक्षा की वास्तविक संख्या (दिसम्बर 2022 तक)	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें कमियां पाई गईं	कमियों में अंतर्ग्रस्त कुल राशि	कुल वसूली
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2020-21	312	1,02,280	0.31	272	272	340.02	20.46

स्रोतः राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपर्युक्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि एस ओ पी जारी करने में विलंब के कारण, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2017-18 की लेखापरीक्षा संपादित की। यह पाया गया है कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के 1,02,280 प्रकरणों में से 312 (0.31 *प्रतिशत)* प्रकरणों की आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2020-21 में संपादित की। विभाग सभी 272 लेखापरीक्षित प्रकरणों में कमियों का पता लगाता है, अन्य प्रकरणों यदि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए जाते तो उनमें भी कमियों मिलने की उच्च संभावना को दर्शाता है। इसके होने पर भी विभाग ने अपने लेखापरीक्षा चयन में वृद्धि नहीं की जो विभाग के पक्ष पर लापरवाही का संकेत देता है।

विभाग को शेष लेखापरीक्षा संपादित करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के खिलाफ समय पर कार्रवाई आरंभ की जा सके और वसूली हो सके ताकि राजस्व रिसाव को रोका जा सके क्योंकि स्व-मूल्यांकन कर व्यवस्था के युग में, आंतरिक लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा अनुपालन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य साधनों में से एक है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने (मार्च 2023), पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.7.3 अन्य जी एस टी कराधान प्राधिकरणों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर कार्रवाई का अभाव

सी बी आई सी (बोर्ड) ने का ज्ञा एफ सं ए-11013/19/2017-एड. IV दिनांक 11 जुलाई 2017 द्वारा विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डी जी ए आर एम) का गठन जी एस टी डाटा का अध्ययन, व्याख्या और विश्लेषण

करने और बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के साथ परिणामों को साझा करने के उद्देश्य से किया। लेखापरीक्षा में डी जी ए आर एम और अन्य कर प्राधिकरणों से प्राप्त प्रकरणों के बारे में जानकारी मांगी गई।

चयनित 10 सेक्टरों की लेखापरीक्षा के दौरान, तीन सेक्टरों ने सूचित किया कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ, जबकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन सेक्टरों में अन्य जी एस टी कराधान प्राधिकरणों से उक्त अवधि के दौरान नौ प्रकरण प्राप्त हुए थे। एक सेक्टर ने उक्त अवधि के दौरान प्राप्त एक प्रकरण की सूचना दी थी, लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस सेक्टर को छः प्रकरण प्राप्त हुए थे। शेष छः सेक्टरों में कोई विसंगति नहीं देखी गई। ***(परिशिष्ट-3.7.3)***।

लेखापरीक्षा (अगस्त-दिसम्बर 2022) में इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर (मार्च 2024) अप्राप्त था।

3.7.7.4 विवरणी दाखिल न करने वालों की कर देयता का आकलन करने के लिए सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का संचालन न करना

यू जी एस टी अधिनियम की धारा 46, सपठित यू जी एस टी नियम के नियम 68 में प्रावधान है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहा था, तो प्रपत्र जी एस टी आर-3ए में एक नोटिस जारी करना निर्धारित है, जिसके पंद्रह दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता इस प्रकार के नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का आकलन करना प्रारम्भ कर सकता है और यू जी एस टी अधिनियम की धारा 62 सपठित यू जी एस टी नियम के नियम 100 के अनुसार प्रपत्र ए एस एम टी-13 में कर निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

चयनित 10 सेक्टरों में, 2017-18 से 2020-21 के दौरान 12,804 गैर-दाखिलकर्ता थे, जिनमें से केवल 2,192 (17.12 प्रतिशत) प्रकरणों में विभाग ने जी एस टी आर-3ए नोटिस जारी किया। जी एस टी आर-3ए नोटिस के उत्तर में, 855 (39.01 *प्रतिशत*) गैर-दाखिलकर्ताओं ने अपनी विवरणी दाखिल की। विभाग ने शेष 1,337 प्रकरणों में से

किसी में भी कर निर्धारण नहीं किया, जहां गैर-दाखिलकर्ताओं ने जी एस टी आर-3ए नोटिस का उत्तर नहीं दिया था। ***(परिशिष्ट- 3.7.4)***।

लेखापरीक्षा (अगस्त-दिसम्बर 2022) में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी (जून 2023) में उत्तर दिया कि यू जी एस टी अधिनियम की धारा 125 के अन्तर्गत अर्थदण्ड नोटिस गैर-दाखिलकर्ताओं के खिलाफ अधिक प्रभावी है। इसलिए, विभाग इसके लिए धारा 125 के अन्तर्गत नोटिस भेज रहा है, लेकिन इसका कोई ब्योरा विभाग ने नहीं दिया है।

विभाग का उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि, सबसे पहले, लेखापरीक्षा टिप्पणी 83 *प्रतिशत* गैर-दाखिलकर्ताओं को जी एस टी आर 3ए नोटिस जारी नहीं करने में विभाग की निष्क्रियता से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 61 *प्रतिशत* प्रकरणों में भी सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन नहीं किया, जहां करदाताओं ने यू जी एस टी अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत अपेक्षित जी एस टी आर-3ए नोटिसों का उत्तर नहीं दिया था।

3.7.7.5 पंजीकरण रद्द होने की स्थिति में अंतिम विवरणी (जी एस टी आर-10) प्रस्तुत न करना

यू जी एस टी अधिनियम की धारा 29 पंजीकरण को रद्द करने के लिए शर्तों को निर्धारित करती है, जिसमें उन करदाताओं के पंजीकरण को स्वतः रद्द करना शामिल है जिन्होंने लगातार छः महीने (समाधान करदाताओं के लिए लगातार तीन कर अवधि) से विवरणी दाखिल नहीं किया है। यू जी एस टी अधिनियम की धारा 45 सपठित यू जी एस टी नियम के नियम 81 में निर्दिष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, उसे रद्द करने की तिथि या रद्द करने के आदेश की तिथि के तीन महीने के अन्दर (जो भी बाद में हो) प्रपत्र जी एस टी आर-10 में अंतिम विवरणी दाखिल करनी चाहिए।

चयनित 10 सेक्टरों के लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2017-21 के दौरान उचित अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार विवरणी दाखिल न करने वालों के 7,143 प्रकरणों में पंजीकरण रद्द करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जबकि करदाताओं के अनुरोध पर 1,994 पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। यह पाया गया कि रद्द किए गए पंजीकरण के कुल 9,137 प्रकरणों में से केवल

194 (2.12 *प्रतिशत)* करदाताओं ने जी एस टी आर-10 दाखिल किया था ***(परिशिष्ट-3.7.5)***।

जी एस टी आर-10 की गैर-दाखिल का अर्थ है कि अन्तिम स्टॉक, संयंत्र और मशीनरी आदि जिस पर कर आरोपणीय है, का गैर-कर निर्धारण।

लेखापरीक्षा (अगस्त-दिसम्बर 2022) में यह अवगत कराए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि ऐसे जी एस टी आर-10 दाखिल न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

3.7.8 जी एस टी विवरणियों में विसंगति -सीमित लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के जी एस टी विवरणी के आंकड़ों का विश्लेषण किया- जैसा कि जी एस टी एन द्वारा उपलब्ध कराया गया है। करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी एस टी विवरणियों के मध्य नियम-आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों की पहचान 14 मापदण्डों के एक समूह पर की गई थी, जिन्हें मुख्य रूप से दो क्षेत्रों- आई टी सी एवं कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तेरह निर्धारित जी एस टी विवरणियों[77] में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूलभूत विवरणियों पर विचार किया गया ताकि जी एस टी विवरणियों/ आंकड़ों के बीच विचलन, विसंगतियों और विसंगति की पहचान की जा सकेः

- **जी एस टी आर-1:** वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की बाह्य आपूर्ति का विवरण होता है।
- **जी एस टी आर-3 बी:** अधिनियम की धारा 39 (1) में निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल कर के भुगतान के साथ बाह्य आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश विवरणी है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट

---

[77] जी एस टी आर-1, जी एस टी आर-3बी, जी एस टी आर-4 (समाधान योजना के अन्तर्गत करदाता), जी एस टी आर-5 (अनिवासी करयोग्य व्यक्ति), जी एस टी आर-5ए (अनिवासी ओ आई डी ए आर सेवा प्रदाता), जी एस टी आर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जी एस टी आर-7 (टी डी एस कटौतीकर्ता), जी एस टी आर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जी एस टी आर-9 (वार्षिक विवरणी), जी एस टी आर-10 (अंतिम विवरणी), जी एस टी आर-11 (यू आई एन रखने वाला व्यक्ति और धनवापसी का दावा करने वाला व्यक्ति), सी एम पी-08, और आई टी सी-04 (फुटकर कार्य-कर्मचारी को भेजे गए/प्राप्त माल के विवरण के बारे में प्रधान/फुटकर कार्य-कर्मचारी द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण)।

लेजर (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो पंजीकृत करदाता द्वारा दावा किये गये सभी वैध आई टी सी को दर्शाता है) में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (करदाता द्वारा नगद या बैंक के माध्यम से किये गये सभी जी एस टी भुगतान को दर्शाया जाता है) में डेबिट को स्वतः भर देता है।

- **जी एस टी आर-6:** इनपुट सेवा वितरकों हेतु मासिक विवरणी जो उनके द्वारा वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आंतरिक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- **जी एस टी आर-8:** ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक विवरणी, जिन्हें अक्टूबर 2018 में शुरू किए गए जी एस टी के अंतर्गत टी सी एस (स्रोत पर एकत्र कर) में कटौती करने की आवश्यकता होती है।
- **जी एस टी आर-9:** इनपुट सेवा वितरक (आई एस डी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/ स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक करयोग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता को छोड़कर सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाता है। इस विवरणी में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सी जी एस टी, एस जी एस टी और आई जी एस टी) के अन्तर्गत की गई तथा प्राप्त की गई सभी आपूर्ति का विवरण, उसके आवर्त तथा लेखापरीक्षा का विवरण शामिल होता है।
- **जी एस टी आर-9 सी:** किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ दो करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र है। यह मूल रूप से जी एस टी आर-9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाधान विवरण है।
- **जी एस टी आर-2 ए:** यह प्राप्तकर्ता के लिए आंतरिक आपूर्ति का एक प्रणाली-जनित विवरण है। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के अपने प्रपत्र जी एस टी आर-1/5 में घोषित सभी बी2बी लेनदेन, जी एस टी आर 6 से आई एस डी विवरण, दूसरे पक्ष द्वारा जी एस टी आर.-7 और जी एस टी आर-8 से क्रमशः विवरण और आयात पत्र पर विदेशों से वस्तुओं के आयात का विवरण शामिल है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आई सी ई जी ए टी ई पोर्टल से प्राप्त हुआ है।

चौदह चिन्हित मापदंडों और विचलन/विसंगतियों (सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूना) के आधार पर 2017-18 अवधि के लिए उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित आंकड़ा विश्लेषण का सारांश **तालिका-3.7.3** में दिया गया है:

तालिका-3.7.3: उत्तराखण्ड राज्य आंकड़ा विश्लेषण का सारांश

क्र. सं.	मापदण्ड	प्रयुक्त कलनविधि (कार्यप्रणली)	विसंगतियों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	जी एस टी आर 2ए और जी एस टी आर 3बी के मध्य आई टी सी की विसंगति	जी एस टी आर-2ए के अनुसार उपलब्ध आई टी सी की तुलना इसके सभी संशोधनों के साथ जी एस टी आर-3बी {तालिका 4ए (5)} (घरेलू आपूर्ति पर उपार्जित) में प्राप्त आई टी सी के साथ की गई थी, जो तालिका 4 (बी) (2) में व्युत्क्रम सम्मिलित है, लेकिन इसमें जी एस टी. आर 9 की तालिका 8 (सी) से बाद के वर्ष में प्राप्त आई टी सी भी शामिल है।	50	99.80
2	आर सी एम के अन्तर्गत लाभ लिये गये आई टी सी की तुलना जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में कर भुगतान से करना	जी एस टी आर 9 तालिका 4जी में घोषित आर सी एम देयता की तुलना जी एस टी आर-9 की तालिका (6सी + 6डी+6एफ) में प्राप्त आई टी सी से की गई थी। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर 9 उपलब्ध नहीं था, उनमें जी एस टी आर 3बी तालिका (3.1डी) में आर सी एम देयता की तुलना जी एस टी आर-3बी तालिका {4(ए)(2)+4(ए)(3)} से की गई थी।	19	1.55
3	आर सी एम के अन्तर्गत कर के कम भुगतान की तुलना जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में लाभ लिये गये आई टी सी से करना	जी एस टी आर 3बी तालिका 6.1(बी) में आर सी एम भुगतान की तुलना जी एस टी आर-9 तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आई टी सी से की गई थी। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, उन प्रकरणों में जांच जी एस टी आर 3बी में तालिका 6.1(बी) आर सी एम भुगतान के विरूद्ध तालिका {4ए(2)+4ए(3)} में प्राप्त आई टी सी तक सीमित था।	18	7.47
4	आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ	प्राप्तकर्ताओं के जी एस टी आर-9 तालिका 6जी या जी एस टी आर 3बी तालिका 4(ए)(4) में प्राप्त आई एस डी. की तुलना वितरक के जी एस टी आर 6 में हस्तांतरित आई टी सी से की गई थी।	25	15.50
5	गलत आई एस डी क्रेडिट का विलोमित	जी एस टी आर 9 तालिका 7बी, संबंधित जी एस टी आई एन के आई एस डी की जी एस टी आर 6 की तालिका 8बी+ तालिका 9बी के कुल योग से कम होनी चाहिए।	2	0.0014
6	वार्षिक विवरणी में प्राप्त आई टी सी का वित्तीय विवरण में व्यय के साथ समाधान करना	जी एस टी आर 9सी तालिका 14टी में धनात्मक आंकड़ा।	25	466.73
7	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच आई टी सी का मिलान न होना	जी एस टी आर 9सी तालिका 12एफ में धनात्मक आंकड़ा।	25	20.97

क्र. सं.	मापदण्ड	प्रयुक्त कलनविधि (कार्यप्रणाली)	विसंगतियों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
8	जी एस टी आर 9सी तालिका 5आर* में घोषित आवर्त में मिलान न होना*	जी एस टी आर 9सी तालिका 5आर में ऋणात्मक आंकड़ा।	42	87.01
9	जी एस टी आर 9सी तालिका 7जी* में घोषित करयोग्य आवर्त में मिलान न होना*	जी एस टी आर 9सी तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा।	42	31.84
10	लेखा बही और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति	जी एस टी आर 9सी तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा।	50	31.56
11	गैर-भुगतान देनदारियाँ	जी एस टी आर 1 (तालिका 4 से 11) और जी एस टी आर-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) के बीच अधिक कर देयता की तुलना जी एस टी आर 3बी तालिका {3.1(ए)+3.1(बी)} में कर भुगतान विवरण के साथ की गई थी। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां जी एस टी आर-3बी में भुगतान किए गए कर की तुलना जी एस टी आर-1 देयता से की गई थी। जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	25	57.04
12	समाधान करदाता द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ लिया जाना	ई-कॉमर्स जी एस टी आर-8 दिनांक 01 जनवरी 2018 से प्रभावी हो गया जब से टी सी एस प्रावधान प्रभावी हो गए। जी एस टी आर-8 में घोषित जी एस टी आई एन जो समाधान योजना के अन्तर्गत जी एस टी आर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	4	0
13	जी एस टी आर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जी एस टी आर 1 उपलब्ध है	जिन करदाताओं ने जी एस टी आर-3बी दाखिल नहीं किया था, लेकिन जी एस टी आर-1 दाखिल किया था या जहां जी एस टी आर-2ए उपलब्ध है, यह दर्शाता है कि करदाताओं ने कर का भुगतान किए बिना व्यवसाय किया था।	24	0.49
14	ब्याज का कम भुगतान	जी एस टी आर 3बी को विलम्ब से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 *प्रतिशत* की दर से गणना, जी एस टी आर 3बी तालिका 6.1 में घोषित ब्याज के रू ब-रू की गई।	25	5.76
योग			***376***	***825.72***

**दर्शाई गई धनराशि आवर्त के मिलान न होने पर प्राप्त कर देयता है।*

3.7.8.1 विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना

376 नमूनों के आधार पर मई 2022 में 376 लेखापरीक्षा प्रश्नों को करदाताओं के अभिलेखों की आगे की जांच के बिना संबंधित सेक्टरों के कार्यालयों को जारी किए गए थे। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा जांच चिन्हित विचलनों/विसंगतियों पर विभाग की कार्रवाई को सत्यापित करने तक सीमित थी।

आयुक्तालय[78] (मण्डल), उत्तराखण्ड सरकार[79] को अनुस्मारक जारी करने तथा विभाग के साथ बहिर्गमन गोष्ठी (16 जून 2023) में किए गए अनुनय के बाद भी, विभाग (मई 2022) को सूचित किए गए 146 प्रकरणों में प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं (मार्च 2024 तक) अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

यह 146 प्रकरणों में कर देयता/आई टी सी/ब्याज के कम भुगतान (कर के विलंबित भुगतान पर) में ₹ 238.39 करोड़ की विसंगति को दर्शाता है जैसा कि **तालिका-3.7.4** ***(परिशिष्ट-3.7.6)*** में विस्तृत है।

तालिका-3.7.4: उत्तर अप्राप्त

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा मापदण्ड	नमूना		विभाग के उत्तर अप्राप्त		प्रतिशतता	
	संख्या	विसंगति की धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
जी एस टी आर 2ए और जी एस टी आर 3बी के बीच आई टी सी की विसंगति	50	99.80	24	31.79	48	31.85
आर सी एम के अन्तर्गत लाभ उठाये गये आई टी सी के विरूद्ध जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में कर भुगतान	19	1.55	1	0.07	5.26	4.52
आर सी एम के अन्तर्गत कर के कम भुगतान के विरूद्ध जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में लाभ उठाये गये आई टी सी (कर के भुगतान के बिना आर सी एम)	18	7.47	4	1.13	22.22	15.13
आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ	25	15.50	10	1.04	40	6.71

[78] द्वारा पत्र सं ए एम जी IV/एस एस सी ए/विवरणी फाइलिंग/2022-23/3424 दिनांक 30 मई 2022, ए एम जी IV/एस एस सी ए/विवरणी फाइलिंग/2022-23/3702 दिनांक 04 जुलाई 2022, पी ए जी (यू के)/एस एस सी ए/जी एस टी भुगतान/सीमित लेखापरीक्षा/2022-23/5840 दिनांक 20 जनवरी 2023।

[79] द्वारा अर्द्ध शा पत्र सं ए एम जी IV/एस एस सी ए/विवरणी फाइलिंग/2022-23/4580 दिनांक 02 सितम्बर 2022, ए एम जी-IV/ एस एस सी ए/विवरणी फाइलिंग/2022-23/5512 दिनांक 13 दिसम्बर 2022।

लेखापरीक्षा मापदण्ड	नमूना		विभाग के उत्तर अप्राप्त		प्रतिशतता	
	संख्या	विसंगति की धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
गलत आई एस डी क्रेडिट विलोमित	2	0.0014	1	0.00139	50	100
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आई टी सी के बीच समाधान	25	466.73	6	81.29	24	17.42
वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच आई टी सी की विसंगति	25	20.97	12	13.35	48	63.66
जी एस टी आर 9सी तालिका 5आर में घोषित आवर्त में विसंगति	42	87.01	18	37.57	42.86	43.18
जी एस टी आर 9सी तालिका 7जी में घोषित करयोग्य आवर्त में विसंगति	42	31.84	20	13.80	47.62	43.34
लेखा बहियों और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति	50	31.56	24	23.85	48	75.57
गैर-भुगतान देनदारियाँ	25	57.04	10	32.143	40	56.35
समाधान करदाता द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठाना	4	0	0	0	0	0
जी एस टी आर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जी एस टी आर 1 उपलब्ध है।	24	0.49	5	0.1108	44	38.77
ब्याज का कम भुगतान	25	5.76	11	2.24	44	38.89
योग	***376***	***825.72***	***146***	***238.39***	***38.82***	***28.86***

उपर्युक्त तालिका में विसंगतियों की धनराशि तथा संभावित अनुपालन विचलन को ध्यान में रखते हुये विभाग का उत्तर सर्वोपरि है। अतः विभाग को प्राथमिकता के रूप में इन प्रकरणों के सत्यापन में गति की आवश्यकता है।

3.7.8.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का परिणाम

लेखापरीक्षा प्रश्नों पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर 14 मापदंडों में से प्रत्येक को अनुपालन विचलन में जिस सीमा तक अनुवादित किया गया है, उसे **तालिका-3.7.5** ***(परिशिष्ट-3.7.7)*** वर्णित किया गया हैः

तालिका-3.7.5: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		1. जी एस टी आर 2ए और जी एस टी आर 3बी के बीच आई टी सी की विसंगति	2. आर सी एम के अन्तर्गत लाभ उठाये गये आई टी सी के विरूद्ध जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में कर भुगतान	3. आर सी एम के अन्तर्गत कर के कम भुगतान के विरूद्ध जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर 9 में लाभ उठाये गये आई टी सी	4. आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ	5. गलत आई एस डी क्रेडिट विलोमित	6. वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आई टी सी के बीच समाधान	7. वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच आई टी सी की विसंगति	8. जी एस टी आर 9सी तालिका 5आर में घोषित आवर्त की विसंगति	9. जी एस टी आर 9सी तालिका 7जी में घोषित करयोग्य आवर्त की विसंगति	10. लेखा बहियों और विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति	11. गैर-भुगतान देनदारियाँ	12. समाधान करदाता द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ लिया जाना	13. जी एस टी आर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जी एस टी आर 1 उपलब्ध है।	14. ब्याज का कम भुगतान	योग
जिन प्रकरणों में उत्तर प्राप्त हुआ	सं.	26	18	14	15	1	19	13	24	22	26	15	4	19	14	230
	धनराशि	72.47	1.75	5.78	15.94	0	385.44	8.48	50.57	20.21	8.27	40.71	0	0.78	4.76	615.16
लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार किया गया – आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ	सं.	4	6	5	8	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	27
	धनराशि	18.17	0.32	1.79	1.98	0	21.39	0	2.01	0	0	0	0	0	0	45.66
लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार किया गया – पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई	सं.	4	1	1	0	0	0	3	1	0	4	1	0	0	6	21
	धनराशि	10.8	0.39	0.57	0	0	0	2.99	0.51	0	1.33	0.84	0	0	1.2	18.63
लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार किया गया – अन्य वैध स्पष्टीकरण	सं.	4	3	0	0	1	16	5	2	7	7	1	4	1	0	51
	धनराशि	2.73	0.16	0	0	0	356.15	2.19	0.46	5.88	2.39	5.62	0	0.002	0	375.58
अनुपालन विचलन – विभाग द्वारा स्वीकार किए गए प्रकरणों सहित, जहां कार्रवाई अभी आरम्भ नहीं की गई है – वसूली	सं.	1	3	1	1	0	0	0	0	0	7	2	0	1	4	20
	धनराशि	0.01	0.39	0.01	0.21	0	0	0	0	0	2.67	1.32	0	0.01	0.84	5.46
अनुपालन विचलन – विभाग द्वारा स्वीकार किए गए प्रकरणों सहित, जहां कार्रवाई अभी आरम्भ नहीं की गई है – एससीएन जारी	सं.	4	3	0	3	0	0	3	2	5	5	7	0	16	2	50
	धनराशि	13.77	0.25	0	12.91	0	0	2.26	8.53	4.77	1.39	27.91	0	0.632	1.78	74.20
अनुपालन विचलन – विभाग द्वारा स्वीकार किए गए प्रकरणों सहित, जहां कार्रवाई अभी आरम्भ नहीं की गई है – एएसएमटी-10	सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	धनराशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अनुपालन विचलन – विभाग द्वारा स्वीकार किए गए प्रकरणों सहित, जहां कार्रवाई अभी आरम्भ नहीं की गई है – करदाताओं के साथ पत्राचार के अधीन	सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	धनराशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0	0.14
अनुपालन विचलन – लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर अस्वीकार्य है (खंडन)	सं.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	धनराशि	8.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.83	9.09
अनुपालन विचलन – योग	सं.	8	6	1	4	0	0	3	2	5	12	9	0	18	7	75
	धनराशि	22.04	0.64	0.01	13.12	0	0	2.26	8.53	4.77	4.06	29.23	0	0.78	3.45	88.89
विभाग का उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया	सं.	6	2	6	3	0	1	2	17	10	3	4	0	0	0	54
	धनराशि	18.73	0.24	3.16	0.84	0	7.90	1.04	39.06	9.56	0.49	5.02	0	0	0	86.04
विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर रहे हैं	सं.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	धनराशि	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0.36

उपर्युक्त तालिका के शीर्षक में उपयोग किए गए शब्द 'ए आर' और 'एफ एस' का अर्थ क्रमशः 'वार्षिक विवरणी' और 'वित्तीय विवरण' है।

'वसूली' और 'एस सी एन जारी' श्रेणी के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में दी गई राशि विभाग द्वारा की गई वसूली और जारी एस सी एन की राशि के अनुसार है, चाहे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि कुछ भी हो।

3.7.8.3 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का सारांश

विभाग ने 376 विचलन/विसंगतियों के प्रकरणों में से 230 प्रकरणों के उत्तर प्रस्तुत किए जो कुल नमूने का 61.17 *प्रतिशत* हैं। 230 प्राप्त उत्तरों (मार्च 2024) में से 27 प्रकरण धनराशि ₹ 45.66 करोड़ के आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित हैं, 21 प्रकरण धनराशि ₹ 18.63 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रश्नों को जारी करने से पहले विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित हैं, 51 प्रकरण धनराशि ₹ 375.58 करोड़ के अन्य वैध स्पष्टीकरण से संबंधित हैं। जिन प्रकरणों में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया, उनमें 20 प्रकरण ₹ 5.46 करोड़ की आपत्तिगत धनराशि की वसूली से संबंधित थे और 50 प्रकरण ₹ 74.20 करोड़ की धनराशि के जारी किए गए एस सी एन से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने अवगत कराया कि एक प्रकरण पत्राचार के अधीन है। चार प्रकरणों में विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था। विभाग ने 54 प्रकरणों में अपने उत्तर के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए और दो प्रकरणों में कहा कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

इन सभी प्रकरणों में, आई टी सी और करदेयता की विसंगतियों, गलत आवर्त की घोषणा और कर के कम भुगतान जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों में विसंगतियों की उच्च दरें देखी गईं।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के प्रत्येक लेखापरीक्षा मापदण्डों के उच्च मूल्य के प्रकरण (विभाग द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाई, विभाग से उत्तर प्राप्त न होने सहित से संबंधित अनुपालन विचलन) का विवरण नीचे **तालिका-3.7.6** में दिया गया है।

तालिका-3.7.6: लेखापरीक्षा मापदण्डों के उच्च मूल्य के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा मापदण्ड	जी एस टी आई एन	सेक्टर	धनराशि	कृत कार्रवाई
1.	प्रकरण जहाँ जी एस टी आर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जी एस टी आर 1 उपलब्ध है।	05XXXXXXXXXX1जेडके	रूद्रपुर - सेक्टर 1	0.14	मांग जारी की गई
2.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच आवर्त में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका 5आर)	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	देहरादून - सेक्टर 6	11.36	उत्तर अप्राप्त
3.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच करयोग्य आवर्त में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका 7जी)	05XXXXXXXXXX1जेड4	ऋषिकेश सेक्टर - 1	2.40	विभाग का उत्तर अस्वीकार्य
4.	लेखा बहियों और वार्षिक	05XXXXXXXXXX1जेडडी	काशीपुर	10.37	उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा मापदण्ड	जी एस टी आई एन	सेक्टर	धनराशि	कृत कार्रवाई
	विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका 9आर)		सेक्टर - 2		अप्राप्त
5.	वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच उपभोग आई टी सी में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका-12एफ)	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार सेक्टर -1	5.49	उत्तर अप्राप्त
6.	वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आई टी सी के बीच मिलान(प्रपत्र 9सी की तालिका-14टी)	05XXXXXXXXXX1जेड3	हरिद्वार सेक्टर - 4	26.60	उत्तर अप्राप्त
7.	रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत आई टी सी का अधिक लाभ लिया जाना	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार सेक्टर - 4	0.19	विभाग का उत्तर अस्वीकार्य
8.	आर सी एम के अन्तर्गत बिना भुगतान के आई टी सी का लाभ लिया जाना	05XXXXXXXXXX1जेडयू	रूड़की सेक्टर - 1	1.55	विभाग का उत्तर अस्वीकार्य
9.	आई टी सी का अधिक लाभ लिया जाना	05XXXXXXXXXX1जेड6	किच्छा	10.34	कारण बताओ नोटिस
10.	विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	05XXXXXXXXXX2जेडवाई	रूद्रपुर सेक्टर - 1	1.63	कारण बताओ नोटिस
11.	प्राप्तकर्ताओं द्वारा गलत तरीके से लिया गया आई एस डी क्रेडिट	05XXXXXXXXXX1जेड0	हल्द्वानी सेक्टर - 4	12.58	कारण बताओ नोटिस
12.	प्राप्तकर्ताओं द्वारा गलत तरीके से लाभ लिये गये आई एस डी क्रेडिट का विलोमित करना	05XXXXXXXXXX1जेडपी	देहरादून सेक्टर - 9	0.00139 11	उत्तर अप्राप्त
13.	गैर-भुगतान देनदारियाँ	05XXXXXXXXXX1जेड9	देहरादून सेक्टर - 5	10.41	उत्तर अप्राप्त

उदाहरणस्वरूप प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई हैः

1. जी एस टी आर-3बी दाखिल न किया जाना

यू जी एस टी अधिनियम 2017 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति (निर्दिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर) को कर अवधि के दौरान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आंतरिक और बाह्य आपूर्ति, प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, देय कर, भुगतान किए गए कर आदि का विवरण जी एस टी एन पोर्टल पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन विवरणों को समय-समय पर (मासिक या त्रैमासिक) प्रपत्र-3बी के रूप में निर्दिष्ट विवरणी में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसे प्रत्येक माह/माह के भाग हेतु

संबंधित माह के पश्चातवर्ती माह की 20वें दिन या उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है। देय कर का भुगतान उसी तिथि को सरकार को किया जाएगा।

रुद्रपुर सेक्टर 1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडके वाले करदाता के प्रकरण में लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि करदाता ने वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु एक भी जी एस टी आर-3बी दाखिल नहीं किया था। जी एस टी आर-1 के अनुसार, करदाता द्वारा ₹ 0.08 करोड़ की कर देनदारी जमा की जानी थी, लेकिन जी एस टी आर-3बी दाखिल न करने से इंगित होता है कि करदाता ने अपनी कर देनदारी का भुगतान नहीं किया था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने ₹ 0.02 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 0.12 करोड़ की कर मांग जारी की गई (जून 2023)।

2. जी एस टी आर-9सी की तालिका 5आर में घोषित कुल आवर्त में विसंगति

जी एस टी आर-9सी की तालिका 5 में लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त के बीच समाधान स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस तालिका के कॉलम 5आर में वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 और वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान को दर्शाया गया है।

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 80(3) के अन्तर्गत करदाता द्वारा वर्ष 2017-18 के जी एस टी आर-9सी के रूप में प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डाटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में चिन्हित किए गए आवर्त में पायी गई विसंगतियों की सीमा की समीक्षा की जा सके। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त, वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त से कम था, वहां आपूर्ति की घोषणा में गैर-घोषित, कम-घोषित, निम्न-घोषित, चूक और त्रुटि का जोखिम था, जिससे करापवंचन या कम भुगतान की संभावना हो सकती थी। यह करयोग्य और छूट प्राप्त दोनों आपूर्तियों की गैर-घोषित का प्रकरण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि देहरादून सेक्टर-6 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएक्स वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9सी की तालिका 5आर में ₹ 63.11 करोड़ का गैर-समाधान आवर्त था जिससे ₹ 11.36 करोड़ का कर का प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किये जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3. जी एस टी आर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कुल आवर्त में विसंगति

जी एस टी आर-9सी की तालिका 7 में लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त (कारोबार या कुल बिक्री) और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त के बीच समाधान करने का प्रयास किया गया है। इस तालिका का कॉलम 7जी, वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 और वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान आवर्त को दर्शाता है।

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 80(3) के अन्तर्गत करदाता द्वारा वर्ष 2017-18 के जी एस टी आर-9सी के रूप में प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डाटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरण में चिन्हित किए गए आवर्त में पायी गई विसंगतियों की सीमा की समीक्षा की जा सके। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त, वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त से कम था, वहां गैर-घोषित, निम्न-घोषित कम-घोषित, चूक और आपूर्ति की घोषणा में त्रुटि का जोखिम था, जिससे करापवंचन या कम भुगतान की संभावना हो सकती थी। यह करयोग्य और छूट प्राप्त दोनों आपूर्तियों की गैर-घोषित का प्रकरण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि ऋषिकेश सेक्टर-1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड4 वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9सी की तालिका 7जी में ₹ 13.34 करोड़' का गैर-समाधान आवर्त था जिससे ₹ 2.40 करोड़ का कर का प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने आवर्त के मिलान के सत्यापन के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। (मार्च 2024)।

4. वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति (जी एस टी आर-9सी की तालिका-9 आर)

जी एस टी आर-9सी की तालिका 9आर में दर के अनुसार आवर्त को अलग करके भुगतान किये गये कर तथा इसकी तुलना वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 के अनुसार जमा किए गए कर के साथ करने का प्रयास किया गया है। गैर-समाधान राशि संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, करयोग्य आवर्त को छूट के रूप

में गलत चित्रण या इसके विपरीत या सी जी एस टी/एस जी एस टी/आई जी एस टी के गलत आरोपित किये जाने का संकेत दे सकती है। ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जिनमें अप्रैल से सितम्बर 2018 तक बाद के वर्ष में किए गए 2017-18 लेनदेन के संबंध में संशोधनों (डेबिट नोटों/क्रेडिट नोटों का शुद्ध) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर को कम किया जाता है।

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 80(3) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के प्रपत्र जी एस टी आर-9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक प्रमाणित समाधान विवरण का वार्षिक विवरण और वित्तीय विवरण के बीच भुगतान किए गए कर में पहचाने गए असंतुलन की सीमा की समीक्षा करने के लिए डाटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि काशीपुर, सेक्टर-2 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडडी वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9सी की तालिका 9आर में ₹ 10.37 करोड़ के कर का भुगतान गैर-समाधान था। लेखापरीक्षा (मई 2022) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

5. वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति (जी एस टी आर-9सी की तालिका 12एफ)

जी एस टी आर-9सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान करती है।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2022) पाया कि हरिद्वार, सेक्टर-1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएक्स वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर 9सी की तालिका 12एफ में ₹ 5.49 करोड़ का गैर-समाधान इनपुट टैक्स क्रेडिट था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

6. वित्तीय विवरण में व्यय एवं वार्षिक विवरणी में घोषित आई टी सी के बीच समाधान (प्रपत्र 9सी की तालिका 14 टी)

धारा 122 (1) (vii) के अनुसार, जहां एक करयोग्य व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वस्तुओं या

सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के बिना या पूरी तरह से या आंशिक रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है या उपयोग करता है, तो वह दस हजार रुपये अथवा करापवंचन की समतुल्य धनराशि या धारा 51 के अधीन नहीं काटा गया कर या कम कटौती या कटौती की गई लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया कर या धारा 52 के अधीन एकत्र नहीं किया गया कर या कम एकत्र किया गया या एकत्र किया गया लेकिन सरकार को भुगतान नहीं किया गया या लिये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ या अनियमित रूप से स्थानांतरित किया गया या वितरित किया गया, या धोखाधड़ी से दावा किया गया धन वापसी, जो भी अधिक हो, के अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 80(3) के अन्तर्गत करदाता द्वारा वर्ष 2017-18 के जी एस टी आर-9सी के रूप में प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डाटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक विवरणी में घोषित आई टी सी और वित्तीय विवरण में घोषित किए गए व्यय में पायी गई विसंगतियों की सीमा की समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरिद्वार, सेक्टर-4 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड3 वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9सी की तालिका 14(एस) में कुल आई टी सी धनराशि ₹ 178.48 करोड़ का दावा किया गया था, परन्तु जी एस टी आर-9सी की तालिका 14(आर) में ₹ 151.88 करोड़ आई टी सी उपलब्ध था। इस प्रकार, ₹ 26.60 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

7. रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करना

समान कर देयता का निर्वहन किए बिना या दूसरे शब्दों में, रिवर्स चार्ज तंत्र (आर सी एम अर्थात विक्रेता के स्थान पर प्राप्तकर्ता द्वारा जी एस टी का भुगतान करने की विधि) के अन्तर्गत कर का कम भुगतान करके वर्ष 2017-18 की आर सी एम के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की सीमा का विश्लेषण जी एस टी आर-3बी और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 से संबंधित डाटासेट की तुलना करके किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आर सी एम के अन्तर्गत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का पूरी तरह से निर्वहन किया गया है या नहीं। जिन

प्रकरणों में जी एस टी आर-9 दाखिल किया गया था, वहां, तालिका 4जी में आर सी एम भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, उनमें जी एस टी आर-3बी की तालिका 3.1(डी) में आर सी एम भुगतान की तुलना तालिका 4(ए)(2) और 4(ए)(3) से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरिद्वार, सेक्टर-4 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड0 वाले करदाता के प्रकरण में, जी एस टी आर 3बी (3.1डी) के अनुसार, रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति पर भुगतान किया गया जी एस टी ₹ 'शून्य' था, जबकि जी एस टी आर 9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ के अनुसार, ₹ 0.19 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का लाभ उठाया गया था। इस प्रकार, ₹ 0.19 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि आई टी सी का लाभ आर सी एम आपूर्ति से संबंधित नहीं था। लेकिन विभाग ने सत्यापन के लिए बिलों की प्रतियों जैसे प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। (मार्च 2024)

8. भुगतान किए गए संबंधित कर की तुलना में रिवर्स चार्ज तंत्र पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ प्राप्त करना

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 9 (3), धारा 9 (4) और एकीकृत जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 5 (3), धारा 5 (4) के प्रावधानों के अनुसार, कुछ श्रेणियों की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के स्थान पर वस्तुओं या सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने का दायित्व है। शर्तों में से एक यह है कि वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का आपूर्तिकर्ता जी एस टी के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है।

जी एस टी आर-9, नियमित करदाताओं सहित एस ई जेड इकाइयों और एस ई जेड डेवलपर्स द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार दाखिल किया जाने वाला वार्षिक विवरणी है। करदाताओं को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए प्रतिदाय या जारी की गई मांग आदि का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2017-18 के रिवर्स चार्ज तंत्र के अंतर्गत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जी एस टी आर-3बी और

वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 से संबंधित डाटासेट की तुलना यह जांचने के लिए की गई कि क्या रिवर्स चार्ज तंत्र के अन्तर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित था। अपनाई गई पद्धति, जी एस टी आर-3बी की तालिका 6.1(बी) में भुगतान किए गए कर की तुलना जी एस टी आर 9 की तालिका 6सी[80], 6डी[81] और 6एफ[82] में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से करना था। जिन प्रकरणों में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां जांच जी एस टी आर-3बी के अन्तर्गत सीमित था तथा जी एस टी आर-3बी की तालिका 6.1(बी) में भुगतान किए गए कर की तुलना तालिका 4ए(2)[83] और 4ए(3)[84] के अंतर्गत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रुड़की, सेक्टर-1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडयू वाले करदाता के प्रकरण में, जी एस टी आर-9(4जी) के अनुसार, उस वित्तीय वर्ष के दौरान की गई आंतरिक आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना था, ₹ 0.02 करोड़ थी, जबकि जी एस टी आर 9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में ₹ 1.57 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का लाभ दिखाया गया है। इस प्रकार, ₹ 1.55 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग दस्तावेजी साक्ष्य जैसे-सत्यापन हेतु ट्रान-1 उपलब्ध नहीं कराया (मार्च 2024)।

9. इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ प्राप्त करना

जी एस टी आर-2ए क्रय से सम्बन्धित गतिशील कर विवरणी है जो जी एस टी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जी एस टी आर-3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें करदाता द्वारा स्वयं घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर के भुगतान के साथ बाह्य आपूर्ति का सारांश होता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 की जी एस टी आर-3बी और जी एस टी आर-2ए से प्रासंगिक डाटासेट

---

80 अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आंतरिक आपूर्ति, जो रिवर्स चार्ज के अधीन हैं।

81 पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आंतरिक आपूर्ति, जो रिवर्स चार्ज के अधीन हैं।

82 सेवाओं का आयात।

83 सेवाओं का आयात।

84 आंतरिक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के अधीन)।

निकाले गए थे, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान प्राप्तकर्ता करदाताओं द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया गया था। अपनाई गई पद्धति में जी एस टी आर-2ए में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा इसके सभी संशोधनों सहित की तुलना जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए(5)[85] में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ करना था, जिसमें तालिका 4बी(2)[86] में व्युत्क्रम पर विचार किया गया था, लेकिन इसके बाद के वर्ष 2018-19 में जी एस टी आर-9 की तालिका 8सी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि किच्छा सेक्टर के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड6 वाले करदाता के प्रकरण में, जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए(5) के अनुसार उपलब्ध आई टी सी ₹ 18.37 करोड़ थी। जी एस टी आर-2ए का बी2बी ₹ 13.35 करोड़ था। जी एस टी आर-2ए का बी2बीए ₹ 0.40 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, जी एस टी आर-9 की तालिका 8सी के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट अवधि तक ली गई आंतरिक आपूर्ति (आयात और रिवर्स चार्ज के उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति के अतिरिक्त, लेकिन इसमें एस ई जेड से प्राप्त सेवाएं शामिल हैं) पर आई टी सी ₹ 'शून्य' था। जी एस टी आर-2ए के अनुसार, शुद्ध क्रेडिट नोट (सी डी एन आर) का मूल्य ₹ 0.06 करोड़ था। जी एस टी आर-3बी की तालिका 4बी(2) के अनुसार व्युत्क्रम आई टी सी ₹ शून्य है। इस प्रकार, ₹ 4.69 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया तथा ₹ 10.34 करोड़ की मांग जारी की (मार्च 2024)।

10. कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 50 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान नहीं करता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

85 अन्य सभी उपयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट।

86 अन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट व्युत्क्रम।

जी एस टी आर-3बी में कर भुगतान का विवरण और इस विवरणी को दाखिल करने का दिनांक का उपयोग करके वर्ष 2017-18 के दौरान कर के विलंब से जमा करने के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान की गई थी। देय ब्याज का निर्धारण करने के लिए केवल शुद्ध करदेयता (नकद भाग) पर विचार किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया रुद्रपुर सेक्टर-1 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX2जेडवाई वाले करदाता के प्रकरण में वर्ष 2017-18 की जी एस टी आर-3बी (माहवार) के अनुसार, कुल कर का भुगतान ₹ 51.38 करोड़ (नकद भाग) था। कर भुगतान में 18 दिनों से 110 दिनों तक विलम्ब से था। अतः विलंबित कर भुगतान पर देय कुल ब्याज ₹ 1.58 करोड़ था, लेकिन करदाता द्वारा कोई ब्याज जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, कुल ब्याज ₹ 1.58 करोड़ देय था।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया तथा डी आर सी-7 के माध्यम से ₹ 1.63 करोड़ की मांग जारी की (मार्च 2024)।

11. आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ प्राप्त करना

यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 39(1)(ए) में प्रावधान है कि एक इनपुट सेवा वितरक अपने पास उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट को वितरित करेगा और जी एस टी आर-6[87] विवरणी में उसका विवरण प्रदान करेगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त अधिक आई टी सी की सीमा की पहचान जी एस टी आर-9 तालिका 6जी या जी एस टी आर-3बी तालिका 4(ए)(4) की तुलना संबंधित जी एस टी आई एन के जी एस टी आर-6 की तालिका 5(ए), तालिका 8(ए) और तालिका (9ए) के योग के साथ करके की गई थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में पाया गया कि, वर्ष 2017-18 में हल्द्वानी सेक्टर-4 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड0 वाले करदाता के प्रकरण में जी एस टी आर-9-वार्षिक विवरणी की तालिका 6(जी) के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक (आई एस डी) के आधार पर दावा कि गई आई टी सी की धनराशि ₹ 44.27 करोड़ (आई जी एस टी) थी। समान राशि जी एस टी आर-3बी की तालिका 4(ए)(4) में परिलक्षित हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 की

[87] जी एस टी आर-6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक विवरणी है, जिसमें उनके द्वारा वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आंतरिक आपूर्ति का विवरण होता है।

जी एस टी आर-2ए विवरणी में शामिल आई एस डी क्रेडिट ₹ 32.82 करोड़ था। हालांकि, जी एस टी एन में उपलब्ध केंद्रीकृत आंकड़ों के अनुसार, आई एस डी की जी एस टी आर-6 की तालिका 5ए, 8ए और 9ए का कुल मूल्य ₹ 32.82 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 11.43 करोड़ की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने नोटिस जारी किया तथा ₹ 12.58 करोड़ की मांग जारी की (मार्च 2024)।

12. करदेयता का गैर-निर्वहन

जी एस टी आर-1 वस्तुओं या सेवाओं की बाह्य आपूर्ति के मासिक विवरण को दर्शाता है। इस विवरण का करदाता द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर 9 के संबंधित कॉलम में घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, करयोग्य मूल्य और उसका भुगतान किया गया कर मासिक विवरणी जी एस टी आर-3बी में भी प्रदर्शित है।

करदेयता का गैर-निर्वहन का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 की जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 से प्रासंगिक डाटासेट निकाले गए और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जी एस टी आर-9 में घोषित भुगतान किये गये कर से की गई। जहां जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-3बी के बीच देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया।

कलन विधि के लिए, जी एस टी आर-1 की तालिका 4 से 11 और जी एस टी आर-9 की तालिका 4 एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक करदेयता की तुलना जी एस टी आर-9 की तालिका 9 और 14 में दर्शाए गए भुगतान किए गए कर के साथ की गई थी ताकि कर के कम भुगतान की पहचान की जा सके। जी एस टी आर-3बी के प्रकरण में, तालिका 3.1(ए)[88] और 3.1(बी)[89] को ध्यान में रखा गया था।

देहरादून-सेक्टर 5 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेड9 वाले करदाता के प्रकरण में लेखापरीक्षा (मई 2022) में

[88] वाह्य करयोग्य आपूर्ति (शून्य दर, दर रहित तथा छूट प्राप्त के अतिरिक्त)

[89] वाह्य करयोग्य आपूर्ति (शून्य दर)

पाया गया कि जी एस टी आर-1 में देय कर ₹ 23.21 करोड़ था और जी एस टी आर-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) के अनुसार भुगतान किया गया कर ₹ 12.80 करोड़ था। इस प्रकार, जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच ₹ 10.41 करोड़ की करदेयता में विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.8.4 कारणों के अवयव का विश्लेषण

230 प्रकरणों में विचलन/विसंगतियों पर विभाग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, डाटा विचलन/विसंगतियों का कारण बनने वाले अवयवों पर नीचे चर्चा की गई है:

अ. एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण जिसमें विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करने के बाद एस सी एन जारी किया था:

प्राप्त 230 उत्तरों में से, 20 प्रकरणों में (कुल उत्तर का 8.7 *प्रतिशत*) विभाग ने वसूली की और 50 प्रकरणों में (कुल उत्तर का 21.7 *प्रतिशत)*, विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और एस सी एन/कर की मांग की पुष्टि जारी की। एक प्रकरण नीचे वर्णित किया गया है:

दायित्व का गैर-निर्वहन:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि करदाता जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू के प्रकरण में, जी एस टी आर-01 के अनुसार करदाता का दायित्व ₹ 2.45 करोड़ था, लेकिन करदाता द्वारा 'शून्य' कर का भुगतान किया गया था। अतः कुल गैर-निर्वहन कर देयता ₹ 2.45 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने डी आर सी-07 में ₹ 4.91 करोड़ की मांग का आदेश जारी करके करदेयता के साथ समान अर्थदण्ड की पुष्टि की थी (जून 2023)।

ब. एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण, जिसमें विभाग का उत्तर अस्वीकार्य था:

प्राप्त 230 उत्तरों में से चार धनराशि ₹ 9.09 करोड़ के प्रकरणों (कुल उत्तर का 1.7 *प्रतिशत*) में विभाग का उत्तर अस्वीकार किया गया। एक प्रकरण नीचे वर्णित किया गया है:

आई टी सी का अधिक लाभ प्राप्त करना (जी एस टी आर-3बी बनाम जी एस टी आर-2ए):

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडओ के प्रकरण में, जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए(5) के अनुसार उपलब्ध आई टी सी ₹ 7.84 करोड़ था। जी एस टी आर-2ए की तालिका बी2बी ₹ 1.34 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, जी एस टी आर-9 की तालिका (8सी) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त आंतरिक आपूर्ति (आयात और आंतरिक आपूर्ति जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है को छोड़कर, लेकिन इसमें एस ई जेड से प्राप्त सेवाएं शामिल हैं) पर आई टी सी ₹ 0.09 करोड़ था, जिसका अगले वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट अवधि तक इसका लाभ उठाया गया। जी एस टी आर-2ए के अनुसार, शुद्ध क्रेडिट नोटों (सी डी एन आर) का मूल्य ₹ शून्य था। जी एस टी आर-3बी की तालिका 4बी(2) के अनुसार विलोमित आई टी सी ₹ शून्य था। इसके अतिरिक्त, जी एस टी आर-2ए की शुद्ध तालिका बी2बीए ₹ शून्य था। इस प्रकार, ₹ 6.60 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने अपने उत्तर में आई टी सी की विसंगतियों के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया, अतएव यह अस्वीकार्य है (जून 2023)।

स. एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण, जहां आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगति थी:

प्राप्त 230 उत्तरों में से 27 प्रकरण (11.7 *प्रतिशत*) धनराशि ₹ 45.66 करोड़ में करदाताओं द्वारा की गई डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित थे। सभी प्रकरण आई टी सी (जी एस टी आर 3बी बनाम जी एस टी आर 2ए) का अधिक लाभ प्राप्त करने से संबंधित आई टी सी का गलत लाभ उठाने से संबंधित हैं, जिसका कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। उदाहरणस्वरूप, एक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया हैः

आई टी सी (जी एस टी आर 3बी बनाम जी एस टी आर 2ए) का अधिक लाभ उठानाः

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रुद्रपुर सेक्टर-3 के अधिकार क्षेत्र में जी एस टी आई एन 05XXXXXXX1जेडएस रखने वाले करदाता के प्रकरण में, जी एस टी आर 3बी की तालिका 4ए (5) के अनुसार उपलब्ध आई टी सी ₹ 1,351.98 करोड़ थी। जी एस टी आर 2ए का बी2बी ₹ 1,416.95 करोड़ था। जी एस टी आर 2ए का

बी2बीए ₹ 1.29 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, जी एस टी आर 9 की तालिका 8सी के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान आंतरिक आपूर्ति (आयात और आंतरिक आपूर्ति के अतिरिक्त, जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसमें एस ई जेड से प्राप्त सेवाएं शामिल हैं) पर प्राप्त आई टी सी ₹ 77.60 करोड़' थी, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में निर्दिष्ट अवधि तक इसका लाभ उठाया गया। जी एस टी आर 2ए के अनुसार, शुद्ध क्रेडिट नोटों (सी डी एन आर) का मूल्य ₹ 3.93 करोड़ था। जी एस टी आर 3बी की तालिका 4बी (2) के अनुसार आई टी सी का व्युत्क्रम ₹ शून्य है। इस प्रकार, ₹ 15.27 करोड़ की आई टी सी की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि विसंगति करदाता द्वारा आयात और आई एस डी के आधार पर आई टी सी की गलत प्रविष्टि के कारण थी।

द. एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण, जिसमें लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पूर्व कार्रवाई की गई थीः

विभाग का उत्तर 21 प्रकरणों में स्वीकार किया गया था (कुल 230 उत्तरों का 9.1 *प्रतिशत)* जिसकी धनराशि ₹ 18.63 करोड़ थी, जहां विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पूर्व कार्यवाही की गयी थी। उदाहरणस्वरूप, एक प्रकरण नीचे दिया गया हैः

आई टी सी का अधिक लाभ प्राप्त करनाः

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएन के प्रकरण में, जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए(5) के अनुसार आई टी सी धनराशि ₹ 6.48 करोड़ थी और जी एस टी आर-2ए की तालिका-बी2बी के अनुसार, ₹ 0.102 करोड़ थी। जी एस टी आर-2ए के अनुसार, शुद्ध क्रेडिट ₹ शून्य करोड़ था। करदाता ने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में समान धनराशि ₹ 6.48 करोड़ जमा भी की है और इसका उपयोग किया है। इस प्रकार, आई टी सी की धनराशि ₹ 6.38 करोड़ की विसंगति थी।

लेखापरीक्षा (मई 2022) में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि करदाता द्वारा जून 2019 में ₹ 6.38 करोड़ की अतिरिक्त आई टी सी को विलोमित (वापस) कर दिया गया था।

3.7.9 जी एस टी विवरणी की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी करदाता पर होती है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र की स्थापना और कायम रखना है। सीमित स्तर के संसाधनों के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। आई टी आधारित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर राज्य सरकार की एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने डाटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन-स्टेट डाटा विश्लेषण के माध्यम से जी एस टी विवरणी में विसंगतियों/विचलन की पहचान करने के अतिरिक्त, इस समीक्षा के एक हिस्से के रूप में जी एस टी विवरणी का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया था। समीक्षा के इस भाग के लिए 99 करदाताओं के जोखिम-आधारित नमूने का चयन किया गया था। अपनाई गई पद्धति शुरू में संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/ विचलनों और लाल चेतावनी की पहचान करने के लिए जी एस टी आर 9सी और बैक-एंड प्रणाली में उपलब्ध अन्य अभिलेख के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा दाखिल जी एस टी विवरणी और वित्तीय विवरणों की एक डेस्क समीक्षा करना था। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के कार्यालय में डेस्क समीक्षा की गई। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, चिन्हित जोखिमों के कारणों के अवयवों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय खाते, बिल आदि जैसे करदाताओं के संबंधित बारीक अभिलेखों की मांग करके राज्य क्षेत्र संरचनाओं में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

जैसा कि पूर्व प्रस्तर में उल्लेख किया गया था कि विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और लाल चेतावनी की पहचान करने के लिए जी एस टी विवरणी और अन्य बुनियादी अभिलेखों की एक डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसके पश्चात् करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन की सीमा की पहचान करने और राज्य क्षेत्र संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई की पहचान करने के लिए फील्ड लेखापरीक्षा की गयी थी। विभिन्न

चरणों में करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन अंततः दाखिल किए गए विवरणों की सत्यता, आई टी सी के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन को प्रभावित करता है। अतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों को क) विवरणी ख) आई टी सी का उपयोग और ग) करदेयता का निर्वहन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3.7.9.1 कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों को प्रस्तुत न करना)

विभाग द्वारा बारीक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण लेखापरीक्षा का दायरा सीमित था। बैक-एंड प्रणाली में उपलब्ध करदाताओं के विवरणी की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त आई टी सी और करदेयता में विसंगति से संबंधित जोखिमों की पहचान की। आई टी सी के बिन्दु पर, जी एस टी आर 3बी की तुलना जी एस टी आर 2ए और जी एस टी आर 9 से करके और जी एस टी आर 9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं से विसंगतियों की पहचान की गई। करदेयता बिन्दु पर, जी एस टी आर 3बी की तुलना जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर 9 के साथ और जी एस टी आर 9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में घोषणाओं की तुलना करके विसंगतियों की पहचान की गई। हालांकि, किसी भी चयनित प्रकरण में, विभाग ने पूरक वित्तीय खाते, बिल, अनुबन्ध की प्रतियां आदि जैसे संबंधित बारीक अभिलेख जो आई टी सी और करदेयता के असंतुलन के लिए कारणात्मक अवयवों की जांच हेतु आवश्यक है, प्रदान नहीं किए। लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित सेक्टर के माध्यम से करदाताओं के इन बारीक अभिलेखों की मांग की गई।

जैसा कि किसी भी प्रकरण में विभाग द्वारा अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके कारण आई टी सी में विसंगति होने, कर देनदारियों में विसंगति होने तथा आवर्त में विसंगति होने से संबंधित पहचान किए गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तार से जांच नहीं की जा सकी।

3.7.9.2 विवरणियाँ

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 50 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान नहीं किया

गया है, वह स्वयं ही 18 *प्रतिशत* से अनधिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

उप-धारा (1) के अधीन ब्याज की गणना, उस दिन के उत्तरवर्ती दिन से, जिस दिन ऐसा कर देय था, ऐसी रीति से की जाएगी जो विहित की जाए।

जी एस टी आर 3बी में कर भुगतान विवरण और जी एस टी आर 3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके वर्ष 2017-18 के दौरान कर के विलंबित जमा के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान की गई थी। देय ब्याज का निर्धारण करने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद भाग) पर विचार किया गया था। इस संबंध में पाई गई विसंगतियां इस प्रकार थीं: -

अ) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 37 प्रकरणों में करदाता ने या तो अपने जी एस टी आर-3बी विवरणी को विलंब से दाखिल किया था या शुद्ध करदेयता (नकद भाग) का भुगतान विलंब से किया था, परन्तु ₹ 1.00 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर सात प्रकरणों में ₹ 20.77 लाख की ब्याज राशि जमा की गई थी और विभाग द्वारा दो प्रकरणों में ₹ 5.47 लाख की मांग की गई है। 28 प्रकरणों के संबंध में विभाग का उत्तर अप्राप्त था ***(परिशिष्ट-3.7.8)***।

एक प्रकरण नीचे वर्णित किया गया है:

राज्य कर, सेक्टर 5, हरिद्वार के उपायुक्त (कर निर्धारण) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वाली करदाता मेसर्स शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडसी), जिसने जुलाई 2017 से मार्च 2018 के माहों से संबंधित विवरणी (जी एस टी आर 3बी) में कुल कर देयता ₹ 1.59 करोड़ शामिल थी, जिसका भुगतान विलंब से किया गया था। विलंबित कर भुगतान पर देय कुल ब्याज ₹ 29.19 लाख था जो करदाता द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.9.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का अर्थ है माल और सेवा कर (जी एस टी) जिसका भुगतान किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा माल और/या सेवाओं के क्रय पर किया जाता है जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसकी उन्नति में किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से परहेज़ के लिए, आन्तरिक आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (61) के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक (आई एस डी) का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का एक कार्यालय जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी कर बिल प्राप्त करता है और करयोग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता, जिनका पैन आई एस डी के समान होता है को उक्त सेवाओं पर भुगतान किए गए केंद्रीय कर (सी जीएस टी), राज्य कर (यू जी एस टी)/ केंद्र शासित प्रदेश कर (यू टी जी एस टी), एकीकृत कर (आई जी एस टी) के क्रेडिट को वितरित करने के उद्देश्य से एक निर्धारित दस्तावेज जारी करता है।

अ) इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी एस टी आर 3बी, जी एस टी आर-9 और जी एस टी आर-9सी के डाटासेट के साथ चयनित करदाताओं के संबंध में जी एस टी आर-2ए के डाटासेट का विश्लेषण किया और विवरणियों के मध्य इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्स चार्ज तंत्र (आर सी एम) की विसंगति देखी। लेखापरीक्षा विसंगतियों की विस्तार से जांच नहीं कर सका क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक बारीक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगतियों का विवरण **तालिका-3.7.7** में दिया गया है।

तालिका-3.7.7: करदाताओं द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	असमान राशि	टिप्पणियाँ
1.	**आर सी एम के अंतर्गत प्राप्त आई टी सी में कर के भुगतान के साथ विसंगति:** जी एस टी आर-3बी की तालिका 3.1 (डी) का डाटा, जिसमें रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति का विवरण शामिल है, की तुलना जी एस टी आर-9 तालिका 6सी + 6डी + 6एफ	2	2	7.48	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में विभाग ने कहा कि कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त,

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	असमान राशि	टिप्पणियाँ
	में प्राप्त आर सी एम आई टी सी से की गई थी। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.i)***				अन्य प्रकरण में कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2024)।
2	**आर सी एम के अंतर्गत प्राप्त आई टी सी में विसंगति :** जी एस टी आर-3बी की तालिका 3.1 (डी) के डाटा, जिसमें रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आंतरिक आपूर्ति का विवरण शामिल है, की तुलना जी एस टी आर-9 तालिका 4जी में आर सी एम करदेयता के साथ की गई थी। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.ii)***	3	3	0.13	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में इसका उल्लेख किए जाने पर, एक प्रकरण में ₹ 2.96 लाख का कर जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष दो प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
3	**छूट प्राप्त और गैर-जी एस टी और पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त आई टी सी का गैर/न्यून व्युत्क्रमः** यू जी एस टी नियम 2017 के नियम 42 और 43 सपठित उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 17 (2) के अनुसार, क्रेडिट की राशि इनपुट कर के उतने भाग तक सीमित होगी जो शून्य-दर वाली आपूर्ति सहित उक्त करयोग्य आपूर्ति के कारण है। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.iii एवं 3.7.9.iv)***	18	9	13.17	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह अवगत कराया कि चार प्रकरणों में कर और ब्याज ₹ 10.88 लाख जमा किए गए हैं और एक प्रकरण में ₹ 0.48 लाख की मांग जारी की गई है और चार प्रकरणों में विभाग के उत्तर साक्ष्यों से समर्थित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, शेष नौ प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था। (मार्च 2024)।
4	**इनपुट सेवा वितरण क्रेडिट के अन्तर्गत आई टी सी का लाभ उठाने में विसंगति** : उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 20 (2) के अनुसार, आई एस डी वितरण के लिए उपलब्ध क्रेडिट को उसी माह में वितरित किया जा सकता है जिसमें इसका लाभ उठाया जाता है। जी एस टी आर 3बी की तालिका 4ए (4) जिसमें प्राप्त आई एस डी क्रेडिट का विवरण शामिल है, जी एस टी आर 9 की तालिका 6जी से मेल खाएगा। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.v)***	2	2	7.10	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
5	**जी एस टी आर-2ए और जी एस टी आर-9 के बीच आई टी सी का विसंगति:** जी एस टी आर-2ए के अनुसार उपलब्ध आई टी सी की तुलना जी एस टी आर-9 विवरणी के अंतर्गत प्राप्त आई टी सी से की गई थी। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.vi)***	46	26	35.19	लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) चार प्रकरणों में कर और ब्याज ₹ 14.49 लाख जमा किए गए हैं और आठ प्रकरणों में ₹ 1667.46 लाख की मांग

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	असमान राशि	टिप्पणियाँ
					की गई है। पांच प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य हैं। इसके अतिरिक्त, शेष 29 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
6	**समायोजन के बाद जी एस टी आर 9 में असंबद्ध आई. टी. सीः**- जी एस टी आर 9 की तालिका 8डी जी एस टी आर 2ए के अनुसार उपलब्ध आई टी सी और बाद की अवधि के समायोजन के साथ जी एस टी आर 3बी के अनुसार प्राप्त आई टी सी के बीच के अंतर को दर्शाती है। जी एस टी आर 9 की तालिका 8डी में नकारात्मक आंकड़ा इंगित करता है कि आई टी सी का लाभ पात्र से अधिक लिया जाता है। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.vii)***	51	25	53.26	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, पांच प्रकरणों में ₹ 74.05 लाख की मांग की गई है। 16 प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य हैं। इसके अतिरिक्त, 30 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था। (मार्च 2024)।
7	**जी एस टी आर-9सी (तालिका 14टी) में आई टी सी के संबंध में पाई गई विसंगतियाः** जी एस टी आर-9सी तालिका 14टी में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं या सेवाओं पर किए गए व्यय की तुलना इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई है और तालिका 14टी में अपात्रता, अवरुद्ध क्रेडिट के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई अतिरिक्त लाभ उठाने पर प्रकाश डाला गया है। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.viii)***	18	12	112.09	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में ₹ 2.44 लाख कर और ब्याज जमा किए गए और एक प्रकरण में ₹ 5.54 लाख कर और ब्याज की मांग की गई है। पांच प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष 11 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
8	**आई टी सी का लाभ उठाने में विसंगति:** प्रपत्र जी एस टी आर-3बी के माध्यम से आई टी सी (प्रपत्र जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) जैसा कि जी एस टी आर 9 तालिका 6 (ए) में घोषित किया गया है, जबकि जी एस टी आर 9 तालिका 6 (आई) के मूल्य में जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर-9 क्र सं 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच ₹ (-) का अंतर है, जी एस टी आर 9 के आई टी सी में समायोजन। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.ix)***	26	16	104.26	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, तीन प्रकरणों में ₹ 106.58 लाख की मांग की गई है और ₹ तीन लाख की वसूली की गई है। छः प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष 17 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	असमान राशि	टिप्पणियाँ
9	**कर देनदारियों के डेबिट और आई टी सी तुलना विवरण और इलेक्ट्रॉनिक नकद/ क्रेडिट खाता बही**: -जी एस टी आर 3बी डेबिट का माह के देयता खाता बही डेबिट तथा वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/कैश खाता बही डेबिट के साथ मिलान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/कैश लेज़र में कम डेबिट को मूर्त रूप देने के लिए जी एस टी आर 3बी तालिका 6.1 से डेबिट करने के बाद भी करदाताओं द्वारा देयता रजिस्टर की राशि में परिवर्तन के संकेत से विसंगति हो सकती है। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.x)***	4	4	5.46	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा दो प्रकरणों में उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष दो प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
10	**वस्तुओं के आयात पर दावाकृत आई टी सी और 2ए में आई टी सी में बेमेल-** जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी दावे की अनुमति देना। ***(परिशिष्ट- 3.7.9.xi)***	5	5	1.66	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर एक प्रकरण में ₹ 5.48 लाख का कर और ब्याज जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेष चार प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
11	**जी एस टी आर-9सी में दावाकृत आई टी सी और 2ए आई टी सी में विसंगति -** जी एस टी आर-9सी और जी एस टी आर-2ए में विसंगति आई टी सी का दावा ***(परिशिष्ट- 3.7.9.xii)***	2	2	1.05	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर एक प्रकरण में मांग जारी की। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रकरण में उत्तर अप्राप्त था। (मार्च 2024)।
12	**सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना आई टी सी का लाभ उठाना:-** अधिनियम की धारा 16 (2) आई टी सी का लाभ उठाने के लिए शर्तें को निर्धारित करती है। लेखापरीक्षा आई टी सी का लाभ उठाने की जांच नहीं कर सका क्योंकि कर्मचारी की लागत, वेतन, मजदूरी, किसी अन्य खर्च आदि पर प्राप्त आई टी सी के लिए सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट- 3.7.9.xiii)।***	14	12	27.00	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर एक प्रकरण में कर और ब्याज ₹ 0.21 लाख जमा किया गया है और एक प्रकरण में ₹ 103.55 लाख की मांग जारी की गई है। तीन प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष नौ प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

ब) अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट का लाभ उठाना

यू जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 140 (1) समाधान करदाता के अतिरिक्त एक पंजीकृत व्यक्ति को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में, वैट की धनराशि का क्रेडिट, यदि कोई हो, प्राप्त करने की अनुमति देती है, जो निर्धारित तिथि से ठीक पूर्व की अवधि से संबंधित विवरणी में टी आर ए एन-1 और टी आर ए एन-2 दाखिल करके अग्रसारित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने तीन सेक्टरों से संबंधित तीन प्रकरणों में (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में पाया कि करदाताओं ने ₹ 32.91 करोड़ के अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया था। एक प्रकरण में टी आर ए एन-1 दाखिल न करने, एक प्रकरण में शून्य राशि के साथ टी आर ए एन-1 दाखिल करने और एक प्रकरण में वर्ष 2017-18 के जी एस टी आर-9 विवरणी में दावा की गई राशि से कम राशि का टी आर ए एन-1 दाखिल करने के कारण अतिरिक्त दावा किया गया था ***(परिशिष्ट-3.7.9.xiv)***।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में इसे इंगित किये जाने पर किसी भी प्रकरण में विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण नीचे दिया गया हैः-

जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडबी वाले एक करदाता ने टी आर ए एन-1 दाखिल नहीं करने के बावजूद जी एस टी आर-9 में संक्रमणकालीन क्रेडिट ₹ 31.12 करोड़ का दावा किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.12 करोड़ की आई टी सी का अतिरिक्त दावा हुआ था।

लेखापरीक्षा (जनवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

3.7.9.4 करदेयता का निर्वहन

जी एस टी के प्रकरण में करयोग्य स्थिति वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। उत्तराखण्ड/केंद्रीय जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 9 वह प्रभारित धारा है जो मानव उपभोग के लिए मादक पेय (शराब) की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की समस्त प्रान्तीय आपूर्ति पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य पर और प्रत्येक अधिनियम, यानी सी जी एस टी अधिनियम और यू जी एस टी अधिनियम के अन्तर्गत 20 *प्रतिशत* से अनधिक दरों पर राज्य/

केंद्र माल और सेवा कर नामक कर लगाने और संग्रह करने को अधिकृत करता है। आई जी एस टी की धारा 5 वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर 40 *प्रतिशत* की अधिकतम दर के साथ एकीकृत जी एस टी का उद्ग्रहण एवं संग्रहण केंद्र सरकार में निहित है।

वस्तु और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 की धारा 8 के अन्तर्गत, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर आपूर्ति पर उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे कि तंबाकू उत्पाद, वातित (गैस से भरा हुआ) पेय, सिगरेट, वाहन आदि। उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 9 (3) और 9 (4) और एकीकृत जी एस टी अधिनियम 2017 की धारा 5 (3) और 5 (4) में कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर कर के विपरीत शुल्क लगाने का प्रावधान है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

कर देनदारियों के निर्वहन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और विसंगति पर नीचे चर्चा की गई हैः

अ) कर देयता के निर्वहन से संबंधित विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जी एस टी आर-1, जी एस टी आर-3बी और जी एस टी आर-9 विवरणी की जांच की और विवरणी में दी गई कर देयता की तुलना करके कर देयता के निर्वहन में विसंगति पायी। लेखापरीक्षा इन विसंगतियों की विस्तार से जांच नहीं कर सका क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक बारीक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विसंगति का विवरण **तालिका-3.7.8** में दिया गया है।

तालिका-3.7.8: कर देयता के निर्वहन से संबंधित विसंगित

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	विसंगति की राशि	टिप्पणियाँ
1	**जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-3बी-के बीच देय कर का असंतुलनः** जी एस टी आर-1 की कर देयता जी एस टी आर-3बी में घोषित कर देयता से विसंगति थी ***(परिशिष्ट- 3.7.10.i)***	15	12	6.16	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर तीन प्रकरणों में कर और ब्याज ₹ 35.27 लाख जमा किए गए हैं और एक प्रकरण में ₹ 0.58 लाख की मांग की गई है। चार प्रकरणों में

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	विसंगति की राशि	टिप्पणियाँ
					विभाग द्वारा अवगत कराया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष सात प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024।
2	**जी एस टी आर-9 में कर भुगतान के संदर्भ में जी एस टी आर 1, जी एस टी आर 9 की अधिक से अधिक कर देयता की तुलना करने पर गैर-प्रभारित कर देयताः** वर्ष 2017-18 के लिए जी एस टी आर 1 और जी एस टी आर 9 और इन विवरणों में देय कर की तुलना जी एस टी आर 9 में भुगतान और घोषित कर से की गई थी। ***(परिशिष्ट- 3.7.10.ii)***	27	19	24.98	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर सात प्रकरणों में ₹ 54.99 लाख का कर और ब्याज जमा किए गए हैं और चार प्रकरणों में ₹ 264.64 लाख की मांग की गई है। तीन प्रकरणों में विभाग का उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष 14 प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
3	**जी एस टी आर 9 के कर भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और नकद खाता बही के डेबिट के बीच बेमेलः** इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही (ई सी एल) और नकद खाता बही के साथ कर भुगतान का अंतर। ***(परिशिष्ट- 3.7.10.iii)***	03	03	5.42	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
4	**जी एस टी आर 9सी में घोषित करयोग्य कारोबार में असंबद्धताः** जी एस टी आर-9सी की तालिका 5आर और तालिका 7जी में वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित सकल आवर्त और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच सामंजस्य को दर्शाया गया है। ***(परिशिष्ट- 3.7.10.iv)***	10	08	80.71	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किये जाने पर एक प्रकरण में ₹ 8.02 लाख का कर जमा किया गया है और एक प्रकरण में ₹ 0.97 लाख की मांग जारी की गई है। एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष सात प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
5	**जी एस टी आर 9सी में घोषित असंबद्ध कर भुगतानः** जी एस टी	10	7	1.61	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	विसंगति की राशि	टिप्पणियाँ
	आर-9सी की तालिका 9आर में वार्षिक विवरणी जी एस टी आर-9 में घोषित कर भुगतान और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच सामंजस्य को दर्शाया गया है। ***(परिशिष्ट- 3.7.10.v)***				इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में विभाग ने मांग जारी की थी। दो प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष सात प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)
6	**कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच विसंगतिः** जी एस टी आर-9सी तालिका 5क्यू में शामिल जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त और जी एस टी आर-9 तालिका 5एन में घोषित कुल आवर्त (अग्रिम सहित) के बीच विसंगति। ***(परिशिष्ट- 3.7.10.vi)***	4	3	3.10	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर एक प्रकरण में ₹ 11.41 लाख का कर जमा किया गया है। एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष दो प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।
7	**कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के मध्य विसंगति** जी एस टी आर 9सी तालिका 9क्यू में घोषित जी एस टी आर 9 में भुगतान किए गए कर और जी एस टी आर 9 तालिका 9 के अनुसार भुगतान किए गए कर (नकद + आई टी सी) के बीच असमानता ***(परिशिष्ट- 3.7.10.vii)***	6	5	67.63	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा पांच प्रकरणों में उत्तर दिए गए हैं जो अस्वीकार्य हैं। इसके अतिरिक्त, शेष एक प्रकरण में उत्तर अप्राप्त था। (मार्च 2024)।
8	**करयोग्य कारोबार में विसंगति होने के कारण कर न लगानाः** जी एस टी आर-9सी की तालिका 5 (ओ) अर्थात् ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन में समायोजन के 16 शीर्ष शामिल हैं। जिनमें से 12 प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी और	3	3	30.41	लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023) में यह इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, शेष दो प्रकरणों (मार्च 2024) में उत्तर

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की सं.	सेक्टरों की संख्या	विसंगति की राशि	टिप्पणियाँ
	चार प्रविष्टियां आवर्त से घटा दी जाएंगी[90]। करदाता ने जी एस टी आर-9सी, तालिका 5(ओ) में आवर्त को समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप करयोग्य आवर्त में विसंगति थी जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। ***(परिशिष्ट- 3.7.10.viii)***				अप्राप्त है।

(ब) 2017-18 (प्रथम तिमाही) की वैट अवधि के आवर्त पर कर का न्यूनारोपण

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, सभी प्रान्तीय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, धारा 15 के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर, जो 20 *प्रतिशत* से अधिक न हों, राज्य वस्तु एवं सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा, जैसा परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और ऐसे तरीके से संग्रहित किया जाए जो विहित किया जाए और करयोग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जायेगा।

वर्ष 2017-18 के लिए आठ सेक्टरों से संबंधित 99 करदाताओं में से 10 करदाताओं द्वारा प्रस्तुत जी एस टी आर-9सी (समाधान विवरण) की जांच करने पर यह पाया

90

क्र. सं.	विवरण	कार्रवाई
1	फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा चिकित्सक को मुफ्त में वितरित चिकित्सकीय नमूना	(+)
2	कर्मचारी से वेतन की वसूली का नोटिस	(+)
3	ग्राहकों/विक्रेताओं/वितरकों को दिए गए उपहार	(+)
4	सीएसआर दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किए गए स्टॉक	(+)
5	बिक्री संवर्धन/विज्ञापन प्रतिपूर्ति प्राप्त को आपूर्ति के रूप में माना जाता है	(+)
6	आपूर्ति के मूल्य में माने जाने वाले से बाहर जेब से बाहरी खर्च	(+)
7	पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य जिस पर बिक्री पर जी एस टी का भुगतान किया जाता है	(+)
8	लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में घोषित पूंजीगत वस्तुओं की बिक्री पर लाभ	(-)
9	लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकट पूंजीगत वस्तुओं की बिक्री पर नुकसान	(+)
10	विशेष परिस्थितियों के आधार पर मान्यता प्राप्त लाभ और हानि खाते में आय	(-)
11	वह मूल्य जिस पर विशेष परिस्थितियों के आधार पर आय को मान्यता दिए जाने वाले लेनदेन के संबंध में जी एस टी का भुगतान किया जाना देय है।	(+)
12	छूट जिन्हें धारा 15 के अनुसार आपूर्ति के मूल्य से बाहर नहीं रखा जाना है।	(+)
13	जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण के रूप में वित्तीय में बिक्री व्युत्क्रमण।	(+)
14	संदिग्ध ऋणों को वापस लिखने का प्रावधान	(+)
15	ब्याज आय	(-)
16	विविध आय या कोई अन्य राशि	(-)

गया कि वैट अवधि (अप्रैल 2017 से जून 2017 तक) के कर निर्धारण आदेश के अनुसार वैट का आवर्त ₹ 134.79 करोड़ था, जबकि जी एस टी आर-9सी में वैट आवर्त (अप्रैल 2017 से जून 2017 तक) ₹ 170.58 करोड़ था। इस प्रकार, वैट आवर्त में ₹ 35.79 करोड़ का अंतर था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.26 करोड़ का कर का भुगतान नहीं किया गया था जो ब्याज और अर्थदण्ड के साथ वसूल किये जाने योग्य था।

इसके अतिरिक्त, दो प्रकरण पाए गए जिनमें ₹ 42.04 करोड़ के बचे हुए आवर्त पर ₹ 5.04 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट-3.7.10.ix* का क्र सं 11 एंव 12)**।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2022 से नवंबर 2022) में यह अवगत कराया कि दो प्रकरणों में ₹ 4.08 लाख का कर और ब्याज जमा किया गया है और दो प्रकरणों में ₹ 144.21 लाख की मांग की गई है। एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, सात प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)। ***(परिशिष्ट-3.7.10.ix)***।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया हैः-

एक करदाता (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXX1जेड2) ने जी एस टी आर-9सी तालिका 5जी में वैट अवधि का आवर्त ₹ 43.48 करोड़ घोषित किया हैं। हालाँकि, अप्रैल से जून 2017 के लिए वैट कर निर्धारण आदेश के अनुसार, यह ₹ 25.42 करोड़ था। इस आवर्त में से ₹ 18.06 करोड़ के वैट आवर्त में अंतर था, जिस पर ब्याज और अर्थदण्ड के साथ ₹ 2.17 करोड़ का कर देय था।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

(स) कर का भुगतान

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, सभी अंतर-राज्यीय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर, धारा 15 के अधीन निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर, जो 20 *प्रतिशत* से अधिक न हों, राज्य वस्तु एवं सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा, जैसा परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए और ऐसे तरीके

से संग्रहित किया जाए जो विहित किया जाए और करयोग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जायेगा।

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग भुगतान नहीं किया जाता है, वह स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो 18 *प्रतिशत* से अधिक न हो, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

उत्तराखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 की उपधारा (1) के अनुसार, जहां कोई करयोग्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई कर एकत्र करता है, लेकिन उस तिथि से तीन महीने की अवधि के बाद जिस तिथि को ऐसा संदाय देय था, सरकार को उसका भुगतान करने में विफल रहता है, वह ₹ दस हजार या कर चोरी के बराबर राशि या धारा 51 के अधीन कटौती नहीं किए गए कर या कम कटौती या कटौती किए गए कर को सरकार को भुगतान न किए गए या धारा 52 के अन्तर्गत एकत्र नहीं किए गए कर या कम एकत्र या एकत्रित लेकिन सरकार को भुगतान न किए गए कर या अनियमित रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिये गये या अन्तरित किये गये या वितरित किये गये या धोखाधड़ी से वापसी का दावा किये गये, जो भी अधिकतम हो, के समतुल्य राशि को अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(i) कर का कम भुगतान

वर्ष 2017-18 से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि पाँच सेक्टरों से संबंधित पाँच करदाताओं ने अपने जी एस टी आर-9 विवरणी में घोषित पूर्ण कर धनराशि का भुगतान नहीं किया था। ₹ 115.73 करोड़ के देय कर के विरुद्ध, करदाताओं द्वारा केवल ₹ 96.58 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.16 करोड़ के कर का भुगतान कम हो गया था, जिस पर करदाता कर के साथ-साथ ब्याज और अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे ***(परिशिष्ट-3.7.10.x)***।

लेखापरीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर 2022) में यह इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में ₹ 18.25 लाख का कर और ब्याज जमा किया गया है। एक प्रकरण में विभाग द्वारा डी आर सी-01 जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, शेष तीन प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया हैः-

एक करदाता (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXXओजेडजी) के प्रकरण में, वार्षिक विवरणी (जी एस टी आर-9) के अनुसार कुल देय कर ₹ 110.98 करोड़ था। हालाँकि, केवल ₹ 92.60 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसलिए, ₹ 18.37 करोड़ कर का भुगतान कम किया गया था।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि ₹ 18.46 करोड़ का कारण बताओ नोटिस (जी एस टी डी आर सी-1) जारी किया गया था। (मार्च 2024)।

(ii) कर का भुगतान न करना

2017-18 से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि दो सेक्टरों से संबंधित दो करदाताओं ने कुल ₹ 26.92 करोड़ को छूट, शून्य दर, गैर-जी एस टी आपूर्ति के रूप में घोषित किया है, जिस पर करदाताओं द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया था। दो प्रकरणों में, करदाताओं ने ब्रांड नाम वाली पैकिंग में सामान की निकासी की थी जिस पर कर देय था। उक्त पर ब्याज और अर्थदण्ड सहित कुल ₹ 1.35 करोड़ का कर देय था ***(परिशिष्ट-3.7.10.xi)***।

लेखापरीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर सभी प्रकरणों में विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया हैः-

एक प्रकरण में (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएक्स), करदाता ने गेहूं के आटे को यूनिट कंटेनर में तैयार किया गया था और इसे जी एस टी आर-9 में ₹ 14.08 करोड़ की छूट वाली आपूर्ति के रूप में घोषित किया था, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। उत्तराखण्ड के 25 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना संख्या 837/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 के अनुसार यदि किसी ब्रांड नाम के अन्तर्गत यूनिट कंटेनर में माल को तैयार किया जाता है, तो उस पर जी एस टी देय है। अतः इस प्रकरण में इस कारोबार पर कर आरोपणीय था जिसका भुगतान करदाता

द्वारा नहीं किया गया था। यह धनराशि ब्याज और अर्थदण्ड के साथ वसूल की जानी थी।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग का उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

(iii) जॉब वर्कर से तैयार माल निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त न होने के बावजूद भी कर का भुगतान न करना

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा (1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति (इसके बाद इस धारा में "प्रधान" के रूप में संदर्भित) सूचना के अधीन और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, किसी भी इनपुट या पूंजीगत सामान को बिना कर के संदाय के किसी जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए भेज सकता है और वहां से बाद में किसी अन्य जॉब वर्कर को भेज सकता है और इसी तरह, और-

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा 1 (क) के अनुसार, जॉब वर्क का काम पूरा होने के बाद या अन्यथा, या मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या उपकरणों के अतिरिक्त अन्य पूंजीगत सामान, उन्हें उनके किसी भी व्यवसाय के स्थान पर भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्षों के भीतर, कर का भुगतान किए बिना वापस लाएगा।

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा 1 (ख) के अनुसार, भारत के भीतर कर के भुगतान पर, या निर्यात के लिए कर के भुगतान के साथ या उसके बिना, जैसे भी प्रकरण हो, किसी प्रधान के व्यवसाय के स्थान से भेजे जाने के बाद, क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्षों के भीतर, जॉब वर्क का काम पूरा होने के बाद या अन्यथा, या मोल्ड और डाई, जिग्स और फिक्स्चर, या उपकरणों के अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति करें।

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा (3) के अनुसार, जहां जॉब वर्क के काम के लिए भेजे गए इनपुट उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अनुसार या अन्यथा जॉब वर्क के काम के पूरा होने के पश्चात् प्रधान को वापस नहीं किए जाते हैं या उन्हें भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अनुसार जॉब वर्कर के व्यवसाय के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे इनपुट की आपूर्ति प्रधान द्वारा जॉब वर्कर को उस दिन की गई थी जब उक्त इनपुट भेजे गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान दो सेक्टरों से संबंधित दो करदाताओं ने जी एस टी आई टी सी-4 के विरुद्ध जॉब वर्क के लिए ₹ 5.40 करोड़ का माल प्रेषित किया। उक्त अधिनियम के अनुसार करदाताओं को जी एस टी आई टी सी-4 में जॉब वर्क करने वाले करदाता से माल की वापसी का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालांकि, संबंधित करदाताओं के जी एस टी आई टी सी-4 में माल की वापसी का ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया था जो इंगित करता है कि जॉब वर्क करने वाले जॉब वर्कर को भेजा गया तैयार माल निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस नहीं किया गया था। इसलिए, करदाताओं को ब्याज और अर्थदण्ड के साथ-साथ ₹ 5.40 करोड़ पर ₹ 0.97 करोड़ का कर देय है ***(परिशिष्ट-3.7.10.xii)***।

लेखापरीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने एक प्रकरण में ₹ 40.60 लाख की मांग जारी की। अन्य प्रकरण में उत्तर अप्राप्त था (मार्च 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया हैः -

एक करदाता (जी एस टी आई एन 05XXXXXXXXXX1जेडएल) ने जॉब वर्कर को वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1.66 करोड़ का माल प्रेषित किया था जो सितम्बर 2022 तक जॉब वर्कर से वापस नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए, जॉब वर्कर को भेजे गए माल पर ब्याज और अर्थदण्ड सहित ₹ 29.87 लाख का कर देय है।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 40.60 लाख धनराशि की कर और अर्थदण्ड की मांग जारी की गई है। (मार्च 2024)।

3.7.9.5 अतिरिक्त धनवापसी की अनुमति

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे कर या उसके द्वारा भुगतान की गई किसी अन्य धनराशि पर भुगतान किए गए किसी भी कर और ब्याज, यदि कोई हो, की वापसी का दावा करता है, वह संबंधित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसे प्रपत्र और तरीके से आवेदन कर सकता है जो निर्धारित किया जाएः

इसके अतिरिक्त यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (2) के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संगठन की कोई विशेष एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचित कोई बहुपक्षीय वित्तीय

संस्थान और संगठन, विदेशों के वाणिज्य दूतावास या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जैसा कि धारा 55 के अधीन अधिसूचित किया गया है, माल या सेवाओं या दोनों की आंतरिक आपूर्ति पर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का हकदार, उस तिमाही जिसमें ऐसी आपूर्ति प्राप्त हुई थी, के अंतिम दिन से छः महीने की समाप्ति से पूर्व, जो निर्धारित किया जाए, ऐसे रूप और तरीके से ऐसी वापसी के लिए आवेदन कर सकेगा।

यू जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 55 के अनुसार, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संगठन की किसी भी विशेष एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित किसी भी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, विदेशों के वाणिज्य दूतावास या दूतावास और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाए, जो ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा जैसा इस सम्बन्ध में विहित किया जाए, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे।

अधिसूचना संख्या 06/2017 दिनांक 28 जून 2017 और अधिसूचना संख्या 520/2017/9 (120)/XXVII (8) दिनांक 29 जून 2017 एक करदाता सीएसडी कैंटीन को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आंतरिक आपूर्ति पर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का हकदार बनाती है। करदाता को इस तरह के धनवापसी के लिए उस तिमाही के अंतिम दिन से छः महीने की समाप्ति से पहले आवेदन करना था, जिसमें ऐसी आपूर्ति प्राप्त हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि चार सेक्टरों से संबंधित चार करदाताओं ने ₹ 38.61 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया था, जिसे उचित अधिकारी द्वारा ₹ 1.49 करोड़ के स्वीकार्य प्रतिदाय के विरुद्ध स्वीकृति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.13 करोड़ के प्रतिदाय का अतिरिक्त दावा किया गया। ₹ 37.13 के प्रतिदाय के अतिरिक्त दावे में से, एक प्रकरण में प्रतिदाय दावा विलंब से दायर करने के कारण ₹ 35.09 करोड़ का प्रतिदाय अस्वीकार्य था, दो प्रकरणों में उल्टे शुल्क प्रतिदाय में सेवा इनपुट पर प्रतिदाय दावे के कारण ₹ 1.85 करोड़ का अतिरिक्त प्रतिदाय अस्वीकार्य था और एक प्रकरण में समायोजित

आवर्त और आई टी सी के बीच अंतर के कारण ₹ 0.18 करोड़ के प्रतिदाय का शेष अतिरिक्त दावा अस्वीकार्य था। इसलिए, करदाताओं द्वारा ब्याज और अर्थदण्ड के साथ ₹ 37.13 करोड़ का भुगतान किया जाना है ***(परिशिष्ट-3.7.10.xiii)***।

लेखापरीक्षा (अगस्त-नवंबर 2022) में इंगित किए जाने पर विभाग ने एक प्रकरण में ₹ 1.00 करोड़ की मांग जारी की है और एक प्रकरण में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर अप्राप्त है। (मार्च 2024)।

उदाहरणस्वरूप एक प्रकरण नीचे दिया गया हैः-

एक करदाता (05XXXXXXXXXX1ZO) ने धनवापसी दावा दायर करने की अंतिम तिथि के बाद दिसम्बर 2018 में 2017-18 की तीन तिमाहियों के लिए तीन धनवापसी आवेदन दायर किए थे जैसा कि उपर्युक्त धारा 54 (2) में कहा गया है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन दायर किए जाने के बावजूद विभाग ने ₹ 35.09 करोड़ के प्रतिदाय को स्वीकृति दी थी।

लेखापरीक्षा (नवंबर 2022) में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि अधिसूचना सं. 18/2022-CT दिनांकित 28 सितम्बर 2022 में, समय सीमा को छः महीने से विस्तार कर दो वर्ष कर दिया गया है। अतः आपत्ति उचित नहीं है। विभाग का उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि उल्लिखित अधिसूचना 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी है न कि पूर्वव्यापी तिथि से। अतः ऊपर वर्णित प्रकरण पर लागू नहीं होता है। (मार्च 2024)।

3.7.10 अपर्याप्त क्षमता निर्माण प्रयास

सभी स्तरों पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रभावशीलता के लिए क्षमता निर्माण आवश्यक है। विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए जी एस टी पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है ताकि नई कर व्यवस्था में उनके ज्ञान को बढ़ाया जा सके और राजस्व में वृद्धि हो सके। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा जी एस टी पर दिए गए प्रशिक्षण का विवरण नीचे दी गई **तालिका-3.7.9** में दिया गया हैः

तालिका-3.7.9: जी एस टी पर प्रशिक्षण का विवरण

वर्ष	पदों का नाम	वास्तविक मानव शक्ति	प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्यदिवस (स्तंभ 3x5)	प्रशिक्षण के वास्तविक कार्यदिवस	कमी
1	2	3	4	5	6
2017-18	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	240	1,200	274	926
	सहायक कर्मचारी	441	2,205	517	1,688
2018-19	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	239	1,195	278	917
	सहायक कर्मचारी	433	2,165	492	1,673
2019-20	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	237	1,185	278	907
	सहायक कर्मचारी	400	2,000	479	1,521
2020-21	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	219	1,095	252	843
	सहायक कर्मचारी	389	1,945	28	1,917

स्रोतः राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

यदि किसी व्यक्ति को पाँच दिनों के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि प्रशिक्षित व्यक्ति वास्तव में उपलब्ध मानव-शक्ति के सापेक्ष बहुत कम थे। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत करदाताओं की लेखापरीक्षा शुरू करने के लिए एस ओ पी जारी होने के बाद प्रशिक्षित अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या इन कार्यों में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम है और इसलिए विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है।

3.7.11 श्रमशक्ति की अपर्याप्तता

विभाग के कुशल संचालन के लिए, इसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उचित मानव शक्ति योजना और इसकी उचित तैनाती आवश्यक है।

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी) और अन्य सहायक कर्मचारी के संबंध में राज्य कर विभाग की स्वीकृति और कार्य शक्ति का विवरण निम्न **तालिका-3.7.10** में दिए गए हैं:-

तालिका-3.7.10: राज्य कर विभाग की स्वीकृति और कार्य शक्ति

वर्ष	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या का *प्रतिशत*
2017-18	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	305	240	65	21.31
	सहायक कर्मचारी	1051	441	610	58.04
2018-19	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	305	239	66	21.64
	सहायक कर्मचारी	1051	433	618	58.80
2019-20	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	306	237	69	22.55
	सहायक कर्मचारी	1050	400	650	61.90
2020-21	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी	267	219	50	17.98
	सहायक कर्मचारी	925	389	536	57.95

स्रोतः राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान न्याय निर्णायक प्राधिकरण के संबंध में रिक्त पद 17.98 *प्रतिशत* से 22.55 *प्रतिशत* के मध्य थे। इसके अतिरिक्त, सहायक कर्मचारियों के संबंध में रिक्त पद 57.95 से 61.90 *प्रतिशत* के मध्य थे। पर्याप्त श्रमशक्ति की अनुपस्थिति ने विभाग की कार्य दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो जांच या विवरणी की धीमी गति, पंजीकरण रद्द करने के प्रकरणों में कार्रवाई की कमी आदि से स्पष्ट है।

3.7.12 निष्कर्ष

जी एस टी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) विवरणी दाखिल करने की बदलती प्रवृत्ति और विवरणी दाखिल और कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय कार्यों का आकलन करने के उद्देश्य से निरंतर डाटा विसंगतियों के संदर्भ में किया गया था।

यह एस एस सी ए मुख्य रूप से करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी के विश्लेषण पर आधारित था, जिसमें जोखिम वाले क्षेत्रों, लाल चेतावनी और कुछ प्रकरणों में वर्ष 2017-18 के लिए दाखिल किए गए जी एस टी विवरणी में नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था। एस एस सी ए में दो स्तरों पर उत्तराखण्ड राज्य कर विभाग के क्षेत्राधिकार संरचनाओं (सेक्टरों)/राज्य क्षेत्राधिकार गठन के निरीक्षण कार्यों का आकलन करना शामिल है-वैश्विक डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर और कार्यात्मक स्तर पर सेक्टरों, जी एस टी विवरणी और

आंतरिक लेखापरीक्षा के गहन विस्तृत लेखापरीक्षा सहित जिसमें करदाता के अभिलेखों तक पहुंच शामिल है।

विभाग ने विवरणियों की जांच के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (मई 2022) तैयार करने के बाद, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए विवरणी की जांच शुरू की है। विभाग को करदाताओं द्वारा कर देयता के स्व-मूल्यांकन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए विवरणी की जांच और आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए करदाताओं के अतिरिक्त अभिलेख प्रदान नहीं किए, जिसके कारण लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विवरणियों में पायी गई विसंगतियों को तार्किक निष्कर्षों में स्थापित नहीं कर सकी। विभाग को लेखापरीक्षा में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि करदाताओं के अभिलेखों की विस्तृत जांच के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच सके।

विभाग को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने की भी आवश्यकता है ताकि सीमित और विस्तृत लेखापरीक्षा के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियों को शीघ्रता से निराकरण किया जा सके और सरकार को देय राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके।

अनुपालन कमियों की महत्वपूर्ण दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को उनके कालबाधित होने से पहले उपचारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए। एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को विवरणी की जांच और आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने और विवरणी दाखिल, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, अन्य कर प्राधिकरणों के प्रतिवेदनो का पालन, पंजीकरण रद्द करने और चूककर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए सेक्टरों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3.7.13 अनुशंसाएं

राज्य सरकार निम्न पर विचार कर सकती है:

- ***विभाग वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए विवरणी की जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है;***

- ***उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्यों की आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त कर मांग को देखते हुए वृद्धि की जा सकती है;***
- ***विभाग प्रकरणों के कालबाधित होने से पहले निर्दिष्ट बकाया राशि की वसूली के साथ-साथ विवरणी और आंतरिक लेखापरीक्षा की जांच सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रीय दलों को भी निर्देश दे सकता है;***
- ***विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 146 विसंगतियों को तत्काल आगे बढ़ा सकता है, जिनके लिए प्रतिक्रियाएं प्रदान नहीं की गई हैं और परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित कर सकता है;***
- ***विभाग इस प्रतिवेदन में इंगित किए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए उनके कालबाधित होने से पूर्व उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।***

3.8 ₹ 5.37 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का लाभ केवल एक पंजीकृत व्यापारी को ही अनुमन्य होगा और किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा पंजीकृत होने के पश्चात किसी कर अवधि के लिए देय कर की गणना करने के उद्देश्य से ऐसे पंजीकृत व्यापारी को अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय या ऐसा विक्रय, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से भिन्न, ऐसे समस्त कर योग्य विक्रय के बारे में जमा किए गए अथवा देय कर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, जैसा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया गया, अनुमन्य होगा। अधिनियम की धारा 34(4) के अनुसार, भुगतान न की गई धनराशि पर निर्धारित अन्तिम तिथि के ठीक अगली तिथि से ऐसी धनराशि के भुगतान की तिथि तक 15 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

उपायुक्त (कर निर्धारण)-III, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच (मार्च 2021) में पाया गया कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2019 के अनुसार, ₹ 39.44 लाख की स्वीकार्य/सत्यापित/देय आई टी सी के स्थान पर व्यापारी[91] को ₹ 44.81 लाख की आई टी सी का लाभ दिया गया था। इसके कारण, अर्थदण्ड एवं

[91] मै. बालाजी सेल्स कार्पोरेशन (टिन 05011836353)।

01 अक्टूबर 2015 से जमा करने की तिथि तक 15 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की परिणामी देनदारियों के साथ ही ₹ 5.37 लाख का कम करारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार द्वारा चूक को मानवीय त्रुटि के रूप में स्वीकार किया गया (अगस्त 2022) एवं अवगत कराया कि संशोधित कर निर्धारण आदेश 26 जूलाई 2021 को जारी किया गया था। वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल और शासनादेश दिनांक 05 मार्च 2005, जिसमें संबन्धित अधिकारी से राजस्व क्षति की वसूली अपेक्षित है, के प्रावधानों के कारण राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

सरकार ने भविष्य में रोकथाम और पहचान के कोई उपाय भी नहीं किए हैं।

3.9 कर का अनारोपण

कारोबार के हस्तान्तरण के पश्चात अचल परिसम्पत्तियों पर कर आरोपित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 45.38 लाख की राजस्व क्षति हुई जिस पर ₹ 37.44 लाख का ब्याज भी देय है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9(4)(क) के अनुसार, जहाँ व्यापारी एक फर्म या व्यक्तियों का समूह या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब है और ऐसी फर्म, समूह अथवा कुटुम्ब ने कारोबार बन्द कर दिया है तो ऐसी फर्म, समूह अथवा कुटुम्ब द्वारा ऐसा कारोबार बन्द करने की तिथि तक इस अधिनियम के अधीन देय कर जिसमें अर्थदण्ड, यदि कोई हो, शामिल है, का निर्धारण और अवधारण किया जा सकता है मानो कि ऐसा कोई कारोबार बन्द न हुआ हो। साथ ही, धारा 18(5) निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका पंजीकरण इस धारा के अधीन निरस्त होता है, निरस्तीकरण की तिथि को स्टॉक के रूप में या पूंजीगत वस्तुओं के रूप में धारित प्रत्येक कराधेय वस्तुओं के संबंध में देय कर यदि वस्तु की बिक्री उस तिथि में उचित बाजार कीमत पर की गयी होती या ऐसी वस्तुओं के संबंध में पूर्व में दावाकृत कुल इनपुट टैक्स का लाभ, जो भी अधिक हो, के समतुल्य धनराशि का भुगतान करेगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4(2)(ख)(i)(द) में प्रावधानित है कि एक व्यापारी किसी भी अनुसूची में शामिल वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के संबंध में 13.5 *प्रतिशत* की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा एवं 04 अक्टूबर 2016 से एक *प्रतिशत* का अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था।

उपायुक्त (कर निर्धारण)-1, राज्य कर, रुड़की, के अभिलेखों की जांच (फरवरी-मार्च 2020) में पाया गया कि फर्म मैसर्स बी ए इण्टरनेशनल[92] बंद[93] कर दी गयी थी एवं उक्त फर्म का अधिग्रहण मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज[94] द्वारा किया गया था। फर्म मैसर्स बी ए इण्टरनेशनल ने ₹ 8.11 करोड़[95] की वस्तुओं को मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज को हस्तांतरित किया जिस पर कारोबार के अधिग्रहण के कारण कर आरोपित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स बी ए इंटरनेशनल द्वारा मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज को ₹ 3.13 करोड़[96] की स्थायी परिसम्पत्तियाँ (भूमि और भवन के अतिरिक्त) हस्तांतरित नहीं की गई थीं क्योंकि मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज ने केवल कच्चा माल, पैकिंग सामग्री, तैयार माल और अर्ध-तैयार माल ही स्वीकार किया था और यह भी कि मैसर्स बिरला एयरकॉन इण्डस्ट्रीज ने 01 अप्रैल 2017 को अपने तुलन पत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रारम्भिक अवशेष मात्र ₹ 12.03 लाख[97] दर्शाया था। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 18(5) के अनुसार ₹ 3.13 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियों पर कर आरोपणीय था किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया। इसके कारण ब्याज[98] की परिणामी देनदारियों के साथ ही ₹ 45.38 लाख**[99]** का कर आरोपित नहीं हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2021) कि लेखापरीक्षा टिप्पणी पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है और तदनुसार संबंधित व्यापारी पर संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनांक 06 जूलाई 2020 के अंतर्गत ₹ 45.38 लाख का कर आरोपित किया गया है। इस बीच व्यापारी ने अतिरिक्त कर लगाने के विरुद्ध 2021 में संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। अपील पर अभी निर्णय[100] होना बाकी है।

---

92 टिन 05005757654 ।

93 वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण आदेश के अनुसार, फर्म को 14 फरवरी 2017 को बंद कर दिया गया।

94 टिन 05018537889 ।

95 ₹ 7,66,39,160 का कच्चा माल एवं ₹ 45,03,300 की पैकिंग सामग्री।

96 31 मार्च 2017 को।

97 01 अप्रैल 2017 को।

98 01 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए ब्याज ₹ 37.44 लाख (₹ 45,38,358 × 15 *प्रतिशत* × 66 माह/ 12) है।

99 ₹ 3,12,99,024 × 14.5 *प्रतिशत* = ₹ 45,38,358 ।

100 संयुक्त आयुक्त (अपील) ने आदेश दिया कि अपील का निर्णय आने तक आरोपित कर राशि का 90 *प्रतिशत* निलंबित रहेगा एवं कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, निलंबित धनराशि के लिए प्रतिभूति जमा की जाएगी। आदेश के अनुसार, व्यापारी ने विवादित कर का 10 *प्रतिशत* (₹ 5.00 लाख) जमा किया और कर की 90 *प्रतिशत* राशि के लिए, मांग पर स्थगन के सापेक्ष क्षतिपूर्ति बांड जमा किया। लेकिन विभाग द्वारा इस बांड को अस्वीकार कर दिया गया और शेष धनराशि के सापेक्ष वसूली प्रमाण पत्र (मई 2022) जारी किया गया।

3.10 कर का अनारोपण

विभाग ने अन्तिम स्टॉक पर कर नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.44 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत पंजीकृत है, एक कराधेय व्यक्ति होगा और अधिनियम में उपबंधित रीति के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि एक व्यापारी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर पर अपने कराधेय विक्रय आवर्त पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-2, राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) में पाया गया कि व्यापारी[101] ने वैट के अन्तर्गत वस्तु का अन्तिम स्टॉक ₹ 4.29 करोड़[102] दर्शाया था। अभिलेखों में अन्तिम स्टॉक को वैट से जी एस टी में ले जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था एवं व्यापारी[103] से संबन्धित जी एस टी आई एन[104] की जांच में यह भी पाया गया कि जी एस टी के अन्तर्गत अन्तिम स्टॉक पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। अतः, अन्तिम स्टॉक पर वैट के अन्तर्गत कर आरोपणीय था किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया था जैसा कि कर निर्धारण आदेश[105] में पाया गया। इसके कारण ब्याज और अर्थदण्ड की परिणामी देनदारियों के साथ ही कर की न्यूनतम दर[106] से ₹ 21.44 लाख[107] का कर आरोपित नहीं हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि उक्त अन्तिम स्टॉक कोई वस्तु अथवा कच्चा माल नहीं है, बल्कि वैट अवधि के अनुबंध कार्य का अवशेष भुगतान है और यह धनराशि अभी तक ठेकेदार को प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि, बकाया भुगतान को ठेकेदार द्वारा आयकर विवरणी में दर्शाने के लिए

---

101 मेसर्स नभ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड (टिन 05011216523)।

102 कर निर्धारण वर्ष 2017-18 (अप्रैल से जून 2017) के लिए प्रपत्र-IV (बी) (संकर्म संविदा हेतु वार्षिक विवरणी) का संलग्नक-004 के अनुसार।

103 जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए।

104 जी एस टी आई एन 05AADCN7045A1ZX ।

105 वैट अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत।

106 वैट अधिनियम की धारा 4(2)(ख)(i)(आ) के अनुसार, अनुसूची II (बी) में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में कर की दर पाँच *प्रतिशत* है।

107 ₹ 4,28,84,004 × 05 *प्रतिशत* = ₹ 21,44,200 ।

संदर्भित किया जाना होता है, अतः उक्त धनराशि व्यापारी द्वारा अपनी विवरणी में दर्शायी गई थी। यह वैट अवधि का लंबित भुगतान है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि व्यापारी की वार्षिक विवरणी[108] के अनुसार, उक्त धनराशि अन्तिम स्टॉक से संबन्धित है। इसके अतिरिक्त, इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया कि कौन सा विभाग बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, अन्तिम स्टॉक पर कर आरोपित करने की ज़िम्मेदारी कर निर्धारण अधिकारी की थी किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया।

3.11 कर निर्धारण अधिकारी की उचित सतर्कता में कमी के कारण ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर ₹ 18.81 लाख का करापवंचन

वैधानिक विवरणी दाखिल नहीं करने एवं जी एस टी विवरणियों के साथ प्रति सत्यापन की कमी के कारण व्यापारी को एकतरफा करमुक्त घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर ₹ 18.81 लाख का करापवंचन हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(2) में प्रावधानित है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत पंजीकृत है, अधिनियम में उपबंधित रीति के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, अधिनियम की धारा 23 प्रत्येक व्यापारी के कर्तव्य को निर्धारित करती है, जो आवधिक विवरणी जमा करने और कर के भुगतान के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 39 और 44 भी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के क्रमशः आवधिक विवरणी एवं वार्षिक विवरणी जमा करने के कर्तव्यों को निर्धारित करती है।

पुनः, उत्तराखण्ड वैट अधिनियम की धारा 45(1) में निर्धारित है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, जो आयुक्त द्वारा नियुक्त एवं तैनात अधिकारी के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रशासन या प्रवर्तन से संबन्धित किसी प्रयोजन हेतु नोटिस के द्वारा किसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति को सूचना या दस्तावेज़, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सम्मिलित हैं, जो उसके संज्ञान में

[108] प्रपत्र-IV (बी)(संशोधित-1) (संकर्म संविदा हेतु वार्षिक विवरणी) का संलग्नक-004 ।

हैं या उसके पास है, को उपलब्ध कराने के लिए आदेशित कर सकता है। जब कभी ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा व्यापारी या व्यक्ति सही, सम्पूर्ण और सत्य सूचना उपलब्ध कराएगा।

सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-2, राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने एक व्यापारी[109] को अप्रैल से जून 2017 की अवधि के लिए इस आधार पर एकतरफा कर मुक्त घोषित कर दिया (अगस्त 2021) कि व्यापारी के व्यवसाय से संबन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। हालांकि, यह भविष्य में व्यवसाय के संचालन के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कर निर्धारण को फिर से खोलने के अधीन था। आगे जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त व्यापारी ने अपने जी एस टी विवरणी में अप्रैल से जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 4.40 करोड़[110] का विक्रय आवर्त प्रदर्शित किया था और इस प्रकार वैट[111] के अन्तर्गत कर के लिए उत्तरदायी था। चूंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को कर मुक्त घोषित किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ब्याज एवं अर्थदण्ड की परिणामी देनदारियों के साथ ही ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर कर आरोपित नहीं हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि जी एस टी विवरणियों[112] में करदाता द्वारा की गयी घोषणाओं का संज्ञान लेने के पश्चात पुन: करनिर्धारण आदेश पारित किया गया (अक्टूबर 2022) एवं वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के लिए ₹ 4.40 करोड़ के विक्रय आवर्त पर वैट के उपयुक्त प्रावधानों[113] के अन्तर्गत, स्रोत पर अग्रिम कर जमा (टी डी एस) ₹ 11.78 लाख को समायोजित करने के पश्चात ₹ 7.04 लाख[114] की मांग सृजित की गयी। व्यापारी

---

109 मैर्सस ग्लोबल कन्स्ट्रकशन (टिन 05007907368) ।

110 जी एस टी आई एन 05AAHFG7312C2ZV से संबन्धित जी एस टी आर-9सी (लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित विक्रय आवर्त का वार्षिक विवरणी में घोषित विक्रय आवर्त के साथ मिलान) के अनुसार।

111 जी एस टी 01 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।

112 मैसर्स ग्लोबल कन्स्ट्रकशन (टिन 05007907368) के जी एस टी आई एन-05AAHFG7312C2ZV से संबन्धित जी एस टी आर-9सी।

113 धारा 7(2)/29(4) एवं 25/29(4) ।

114 धारा 7(2)/29(4) के अनुसार, कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी को प्राप्त हुए ₹ 3.60 करोड़ के भुगतान पर दो *प्रतिशत* की दर से ₹ 7.20 लाख की समाधान धनराशि निर्धारित की एवं धारा 25/29(4) के अनुसार, कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 0.80 करोड़ के विक्रय आवर्त पर 14.5 *प्रतिशत* की दर से ₹ 11.61 लाख कर आरोपित किया। इस प्रकार, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कुल समाधान धनराशि/कर ₹ 18.81 लाख था जिसे व्यापारी द्वारा जमा किए गए टी डी एस से समायोजित किया गया एवं ₹ 7.04 लाख की मांग सृजित की गयी।

दिनांक 01 जूलाई 2017 से कर जमा करने की तिथि तक ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। अप्रैल 2023 को, संयुक्त आयुक्त (अपील) ने प्रकरण को पुन: करनिर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को वापस प्रेषित कर दिया।

पूरे घटनाक्रम की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा का विचार है कि कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उचित सतर्कता का अभाव था क्योंकि वह: (i) व्यापारी/करदाता द्वारा वैट के अन्तर्गत सांविधिक त्रैमासिक और वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने को लागू करने में विफल रहा; (ii) व्यापारी/करदाता के जी एस टी विवरणियों से कर निर्धारण अवधि (अप्रैल-जून 2017) के लिए विक्रय आवर्त नहीं निकाला, इस तथ्य के बावजूद कि संकर्म संविदाकार, करापवंचन के लिए वैट/जी एस टी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च जोखिम श्रेणी में से एक थे। इसके अतिरिक्त, यदि लेखापरीक्षा में इस चूक का पता नहीं चलता, तो राज्य सरकार उक्त राजस्व से वंचित हो जाती।

3.12 मिथ्या प्रपत्र-सी के उपयोग पर अनियमित कर छूट

कर की रियायती दर का लाभ लेने के लिए व्यापारी द्वारा मिथ्या प्रपत्र-सी उपयोग किए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.70 लाख के कर का न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 47.63 लाख का अर्थदण्ड एवं कर की भुगतान न की गयी राशि पर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 (2) (ख) (i) (ई) के अनुसार, किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5 *प्रतिशत* की दर से कर देय है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) में निर्धारित किया गया है कि पंजीकृत व्यापारियों को अंतर-राज्यीय बिक्री, रियायती दर पर कर योग्य होती है जब ऐसी बिक्री प्रपत्र-सी में घोषणा द्वारा समर्थित हो। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xxxii) के अन्तर्गत, यदि कोई व्यापारी मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी या प्रस्तुत करता है तो वह अंतर्ग्रस्त माल के मूल्य के 40 *प्रतिशत* से अनधिक या ऐसी वस्तुओं पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, के अर्थदण्ड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

उपायुक्त (कर निर्धारण)-II, राज्य कर, रूड़की के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर-नवम्बर 2020) में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान, व्यापारी[115] ने

[115] मेसर्स जैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड टिन 05007250387 ।

₹ 17.86 करोड़ के ऑटो पार्ट्स की केन्द्रीय बिक्री प्रपत्र-सी के सापेक्ष रियायती दर[116] पर की थी। कर निर्धारण आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2019 के अनुसार, ₹ 17.86 करोड़ की बिक्री पर एक *प्रतिशत* की रियायती दर से कर आरोपित किया गया था। तथापि, नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने सत्यापन हेतु उक्त व्यापारी से संबन्धित दो[117] प्रपत्र-सी का चयन किया। प्रपत्र-सी के प्रति सत्यापन पर, संबन्धित राज्य के जारीकर्ता प्राधिकारी[118] ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020 एवं जनवरी 2021) कि संबंधित राज्य द्वारा व्यापारी को ₹ 1.18 करोड़[119] की धनराशि के ये दो प्रपत्र-सी जारी नहीं किए गए थे। इसलिए, ₹ 1.18 करोड़ के ऑटो पार्ट्स की बिक्री पर एक *प्रतिशत* के स्थान पर 13.5 *प्रतिशत* की दर से कर आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.70 लाख[120] के कर का न्यूनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, नियमानुसार व्यापारी पर कर की भुगतान न की गयी राशि पर भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ ही ₹ 47.63 लाख[121] का अर्थदण्ड भी देय था।

इसे इंगित किए जाने पर आयुक्त, राज्य कर ने उत्तर दिया (अप्रैल 2023) कि अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित धारा 31/धारा 29(4) के अनुसार व्यापारी पर ₹ 14.56 लाख का कर आरोपित किया गया था। जिसके पश्चात धारा 58(1) (xxix) के अंतर्गत ₹ 47.16 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है।

उत्तर की जाँच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने इन दोनो प्रपत्र-सी का ₹ 1.16 करोड़ का विक्रय मूल्य लिया एवं कर और अर्थदण्ड की गणना तद्नुसार की गयी, जबकि इन दोनो प्रपत्रों में उल्लिखित कुल बिक्री मूल्य ₹ 1.18 करोड़ है। साथ ही विभाग की ओर से इस अंतर का कोई कारण नहीं बताया गया।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2022); और और बारंबार इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर भी (मई, अगस्त एवं सितम्बर 2022) राज्य सरकार उत्तर देने में विफल रहा (मार्च 2024)।

---

[116] एक *प्रतिशत* की दर से।

[117] प्रपत्र-सी संख्या 14 पी 448278 एवं 14पी 448279 ।

[118] व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

[119] प्रपत्र-सी संख्या 14पी 448278 (धनराशि ₹ 54,77,554) एवं प्रपत्र-सी संख्या 14पी 448279 (धनराशि ₹ 62,83,452)।

[120] ₹ 1,17,61,006 × 12.5 (13.5-1) *प्रतिशत =* ₹ 14,70,126।

[121] ₹ 1,17,61,006 × 13.5 *प्रतिशत* × 3 गुना = ₹ 47,63,207 अथवा ₹ 1,17,61,006 × 40 *प्रतिशत* = ₹ 47,04,402, जो भी अधिक हो।

3.13 कर का न्यूनारोपण

कर की गलत दर लागू करने एवं व्यापारी द्वारा आयातित वस्तुओं (डीजल/पेट्रोल) की कम खरीद प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप ₹ 32.71 लाख की राजस्व क्षति हुई।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(1) निर्धारित करती है कि किसी व्यापारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जाएगा। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 16 सितम्बर 2015[122] के अनुसार, मोटर स्पिरिट और डीजल पर कर निम्नलिखित प्रकार से आरोपणीय होगा:

क्र.सं.	वस्तु का विवरण	कर की दर	कराधान बिन्दु
1.	मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)	25 *प्रतिशत* अथवा ₹ 17 प्रति लीटर, जो भी अधिक है	विनिर्माता या आयातकर्ता
2.	डीजल	21 *प्रतिशत*	

उपायुक्त (कर निर्धारण)-III, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान व्यापारी[123] ने ₹ 3.08 करोड़[124] के डीजल और पेट्रोल का आयात किया था एवं इन वस्तुओं की ₹ 3.25 करोड़ (डीजल ₹ 22.67 लाख एवं पेट्रोल ₹ 3.03 करोड़) की बिक्री घोषित की थी। कर निर्धारण आदेश दिनांक 06 नबम्बर 2020 के अनुसार, पेट्रोल की बिक्री पर ₹ 75.66 लाख (₹ 3.03 करोड़ पर 25 *प्रतिशत* की दर से) कर आरोपित किया गया था जिसे दिनांक 16 सितम्बर 2015 की अधिसूचना के अनुसार ₹ 99.96 लाख[125] (5,88,000 लीटर पर ₹ 17 प्रति लीटर की दर से) आरोपित किया जाना चाहिए था। इसके कारण ब्याज की परिणामी देनदारियों के साथ ही ₹ 24.30 लाख[126] का कम कर आरोपित किया गया।

इसके अतिरिक्त, फार्म-16 (ऑनलाइन) की जांच में पाया गया कि व्यापारी ने ₹ 3.08 करोड़ की घोषित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में ₹ 3.33 करोड़ के माल (डीजल/ पेट्रोल) का आयात किया था। इस प्रकार, ₹ 25.02 लाख के कम प्रदर्शित माल की खरीद पर कर आरोपित नहीं किया जा सका।

---

122 उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-08, संख्या 809/146(120)/2015/XXVII(8)/2008 ।

123 मैसर्स चन्दन फिलिंग स्टेशन (टिन 05015313027)।

124 ₹ 12,85,036 की धनराशि का 30,000 लीटर डीजल एवं ₹ 2,95,11,253 की धनराशि का 5,88,000 लीटर पेट्रोल।

125 ₹ 3,02,63,278 × 25 *प्रतिशत* = ₹ 75,65,819 अथवा 5,88,000 लीटर × ₹ 17 प्रति लीटर = ₹ 99,96,000, जो भी अधिक हो।

126 ₹ 75,65,819 एवं ₹ 99,96,000 का अन्तर।

अप्रैल 2023 में, राज्य कर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 29(4) के अंतर्गत सितम्बर 2022 में पुन:करनिर्धारण की सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.49 लाख की मांग और ₹ 0.31 लाख के अतिरिक्त उपकर की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, संयुक्त आयुक्त (अपील) ने कर निर्धारण आदेश को अमान्य करते हुए पुनः सुनवाई हेतु वापस कर दिया था। तत्पश्चात्, पुनः सुनवाई के उपरान्त, राज्य कर आयुक्त ने समायोजित कराधान की पुष्टि[127] की और आयातित डीजल का विक्रय मूल्य ₹ 34.14 लाख निर्धारित किया किन्तु आरोपणीय कर की सूचना नहीं दी गई। लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करने के पश्चात, विभाग ने व्यापारी पर ₹ 32.71 लाख[128] का अतिरिक्त कर आरोपित किया। हालांकि, विभाग का उत्तर, समान/ अलग कर निर्धारण अधिकारी के अधीन अन्य व्यापरियों के प्रकरणों में कम कर आरोपित करने के समान प्रकरणों की पुनः जांच करने एवं इसी तरह की भूल की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कोई निवारक तंत्र स्थापित करने पर मौन था।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने पर (मई 2022); राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2024) कि व्यापारी ने विभिन्न चालानों के माध्यम से ₹ 29.79 लाख की कर धनराशि जमा कर दी थी एवं बकाया राशि पर समस्त ब्याज माफ कर दिया गया था।

[127] सितम्बर 2023 में।

[128] ₹ 1,13,13,176-₹ 80,41,896 (मूल कर निर्धारण आदेश और पुन:करनिर्धारण आदेश में आरोपित कर का अंतर)।

अध्याय-4

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-4

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन और अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जैसा कि उनके लेखों से ज्ञात हुआ है, पर चर्चा की गयी है।

4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

4.1.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी को एक ऐसे कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 *प्रतिशत* केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास हो तथा इसमें वह कम्पनी शामिल है जो एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा,या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित किसी अन्य कम्पनी[1] को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में संदर्भित किया गया है।

4.1.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ-साथ सी ए जी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 और उसके अतंर्गत बनाए गए विनियमों के अतंर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अतंर्गत, सी ए जी, कंपनियों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और लेखों की लेखापरीक्षा करने के तरीके पर निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, सी ए जी

[1] कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04 नवंबर 2014 के माध्यम से जारी किया गया।

को पूरक लेखापरीक्षा करने का भी अधिकार है। तीन सांविधिक निगमों[2] को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा केवल सी ए जी द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के संबंध में, सी ए जी पूरक लेखापरीक्षा करता है।

4.1.2.1 एस पी एस ई की संख्या

31 मार्च 2022 तक, उत्तराखण्ड राज्य में सी ए जी के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (एस पी एस ई) थे। इनमें चार सांविधिक निगम और 28 सरकारी कंपनियाँ (नौ[3] निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ[4] और एक[5] सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी) शामिल हैं जिनका विवरण ***परिशिष्ट-4.1.1*** में दिया गया है। नौ निष्क्रिय सरकारी कंपनियों में से सात[6] परिसमापन के अधीन हैं। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध नहीं थी।

यह रिपोर्ट 2019-20 से 2021-22 तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों (या जिसके संबंध में इन वर्षों से सम्बन्धित कम से कम एक लेखा 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त हुआ हो) के दौरान उनके लेखों की प्राप्ति के आधार पर 14 एस पी एस ई[7] के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, एक एस पी एस ई के नवीनतम अंतिमीकृत खातों के वित्तीय आंकड़ों को आगामी वर्षों के लिए प्रदर्शन मापदंडों की गणना हेतु प्रयोग किया गया है ***(परिशिष्ट-4.1.1)***। तदनुसार, इस रिपोर्ट में बाद के प्रस्तरों में शामिल एस पी एस ई को **तालिका-4.1.1** में दर्शाया गया है:

---

2 उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

3 यू पी ए आई; ट्रांस केबल्स लिमिटेड, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी; उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी; कुमट्रॉन लिमिटेड (कुमट्रॉन), हिल्ट्रॉन की सहायक कंपनी; उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हिल्ट्रॉन), उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, हिल्ट्रॉन की सहायक कंपनी; उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड, हिल्ट्रॉन की सहायक कंपनी; गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी; कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

4 निष्क्रिय सरकारी कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जो तीन वर्ष से अधिक समय से कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है।

5 उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

6 यू पी ए आई, उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड, कुमट्रॉन, हिल्ट्रॉन, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड और गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड।

7 नौ निष्क्रिय कंपनियों और नौ अन्य एस पी एस ई को छोड़कर, जिनके खाते तीन साल या उससे अधिक के लिए बकाया थे (अर्थात 2019-20 तक की अवधि के लिए खाते प्राप्त नहीं हुए थे)।

तालिका-4.1.1: इस रिपोर्ट में शामिल एस पी एस ई की व्याप्ति और प्रकृति

एस पी एस ई का वर्गीकरण	राज्य में एस पी एस ई की कुल संख्या	रिपोर्ट में शामिल एस पी एस ई की संख्या तक के लेखे प्राप्त हुए				रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए एस पी एस ई की संख्या
		2021-22	2020-21	2019-20	कुल	
सक्रिय एस पी एस ई						
सरकारी कंपनियाँ	18	02[8]	08[9]	01[10]	11	07[11]
सांविधिक निगम	04	-	01[12]	01[13]	02	02[14]
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	01	-	01[15]	-	01	-
निष्क्रिय एस पी एस ई						
सरकारी कंपनियाँ	09	-	-	-	-	09
योग	***32***	***02***	***10***	***02***	***14***	***18***

4.1.3 एस पी एस ई और राज्य के जी एस डी पी में उनका योगदान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार की कंपनियाँ, सांविधिक निगम और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं। एस पी एस ई की स्थापना, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को संचालित किये जाने के लिए किया जाता है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते है।

एस पी एस ई के कारोबार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एस पी एस ई की गतिविधियों के विस्तार को दर्शाता है। इस अध्याय में शामिल 14 एस पी एस ई के कुल कारोबार और 31 मार्च 2022 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि के लिए उत्तराखण्ड राज्य की जी एस डी पी का विवरण **तालिका-4.1.2** में दिया गया है।

---

8 यू जे वी एन लिमिटेड और उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

9 उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल); पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल), देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड; उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड; डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड; किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड; और उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

10 ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (ब्रिडकुल)।

11 उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम; प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड।

12 पेयजल निगम।

13 उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

14 उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम।

15 उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

तालिका-4.1.2: उत्तराखण्ड के जी एस डी पी की तुलना में 14 एस पी एस ई के कुल कारोबार का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
14 एस पी एस ई का कुल कारोबार	9,570.53	9,187.70	9,171.31
उत्तराखण्ड की जी एस डी पी	2,36,988	2,34,660	2,53,832
उत्तराखण्ड के जी एस डी पी में एस पी एस ई के कुल कारोबार का *प्रतिशत*	4.04	3.92	3.61

स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तराखण्ड से प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरण एवं सूचना।

तालिका-4.1.2 से देखा जा सकता है कि एस पी एस ई के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार 2019-20 की तुलना में 2021-22 के दौरान उनके कुल कारोबार में 4.17 *प्रतिशत* की कमी आई है। जी एस डी पी में एस पी एस ई का योगदान मामूली रहा।

4.1.4 एस पी एस ई में निवेश और बजटीय सहायता

4.1.4.1 एस पी एस ई में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

31 मार्च 2022 तक, 32 एस पी एस ई की सेक्टर-वार कुल इक्विटी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी योगदान और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिए गए ऋणों सहित दीर्घकालिक ऋण **तालिका-4.1.3** में दिए गए हैं। एस पी एस ई के अनुसार इक्विटी और ऋण का विवरण ***परिशिष्ट-4.1.2*** के अनुसार है।

तालिका-4.1.3: एस पी एस ई में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	निवेश[16]				
	इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		योग (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण)
	योग	उत्तराखण्ड सरकार	योग	उत्तराखण्ड सरकार	
ऊर्जा	3,527.47	3,522.47	4,542.27	551.76	8,069.74
वित्त	24.45	17.88	2.21	1.00	26.66
सेवा	258.71	249.47	190.73	125.09	449.44
बुनियादी ढांचा	33.00	30.30	75.47	21.02	108.47
अन्य	46.82	36.12	292.63	270.96	339.45
योग	***3,890.45***	***3,856.24***	***5,103.31***	***969.83***	***8,993.76***

स्रोत: एस पी एस ई से प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरण और सूचना।

यह देखा जा सकता है कि एस पी एस ई निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को कुल निवेश का 89.73 *प्रतिशत* प्राप्त हुआ था।

[16] निवेश में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

4.1.4.2 एस पी एस ई द्वारा प्राप्त अनुदान/सब्सिडी

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार से बारह[17] एस पी एस ई को प्राप्त कुल अनुदान/सब्सिडी का विवरण **तालिका-4.1.4** में दिया गया है।

तालिका-4.1.4: एस पी एस ई को प्राप्त अनुदान/सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/सब्सिडी		कुल
	उत्तराखण्ड सरकार से	भारत सरकार से	
2019-20	1,110.63	489.68	1,600.31
2020-21	802.16	310.37	1,112.53
2021-22	1,297.35	158.08	1,455.43
कुल	***3,210.14***	***958.13***	***4,168.27***

स्रोत: एस पी एस ई से प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरण और सूचना।

पेयजल निगम को 2019-20 से 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार से ₹ 2,560.47 करोड़ (कुल अनुदान/ सब्सिडी का 61.43 *प्रतिशत*) की बड़ी अनुदान राशि प्राप्त हुई (बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ₹ 2,299.47 करोड़ और राजस्व व्यय के लिए ₹ 261.00 करोड़)। इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भारत सरकार की स्मार्ट सिटी विकास योजना के लिए ₹ 381.50 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 187.50 करोड़ और उत्तराखण्ड सरकार: ₹ 194.00 करोड़) का अनुदान प्राप्त हुआ; उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) को ₹ 682.22 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ (भारत सरकारः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, आर ए पी डी आर पी और सौभाग्य योजना के लिए ₹ 654.80 करोड़ और उत्तराखण्ड सरकार: ₹ 27.42 करोड़); डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को ₹ 332.67 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई। (उत्तराखण्ड सरकार: किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए ₹ 317.53 करोड़ एवं और डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड को भारत सरकार से ₹ 15.14 करोड़ निर्यात चीनी सब्सिडी और बफर स्टॉक सब्सिडी के रूप में)। उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और

[17] यू पी सी एल, यू जे वी एन एल, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पेयजल निगम, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और प्लास्टिक पार्क लिमिटेड।

औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को ₹ 174.11 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई (उत्तराखण्ड सरकार: मेगा औद्योगिक और निवेश नीति-2015 और मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति- 2014 के अतंर्गत ₹ 87.52 करोड़ और भारत सरकार: औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए ₹ 86.59 करोड़)। शेष छः अन्य एस पी एस ई[18] को भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार से ₹ 37.30 करोड़ का अनुदान/सब्सिडी प्राप्त हुई।

4.1.4.3 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

एस पी एस ई के अभिलेखों के आँकड़ों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋणों और गारंटियों के आंकड़े, उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाना चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित एस पी एस ई और वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2022 तक 14 एस पी एस ई (13 सरकारी कंपनियां और एक सांविधिक निगम) के संबंध में ऐसे अंतर मौजूद थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-4.1.3*** में वर्णित है और **तालिका-4.1.5** में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका-4.1.5: एस पी एस ई के अभिलेखों की तुलना में उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण और गारंटी

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	क्षेत्र	के अनुसार धनराशि		अंतर
		एस पी एस ई	वित्त लेखे	
इक्विटी	ऊर्जा क्षेत्र	3,517.47	3,502.79	14.68
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य	331.03	300.63	30.40
	योग	***3,848.50***	***3,803.42***	***45.08***
ऋण	ऊर्जा क्षेत्र	551.76	380.04	171.72
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य	373.40	215.47	157.93
	योग	***925.16***	***595.51***	***329.65***
गारंटी	ऊर्जा क्षेत्र	122.21	122.21	0.00
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य	196.50	1.25	195.25
	योग	***318.71***	***123.46***	***195.25***
महायोग		***5,092.37***	***4,522.39***	***569.98***

स्रोत: वर्ष 2021-22 के लिए एस पी एस ई और वित्त लेखों से प्राप्त सूचना।

[18] यू जे वी एन एल (₹ 0.53 करोड़), उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 20.90 करोड़), उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड (₹ 6.78 करोड़), उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.30 करोड़), उत्तराखण्ड वन विकास निगम (₹ 2.00 करोड़) और प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (₹ 6.79 करोड़)।

आंकड़ों में अंतर कई वर्षों से बना हुआ है। अंतरो के मिलान के मुद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित एस पी एस ई और विभागों के साथ भी उठाया गया, हालांकि, इस संबंध में कार्रवाई अभी भी प्रतीक्षित है। तीन ऊर्जा क्षेत्र के एस पी एस ई[19] और ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त चार[20] अन्य एस पी एस ई के संबंध में शेष राशि में बड़ा अंतर देखा गया, जैसा कि ***परिशिष्ट-4.1.3*** में वर्णित है।

4.1.4.4 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2021-22 के दौरान, एस पी एस ई के विनिवेश/ पुनर्गठन/ निजीकरण का कोई मामला सामने नहीं आया। उत्तराखण्ड सरकार ने एस पी एस ई में निवेश की गई राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश पर कोई नीति तैयार नहीं की है।

4.1.5 एस पी एस ई से प्रतिफल

4.1.5.1 एस पी एस ई द्वारा अर्जित लाभ

इस रिपोर्ट में शामिल 14 एस पी एस ई[21] में से जिन सात एस पी एस ई ने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया, उन्होंने 2021-22 में भी लाभ अर्जित किया। हालाँकि, अर्जित लाभ 2020-21 के ₹ 285.33 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 270.24 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, इन सात एस पी एस ई के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न (आर ओ ई) 2020-21 में 7.29 *प्रतिशत* से घटकर 2021-22 में 6.65 *प्रतिशत* हो गया। अधिकतम लाभ का योगदान देने वाले चार एस पी एस ई का विवरण **तालिका-4.1.6** में दिया गया है।

तालिका-4.1.6: शीर्ष चार एस पी एस ई जिन्होंने 2021-22 के दौरान अधिकतम लाभ का योगदान दिया

एस पी एस ई का नाम	शुद्ध अर्जित लाभ *(₹ करोड़ में)*	सात एस पी एस ई के कुल लाभ में लाभ का *प्रतिशत*
यू जे वी एन एल	121.86	*45.09*
उत्तराखण्ड वन विकास निगम	93.06	*34.44*
पिटकुल	41.61	*15.40*
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	9.11	3.37
कुल योग	***265.64***	***98.30***

स्रोत: एस पी एस ई के नवीनतम वित्तीय विवरण।

[19] यू पी सी एल, पिटकुल और यू जे वी एन एल।

[20] उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड।

[21] सात एस पी एस ई ने लाभ कमाया; छः एस पी एस ई को घाटा हुआ; और एक एस पी एस ई अर्थात् किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड शून्य लाभ/ हानि के साथ रहा, क्योंकि किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना परिचालन शुरू नहीं किया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, चार एस पी एस ई ने सात एस पी एस ई के कुल लाभ में 98.30 *प्रतिशत* का योगदान दिया। इन सात एस पी एस ई में से यू जे वी एन एल ने सबसे ज्यादा लाभ कमाया।

4.1.5.2 एस पी एस ई की परिचालन दक्षता

ग्यारह एस पी एस ई[22] के संबंध में कर के बाद कुल लाभ/हानि, परिचालन गतिविधियों से आय और अन्य आय का विवरण **तालिका-4.1.7** में दिया गया है।

तालिका-4.1.7: एस पी एस ई की परिचालन दक्षता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
क. परिचालन गतिविधियों से आय (कुल कारोबार)	9,570.53	9,187.70	9,171.31
ख. अन्य आय	200.98	211.38	249.15
ग. लाभ/हानि (कर के बाद)	(-)292.26	68.50	53.89
घ. परिचालन दक्षता *प्रतिशत* (ग/कx100)	(-) 3.05	0.75	0.59
ड़. यू पी सी एल को हुयी हानि	(-)577.31	(-)151.75	(-)151.75
च. यू पी सी एल को छोड़कर अन्य एस पी एस ई का लाभ/ हानि (ग-ड़)	285.05	220.25	205.64

स्रोत: एस पी एस ई के नवीनतम वित्तीय विवरण।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 11 एस पी एस ई का, 0.59 *प्रतिशत* की परिचालन दक्षता के साथ कुल लाभ/हानि, ₹ 9,171.31 करोड़ की परिचालन गतिविधियों से आय के सापेक्ष, ₹ 53.89 करोड़ था। परिचालन दक्षता 2019-20 में (-)3.05 *प्रतिशत* से बढ़कर 2021-22 में 0.59 *प्रतिशत* हो गई है। 11 एस पी एस ई को हुए घाटे एवं अर्जित परिचालन आय में यू पी सी एल का प्रमुख योगदान था। शेष 10 एस पी एस ई की परिचालन दक्षता सकारात्मक रही, जिसमें लाभ में ₹ 285.05 करोड़ (2019-20) से ₹ 205.64 करोड़ (2021-22) तक कमी के साथ घटती प्रवृत्ति देखी गयी। अन्य आय, परिचालन गतिविधियों से प्राप्त आय के 2.10 *प्रतिशत* से 2.72 *प्रतिशत* के बीच थी।

4.1.5.3 विद्युत उत्पादन कंपनियों पर यू पी सी एल का बकाया

यू पी सी एल (एकमात्र वितरण लाइसेंसधारी) उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा के वितरण और खुदरा आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य पी एस यू और केंद्रीय पी एस यू से विद्युत की खरीद **तालिका-4.1.8** में दी गई है।

[22] तीन एस पी एस ई (किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड और देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड) की परिचालन गतिविधियों से कोई आय नहीं थी, इसलिए उन्हें बाहर रखा गया।

तालिका-4.1.8: विद्युत उत्पादन कंपनियों पर यू पी सी एल का बकाया

(₹ करोड़ में)

विद्युत की क्षेत्रवार खरीद	01 अप्रैल 2019 तक बकाया राशि का प्रारंभिक शेष	2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान देय भुगतान	2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बकाया के विरुद्ध भुगतान किया गया	31 मार्च 2022 को बकाया राशि का अंतिम शेष
केंद्र के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम[23]	378.66	4,475.78	4,712.98	141.46
राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम[24]	966.48	1,887.60	2,234.40	619.68
योग	***1,345.14***	***6,363.38***	***6,947.38***	***761.14***

स्रोत: एस पी एस ई द्वारा दी गई सूचना।

उपरोक्त से देखा जा सकता है, यू पी सी एल ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य सार्वजनिक उपक्रम और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम से ₹ 6,363.38 करोड़ की विद्युत क्रय की गयी। 31 मार्च 2022 तक, राज्य सार्वजनिक उपक्रम (81.41 *प्रतिशत*) और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (18.59 *प्रतिशत*) के विरुद्ध ₹ 761.14 करोड़ बकाया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान, यू पी सी एल ने धन की कमी के कारण ₹ 98.69 करोड़[25] के भुगतान में चूक की, हालांकि, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोई चूक नहीं हुई।

4.1.5.4 एस पी एस ई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

उत्तराखण्ड सरकार ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके अतंर्गत एस पी एस ई को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम रिटर्न का भुगतान करना हो। एस पी एस ई द्वारा भुगतान/घोषित किया गया लाभांश, जहां उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी का निवेश किया गया था, **तालिका-4.1.9** दर्शाया गया है।

तालिका-4.1.9: एस पी एस ई द्वारा लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लाभांश घोषित करने वाले एस पी एस ई की संख्या	प्रदत्त पूंजी	शुद्ध लाभ	घोषित लाभांश
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2019-20	2	1,829.06	220.35	16.94
2020-21	2	1,941.65	178.56	44.87
2021-22	2	2,007.56	163.47	35.00

स्रोत: एस पी एस ई का नवीनतम वित्तीय विवरण।

[23] एन टी पी सी, एन पी सी एल, एन एच पी सी, एस जे वी एन एल, और टी एच डी सी।

[24] उरेडा एवं यू जे वी एन एल।

[25] एन टी पी सी, यू जे वी एन एल और एस जे वी एन एल।

2019-20 से 2021-22 के दौरान, यू जे वी एन एल और पिटकुल ने लाभांश का भुगतान/घोषणा किया। यू जे वी एन एल और पिटकुल ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी प्रतिधारित आय पर क्रमशः 2.42 *प्रतिशत* और 1.71 *प्रतिशत* की दर से लाभांश का भुगतान/घोषणा किया। किसी भी अन्य एस पी एस ई ने लाभांश की घोषणा/ भुगतान नहीं किया था।

4.1.6 ऋण भुगतान

4.1.6.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात से पता चलता है कि कम्पनी ब्याज पर होने वाले अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। जिन एस पी एस ई पर ब्याज का भार था, उनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका-4.1.10** में दिया गया है।

तालिका-4.1.10: एस पी एस ई का ब्याज व्याप्ति अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर से पहले की आय	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देनदारी वाले एस पी एस ई की संख्या	एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2019-20	257.15	(-)92.10	8[26]	5[27]	3[28]
2020-21	297.37	301.67	8	4[29]	4[30]
2021-22	291.08	280.31	8	4[31]	4[32]

स्रोत: एस पी एस ई का नवीनतम वित्तीय विवरण।

[26] ब्रिडकुल भी शामिल है जिसने वर्ष 2019-20 के दौरान अपना ₹ तीन करोड़ का ऋण चुकाया।

[27] पिटकुल, यू जे वी एन एल, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड , ब्रिडकुल और उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

[28] यू पी सी एल, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड और पेयजल निगम।

[29] पिटकुल, यू जे वी एन एल, ब्रिडकुल और उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

[30] यू पी सी एल, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और पेयजल निगम।

[31] पिटकुल, यू जे वी एन एल, ब्रिडकुल, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

[32] यू पी सी एल, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और पेयजल निगम।

2021-22 के दौरान, चार एस पी एस ई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था और चार एस पी एस ई का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इसलिए, एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले एस पी एस ई, अपनी ब्याज देनदारी को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

4.1.6.2 उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर भुगतान न किए गए ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण

31 मार्च 2022 तक, चार एस पी एस ई के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋण पर ₹ 469.90 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। एस पी एस ई द्वारा उत्तराखण्ड सरकार ऋणों पर अदत्त ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण **तालिका-4.1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.1.11: उत्तराखण्ड सरकार के ऋण पर अदत्त ब्याज

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	ऋणों पर कुल अदत्त ब्याज	वर्ष के हिसाब से विश्लेषण		
		एक वर्ष से कम समय से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	1 से 3 वर्षों तक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	तीन वर्ष से अधिक समय से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड,	251.84	21.29	42.58	187.97
किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	205.44	18.35	36.70	150.39
यू जे वी एन एल	8.21	2.09	6.12	-
उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	4.41	0.88	2.57	0.96
महायोग	***469.90***	***42.61***	***87.97***	***339.32***

स्रोत: एस पी एस ई द्वारा दी गई सूचना।

31 मार्च 2022 तक ₹ 469.90 करोड़ के कुल अदत्त ब्याज में से, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड द्वारा ₹ 250.46 करोड़ के कुल ऋण के सापेक्ष ₹ 457.28 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। 2001-02 से 2015-16 (डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड) और 2002-03 से 2018-19 (किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड) के दौरान ऋण प्राप्त होने के बाद से ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इन दोनों एस पी एस ई ने अपना ऋण भी नहीं चुकाया था। यू जे वी एन एल ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया।

4.1.7 एस पी एस ई का प्रदर्शन

4.1.7.1 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदत्ता और उसकी पूंजी नियोजित करने की दक्षता को मापता है। आर ओ सी ई की गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूंजी[33] से विभाजित करके की जाती है। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान 14 एस पी एस ई के आर ओ सी ई का विवरण **तालिका-4.1.12** में दिया गया है।

तालिका-4.1.12: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज और कर से पहले की आय	नियोजित पूंजी	आर ओ सी ई *(प्रतिशत में)*
2019-20	9.18	4,307.27	*0.21*
2020-21	401.62	5,454.17	*7.36*
2021-22	380.91	5,643.06	*6.75*

स्रोत: एस पी एस ई का नवीनतम वित्तीय विवरण।

जैसा कि देखा जा सकता है, 2019-20 से 2020-21 तक आर ओ सी ई बढ़कर 7.15 *प्रतिशत* हो गया। हालाँकि, 2020-21 से 2021-22 में इसमें 0.61 *प्रतिशत* की कमी आई। 2020-21 में आर ओ सी ई में वृद्धि का मुख्य कारण यू पी सी एल की ब्याज और करों से पहले की आय में ₹ 427.35 करोड़[34] का सुधार था, जबकि यू जे वी एन एल की ब्याज और करों से पहले की आय में ₹ 21.36 करोड़[35] की कमी के कारण 2020-21 की तुलना में 2021-22 में आर ओ सी ई में मामूली कमी आई।

4.1.7.2 एस पी एस ई द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिससे यह आकलन किया जाता है कि किसी कम्पनी की संपत्ति का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आर ओ ई की गणना शुद्ध आय (यानी करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि[36] से विभाजित करके की जाती है। इसे *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कम्पनी के

---

[33] नियोजित पूंजी = भुगतान की गई शेयर पूंजी + नि:शुल्क आरक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।

[34] 2019-20 में ब्याज और कर से पहले की आय (-) ₹ 447.57 करोड़ से 2020-21 में (-) ₹ 20.22 करोड़।

[35] 2020-21 में ब्याज और कर से पहले की आय ₹ 190.77 करोड़ से 2021-22 में ₹ 169.41 करोड़।

[36] शेयरधारकों का कोष = प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर।

लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं।

शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि यदि सभी सम्पत्तियां बेच दी जाएँ और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो कम्पनी के हितधारकों के लिए कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारक की निधि से पता चलता है कि कम्पनी के पास अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी का अर्थ है कि देनदारियां संपत्ति से अधिक हैं।

एस पी एस ई से सम्बन्धित कुल शुद्ध आय, शेयरधारकों की निधि और आर ओ ई का विवरण **तालिका-4.1.13** में दिया गया है।

तालिका-4.1.13: एस पी एस ई से सम्बन्धित इक्विटी पर प्रतिफल जहां राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया था

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**शुद्ध आय**	**शेयरधारकों का कोष**	**आर ओ ई *(प्रतिशत में)***
2019-20	(-) 292.26	469.90	*-*[37]
2020-21	68.50	539.23	*12.70*
2021-22	53.89	685.80	*7.86*

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, एस पी एस ई की शुद्ध आय 2019-20 में (-)₹ 292.26 करोड़ की तुलना में 2020-21 में सकारात्मक (₹ 68.50 करोड़) हो गई। परिणामस्वरूप, 2020-21 में आर ओ ई 12.70 *प्रतिशत* था। हालाँकि, शुद्ध आय में कमी और शेयरधारक की निधि में वृद्धि के कारण 2021-22 में आर ओ ई में 4.84 *प्रतिशत* की कमी आई।

4.1.7.3 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आर ओ आर आर)

आर ओ आर आर उस लाभप्रदता और दक्षता को जिसके साथ इक्विटी और इसी तरह की गैर-ब्याज वाली पूंजी को नियोजित किया गया है, का मापन उनके समय/वर्तमान मूल्य का समायोजन करते हुए करती है और जब इसकी तुलना परंपरागत प्रतिफल की दर, जिसकी गणना सभी ऐतिहासिक लागत पर निवेशों के योग से कर के बाद लाभ को विभाजित करके की जाती है तो इसका महत्व माना जाता है।

14 एस पी एस ई में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश की आर ओ आर आर की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

[37] काम नहीं किया गया, क्योंकि शुद्ध आय ऋणात्मक है।

- इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान के रूप में एस पी एस ई में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पूंजी के वास्तविक निवेश और एस पी एस ई को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए दी गई सब्सिडी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश माना गया है।
- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी ऋण की औसत ब्याज दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था, ताकि समय/वर्तमान मूल्य निकाला जा सके, क्योंकि यह उस वर्ष के लिए सरकारी निधि के निवेश पर होने वाली लागत को दर्शाता हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर माना गया।
- उत्तराखण्ड सरकार के निवेश की आर ओ आर आर गणना के लिए, 31 मार्च 2001 को 2000-01 की शुरुआत में उत्तराखण्ड सरकार निवेश के समय/वर्तमान मूल्य के रूप में इन 14 एस पी एस ई में निवेश को ध्यान में रखते हुए 2000-01 से 2021-22 तक की अवधि ली गयी है।

2000-01 से 31 मार्च 2022 तक 14 एस पी एस ई से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के निवेश के आर ओ आर आर की समेकित स्थिति **तालिका-4.1.14** में दर्शाई गई है।

तालिका-4.1.14: सरकारी निवेश पर आर ओ आर आर के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का पी.वी	वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी निवेश	वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया गया	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	उत्तराखण्ड सरकार उधार पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत में*)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का समय/वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत वसूल करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल आय
क	ख	ग	घ	ङ	च=ग+घ+ङ	छ=ख+च	ज	झ=छx (1+ज/100)	ञ=छxज/100	ट
OB		17.54	0.00	0.00	17.54	17.54	0.00	17.54		
2001-02	17.54	16.00	0.00	0.00	16.00	33.54	8.36	36.34	2.80	-30.06
2002-03	36.34	1.20	1.00	0.00	2.20	38.54	10.40	42.55	4.01	-13.80
2003-04	42.55	0.00	0.00	0.25	0.25	42.80	8.51	46.45	3.64	-34.73
2004-05	46.45	169.66	0.00	0.40	170.06	216.51	9.10	236.21	19.70	-180.75
2005-06	236.21	241.64	0.00	1.58	243.22	479.43	7.47	515.24	35.81	-125.29
2006-07	515.24	119.98	-0.25	1.00	120.73	635.97	7.79	685.51	49.54	-180.25
2007-08	685.51	229.20	0.00	0.00	229.20	914.71	7.99	987.80	73.09	-206.65

क	ख	ग	घ	ङ	च=ग+घ+ङ	छ=ख+च	ज	झ=छx (1+ज/100)	ञ=छxज/100	ट
2008-09	987.80	72.08	0.00	3.35	75.43	1,063.23	7.75	1,145.63	82.40	-347.35
2009-10	1,145.63	697.83	0.00	9.18	707.01	1,852.64	7.64	1,994.18	141.54	-543.10
2010-11	1,994.18	31.78	0.00	0.12	31.90	2,026.08	7.34	2,174.79	148.71	-196.78
2011-12	2,174.79	42.78	0.00	0.00	42.78	2,217.57	7.83	2,391.21	173.64	5.33
2012-13	2,391.21	517.30	0.00	0.00	517.30	2,908.51	8.50	3,155.73	247.22	8.80
2013-14	3,155.73	258.80	0.00	0.29	259.09	3,414.82	7.57	3,673.33	258.50	339.32
2014-15	3,673.33	171.25	0.00	0.35	171.60	3,844.93	7.73	4,142.14	297.21	-134.66
2015-16	4,142.14	208.54	8.00	19.60	236.14	4,378.28	8.19	4,736.86	358.58	155.53
2016-17	4,736.86	130.01	0.00	12.96	142.97	4,879.83	8.91	5,314.62	434.79	-175.02
2017-18	5,314.62	53.15	0.00	61.21	114.36	5,428.98	8.27	5,877.96	448.98	-136.60
2018-19	5,877.96	193.01	0.00	232.01	425.02	6,302.98	8.15	6,816.68	513.69	-464.53
2019-20	6,816.68	133.34	0.00	220.90	354.24	7,170.92	7.26	7,691.53	520.61	-292.26
2020-21	7,691.53	147.58	0.00	206.30	353.88	8,045.41	6.83	8,594.91	549.50	68.50
2021-22	8,594.91	100.91	0.00	185.50	286.41	8,881.32	6.55	9,463.05	581.73	53.89
योग		***3,553.58***	***8.75***	***955.00***	***4,517.33***					

स्रोत: एस पी एस ई से प्राप्त वित्तीय विवरण और सूचना के अनुसार।

उपरोक्त से देखा जा सकता है, इन एस पी एस ई में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गयी राशि 2000-01 में ₹ 17.54 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,517.33 करोड़[38] हो गयी क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार ने 2001-02 से 2021-22 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹ 3,536.04 करोड़), ब्याज मुक्त ऋण (₹ 8.75 करोड़) और अनुदान/ सब्सिडी (₹ 955.00 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2022 तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गयी निधि का समय/ वर्तमान मूल्य ₹ 9,463.05 करोड़ था।

2013-14 के दौरान, इन 14 एस पी एस ई की आय आर ओ आर आर से अधिक थी। शेष वर्षों में आय आर ओ आर आर से कम थी, जिसका मुख्य कारण डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और यू पी सी एल को हुयी हानि थी। दो एस पी एस ई अर्थात् पिटकुल और यू जे वी एन एल ने उत्तराखण्ड राज्य में एकमात्र पावर-पारेषण कम्पनी (पिटकुल) और प्रमुख पावर-जनरेटर (यू जे वी एन एल) होने के कारण बाजार में अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के कारण वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित किया।

---

38 ₹ 4517.33 करोड़ = ₹ 3553.58 करोड़ (इक्विटी) + ₹ 8.75 करोड़ (ब्याज मुक्त ऋण) + ₹ 955.00 करोड़ (परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान/ सब्सिडी) ।

4.1.8 एस पी एस ई को हो रही हानि

4.1.8.1 उठाए गई हानि

इस अध्याय में 14 एस पी एस ई में से छः एस पी एस ई[39] शामिल थे, जिनके 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त उनके नवीनतम अंतिम लेखों (अर्थात मार्च 2022 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों से सम्बन्धित कम से कम एक खाता) के अनुसार हानि हुई थी। इन एस पी एस ई द्वारा की गई हानि 2019-20 में ₹ 631.74 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 216.35 करोड़ हो गयी जैसा कि **तालिका-4.1.15** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.1.15: घाटे में रहने वाले एस पी एस ई का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	घाटे में चल रहे एस पी एस ई की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य[40]
2019-20	04[41]	(-) 631.74	(-) 4,366.67	(-) 2,915.66
2020-21	06[42]	(-) 216.83	(-) 4,881.80	(-) 3,382.40
2021-22	06[43]	(-) 216.35	(-) 4,882.64	(-) 3,383.24

2021-22 में, छः एस पी एस ई द्वारा किए गए ₹ 216.35 करोड़ की कुल हानि में से, अकेले यू पी सी एल की हानि ₹ 151.75 करोड़ की थी। यू पी सी एल के संबंध में, घाटे का मुख्य कारण औसत लागत ₹ 4.97 प्रति यूनिट के सापेक्ष ₹ 4.86 प्रति यूनिट की राजस्व वसूली थी। जहां तक डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड व किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड का संबंध है, हानि का मुख्य कारण ₹ 39.89 करोड़ की महत्वपूर्ण वित्त लागत (कुल हानि ₹ 42.72 करोड़ का 93 *प्रतिशत*) थी।

4.1.8.2 एस पी एस ई में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2022 तक, ₹ 4,907.48 करोड़ के संचित हानि के साथ सात एस पी एस ई[44] थे, जिनमें से छः एस पी एस ई[45] को वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 216.35 करोड़ की

---

39 उ पा कॉ लि, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि, डी एस सी एल, कि सु कं लि, पेयजल निगम और डो सु कं लि।

40 निवल मूल्य = प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त भंडार और अधिशेष घटाकर संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय। मुक्त भंडार का मतलब मुनाफे और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार हैं, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यह्रास प्रावधान को वापस लिखने से बनाए गए भंडार शामिल नहीं हैं।

41 उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि और पेयजल निगम।

42 उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, दे स्म सि लि, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि और पेयजल निगम।

43 उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, दे स्म सि लि, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि और पेयजल निगम।

44 उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, डी एस सी एल, उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि और पेयजल निगम और उ सी त डे कॉ लि।

45 उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, डी एस सी एल और उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि।

हानि हुई। इसके अतिरिक्त, एक एस पी एस ई अर्थात् यू के टी डी सी को 2021-22 के दौरान हानि नहीं हुई थी, हालांकि उसकी संचित हानि ₹ 24.84 करोड़ थी।

इन सात एस पी एस ई की निवल संपत्ति संचित हानि के कारण पूरी तरह समाप्त हो गई है और उनकी निवल संपत्ति नकारात्मक थी। 31 मार्च 2022 तक, इन एस पी एस ई की कुल संपत्ति ₹ 1,503.48 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष (-) ₹ 3,404.00 करोड़ थी। सात एस पी एस ई में से, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई है, एक एस पी एस ई अर्थात् यू के टी डी सी ने 2021-22 के दौरान ₹ 2.57 करोड़ का लाभ कमाया था। सात एस पी एस ई में से पांच[46] में, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई है, 31 मार्च 2022 तक उत्तराखण्ड सरकार का बकाया ऋण ₹ 295.66 करोड़ था।

4.1.9 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सी ए जी को पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणियां जारी करने या पूरक करने का अधिकार है। कुछ निगमों को नियंत्रित करने वाले संविधियों के अनुसार उनके लेखों की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाए और लेखापरीक्षित लेखों और प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल को प्रस्तुत की जाए।

4.1.10 सी ए जी द्वारा एस पी एस ई के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर सी ए जी द्वारा नियुक्त किया जाना है। वर्ष 2021-22 के लिए इन कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सी ए जी द्वारा की गई थी।

4.1.11 एस पी एस ई द्वारा लेखे प्रस्तुत करना

4.1.11.1 वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कम्पनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक[47] के तीन

[46] उ पा कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, पेयजल निगम और उ सी त डे कॉ लि।

[47] पहली वार्षिक आम बैठक के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी।

महीने के भीतर तैयार की जानी है। ऐसी तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके पूरक के रूप में सी ए जी की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उनके विचार के लिए उक्त वार्षिक आम बैठक में रखा जाना चाहिए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर अर्थदण्ड और कारावास जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान है।

विभिन्न एस पी एस ई के वार्षिक लेखे 30 सितंबर 2022 तक बकाया थे, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तर में बताया गया है।

4.1.11.2 सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखा तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2022 तक, सी ए जी के लेखापरीक्षा के दायरे में 28 सरकारी कंपनियाँ थीं। हालाँकि, केवल दो सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2022 तक सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे तैयार और प्रस्तुत किए थे। 19 सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण **तालिका-4.1.16** में दिया गया है।

तालिका-4.1.16: सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण	संख्या
31 मार्च 2022 तक सी ए जी के लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	28
30 सितंबर 2022 तक लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021-22 के लेखे प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	02[48]
उन कंपनियों की संख्या जो परिसमापन के अधीन थीं	07[49]

[48] यू जे वी एन एल और उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

[49] यू पी ए आई, उ प्र डि लि, कुमट्रॉन, हिलट्रॉन उ प्र हि फ़ो लि, उ प्र हि क्वा लि और ग अ ज वि नि लि।

विवरण		संख्या
उन कंपनियों की संख्या जिनके लेखे बकाया थे		19
19 कंपनियों के संबंध में बकाया वार्षिक लेखों की संख्या		130
बकाया का विवरण	(i) निष्क्रिय (दो कंपनियाँ अर्थात् टी सी एल और के ए जे वी एन एल)	57
	(ii) सक्रिय (17 कंपनियाँ)	73
'अन्य' श्रेणी के विरुद्ध बकाया का वर्ष-वार विश्लेषण		
एक-वर्षी (2021-22) लेखे - नौ कंपनियाँ[50]		09
दो वर्ष (2020-21 और 2021-22) - दो कंपनियां[51]		04
तीन वर्ष और अधिक - छः कंपनियां[52]		60

राज्य में नौ निष्क्रिय कंपनियां (परिसमापन के अतंर्गत सात सहित) हैं, जहां दो निष्क्रिय कंपनियों के लेखों का बकाया 22 से 35 वर्षों के बीच है। उत्तराखण्ड सरकार ने इन नौ निष्क्रिय कंपनियों में ₹ 37.31 करोड़ (इक्विटी ₹ 12.28 करोड़ और ऋण ₹ 25.03 करोड़) का निवेश किया था। यह एक गंभीर क्षेत्र है क्योंकि इन निष्क्रिय कंपनियों में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं देता है और राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है ***(परिशिष्ट-4.1.1)***।

इसके अतिरिक्त, 17 सक्रिय कंपनियां थीं**,** जिनके 73 वार्षिक लेखे 30 सितंबर 2022 तक एक वर्ष से 17 वर्षों तक बकाया थे। लेखों की बकाया अवधि के दौरान**,** उत्तराखण्ड सरकार ने नौ कंपनियों में ₹ 368.14 करोड़ (अनुदान/सब्सिडी: ₹ 314.56 करोड़, इक्विटी ₹ 44.08 करोड़**,** ऋण: ₹ 9.50 करोड़) का निवेश किया था। जबकि सात कंपनियों में बकाया लेखों की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया। एक कम्पनी[53] ने न तो कोई जानकारी दी थी और न ही अपना पहला लेखा तैयार/प्रस्तुत किया था। कंपनियों के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के अभाव में, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया निवेश लेखापरीक्षा और राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा ***(परिशिष्ट-4.1.4)***।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ने इन कंपनियों के लेखों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के साथ नियमित पत्राचार किया।

इसके अतिरिक्त, 31 जनवरी 2022 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई और इसमें सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड सरकार के साथ-साथ एस पी एस ई के

50 उ प वि नि नि लि, उ पा कॉ लि, पिटकुल, दे स्म सि लि, कि कॉ लि, डो सु कं लि, कि सु कं लि, उ पू सै क नि लि और उ सी त डे कॉ लि।

51 सि प्ला पा लि और स्टे इं इं डे कॉ उ लि।

52 स्टे इ इं डे कॉ उ लि, कु मं वि नि लि, ग मं वि नि लि, उ अ क व वि नि, उ ई टी डे कॉ और उ ब वि वि नि लि।

53 उत्तराखण्ड अल्पसंख्या कल्याण वक्फ विकास निगम।

एमडी/निदेशक (वित्त) ने भाग लिया, जिसमें सचिव (वित्त) द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि एस पी एस ई के बकाया लेखों को तैयार/प्रस्तुत करने का कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

4.1.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

चार सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाती है। 30 सितंबर 2022 तक किसी भी सांविधिक निगम ने लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखे तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किए। 30 सितंबर 2022 तक इन सांविधिक निगमों के बारह लेखे एक से छः वर्ष की अवधि के लिए बकाया थे।

लेखों के बकाया की अवधि के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने तीन सांविधिक निगमों में ₹ 1,124.66 करोड़ (अनुदान/सब्सिडी: ₹ 1,030.31 करोड़, ऋण: ₹ 94.35 करोड़) का निवेश किया था, जबकि एक सांविधिक निगम में कोई और निवेश नहीं किया गया था। सांविधिक निगम के लेखों को अंतिम रूप देने के अभाव में, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया निवेश लेखापरीक्षा और राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहा।

4.1.12 सी ए जी की निगरानी - लेखों की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

4.1.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। सांविधिक निगमों को अपने लेखे सी ए जी के परामर्श से बनाए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखों से सम्बन्धित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अतंर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने की आवश्यकता होती है।

4.1.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अतंर्गत सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सी ए जी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक निगरानी भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से

निर्वहन करते हैं। इस कार्य को शक्ति का प्रयोग करके निर्वहन किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अतंर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अतंर्गत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी।

4.1.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अतंर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अतंर्गत सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं सी ए जी द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अतंर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अतंर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी ए जी को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा सी ए जी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। इस तरह की समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अतंर्गत वार्षिक आम बैठक के समक्ष रखा जाता है।

4.1.13 सी ए जी की निगरानी भूमिका का परिणाम

4.1.13.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अतंर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

01 दिसंबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान नौ सरकारी कंपनियों[54] से वर्ष 2021-22 और पिछले वर्षों के लिए नौ वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। जिनमें से, एस पी एस ई के सात वित्तीय विवरणों की सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा

---

[54] दे स्म सि लि, पिटकुल, कि सु कं लि, डो सु कं लि, यू के टी डी सी, उ प वि नि नि लि, यू जे वी एन एल, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड और ग मं वि नि लि।

की गई और शेष दो[55] वित्तीय विवरणों के संबंध में समीक्षा न करने का निर्णय लिया गया। समीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित प्रस्तर में विस्तृत हैं:

4.1.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2021-22 और पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, सी ए जी ने सात सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 81.51 करोड़ और परिसंपत्तियों/ देनदारियों पर ₹ 102.90 करोड़ था, जैसा कि **तालिका-4.1.17** में विस्तृत है।

तालिका-4.1.17: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	यू जे वी एन एल (2021-22)	अ. लाभ एवं हानी खाता में हाउसकीपिंग व्यय (₹ 2.72 करोड़) और निर्माणाधीन परियोजना अर्थात व्यासी परियोजना (₹ 5.97 करोड़) के बीमा कवर की खरीद पर किए गए व्यय की बुकिंग के कारण प्रगतिशील पूंजीगत कार्य एवं लाभ को खातों में ₹ 8.69 करोड़ अधिक बताया गया ब. यू ई आर सी के निर्देशों के अनुसार यू पी सी एल (₹ 62.97 करोड़) और एच पी एस ई बी (₹ 8.66 करोड़) को देय राशि के लिए लेखों में प्रावधान नहीं करने के कारण अन्य वित्तीय देनदारियां कम बताई गईं, और लाभ ₹ 71.63 करोड़ से अधिक बताया गया। स. जनवरी से मार्च 2022 की अवधि के दौरान व्यासी परियोजना (₹ 4.64 करोड़) और मनेरी भाली-I (₹ 0.60 करोड़) पर किए गए व्यय ₹ 5.24 करोड़ का प्रावधान न होने के कारण पूंजीगत कार्य-प्रगति के साथ-साथ अन्य वर्तमान देनदारियां कम बताई गईं साथ ही लेखों में नहीं डाला गया।
2.	पिटकुल (2020-21)	पूंजीगत कार्य-प्रगति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया और संपत्ति संयंत्र और उपकरण को पूर्ण संपत्तियों के कारण कम बताया गया, जिसकी ₹ 6.44 करोड़ (400 केवी रूड़की-मुजफ्फरनगर लाइन ₹ 5.27 करोड़ और 400 केवी ऋषिकेश-नहतौर लाइन ₹ 1.17 करोड़) की राशि लेखों में पूंजीकृत नहीं की गई।
3.	डी ओ एस सी एल (2020-21)	₹ 2.25 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति के सापेक्ष ₹ 2.86 करोड़ प्राप्य सब्सिडी की अधिक बुकिंग के कारण अन्य चालू परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया और हानि को ₹ 61 लाख से कम बताया गया।

[55] यू के टी डी सी, कि सु कं लि।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
4.	डी ई एस सी एल (2020-21)	अ) परामर्श शुल्क, विज्ञापन व्यय आदि से सम्बन्धित खर्चों का प्रावधान लेखों में नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप अल्पकालिक प्रावधानों और व्यय को कम बताया गया और अन्य दीर्घकालिक देनदारियों को ₹ 1.48 करोड़ से अधिक बताया गया। ब) लाभ और हानि लेखे में लगाए गए मूल्यह्रास की सीमा तक प्रशासनिक और परिचालन व्यय (ए एंड ओई) के प्रतिकूल प्राप्त अनुदान को "अन्य आय" के रूप में नहीं दर्शाने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए "अन्य आय" और हानि को कम और अन्य दीर्घकालिक देनदारियां (अप्रयुक्त अनुदान) को ₹ 58 लाख से अधिक दर्शाया गया।
5.	यू पी डी सी सी एल (2020-21)	लेखों में नमामि गंगे योजना के अतंर्गत "हर की पौड़ी, हरिद्वार के नवीनीकरण" के लिए 31 मार्च 2021 तक किए गए कार्यों से सम्बन्धित खर्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अन्य वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ प्रगति पर पूंजीगत कार्य को ₹ 8.23 करोड़ से कम करके दिखाया गया था।

4.1.13.3 सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

चार सांविधिक निगमों[56] की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाती है। 01 दिसंबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान तीन[57] वैधानिक निगमों से पिछले वर्षों के छः[58] वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा में सांविधिक निगमों के सभी छः वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई।

सी ए जी द्वारा सांविधिक निगमों के लेखों पर जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनकी परिसंपत्तियों/ देनदारियों पर ₹ 177.40 करोड़ लाभप्रदता पर ₹ 98.55 करोड़ का वित्तीय प्रभाव है, का विवरण **तालिका-4.1.18** में दिया गया है।

तालिका-4.1.18: सांविधिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	यू एस डबल्यू सी (2015-16 से 2017-18)	अ. आस्थगित राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण आस्थगित राजस्व व्यय को कम करके बताया गया और ऋण और अग्रिम को ₹ 29 लाख से अधिक बताया गया। ब. लेखों में अवकाश नकदीकरण और महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम बताया गया और लाभ को ₹ 22 लाख से अधिक बताया गया।
2	उ. व. वि. नि. (2019-20)	अ. लेखों में छठे और सातवें वेतन आयोग के बकाए का प्रावधान न करने के कारण वर्तमान देनदारियां और प्रावधान कम बताए गए और

56 उ प नि, उ व वि नि और पेयजल निगम के मामले में, सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है जबकि उ रा भ नि के मामले में, सी ए जी ने सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणियां जारी कीं।

57 उ व वि नि, उ रा भ नि और पेयजल निगम।

58 उ व वि नि (2019-20), उ रा भ नि (2015-16 to 2017-18) और पेयजल निगम (2019-20 to 2020-21)।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणियाँ
		लाभ ₹ 1.98 करोड़ अधिक बताया गया। ब. चारदीवारी के निर्माण के लिए देय राशि का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान और साथ ही अचल संपत्तियाँ ₹ 59 लाख से कम बताई गईं । स. 1983-84 से 2003-04 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रभागीय बिक्री प्रबंधक इकाइयों में देखी गई ₹ 1.42 करोड़ की सामग्री की कमी के लिए प्रावधान नहीं करने के कारण और पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के विरुद्ध ₹ 1.99 करोड़ की सामग्री की कमी के लंबित मामले के परिणामस्वरूप हानि के प्रावधान को ₹ 3.41 करोड़ कम करके बताया गया एवं लाभ को अधिक बताया गया।
3	उत्तराखण्ड पेयजल निगम (2019-20 2020-21)	**2019-20** अ. वर्तमान देनदारियों शीर्ष के अतंर्गत विभिन्न पक्षों /योजनाओं को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को नकारात्मक शेष के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों को ₹ 40.66 करोड़ कम बताया गया। ब. ठेकेदारों को देय राशि का प्रावधान लेखों में नहीं किए जाने के कारण वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ कार्य-प्रगति को ₹ 4.97 करोड़ कम करके दिखाया गया था। स. 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को देय ब्याज के लिए प्रावधान नहीं करने के कारण वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ हानि को ₹ 44.11 करोड़ कम दिखाया गया था। द. सेंटेज से आय का लेखा-जोखा न करने के परिणामस्वरूप आय को अधिक और हानि को ₹ 40 लाख कम बताया गया। **2020-21** अ. वर्तमान देनदारियों के अतंर्गत विभिन्न पक्षों/योजनाओं को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को नकारात्मक शेष के रूप में दर्शाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों में ₹ 19.20 करोड़ की कमी बताई गई। ब. ठेकेदारों को देय राशि का प्रावधान लेखों में नहीं किए जाने के कारण वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ कार्य-प्रगति को ₹ 14.71 करोड़ कम करके दिखाया गया था। स. 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को देय ब्याज के लिए प्रावधान नहीं करने के कारण वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ हानि ₹ 47.26 करोड़ कम बताया गया था। द. सेंटेज से आय का हिसाब न देने के परिणामस्वरूप आय कम बताई गई और हानि ₹ 1.17 करोड़ अधिक बताया गया।

4.1.14 लेखांकन मानकों/इंड-ए एस के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किए। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियमावली 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानक (इंड-ए एस) अधिसूचित किए थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एस पी एस ई द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन काफी हद तक उचित रहा। यह देखा गया कि वैधानिक लेखापरीक्षकों ने दो[59] लेखों पर लेखांकन मानकों के गैर-अनुपालन के 13 उदाहरणों को इंगित किया और सी ए जी ने अपने पूरक लेखापरीक्षा में, एक[60] लेखे पर लेखांकन मानकों के गैर-अनुपालन का एक उदाहरण और इंड-ए एस के मानकों का गैर-अनुपालन का एक[61] उदाहरण को इंगित किया।

4.1.15 प्रबंधन पत्र

एस पी एस ई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अतंर्गत सी ए जी द्वारा टिप्पणियों के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सी ए जी द्वारा देखी गई अनियमितताएं या कमियां सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित एस पी एस ई के प्रबंधन को भी सूचित किया गया था। 01 दिसंबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान, चार एस पी एस ई अर्थात दे स्म सि लि, पिटकुल, डो सु कं लि और यू जे वी एन एल को प्रबंधन पत्र जारी किए गए। इन प्रबंधन पत्रों में उन कमियों को रेखांकित किया गया है जिन पर प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता थी।

---

[59] ग मं वि नि लि और डो सु कं लि।

[60] डो सु कं लि।

[61] यू जे वी एन एल।

4.1.16 निष्कर्ष

- एस पी एस ई के कारोबार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) से अनुपात पिछले तीन वर्षों में घटती प्रवृत्ति दर्शाता है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एस पी एस ई के घटते योगदान को दर्शाता है।
- सात एस पी एस ई द्वारा अर्जित ₹ 270.24 करोड़ के कुल लाभ में से 98.30 *प्रतिशत* का योगदान चार एस पी एस ई द्वारा किया गया था। लाभ अर्जित करने वाले दो एस पी एस ई ने वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को लाभांश की घोषणा/ भुगतान किया था, हालांकि, पांच अन्य एस पी एस ई ने कोई लाभांश का भुगतान/घोषणा नहीं की थी।
- छः एस पी एस ई द्वारा 2021-22 के दौरान हुए ₹ 216.35 करोड़ की कुल हानि में से, अकेले यू पी सी एल की हानि ₹ 151.75 करोड़ की थी। सात एस पी एस ई की निवल संपत्ति संचित हानि से पूरी तरह से नष्ट हो गई है और उनकी निवल संपत्ति (-)₹ 3,404.00 करोड़ थी। इन सात एस पी एस ई में से पांच एस पी एस ई पर सरकार का ₹ 295.66 करोड़ का ऋण बकाया था।
- एस पी एस ई कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने लेखे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप, 19 सरकारी कंपनियों के 130 वार्षिक लेखे बकाया थे। इसमें दो निष्क्रिय कंपनियों के 57 वार्षिक लेखे शामिल थे। इसके अतिरिक्त चार सांविधिक निगमों के 12 वार्षिक लेखे भी बकाया थे।
- एस पी एस ई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 180.06 करोड़ और संपत्ति/देनदारियों पर ₹ 280.30 करोड़ था।

4.1.17 अनुशंसाएं

राज्य सरकार विचार कर सकती है कि:

- ***लाभ अर्जित करने वाले एस पी एस ई द्वारा योगदान किए जाने वाले लाभांश की न्यूनतम दर निर्दिष्ट करते हुए एक लाभांश नीति तैयार करना;***
- ***यू पी सी एल को व्यवहार्य बनाने के लिए योजना तैयार करना;***
- ***बैकलॉग को निपटाकर एस पी एस ई के वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।***

ऊर्जा विभाग

4.2 "पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

4.2.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली और ग्रिड संचालन का प्रबंधन पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (कम्पनी) मे निहित है। उत्तराखण्ड राज्य में एक एकीकृत और कुशल विद्युत पारेषण तंत्र के लिए योजना बनाने, स्थापित करने, संचालन और रख-रखाव करने के लिए, 27 मई 2004 को पूर्ववर्ती कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनी को निगमित किया गया था। कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए), सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी और उत्पादक कम्पनियों से समन्वय कर अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई जाती है।

31 मार्च 2022 तक कम्पनी की प्रदत अंश पूंजी ₹ 654.88 करोड़ थी, परिचालन से राजस्व ₹ 346.50 करोड़ था और इसने ₹ 43.52 करोड़ के कर के पश्चात लाभ अर्जित किया। कम्पनी के पास एक पारेषण नेटवर्क, जिसमें 3,373.73 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 8,992.50 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम वी ए) की परिवर्तन क्षमता वाले 48 सब-स्टेशन शामिल थे।

4.2.2 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबंधन उत्तराखण्ड सरकार (जी ओ यू) द्वारा नियुक्त निदेशक मण्डल में निहित है, जिसमें एक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और चार निदेशक, परियोजना, संचालन, मानव संसाधन और वित्त शामिल हैं। प्रबंध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।

4.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

- सब-स्टेशनों/पारेषण लाइनों के निर्माण की योजना वास्तविक, सर्वोत्तम और पर्याप्त थी।
- परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर मितव्ययता, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था।
- परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा करने और पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए मजबूत निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद थे।

4.2.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का मूल्यांकन निम्नलिखित स्त्रोतो से प्राप्त लेखापरीक्षा मानदण्डों से किया गया है:

- विद्युत अधिनियम, 2003, सी ई ए 2013 की पारेषण योजना मानदण्ड (एम टी पी सी) की नियमावली, भारतीय विद्युत और राज्य ग्रिड कोड।
- उत्तराखण्ड सरकार के विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश और उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी)/ सी ई ए द्वारा जारी मानदण्ड/ दिशानिर्देश।
- कम्पनी की वार्षिक योजनाएँ, परियोजना की रिपोर्ट, परिपत्र, नियमावली और कंपनी की प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट।
- निदेशक मण्डल की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त; और
- अनुबंध प्रदान करने की मानक प्रक्रियाएं और यू ई आर सी में दायर टैरिफ के प्रस्तावों और उसके आदेश।

4.2.5 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

उत्तराखण्ड सरकार की 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कम्पनी की "पारेषण गतिविधियों" पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी थी। प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई लेकिन कोई अनुशंसा नहीं की गई। चूंकि 10 वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है, इसलिए, कम्पनी की परियोजना प्रबंधन गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सी ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जी ओ यू में शामिल करने की योजना बनाई गई है।

अनुपालन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक चार वर्ष की अवधि को आच्छादित किया गया है। इस अवधि के दौरान, चार सब स्टेशनों और सात पारेषण लाइनों का निर्माण/पूर्ण किया गया था और दो सब स्टेशनों और सात पारेषण लाइनों का काम प्रगति पर था, जिसका विवरण नीचे मानचित्र में दिया गया है:

2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹ 397.93 करोड़ की लागत वाली सभी 11 पूर्ण परियोजनाएं और ₹ 680.78 करोड़ की लागत से आवंटित नौ चल रही परियोजनाओं को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा नमूना जांच के लिए चुना गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना विंग, पांच संचालन और रखरखाव खण्डों को जिन्हे पूर्ण परियोजनाएं हस्तांतरित की गयी और पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत कम्पनी को अनुदान में प्राप्त धनराशि को भी लेखापरीक्षा में शामिल किया गया।

06 जुलाई 2022 को आयोजित, प्रवेश गोष्ठी के दौरान अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, जी ओ यू और कम्पनी प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा की गई (जुलाई 2022)। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभाग और कम्पनी दोनों को प्रतिवेदित की गयी (फरवरी 2023)। कम्पनी का उत्तर 18 अप्रैल 2023 को प्राप्त हुआ। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2023)। 01 मई 2023 को आयोजित बहिर्गमन गोष्ठी में विभाग और कम्पनी प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी चर्चा की गई। कम्पनी प्रबंधन और बहिर्गमन गोष्ठी में प्राप्त उत्तरों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

4.2.6 पारेषण प्रक्रिया और पारेषण सम्पत्तियां

पारेषण प्रक्रिया के प्रमुख अंग पारेषण लाइनें और सब-स्टेशन[62] हैं जो वितरण लाइसेंसधारी के डाउनस्ट्रीम नेटवर्क की विद्युत की मांग को पूरा करते हैं। पारेषण के

[62] सब-स्टेशन वितरण ग्रिड और पारेषण प्रणालियों के बीच का इंटरफ़ेस होते हैं। सब-स्टेशन पारेषण लाइन में वोल्टेज को वितरण के लिए उपयुक्त स्तर तक कम करते हैं।

दौरान नुकसान को कम करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए, पावर प्लांट में अपेक्षाकृत कम वोल्टेज (11 के वी) पर उत्पन्न विद्युत को पारेषण से पहले उच्च वोल्टेज पर बढ़ाया जाता है और फिर उपभोक्ताओं को वितरण के लिए कम वोल्टेज पर लाया जाता है। पारेषण प्रक्रिया का सचित्र विवरण नीचे दिया गया है:

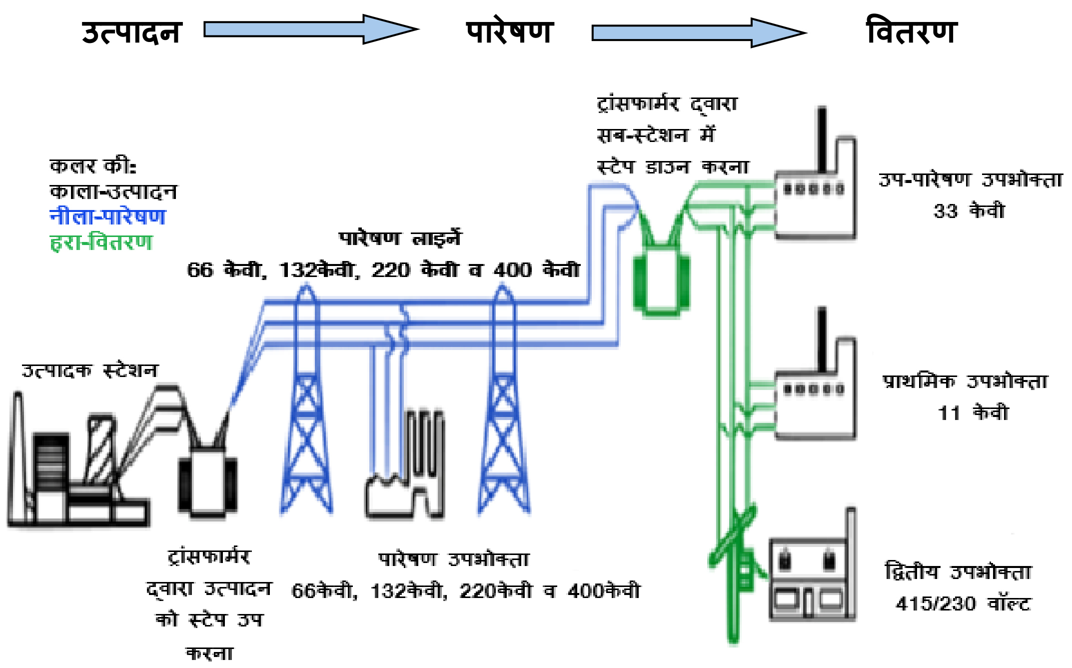

अनुमानित भार वृद्धि के अनुसार विद्युत की बढ़ती मांग के कारण नए सब-स्टेशनों के निर्माण, मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि और नई पारेषण लाइनें बिछाने की आवश्यकता होती है। 2018-22 की शुरुआत और अंत में कम्पनी का पारेषण तंत्र **चार्ट-4.2.1** और **4.2.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.2.1: सम्बन्धित वर्ष के 31 मार्च तक पारेषण लाइनों की स्थिति

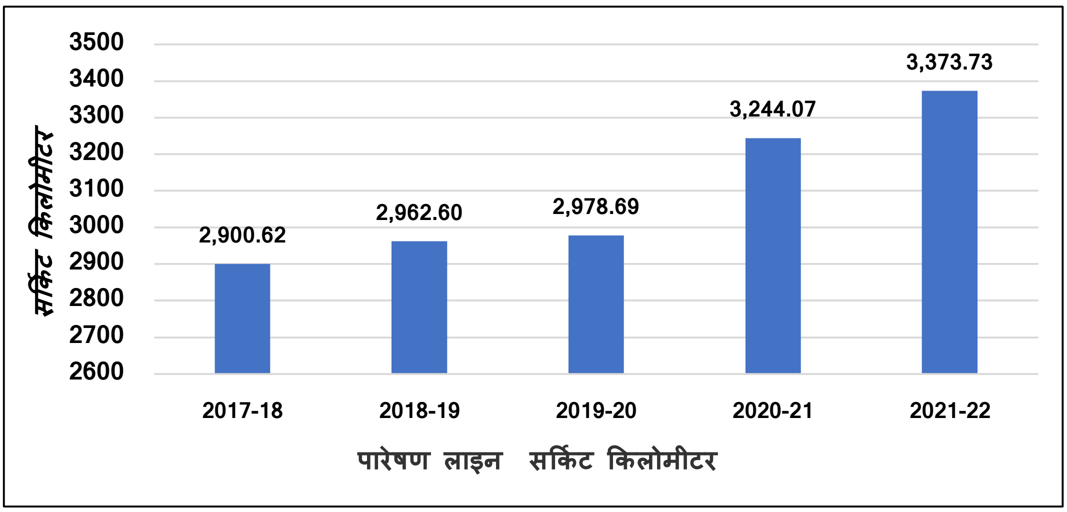

चार्ट-4.2.2: सम्बन्धित वर्ष के 31 मार्च को परिवर्तन क्षमता

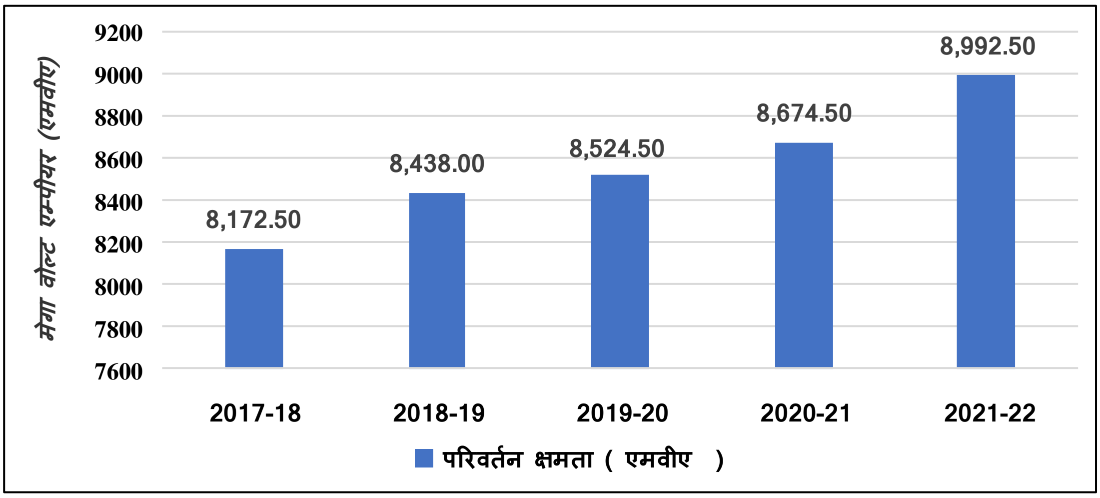

यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान, कम्पनी ने 473.11 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण किया और चार[63] नए सब-स्टेशन के निर्माण और मौजूदा सब-स्टेशनों के संवर्द्धन के माध्यम से 820 एम वी ए परिवर्तन क्षमता[64] बढ़ाई।

4.2.7 सिस्टम उपलब्धता

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) विनियमन 2018 के अनुसार, कम्पनी वार्षिक पारेषण शुल्क की पूरी वसूली के लिए तभी हकदार है, जब वह अपनी वैकल्पिक चालू प्रणाली के लिए 98 *प्रतिशत* की लक्षित उपलब्धता हासिल कर लेती है और 98 *प्रतिशत* से कम की उपलब्धता के मामले में वार्षिक पारेषण शुल्क की वसूली आनुपातिक आधार पर उस सीमा तक कम हो जाती है। कम्पनी ने 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान लक्ष्य[65] हासिल किए थे और सिस्टम उपलब्धता क्रमशः 99.15, 99.23, 99.56 और 99.55 *प्रतिशत* थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.2.8 पारेषण प्रणाली हेतु योजना क्षमता मूल्यांकन - आवश्यकता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करना

पारेषण प्रणाली में सुधार और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता का आकलन कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल), यू जे वी एन एल और स्वतंत्र

---

[63] 33/220 के वी जी आई एस सब-स्टेशन हर्रावाला, देहरादून, 220/132/33 के वी सब-स्टेशन पिरानकलियर, रूड़की, 132/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन बागेश्वर और 220/33 के वी सब-स्टेशन जाफरपुर, काशीपुर।

[64] परिवर्तन क्षमता कंपनी के सब-स्टेशनों पर सभी ट्रांसफार्मरों की कुल क्षमता है।

[65] यू ई आर सी टैरिफ आदेशों के अनुसार।

विद्युत उत्पादकों की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

कम्पनी के पास पारेषण परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के लिए कोई परियोजना की योजना और प्रबंधन नियमावली नहीं था, जैसे कि लाइनों और भूमि की आवश्यकता के लिए मार्ग, स्थलाकृति, सर्वेक्षण, सामग्री की आवश्यकता, निर्माण का प्रकार इत्यादि सबस्टेशनों के लिए स्विचयार्ड के सिविल कार्य और निर्माण कार्य इत्यादि किसी भी निर्धारित नीति/प्रक्रिया के अभाव के कारण विभिन्न परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में तदर्थ निर्णय लेना पड़ता है, जिसके कारण सबस्टेशनों और सम्बन्धित लाइनों की स्थापना के समय में अन्तर होता है।

बहिर्गमन गोष्ठी में, तथ्यों को स्वीकार करते हुए कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया मई) 2023) कि वे जल्द से जल्द अपनी परियोजना की योजना और प्रबंधन नियमावली तैयार करेंगे।

4.2.8.1 परियोजनाओं की स्वीकृति

परियोजना की योजना और प्रबंधन नियमावली (एम टी पी सी) 2013 के अनुसार 'पारेषण प्रणाली को मजबूत करने के लिए बाधाओं की पहचान करने और नई परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए समग्र रूप से पारेषण प्रणाली के भार प्रवाह (लोड फ्लो) का अध्ययन नियमित आधार पर किया जाना चाहिए'।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी द्वारा दिसंबर 2020 तक समग्र रूप से पारेषण प्रणाली का कोई नियमित अध्ययन नहीं किया गया था। कम्पनी केवल प्रोजेक्ट के अनुसार भार प्रवाह का अध्ययन कर रही थी। आगे यह पाया गया कि कम्पनी ने जनवरी 2021 में पहली बार समग्र रूप से पारेषण प्रणाली का विस्तृत भार प्रवाह अध्ययन किया। अध्ययन के आधार पर दिसंबर 2021 में निदेशक मण्डल द्वारा 10 पारेषण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी।

नियमित भार प्रवाह अध्ययन नहीं करने के कारण पायी गयी कमियों और पारेषण प्रणाली में बाधाओं तथा बाध्यताओं पर आगामी प्रस्तर में चर्चा की गई है।

4.2.8.2 सी ई ए के एम टी पी सी, 2013 के मानदण्डों का अनुपालन नहीं किया गया

एम टी पी सी, 2013 की आवश्यकता के अनुसार जब मौजूदा सब-स्टेशन की क्षमता 132 के वी सब-स्टेशन के लिए 150 एम वी ए, 220 के वी सब-स्टेशन के लिए 320 एम वी ए से अधिक हो जाए तो नए सब स्टेशन की योजना बनाने की संभावना तलाशने का प्रयास किया जाना चाहिए बजाय कि मौजूदा सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर

क्षमता जोड़ने के। इसके अतिरिक्त सब-स्टेशन में किसी भी ट्रांसफार्मर पर निर्धारित क्षमता का 80 *प्रतिशत* से अधिक भार नहीं होना चाहिए। कम्पनी ने 132 के वी सब-स्टेशन के लिए 120 एम वी ए का मानक अपनाया था। इसके अतिरिक्त, इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मरों के आकार और संख्या की योजना इस तरह से बनाई जाए कि किसी एक इकाई के खराब होने से शेष इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मरों या अंतर्निहित सिस्टम (एन-1 आकस्मिकता) पर भार न पड़े।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 48 सब-स्टेशन में से,

- छः सब-स्टेशनो (132 के वी के पांच सब-स्टेशनों[66] और 220 के वी का एक सब-स्टेशन[67] (ने क्रमशः 120 एम वी ए और 320 एम वी ए की अपनी स्थापित क्षमता समाप्त कर ली थी ***(परिशिष्ट-4.2.1)***। 2018-22 की अवधि के दौरान, इन सब-स्टेशनो में स्थापित ट्रांसफार्मर गंभीर रूप से अतिभारित थे (निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत और उससे अधिक उपयोग) और एम टी पी सी के प्रावधान के अनुसार एन-1 आकस्मिकता मानदण्ड को पूरा नहीं कर रहे थे। हालाँकि, जहां स्थापित क्षमता समाप्त हो गई थी, वहां नए सब-स्टेशन के निर्माण की योजना, योजना चरण (दिसंबर 2022) में थी।
- नौ सब-स्टेशन[68] अतिभारित नहीं थे लेकिन एम टी पी सी के प्रावधान के अनुसार एन-1 आकस्मिकता मानदण्ड को पूरा नहीं कर रहे थे। किसी भी एक ट्रांसफार्मर के खराब होने की स्थिति में, शेष ट्रांसफार्मर भार को पूरा लेने में सक्षम नहीं होंगे। कम्पनी ने सब-स्टेशनो की स्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये ***(परिशिष्ट-4.2.2)*** ।

इस प्रकार, अतिरिक्त सब-स्टेशनो की योजना में देरी और एन-1 आकस्मिकता मानदण्डों को पूरा नहीं करने के कारण सब-स्टेशनों के ट्रांसफार्मरो/उपकरणों को नुकसान हो सकता है, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ग्रिड विफल हो सकता है।

कम्पनी प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया (अप्रैल 2023) कि उत्तराखण्ड पारेषण सुदृढ़ीकरण और वितरण सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न

[66] 132 के वी सब-स्टेशन ज्वालापुर, भगवानपुर, बाजपुर, लक्सर और माजरा देहरादून।

[67] 220 के वी सब-स्टेशन रुड़की।

[68] 132 के वी सब-स्टेशन पुरुकुल, बिंदाल, श्रीनगर, मैंगलोर, चुडियाला, रामनगर, अल्मोडा, पिथौरागढ, और 400 के वी सब-स्टेशन काशीपुर।

क्षमता के 10 नए सब-स्टेशनो का प्रस्ताव किया गया है जो मौजूदा सब-स्टेशनो पर एन-1 के अनुरूप भार को कम करके राहत प्रदान करेगे। इसके अतिरिक्त, मौजूदा सब-स्टेशनो की क्षमता वृद्धि का भी प्रस्ताव किया जा रहा है, जो मौजूदा सब-स्टेशनो को राहत प्रदान करेगी एवं एन -1 अनुरूप बनायेगी। हालाँकि, तथ्य यह है कि सभी नए सब- स्टेशनो की योजना देर से बनाई गई थी और अभी भी (दिसंबर 2022) प्रस्ताव के चरण में है, यद्यपि सभी छः सब-स्टेशन, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था, 2018-22 की अवधि के दौरान गंभीर रूप से अतिभारित थे।

4.2.8.3 220 के वी रूड़कीपुहाना लाइन- का अतिभारित होना

एम टी पी सी के अनुसार एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड (ए सी एस आर) ज़ेबरा कंडक्टर की थर्मल लोडिंग सीमा[69] 45^{o} सेल्सियस पर 703 एम्पियर है।

रूड़की पुहाना-220 के वी एकल सर्किट लाइन में ए सी एस आर ज़ेबरा कंडक्टर था। यह पाया गया कि पिछले चार वर्षों के दौरान उक्त लाइन पर शिखर भार सितंबर 2018, मई 2019, सितंबर 2020 और सितंबर 2021 में क्रमशः 700, 721, 709 और 632 एम्पियर था जो पूरी तरह से भारित थी। यह लाइन एम टी पी सी, के एन-1 आकस्मिक प्रावधान को भी पूरा नहीं कर रही थी (एकल सर्किट लाइन होने के कारण) जिससे उपभोक्ताओं को विश्वसनीय आपूर्ति भी प्रभावित हुई। तथ्यों की पुष्टि कम्पनी के पारेषण सिस्टम पर भार प्रवाह अध्ययन की रिपोर्ट (जनवरी 2021) और कम्पनी में बाधाओं और बाध्यताओं पर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एस एल डी सी) की रिपोर्ट (2016 से 2022) से हुई, जिसमें कहा गया था कि रूड़की-पुहाना लाइन पूरी तरह से भारित है और एन-1 अनुरूप नहीं है ।

कम्पनी प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2023) कि कम्पनी ने लाइन पर भार कम करने के लिए लंढौरा में 400 के वी सब-स्टेशन और मैंगलोर में 220 के वी सब-स्टेशन के निर्माण की योजना बनाई थी। इसमें आगे कहा गया है कि 220 के वी रूड़की-पुहाना लाइन पर शिखर भार 2019-20 में 721 एम्पियर था, जबकि इसकी पूर्ण भार क्षमता 800 yएम्पियर है। पूर्ण भार क्षमता के संबंध में उत्तर उचित नहीं है क्योंकि

[69] थर्मल लोडिंग लिमिट (टी एल एल) ऊर्जावान कंडक्टरों द्वारा प्राप्त तापमान को सीमित करती है और लाइनों की शिथिलता और तन्य शक्ति के नुकसान को रोकती है। कंडक्टर का टी एल एल लाइनों के अधिकतम विद्युत प्रवाह को सीमित करता है।

एम टी पी सी के अनुसार ए सी एस आर ज़ेबरा कंडक्टर की पूर्ण भार क्षमता 800 एम्पियर के बजाय 703 एम्पियर होनी चाहिए।

4.2.8.4 खराब योजना के कारण परियोजना का केन्द्रीय क्षेत्र को हस्तांतरण

कम्पनी ने राज्य में आगामी जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए 400 के वी डबल सर्किट (डी/सी) श्रीनगर-काशीपुर लाइन के निर्माण की योजना बनाई (सितंबर 2005) और डी पी आर के अनुसार परियोजना की लागत ₹ 838.10 करोड़ थी। लाइन के प्रारम्भिक मार्ग सर्वेक्षण के आधार पर कम्पनी ने निविदा आमंत्रित की (दिसंबर 2008) लेकिन टैरिफ की वसूली (सी ई आर सी/ यू ई आर सी) सुनिश्चित नहीं होने के कारण अनुबंध नहीं हो सका। सी ई आर सी ने 31 जनवरी 2013 को उक्त परियोजना को डीम्ड इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम घोषित किया था। तदनुसार, दिसंबर 2013 में ठेकेदार के साथ एक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठेकेदार ने काम शुरू[70] नहीं किया और परियोजना के कार्यान्वयन में पर्याप्त देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 में 150 मिलियन डॉलर का एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए डी बी) अनुदान/ऋण रद्द कर दिया गया और ₹ 2.28 करोड़ के प्रतिबद्धता शुल्क की परिहार्य देनदारी हुई। इस प्रकरण को सी ए जी के 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के प्रतिवेदन के ***प्रस्तर 3.8*** में उजागर किया गया था। ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के कारण कम्पनी ने ठेकेदार की ₹ 106.13 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त कर ली (जून 2017) और अनुबंध समाप्त कर दिया (नवंबर 2017)।

इसके बाद, लाइन को फिर से डिजाइन किया गया और इसका नाम बदलकर खंडूखाल-रामपुरा कर दिया गया और मई 2018 में ए डी बी फंडिंग के अंतर्गत ₹ 1,099.40 करोड़ की एक नई डी पी आर स्वीकार की गई। डी पी आर के अनुसार, पारेषण लाइन की अनुमानित अवधि 30 वर्ष के दौरान, वार्षिक शुद्ध वित्तीय लाभ ₹ 42.00 करोड़ से ₹ 99.61 करोड़ तक की परिकल्पना की गई थी। कम्पनी ने मार्च 2019 में दो पैकेजों में निविदायें आमंत्रित कीं। एल-1 निविदाकारों (प्रत्येक पैकेज के लिए एक) द्वारा उद्धृत दरें अनुमानित लागत से क्रमशः 14.90 *प्रतिशत* और 16.04 *प्रतिशत* अधिक थीं। हालाँकि ए डी बी ने एल-1 बोलीदाता को काम सौंपने की स्वीकृति दे दी थी, लेकिन कम्पनी ने ए डी बी से बार-बार अनुरोध किया

[70] कुशल जनशक्ति तैनात नहीं की गई, ठेकेदार मार्ग सर्वेक्षण, टावर का स्थान और उचित टावर शेड्यूल की समीक्षा करने में विफल रहा और साइट कार्यालयों की स्थापना नहीं की गई इत्यादि।

कि वह उसे विस्तृत लागत विश्लेषण आमंत्रित करने और एल-1 निविदाकारों के साथ बातचीत करने की अनुमति दे। उक्त परियोजना के महत्व को देखते हुए, समय पर पूरा करने तथा ऐसे महत्वपूर्ण नेटवर्क जो 400 के वी नेटवर्क की रीढ़ बनने जा रहा था, को ए डी बी ने सहमति नहीं दी। वित्तीय बोली मूल्यांकन रिपोर्ट को ए डी बी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बावजूद जून 2020 में कम्पनी द्वारा निविदा को रद्द कर दिया गया था, जबकि ए डी बी ने कम्पनी को एल-1 निविदाकारों के साथ अनुबंध करने के लिए सूचित किया था। अंततः, निदेशक मण्डल ने परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया (दिसंबर 2020) क्योंकि यह हाइड्रो परियोजना की चालू होने की निर्धारित तिथि के साथ लक्षित समय सीमा हासिल करने में सक्षम नहीं थी।

कम्पनी प्रबन्धन ने कहा (अप्रैल 2023) कि पारेषण लाइन के निर्माण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र को सौंप दिया गया था और कार्य पी एफ सी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा डेवलपर को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टी बी सी बी) के माध्यम से सौंपा गया था और डेवलपर को जेनरेटर के स्थापना करने के कार्यक्रम के अनुरूप लाइन स्थापित करनी होगी। उत्तर उचित नहीं था क्योंकि ए डी बी द्वारा कार्य सौंपने की मंजूरी दिए जाने के बाद भी कम्पनी कार्य निर्गत नहीं कर सकी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्पनी ने डी पी आर में परिकल्पित वार्षिक शुद्ध वित्तीय लाभ अर्जित करने का अवसर खो दिया।

4.2.8.5 सब-स्टेशनो और उससे जुड़ी लाइनों के निर्माण की योजना और कार्यान्वयन में कमी

एम टी पी सी के पैरा 8.2 में कहा गया है कि पारेषण के तत्वों को चालू करने की अवधारणा में आम तौर पर तीन से पांच वर्ष लगते हैं; कैपेसिटर, रिएक्टर, ट्रांसफार्मर आदि के संवर्द्धन के लिए लगभग तीन वर्ष और नई पारेषण लाइनों या सब-स्टेशनों के लिए लगभग चार से पांच वर्ष। इसलिए, पारेषण योजनाओं को सुदृढ करने के लिए प्रणाली का अध्ययन तीन से पाँच वर्ष की समय सीमा के भीतर किया जा सकता है।

पिरानकलियर में मौजूदा सब-स्टेशन और उससे जुड़ी लाइन के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने उक्त सब-स्टेशन और उसकी लाइनों की योजना और निर्माण में धीरे-धीरे तदर्थ दृष्टिकोण अपनाया और क्षेत्र में/ लम्बी अवधि से बढ़ती मांग को समझने में विफल रही जैसा कि एम टी पी सी में निर्धारित है।

पुन: यह पाया गया कि:

- बढ़ती मांग को पूरा करने और मौजूदा सब-स्टेशनो भगवानपुर और रूड़की को राहत प्रदान करने के लिए, कम्पनी ने अक्टूबर 2014 में सब स्टेशन के निर्माण और फरवरी 2016 में लाइन के निर्माण का अनुबंध क्रमश: ₹ 29.90 करोड़ और ₹ 5.92 करोड़ में दिया। सब स्टेशन और लाइन का काम सितंबर 2018 में पूरा हुआ।
- कम्पनी ने छः महीने[71] के भीतर मार्च 2015 में सब स्टेशन के विस्तार[72] की योजना बनाई और उसे स्वीकृति प्रदान की तथा ₹ 6.01 करोड़ की लागत वाली पुहाना-पिरानकलियर लाइन का काम सौंप दिया (दिसंबर 2015)।
- भगवानपुर और चुड़ियाला क्षेत्र में विद्युत की विश्वसनीयता में सुधार, बढ़ते भार मांग को पूरा करने और एन-1 आकस्मिकता मानक को पूरा करने के लिए नवंबर 2016 में ₹ 1.64 करोड़ की लागत से पुहाना-पिरानकलियर लाइन के दूसरे सर्किट को लाइन जोड़ने तथा बे[73] का निर्माण करने के लिए सब स्टेशन में भूमि की उपलब्धता के बिना फिर से योजना बनाई गई थी।

पुहाना-पिरानकलियर लाइन का काम सितंबर 2020 में पूरा हो गया लेकिन ₹ 1.64 करोड़ की लागत से निर्मित दूसरे सर्किट को जोड़ा नहीं जा सका। इस प्रकार, खराब योजना के कारण सितंबर 2020 से ₹ 1.64 करोड़ का निवेश अवरुद्ध रहा। इसके अतिरिक्त, उक्त सब-स्टेशन 220/132 स्तर पर एन-1 आवश्यकता के अनुरूप भी नहीं था क्योंकि आपूर्ति के लिए यह 220 के वी पुहाना- पिरानकलियर लाइन के सिंगल सर्किट पर निर्भर करता है।

बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि अगले 18 महीनों के भीतर निष्क्रिय लाइन को जोड़ने के लिए सब-स्टेशन में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

---

71 शुरुआत में अक्टूबर 2014 में सब-स्टेशन के निर्माण का अनुबंध किया गया।

72 2x100 एम वी ए, 220/132 के वी ट्रांसफार्मर का संस्थापन तथा डबल सर्किट टॉवर पर 220 के वी सिंगल सर्किट पुहाना-पिरानकलियर का निर्माण।

73 दोनों लाइनों (एल आई एल ओ और पुहाना-पिरानकलियर लाइन) के समापन (सब-स्टेशन से कनेक्शन) के लिए, सब-स्टेशन पर 220 के वी के चार बे की आवश्यकता थी, जबकि सब-स्टेशन में केवल तीन बे के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध थी।

अनुशंसाएँ:

कम्पनी को विचार कर सकती है कि:

- ***परियोजना की योजना और प्रबंधन नियमावली तैयार करे और लागू करे और***
- ***भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियमित समय पर भार प्रवाह अध्ययन करके पारेषण परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक योजना बनाए।***

4.2.9 पारेषण प्रणाली का परियोजना प्रबंधन

पारेषण परियोजना में अवधारणा से लेकर शुरू होने तक की गतिविधियाँ शामिल होती हैं। एक पारेषण परियोजना में प्रमुख गतिविधियाँ हैं:

(i) परियोजना निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन चरण, तथा

(ii) परियोजना निष्पादन चरण।

भारत सरकार द्वारा गठित पारेषण परियोजनाओं पर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं का अनुपालन नहीं करने से सम्बन्धित मामले पैरा 9.1 (बी) और 9.3 में विस्तृत हैं।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पारेषण परियोजनाओं पर एक टास्क फोर्स का गठन किया था। (फरवरी 2005)। टास्क फोर्स ने ट्रांसमिशन सिस्टम को पूरा करने में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक कार्रवाइयों का सुझाव दिया और अनुशंसा की (जुलाई 2005)।

- परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन चरण के पहले/ साथ-साथ सर्वेक्षण, डिजाइन और परीक्षण, वन और अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, निविदा गतिविधियों आदि जैसी विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दे और पारेषण लाइन परियोजना की स्वीकृति/अनुमोदन के बाद निर्माण गतिविधियों को शुरू करे।;
- टावर निर्माण के डिजाइनों का मानकीकरण करें ताकि परियोजना निष्पादन में 6-12 महीने बचाए जा सकें।

4.2.9.1 परियोजना कार्यान्वयन

नए सब-स्टेशन की योजना तथा निष्पादन का कार्य, अपनी संबद्ध पारेषण लाइन के साथ-साथ किया जाना चाहिए। सब-स्टेशन और इसकी संबद्ध पारेषण लाइन के पूरा होने मे समय अंतराल की स्थिति में पूर्ण सब-स्टेशन या पारेषण लाइन तब तक अप्रयुक्त रहेगी जब तक कि संबन्धित पारेषण लाइन या सब स्टेशन का कार्य पूर्ण न हो जाए। सब-स्टेशनो और सम्बन्धित लाइनों दोनों को शुरू किये बिना, इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) और मूल्यह्रास के लाभों का दावा टैरिफ के माध्यम से नहीं

किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और बेहतर विद्युत आपूर्ति का लाभ नही मिलता है। लेखापरीक्षा के दौरान परियोजना के क्रियान्वयन मे पायी गयी कमिया **तालिका संख्या-4.2.1** में वर्णित है।

तालिका-4.2.1: लेखापरीक्षा के दौरान परियोजना के क्रियान्वयन में पायी गयी कमिया

क्र.स.	परियोजना का नाम और विवरण	गलती का प्रकार	प्रभाव
अ	***220/33 के वी सब-स्टेशन जाफरपुर, रुद्रपुर और सम्बन्धित लाइन***		
	220 के वी सब-स्टेशन जाफरपुर की संबद्ध लाइन (लीलो) का काम 14 नवंबर 2017 को पूरा होने की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 5.70 करोड़ में आवंटित किया गया (15 नवंबर 2016) । अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार को स्वीकृति पत्र (एल ओ ए) जारी होने के 30 दिनों के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी (पी बी जी) जमा करना आवश्यक था।	अनुबंध का उल्लंघन करते हुए, कम्पनी ने डिमांड ड्राफ्ट (डी डी) के रूप में आठ महीने की देरी के बाद ₹ 57.50 लाख का परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पी बी जी) स्वीकार किया। ठेकेदार ने केवल टावरों की नींव का काम पूरा किया और अगस्त 2019 तक एक भी टावर खड़ा नहीं किया। कम्पनी ने अनुबंध समाप्त कर दिया (अगस्त 2019) और लाइन का शेष कार्य नवंबर 2019 में एल 1 दर पर एल 3 बोली लगाने वाले को दे दिया गया। मार्च 2019 में सब-स्टेशन के पूरा होने से 24 महीने की देरी के बाद लाइन पूरी/ ऊर्जावान (31 मार्च 2021) हो गई। ठेकेदार समय पर पी बी जी जमा करने में विफल रहने के बाबजूद कम्पनी ने अनुबंध समाप्त नहीं किया।	लाइन के पूरा होने में देरी के कारण, सब-स्टेशन 24 महीनों तक अप्रयुक्त रहा जिस से कम्पनी को उस अवधि के दौरान ₹ 15.66 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ, जैसा कि डी पी आर में परिकल्पित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से भी वंचित थे।
कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि सब-स्टेशन 07 मार्च 2019 को पूरा हो गया था लेकिन ठेकेदार 07 मार्च 2019 तक लाइन का काम पूरा नहीं कर सका और इसलिए, अनुबंध अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया था। शेष कार्य नवंबर 2019 में सौंपा गया था, लेकिन मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के कारण कार्य मार्च 2021 में पूरा हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी को एल-1 बोलीदाता का अनुबंध बहुत पहले समाप्त कर देना चाहिए था क्योंकि वह निर्धारित अवधि अर्थात 15 दिसंबर 2016 तक पी बी जी जमा करने में विफल रहा था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने ठेकेदार के खराब प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध समाप्त करने में लंबा समय (20 महीने) लिया, जिससे परियोजना में देरी हुई।			

क्र.स.	परियोजना का नाम और विवरण	गलती का प्रकार	प्रभाव
ब	***132/33 के वी सब-स्टेशन पदारथा, हरिद्वार और सम्बन्धित लाइन***		
	पदारथा में 132/33 के वी सब-स्टेशन के निर्माण, और गंगा नदी में पांच वेल फाउंडेशन के निर्माण सहित इसकी संबद्ध लीलो लाइन की डी पी आर, को कम्पनी द्वारा अनुमोदित (नवंबर 2016) किया गया था। जुलाई 2017 से अप्रैल 2018 के दौरान सब-स्टेशन, लाइन और वेल फाउंडेशन के कार्य आवंटित किए गए।	लाइन वन क्षेत्र से होकर जा रही थी, फिर भी कम्पनी ने वन विभाग की स्वीकृति के लिए देर से आवेदन किया (अगस्त 2018), जो अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुई। इस प्रकार, अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्रवाई करने में टास्क फोर्स की अनुशंसा का अनुपालन नहीं किया गया।	वन विभाग की स्वीकृति के लिए आवेदन जमा करने में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना के स्थापित होने में 16 महीने की देरी हुई क्योंकि सब-स्टेशन अप्रैल 2021 में पूरा हो गया था और सम्बन्धित लाइन 16 अगस्त 2022 को पूरी हुई थी।
बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि भविष्य में टास्क फोर्स की अनुशंसा का पालन किया जाएगा।			
स	***220/33 के वी गैस इंसुलेटर सब-स्टेशन (जी आई एस) बरम, जौलजीवी पिथौरागढ़ और सम्बन्धित लाइन***		
	स्थायी समिति[74] ने नवंबर 2014 और जुलाई 2015 में हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित को अंतिम रूप दिया: **चरण I** - बरम, जौलजीवी में प्रस्तावित 220 के वी जी आई एस के निर्माण के लिए 220 के वी धौलीगंगा-पिथौरागढ़ लाइन के लीलो का निर्माण। **चरण II** - उक्त सब-स्टेशन को 220 के वी डी सी लाइन (कम्पनी के दायरे में लाइन और सब-स्टेशन) के माध्यम से जौलजीवी 400/220 के वी सब-स्टेशन (पी जी सी आई एल) से जोड़ा जाएगा और मौजूदा लिंक (लीलो) का 220 के वी सब-स्टेशन जौलजीवी (पिटकुल) से संपर्क अलग हो जाएगा। जौलजीवी में सबस्टेशन और लीलो लाइन का निर्माण कार्य (39 टावरों का निर्माण) क्रमशः 15 नवंबर	कम्पनी ने तीन वर्ष से अधिक की देरी के बाद मार्च 2022 में सी ई ए (सितंबर 2018) के निर्देशों के बारे में निदेशक मण्डल को अवगत कराया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने दिसंबर 2022 तक परिवर्तित मार्ग (27 टावर से) के लिए वन विभाग की स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किया था, जिससे परियोजना के पूरा होने में और देरी हुई। चूंकि लीलो लाइन एक अंतरिम व्यवस्था थी और सब-स्टेशन बरम को अंततः सबस्टेशन जौलजीवी (पी जी सी आई एल) से जोड़ा जाना था, कम्पनी को 400 के वी पी जी सी आई एल जौलजीवी सब-स्टेशन के लिए भूमि निर्धारित करने (28 मार्च 2017) के	₹ 70.77 करोड़ की लागत से निर्मित सब स्टेशन दिसंबर 2021 से अप्रयुक्त पड़ा हुआ था क्योंकि सम्बन्धित लाइन (मार्च 2023) तक पूरी नहीं हुई थी। कम्पनी ने सब-स्टेशन (दिसंबर 2021 से सितंबर 2022) की लागत पर ₹ 3.25 करोड़ निर्माणाधीन अवधि के लिए ब्याज आई डी सी सम्मिलित किया। इस प्रकार, कम्पनी यू ई आर सी द्वारा टैरिफ के माध्यम से राजस्व अर्जन से

74 उत्तरी क्षेत्र की विद्युत प्रणाली योजना

क्र.स.	परियोजना का नाम और विवरण	गलती का प्रकार	प्रभाव
	2016 (₹ 55.91 करोड़) और 14 अक्तूबर 2015 (₹ 12.66 करोड़) मे सौंपा गया था। कम्पनी ने लाइन के लिए वन विभाग की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर 2016) जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2020) किया गया। सी ई ए ने स्थायी समिति में कम्पनी को निर्देश दिया (सितंबर 2018) कि वह चरण I के बजाय चरण II में जाए क्योंकि लीलो एक अंतरिम व्यवस्था थी।	बाद परिवर्तित मार्ग की वन विभाग की स्वीकृति के लिए आवेदन करना चाहिए था। कम्पनी ने चरण I के अंतर्गत लीलो लाइन के निर्माण के लिए अनुबंध (13 अप्रैल 2023) को समाप्त कर दिया क्योंकि ठेकेदार ने केवल टावरों की नींव का काम पूरा किया था और कोई टावर खड़ा नहीं किया गया था।	वंचित रह गई तथा उपभोक्ता भी विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से वंचित रहे।
बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि लाइन का काम नवंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा।			
द.	***132/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन लोहाघाट, चंपावत और सम्बन्धित लाइन***		
	कम्पनी ने लोहाघाट में 132/33 के वी एयर इंसुलेटेड सब-स्टेशन (ए आई एस) और सम्बन्धित लाइन को ₹103.76 करोड़ की स्वीकृति दी, जिसे दिसंबर 2012 में यू ई आर सी द्वारा अनुमोदित किया गया था। भूमि की कमी के कारण, जून 2013 में ए आई एस के बजाय जी आई एस रखने का निर्णय लिया गया। सबस्टेशन की संशोधित डी पी आर ₹ 93.16 करोड़ की लागत पर तैयार की गई थी, जिसे जनवरी 2015 में यू ई आर सी द्वारा अनुमोदित किया गया था। सब-स्टेशन के निर्माण के लिए कोई काम नहीं दिया गया था, हालांकि, लोहाघाट में 132/33 के वी सब-स्टेशन की सम्बन्धित लाइन का काम ₹ 40.90 करोड़ की राशि में ठेकेदार[75] को एल ओ ए की तारीख	यू ई आर सी द्वारा निवेश अनुमोदन (जनवरी 2015) से 23 महीने की देरी के बाद सब-स्टेशन के निर्माण के लिए ई-निविदा जारी की गई (दिसंबर 2016)। कम्पनी निविदा दस्तावेजों में टी क्यू आर और एफ क्यू आर तथा जी एस टी अधिनियम (जुलाई 2017) की शुरूआत के प्रभाव के संबंध में बोली-पूर्व सम्मेलन में बोलीदाता द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकी और इसलिए निविदा को रद्द कर दिया गया (अगस्त 2017)। वही प्रक्रिया दोहराई गई और बार-बार[76] निविदाएं रद्द की गईं और अंततः ए डी बी फंडिंग के अंतर्गत परियोजना को	₹ 72.65 करोड़ की लागत से निर्मित लाइन नवंबर 2022 से बेकार/अप्रयुक्त पड़ी हुई थी क्योंकि कम्पनी द्वारा आतिथि तक (मार्च 2023) सम्बन्धित सब-स्टेशन का काम नहीं सौंपा गया था। इस प्रकार, कम्पनी टैरिफ के माध्यम से राजस्व अर्जन से वंचित रह गई तथा उपभोक्ता विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से वंचित रहे।

75 मेसर्स ट्रांसग्लोबल पावर लिमिटेड।

76 एन आई टी दिसंबर 2016, जुलाई 2018 और मई 2020 में जारी किया गया और क्रमशः अगस्त 2017, जनवरी 2020 और दिसंबर 2020 में समाप्त कर दिया गया।

क्र.स.	परियोजना का नाम और विवरण	गलती का प्रकार	प्रभाव
	से 24 महीने में पूरा होने की निर्धारित तिथि (15 अप्रैल 2015) के साथ सौंपा गया था।	वित्तपोषित करने का निर्णय लिया गया। नवंबर 2022 तक लाइन का काम लगभग पूरा (भौतिक प्रगति 98 *प्रतिशत*) हो गया था। मार्च 2023 तक सब-स्टेशन के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी।	
कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि 132/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन लोहाघाट के निर्माण के लिए ई-निविदा जारी की गई थी, लेकिन एस बी डी में जी एस टी, संयुक्त उद्यम क्लॉज के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के कारण सब-स्टेशन का टेंडर रद्द कर दिया गया था। तदनुसार, निविदा शर्तों की समीक्षा की गई और एस बी डी में संशोधन को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। एस बी डी में संशोधन के बाद, निविदा फिर से जारी की गई और तीन बोलीदाताओं ने अपनी बोलियां जमा कीं। हालाँकि, सक्षम अधिकारियों ने निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया क्योंकि उपरोक्त कार्य ए डी बी के वित्तपोषण के अंतर्गत प्रस्तावित था। तथापि कम्पनी को प्रारंभिक निविदा जारी करने में 23 महीने लग गए और समय पर बोलीदाताओं के प्रश्नों को हल करने में विफल रही जिसके कारण निविदा को बार-बार रद्द कर दिया गया।			

4.2.9.2 डी पी आर के अनुमोदन के बाद कार्य आवंटित करने में विफलता

कम्पनी ने क्रमशः यू पी सी एल एवं यू जे वी एन एल औद्योगिक उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति और लघु जलविद्युत परियोजना मध्द्महेश्वर से विद्युत निकासी के लिए के अनुरोध पर सम्बन्धित लाइनों के साथ सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए डी पी आर तैयार की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी देरी हुई जैसा कि **तालिका संख्या-4.2.2** में बताया गया है:

तालिका संख्या-4.2.2: परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी

क्र.सं.	परियोजना का नाम निदेशक मण्डल द्वारा डी पी आर की स्वीकृति	यू ई आर सी द्वारा निवेश को स्वीकृति	गलती का प्रकार	प्रभाव
अ.	**220/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन सेलाकुई और सम्बन्धित लाइन**			
	अनुमानित मूल्य ₹ 164.46 करोड़ जो नवंबर 2018 में स्वीकृत हुई ।	मार्च 2019	फरवरी 2019 में जारी की गई ई-निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि संभावित बोलीदाताओं द्वारा बोली पूर्व बैठकों में उठाए गए	औद्योगिक उपभोक्ता गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति से वंचित थे क्योंकि अभी तक काम

क्र.सं.	परियोजना का नाम निदेशक मण्डल द्वारा डी पी आर की स्वीकृति	यू ई आर सी द्वारा निवेश को स्वीकृति	गलती का प्रकार	प्रभाव
	दिसंबर 2021 में स्वीकृत संशोधित डी पी आर (ए डी बी द्वारा वित्तपोषित) लागत ₹ 89.67 करोड़।	अप्रैल 2022	टी क्यू आर और एफ क्यू आर से सम्बन्धित मुद्दों को निविदा की कड़ी शर्तों के कारण हल नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप बोलीदाताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया/एकल बोली नहीं आई। निविदा को दिसंबर 2020 में रद्द कर दिया गया था और ए डी बी वित्तपोषण के माध्यम से कार्य को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए संशोधित डी पी आर (दिसंबर 2021) और यू ई आर सी से पुनः स्वीकृति (अप्रैल 2022) प्राप्त की गयी।	आवंटित नहीं किया गया था (मार्च 2023)। कम्पनी ₹ 16.32 करोड़ से लेकर ₹ 8.54 करोड़ वार्षिक वित्तीय लाभ से भी वंचित रही जैसा कि डी पी आर में परिकल्पित है।
कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि कई संभावित बोलीदाताओं ने प्रश्न उठाए और संयुक्त उद्यम क्लॉज में संशोधन करने का अनुरोध किया। तदनुसार, निविदा शर्तों की समीक्षा की गई और 71वीं निदेशक मण्डल बैठक में एस बी डी में संयुक्त उद्यम क्लॉज, टी क्यू आर, एफ क्यू आर में संशोधन को स्वीकृति दी गई। निविदा में बेहतर भागीदारी देखी गई (चार निविदाएं प्राप्त हुई)। हालाँकि, कम्पनी के सक्षम अधिकारियों ने निविदा को रद्द करने का निर्णय (23 जनवरी 2020) लिया क्योंकि कार्य ए डी बी वित्तपोषण के अंतर्गत प्रस्तावित था। कार्य के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है और जुलाई 2023 तक निविदा दिए जाने की उम्मीद है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एस बी डी के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अंतिम रूप देने में तीन वर्ष से अधिक की देरी हुई थी।				
ब.	***220/33 के वी जी आई एस सब-स्टेशन बरमवारी और सम्बन्धित लाइन***			
	अनुमानित मूल्य ₹ 237.48 करोड़ जो मई 2018 में स्वीकृत हुई। दिसंबर 2020 में ₹ 149.70 करोड़	जून 2021	प्रथम डी पी आर (मई 2018) के सापेक्ष निवेश अनुमोदन का प्रस्ताव यू ई आर सी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। सब-स्टेशन के लिए ई-निविदा का भाग-I 22 अक्तूबर 2021 को खोला गया था और भाग-	चूंकि लघु जल विद्युत संयंत्र को मार्च 2023 में चालू किया जाना था, जी आई एस सब-स्टेशन की अनुपस्थिति में विद्युत उत्पादन का नुकसान हो सकता है। इसके

क्र.सं.	परियोजना का नाम निदेशक मण्डल द्वारा डी पी आर की स्वीकृति	यू ई आर सी द्वारा निवेश को स्वीकृति	गलती का प्रकार	प्रभाव
	लागत की संशोधित डी पी आर स्वीकृत (ए डी बी वित्तपोषित)। ।		II की बोली 22 मार्च 2022 को खोली गई थी। एल-1 बोली लगाने वाले का प्रस्ताव 30 मई 2022 तक वैध था, इसलिए कम्पनी ने बोली लगाने वाले से वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया। एल-1 बोलीदाता ने वैधता बढ़ाने से इन्कार कर दिया। तदनुसार, निविदा रद्द कर दी गई। इससे पता चलता है कि निविदा को अंतिम रूप देने में कम्पनी द्वारा असमान्य रूप से लंबा समय लिया गया।	अतिरिक्त, सचिव ऊर्जा (जी ओ यू) ने प्रबंध निदेशक को पत्र में इंगित किया कि कम्पनी को अपनी प्रतिबद्धता पूरी न करने पर दण्डित भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, देरी के परिणामस्वरूप उत्पादक कम्पनी को प्रति वर्ष ₹ 50 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा क्योंकि सब-स्टेशन और सम्बन्धित लाइन के अभाव में एस एच पी से विद्युत की निकासी नहीं की जा सकेगी।
कम्पनी प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अप्रैल 2023) कि मूल्य-निविदा खोलने के बाद काम देने का प्रकरण कम्पनी ने 17 मई 2022 को सक्षम अधिकारियों के विचार के लिए रखा गया था, लेकिन प्रकरण का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका क्योंकि एल-1 बोलीदाता ने बोली की वैधता 30 मई 2022 से आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया। अब, उत्तराखण्ड सरकार ने सब-स्टेशन के निर्माण के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में मैसर्स ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को (15 फरवरी 2023) नामित किया है और कार्य आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।				

4.2.9.3 भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य सौंपना

पारेषण सिस्टम के पूरा होने में तेजी लाने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के टास्क फोर्स (जुलाई 2005) ने परियोजना के मूल्यांकन और अनुमोदन चरण से पहले/समानांतर में विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, डिजाइन और परीक्षण, वन विभाग और अन्य वैधानिक स्वीकृति की प्रक्रिया, निविदा गतिविधियों आदि को शुरू करने और पारेषण लाइन की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाने की अनुशंसा की थी।

220 के वी जाफरपुर सब-स्टेशन और सम्बन्धित लाइन के निर्माण के लिए डी पी आर को जून 2013 में स्वीकृति दी गई थी। चूंकि वन भूमि शामिल थी, कम्पनी ने डी पी आर की स्वीकृति की तारीख से आठ महीने की देरी के बाद वन विभाग की स्वीकृति के लिए आवेदन किया (मार्च 2014)। भूमि का पट्टा विलेख जनवरी 2017 में निष्पादित किया गया था जिसके कारण निर्धारित समय पर काम शुरू नहीं किया जा सका। ठेकेदार ने ट्रांसफार्मर के मूल्य में ₹ 1.46 करोड़ की मूल्य भिन्नता का दावा किया (अगस्त 2018) जिसका भुगतान कम्पनी द्वारा किया गया था।

मूल्य भिन्नता के कारण ₹ 1.46 करोड़ की लागत वृद्धि से बचा जा सकता था यदि टास्क फोर्स द्वारा की गई अनुशंसाओं का अनुपालन करते हुए भूमि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गयी होती।

कम्पनी प्रबंधन ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (अप्रैल 2023) कि भविष्य में टास्क फोर्स की अनुशंसाओं का पालन किया जाएगा और अनुबंध करने से पहले सब-स्टेशन के लिए भूमि की वन विभाग की स्वीकृति ली जाएगी।

4.2.9.4 निविदा में अनुपयुक्त तकनीकी योग्यता की आवश्यकता (टी क्यू आर)

कम्पनी ने "नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली के उन्नयन और विभिन्न सब-स्टेशनो के उपकरणों को प्रतिस्थापन" के लिए ई-निविदा जारी की (18 मई 2016)। संयुक्त उद्यम[77] को ₹ 31.17 करोड़ के लिए स्वीकृति पत्र (एल ओ ए) जारी किया गया (22 जुलाई 2016) जिसमें ₹ 28.99 करोड़ की आपूर्ति का हिस्सा और ₹ 2.18 करोड़ के निर्माण का हिस्सा शामिल था। उक्त कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि एल ओ ए की तिथि अर्थात 21 जनवरी 2017 से छः महीने थी।

निविदा अभिलेख में टी क्यू आर में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया कि "बोली लगाने वाले या उसके संयुक्त उद्यम भागीदार या उसके सहयोगी या उसके निर्माता को पिछले पांच वर्षों में सरकारी उपयोगिताओं/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 132 के वी और उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर के बे और सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए सामग्री का सफलतापूर्वक निर्माण/ आपूर्ति होनी चाहिए तथा ये कार्य संतोषजनक ढंग से होना चाहिए।"

[77] मेसर्स ईशान एंटरप्राइजेज (लीड पार्टनर), मेसर्स सी टी आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स वेन्सन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि दो संयुक्त उद्यम भागीदार केवल निर्माता थे और उनके पास निर्माण/निर्माण कार्य का कोई अनुभव नहीं था, जबकि तीसरा भागीदार टी क्यू आर के किसी भी मानदण्ड को पूरा नहीं करता था। इसके अतिरिक्त, तीसरा साझेदार 2015 में पंजीकृत हुआ था, जिसका अनुभव पांच वर्ष से कम था। इसके बावजूद, संयुक्त उद्यम केवल टी क्यू आर यानी निर्माण/आपूर्ति की शर्त के अनुसार आपूर्ति के आधार पर अनुभव के मानदण्ड पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली में योग्य था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कम्पनी ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि कार्य में निर्माण और आपूर्ति दोनों भाग शामिल हैं और इस शर्त को टी क्यू आर में शामिल नहीं किया गया। टी क्यू आर में निर्माण और आपूर्ति को शामिल करने के बजाय इसमें 132 के वी बे और सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए सामग्री का निर्माण/आपूर्ति शामिल थी। चूंकि संयुक्त उद्यम निर्माण में अनुभवहीनता को अनिवार्य शर्तों के रूप में शामिल किए बिना तकनीकी वाणिज्यिक बोली में योग्य था, इसलिए चार समय विस्तार दिए जाने के बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी (दिसंबर 2022)।

बहिर्गमन गोष्ठी, कम्पनी प्रबंधन ने बताया कि काम का बड़ा हिस्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए था। इसलिए, बेहतर भागीदारी और प्रतिस्पर्धा के लिए, मूल उपकरण निर्माता की भागीदारी के लिए टी क्यू आर प्रस्तावित किया गया था। अब हमने अपने निविदा के नियमों और शर्तों को तदनुसार बदल दिया है। कम्पनी का उत्तर स्व-व्याख्यात्मक है और लेखापरीक्षा आपत्ति को साबित करता है।

4.2.9.5 अर्थदण्ड की कम कटौती/ अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना

अर्थदण्ड का अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता को कार्य पूरा करने के लिए दिए गए समय का सख्ती से पालन करना चाहिए। निर्धारित आपूर्ति अवधि में संविदात्मक निर्दिष्ट तिथि से परे आपूर्ति और निर्माण में होने वाली कोई भी देरी पर प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य का आधा *प्रतिशत* अर्थदण्ड लगाया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा कुल अनुबंध मूल्य के 10 *प्रतिशत* तक होगी।

यह पाया गया कि कम्पनी ने ठेकेदार की ओर से देरी के कारण ₹ 9.06 करोड़ का अर्थदण्ड कम काटा/ नहीं लगाया, जैसा कि **तालिका-4.2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका-4.2.3: कम कटौती/ अर्थदण्ड न लगाने का विवरण

क्रम सं.	कार्य का नाम/ निर्गत करने की तिथि और निष्पादित मूल्य	समापन		अर्थदण्ड (₹ करोड़ में)		कम कटौती/ अर्थदण्ड न लगाया जाना (₹ करोड़ में)	ठेकेदार की ओर से देरी के लिए कारण	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		अनुसूची और वास्तविक तिथि	विलंब (महीनों में)	लगाए जाने वाले	उगाहना			
1	132 के वी जी आई एस सब-स्टेशन बागेश्वर/ 26 सितंबर 2014 ₹ 47.16 करोड़	25 मार्च 2016 एवं 24 अक्तूबर 2019	43	4.71	शून्य	4.71	दूरस्थ स्थान (2 महीने), पहुंच मार्ग की खोदी गई मिट्टी को डंप करने के लिए जगह की कमी (03 महीने), सामग्री के लिए साइट पर भंडारण स्थान की कमी (1 महीना)।	देरी के कारण संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि निविदा को अन्तिम रूप देने और निष्पादित किए जाने वाले कार्य के लिए निर्धारित समापन अवधि तय करते समय इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया था।
2	220 के वी जी आई एस सब-स्टेशन आई आई पी हर्रावाला, देहरादून/ 16 जून 2015 ₹51.19 करोड़	15 दिसंबर 2016 एवं 04 अगस्त 2018	20	5.12	0.77	4.35	220 के वी केबल के हाई वोल्टेज परीक्षण हेतु टर्मिनेशन किट का भारत में उपलब्ध नहीं होना (52 दिन), ठेकेदार द्वारा विक्रेता की स्वीकृति समय पर नहीं लेना (167 दिन) और वर्षा का मौसम (60 दिन)।	देरी के कारण संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि निविदा को अन्तिम रूप देने और निष्पादित किए जाने वाले कार्य के लिए निर्धारित समापन अवधि तय करते समय इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया था।
कुल				***9.83***	***0.77***	***9.06***		

इस प्रकार, कम्पनी ने ठेकेदारों की ओर से देरी के बावजूद ₹ 9.06 करोड़ का अर्थदण्ड कम काटा/ नहीं लगाया।

बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया (मई 2023) कि अर्थदण्ड लगाने की समीक्षा की जाएगी।

अनुशंसाएँ:

कम्पनी विचार कर सकती है कि:

i. परियोजनाओं के पूरा होने में देरी से बचने के लिए टास्क फोर्स, 2005 की अनुशंसाओं के अनुसार परियोजना निष्पादन के लिए सभी गतिविधियों को परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन चरण के अग्रिम/समानांतर शुरू करें;

ii. भविष्य में ऐसी देरी को न्यूनतम करने के लिए सब-स्टेशनों के निर्माण में अत्यधिक देरी के कारणों का विश्लेषण करने के लिए एक समीक्षा तंत्र होना चाहिए; और

iii. कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए बिना किसी अस्पष्टता के अनुबंध की शर्तों को तैयार करना और लागू करना चाहिए।

4.2.10 वित्तीय प्रबंधन

राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 का एक प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार और वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है। पारेषण परियोजनाओं के निर्माण के लिए, कम्पनी आर ई सी/ पी एफ सी और ए डी बी से परियोजना लागत का 70 *प्रतिशत* तक ऋण लेती है और परियोजना लागत के शेष 30 *प्रतिशत* के लिए जी ओ यू से इक्विटी प्राप्त करती है।

वित्तीय प्रबंधन में देखी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है- :

4.2.10.1 पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड अनुदान का लाभ उठाने में विफलता

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पहाड़ी राज्यों को पारेषण सिस्टम सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पी एस डी एफ़) के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान देने की योजना को स्वीकृति दी (जनवरी 2014)। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 21 फरवरी 2017 के माध्यम से कहा कि राष्ट्रीय विद्युत नीति में अधिदेशित राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए बी टी) ढांचे पर भी पी एस डी एफ वित्तपोषण के लिए विचार किया जाएगा।

कम्पनी ने ऊर्जा लेखांकन और पारेषण स्तर ऊर्जा ऑडिटिंग के लिए इंटरफ़ेस बिंदुओं पर स्थापित किए जाने वाले ए बी टी मीटरों को ऑनलाइन करने के लिए अंतर्राज्यीय ए बी टी मीटरिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए निविदा आमंत्रित की गई (अगस्त 2017)। पी एस डी एफ अनुदान का प्रस्ताव नोडल एजेंसी अर्थात नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एन एल डी सी) को प्रस्तुत किए बिना ठेकेदार[78] को ₹ 19.47 करोड़ में कार्य आवंटित कर दिया गया (जुलाई 2018)। परियोजना अप्रैल 2022 में पूरी हुई और कम्पनी ने ₹ 0.80 करोड़ का निर्माण के दौरान ब्याज आरोपित किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने एन एल डी सी से एक वर्ष से अधिक की अवधि के विलंब के बाद परियोजना लागत का कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया (जनवरी 2020)। हालाँकि, पी एस डी एफ के अंतर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई क्योंकि कार्य शुरू करने से पहले 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने के लिए उक्त कार्य का प्रस्ताव[79] एन एल डी सी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। यदि कम्पनी ने उक्त कार्य के लिए 100 *प्रतिशत* पी एस डी एफ अनुदान प्राप्त करने के लिए 2017 में ही एन एल डी सी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया होता, तो टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं पर ₹ 20.27 करोड़ (₹ 19.47 करोड़ + ₹ 0.80 करोड़) के बोझ से बचा जा सकता था।

कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि कम्पनी को पूरी तरह से जानकारी नहीं थी कि ए बी टी मीटर लगाने का कार्य ऐसे अनुदान के अंतर्गत पात्र था। कम्पनी ने अपने सब-स्टेशनों में ए बी टी मीटर लगाने और डी पी आर तैयार करने की योजना वर्ष 2014 में ही बना ली थी। परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई और राज्य इसके कार्यान्वयन का लाभ उठा रहा है। कम्पनी को कोई नुकसान नहीं हुआ और कम्पनी ने माननीय यू ई आर सी के सभी नियमों का पालन किया है।

कम्पनी प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई 2018 में कम्पनी द्वारा काम सौंपने से पहले ए बी टी मीटरिंग को पी एस डी एफ वित्तपोषण के अंतर्गत रखने के बारे में सूचित किया था

---

78 मेसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड।

79 इसके अलावा, ए पी ट्रांसको ने 06 अप्रैल 2017 को ए बी टी मीटरिंग के लिए योजना प्रस्तुत की थी और इसे 27 जुलाई 2018 को विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और तेलंगाना ट्रांसको ने भी 11 अक्तूबर 2017 को यही प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(फरवरी 2017) हालांकि कंपनी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जहां तक कम्पनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यह एक तथ्य है, लेकिन टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं पर ₹ 20.27 करोड़ (₹ 19.47 करोड़ + ₹ 0.80 करोड़) का बोझ डाला गया, जिसे टाला जा सकता था।

4.2.10.2 पी एस डी एफ अनुदान की समाप्ति

कम्पनी ने पी एस डी एफ अनुदान की सुरक्षा प्रणाली के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए एन एल डी सी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अप्रैल 2015)। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने इसके लिए ₹ 125.05 करोड़ स्वीकृत किए (मार्च 2016) और नवंबर 2016 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान ₹ 112.08 करोड़ का अनुदान जारी किया।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कम्पनी स्वीकृत 10 कार्यों के मुकाबले केवल नौ कार्य ही निष्पादन के लिए दे सकी। विभिन्न सब-स्टेशनो के लिए बैटरी और बैटरी चार्जर की आपूर्ति तथा निर्माण से सम्बन्धित एक कार्य के लिए ₹ 3.18 करोड़ के अनुमानित मूल्य की निविदा जुलाई 2018 में आमंत्रित की गई थीं, लेकिन एक अयोग्य बोलीदाता ने अपनी अयोग्यता के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए (04 मार्च 2020) निर्देश दिया कि कम्पनी को बोली लगाने वाले का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेना होगा। बोली लगाने वाले ने अपना अभ्यावेदन[80] प्रस्तुत किया (6 मार्च 2020) लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्पनी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया और बाद में जनवरी 2022 में निविदा रद्द कर दी गई। मार्च 2022 में फिर से नई निविदा बुलाई गई उसमे केवल दो बोलीदाताओं ने भाग लिया, जिसमे से एक बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया गया। कम्पनी ने अंतिम समय विस्तार से पहले उक्त कार्य को पूरा करने में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए (21 नवंबर, 2022) निविदा रद्द करने का निर्णय लिया। इस बीच सी ई ए ने निर्देश दिया (जून 2022) कि कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा और यदि 31 दिसंबर 2022 तक पूरा नहीं किया गया तो परियोजनाएं बंद कर दी जाएंगी। तदनुसार, परियोजना दिसंबर 2022 में बंद हो गई क्योंकि सी ई ए द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया गया था।

[80] बोलीदाता ने अपने अभ्यावेदन में कहा कि निविदा दस्तावेज़ के अनुसार, प्रत्येक बोलीदाता को 20 अनुभव/ कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने थे, जबकि उसने 22 अनुभव/ कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। इसलिए, यदि सी जी पी एल द्वारा जारी प्रमाणपत्र को नज़र अंदाज़ भी कर दिया जाए, तो भी बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य था और उसकी तकनीकी बोली को अस्वीकार करना गलत था।

इस प्रकार, अयोग्य बोलीदाता के प्रकरण को हल करने में निर्णय लेने की देरी (21 महीने) के परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण होने से पूर्व बंद हो गई और ₹ 3.18 करोड़ की राशि का अनुदान प्राप्त करने और बुनियादी ढांचा बनाने का अवसर खो दिया गया।

कम्पनी प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2023) कि अंतिम समय विस्तार से पहले उक्त कार्य को पूरा करने में अनिश्चितता के कारण, दूसरी निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया गया (21 नवंबर 2022)। हालाँकि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दो सप्ताह के भीतर बोलीदाता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय नहीं लेने के प्रकरण पर उत्तर नहीं दिया गया।

4.2.10.3 राज्य सरकार द्वारा अनुदान को ऋण के रूप में जारी करना

दो परियोजनाएं अर्थात्. 400 के वी सब-स्टेशन श्रीनगर (खंदूखाल) और श्रीनगर पी एच लाइन को सी ई ए और विद्युत मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई (2007)। इन परियोजनाओं को ए डी बी द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

इन परियोजनाओं के वित्त पोषण का अनुपात जी ओ यू द्वारा 30 प्रतिशत इक्विटी और ए डी बी से ऋण के रूप में 70 *प्रतिशत* था। चूंकि, उत्तराखण्ड एक विशेष श्रेणी का राज्य है, केंद्र सरकार ने ए डी बी ऋण का 90 *प्रतिशत* (₹ 160.66 करोड़) (अर्थात परियोजना लागत का 70 *प्रतिशत*) अनुदान के रूप में जी ओ यू को इस आशय से पारित किया कि इससे अंतिम उपयोगकर्ताओं को कम टैरिफ के माध्यम से लाभ हो सके ओर शेष 10 *प्रतिशत* (₹ 17.85 करोड़) को प्रति वर्ष नौ *प्रतिशत* की दर से ऋण के रूप दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी ओ यू ने अनुदान जारी करने के बजाय कम्पनी को ऋण के रूप में ₹ 160.66 करोड़ (₹ 178.51 करोड़ का 90 *प्रतिशत*) हस्तांतरित कर दिया। चूंकि कम्पनी ने ₹ 160.66 करोड़ ऋण[81] राशि के रूप में प्राप्त किये थे, इसलिए ऐसी प्राप्ती का बोझ उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित कर दिया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी में, जी ओ यू ने सूचित किया (मई 2023) कि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान कम्पनी को जी ओ यू के वित्त विभाग की सहमति से ऋण के रूप में जारी किया गया था। तथापि टैरिफ के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का उद्देश्य विफल हो गया था।

[81] ऋण कंपनी के खातों की पुस्तकों में देनदारी के रूप में प्रतिबिंबित होता है जबकि अनुदान देनदारियों के रूप में प्रतिबिंबित नहीं होता है और इसे चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है

4.2.10.4 अप्रयुक्त इक्विटी कम्पनी द्वारा वापससमायोजित नहीं की गई/

जी ओ यू द्वारा दो कार्यों के लिए ₹ 72.47 करोड़ की इक्विटी जैसा **तालिका-4.2.4** में वर्णित है, निम्मलिखित शर्तों के साथ दी गई थी :

i) स्वीकृत राशि का उपयोग उस परियोजना के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए यह दी गई थी और किसी भी प्रकार के विचलन की अनुमति नहीं थी।

ii) स्वीकृत राशि के विरुद्ध कोई भी बची हुई राशि बिना किसी देरी के जी ओ यू को सौंप दी जानी चाहिए; और

iii) भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जी ओ यू को प्रदान किया जाना है।

तालिका संख्या-4.2.4: अप्रयुक्त इक्विटी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	इक्विटी की प्राप्ति की तारीख	टिप्पणियां
1.	400 के वी डी/सी लोहारीनाग पाला कोटेश्वर पारेषण लाइन।	19.70	मार्च 2009	जी ओ यू ने कम्पनी को पारेषण लाइन परियोजना को रोकने/ छोड़ने का निर्देश दिया (जनवरी 2011) क्योंकि भारत सरकार ने पर्यावरणविदों के विरोध के कारण एन टी पी सी के लोहारीनाग पाला हाइड्रो प्रोजेक्ट को रोकने/छोड़ने का फैसला किया था। तदनुसार, कम्पनी ने जनवरी 2011 में अनुबंध समाप्त कर दिया।
2.	400 के वी डी/सी खंदूखाल-रामपुरा पारेषण लाइन।	52.77	अक्टूबर 2014	परियोजना निष्पादित नहीं की गई क्योंकि इसे दिसंबर 2020 में केंद्रीय क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया था।
कुल		***72.47***		

तालिका-4.2.4 से देखा जा सकता है, कि दोनों परियोजनाएं बंद कर दी गईं और इक्विटी के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग इक्विटी जारी करने के नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं किया गया। कम्पनी ने न तो जी ओ यू द्वारा इक्विटी जारी करने के नियमों और शर्तों के अनुसार ₹ 72.47 करोड़ की स्वीकृत राशि को समर्पित किया और न ही अन्य परियोजनाओं पर इक्विटी का उपयोग करने की अनुमति मांगी।

बहिर्गमन गोष्ठी में कम्पनी प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि कम्पनी अन्य परियोजनाओं में इक्विटी का उपयोग करने के लिए जी ओ यू से अनुमति मांगेगी।

4.2.10.5 परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण यू ई आर सी द्वारा लागत की अनुमति नहीं दी गई

कम्पनी ने विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं के लिए अनुबंध दिए जो अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक स्थापित किए गए थे। हालांकि, यू ई आर सी ने स्थापित करने में देरी

के कारण चार परियोजनाओं में आई डी सी के ₹ 4.87 करोड़ की टैरिफ याचिका को अस्वीकार कर दिया। आई डी सी न देने का विवरण **तालिका-4.2.5** में दिया गया है:

तालिका-4.2.5: आई डी सी की अनुमति न देना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	परियोजना के चालू होने की निर्धारित/वास्तविक तिथि	देरी महीनों में	टैरिफ में याचिका कम्पनी द्वारा दावा की गई लागत	टैरिफ में यू ई आर सी द्वारा अनुमोदित लागत	यू ई आर सी द्वारा आई डी सी को अनुमति नहीं दी गई
1.	220 के वी सब-स्टेशन आई आई पी हर्रावाला, देहरादून	15.12.2016/ 04.08.2018	20	57.02	56.29	0.73
2.	132 के वी सब-स्टेशन रानीखेत-बागेश्वर लाइन	15.05.2016/ 08.01.2020	44	49.66	47.67	1.99
3.	132 के वी जी आइ एस सब-स्टेशन बागेश्वर	25.03.2016/ 08.01.2020	46	56.03	54.78	1.25
4.	220 के वी सब-स्टेशन जाफरपुर	14.04.2015/ 31.03.2021	71	42.53	41.63	0.90
यू ई आर सी द्वारा अस्वीकृत कुल आई डी सी				*205.24*	*200.37*	*4.87*

तालिका-4.2.5 से पता चलता है कि 20 से 71 महीने की देरी के कारण, परियोजनाओं के निर्माण में यू ई आर सी ने ₹ 4.87 करोड़ की आई डी सी को अस्वीकार कर दिया और कम्पनी टैरिफ के माध्यम से वसूली नहीं कर पाई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.87 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त, टैरिफ याचिकाओं पर विचार करते हुए यू ई आर सी ने माना कि इन परियोजनाओं को लागू करते समय देरी के लिए दिए गए कारण नियंत्रित किए जा सकते थे और उचित योजना और निगरानी से इन्हे कम किया जा सकता था।

कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि भविष्य मे परियोजनाओं की योजना वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार बनाई जाएगी।

अनुशंसाएं:

कम्पनी विचार कर सकती है कि:

i) पी एस डी एफ अनुदान की समाप्ति और यू ई आर सी द्वारा लागत की अस्वीकृति से बचने के लिए कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें; और

ii) अप्रयुक्त इक्विटी के उपयोग करने के लिए जी ओ यू की आवश्यक स्वीकृति लें।

4.2.11 निगरानी तंत्र और आंतरिक नियंत्रण

एक प्रभावी निगरानी तंत्र परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन और निष्पादन के साथ-साथ पारेषण तंत्र के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे:

- समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों, जिम्मेदारियों और जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के साथ विस्तृत परियोजना समय-सीमा विकसित करना।
- टास्क फोर्स (2005), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुशंसित अनुमोदनों में तेजी लाने और देरी से बचने के लिए वन, पर्यावरण और भूमि प्राधिकरणों के साथ समय पर समन्वय करना।
- बाधाओं को दूर करने के लिए ठेकेदारों, सलाहकारों और नियामक निकायों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी प्रबंधन नए सब-स्टेशन की योजना बनाने या पुराने सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने, अत्यधिक विलंबित परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करने, परियोजना निष्पादन के साथ समन्वय रखते हुए महत्वपूर्ण खरीद करने और दोनों ठेकेदारों से राशि की वसूली सुनिश्चित करने में विफलता, जैसा कि पहले पैराग्राफ में चर्चा की गई है। ऐसा मुख्यतः कम्पनी प्रबंधन की ओर से निगरानी में कमी के कारण हुआ।

4.2.11.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी की अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी। हालाँकि, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कम्पनी द्वारा आउटसोर्स किया गया था। कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली के अनुसार आउटसोर्स एजेंसी को सौंपे गए आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, धन-मूल्य लेखापरीक्षा, पर्यावरण लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा करना था। हालाँकि, आउटसोर्स एजेंसी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का मानक सही नहीं था क्योंकि आउटसोर्स फर्मों ने न तो प्रणाली की कमियों की सूचना दी और न ही नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अवलोकन की ओर इंगित किया। फर्मों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को केवल अंकगणितीय लेखांकन त्रुटियों तक ही सीमित रखा और उपयुक्तता के मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। सी ए जी की मार्च 2012 को समाप्त

हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा में भी इस प्रकरण को उजागर किया गया था, जिसमें कम्पनी प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया था और आश्वासन दिया था कि जल्द ही आंतरिक लेखापरीक्षा विंग का गठन किया जाएगा। हालाँकि, कम्पनी 2012 में आश्वासन देने के बावजूद आंतरिक लेखापरीक्षा विंग स्थापित करने में विफल रही। 2018-20 की अवधि के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षकों को ₹ 16.04 लाख लेखापरीक्षा शुल्क दिया गया और उन्होने कुल 16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

कम्पनी प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि जनशक्ति की कमी को देखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा को आउटसोर्स किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की स्वीकृति के बाद, अलग आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के सुझावों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।

अनुशंसाएं:

कम्पनी विचार कर सकती है कि:

- ***i) परियोजना प्रबंधन के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करे; और***
- ***ii) संगठन के आकार और आवश्यकता के अनुरूप अपनी स्वयं की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करे।***

4.2.12 निष्कर्ष

1. परियोजना नियोजन एवं प्रबंधन नियमावली के अभाव में परियोजनाओं की नियमित आधार पर पहचान नहीं की गयी। चिन्हित परियोजनाओं की योजना अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप सब-स्टेशन अधिभारित थे।
2. कम्पनी अधिकांश परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादित करने में विफल रही। इसमें परियोजनाओं के पूरा होने में अत्यधिक देरी के लिए प्रस्तुत औचित्य की समीक्षा करने और भविष्य में देरी से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं था। समझौतों और अनुबंधों के आवंटन और निष्पादन में कमियों के प्रकरण थे। कम्पनी के पास परियोजनाओं की निगरानी के लिए किसी औपचारिक समीक्षा तंत्र का भी अभाव था, जो सम्भावित बाधाओं की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद कर सके।

3. भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की पी एस डी एफ़ योजना के अतंर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले कार्य सौपने का पत्र जारी करने से अप्रभावी वित्त प्रबंधन के परिणामस्वरूप ₹ 20.27 करोड़ का अनुदान अनुपलब्ध रहा।
4. कम्पनी के पास अपना स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप समय पर प्रणाली में सुधार के लिए अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मौजूद था।

4.3 राजस्व की हानि

उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि ₹ 5.96 करोड

उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम, यू पी सी एल[82], राज्य में एकमात्र विद्युत वितरण लाइसेंसधारी है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग[83], यू पी सी एल को अपने भुगतान न करने वाले ग्राहकों से अपने हितों की रक्षा करने हेतु प्रतिभूति लेने और 15 दिनों की सूचना अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर अस्थाई विच्छेदन और अस्थाई विच्छेदन की तारीख से छः महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में स्थाई विच्छेदन किए जाने की शक्ति प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, यू पी सी एल ने उन उपभोक्ताओं, जो विशेष परिस्थितियों के कारण अपने विद्युत बकायों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, को किस्त सुविधा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश[84] जारी किए हैं। इस प्रकार दी गई किस्त सुविधाओं की शर्तों के अनुसार, किस्तें नियमित बिलों के साथ देय होंगी और किस्तों या नियमित बिलों के भुगतान में चूक की स्थिति में, विद्युत आपूर्ति बिना किसी सूचना के विच्छेदित की जा सकती है और बहाली केवल सम्पूर्ण बकाया धनराशि के भुगतान पर ही संभव होगी।

यू पी सी एल के विद्युत वितरण खंड - काशीपुर के अभिलेखों की जांच (मार्च 2022) से ज्ञात हुआ कि एक उपभोक्ता, मेसर्स मल्टीवाल पल्प एंड & बोर्ड मिल्स प्रा. लि. को मार्च 2016 से मई 2019 की अवधि के दौरान तीन बार[85] किस्त सुविधा प्रदान

---

[82] कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अतंर्गत फरवरी 2001 में निगमित कंपनी।

[83] उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विधयुत क्षेत्र में राज्य नियामक के रूप में कार्य करने के लिए गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।

[84] दिनांक 27 जून 2011 के ओएम सं. 1,900 और दिनांक 20 मई 2017 के ओएम सं. 3,893 के माध्यम से

[85] मार्च 2016, अक्टूबर 2018; और अप्रैल 2019।

की गई और अनेको बार अस्थायी विच्छेदन[86] करने बावजूद लगातार राजस्व का बकाया था, जैसा कि **चार्ट-4.3.1** में बताया गया है।

चार्ट-4.3.1: बकाया, किस्त की सुविधा और अस्थायी-विच्छेदन

बकाया राशि, किस्त सुविधा (IF), और अस्थायी कटौती (TD) को दर्शाने वाला ग्राफ

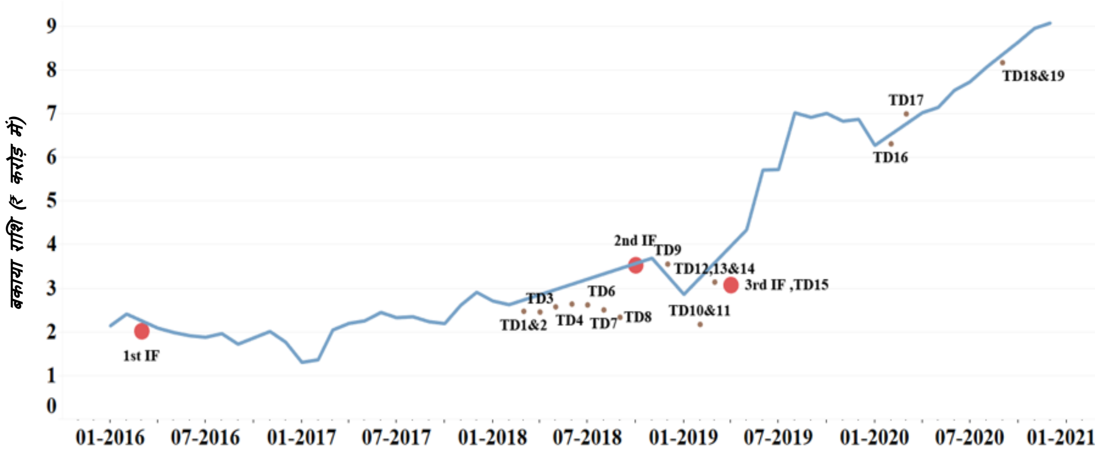

उपरोक्त ग्राफ से देखा जा सकता है कि मार्च 2016 और अक्टूबर 2018 में किस्त की सुविधा प्रदान करने के बावजूद, उपभोक्ता द्वारा बकाया का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जब तीसरी बार ₹ 2.17 करोड़ की किश्त की सुविधा प्रदान की गई (अप्रैल 2019), तब बकाया राशि, यू पी सी एल द्वारा रखी गई प्रतिभूति (₹ 2.21 करोड़) के करीब था। अस्थाई विच्छेदन के बाद भी, बकाया धनराशि की वसूली किए बिना विद्युत आपूर्ति बहाल करके, उपभोक्ता को लाभ पहुंचाया गया।

इस बीच, यू पी सी एल को (जून 2019) अंतरिम समाधान पेशेवर (आई आर पी) से एक सूचना मिली, जिसमें सूचित किया गया था कि दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के प्रावधानों के अतंर्गत उपभोक्ता के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी आई आर पी)[87] शुरू की गई है और 21 मई 2019 तक के विद्युत बकाया का दावा आई आर पी से किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यू पी सी एल को, उपभोक्ता को विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया था, जिसके बिलों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा सामान्य रूप से

[86] 13 और 22 मार्च 2018; 21 अप्रैल 2018; 07 मई 2018; 04 जून 2018; 17 जुलाई 2018; 20 अगस्त 2018; 18 सितंबर 2018; 05 दिसंबर 2018; 11 और 28 फरवरी 2019; 12, 25 और 30 मार्च 2019; 25 अप्रैल 2019; 25 फरवरी 2020; 13 मार्च 2020 और 01 सितंबर 2020।

[87] कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी आई आर पी) दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार एक कॉर्पोरेट देनदार के कॉर्पोरेट दिवालियापन को हल करने की प्रक्रिया है।

किया जाना था। तदनुसार, 21 मई 2019 तक की अवधि के ₹ 3.84 करोड़ का दावा आई आर पी को अग्रेषित किया गया और यू पी सी एल द्वारा उपभोक्ता को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई। हालांकि, उपभोक्ता ने अपने मासिक बिलों का या तो भुगतान नहीं किया या आंशिक भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप, सितंबर 2020 के बिलिंग माह, जब अंतिम अस्थाई विच्छेदन किया गया, के अंत तक कुल बकाया धनराशि बढ़कर ₹ 8.17 करोड़ हो गई। सी आई आर पी के अतंर्गत मामला लंबित होने के कारण 31 महीने (अप्रैल 2023[88]) से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद स्थायी विच्छेदन अभी तक नहीं किया गया था।

चूंकि यू पी सी एल के पास ₹ 2.21 करोड़ की जमानत राशि जमा है, अतः शेष ₹ 5.96 करोड़ (₹ 8.17 करोड़ - ₹ 2.21 करोड़) वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि उपभोक्ता मई 2019 से दिवालिया प्रक्रिया में है।

कम्पनी प्रबंधन ने कहा (मई 2023) कि हालांकि बकाया राशि की वसूली के लिए सभी उपलब्ध उपायों का प्रयोग किया जाता है, कई मामलों में, दंडात्मक कार्रवाई आंशिक वसूली की संभावनाओं को भी बहुत कमजोर बना देती है। इसके अतिरिक्त, संयोजन को स्थायी रूप से काटने के परिणामस्वरूप संभवतः एक बार में बकाया राशि की वसूली नहीं हो, लेकिन उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए, उन्होंने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियों के अनुसार उचित और व्यावहारिक तरीके से कार्य किया और बकाया राशि की वसूली की संभावनाओं को जीवित रखने के लिए उपभोक्ता को एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई का सहारा नहीं लिया।

कम्पनी प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ता की साख के मूल्यांकन और जांच पड़ताल किए बिना कई बार किस्त सुविधा प्रदान करके उपभोक्ता को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त, बकाया धनराशि का वसूली किए बिना 18 बार (अस्थाई विच्छेदन के बाद) विद्युत आपूर्ति बहाल करके बकाया धनराशि को बढ़ने की अनुमति दी गई, जो उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की किस्तों की सुविधा देने की अपनी शर्तों के साथ-साथ उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम, 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

---

[88] निश्चित शुल्क और देर से भुगतान अधिभार के आधार पर लगातार विद्युत बिल बनाए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2023 के विद्युत बिल में ₹ 20.45 करोड़ का बकाया शेष दर्शाया गया है।

ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार ने प्रस्तर पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक (मई 2023) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए आंतरिक जांच और निगरानी हेतु एक संगठित प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप विद्युत बकाया एकत्रित होता गया, जो बाद में उपभोक्ता के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात ₹ 5.96 करोड़ की सीमा तक अप्राप्य हो गया।

देहरादून **(संजीव कुमार)**

दिनांक: 25 अगस्त 2025 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

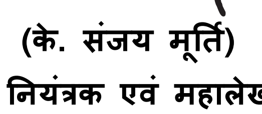

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 02 सितम्बर 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(सन्दर्भः प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 1)

विभाग और संबंधित संस्थाओं का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
1	2	3	4	5=3+4
1	कृषि	1. उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	-	1
2	पशुपालन	-	-	-
3	कला एवं संस्कृति	-	-	-
4	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ	-	-	-
5	गन्ना विकास विभाग	1. डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड 2. किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	-	2
6	सहकारिता	1. उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम लिमिटेड.	1. सहकारी न्यायाधिकरण	2
7	डेयरी विकास	-	-	-
8	पेयजल विभाग	-	1. पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम 2. उत्तराखण्ड जल संस्थान 3. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस डब्ल्यू एस एम) एवं स्वच्छता	3
9	कोष एवं वित्त सेवा निदेशालय	-	-	-
10	आपदा प्रबंधन	-	-	-
11	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	-	-	-
12	पारिस्थितकी पर्यटन	1. उत्तराखण्ड परिस्थितिकी पर्यटन विकास निगम	-	1
13	चुनाव	-	1. राज्य चुनाव आयोग	1
14	पर्यावरण संरक्षण एवं जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड	-	-	-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
15	फर्म, सोसायटी और चिट्स	-	-	-
16	मत्स्य पालन	-	-	-
17	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	-	-	-
18	वन विभाग	1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम	-	1
19	सामान्य प्रशासन सचिवालय विभाग	-	-	-
20	भूविज्ञान एवं खनन विभाग	-	-	-
21	उच्च शिक्षा		1. दून विश्वविद्यालय, देहरादून 2. कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल 3. डी बी एस कॉलेज, देहरादून 4. एम के पी जी कॉलेज, देहरादून 5. एस एम जे एन कॉलेज, हरिद्वार 6. एस सी ई आर टी नरेंद्रनगर 7. डी डब्ल्यू टी कॉलेज, देहरादून 8. डी ए वी (पी जी) कॉलेज, देहरादून 9. श्री गुरु राम राय कॉलेज, देहरादून 10. एम पी जी कॉलेज, मसूरी 11. आर एम पी (पी जी) कॉलेज, हरिद्वार 12. बी एस एम (पी जी) कॉलेज, रूड़की 13. के एल डी ए वी कॉलेज, रूड़की 14. चिन्मय डिग्री कॉलेज, हरिद्वार 15. एस डी पी सी कॉलेज, रूड़की 16. महिला महाविद्यालय (पी जी) कॉलेज, हरिद्वार 17. चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, काशीपुर	17
22	गृह विभाग	-	-	-
23	होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएँ	-	-	-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
24	उद्यान	-	-	-
25	उद्योग विभाग	1. उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 2. सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड 3. उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन 4. ट्रांस केबल लिमिटेड 5. उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड 6. यू पी हिल फ़ोन्स लिमिटेड 7. यू पी हिल क्वार्ट्ज़ लिमिटेड 8. कुमट्रॉन लिमिटेड 9. यू पी ए आई लिमिटेड	1. ग्राम एवं लघु उद्योग बोर्ड	10
26	सूचना एवं जनसंपर्क	-	-	-
27	सूचान प्रौद्योगिकी	-	-	-
28	सिंचाई	-	-	-
29	श्रम	-	1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना 2. श्रम आयुक्तालय 3. औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय	3
30	कानून एवं न्याय	-	-	-
31	चिकित्सीय शिक्षा	-	-	-
32	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	-	-
33	लघु सिंचाई	-	-	-
34	राष्ट्रीय बचत	-	-	-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
35	पंचायती राज	-	1. पंचायती राज संस्थान	2
			2. जिला पंचायत	
36	कार्मिक	-	1. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	2
			2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	
37	बिजली/ऊर्जा विभाग	1. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1. उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	6
		2. उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	
		3. उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड		
		4. किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
38	लोक निर्माण विभाग	1. ब्रिज, रोपवे, टनल एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	-	2
		2. उत्तरांचल परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		
39	राजस्व विभाग	-	-	-
40	ग्राम्य विकास	-	1. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)	1
41	ग्रामीण कार्य	-	1. उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी	1
42	संस्कृत शिक्षा	-	1. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1
43	विद्यालयी शिक्षा	-	1. सचिव शिक्षा बोर्ड, रामनगर	4
			2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा	
			3. राज्य परियोजना निदेशक, मध्याह्न भोजन	
			4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य साक्षरता मिशन	
44	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	-	-
45	रेशम उत्पादन	-	-	-

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
46	कौशल विकास एवं रोजगार	-	-	-
47	समाज कल्याण	1. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड 2. उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम 3. गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड 4. कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड 5. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	-	5
48	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	-	-	-
49	खेल	-	-	-
50	स्टाम्प एवं पंजीकरण	-	-	-
51	राज्य चुनाव आयोग	-	-	-
52	राज्य आबकारी	-	-	-
53	राज्य योजना आयोग	-	-	-
54	राज्य कर	-	-	-
55	तकनीकी शिक्षा	-	1. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून 2. जी बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौड़ी 3. कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा 4. जी बी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर	4

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) का नाम	अन्य संस्थाओं के नाम (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण आदि)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
56	पर्यटन	1. कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड 2. गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	-	2
57	परिवहन विभाग	1. उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2. उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण	2
58	शहरी विकास विभाग	1. देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड 2. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण 3. उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण लिमिटेड	-	3
59	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	-	-	-
60	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल	-	-	-
61	अन्य	-	1. मुख्यमंत्री सचिवालय 2. राज्यपाल सचिवालय 3. उत्तराखण्ड सूचना आयोग 4. विधानसभा सचिवालय	4
योग				***80***

परिशिष्ट-1.2

(सन्दर्भः प्रस्तर-1.6; पृष्ठ 7)

विभिन्न संस्थाओं के खातों का बकाया दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	सक्रिय या निष्क्रिय	वर्ष जिनके लिए लेखे बकाया हैं	बकाया लेखों की संख्या
1.	उत्तरांचल परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
2.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	सक्रिय	-	-
3.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
4.	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
5.	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	सक्रिय	2018-19 & 2020-21	4
6.	उत्तराखंड पुल, रोपेवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना विकास निगम	सक्रिय	2020-21 & 2021-22	2
7.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
8.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
9.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण लिमिटेड	सक्रिय	-	-
10.	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
11.	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
12.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उधम निगम लिमिटेड	सक्रिय	2021-22	1
13.	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम	सक्रिय	2021-22	1
14.	उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम	सक्रिय	2009-10 से 2021-22	13
15.	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	सक्रिय	2006-07 से 2021-22	16
16.	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	सक्रिय	2017-18 से 2021-22	5
17.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा विकास निगम	सक्रिय	2005-06 से 2021-22	17
18.	उत्तराखण्ड परिस्थितिकी पर्यटन विकास निगम	सक्रिय	2017-18 से 2021-22	5
19.	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	सक्रिय	2020-21 & 2021-22	2
20.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	सक्रिय	2016-17 से 2021-22	6

क्र. सं.	संस्था का नाम	सक्रिय या निष्क्रिय	वर्ष जिनके लिए लेखे बकाया हैं	बकाया लेखों की संख्या
21.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	सक्रिय	2021-22	1
22.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	सक्रिय	2020-21 & 2021-22	2
23.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम लिमिटेड	सक्रिय	2019-20 से 2021-22	3
24.	उत्तराखण्ड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	सक्रिय	2021-22	1
25.	उत्तराखण्ड जल संस्थान	सक्रिय	2020-21 & 2021-22	2
26.	यू ई आर सी	सक्रिय	2021-22	1
27.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन	निष्क्रिय	2014-15 से 2021-22	8
28.	यू पी हिल फ़ोन्स लिमिटेड (यू पी हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1987-88 से 2021-22	35
29.	यू पी हिल क्वार्ट्ज़ लिमिटेड (यू पी हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1989-90 से 2021-22	33
30.	कुमट्रॉन लिमिटेड (यू पी हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1990-91 से 2021-22	32
31.	यू पी ए आई लिमिटेड	निष्क्रिय	1991 से परिसमापन के अन्तर्गत	-
32.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी)।	निष्क्रिय	2009-10 से 2021-22	13
33.	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1987-88 से 2021-22	35
34.	ट्रांस केबल लिमिटेड (कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	2000-01 से 2021-22	22
35.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कंपनी)	निष्क्रिय	1997-98 से 2021-22	25
	कुल			***292***

परिशिष्ट- 2.3.1

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.7.4; पृष्ठ 27)

कार्यों को पूर्ण करने में विलंब का विवरण

(30 जून 2022 की स्थिति)

पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	कार्यों की सं.	कार्यों की आई डी सं	प्रगतिशील कार्यों का विवरण	कार्यों की सं.	कार्यों की आई डी सं
समयान्तर्गत (अनुबन्ध के अनुसार)	03	एस एल- 05, 06 व 09	06 माह तक के विलंब के साथ	08	बी आर- 51, 62, 66, 87, 88, 99 व 100 तथा एस एल- 07
06 माह तक के विलंब से	24	बी आर- 38, 40, 41, 45, 46, 55, 56, 59, 60, 65, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 89, 90, 91, व 96 एस एल-8, 10, 11 व 12	06 से 12 माह तक के विलंब के साथ	15	बी आर- 52, 54, 58, 69, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94 व 98 यू एस डी एम ए भवन
06 माह से अधिक विलंब से	18	बी आर- 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 57, 61, 63, व 64 तथा आर बी पी 02, 04, 05, 07 व 08	12 माह से अधिक विलंब के साथ (13 - 29 माह)	05	बी आर- 32, 44, 47 व 72 एस डी आर एफ़ (चरण-I)
कुल पूर्ण कार्य	*45*		*कुल प्रगतिशील कार्य*	*28*	
कुल कार्यों की सं. = 73 (58 सेतु (बी आर), 08 ढलान (एस एल) एवं 05 नदी तट संरक्षण एवं 02 सार्वजनिक भवन कार्य)					

परिशिष्ट- 2.3.2

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.7.4; पृष्ठ 27)

उ आ रि प - अ वि के निर्धारित समापन के बाद पूर्ण होने वाले संभावित कार्यों का विवरण

(30 जून 2022 की स्थिति)

क्र. सं.	कार्य का नाम	पैकेज संख्या	प्रारम्भ तिथि / कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	जून 2022 तक भौतिक प्रगति (*प्रतिशत*)	लागत (₹ करोड़ में)
1.	पालागवाड़ी-चलुरसीम पैदल मार्ग पर 70 मीटर लंबा स्टील ट्रस ब्रिडल सेतु	बीआर- 85	06.02.2021 31.03.2022	26	4.91
2.	हर्सिल में भागीरथी नदी पर 42 मीटर स्पान स्टील ट्रस मोटर सेतु	बीआर- 69	06.02.2021 31.03.2022	63	5.44
3.	आई टी पार्क देहरादून में यू एस डी एम ए भवन	एएफ़/02/पीबी	01.01.2020 31.12.2021	50.12	72.00
	योग				***82.35***

परिशिष्ट- 2.3.3

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.7.5; पृष्ठ 28)

स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में लगे समय का विवरण

क्र. सं.	उपकरण का नाम	एच पी सी की स्वीकृति तिथि	आर एफ़ क्यू प्रकाशन की तिथि	एल ओ ए निर्गत करने की तिथि	अनुबन्ध गठित करने की तिथि	वास्तविक आपूर्ति की तिथि	अधिप्राप्ति में लिया गया समय (माह में)	लागत (₹ करोड़ में)
1.	एम्बुलेंसों की आपूर्ति (100 बी एल एस एवं 40 ए एल एस)	15.04.2020 व 28.05.2020	25.06.2020	22.09.2020	09.10.2020	जनवरी 2021 से मार्च 2021	10	36.96
2.	650 फाव्लर बेड्स (चरण -II)	15.03.2021	25.08.2021	08.11.2021	23.11.2021	23.02.2022 से 10.06.2022	15	1.26
3.	सी टी स्कैन् मशीन	02.06.2020	25.06.2020	22.09.2020	19.10.2020	07.03.2021 से 03.07.2021	13	25.75
4.	डिजिटल रेडियोग्राफ सिस्टम 800 एम ए	10.03.2021	19.07.2021	06.10.2021	09.11.2021	25.03.2022	12	2.37
5.	एम आर आई मशीन	01.06.2021	02.03.2022	06.09.2022	10.10.2022	मई 2023	22	39.00
	योग							***105.34***

परिशिष्ट- 2.3.4(अ)

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.8.1; पृष्ठ 31)

बढ़ी हुयी दर अनुसूचियों (एस ओ आर) के उपयोग से कार्यों की अतिरिक्त लागत

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	पैकेज़ सं.	जिला	डी पी आर के अनुसार मात्रा (मी.ट.)	एस ओ आर वर्ष/ विकास खण्ड	डी पी आर के अनुसार इकाई दर	संसाधन लागत	दर सूची के अनुसार 12.5% ओ एच	सेतु के लिए 10% ओ एच	योग	अति. 1% श्रम उपकर	लेखापरीक्षा के अनुसार इकाई दर	अंतर	लागत प्रभाव
लघु स्टील सेतुओं की आपूर्ति और फेब्रीकेशन (24 संख्या)													
1.	बीआर-31	अल्मोड़ा	30.00	2017-18 / स्याल्दे	78066.93	60622.74	7577.84	6062.27	74262.86	742.63	75005.50	3061.45	91,843.35
2.	बीआर-84	अल्मोड़ा	39.01	2019-20 / भिकीयसैंण	91071.8	68543.07	8567.88	6854.31	83965.26	839.65	84804.91	6266.89	2,44,471.20
3.	बीआर-93	अल्मोड़ा	193.90	2019-20 / सल्ट	91071.80	67896.02	8487.00	6789.60	83172.62	831.73	84004.35	7067.45	13,70,378.00
4.	बीआर-39	बागेश्वर	36.36	2019-20 / कपकोट	94503.40	70454.28	8806.79	7045.43	86306.49	863.06	87169.56	7333.84	2,66,658.50
5.	बीआर-44	बागेश्वर	80	2019-20 / कपकोट	94503.40	70454.28	8806.79	7045.43	86306.49	863.06	87169.56	7333.84	5,86,707.40
6.	बीआर-40	बागेश्वर	33.23	2019-20 / कपकोट	94503.40	70454.28	8806.79	7045.43	86306.49	863.06	87169.56	7333.84	2,43,703.60
7.	बीआर-96	चम्पावत	53.90	2019-20 / चम्पावत	91675.30	67282.30	8410.29	6728.23	82420.82	824.21	83245.03	8430.27	4,54,391.55
8.	बीआर-38	देहरादून	51.57	2019-20 / रायपुर	90132	67195.54	8399.44	6719.55	82314.54	823.15	83137.68	6994.32	3,60,725.00
9.	बीआर-56	देहरादून	38.91	2019-20 / कालसी	91607.70	68295.49	8536.94	6829.55	83661.98	836.62	84498.60	7109.11	2,76,615.30
10.	बीआर-57	देहरादून	279.36	2019-20 / रायपुर	90132	67195.54	8399.44	6719.55	82314.54	823.15	83137.68	6994.32	19,53,933.00
11.	बीआर-75	नैनीताल	184.80	2019-20 / बेतालघाट	91373.50	68120.97	8515.12	6812.10	83448.19	834.48	84282.67	7090.83	13,10,385.00
12.	बीआर-54	नैनीताल	164.30	2019-20 / ओखलकांडा	92447.30	68921.46	8615.18	6892.15	84428.79	844.29	85273.08	7174.22	11,78,725.00
13.	बीआर-37	पौड़ी	185.00	2019-20 / जयहरीखाल	90741.30	67649.68	8456.21	6764.97	82870.86	828.71	83699.57	7041.73	13,02,721.00
14.	बीआर-51	पौड़ी	176.95	2019-20 / कल्जीखाल	92095.50	68659.16	8582.40	6865.92	84107.47	841.07	84948.55	7146.95	12,64,654.00
15.	बीआर-45	रुद्रप्रयाग	54.60	2019-20 / जखोली	94208	70234.13	8779.27	7023.41	86036.81	860.37	86897.18	7310.82	3,99,170.90
16.	बीआर-36	टिहरी	39.73	2019-20 / नरेन्द्र् नगर	91049.96	67879.69	8484.96	6787.97	83152.62	831.53	83984.15	7065.81	2,80,710.60
17.	बीआर-63	टिहरी	53.90	2019-20 / नरेन्द्र् नगर	91049.96	67879.69	8484.96	6787.97	83152.62	831.53	83984.15	7065.81	3,80,847.40
18.	बीआर-55	टिहरी	283.23	2019-20 / भिलंगना	93665.30	69829.54	8728.70	6982.95	85541.19	855.41	86396.60	7268.70	20,58,713.90
19.	बीआर-33	उत्तरकाशी	183.40	2017-18 / नौगांव	83767.90	61413.27	7676.66	6141.33	75231.26	752.31	75983.57	7784.33	14,27,646.00
20.	बीआर-59	उत्तरकाशी	180.35	2019-20 / मोरी	94830.20	70697.97	8837.25	7069.80	86605.01	866.05	87471.06	7359.14	13,27,220.00

क्र.सं.	पैकेज़ सं.	जिला	डी पी आर के अनुसार मात्रा (मी.ट.)	एस ओ आर वर्ष/ विकास खण्ड	डी पी आर के अनुसार इकाई दर	संसाधन लागत	दर सूची के अनुसार 12.5% ओ एच	सेतु के लिए 10% ओ एच	योग	अति. 1% श्रम उपकर	लेखापरीक्षा के अनुसार इकाई दर	अंतर	लागत प्रभाव
21.	बीआर-64	उत्तरकाशी	193.90	2019-20 / नौगांव	93613.50	69790.91	8723.86	6979.09	85493.86	854.94	86348.80	7264.70	14,08,625.00
22.	बीआर-41	उत्तरकाशी	34.02	2019-20 / डूँडा	94005.70	70083.26	8760.41	7008.33	85852	858.52	86710.51	7295.19	2,48,211.40
23.	बीआर-80	उत्तरकाशी	198.70	2019-20 / पुरोला	93501.60	69707.45	8713.43	6970.75	85391.63	853.92	86245.54	7256.06	14,41,779.00
24.	बीआर-69	उत्तरकाशी	184.30	2019-20 / भटवाडी	95214.10	70984.23	8873.04	7098.43	86955.77	869.56	87825.33	7388.78	13,61,751.00
												योग	***2,12,40,588***
लघु स्टील सेतुओं का संयोजन (24 संख्या)													
1.	बीआर-31	अल्मोड़ा	30.00	2017-18 / स्याल्दे	20997.92	16305.90	2038.29	1630.59	19974.73	199.75	20174.47	823.45	24,703.36
2.	बीआर-84	अल्मोड़ा	39.01	2019-20 / भिकीयसेंण	24507.80	18734.45	2341.81	1873.45	22949.70	229.50	23179.20	1328.60	51,828.75
3.	बीआर-93	अल्मोड़ा	193.90	2019-20 / सल्ट	24507.80	18271.13	2283.90	1827.11	22382.14	223.82	22605.96	1901.84	3,68,767.60
4.	बीआर-39	बागेश्वर	36.36	2019-20 / कपकोट	27085.70	20193.03	2524.13	2019.30	24736.46	247.36	24983.82	2101.88	76,424.36
5.	बीआर-44	बागेश्वर	80.00	2019-20 / कपकोट	27085.70	20193.03	2524.13	2019.30	24736.46	247.36	24983.82	2101.88	1,68,150.40
6.	बीआर-40	बागेश्वर	33.23	2019-20 / कपकोट	27085.70	20193.03	2524.13	2019.30	24736.46	247.36	24983.82	2101.88	69,845.47
7.	बीआर-96	चम्पावत	53.90	2019-20 / चम्पावत	25357.50	17660.38	2207.55	1766.04	21633.97	216.34	21850.31	3507.20	1,89,038.00
8.	बीआर-38	देहरादून	51.57	2019-20 / रायपुर	24062.60	17939.17	2242.40	1793.92	21975.48	219.75	22195.24	1867.36	96,276.38
9.	बीआर-56	देहरादून	38.91	2019-20 / कालसी	25010.10	18645.56	2330.70	1864.56	22840.81	228.41	23069.22	1940.88	75,519.68
10.	बीआर-57	देहरादून	279.36	2019-20 / रायपुर	24062.60	17939.17	2242.40	1793.92	21975.48	219.75	22195.24	1867.36	5,21,666.20
11.	बीआर-75	नैनीताल	184.80	2019-20 / बेतालघाट	24731.30	18437.78	2304.72	1843.78	22586.28	225.86	22812.14	1919.16	3,54,660.20
12.	बीआर-54	नैनीताल	164.30	2019-20 / ओखलकांडा	25665.50	19059.65	2382.46	1905.97	23348.07	233.48	23581.55	2083.95	3,42,392.70
13.	बीआर-37	पौड़ी	185	2019-20 / जयहरीखाल	24520	18280.18	2285.02	1828.02	22393.22	223.93	22617.15	1902.85	3,52,026.70
14.	बीआर-51	पौड़ी	176.95	2019-20 / कल्जीखाल	25529	19032.47	2379.06	1903.25	23314.78	233.15	23547.92	1981.08	3,50,551.50
15.	बीआर-45	रुद्रप्रयाग	54.60	2019-20 / जखोली	27039.30	20158.39	2519.80	2015.84	24694.03	246.94	24940.97	2098.33	1,14,568.90
16.	बीआर-36	टिहरी	39.73	2019-20 / नरेन्द्र नगर	24544.25	18298.24	2287.28	1829.82	22415.34	224.15	22639.50	1904.75	75,672.01
17.	बीआर-63	टिहरी	53.90	2019-20 / नरेन्द्र नगर	24544.25	18298.24	2287.28	1829.82	22415.34	224.15	22639.50	1904.75	1,02,666.00
18.	बीआर-55	टिहरी	283.23	2019-20 / भिलंगना	26592.70	19825.43	2478.18	1982.54	24286.15	242.86	24529.01	2063.69	5,84,498.92
19.	बीआर-33	उत्तरकाशी	183.40	2017-18 / नौगांव	23714.90	16979.57	2122.45	1697.96	20799.97	208.00	21007.97	2706.93	4,96,450.40

क्र.सं.	पैकेज़ सं.	जिला	डी पी आर के अनुसार मात्रा (मी.ट.)	एस ओ आर वर्ष/ विकास खण्ड	डी पी आर के अनुसार इकाई दर	संसाधन लागत	दर सूची के अनुसार 12.5% ओ एच	सेतु के लिए 10% ओ एच	योग	अति. 1% श्रम उपकर	लेखापरीक्षा के अनुसार इकाई दर	अंतर	लागत प्रभाव
20.	बीआर-59	उत्तरकाशी	180.35	2019-20 / मोरी	27529.30	20523.76	2565.47	2052.38	25141.61	251.42	25393.02	2136.28	3,85,277.70
21.	बीआर-64	उत्तरकाशी	193.90	2019-20 / नौगांव	26544.80	19789.77	2473.72	1978.98	24242.47	242.42	24484.89	2059.91	3,99,416.00
22.	बीआर-41	उत्तरकाशी	34.02	2019-20 / डूँड़ा	26748.70	19941.75	2492.72	1994.18	24428.64	244.29	24672.93	2075.77	70,625.99
23.	बीआर-80	उत्तरकाशी	198.70	2019-20 / पुरोला	26480.10	19741.53	2467.70	1974.15	24183.37	241.83	24425.21	2054.90	4,08,307.00
24.	बीआर-69	उत्तरकाशी	184.30	2019-20 / भटवाडी	27658.60	20620.08	2577.51	2062.01	25259.60	252.60	25512.19	2146.41	3,95,582.60
												योग	***60,74,916.82***
लघु स्टील सेतुओं की आपूर्ति व फेब्रीकेशन तथा संयोजन का कुल योग (24 संख्या) = (2,12,40,588) + (60,74,917) = 2,73,15,505													
आगणन के प्रावधानों के अनुसार 15 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ (02 प्रतिशत आकस्मिता व 01 प्रतिशत गुणवत्ता नियंत्रण चार्ज एवं 12 प्रतिशत जी एस टी) = 40,97,326													
महा योग = 3,14,12,831													

परिशिष्ट- 2.3.4(ब)

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.8.1; पृष्ठ 31)

बढ़ी हुयी दर अनुसूचियों (एस ओ आर) के उपयोग से कार्यों की अतिरिक्त लागत

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	पैकेज़ सं.	जिला	डी पी आर के अनुसार मात्रा (मी.ट.)	एस ओ आर वर्ष/ विकास खण्ड	डी पी आर के अनुसार इकाई दर	संसाधन लागत	दर सूची के अनुसार 12.5% ओ एच	सेतु के लिए 10% ओ एच	योग	अति. 1% श्रम उपकर	लेखापरीक्षा के अनुसार इकाई दर	अंतर	लागत पर प्रभाव
वृहद स्टील सेतुओं की आपूर्ति और फेब्रीकेशन (08 संख्या)													
1.	बीआर-32	अल्मोड़ा	360.00	2017-18 / स्याल्दे	81300.00	60622.74	7577.84	9093.41	77293.99	772.94	78066.93	3233.07	11,63,904
2.	बीआर-92	अल्मोड़ा	299.92	2019-20 / सल्ट	91071.80	67896.02	8487.01	10184.40	86567.43	865.67	87433.10	3638.70	10,91,319
3.	बीआर-94	अल्मोड़ा	254.70	2019-20 / सल्ट	91071.80	67896.02	8487.01	10184.40	86567.43	865.67	87433.10	3638.70	9,26,777
4.	बीआर-62	बागेश्वर	302.10	2019-20/बागेश्वर	93881.20	69990.47	8748.81	10498.57	89237.85	892.38	90130.23	3750.97	11,33,168
5.	बीआर-83	पौड़ी	352.10	2019-20/जयहरीखाल	90741.30	67649.68	8456.21	10147.45	86253.34	862.53	87115.88	3625.43	12,76,512
6.	बीआर-47	पिथौरागढ़	351.20	2019-20/मुंस्यारी	98718.70	73596.88	9199.61	11039.53	93836.02	938.36	94774.38	3944.32	13,85,245
7.	बीआर-46	पिथौरागढ़	352.10	2019-20/गंगोलिहाट	94390.10	70369.86	8796.23	1055.48	89721.57	897.22	90618.79	3771.31	13,27,879
8.	बीआर-52	पिथौरागढ़	451.00	2019-20/ बेरीनाग	94517.20	70464.61	8808.08	10569.69	89842.38	898.42	90740.80	3776.40	17,03,156
												योग	*1,00,07,960*
वृहद स्टील ट्रस सेतुओं का संयोजन (08 संख्या)													
1.	बीआर-32	अल्मोड़ा	360.00	2017-18 / स्याल्दे	35300.00	16305.90	2038.24	2445.89	20790.02	207.90	20997.92	14302.08	51,48,748
2.	बीआर-92	अल्मोड़ा	299.92	2019-20 / सल्ट	24507.80	18271.13	2283.89	2240.67	23295.69	232.96	23528.65	979.15	2,93,667.40
3.	बीआर-94	अल्मोड़ा	254.70	2019-20 / सल्ट	24507.80	18271.13	2283.89	2240.67	23295.69	232.96	23528.65	979.15	2,49,390.10
4.	बीआर-62	बागेश्वर	302.10	2019-20/बागेश्वर	26644.50	19864.12	2483.02	2979.62	25326.75	253.27	25580.02	1064.48	3,21,579.41
5.	बीआर-83	पौड़ी	352.10	2019-20/जयहरीखाल	24520	18280.18	2285.02	2742.03	23307.23	233.07	23540.30	979.70	3,44,954.70
6.	बीआर-47	पिथौरागढ़	351.20	2019-20/मुंस्यारी	30490.60	22731.41	2841.43	3409.71	28982.55	289.83	29272.37	1218.23	4,27,842.37
7.	बीआर-46	पिथौरागढ़	352.10	2019-20/गंगोलिहाट	26953.60	20094.50	2511.81	3014.18	25620.49	256.21	25876.69	1076.91	3,79,179.20
8.	बीआर-52	पिथौरागढ़	451.00	2019-20/ बेरीनाग	27098.70	20202.72	2525.34	3030.41	25758.47	257.58	26016.05	1082.65	4,88,273.90
												योग	*76,53,635.0*
वृहद स्टील सेतुओं की आपूर्ति व फेब्रीकेशन तथा संयोजन का कुल योग (08 संख्या) = (1,00,07,960) + (76,53,635) = 1,76,61,595													
आगणन के प्रावधानों के अनुसार 15 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ (2 प्रतिशत आकस्मिता व 1 प्रतिशत गुणवत्ता नियंत्रण चार्ज एवं 12 प्रतिशत जी एस टी) = 26,49,239													
महा योग = 2,03,10,834													

परिशिष्ट- 2.3.5(अ)

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.8.3; पृष्ठ 35)

दोषपूर्ण डिजाइन को अपनाने के कारण एस डी आर एफ परिसर की आंतरिक सड़कों की अतिरिक्त लागत

(धनराशि ₹ में)

आच्छादित क्षेत्रफल	आई आर सी-एस पी-62 के अनुसार पेवमेंट संरचना			दर/ (मी³)	लागत
	सामग्री/मद	मोटाई	मात्रा (मी³)		
19,314.45 व.मी.	जी एस बी (जी-1)	100 मिमी	1931.445	3,000	57,94,335
	डबल्य बी एम (जी-3)	75 मिमी	1,48.58	3,000	43,45,751
	सी सी एम-30	180 मिमी	3476.60	8,000	2,78,12,808
				योग (अ)	***3,79,52,894***
अतिरिक्त लागत = कुल स्वीकृत लागत ₹ 4.78 करोड़ - ₹ 3.80 करोड़ (अ) = ₹ 98.37 लाख +12 प्रतिशत जी एस टी = ₹ 1.10 करोड़					

परिशिष्ट- 2.3.5(ब)

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.8.3; पृष्ठ 35)

पेवमेंट की मोटाई के दोषपूर्ण/अतिरिक्त प्रावधान का विवरण

(धनराशि ₹ में)

ढलान सं.	माप (मीटर में)			मात्रा (घ.मी. में)	एसओआर (₹/घ.मी.)	लागत
	लम्बाई	चौड़ाई	मोटाई			
एसएल-08	135	10.08	0.15	204.12	5,428.0	11,07,963
एसएल-09	120	8.07	0.15	145.26	5,428.0	7,88,471
एसएल-10	100	6.17	0.15	92.55	5,143.2	4,76,003
एसएल-11	120	9.46	0.15	170.28	5,581.7	9,50,452
एसएल-12	160	5.82	0.15	139.68	5,143.2	7,18,402
योग						***40,41,291***
अतिरिक्त 12 प्रतिशत जी एस टी						***4,84,955***
महा योग						***45,26,246***

परिशिष्ट- 2.3.6

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.9.1; पृष्ठ 36)

निविदाओं को अंतिम रूप देने और अनुबंध आवंटन में असामान्य विलम्ब

उप-परियोजना का नाम	कार्यों की सं.	विलम्ब से अंतिम रूप दिये गए अनुबन्धों की सं. (120+21 दिनों के उपरान्त)	एलओए निर्गत होने के उपरान्त विलम्ब से गठित अनुबन्धों की संख्या (21 दिनों के उपरान्त)
सेतु	**58**	**22 (145 से 329 दिन)** (बीआर- 45, 51, 52, 55, 66, 69, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 व 96)	**47 (27 से 103 दिन)** (बीआर- 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96 व 99)
सड़क सुरक्षा कार्य	**08**	**03 (155 से 195 दिन)** (एसएल-09, 11 व 12)	**07 (30 से 137 दिन)** (एसएल- 05, 06, 07, 08, 10, 11 व 12)
नदी तट संरक्षण कार्य	**05**	-	**03 (50 दिन)** (आरबीपी- 04, 05 व 07)
सार्वजनिक भवन	**02**	-	**02 (39 से 50 दिन)**
कुल कार्यों की सं. = 73		***73 में से 25 (34 प्रतिशत)***	***73 में से 59 (81 प्रतिशत)***

परिशिष्ट- 2.3.7

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.9.2; पृष्ठ 37)

विभिन्न कंसल्टेंसी फर्मों द्वारा प्रमुख विशेषज्ञों के लिए भारित किए गए पारिश्रमिक का विवरण

(धनराशि ₹ में)

पद/सेवा का नाम	डी.एस.सी. ढलान के लिए जे एस वी टेक्नोक्रेट एल एल पी के सहयोग से मै. कंसोलिडेटेड कंसल्टेंट ग्रुप (सी सी ई ई) (यूडीआरपी/आर व बी/एएफ़/डीएससी/आरपी/01 दिनाँक 18.08.2018)	सी.एस.सी. न त सं के लिए वाइटल वर्टेक्स वेन्यू वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मै. टी पी एफ गेटिंसा यूरोस्टूडियोस एस.एल. (यूडीआरपी/आर व बी/एएफ़/सीएससी/आरबीपी/01 दिनाँक 06.09.2018	डी.एस.सी. सेतु के लिए वाइटल वर्टेक्स वेन्यू वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मै. टी पी एफ गेटिंसा यूरोस्टूडियोस एस एल (यूडीआरपी/आर व बी/एएफ़/डीएससी/बी/01 दिनाँक 29.11.2018
टीम लीडर	3,20,000	4,25,000	4,50,000
जियो-टेक इंजीनियर	2,00,000	3,50,000	-
स्ट्रक्चरल इंजीनियर	2,00,000	-	4,00,000
रेजीडेंट इंजीनियर	1,90,000	2,50,000	2,75,000
गुणवत्ता नियंत्रक	85,000	1,00,000	1,00,000
स्थल पर्यवेक्षक	65,000	80,000	80,000
एम आई एस	2,00,000	95,000	95,000
टी एल ऑफिस चार्ज	40,000	1,20,000	85,000/80,000
वाहन चार्ज	42,000/55,000	62,000	62,000

परिशिष्ट- 2.3.8

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.10.4; पृष्ठ 43)

न त सं कार्यों में निष्पादित आर सी सी एम-30 फेशिया कार्य का विवरण

न त सं कार्य का नाम	न त सं कार्यों के लिए आर सी सी एम-30 फेशिया कार्य				कुल मात्रा (घ.मी. में)
	विवरण	दीवार (3 मी ऊंचाई)	फाउंडेशन ब्लॉक	एप्रोन ब्लॉक	
कोठियालसैण (405 मीटर)	निष्पादित लम्बाई (आर एम)	285.35	275.35	238.55	
	कम लम्बाई (आर एम)	119.65	129.65	166.45	
	निष्पादित मात्रा (मी^{3})	501.196	210.44	432.00	1143.636
बिरही (472 मीटर)	निष्पादित लम्बाई (आर एम)	260.30	00	472	
	कम लम्बाई (आर एम)	211.70	472	00	
	निष्पादित मात्रा (मी^{3})	1054.61	00	794.18	1848.79
					2,992.426

स्रोतः कार्यों के अंतिम विचलन विवरण।

परिशिष्ट- 2.3.9(अ)

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.11.2; पृष्ठ 47)

हर्जाने का विवरण (क्षे प क्रि इ के कार्य)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	अनुबन्ध संख्या	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्यपूर्ति तिथि (अनुबन्ध के अनुसार)	स्वीकृत समय विस्तार सीमा	स्वीकृत समय विस्तार कुल दिन	समय विस्तार के लिए ली गयी अनिरंतर वर्षा अवधि	अनिरंतर वर्षा अवधि का हर्जाना	रोका/ काटा गया हर्जाना	अवशेष
क्षे प क्रि इ टिहरी									
1.	152/यूडीआरपी/एएफ़/29	12.07.2018	11.10.2019	25.07.2021	368	21	801003	0	801,003
2.	05/ यूडीआरपी/एएफ़/30	03.08.2018	02.11.2019	14.07.2020	256	55	438075	0	438,075
3.	204/ यूडीआरपी/एएफ़/55	28.10.2020	27.01.2022	28.04.2022	91	15	426000	0	426,000
4.	181/ यूडीआरपी/एएफ़/63	20.02.2020	19.02.2021	27.10.2021	250	7	72002	0	72,002
क्षे प क्रि इ बागेश्वर									
5.	159/यूडीआरपी/एएफ़/31/(बीआर)	10.05.2018	22.12.2019	11.07.2020	203	29	213324	36780	176,544
6.	162/यूडीआरपी/एएफ़/32(बीआर)	12.07.2018	05.03.2020	14.04.2022	770	96	5754912	0	5754,912
7.	165/यूडीआरपी/एएफ़/39(बीआर)*	27.01.2020	26.04.2021	09.12.2021	115	39	775359	0	775,359
8.	196/यूडीआरपी/एएफ़/बीआर/93	27.08.2020	26.11.2021	21.04.2022	146	14	292600	104500	188,100
9.	187/यूडीआरपी/एएफ़/बीआर/94*	10.09.2020	09.03.2022	01.08.2022	147	14	461706	0	461,706
10	186/यूडीआरपी/एएफ़/बीआर/92*	02.10.2020	01.04.2022	20.10.2022	202	15	624525	0	624,525
11	195/यूडीआरपी/एएफ़/बीआर /84	16.10.2020	15.01.2022	21.10.2022	279	36	453348	0	453,348
12	217/यूडीआरपी/एएफ़/बीआर/87	19.12.2020	31.03.2022	17.09.2022	170	13	774202	0	774,202
13	216/यूडीआरपी/एएफ़/बीआर/88	13.12.2020	31.03.2022	17.09.2022	170	13	774423	0	774,423
14	221/यूडीआरपी/एएफ़/बीआर/85	06.02.2021	31.03.2022	07.07.2022	98	22	540584	0	540,584
क्षे प क्रि इ रुद्रप्रयाग									
15	01/सीबी/यूडीआरपी-एएफ़/05	05.11.2018	04.05.2020	25.12.2021	600	100	6313730	2486019	3827,711
16	02/सीबी/यूडीआरपी-एएफ़/04	05.11.2018	04.05.2020	28.03.2021	328	87	6725841	773085	5952,756
17	03/सीबी/यूडीआरपी-एएफ़/02	05.11.2018	04.05.2020	28.03.2021	328	93	4823657	1956693	2866,964
18	04/सीबी/यूडीआरपी-एएफ़/07*	21.01.2020	28.07.2021	31.03.2022	254	62	1132565	0	1132,565
19	05/सीबी/यूडीआरपी-एएफ़/08 *	29.01.2020	28.07.2021	15.05.2022	291	62	2986426	0	2986,426
क्षे प क्रि इ उत्तरकाशी									
20	150/यूडीआरपी/एएफ़/33(बीआर)	07.07.2018	06.10.2019	26.07.2020	294	72	1590840	0	1590,840
21	178/ यूडीआरपी/एएफ़/72(बीआर)	15.02.2020	14.08.2021	19.10.2022	431	38	1040136	0	1040,136
22	192/यूडीआरपी/एएफ़/90(बीआर)	04.08.2020	18.01.2022	17.02.2022	106	30	312210	0	312,210
23	203/यूडीआरपी/एएफ़/बीआर/79*	06.11.2020	31.03.2022	26.09.2022	233	15	112050	0	112,050
24	220/ यूडीआरपी/एएफ़/बीआर/69	06.02.2021	31.03.2022	17.11.2022	105	29	788771	0	788,771
25	174/यूडीआरपी/एएफ़/59(बीआर)	01.02.2020	30.04.2021	04.11.2021	188	13	244218	0	244,218
26	176/यूडीआरपी/एएफ़/64(बीआर)	15.02.2020	14.05.2021	12.01.2022	243	11	271601	0	271,601
27	185/यूडीआरपी/एएफ़/81(बीआर)	01.07.2020	30.09.2021	09.02.2022	132	37	953860	0	953,860
28	200/यूडीआरपी/एएफ़/80(बीआर)*	21.08.2020	20.11.2021	20.02.2022	92	16	440976	0	440,976
29	218/यूडीआरपी/एएफ़/58/(बीआर)*	08.01.2021	31.03.2022	31.12.2022	275	11	441518	0	441,518
योग							***40580461***	***5357077***	***3522,3384***

**प्रकरण जिनमे हर्जाना रोका गया एवं बाद में जारी कर दिया गया।*

परिशिष्ट- 2.3.9(ब)

(सन्दर्भः प्रस्तर- 2.3.11.2; पृष्ठ 47)

प क्रि इ के कार्यों में हर्जाने का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	अनुबन्ध संख्या एवं दिनाँक	अनुबन्ध के अनुसार आपूर्ति की देय तिथि	आपूर्ति की वास्तविक तिथि	विलंबित दिनों की संख्या	जी सी सी/ पी सी सी के अनुसार हर्जाना
प क्रि इ (स्वास्थ्य)					
1.	201/08/पीआईयू-हेल्थ/सीईआरसी/यूडीआरपी-एएफ़/2020 दिनाँक 23.11.2021	20-02.2022	23.02.2022 से 10.06.2022	03 से 110	30,280
2.	02/पीआईयू-हेल्थ/सीईआरसी/ यूडीआरपी-एएफ़ /2020 दिनाँक 09.10.2020	07.02.2021	05.03.2021	23 days	2,75,875
3.	197/07/ पीआईयू-हेल्थ/ सीईआरसी/यूडीआरपी-एएफ़ /2020 दिनाँक 09.11.2021	06.02.2022	25.03.2022	46 (06 सप्ताह)	7,12,320
प क्रि इ (सार्वजनिक भवन)					
4.	एएफ़/02/बीसी/पीआईयू/ पीबी/यूडीआरपी/2019 दिनाँक 10.12.2019	31.12.2021	प्रगति पर	-	6,54,94,426
5.	एएफ़/01बी/बीसी/पीआईयू/पीबी/यूडीआरपी/2018 दिनाँक 18.12.2018	16.07.2020	प्रगति पर	-	7,90,23,916
योग					***14,55,36,817***

परिशिष्ट- 2.3.10

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.3.11.3; पृष्ठ 48)

बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण न करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	क्षे प क्रि इ का नाम	आंतरायिक अवधि के दौरान बीमा न किए प्रकरणों की संख्या		जी सी सी/ पी सी सी के अनुसार जुर्माना
		सं.	पैकेज संख्या	
1.	क्षे प क्रि इ रुद्रप्रयाग	05	आरबीपी - 02, 04, 05, 07 & 08	19,00,000
2.	क्षे प क्रि इ बागेश्वर	15	बीआर- 31, 32, 39, 40, 44, 61, 62, 77, 84, 87, 88, 85, 92, 93, 94	30,00,000
3.	क्षे प क्रि इ टिहरी	08	बीआर- 29, 30, 36, 38, 55, 56, 57, 63	16,00,000
4.	क्षे प क्रि इ उत्तरकाशी	09	बीआर - 33, 34, 41, 59, 69, 79, 80,81,82	18,00,000
योग		***37***		***83,00,000***

परिशिष्ट- 2.4.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.2; पृष्ठ 54)

चयनित 20 प्रशिक्षण प्रदाताओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं	टी पी का नाम	नामांकित	प्रशिक्षित	मूल्यांकित	उत्तीर्ण	प्रमाणित	नियुक्त	भुगतान
1	धान्या इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	6,420	6,397	5,961	5,469	5,426	2,399	719.72
2	जे आई टी एम स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	4,487	4,487	3,976	3,320	3,320	1,268	406.74
3	डी यूनिक एजुकेशनल सोसाइटी	3,285	3,264	3,133	2,739	2,739	1,340	328.77
4	टेक्नोपेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	2,510	2,510	2,470	2,415	2,210	1,959	333.44
5	विध्या वाहिनी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट	2,337	2,288	2,213	2,096	2,096	1,252	247.76
6	स्किलप्रो टेक्नोलीजिस प्राइवेट लिमिटेड	2,299	2,299	2,273	2,140	2,140	1,135	264.47
7	भाव्या स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	1,288	1,288	1,223	1,068	1,068	425	144.91
8	एन आई ए सी ई फाउंडेशन	1,233	1,231	1,221	1,104	1,104	327	128.31
9	सोफ्टडोट टेक्नोलीजिस प्राइवेट लिमिटेड	1,107	1,107	1,090	917	917	382	88.51
10	अमास स्किल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	838	838	787	590	590	244	86.56
11	महादेव एजुकेशनल सोसाइटी	832	832	426	374	374	160	60.33
12	महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान	744	743	552	521	521	0	49.3
13	लाइवलिहुड इनीसियेटिव्स फॉर एम्पावरमेंट	720	720	668	605	605	461	67.8
14	शुगन होस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड	717	717	682	626	626	456	80.06
15	ग्रास रूट एजुकेशनल फाउंडेशन	690	690	590	577	577	269	84.29
16	एससेंट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	689	689	683	604	604	115	72.01
17	एलगोल यूनिवर्सल ट्रस्ट	688	688	436	411	411	316	68.22
18	डेक्स्टर स्किल डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	688	688	688	684	594	0	75.79
19	जेनुइन प्रोमोटर्स / जी डी गोइंका यूनिवर्सिटी	653	653	648	573	573	120	63.18
20	के जी एम इमिग्रेशन एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	540	540	530	501	501	147	56.04
	कुल	***32,765***	***32,669***	***30,250***	***27,334***	***26,996***	***12,775***	***3,426.22***

परिशिष्ट- 2.4.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.5.2; पृष्ठ 56)

₹ 2.34 करोड़ का अधिक भुगतान

(₹ लाख में)

टी पी का नाम	क्यू पी/ जॉब रोल का नाम	प्रमाणित अभ्यर्थियों की सं			प्रशिक्षण के घण्टे	देय आधार लागत	भुगतनित आधार लागत	द्वितीय किस्त तक देय राशि	द्वितीय किस्त तक भुगतान राशि	अधिक भुगतान
		एस डी एम एस पोर्टल	एस आई पी पोर्टल	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=80 *प्रतिशत* of 5*6*7	10=80 *प्रतिशत* of 5*6*8	11=10-9
धान्या इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	फील्ड इंजीनियर आर ए सी डबल्यू	2,263	375	2,638	400	40	46.7	337.66	394.22	56.56
	सी सी टी वी इन्स्टालेशन टेकनीशियन	60	25	85	400	40	46.7	10.88	12.7	1.82
	फील्ड टेकनीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	203	124	327	400	40	46.7	41.86	48.87	7.01
	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	209	37	246	310	40	46.7	24.4	28.49	4.09
	वेव डेवलेपर	1,141	139	1,280	400	40	46.7	163.84	191.28	27.44
जे आई टी एम सिक्ल्स प्राइवेट लिमिटेड	सी सी टी वी इन्स्टालेशन टेकनीशियन	0	189	189	400	40	46.7	24.19	28.24	4.05
	मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेकनीशियन	27	1,031	1,058	400	40	46.7	135.42	158.11	22.68
लाइवलिहुड इनीसियेटिव्स फॉर एम्पावरमेंट	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	0	87	87	310	40	46.7	8.63	10.08	1.45
अमास स्किल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	313	0	313	310	40	46.58	31.05	36.16	5.11
स्किलप्रो टेक्नोलीजिस प्राइवेट लिमिटेड	एक्सपोर्ट असिस्टेंट	120	0	120	310	40	46.7	11.9	13.9	1.99
	कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट	0	113	113	310	40	46.7	11.21	13.09	1.88
	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	462	182	644	310	40	46.7	63.88	74.59	10.7

टी पी का नाम	क्यू पी/ जॉब रोल का नाम	प्रमाणित अभ्यर्थियों की सं			प्रशिक्षण के घण्टे	देय आधार लागत	भुगतनित आधार लागत	द्वितीय किस्त तक देय राशि	द्वितीय किस्त तक भुगतान राशि	अधिक भुगतान
		एस डी एम एस पोर्टल	एस आई पी पोर्टल	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=80 प्रतिशत of 5*6*7	10=80 प्रतिशत of 5*6*8	11=10-9
ग्रास रूट एजुकेशनल फाउंडेशन	कुरियर डिलिवरी एक्सिक्यूटिव	50	0	50	446	40	46.58	7.14	8.31	1.17
डी यूनिक एजुकेशनल सोसाइटी	कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट	154	163	317	310	40	46.58	31.45	36.62	5.17
	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	410	410	820	310	40	46.58	81.34	94.73	13.38
एलगोल यूनिवर्सल ट्रस्ट	फील्ड टेकनीशियन अदर होम एपलायन्स	119	0	119	400	40	46.58	15.23	17.74	2.51
महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान	फ्लोरीकलचरिस्ट ओपन कल्टीवेशन	0	110	110	240	40	46.7	8.45	9.86	1.42
	असिस्टेंट स्पा थेरेपिस्ट	0	56	56	340	40	46.7	6.09	7.11	1.02
	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	0	59	59	280	40	46.7	5.29	6.17	0.89
	हाउसकीपिंग अटेंडेंट (मेनुयल क्लीनर)	0	71	71	290	40	46.7	6.59	7.69	1.1
विध्या वाहिनी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट	फील्ड टेकनीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	52	0	52	400	40	46.58	6.66	7.75	1.09
टेक्नोपेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	0	617	617	280	40	46.7	55.28	64.54	9.26
	सेक्रेटरी	0	27	27	1,120	33.4	46.7	8.08	11.3	3.22
	फील्ड टेकनीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	0	483	483	400	40	46.7	61.82	72.18	10.36
	कस्टमर केयर एक्सिक्यूटिव कॉल सेंटर	0	34	34	240	40	46.7	2.61	3.05	0.44
	फ्रंट ऑफिस एक्सिक्यूटिव	0	531	531	535	40	46.7	90.91	106.13	15.23
	हाउसकीपिंग अटेंडेंट (मेनुयल क्लीनर)	0	59	59	290	40	46.7	5.48	6.39	0.92

टी पी का नाम	क्यू पी/ जॉब रोल का नाम	प्रमाणित अभ्यर्थियों की सं			प्रशिक्षण के घण्टे	देय आधार लागत	भुगतनित आधार लागत	द्वितीय किस्त तक देय राशि	द्वितीय किस्त तक भुगतान राशि	अधिक भुगतान
		एस डी एम एस पोर्टल	एस आई पी पोर्टल	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=80 *प्रतिशत* of 5*6*7	10=80 *प्रतिशत* of 5*6*8	11=10-9
एससेंट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	फील्ड टेकनीशियन यूपीएस एंड इनवर्टर	0	240	240	400	40	46.7	30.72	35.87	5.15
शुगन होस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड	होम डिलिवरी बॉय	0	113	113	240	40	46.7	8.68	10.13	1.45
	काउंटर सेल्स एक्सिक्यूटिव	120	84	204	280	40	46.7	18.28	21.34	3.06
भाव्या स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	फील्ड टेकनीशियन अदर होम एपलायन्स	253	0	253	400	40	46.58	32.38	37.71	5.33
	वेव डेवलेपर	0	74	74	400	40	46.7	9.47	11.06	1.59
सोफ्टडोट स्किल डेवलेपमेंट सेंटर	कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट	102	0	102	310	40	46.58	10.12	11.78	1.66
	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	124	0	124	310	40	46.58	12.3	14.32	2.02
के जी एम इमिग्रेशन एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	110	0	110	310	40	46.58	10.91	12.71	1.8
					कुल			***1,390.2***	***1,624.22***	***234.02***

परिशिष्ट- 2.4.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.5.2; पृष्ठ 57)

₹ 1.61 करोड़ की वसूली न होना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	टी पी का नाम	जॉब रोल का नाम	37 प्रतिशत से कम प्रमाणित अभ्यर्थियों के बेंचों की सं	नामांकित अभ्यर्थी	प्रमाणित अभ्यर्थी	वसूली योग्य धनराशि
	एलगोल यूनिवर्सल ट्रस्ट	सी एन सी प्रोग्रामर	08	240	0	15.13
	अमास स्किल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	फिटर फैब्रिकेशन	04	118	18	5.07
	अमिटी एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	रिटेल टीम लीडर	01	30	0	1.40
	एसेट इन्फोटेक लिमिटेड	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	01	30	07	0.70
		सी आर एम डोमेस्टिक वॉइस	02	59	08	2.24
		जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	01	30	10	0.13
		जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर	02	60	0	3.33
	भाव्या स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	फील्ड टेक्नीशियन- अदर होम एपलायन्स	01	30	11	0.04
		डोमेस्टिक आई टी हेल्पडेस्क अटेंडेंट	01	30	0	1.43
	डेक्स्टर स्किल डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	इलैक्ट्रिकल टेकनीशियन	03	90	0	3.03
	डी यूनिक एजुकेशनल सोसाइटी	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	03	90	18	1.82
	डेक्सटिरिटी वेल्फेयर सोसाइटी बराल	रिटेल टीम लीडर	01	30	6	0.59
	धान्या इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	07	210	18	9.96
		वेव डेवलेपर	01	30	01	1.53
		डीलरशिप टेलीकॉलर सेल्स एग्जीक्यूटिव	01	30	09	0.45
		सी सी टी वी इन्स्टालेशन टेक्नीशियन	01	30	04	1.19
		फील्ड टेक्नीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	01	30	04	1.08
		डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	01	30	11	0.03
	दिव्या फार्मा ग्रामुद्योग संस्थान	सोलर पैनल इंस्टालेशन टेक्नीशियन	01	30	09	0.37
	गेवार संकल्प समिति	सेल्फ एम्प्लोएड टेलर	03	90	00	4.79
	ग्रास रूट एजुकेशनल फाउंडेशन	ऑटोमोटिव सर्विस टेक्निशियन लेवल-3	01	30	00	1.87

क्र. सं.	टी पी का नाम	जॉब रोल का नाम	37 प्रतिशत से कम प्रमाणित अभ्यर्थियों के बेंचों की सं	नामांकित अभ्यर्थी	प्रमाणित अभ्यर्थी	वसूली योग्य धनराशि
	ग्रामीण किसान विकास सोसाइटी	पेडीक्योरिस्ट एंड मैनीक्योरिस्ट	01	30	10	0.12
	हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी	ब्यूटी थेरेपिस्ट	01	11	0	0.51
	आई एन एंड एल एम फाउंडेशन	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	05	150	42	2.34
	इन्फो इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी	सोयाबीन कल्टीवेटर	01	25	09	0.02
	इनोवर्स इन्फो लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	02	60	00	2.61
	जे आई टी एम सिक्ल्स प्राइवेट लिमिटेड	मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेकनीशियन	12	353	39	13.95
		सिविंग मशीन ऑपरेटर	09	267	42	6.73
	के डी एम इन्फोटेक	सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग	01	30	00	1.85
	खालशा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	रिटेल टीम लीडर	04	105	00	4.40
	लाला राजा राम शिक्षा समिति	फील्ड टेकनीशियन कम्प्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स	03	90	00	4.29
	लेट लाला बरुमल गोयल सोशल वेल्फेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	01	30	06	0.86
	लर्निंग लीडरशिप फाउंडेशन	ओर्गेनिक ग्रोवर	01	25	03	0.49
	लाइवलिहुड इनीसियेटिव्स फॉर एम्पावरमेंट	फूड एंड बेवरेज सर्विसेज- स्टीवर्ड	02	60	18	0.49
	महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	02	50	00	1.96
		असिस्टेंट स्पा थेरेपिस्ट	03	90	00	4.29
	मार्ग ई आर पी लिमिटेड	फील्ड टेकनीशियन कम्प्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स	02	60	00	2.86
	मास इन्फोटेक सोसाइटी	फील्ड इंजीनियर- आर ए सी डब्ल्यू	01	30	00	1.51
	एन आई ए सी ई फाउंडेशन	रीटेल सेल्स एसोसिएट	01	30	01	1.05
	पावर टू एम्पावर प्राइवेट लिमिटेड	ट्रेनी शेफ	01	30	00	1.68
	शुगन होस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड	काउंटर सेल्स एक्सिक्यूटिव	02	60	01	2.25
		मल्टी-कुजीन कुक	01	30	03	1.66
	सर्व जन सर्व धर्म हिताये सेवा समिति	इस्टिचिंग ऑपरेटर	02	60	00	4.53

क्र. सं.	टी पी का नाम	जॉब रोल का नाम	37 प्रतिशत से कम प्रमाणित अभ्यर्थियों के बेंचों की सं	नामांकित अभ्यर्थी	प्रमाणित अभ्यर्थी	वसूली योग्य धनराशि
	सॉफ्टडॉट टेक्नोलीजिस प्राइवेट लिमिटेड	डोक्यूमेंटेशन असिस्टेंट	01	29	00	1.26
		वेयरहाउस सुपरवाइजर	01	30	6	0.47
	टेक्नोपेक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	फील्ड टेकनीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज	02	60	06	2.47
		असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	01	30	11	0.03
	उड़ान शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्था	एयरलाइन कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव	01	30	00	1.01
	अपहिल एजुकेशनल सोसाइटी	वेब डेवलेपर	02	50	00	2.79
	विध्या वाहिनी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	01	30	04	1.19
	यूथ एजुकेशनल सोसाइटी देहरादून	मल्टी-कुजीन कुक	03	85	09	4.61
	ग्रामीण शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड	एम एल टी	02	60	00	11.35
	महादेव एजुकेशनल सोसाइटी	वेब डेवलेपर	12	354	00	17.81
	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डेवलेपमेंट	एफ एंड बी सर्विस: स्टीवर्ड	01	30	00	1.10
	कुल		***130***	***3,811***	***344 (9.03 प्रतिशत)***	***160.72***

परिशिष्ट- 2.4.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.7.1; पृष्ठ 61)

अलग-अलग अभ्यार्थियों के लिए एक ही खाता संख्या

टी पी का नाम	खाता सं	बैंक का नाम	अभ्यर्थी का नाम	बैच आई डी
टेक्नोपेक एडवाइजर्स	34004204985	एस बी आई	पूजा	40942
			राहिल	40942
	386293067194	एस बी आई	नाज़िम अली	31577
			हरीश कुमार शर्मा	31577
	15900100015561	बैंक ऑफ बड़ोदा	दीपु कुमार	37164
			निशा पठानिया	37164
जी डी गोइंका यूनिवर्सिटी	1099877123	एस बी आई	हिमांशु रावत	74993
			मंताशा	74993
			तरुण कुमार आर्य	32361
	3312254102	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	माशा	28498
			माविया	28498
	25003484748	एस बी आई	मनीषा मेहरा	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
			ज्योति बिष्ट	29508
	25003495668	एस बी आई	दीक्षा	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
			कंचन	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
	25003888338	एस बी आई	निशा तरागी	74993
			पूजा पपनई	74993
	25003895678	एस बी आई	प्रीति	43002
			अजीत सिंह	30518
	33121014265	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	निधि	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040बीबीडी
			पूजा आर्य	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040BBD
			साहिबा	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040बीबीडी
	33121014854	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	गजाला रईस	35338
			निशा	35338
			शमा	35338
	50100026585978	एच डी एफ़ सी	नेहा चौधरी	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
			ललिता	74993
	50340012550145	एस बी आई	मोहम्मद साजिम	50516
			पंकज शर्मा	50516
	50340012551141	एस बी आई	अनुराग	50514
			मोहम्मद फईम	50516

टी पी का नाम	खाता सं	बैंक का नाम	अभ्यर्थी का नाम	बैच आई डी
	52770100045486	बैंक ऑफ बड़ोदा	अंजलि	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीसी
			अतिया परवीन	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीसी
			पूजा देवतल्ला	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीसी
	52770100145886	बैंक ऑफ बड़ोदा	रुबेश	एस-1902 यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीडी
			रुखशार	एस-1902यूके054बीसीजेएचएसएस/ क्यू5101-00040ईबीडी
	51478563378	एस बी आई	अंजना	30519
			आरती	30519
	107010200002180	आई डी बी आई	रिमशा शम्सी	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
			सिमरा शम्सी	एस-1902यूके05555जेईएलई/ क्यू4601-00041129
	107010200008520	आई डी बी आई	ममता	43006
			किमी शिवानी	30519
	107010200013280	आई डी बी आई	हिमांशु बिष्ट	एस-1902यूके05555जेटीएचसी/ क्यू0301-00043बीबी1
			मोहित पांडे	74993
			आकांक्षा चौधरी	32361
	121010200003620	स्पष्ट नहीं	नीमा	30519
			सिमरन	30516
जी डी गोइंका यूनिवर्सिटी	3880000100163310	पी एन बी	मोहम्मद आवेश	50516
			मुस्कान	50516
	3880000100163370	पी एन बी	अजय कुमार	50516
			मोईन अंसारी	50516
	3914001650035640	पी एन बी	रोहित सिंह राणा	43002
			रोशन सिंह राणा	43002
	3914001650063450	पी एन बी	रूबी	30519
			रुचि नेगी	30519
	3914001650067650	पी एन बी	शीतल बिष्ट	30519
			वंदना	30427
	50100026879127	एच डी एफ़ सी	जितेंद्र कुमार	29508
			कुणाल मेहरा	29508
	50100026879204	एच डी एफ़ सी	विशाल कुमार आर्य	एस-1902यूके05555जेटीएचसी/ क्यू0301-00043बीबी1
			प्रदीप कुमार	74993
	50100026897654	एच डी एफ़ सी	विशाल सिंह जलाल	74993
			निखिल कुमार सिरोही	29508

टी पी का नाम	खाता सं	बैंक का नाम	अभ्यर्थी का नाम	बैच आई डी
	52770100125780	बैंक ऑफ बड़ोदा	कमल सिंह बिष्ट	एस-1902यूके05555जेटीएचसी/ क्यू0301-00043बीबी1
			नीरज सिंह	74993
एन आई ए सी ई फाउंडेशन	903336037	इंडियन बैंक	मुकुल	एस-1902यूके03557जेआरएएस/ क्यू0104-0002बी1ई1
			कु. पिंकी	एस-1802यूके03557जेईएलई/ क्यू4601-00023एई5
	65176057827	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	राधा	एस-1902यूके03557जेआरएएस/ क्यू0104-0002बी1ई1
			कु. रीनु	एस-1802यूके03557जेईएलई/ क्यू4601-00023एई5
	242104000074193	आई डी बी आई बैंक	पूनम	एस-1902यूके03557जेआरएएस/ क्यू0104-0002बी1ई1
			तरन्नुम	एस-1802यूके03557जेआरएएस/ क्यू0104-0001सी954
			कुमारी कविता	एस-1802यूके03557जेईएलई/ क्यू4601-00023एई5

परिशिष्ट- 2.4.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.4.7.3; पृष्ठ 62)

शून्य नियुक्ति वाली 31 टी पी का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	नामांकित	प्रशिक्षित	मूल्यांकन	उत्तीर्ण	प्रमाणित	नियुक्त	भुगतान
1	अनामया इंक	60	60	60	51	51	0	7.55
2	एसेट इन्फोटेक लिमिटेड.	408	408	336	195	195	0	25.02
3	भारतीय प्रौद्योगिकी एवं उद्यमी विकास संस्थान	59	54	54	53	53	0	6.06
4	दक्ष एसोसिएट्स	119	119	117	107	107	0	8.34
5	डेटाप्रो कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड	100	100	100	74	74	0	8.69
6	डेक्स्टर स्किल डेवलेपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	688	688	688	684	594	0	31.42
7	दिव्या फार्मा ग्रामुद्योग संस्थान	60	60	34	25	25	0	4.02
8	ड्रीम कैचर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	80	80	74	72	72	0	7.94
9	एस्कॉर्ट्स स्किल डेवेलपमेंट	27	27	25	23	23	0	1.62
10	गुरचरण फाउंडेशन	90	90	88	79	79	0	9.22
11	हिमालयन जन कल्याण एवं बाल विकास समिति (हिमविकास)	30	30	30	30	30	0	0.78
12	इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी	60	60	60	39	39	0	2.20
13	इन्फो इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी	244	243	233	177	177	0	15.63
14	इनोवेटर्स इन्फो लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	146	143	81	69	69	0	9.46
15	खालशा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	211	106	106	93	93	0	9.70
16	लाला राजा राम शिक्षा समिति	420	420	321	295	295	0	31.27
17	लर्निंग लीडरशिप फाउंडेशन	160	160	123	107	107	0	8.55
18	महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान	744	743	552	521	521	0	49.30
19	मनीला स्किल डेवेलपमेंट सेंटर	300	300	298	255	255	0	31.72
20	मार्ग ई आर पी लिमिटेड	420	420	347	309	309	0	24.64
21	मास इन्फोटेक सोसाइटी	120	120	80	75	75	0	7.47
22	नेशनल एजुकेशन सोसायटी	350	350	348	322	322	0	44.91
23	नोबल क्रिस्टियन एजुकेशनल एंड रिलीजियस ट्रस्ट	210	210	203	188	188	0	1.10
24	रुस्तमजी एकेडमी फॉर ग्लोबल केरियर्स	104	104	87	69	69	0	10.94
25	शिरडी साईं एजुकेशनल सोसाइटी	30	30	20	20	20	0	9.80
26	श्री पूर्णागिरि एजुकेशनल सोसाइटी	30	30	30	27	27	0	2.61
27	तकजीन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट	90	90	75	72	72	0	1.72
28	टेक मेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	90	90	90	73	73	0	3.11
29	टी एन जी इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड	60	60	51	48	48	0	2.20
30	उड़ान शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्था	120	120	111	109	81	0	5.86
31	अपहिल एजुकेशनल सोसाइटी	110	95	33	30	30	0	6.54
	कुल	***5,740***	***5,610***	***4,855***	***4,291***	***4,173***	***0***	***389.37***

परिशिष्ट-2.5.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.5.6.1; पृष्ठ 70)

हटाये गए या स्थान/ दायरे में परिवर्तन किए गए घटकों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना	विवरण	स्थल	घटक के नाम	लागत
1	हेरिटेज सर्किट	हटाये गए	जागेश्वर	इको लॉग हट, सूचना केन्द्र	267.74
2		स्थल में परिवर्तन	बैजनाथ	इको लॉग हट, सूचना केन्द्र, कैफ़े व ध्यान केन्द्र	1,360.25
3				प्रवेश द्वार	22.10
4			जागेश्वर	डाण्डेश्वर में पार्किंग	78.94
5		दायरे में परिवर्तन	जागेश्वर	जागेश्वर में शौचालय ब्लॉक 4	63.71
6				कैफ़ेटेरिया	169.88
7				घाट का विकास	99.90
8			कटारमल	इको लॉग हट एवं प्रशासनिक ब्लॉक	419.44
9				लैंडस्केपिंग	111.73
10			बैजनाथ	लैंडस्केपिंग	68.03
योग				***घटक की संख्या 10***	***2,661.72***
1	केदारनाथ परियोजना	हटाये गए	रुद्रप्रयाग	स्वच्छ एवं किफ़ायती भोजनालय	11.12
2			तिलवाड़ा	शौचालय ब्लॉक	10.35
3			अगस्त्यमुनि	कियास्क (2 संख्या)	7.89
4			उखीमठ	विश्राम आश्रय	4.52
5				प्रसाद दुकान	8.48
6			गुप्तकाशी	प्रसाद दुकान	9.93
7			कालीमठ	फूड कियास्क	6.98
8				विश्राम आश्रय	4.43
9				शौचालय ब्लॉक	5.37
10		स्थल में परिवर्तन	तिलवाड़ा	पार्किंग	847.57
11			अगस्त्यमुनि	विश्राम आश्रय	7.20
12			उखीमठ	व्यू प्वाइंट	2.17
13				शौचालय ब्लॉक	10.39
14				इको लॉग सूचना केन्द्र	30.40
15				बहुमंजिला पार्किंग	202.09
16			गुप्तकाशी	शौचालय ब्लॉक	10.32
17				पार्किंग	201.00
18			कालीमठ	व्यू प्वाइंट	4.88
19			सीतापुर	पर्यटक सूचना केन्द्र	52.22
20		दायरे में परिवर्तन	रुद्रप्रयाग	व्यू प्वाइंट	5.18
21				पार्किंग	646.70
22			अगस्त्यमुनि	पार्किंग	281.88
योग				***घटक की संख्या 22***	***2,371.07***
महायोग				***घटक की संख्या 32***	***5,032.79***

परिशिष्ट-2.5.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर-2.5.6.2; पृष्ठ 73)

जागेश्वर में प्रस्तावित कार्यों में कटौती का विवरण

(₹ लाख में)

घटक का नाम	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत	ए एस आई की आपत्ति के बाद कार्य के दायरे में की गई कमी	टिप्पणी
प आ गृ के समीप पार्किंग का विकास	28.00	15.69	12.31	ए एस आई ने केवल पूर्व निर्मित पॉकेट पार्किंग की मरम्मत की मंजूरी दी है जिसमें वी आई पी कार पार्किंग बन सकती है।
घाट का विकास	99.90	64.36	35.54	ए एस आई ने 34 मीटर के बाद घाट निर्माण की अनुमति दी; इस प्रकार लंबाई कम हो गई।
पाँच पुल	74.00		60.80	ए एस आई ने संरक्षित स्मारक से दूरी के आधार पर तीन पुलों (लागत ₹ 60.80 लाख) पर आपत्ति जताई। हालाँकि, संशोधित मंजूरी में सभी पुलों को हटा दिया गया।
योग	***201.90***	***80.05***	***108.65***	

परिशिष्ट-2.8.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-2.8.5.1; पृष्ठ 106)

टुकड़ों में जारी अनियमित स्वीकृतियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
	अ- टेंट और बैरिकेडिंग का निर्माण कार्य	
1	कुंभ मेला-2021 हरिद्वार में श्री जूना अखाड़ा, श्री अटल, श्री आवाहन, श्री महानिर्वाणी अखाड़ा (किराए के आधार पर) में टिन संरचना, बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य।	198.69
2	कुंभ मेला-2021 हरिद्वार में श्री उदासीन अखाड़ा, श्री निर्मल, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा (किराए के आधार पर) में टिन संरचना, बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य।	199.59
3	कुंभ मेला-2021 हरिद्वार में श्री अग्नि अखाड़ा, श्री निरंजनी, श्री पंचायती आनंद अखाड़ा (किराए के आधार पर) में टिन संरचना, बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य।	197.53
4	बैरागी अखाड़ों के लिए कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत हरिद्वार में टिन और टिन बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	131.14
5	शंकराचार्यों के लिए कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत हरिद्वार में टिन संरचना और टिन बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	125.12
6	कुंभ मेला 2021 के अतंर्गत हरिद्वार में टिन और टिन बैरिकेडिंग और टेंट का कार्य (किराए के आधार पर)	86.87
	योग (अ)	***938.94***
	ब- पुलिस विभाग के लिए बैरिकेडिंग और फायर निगरानी का निर्माण कार्य	
1-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत हरिद्वार पुलिस विभाग के लिए टिन बैरिकेडिंग और टेंट आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	181.89
2-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में बैरिकेडिंग एवं अस्थायी लकड़ी बैरियर आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	172.58
3-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत हरिद्वार जिले में बैरिकेडिंग और अस्थायी फायर वॉच टॉवर आदि का कार्य (किराए के आधार पर)	193.26
4-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में बैरिकेडिंग, अस्थाई चक्रव्यूह बैरिकेडिंग एवं मॉनिटरिंग प्लेटफार्म आदि की स्थापना का कार्य (किराए के आधार पर)	188.51
	योग (ब)	***736.24***
	स - रैन बसेरों का निर्माण कार्य	
1-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में 250 बिस्तरों के चार रैन बसेरों के भाग एक का निर्माण कार्य (किराये के आधार पर)	165.43
2-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में 250 बिस्तरों के चार रैन बसेरों के भाग दो का निर्माण कार्य (किराये के आधार पर)	165.43
3-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में 250 बिस्तरों के चार रैन बसेरों के भाग तीन का निर्माण कार्य (किराये के आधार पर)	165.43
4-	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में 250 बिस्तरों के दो रैन बसेरों के भाग चार का निर्माण कार्य (किराये के आधार पर)	82.72
	योग (स)	***579.01***
	महायोग (अ+ब+स)	***2,254.19***

परिशिष्ट- 2.8.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.8.5.1; पृष्ठ 106)

कार्यों के अनियमित कार्यान्वयम का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
1	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत चंडी पुल के नीचे पूर्वी गंग नहर पर यातायात के लिए 50 मीटर लंबे अस्थायी हल्के वाहन पुल और संपर्क मार्ग का निर्माण और विघटन कार्य।	105.23	एच पी सी से अनुमोदित लेकिन स्वीकृत नहीं।
2	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत शंकराचार्य शिविर में ईंट मंडप का कार्य।	29.31	
3	कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत सूखे नदी पुल का संरक्षण कार्य।	55.00	
4	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत मेला प्रशासन को जे सी बी, ट्रैक्टर ट्रॉली और मजदूर की आपूर्ति और पुलिस विभाग को जे सी बी की आपूर्ति का कार्य।	8.89	कार्य पूरे हुए, स्वीकृत नहीं, एच पी सी किया जाना है
5	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत हर की पैड़ी से सिंहासन हटाकर शाही स्नान के बाद सिंहासन वापस लगाने का कार्य।	4.80	
6	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत आनंद अखाड़े में इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	5.70	
7	कुंभ मेला-2021 के अंतर्गत जिला हरिद्वार में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र विधानसभा के ग्राम इक्कड़कलां में श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के मुख्य द्वार से बाग होते हुए मुख्य मार्ग तक पेशवाई मार्ग का निर्माण कार्य।	32.96	
8	कुंभ मेला 2021 के लिए जे सी बी और हाइड्रोलिक मशीनों की आपूर्ति	50.98	
	योग	***292.87***	

परिशिष्ट-2.8.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर-2.8.5.2; पृष्ठ 107)

विभाग का खराब आकलन/आंतरिक नियंत्रण तंत्र

(अ) हरिद्वार में नील नदी की धारा पर चंडी द्वीप को जोड़ने के लिए दो नए स्टील पाइल पुलों का निर्माण और विघटन कार्य (₹ 1407.83 लाख)

(धनराशि ₹ में)

हेड सं.	मद	इकाई	टी एस में अनुमोदित मात्राएं	संशोधित अनुसूची-बी की मात्रा	चतुर्थ आर/बी के अनुसार निष्पादित मात्रा	स्वीकृत दरें	अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार कुल राशि	संशोधित अनुसूची-बी के अनुसार कुल राशि
1	स्टील ट्रस ब्रिज और स्टील पाइल फ़ाउंडेशन की आपूर्ति और निर्माण	मी टन	1,280.45	1,020	1,012.63	95,325	12,20,58,896.3	9,72,31,500
2	स्टील ट्रस ब्रिज का निर्माण	मी टन	698.66	550	636	22,000	1,53,70,520	1,21,00,000
3	संचालित/ पुन: चालित स्टील के ढेर	र मी	4,300	3,600	3,453.4	2,100	90,30,000	75,60,000
4	स्टील वर्क्स को विघटित करना	मी टन	1,016	831.51	785.342	4,500	45,72,000	37,41,795
5	पुल स्थल से स्टॉक यार्ड लालजीवाला तक सामग्री की ढुलाई	मी टन	1,282.4	1,113.65	1,012.63	1,500	19,23,600	16,70,475
6	संरचनाओं के लिए खुदाई में मिट्टी का काम	घन मी	184.8	184.8	184.8	200	36,960	36,960
7	वायर क्रेट में बिछाए गए बोल्डर एप्रन को प्रदान करना और बिछाना	घन मी	348	348	348	2,000	6,96,000	6,96,000
8	गड्ढों से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से तटबंध का निर्माण	घन मी	939.68	939.68	924	350	3,28,888	3,28,888
9	ब्रिक ऑन एज ओवर ब्रिक ऑन फ़ेस	वर्ग मी	957	957	1,172	800	7,65,600	7,65,600
10	स्टील की सतहों पर पेंटिंग	वर्ग मी	1,334.4	1,172	184	150	2,00,160	1,75,800
11	एक रखरखाव टीम प्रदान करना	दिन	12	12	0	20,000	2,40,000	2,40,000
12	सड़क कटाई से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से तटबंध का निर्माण	घन मी	184.8	184.8	0	350	64,680	64,680
13	वायर क्रेट का विघटन	घन मी	348	0	0	0	0	0
	योग						***15,52,87,304.3***	***12,46,11,698***
टिप्पणी:	***15,52,87,304.25/12,19,55,280.80 = 127.33 अथवा 27.33 प्रतिशत ऊपर***							

(ब) हरिद्वार में गौरीशंकर द्वीप को बैरागी कैंप से जोड़ने के लिए गंगा नदी की छोटी धारा पर दो नए स्टील पाइल पुलों का निर्माण और विघटन कार्य (₹ 436.02 लाख)

(धनराशि ₹ में)

हेड सं.	मदें	इकाई	टी एस में अनुमोदित मात्राएं	संशोधित अनुसूची-बी की मात्रा	चतुर्थ आर/बी के अनुसार निष्पादित मात्रा	स्वीकृत दरें	अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार कुल राशि	संशोधित अनुसूची-बी के अनुसार कुल राशि
1	स्टील ट्रस ब्रिज और स्टील पाइल नींव की आपूर्ति और निर्माण	मी टन	379.36	301.25	150.752	95,325	3,61,62,492	2,87,16,656.3
2	स्टील ट्रस ब्रिज का निर्माण	मी टन	203.47	165.95	77.787	22,000	44,76,340	36,50,900
3	संचालित/ पुन: चालित स्टील के ढेर	र मी	1,300	1,000	764.46	2,100	27,30,000	21,00,000
4	स्टील वर्क्स को विघटित करना	मी टन	299.41	233.75	93.813	4,500	13,47,345	10,51,875
5	पुल स्थल से स्टॉक यार्ड लालजीवाला तक सामग्री की ढुलाई	मी टन	381.41	301.25	150.52	1,500	5,72,115	4,51,875
6	संरचनाओं के लिए खुदाई में मिट्टी का काम	घन मी	99	99	49.5	200	19,800	19,800
7	वायर क्रेट में बिछाए गए बोल्डर एप्रन को प्रदान करना और बिछाना	घन मी	366	318	159	2,000	7,32,000	6,36,000
8	गड्ढों से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से तटबंध का निर्माण	घन मी	947.93	874.5	496.125	350	3,31,775.5	3,06,075
9	ब्रिक ऑन एज ओवर ब्रिक ऑन फ़ेस	वर्ग मी	891	660	0	800	7,12,800	5,28,000
10	स्टील की सतहों पर पेंटिंग	वर्ग मी	470	412.8	134.4	150	70,500	61,920
11	एक रखरखाव टीम प्रदान करना	दिन	8	8	4	20,000	1,60,000	1,60,000
12	सड़क कटाई से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से तटबंध का निर्माण	घन मी	99	99	49.5	350	34,650	34,650
13	वायर क्रेट का विघटन	घन मी	366	0	0	0	0	0
	योग						***4,73,49,817.5***	***3,77,17,751.3***
टिप्पणी:	***4,73,49,817.5/3,75,10,619.78 = 126.23 अथवा 26.23 प्रतिशत ऊपर***							

परिशिष्ट- 2.8.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.8.5.4; पृष्ठ 108)

सड़कों के निर्माण के लिए महंगी सामग्री के उपयोग का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या और तिथि	धनराशि (₹ लाख में)	कार्य का नाम	लंबाई (किमी.)	डबल्यूबीएम - II	डबल्यूबीएम - III
01	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	81.76	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार में चंडी टापू में अस्थायी शिविर/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	4.50	1,856.25	1,856.25
02	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	165.64	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के बेरागी कैंप में अस्थायी कैंपिंग/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	9.00	3,780.47	3,739.69
03	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	86.18	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के सतीद्वीप में अस्थायी शिविर/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	4.742	1,956.08	1,956.08
04	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	132.35	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार में नया टापू में अस्थायी शिविर/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	7.282	3,003.83	3,003.83
05	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	188.43	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के दक्षद्वीप में अस्थायी बस पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	10.00	4,277.25	4,277.25
06	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	188.43	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के दक्षद्वीप में अस्थायी कार पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डबल्यूबीएम कार्य का निर्माण	10.00	4,277.25	4,277.25
07	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-	37.94	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के सप्तसरोवर में अस्थायी	2.00	855.45	855.45

क्र. सं.	स्वीकृति संख्या और तिथि	धनराशि (₹ लाख में)	कार्य का नाम	लंबाई (किमी.)	डबल्यूबीएम - II	डबल्यूबीएम - III
	बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021		पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डब्ल्यूबीएम कार्य का निर्माण			
08	आदेश संख्या 2097/लेखा-अनु/विविध-बजट/2020-21 दिनांक 25.03.2021	54.94	कुम्भ मेला-2021 के अंतर्गत हरिद्वार के रानीपुर में अस्थायी शिविर/पार्किंग स्थल के पहुंच मार्ग में डब्ल्यूबीएम कार्य का निर्माण	3.00	1,246.91	1,246.91
		935.67		***50.524***	***21,253.49***	***21,212.71***
दर/घन मी					***1,914.80***	***2,000.00***
लागत					***4,06,96,183***	***4,24,25,420***
कुल लागत					***₹ 8,31,21,603***	

परिशिष्ट- 2.8.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 2.8.5.6; पृष्ठ 110)

परिनिर्धारित क्षति (एल डी) की कम वसूली का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	अनुबंध संख्या	अनुबंध की धनराशि	देरी (दिनों में)	आरोपित अर्थदण्ड (अनुबंध के *प्रतिशत* में)	एल डी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार आरोपित किया जाना	एल डी कटौती	काटने हेतु अवशेष एल डी
1	27/एसई-सीसी/2020-21	1,39,68,949	89	*0.10*	6,21,618	0	6,21,618
2	36/एसई-सीसी/2019-20	6,26,71,714	52	*0.14*	16,29,465	79,928	15,49,537
3	33/एसई-सीसी/2020-21	4,39,43,107	55	*0.05*	12,08,435	22,938	11,85,497
4	07/एसई-सीसी/2020-21	8,50,25,918	49	*0.10*	20,83,135	75,916	20,07,219
5	37/एसई-सीसी/2020-21	2,57,04,465	30	*0.20*	3,85,567	52,609	3,32,958
6	30/एसई-सीसी/2019-20	6,73,21,100	05	*0.12*	1,68,303	84,814	83,489
7	39/एसई-सीसी/2019-20	8,29,82,433	86	*0.15*	35,68,245	1,11,752	34,56,493
8	41/एसई-सीसी/2019-20	12,00,64,196	106	*0.20*	63,63,402	2,40,022	61,23,380
9	38/एसई-सीसी/2019-20	7,69,38,736	89	*0.15*	34,23,774	1,03,054	33,20,720
10	04/एसई-सीसी/2020-21	6,91,97,250	03	*0.114*	1,03,796	70,450	33,346
योग					***1,95,55,740***	***8,41,483***	***1,87,14,257***

परिशिष्ट-3.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर- 3.1.8.1.अ; पृष्ठ 122)

स्टाम्प शुल्क (स्टा शु) और निबंधन शुल्क (नि शु) का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं.	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
1	उ नि तृतीय देहरादून	309	2022	2305792	1	23060	210	22850	25000	25000	0	22850
2	उ नि तृतीय देहरादून	349	2022	5214920	1	52150	500	51650	25000	25000	0	51650
3	उ नि तृतीय देहरादून	1002	2022	4444480	1	44450	210	44240	25000	25000	0	44240
4	उ नि ऋषिकेश	10907	2021	898725	1	8990	1000	7990	17974.5	25000	0	7990
5	उ नि चतुर्थ देहरादून	4158	2019	8218000	1	82180	210	81970	25000	25000	0	81970
6	उ नि तृतीय देहरादून	4151	2019	2805750	1	28060	500	27560	25000	25000	0	27560
7	उ नि तृतीय देहरादून	3374	2020	12821445	1	128220	300	127920	25000	25000	0	127920
8	उ नि तृतीय देहरादून	3917	2020	46153962	1	461540	1000	460540	25000	25000	0	460540
9	उ नि तृतीय देहरादून	1681	2020	4862224	1	48630	300	48330	25000	25000	0	48330
10	उ नि तृतीय देहरादून	1558	2020	4204490	1	42050	300	41750	25000	25000	0	41750
11	उ नि तृतीय देहरादून	160	2020	3287360	1	32880	500	32380	25000	25000	0	32380
12	उ नि ऋषिकेश	4650	2020	1069268	1	10700	1000	9700	21385	210	21175	30875
13	उ नि ऋषिकेश	97	2020	2005060	1	20060	1000	19060	25000	210	24790	43850
14	उ नि प्रथम देहरादून	3859	2019	3765276	1	37660	210	37450	25000	25000	0	37450
15	उ नि चतुर्थ देहरादून	5046	2019	4025025	1	40260	1000	39260	25000	25000	0	39260
16	उ नि द्वितीय देहरादून	4777	2019	4920000	1	49200	300	48900	25000	25000	0	48900
योग												***11,47,515***

परिशिष्ट-3.1.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.1.ब; पृष्ठ 123)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
1	उ नि तृतीय देहरादून	6037	2021	3264424	5	163230	210	163020	25000	25000	0	163020
2	उ नि तृतीय देहरादून	1736	2020	3426150	1	34270	1000	33270	25000	25000	0	33270
3	उ नि प्रथम देहरादून	2077	2019	812102	5	40610	210	40400	16242	100	16142	56542
4	उ नि प्रथम देहरादून	3251	2020	6780000	5	339000	300	338700	25000	25000	0	338700
5	उ नि चतुर्थ देहरादून	5415	2019	6750000	1	67500	300	67200	25000	25000	0	67200
6	उ नि चतुर्थ देहरादून	8323	2019	4245066	1	42460	300	42160	25000	25000	0	42160
7	उ नि चतुर्थ देहरादून	8325	2019	5427400	1	54280	300	53980	25000	25000	0	53980
8	उ नि चतुर्थ देहरादून	8546	2019	7552500	1	75530	300	75230	25000	25000	0	75230
9	उ नि प्रथम देहरादून	9000	2021	1931400	5	96570	1100	95470	25000	25000	0	95470
10	उ नि तृतीय देहरादून	4217	2019	808957	1	8090	300	7790	16179	25000	0	7790
11	उ नि तृतीय देहरादून	4218	2019	808957	1	8090	300	7790	16179	25000	0	7790
12	उ नि प्रथम देहरादून	742	2020	4698000	5	234900	1000	233900	25000	25000	0	233900
13	उ नि प्रथम देहरादून	743	2020	4725000	5	236250	1000	235250	25000	25000	0	235250
14	उ नि प्रथम देहरादून	744	2020	4500000	5	225000	1000	224000	25000	25000	0	224000
15	उ नि प्रथम देहरादून	740	2020	7200000	5	360000	1000	359000	25000	25000	0	359000
16	उ नि प्रथम देहरादून	741	2020	8235000	5	411750	1000	410750	25000	25000	0	410750
						योग						***24,04,052***

परिशिष्ट-3.1.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.1.द; पृष्ठ 124)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
1	उ नि तृतीय देहरादून	4388	2019	6345720	5	317290	300	316990	25000	25000	0	316990
2	उ नि तृतीय देहरादून	515	2020	11133000	1	111330	300	111030	25000	25000	0	111030
3	उ नि तृतीय देहरादून	1599	2022	24627180	1	246280	1000	245280	25000	25000	0	245280
4	उ नि तृतीय देहरादून	1600	2022	41342140	1	413430	1000	412430	25000	25000	0	412430
5	उ नि तृतीय देहरादून	364	2022	304000	5	15200	1000	14200	6080	6080	0	14200
6	उ नि तृतीय देहरादून	6080	2019	1736070	1	17370	210	17160	25000	25000	0	17160
7	उ नि ऋषिकेश	2199	2020	3465000	5	173250	1000	172250	25000	25000	0	172250
8	उ नि ऋषिकेश	3058	2020	2860000	5	143000	1000	142000	25000	25000	0	142000
9	उ नि ऋषिकेश	2197	2020	15390000	5	769500	1000	768500	25000	25000	0	768500
10	उ नि ऋषिकेश	2198	2020	2816000	5	140800	1000	139800	25000	25000	0	139800
11	उ नि ऋषिकेश	98	2020	6241632	1	62420	1000	61420	25000	210	24790	86210
12	उ नि ऋषिकेश	833	2021	1334632	5	66740	1000	65740	25000	200	24800	90540
13	उ नि ऋषिकेश	834	2021	6218608	5	310940	1000	309940	25000	200	24800	334740
14	उ नि ऋषिकेश	835	2021	2704000	5	135200	1000	134200	25000	200	24800	159000
15	उ नि ऋषिकेश	9340	2019	2848000	1	28480	1000	27480	25000	25000	0	27480
16	उ नि ऋषिकेश	9990	2021	1018885	1	10190	500	9690	20378	100	20278	29968
17	उ नि तृतीय देहरादून	2413	2019	2926000	5	146300	210	146090	25000	25000	0	146090
18	उ नि प्रथम देहरादून	2470	2019	604800	5	30240	1100	29140	12096	25000	0	29140
19	उ नि प्रथम देहरादून	4861	2019	12637740	1	126380	300	126080	25000	25000	0	126080
20	उ नि प्रथम देहरादून	272	2020	18344000	5	917200	250	916950	25000	25000	0	916950
21	उ नि प्रथम देहरादून	157	2020	2848000	1	28480	500	27980	25000	25000	0	27980
22	उ नि प्रथम देहरादून	391	2020	6282460	1	62830	500	62330	25000	25000	0	62330

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
23	उ नि प्रथम देहरादून	2098	2019	4043952	1	40440	750	39690	25000	25000	0	39690
24	उ नि चतुर्थ देहरादून	7917	2019	566250	5	28320	210	28110	11325	25000	0	28110
25	उ नि चतुर्थ देहरादून	3135	2019	1008000	5	50400	1000	49400	20160	25000	0	49400
26	उ नि चतुर्थ देहरादून	4177	2019	8235000	5	411750	210	411540	25000	100	24900	436440
27	उ नि चतुर्थ देहरादून	4789	2019	1028000	5	51400	500	50900	20560	25000	0	50900
28	उ नि चतुर्थ देहरादून	4790	2019	1028000	5	51400	500	50900	20560	25000	0	50900
29	उ नि चतुर्थ देहरादून	820	2020	5836000	5	291800	300	291500	25000	25000	0	291500
30	उ नि प्रथम विकासनगर	8394	2021	1212250	5	60620	1100	59520	24245	25000	0	59520
31	उ नि प्रथम विकासनगर	1886	2019	1245600	5	62280	1100	61180	24912	25000	0	61180
32	उ नि प्रथम विकासनगर	4526	2019	801000	5	40050	1100	38950	16020	16020	0	38950
33	उ नि प्रथम विकासनगर	8260	2021	6093254	5	304670	1100	303570	25000	25000	0	303570
34	उ नि प्रथम विकासनगर	8259	2021	4962112	5	248110	1100	247010	25000	25000	0	247010
35	उ नि प्रथम विकासनगर	818	2021	2612500	5	130630	210	130420	25000	25000	0	130420
36	उ नि प्रथम विकासनगर	7211	2021	925000	5	46250	1100	45150	18500	25000	0	45150
37	उ नि प्रथम विकासनगर	1750	2020	750000	5	37500	210	37290	15000	100	14900	52190
38	उ नि प्रथम विकासनगर	5114	2020	3510000	5	175500	1100	174400	25000	25000	0	174400
39	उ नि प्रथम विकासनगर	1586	2020	1280000	5	64000	210	63790	25000	100	24900	88690
40	उ नि प्रथम विकासनगर	1041	2020	1612000	1	16120	210	15910	25000	210	24790	40700
41	उ नि प्रथम विकासनगर	507	2022	6360000	1	63600	1100	62500	25000	25000	0	62500
42	उ नि प्रथम विकासनगर	2294	2022	12605000	1	126050	220	125830	50000	100	49900	175730
43	उ नि प्रथम विकासनगर	2295	2022	3277878	1	32780	220	32560	25000	25000	0	32560
44	उ नि प्रथम रुड़की	6886	2021	2784000	5	139200	210	138990	25000	100	24900	163890
45	उ नि प्रथम रुड़की	6887	2021	22212800	5	1110640	210	1110430	25000	100	24900	1135330
46	उ नि तृतीय देहरादून	4077	2020	3880000	5	194000	1000	193000	25000	25000	0	193000
47	उ नि द्वितीय देहरादून	4401	2021	2400000	5	120000	250	119750	25000	25000	0	119750
48	उ नि द्वितीय देहरादून	4376	2021	1680000	5	84000	1100	82900	25000	25000	0	82900

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग
49	उ नि द्वितीय देहरादून	4377	2021	2016000	5	100800	1100	99700	25000	25000	0	99700
50	उ नि द्वितीय देहरादून	5352	2021	85626000	1	856260	300	855960	25000	25000	0	855960
51	उ नि द्वितीय देहरादून	5113	2021	3214640	1	32150	500	31650	25000	25000	0	31650
52	उ नि द्वितीय देहरादून	5703	2021	1223800	1	12240	300	11940	24476	25000	0	11940
53	उ नि द्वितीय देहरादून	509	2021	2675152	5	133760	250	133510	25000	25000	0	133510
54	उ नि द्वितीय देहरादून	6562	2021	5940000	5	297000	1000	296000	25000	25000	0	296000
55	उ नि द्वितीय देहरादून	6563	2021	4750000	5	237500	1000	236500	25000	25000	0	236500
56	उ नि द्वितीय देहरादून	432	2021	1889835	5	94500	210	94290	25000	25000	0	94290
57	उ नि द्वितीय देहरादून	5606	2021	4839930	5	242000	300	241700	25000	25000	0	241700
58	उ नि द्वितीय देहरादून	4492	2021	3935040	5	196760	210	196550	25000	25000	0	196550
59	उ नि द्वितीय देहरादून	338	2021	50858750	5	2542940	250	2542690	25000	25000	0	2542690
60	उ नि द्वितीय देहरादून	1557	2022	1879200000	1	18792000	500	18791500	25000	25000	0	18791500
61	उ नि द्वितीय देहरादून	3641	2019	3814000	1	38140	300	37840	25000	25000	0	37840
62	उ नि द्वितीय देहरादून	2872	2020	8133000	5	406650	500	406150	25000	25000	0	406150
63	उ नि द्वितीय देहरादून	4812	2019	4620000	5	231000	300	230700	25000	25000	0	230700
64	उ नि द्वितीय देहरादून	2953	2019	3240000	1	32400	300	32100	25000	25000	0	32100
65	उ नि द्वितीय देहरादून	4402	2020	3899000	1	38990	210	38780	25000	25000	0	38780
66	उ नि द्वितीय देहरादून	3088	2020	1049979	5	52500	210	52290	21000	25000	0	52290
67	उ नि द्वितीय देहरादून	1623	2020	4010000	1	40100	1000	39100	25000	25000	0	39100
68	उ नि द्वितीय देहरादून	1818	2020	3145000	1	31450	500	30950	25000	25000	0	30950
69	उ नि द्वितीय देहरादून	1949	2020	51267000	5	2563350	210	2563140	25000	25000	0	2563140
70	उ नि द्वितीय देहरादून	2374	2020	54900000	5	2745000	500	2744500	25000	25000	0	2744500
							योग					***3,82,38,068***

परिशिष्ट-3.1.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.2.अ; पृष्ठ 126)

स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	विलेख द्वारा सुरक्षित राशि	देय स्टा शु @7%	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु
1	उ नि बागेश्वर	565	2019	1300000.00	91000	65000.00	26000.00
2	उ नि बागेश्वर	708	2021	200000.00	14000	10000.00	4000.00
3	उ नि द्वितीय देहरादून	1429	2020	7500000.00	525000	10000.00	515000.00
4	उ नि द्वितीय देहरादून	4858	2020	470467.00	32940	24000.00	8940.00
5	उ नि द्वितीय देहरादून	242	2021	2586700.00	181070	129500.00	51570.00
6	उ नि द्वितीय देहरादून	2672	2022	500000.00	35000	25000.00	10000.00
7	उ नि द्वितीय देहरादून	3296	2020	3000000.00	210000	150000.00	60000.00
8	उ नि द्वितीय देहरादून	3616	2021	928642.00	65010	46500.00	18510.00
9	उ नि द्वितीय देहरादून	4735	2019	765982.00	53620	38300.00	15320.00
10	उ नि द्वितीय देहरादून	6994	2021	400000.00	28000	20000.00	8000.00
11	उ नि द्वितीय देहरादून	2246	2022	100000.00	7000	5000.00	2000.00
12	उ नि द्वितीय देहरादून	2247	2022	100000.00	7000	5000.00	2000.00
13	उ नि द्वितीय देहरादून	2248	2022	100000.00	7000	5000.00	2000.00
14	उ नि द्वितीय देहरादून	7303	2020	100000.00	7000	5000.00	2000.00
15	उ नि द्वितीय देहरादून	8985	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
16	उ नि द्वितीय देहरादून	13613	2019	914896.00	64050	46000.00	18050.00
17	उ नि द्वितीय देहरादून	218	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
18	उ नि द्वितीय देहरादून	1309	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
19	उ नि द्वितीय देहरादून	3209	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
20	उ नि द्वितीय देहरादून	3334	2021	500000.00	35000	25000.00	10000.00
21	उ नि द्वितीय देहरादून	12592	2019	100000.00	7000	5000.00	2000.00
22	उ नि द्वितीय देहरादून	606	2021	1000000.00	70000	50000.00	20000.00

क्र. सं	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	विलेख द्वारा सुरक्षित राशि	देय स्टा शु @7%	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु
23	उ नि द्वितीय देहरादून	3208	2021	100000.00	7000	5000.00	2000.00
24	उ नि द्वितीय देहरादून	4469	2021	1000000.00	70000	50000.00	20000.00
25	उ नि द्वितीय देहरादून	4940	2021	200000.00	14000	10000.00	4000.00
26	उ नि द्वितीय देहरादून	5132	2021	900000.00	63000	45000.00	18000.00
27	उ नि द्वितीय देहरादून	7483	2021	300000.00	21000	15000.00	6000.00
28	उ नि द्वितीय देहरादून	7516	2020	1000000.00	70000	50000.00	20000.00
29	उ नि द्वितीय देहरादून	9497	2019	1353966.00	94780	68000.00	26780.00
30	उ नि ऋषिकेश	2106	2020	4790560.00	335340	192000	143340.00
31	उ नि ऋषिकेश	7375	2020	1433982.00	100380	72000	28380.00
32	उ नि ऋषिकेश	239	2021	772984.00	54110	38700	15410.00
33	उ नि ऋषिकेश	3278	2021	50000.00	3500	2000	1500.00
34	उ नि ऋषिकेश	1180	2022	500000.00	35000	25000	10000.00
35	उ नि ऋषिकेश	3390	2019	2500000.00	175000	12500	162500.00
36	उ नि प्रथम देहरादून	2128	2019	3000000.00	210000	10000	200000.00
37	उ नि रुद्रपुर	326	2021	14406500	1008460	742000	266460.00
38	उ नि रुद्रपुर	6042	2020	3369000	235830	175000	60830.00
39	उ नि रुद्रपुर	5326	2020	4265825	298610	233500	65110.00
40	उ नि रुद्रपुर	4986	2020	1162500	81380	62500	18880.00
41	उ नि रुद्रपुर	957	2021	6211220	434790	318500	116290.00
42	उ नि रुद्रपुर	791	2021	1515514	106090	77000	29090.00
43	उ नि रुद्रपुर	355	2021	965325	67580	50800	16780.00
44	उ नि रुद्रपुर	356	2021	915450	64090	47500	16590.00
45	उ नि द्वितीय देहरादून	3697	2020	100000	7000	5000	2000.00
46	उ नि द्वितीय देहरादून	1041	2021	100000	7000	5000	2000.00
			योग				***20,35,330.00***

परिशिष्ट-3.1.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.2.स; पृष्ठ 127)

स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	ऋण की राशि	देय स्टा शु	अदा किया गया स्टा शु	न्यूनारोपित स्टा शु
1	उ नि प्रथम रुड़की	6917	2019	100000	7000	4000	3000
2	उ नि प्रथम रुड़की	7830	2019	100000	7000	4000	3000
3	उ नि प्रथम रुड़की	2226	2020	11130000	779100	445200	333900
4	उ नि प्रथम रुड़की	5394	2020	300000	21000	12000	9000
5	उ नि प्रथम रुड़की	8257	2021	300000	21000	12000	9000
6	उ नि द्वितीय रुड़की	422	2021	200000	14000	8000	6000
7	उ नि द्वितीय रुड़की	5439	2019	100000	7000	4000	3000
8	उ नि द्वितीय रुड़की	7737	2019	100000	7000	4000	3000
9	उ नि द्वितीय रुड़की	9569	2019	500000	35000	20000	15000
10	उ नि द्वितीय रुड़की	3569	2021	200000	14000	8000	6000
11	उ नि द्वितीय रुड़की	4375	2021	100000	7000	4000	3000
12	उ नि द्वितीय रुड़की	1152	2022	100000	7000	4000	3000
13	उ नि तृतीय रुड़की	2267	2019	25000000	1750000	1000000	750000
14	उ नि तृतीय रुड़की	2201	2020	10000000	700000	400000	300000
योग							***3,96,900***

परिशिष्ट-3.1.6

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.3; पृष्ठ 128)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर *(प्रतिशत)*	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
1	उ नि तृतीय देहरादून	10018	2021	1025000	100	*3.75*	38440	38340	100	20500	20400	58740	माप में परिवर्तन
2	उ नि तृतीय देहरादून	2078	2020	1111230	100	*5*	55570	55470	100	22225	22125	77595	गाँव के नाम में परिवर्तन
3	उ नि तृतीय देहरादून	220	2022	1444160	100	*5*	72210	72110	100	25000	24900	97010	खसरा संख्या में परिवर्तन
4	उ नि तृतीय देहरादून	271	2022	909048	100	*5*	45460	45360	100	18181	18081	63441	खसरा संख्या में परिवर्तन
5	उ नि तृतीय देहरादून	1075	2021	2049180	100	*5*	102460	102360	100	25000	24900	127260	चौहद्दी में परिवर्तन
6	उ नि तृतीय देहरादून	1020	2021	819700	100	*5*	40990	40890	100	16394	16294	57184	चौहद्दी में परिवर्तन
7	उ नि तृतीय देहरादून	2030	2021	13230000	100	*1*	132300	132200	100	25000	24900	157100	खसरा संख्या में परिवर्तन
8	उ नि तृतीय देहरादून	2549	2021	1675000	100	*5*	83750	83650	100	25000	24900	108550	भुगतान के प्रकार एवं तिथि में परिवर्तन
9	उ नि तृतीय देहरादून	4216	2021	5340264	100	*5*	267020	266920	100	25000	24900	291820	खसरा संख्या में परिवर्तन
10	उ नि तृतीय देहरादून	3904	2019	3668165	100	*5*	183410	183310	100	25000	24900	208210	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
11	उ नि तृतीय देहरादून	8865	2020	4343856	100	*5*	217200	217100	100	25000	24900	242000	माप में परिवर्तन
12	उ नि तृतीय देहरादून	5630	2019	1377530	100	*5*	68880	68780	100	25000	24900	93680	माप में परिवर्तन
13	उ नि तृतीय देहरादून	6620	2020	1404228	50	*5*	70220	70170	100	25000	24900	95070	माप में परिवर्तन
14	उ नि तृतीय देहरादून	8873	2021	1730704	100	*5*	86540	86440	100	25000	24900	111340	माप में परिवर्तन
15	उ नि तृतीय देहरादून	5380	2021	2163000	6300	*5*	108150	101850	3720	25000	21280	123130	क्षेत्रफल में परिवर्तन
16	उ नि ऋषिकेश	2849	2020	2747884	100	*5*	137400	137300	100	25000	24900	162200	माप में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
17	उ नि ऋषिकेश	3052	2020	2864736	100	5	143240	143140	100	25000	24900	168040	माप में परिवर्तन
18	उ नि ऋषिकेश	1201	2020	1443750	100	5	72190	72090	100	25000	24900	96990	चौहद्दी में परिवर्तन
19	उ नि ऋषिकेश	1436	2020	1449063	100	5	72460	72360	100	25000	24900	97260	क्रेता के नाम एवं पता में परिवर्तन
20	उ नि ऋषिकेश	1319	2020	1835563	100	5	91780	91680	100	25000	24900	116580	क्षेत्रफल में परिवर्तन
21	उ नि ऋषिकेश	14	2022	237000	100	5	11850	11750	160	4740	4580	16330	भुगतान विवरण में परिवर्तन
22	उ नि ऋषिकेश	105	2022	1472064	100	5	73610	73510	100	25000	24900	98410	खसरा संख्या में परिवर्तन
23	उ नि ऋषिकेश	15	2022	237000	100	5	11850	11750	160	4740	4580	16330	भुगतान विवरण में परिवर्तन
24	उ नि ऋषिकेश	140	2022	5093550	100	5	254680	254580	300	25000	24700	279280	खसरा संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
25	उ नि ऋषिकेश	431	2022	334550	100	5	16730	16630	150	6691	6541	23171	खसरा संख्या में परिवर्तन
26	उ नि ऋषिकेश	716	2022	662376	100	5	33120	33020	100	13248	13148	46168	चौहद्दी में परिवर्तन
27	उ नि ऋषिकेश	1040	2022	1503000	100	5	75150	75050	100	25000	24900	99950	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
28	उ नि ऋषिकेश	1477	2022	791000	100	5	39550	39450	200	15820	15620	55070	चौहद्दी में परिवर्तन
29	उ नि ऋषिकेश	1598	2022	1912680	100	5	95640	95540	100	25000	24900	120440	चौहद्दी में परिवर्तन
30	उ नि ऋषिकेश	1609	2022	296100	100	5	14810	14710	100	5922	5822	20532	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
31	उ नि ऋषिकेश	1936	2022	2929080	100	5	146460	146360	100	25000	24900	171260	चौहद्दी में परिवर्तन
32	उ नि ऋषिकेश	1972	2022	695864	100	5	34800	34700	100	13917	13817	48517	चौहद्दी में परिवर्तन
33	उ नि ऋषिकेश	2039	2022	1472064	100	5	73610	73510	200	25000	24800	98310	खसरा संख्या में परिवर्तन
34	उ नि ऋषिकेश	2423	2022	662376	100	5	33120	33020	100	13248	13148	46168	चौहद्दी में परिवर्तन
35	उ नि ऋषिकेश	2538	2022	703500	100	5	35180	35080	100	14070	13970	49050	खसरा संख्या में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
36	उ नि ऋषिकेश	2719	2022	2088640	100	*5*	104440	104340	100	25000	24900	129240	खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन
37	उ नि ऋषिकेश	2750	2022	730400	100	*5*	36520	36420	200	14608	14408	50828	चौहद्दी में परिवर्तन
38	उ नि प्रथम देहरादून	293	2022	1024160	100	*5*	51210	51110	100	20483	20383	71493	चौहद्दी में परिवर्तन
39	उ नि प्रथम देहरादून	388	2022	2195550	12600	*5*	109780	97180	5080	25000	19920	117100	क्षेत्रफल में परिवर्तन
40	उ नि प्रथम देहरादून	389	2022	2195550	12600	*5*	109780	97180	5080	25000	19920	117100	क्षेत्रफल में परिवर्तन
41	उ नि प्रथम देहरादून	444	2022	6341071	100	*5*	317060	316960	100	25000	24900	341860	चौहद्दी में परिवर्तन
42	उ नि प्रथम देहरादून	458	2022	2185848	100	*5*	109300	109200	100	25000	24900	134100	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
43	उ नि प्रथम देहरादून	558	2022	1843840	100	*5*	92200	92100	100	25000	24900	117000	चौहद्दी में परिवर्तन
44	उ नि प्रथम देहरादून	579	2022	1691400	100	*5*	84570	84470	100	25000	24900	109370	चौहद्दी में परिवर्तन
45	उ नि प्रथम देहरादून	580	2022	2347480	100	*1*	23480	23380	100	25000	24900	48280	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
46	उ नि प्रथम देहरादून	633	2022	1422360	100	*1*	14230	14130	100	25000	24900	39030	चौहद्दी में परिवर्तन
47	उ नि प्रथम देहरादून	654	2022	2550000	100	*1*	25500	25400	100	25000	24900	50300	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
48	उ नि प्रथम देहरादून	718	2022	2424000	310	*5*	121200	120890	200	25000	24800	145690	माप में परिवर्तन
49	उ नि प्रथम देहरादून	757	2022	1504980	100	*5*	75250	75150	100	25000	24900	100050	चौहद्दी में परिवर्तन
50	उ नि प्रथम देहरादून	761	2022	2282400	100	*5*	114120	114020	100	25000	24900	138920	खसरा संख्या में परिवर्तन
51	उ नि प्रथम देहरादून	762	2022	1784400	100	*5*	89220	89120	100	25000	24900	114020	खसरा संख्या में परिवर्तन
52	उ नि रुद्रपुर	1417	2022	1343680	100	*5*	67190	67090	100	25000	24900	91990	माप में परिवर्तन
53	उ नि रुद्रपुर	2053	2022	794580	100	*5*	39730	39630	100	15892	15792	55422	माप में परिवर्तन
54	उ नि रुद्रपुर	5775	2019	884764	39100	*5*	44240	5140	200	17695	17495	22635	चौहद्दी में परिवर्तन
55	उ नि रुद्रपुर	6045	2019	351288	100	*5*	17570	17470	100	7026	6926	24396	प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
56	उ नि रुद्रपुर	6627	2019	3780072	100	*5*	189010	188910	100	25000	24900	213810	चौहद्दी में परिवर्तन
57	उ नि रुद्रपुर	10179	2019	555474	100	*5*	27780	27680	100	11109	11009	38689	चौहद्दी में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर *(प्रतिशत)*	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
58	उ नि रुद्रपुर	6183	2021	981100	36900	*5*	49060	12160	100	19622	19522	31682	चौहद्दी में परिवर्तन
59	उ नि रुद्रपुर	6344	2021	368865	19000	*5*	18450	0	100	7377	7277	7277	प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
60	उ नि रुद्रपुर	8389	2021	724960	100	*5*	36250	36150	100	14499	14399	50549	प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
61	उ नि रुद्रपुर	8658	2021	473960	100	*5*	23700	23600	100	9479	9379	32979	चौहद्दी में परिवर्तन
62	उ नि रुद्रपुर	6124	2019	859000	100	*5*	42950	42850	100	17180	17080	59930	संपत्ति के स्थान में परिवर्तन
63	उ नि रुद्रपुर	2411	2019	732000	110	*5*	36600	36490	100	14640	14540	51030	प्लॉट संख्या एवं स्थान में परिवर्तन
64	उ नि रुद्रपुर	3013	2019	609893	100	*5.00*	30500	30400	100	12198	12098	42498	खेत संख्या में परिवर्तन
65	उ नि बागेश्वर	114	2020	752375	100	*5*	37620	37520	100	15048	14948	52468	विक्रेता के नाम में परिवर्तन
66	उ नि बागेश्वर	340	2020	192500	100	*5*	9630	9530	100	3850	3750	13280	विक्रेता के नाम में परिवर्तन
67	उ नि बागेश्वर	266	2020	1238400	100	*1*	12390	12290	100	24768	24668	36958	विक्रेता के नाम में परिवर्तन
68	उ नि चतुर्थ देहरादून	2624	2019	646900	100	*5*	32350	32250	100	12938	12838	45088	खसरा संख्या, स्वामी एवं चौहद्दी में परिवर्तन
69	उ नि प्रथम विकासनगर	2580	2022	1342677	100	*5*	67140	67040	100	25000	24900	91940	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
70	उ नि प्रथम विकासनगर	2482	2022	180032	300	*5*	9010	8710	100	3601	3501	12211	क्रेता के नाम एवं पता में परिवर्तन
71	उ नि प्रथम विकासनगर	1121	2019	394000	100	*5*	19700	19600	100	7880	7780	27380	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
72	उ नि द्वितीय विकासनगर	4600	2021	616990	100	*5*	30850	30750	100	12340	12240	42990	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर *(प्रतिशत)*	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
73	उ नि द्वितीय विकासनगर	5199	2021	840426	100	*5*	42030	41930	100	16809	16709	58639	चौहद्दी में परिवर्तन
74	उ नि द्वितीय विकासनगर	1594	2019	155000.00	100.00	*5.00*	7750	7650	100.00	3100	3000	10650	प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
75	उ नि द्वितीय विकासनगर	1718	2019	1118000.00	100.00	*5.00*	55900	55800	100.00	22360	22260	78060	चौहद्दी में परिवर्तन। अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
76	उ नि द्वितीय विकासनगर	1938	2019	397000.00	100.00	*1.00*	3970	3870	100.00	7940	7840	11710	खाता/खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन
77	उ नि द्वितीय विकासनगर	6539	2019	311000.00	100.00	*5.00*	15550	15450	100.00	6220	6120	21570	चौहद्दी में परिवर्तन। अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
78	उ नि द्वितीय विकासनगर	6553	2019	715000.00	100.00	*5.00*	35750	35650	100.00	14300	14200	49850	तातिम्मा विलेख में शामिल किए गए चेक़ रजिस्ट्रीकरण के बाद की तिथि को जारी किए गए थे। अतः, संपत्ति के मूल्यांकन में ₹ 15000/- की वृद्धि हुई।
79	उ नि द्वितीय विकासनगर	4155	2020	1029490	100	*5.00*	51480	51380	100	20590	20490	71870	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
80	उ नि द्वितीय विकासनगर	4423	2019	1143000.00	100.00	*5.00*	57150	57050	100	22860	22760	79810	चौहद्दी में परिवर्तन। अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
81	उ नि द्वितीय विकासनगर	5726	2019	282450.00	100.00	*5.00*	14130	14030	100	5649	5549	19579	तीन सीमाओं में परिवर्तन
82	उ नि द्वितीय विकासनगर	6456	2019	518000	100	*1*	5180	5080	100	10360	10260	15340	चौहद्दी, क्षेत्रफल एवं माप में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर *(प्रतिशत)*	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
83	उ नि द्वितीय विकासनगर	6538	2019	913000	100	*5*	45650	45550	100	18260	18160	63710	चौहद्दी में परिवर्तन। अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
84	उ नि प्रथम रुड़की	198	2022	245900	100	*3.75*	9230	9130	100	4918	4818	13948	विक्रेता में परिवर्तन
85	उ नि प्रथम रुड़की	199	2022	491830	100	*3.75*	18450	18350	100	9837	9737	28087	विक्रेता में परिवर्तन
86	उ नि प्रथम रुड़की	280	2022	585320	100	*5*	29270	29170	100	11706	11606	40776	चौहद्दी में परिवर्तन
87	उ नि प्रथम रुड़की	281	2022	1390560	100	*3.75*	52150	52050	100	25000	24900	76950	चौहद्दी में परिवर्तन
88	उ नि प्रथम रुड़की	312	2022	655060	100	*5*	32760	32660	100	13101	13001	45661	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
89	उ नि प्रथम रुड़की	284	2022	2947920	100	*5*	147400	147300	100	25000	24900	172200	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
90	उ नि प्रथम रुड़की	2000	2021	226000	100	*5*	11300	11200	100	4520	4420	15620	क्षेत्रफल में कमी
91	उ नि प्रथम रुड़की	8677	2021	526000	100	*1*	5260	5160	100	10520	10420	15580	चौहद्दी एवं खसरा संख्या में परिवर्तन
92	उ नि प्रथम रुड़की	7399	2021	2156000	100	*5*	107800	107700	100	25000	24900	132600	खसरा संख्या एवं गाँव के नाम में परिवर्तन
93	उ नि प्रथम रुड़की	2774	2020	1092940	100	*3.75*	40990	40890	100	21859	21759	62649	माप में परिवर्तन
94	उ नि द्वितीय रुड़की	712	2022	281760	100	*5*	14090	13990	100	5635	5535	19525	माप में परिवर्तन
95	उ नि द्वितीय रुड़की	5523	2019	487890	100	*5*	24400	24300	100	9758	9658	33958	माप में परिवर्तन
96	उ नि द्वितीय रुड़की	7975	2020	901750	100	*5*	45090	44990	100	18035	17935	62925	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
97	उ नि द्वितीय रुड़की	713	2022	281760	100	*5*	14090	13990	100	5635	5535	19525	माप में परिवर्तन
98	उ नि द्वितीय रुड़की	532	2020	2290000	100	*5*	114500	114400	100	25000	24900	139300	खसरा संख्या में परिवर्तन। अन्य सीमाएं भी विनिर्दिष्ट नहीं।
99	उ नि द्वितीय रुड़की	533	2020	2290000	100	*5*	114500	114400	100	25000	24900	139300	खसरा संख्या में परिवर्तन। अन्य

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर *(प्रतिशत)*	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
													सीमाएं भी विनिर्दिष्ट नहीं।
100	उ नि द्वितीय देहरादून	1683	2020	2815836	100	*1*	28160	28060	100	25000	24900	52960	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
101	उ नि द्वितीय देहरादून	4868	2019	1683990	100	*5*	84200	84100	200	25000	24800	108900	चौहद्दी में परिवर्तन एवं खसरा/खाता संख्या शामिल किया जाना।
102	उ नि द्वितीय देहरादून	1119	2020	900000	100	*5*	45000	44900	100	18000	17900	62800	माप एवं चौहद्दी में परिवर्तन
103	उ नि सितारगंज	1492	2019	929000	100	*5*	46450	46350	100	18580	18480	64830	चौहद्दी में परिवर्तन
104	उ नि सितारगंज	1493	2019	929000	100	*5*	46450	46350	100	18580	18480	64830	चौहद्दी में परिवर्तन
105	उ नि सितारगंज	1494	2019	929000	100	*5*	46450	46350	100	18580	18480	64830	चौहद्दी में परिवर्तन
106	उ नि सितारगंज	2389	2019	262000	100	*1*	2620	2520	100	5240	5140	7660	महत्वपूर्ण परिवर्तन अर्थात समस्त सीमाओं का विलोपन।
107	उ नि सितारगंज	3871	2019	1162000	100	*5*	58100	58000	100	23240	23140	81140	खेत संख्या में परिवर्तन एवं अन्य सीमाएं विनिर्दिष्ट नहीं।
108	उ नि सितारगंज	4648	2019	5284000	22000	*5*	264200	242200	8600	25000	16400	258600	मूल्यांकन में वृद्धि
109	उ नि सितारगंज	550	2021	1273000	100	*5*	63650	63550	100	25000	24900	88450	खेत संख्या एवं चौहद्दी में परिवर्तन
110	उ नि सितारगंज	354	2022	443967	100	*5*	22200	22100	100	8879	8779	30879	क्षेत्रफल में परिवर्तन
111	उ नि सितारगंज	3900	2020	585270	100	*5*	29270	29170	100	11705	11605	40775	चौहद्दी में परिवर्तन
112	उ नि सितारगंज	5020	2021	951405	100	*5*	47580	47480	100	19028	18928	66408	खाता एवं खसरा संख्या में परिवर्तन
113	उ नि सितारगंज	4645	2021	8158500	100	*5*	407930	407830	100	25000	24900	432730	चौहद्दी में परिवर्तन

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर *(प्रतिशत)*	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	कम अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
114	उ नि सितारगंज	745	2022	1141686	100	*5*	57090	56990	100	22834	22734	79724	चौहद्दी में परिवर्तन
115	उ नि तृतीय रुड़की	1485	2021	387056	100	*5*	19360	19260	100	7741	7641	26901	एक विक्रेता का नाम हटाया गया
116	उ नि तृतीय रुड़की	3168	2021	860580	100	*5*	43030	42930	100	17212	17112	60042	खाता संख्या एवं दो नए खसरा संख्या शामिल किया जाना।
117	उ नि तृतीय रुड़की	3966	2021	430470	100	*5*	21530	21430	100	8609	8509	29939	नया चक एवं गाटा संख्या शामिल किया गया
118	उ नि तृतीय रुड़की	4078	2021	525672	100	*5*	26290	26190	100	10513	10413	36603	एक विक्रेता का नाम हटाया गया
119	उ नि तृतीय रुड़की	4097	2021	312375	100	*5*	15620	15520	100	6248	6148	21668	खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल में परिवर्तन
120	उ नि तृतीय रुड़की	4358	2021	602640	100	*5*	30140	30040	100	12053	11953	41993	नया चक एवं गाटा संख्या शामिल किया गया
121	उ नि तृतीय रुड़की	1104	2019	3140000	250	*1*	31400	31150	100	25000	24900	56050	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
122	उ नि तृतीय रुड़की	1563	2019	540000	100	*5*	27000	26900	100	10800	10700	37600	चौहद्दी में परिवर्तन
123	उ नि तृतीय रुड़की	2271	2019	1930000	100	*5*	96500	96400	100	25000	24900	121300	चौहद्दी एवं माप में परिवर्तन
124	उ नि तृतीय रुड़की	4179	2019	855000	100	*1*	8550	8450	100	17100	17000	25450	चौहद्दी में परिवर्तन
125	उ नि तृतीय रुड़की	5590	2020	767000	100	*5*	38350	38250	100	15340	15240	53490	चौहद्दी में परिवर्तन
योग												***1,01,27,712***	

परिशिष्ट-3.1.7

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.4.स; पृष्ठ 131)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति का मूल्य	स्टा शु की दर *प्रतिशत*	वर्गीकरण के अनुसार देय स्टा शु/नि शु	अदा किया गया स्टा शु/नि0शु0	न्यूनारोपित स्टा शु/ नि शु का योग	अभ्युक्ति
1	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	1801280	*1*	43020	0	43020	दान
2	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	5943600	*1*	84440	0	84440	दान
3	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	5943600	*1*	84440	0	84440	दान
4	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	4336800	*1*	68370	0	68370	दान
5	उ नि प्रथम विकासनगर	3221	2019	5943600	*1*	84440	0	84440	दान
6	उ नि प्रथम विकासनगर	9083	2021	765000	*5*	53550	1200	52350	दान
योग								***4,17,060***	

परिशिष्ट-3.1.8

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.5.ब; पृष्ठ 132)

स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	विलेख सं	संपत्ति का मूल्य	अदा किया गया स्टा शु	स्टा शु की दर (प्रतिशत)	देय स्टा शु	कम अदा किया गया स्टा शु	अदा किया गया नि शु	देय नि शु	न्यूनारोपित नि शु	योग
1	उ नि प्रथम विकासनगर	2020	3832	2266100	1300	*0.25*	5670	4370	1100	25000	23900	28270
2	उ नि द्वितीय विकासनगर	2020	1133	4171050	1100	*7*	291980	290880	100	25000	24900	315780
3	उ नि द्वितीय विकासनगर	2019	1852	441315	1000	*7*	30900	29900	200	8826	8626	38526
4	उ नि द्वितीय विकासनगर	2021	5090	419579	1100	*7*	29380	28280	100	8392	8292	36572
5	उ नि द्वितीय विकासनगर	2021	7488	1590000	2000	*7*	111300	109300	1000	25000	24000	133300
योग												***5,52,448***

परिशिष्ट-3.1.9

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.1.8.6; पृष्ठ 135)

निबंधन शुल्क का न्यूनारोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विलेख सं	वर्ष	संपत्ति/हिस्सा की सं	देय नि शु	अदा किया गया नि शु	न्यूनारोपित नि शु
1	उ नि ऋषिकेश	2285	2022	8	120000	25000	95000
2	उ नि ऋषिकेश	7915	2020	2	50000	25000	25000
3	उ नि रुद्रपुर	7868	2019	5	125000	25000	100000
4	उ0न0 प्रथम देहरादून	568	2022	3	75000	50100	24900
5	उ नि प्रथम विकासनगर	1558	2022	2	50000	25000	25000
6	उ नि प्रथम विकासनगर	1559	2022	2	50000	25000	25000
7	उ नि प्रथम विकासनगर	2873	2021	5	125000	50000	75000
8	उ नि द्वितीय विकासनगर	6398	2021	3	75000	33180	41820
9	उ नि द्वितीय विकासनगर	784	2021	2	50000	25100	24900
10	उ नि द्वितीय देहरादून	755	2020	2	50000	25000	25000
11	उ नि द्वितीय देहरादून	1487	2021	8	168118	25000	143118
12	उ नि सितारगंज	2107	2020	2	50000	25000	25000
13	उ नि सितारगंज	184	2019	6	150000	25000	125000
14	उ नि तृतीय रुड़की	523	2021	2	50000	25000	25000
15	उ नि तृतीय रुड़की	3859	2020	2	50000	25000	25000
16	उ नि तृतीय रुड़की	4773	2021	2	50000	25000	25000
योग							***8,29,738***

परिशिष्ट-3.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.2; पृष्ठ 140)

ईंट भट्ठा संचालकों पर बकाया रॉयल्टी का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	ईंट भट्ठा संचालकों की संख्या	मानदंडो के अनुसार ईंटों के उत्पादन की संख्या	देय रॉयल्टी (₹ 100 प्रति हजार ईंट)	जमा की गयी रॉयल्टी	बकाया रॉयल्टी
1.	जि ख अ, हरिद्वार	2019-20	148	40,93,00,000	4,09,30,000	0	4,09,30,000
2.		2020-21	148	40,93,00,000	4,09,30,000	0	4,09,30,000
3.	जि ख अ, उधम सिंह नगर	2019-20	52	14,03,00,000	1,40,30,000	48,50,000	91,80,000
4.		2020-21	53	14,31,00,000	1,43,10,000	71,55,000	71,55,000
5.			08	2,24,00,000	22,40,000	0	22,40,000
योग					***11,24,40,000***	***1,20,05,000***	***10,04,35,000***

परिशिष्ट-3.5.1

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.5; पृष्ठ 157)

अवैध रूप से खनिजों का परिवहन/खनन करने वाले वाहनों का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. स.	वाहनों का विवरण	संख्या	प्रति वाहन जुर्माने की दर	जुर्माने की राशि	जुर्माने की वास्तविक अधिरोपित और वसूल की गई राशि	अंतर
1	ट्रैक्टर ट्रॉली (दो पहिया वाहन)	160	50,000	80,00,000	15,31,000	64,69,000
2	ट्रक (छह पहिया)	89	1,00,000	89,00,000	23,09,000	65,91,000
3	ट्रक (दस पहिया)	63	2,00,000	1,26,00,000	12,38,000	1,13,62,000
4	जे सी बी/पॉक लैंड	22	2,00,000	44,00,000	4,40,000	39,60,000
योग		***334***		***3,39,00,000***	***55,18,000***	***2,83,82,000***

परिशिष्ट-3.6.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-3.6; पृष्ठ 158)

ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती का विवरण

(धनराशि ₹ में)

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
अल्मोड़ा	कृषि मृदा संरक्षण	36,476	3	1,82,380
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, अल्मोड़ा	16,394	1	81,970
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, बाड़ेछीना	36,604	6	1,83,020
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैंण	12,380	1	61,900
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, रानीखेत	17,064	1	85,320
	उप प प्र जलागम प्रबंधन यू डी डब्ल्यू डी पी 2, अल्मोड़ा	2,44,666	126	12,23,330
	अधि अ, रा मार्ग खण्ड लो नि वि	9,40,981	50	47,04,905
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	4,14,785	68	20,73,925
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, रानीखेत	21,96,074	27	1,09,80,370
	अधि अ, लघु लिफ्ट खण्ड,अल्मोड़ा	1,25,235	23	6,26,175
	अधि अ, लघु सिंचाई, अल्मोड़ा	2,76,746	25	13,83,730
	अधि अ, नि ख लो नि वि, अल्मोड़ा	47,42,681	113	2,37,13,405
	अधि अ, नि ख लो नि वि, रानीखेत	73,34,489	102	3,66,72,445
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, अल्मोड़ा	49,77,119	89	2,48,85,595
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, रानीखेत	1,05,36,451	123	5,26,82,255
	रिक्त	1,71,35,127	998	8,56,75,635
	योग	***4,90,43,272***	***1,756***	***24,52,16,360***
बागेश्वर	उप परियोजना निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी, बागेश्वर	480	1	2400
	अधि अ, लघु सिंचाई, बागेश्वर	79578	4	397890
	अधि अ, सिंचाई खण्ड	11016	5	55080
	अधि अ, नि ख लो नि वि, कपकोट	513727	12	2568635

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, बागेश्वर	306520	8	1532600
	(रिक्त)	5794	1	28970
	उप परियोजना निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी , बागेश्वर	142348	86	711740
	अधि अ, लघु सिंचाई,बागेश्वर	870270	50	4351350
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, कपकोट	1330287	93	6651435
	अधि अ, नि ख लो नि वि, कपकोट	6795691	126	33978455
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	1728152	84	8640760
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, बागेश्वर	8593029	159	42965145
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड, चम्बा	612732	31	3063660
	(रिक्त)	12183623	709	60918115
	योग	***33173247***	***1369***	***165866235***
चमोली	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, चमोली	15,024	7	75,120
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग	17,230	5	86,150
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, थराली	11,524	17	57,620
	प्र व अ बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर	2,26,611	8	11,33,055
	प्र व अ केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर	12,76,462	106	63,82,310
	प्र व अ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ	4,27,346	21	21,36,730
	प्र व अ मृदा संरक्षण प्रभाग अलकनंदा, गोपेश्वर	1,42,207	16	7,11,035
	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली	4,626	1	23,130
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, चमोली	11,04,858	42	55,24,290
	अधि अ, लघु सिंचाई,गोपेश्वर	2,62,377	15	13,11,885
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, थराली	36,58,778	93	1,82,93,890
	अधि अ, नि ख लो नि वि, गैरसैंण	26,28,571	97	1,31,42,855
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, गोपेश्वर	58,62,338	145	2,93,11,690
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, कर्णप्रयाग	28,14,697	88	1,40,73,485

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड, चम्बा	3,39,915	17	16,99,575
	अधि अस्थाई खण्ड, लो नि वि, थराली	43,62,465	125	2,18,12,325
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, गौचर	83,21,921	142	4,16,09,605
	कार्य अ, निर्माण खण्ड लो नि वि, पोखरी	24,73,516	76	1,23,67,580
	(रिक्त)	1,86,16,731	1,523	9,30,83,655
	योग	***5,25,67,197***	***2,544***	***26,28,35,985***
चम्पावत	अधि अ, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	26,53,716	47	1,32,68,580
	अधि अ, लघु सिंचाई, चंपावत	2,81,844	33	14,09,220
	अधि अ, नि ख लो नि वि, लोहाघाट	45,97,237	79	2,29,86,185
	अधि अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो नि वि, लोहाघाट	5,99,144	31	29,95,720
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, चम्पावत	66,86,533	112	3,34,32,665
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड	4,72,170	19	23,60,850
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड सिंचाई टनकपुर	17,237	12	86,185
	(रिक्त)	1,41,55,616	764	7,07,78,080
	योग	***2,94,63,497***	***1,097***	***14,73,17,485***
देहरादून	अधि अ, सिंचाई खण्ड, कालसी	23,747	1	1,18,735
	अधि अ, लघु सिंचाई, देहरादून	47,777	3	2,38,885
	अधि अ, नि ख लो नि वि , देहरादून	13,822	2	69,110
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, देहरादून	44,985	2	2,24,925
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, देहरादून	73,467	5	3,67,335
	अधि अ, परियोजना खण्ड	193	1	965
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, चकराता	37,628	2	1,88,140
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, सहिया	1,17,178	6	5,85,890
	मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून	9,15,156	3	45,75,780
	उप परियोजना निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी, विकास नगर	1,15,616	87	5,78,080

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	प्र व अ देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	3,71,364	18	18,56,820
	उप निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी पी एम यू वाटरशेड प्रबंधन डायरेक्टर	24,065	34	1,20,325
	अधि अ, इंफ्रास्ट्रक्चर खण्ड, डाकपत्थर	27,299	35	1,36,495
	अधि अ, निवेश योजना खण्ड, देहरादून	14,71,811	189	73,59,055
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, डाकपत्थर	35,50,428	116	1,77,52,140
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, कालसी	87,87,604	437	4,39,38,020
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो नि वि	5,52,586	33	27,62,930
	अधि अ, लघु सिंचाई, देहरादून	15,47,051	112	77,35,255
	अधि अ, नि ख लो नि वि, देहरादून	30,44,773	122	1,52,23,865
	अधि अ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुनर्वास खण्ड	5,395	3	26,975
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, देहरादून	20,61,763	128	1,03,08,815
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, देहरादून	32,90,633	172	1,64,53,165
	अधि अ, परियोजना खण्ड	13,635	5	68,175
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, चकराता	52,08,390	216	2,60,41,950
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, ऋषिकेश	21,42,813	135	1,07,14,065
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, सहिया	76,12,726	174	3,80,63,630
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड	3,31,464	50	16,57,320
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो नि वि, डोईवाला	13,37,047	48	66,85,235
	(रिक्त)	1,73,57,306	1,728	8,67,86,530
	योग	***6,01,27,722***	***3,867***	***30,06,38,610***
	सीई, लेवल II निदेशक राज्य इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, रूड़की	3,591	5	17,955
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, रूड़की	4,65,046	57	23,25,230
हरिद्वार	अधि अ, प्रशासन खण्ड, रूड़की	34,369	45	1,71,845
	अधि अ, नि ख लो नि वि, रूड़की	20,51,581	127	1,02,57,905
	अधि अ, डिज़ाइन खण्ड, रूड़की	35,828	34	1,79,140

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, सिंचाई कार्यशाला, रूड़की	6,511	8	32,555
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, रूड़की	79,672	78	3,98,360
	(रिक्त)	29,82,591	162	1,49,12,955
	अधि अ, लघु सिंचाई, हरिद्वार	3,80,559	37	19,02,795
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	17,90,996	46	89,54,980
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, हरिद्वार	30,63,565	153	1,53,17,825
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, हरिद्वार	80,009	70	4,00,045
	अधि अ, जल विज्ञान खण्ड, हरिद्वार	41,016	12	2,05,080
	अधि अ, निर्माण खण्ड लो नि वि, लक्सर	66,00,905	265	3,30,04,525
	(रिक्त)	1,19,96,257	544	5,99,81,285
	योग	***2,96,12,496***	***1,643***	***14,80,62,480***
नैनीताल	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी,हल्द्वानी	58,293	3	2,91,465
	अधि अ, जमरानी बांध निर्माण खण्ड द्वितीय, हल्द्वानी	28,357	16	1,41,785
	अधि अ, नि ख लो नि वि, हलद्वानी	19,26,066	91	96,30,330
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	22,18,598	206	1,10,92,990
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग लो नि वि, हल्द्वानी	7,02,673	19	35,13,365
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, हल्द्वानी	5,266	5	26,330
	(रिक्त)	22,56,809	213	1,12,84,045
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, नैनीताल	17,52,462	134	87,62,310
	अधि अ, सिंचाई प्रमंडल, रामनगर	4,59,817	131	22,99,085
	अधि अ, लघु सिंचाई, नैनीताल	1,73,213	21	8,66,065
	अधि अ, नि ख लो नि वि, रामनगर	54,86,439	230	2,74,32,195
	अधि अ, नि ख लो नि वि, नैनीताल	73,31,907	131	3,66,59,535
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, नैनीताल	34,03,554	97	1,70,17,770
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, भवाली	34,49,592	81	1,72,47,960

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, रामनगर	73,053	30	3,65,265
	(रिक्त)	1,06,36,015	924	5,31,80,075
	योग	***3,99,62,114***	***2,332***	***19,98,10,570***
पौड़ी	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी,पौड़ी	41,614	2	2,08,070
	प्र व अ गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी	2,60,318	6	13,01,590
	उप पी डी वाटरशेड प्रबंधन यू डी डब्ल्यू डी पी 2,पौड़ी	1,00,128	66	5,00,640
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	63,45,167	108	3,17,25,835
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग लो नि वि खण्ड, श्रीनगर	3,57,110	26	17,85,550
	अधि अ, लघु सिंचाई, पौड़ी	10,57,951	71	52,89,755
	अधि अ, नि ख लो नि वि, पबऊ	1,20,26,691	176	6,01,33,455
	अधि अ, नि ख लो नि वि, पौड़ी	30,69,966	78	1,53,49,830
	अधि अ, नि ख लो नि वि, श्रीनगर	50,23,067	116	2,51,15,335
	अधि अ, नि ख लो नि वि, बैजरो	36,36,357	117	1,81,81,785
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डलो नि वि, धुमाकोट	16,40,792	33	82,03,960
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, पौड़ी	1,07,52,632	450	5,37,63,160
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, श्रीनगर	1,12,83,510	189	5,64,17,550
	अधि अ, लघुदल खण्ड सिंचाई, श्रीनगर	3,02,894	40	15,14,470
	(रिक्त)	1,17,67,970	588	5,88,39,850
	प्र व अ लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार	8,547	3	42,735
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	33,62,719	120	1,68,13,595
	अधि अ, नि ख लो नि वि, दुगड्डा	1,00,92,066	296	5,04,60,330
	अधि अ, आरडब्ल्यूडी, कोटद्वार	8,944	1	44,720
	(रिक्त)	1,23,82,270	571	6,19,11,350
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, लैंसडाउन	1,14,09,564	290	5,70,47,820
	(रिक्त)	13,45,548	33	67,27,740

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	योग	***10,62,75,825***	***3,380***	***53,13,79,125***
पिथौरागढ	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडीहाट	1,53,626	6	7,68,130
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ	24,653	1	1,23,265
	उप परियोजना निदेशक, यू डी डब्ल्यू डी पी, पिथौरागढ	1,64,859	79	8,24,295
	प्र व अ पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ	1,34,095	16	6,70,475
	अधि अ, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ	11,27,986	132	56,39,930
	अधि अ, लघु सिंचाई, पिथौरागढ	9,48,150	77	47,40,750
	अधि अ, नि ख लो नि वि, अस्कोट	51,00,965	108	2,55,04,825
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, पिथौरागढ	1,25,84,249	130	6,29,21,245
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, डीडीहाट	87,87,684	180	4,39,38,420
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, बेरीनाग	70,73,985	69	3,53,69,925
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, धारचूला	21,54,238	75	1,07,71,190
	अधि अ, लघु डाल खण्ड सिंचाई, पिथौरागढ	1,00,293	24	5,01,465
	(रिक्त)	1,91,71,235	1,266	9,58,56,175
	योग	***5,75,26,018***	***2,163***	***28,76,30,090***
रुद्रप्रयाग	प्र व अ वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग	5,04,263	33	25,21,315
	उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक	3,883	1	19,415
	अधि अ, सिंचाई खण्ड	4,93,277	79	24,66,385
	अधि अ, लघु सिंचाई, रुद्रप्रयाग	4,87,982	24	24,39,910
	अधि अ, नि ख लो नि वि, ऊखीमठ	55,05,197	149	2,75,25,985
	अधि अ, निर्माण खण्ड लो नि वि, गुप्तकाशी	8,05,630	30	40,28,150
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, रुद्रप्रयाग	85,88,676	205	4,29,43,380
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड	8,02,613	33	40,13,065
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, गुप्तकाशी	7,65,317	83	38,26,585
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग लो नि वि खण्ड, रुद्रप्रयाग	5,57,693	28	27,88,465

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	प्रधानाचार्य जी आई सी, रुद्रप्रयाग	3,940	1	19,700
	(रिक्त)	1,47,69,036	1,041	7,38,45,180
	योग	***3,32,87,507***	***1,707***	***16,64,37,535***
टिहरी	अधि अ,सिंचाई खण्ड, नरेंद्रनगर	41,15,712	180	2,05,78,560
	अधि अ, नि ख लो नि वि, नरेंद्र नगर	1,11,35,520	226	5,56,77,600
	अधि अ, पी एम जी एस वाई खण्ड, लो नि वि, नरेंद्र नगर	277	1	1,385
	(रिक्त)	32,87,377	225	1,64,36,885
	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर	18,132	3	90,660
	उप पी डी वाटरशेड प्रबंधन यू डी डब्ल्यू डी पी 2, टिहरी	84,749	85	4,23,745
	अधि अ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुनर्वास, खण्ड	17,649	8	88,245
	अधि अ, लघु सिंचाई, टिहरी	15,92,530	117	79,62,650
	अधि अ, नि ख लो नि वि, चम्बा	47,92,587	146	2,39,62,935
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	20,21,037	130	1,01,05,185
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, टिहरी	1,12,94,597	329	5,64,72,985
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड, चंबा	36,775	5	1,83,875
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, घनसाली	65,29,368	149	3,26,46,840
	अधि अ, अस्थाई खण्ड लो नि वि, थत्यूड़	70,43,212	175	3,52,16,060
	(रिक्त)	1,82,62,474	1,237	9,13,12,370
	योग	***7,02,31,996***	***3,016***	***35,11,59,980***
उधम सिंह नगर	अधि अ, लघु सिंचाई, रुद्रपुर	86,951	32	4,34,755
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, सितारगंज	3,57,375	34	17,86,875
	अधि अ, ट्यूबवेल खण्ड, बाजपुर	87,149	40	4,35,745
	अधि अ, नि ख लो नि वि, खटीमा	5,50,498	31	27,52,490
	अधि अ, नि ख लो नि वि, काशीपुर	34,05,376	66	1,70,26,880
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, काशीपुर	13,23,185	94	66,15,925

कोषागार/जिला	जमाकर्ता का नाम	वर्ष 2021-22 में ठेकेदारों के बिलों से काटी गयी रायल्टी की धनराशि	वाउचरों की संख्या	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1	2	3	4	5= (कॉलम 3 X 5 गुना)
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	7,30,413	71	36,52,065
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, रुद्रपुर	39,92,081	53	1,99,60,405
	(रिक्त)	88,10,567	762	4,40,52,835
	योग	***1,93,43,595***	***1,183***	***9,67,17,975***
उत्तरकाशी	कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी	52,803	4	2,64,015
	उप परियोजना निदेशक यू डी डब्ल्यू डी पी, चरण-2, उत्तरकाशी	3,72,901	175	18,64,505
	प्र व अ, टोंस वन प्रभाग, पुरोला	7,49,373	37	37,46,865
	प्र व अ, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	52,006	9	2,60,030
	उप निदेशक गोविंद वन्यजीव अभ्यारण, पुरोला	26,865	6	1,34,325
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, पुरोला	45,50,028	215	2,27,50,140
	अधि अ, लघु सिंचाई, उत्तरकाशी	2,06,960	29	10,34,800
	अधि अ, नि ख लो नि वि, उत्तरकाशी	35,15,894	138	1,75,79,470
	अधि अ, नि ख लो नि वि, बड़कोट	25,43,050	108	1,27,15,250
	अधि अ, नि ख लो नि वि, पुरोला	78,42,512	215	3,92,12,560
	अधि अ, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	26,53,590	115	1,32,67,950
	अधि अ, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो नि वि, बड़कोट	4,28,691	10	21,43,455
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, भटवारी	38,07,233	75	1,90,36,165
	अधि अ, प्रा ख लो नि वि, उत्तरकाशी	78,02,027	163	3,90,10,135
	अधि अ, पी एम जी एस वाई सिंचाई खण्ड, चंबा	63,633	2	3,18,165
	अधि अ, लघु डाल खण्ड सिंचाई, उत्तरकाशी	1,72,814	31	8,64,070
	(रिक्त)	1,51,83,260	1,363	7,59,16,300
	योग	***5,00,23,640***	***2,695***	***25,01,18,200***
महायोग		***63,06,38,126***	***28,752***	***3,15,31,90,630***

परिशिष्ट-3.7.1

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.5; पृष्ठ 163)

(अ) "सेक्टर ऑडिट" के लिए चयनित नमूने का विवरण

क्र. सं.	आयुक्तालय	संयुक्त आयुक्तालय	सेक्टर
1	राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून	देहरादून	देहरादून-01
2			देहरादून-04
3			देहरादून-06
4			देहरादून-08
5			ऋषिकेश-01
6			विकासनगर-01
7		हरिद्वार	हरिद्वार-01
8		रुद्रपुर	रुद्रपुर-01
9			रुद्रपुर-03
10			किच्छा

(ब) "सीमित लेखापरीक्षा" हेतु चयनित नमूनों का विवरण

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
1	मैसर्स (मै.) ताराचंद गुरुदत्त	05XXXXXXXXXX2जेडपी	देहरादून 2
2	मै. एरीसेंट मार्केटिंग	05XXXXXXXXXX1जेडडी	देहरादून 2
3	मै. श्रीराम सेल्स	05XXXXXXXXXX1जेडएन	देहरादून 4
4	मै. भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	देहरादून 5
5	मै. फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	देहरादून 7
6	मै. ट्रैक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेड9	देहरादून 8
7	मै. हेयर एप्लॉएन्सेस (ई0) प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडओ	देहरादून 5
8	मै. सुशील कुमार गुप्ता एंड कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	देहरादून 8
9	मै. वैपकोस लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडटी	देहरादून 9

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
10	मै. डिक्सन टेक्नोलॉजीज (ई0) लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	ऋषिकेश 1
11	मै. एपीएस हाइड्रो प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड0	ऋषिकेश 1
12	मै. अम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	विकासनगर 1
13	मै. क्यूएच टैलब्रोस प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जीआई	विकासनगर 1
14	मै. एलस्टोन इंटरनेशनल	05XXXXXXXXXX1जेडएम	विकासनगर 1
15	मै. नारायण इंडस्ट्रीज ग्लोबल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	विकासनगर 1
16	मै. महावर ट्रेडिंग	05XXXXXXXXXX1जेडओ	विकासनगर 2
17	मै. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
18	मै. पतंजलि एग्रो इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडपी	हरिद्वार 1
19	मै. कोना इंडस्ट्रीज यूनिट III और IV	05XXXXXXXXXX1जेड4	हरिद्वार 1
20	मै. रिलेक्सो फुटवियर्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	हरिद्वार 6
21	मै. मल्लू इलेक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार 2
22	मै. माइटी ऑटो व्हील्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	हरिद्वार 2
23	मै. ऑटो कम्पोनेन्ट	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार 4
24	मै. पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	हरिद्वार 6
25	मै. रेनबो पैशन	05XXXXXXXXXX1जेडजे	कोटद्वार 1
26	मै. पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	रुड़की 1
27	मै. अवेंटर परफॉर्मेंस मैटेरियल्स इंडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	विकासनगर 1
28	मै. मैंगलोर गैस सर्विस	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुड़की 2
29	मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुड़की 3
30	मै. एन आर 2 इन्फोटेक	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 1
31	यू पी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडवी	हल्द्वानी 3
32	मै. श्री सिद्धि विनायक इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडवी	हल्द्वानी 3
33	मै. पशुपति लैमिनेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	काशीपुर 1
34	मै. फ्लेक्सिटफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	काशीपुर 2

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
35	मै. टीका राम कल्लू मल	05XXXXXXXXXX1जेडओ	रामनगर
36	मै. एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	खटीमा 1
37	मै. टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडसी	खटीमा 1
38	मै. शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड6	किच्छा
39	मै. बजाज ऑटो लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआर	रुद्रपुर 1
40	मै. सैंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडी	रुद्रपुर 1
41	मै. मैक्सिमा सॉल्यूशन्स	05XXXXXXXXXX1जेड3	रुद्रपुर 1
42	मै. सद्भाव नैनीताल हाईवे प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	रुद्रपुर 1
43	मै. इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड6	रुद्रपुर 2
44	मै. एल0 एस0 सी0 ऑटोव्हील्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रुद्रपुर 2
45	मै. गुरु चरण सिंह	05XXXXXXXXXX1जेड8	रुद्रपुर 1
46	मै. मित्तल प्रोडक्ट्स	05XXXXXXXXXX1जेड8	रुद्रपुर 2
47	मै. बरार मोटर्स	05XXXXXXXXXX1जेड6	रुद्रपुर 2
48	मै. अशोक लीलैंड लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	रुद्रपुर 3
49	मै. दाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	रुद्रपुर 2
50	मै. रॉयल डी एस ए जॉइंट वेंचर	05XXXXXXXXXX1जेडओ	टनकपुर
51	मै. सेलो इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	हरिद्वार 1
52	हिमालयन ऑटोइरा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुद्रपुर 1
53	मै. रेमल दास राम लाल	05XXXXXXXXXX1जेडपी	रुद्रपुर 1
54	मै. प्रिशा इंजीनियरिंग	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार 4
55	मै. अतुल कुमार अनूप कुमार सराफा	05XXXXXXXXXX1जेडजे	अल्मोड़ा 1
56	मै. ज्योति इण्टरप्राईजेज	05XXXXXXXXXX2जेड2	रामनगर
57	मै. एजाईल ब्राडबैंड प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	हल्द्वानी 1
58	मै. आलिया एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडएच	काशीपुर 1
59	मै. सोखल सीमेंट स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	काशीपुर 1

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
60	मै. संतोष प्रोविजन स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेड2	ऋषिकेश 1
61	मै. तिवारी हार्डवेयर एंड सीमेंट स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेडए	गोपेश्वर
62	मै. एच डी मेडिकल स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 2
63	मै. रामा सर्जिकल हाउस	05XXXXXXXXXX1जेडबी	देहरादून 2
64	मै. तलवार एप्लॉएंसेस	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 9
65	मै. केशव पॉलिमर्स एण्ड ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रुड़की 3
66	मै. माउंटेन वैली स्प्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	ऋषिकेश 2
67	मै. सुपर कैसेट्स इण्डि0 प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	हरिद्वार 2
68	मै. बिष्ट एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडजे	काशीपुर 1
69	मै. गंगू मल	05XXXXXXXXXX1जेड4	हल्द्वानी 3
70	मै. रेमल दास राम लाल	05XXXXXXXXXX1जेडपी	रुद्रपुर 1
71	मै. लाला दया राम एंड संस	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	काशीपुर 2
72	मै. इंडियन रबड़ प्रोडक्ट्स	05XXXXXXXXXX1जेडआर	हरिद्वार 1
73	मै. सादिक हुसैन टिम्बर मर्चेंट	05XXXXXXXXXX1जेड0	रामनगर
74	मै. विंटेक्स एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडई	देहरादून 4
75	मै. विनायक एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडयू	रुड़की 1
76	मै. बंसल स्टील्स	05XXXXXXXXXX1जेडओ	ऋषिकेश 2
77	मै. शिवम इंडिया बेवरेज	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हल्द्वानी 3
78	मै. शर्मा एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 1
79	मै. श्री राम ट्रेडिंग कं0	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुद्रपुर 2
80	मै. भोले नाथ इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रुद्रपुर 2
81	मै. यादव मेजरमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजी	देहरादून 1
82	मै. हिमालय एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड2	रुद्रपुर 3
83	मै. मेन सी खंग	05XXXXXXXXXX1जेडई	देहरादून 5
84	मै. सरस्वती एंड कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेडटी	हल्द्वानी 3

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
85	मै. ए एस एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड5	देहरादून 5
86	मै. माँ पार्वती ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडबी	हरिद्वार 2
87	मै. मेकिन एंड एसोसिएट्स	05XXXXXXXXXX2जेड4	देहरादून 9
88	मै. वुडस्टॉक लैमिनेटस लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएल	देहरादून 1
89	मै. महादेव एग्रो इंडिया	05XXXXXXXXXX1जेड7	देहरादून 1
90	मै. ब्लूवाटर ट्रेड विंड्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडक्यू	देहरादून 1
91	मै. कृषि उत्पादन मंडी समिति निरंजनपुर देहरादून	05XXXXXXXXXX1जेडएस	देहरादून 1
92	सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स निधि लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेड1	देहरादून 1
93	मै. तरून ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेड7	देहरादून 1
94	मै. जियोग्राफिक्स इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	देहरादून 2
95	मै. के बी एम कंस्ट्रक्शन कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 4
96	मै. द्वारिका प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 31 मालवीय रोड देहरादून	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	देहरादून 4
97	मै. सैम रिटेल	05XXXXXXXXXX1जेडटी	देहरादून 5
98	मै. गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेड5	देहरादून 5
99	मै. द कैपिटल	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	देहरादून 5
100	विंडलास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	देहरादून 6
101	मै. स्काई इंटरनेशनल	05XXXXXXXXXX1जेड9	देहरादून 8
102	जन स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 8
103	वैपकोस लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडटी	देहरादून 9
104	मै. पीयूष इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड4	ऋषिकेश 1
105	मै. क्लाइमेट्रोल कॉर्पोरेशन	05XXXXXXXXXX1जेडएल	विकासनगर 1
106	पतंजलि योग पीठ न्यास	05XXXXXXXXXX1जेडयू	हरिद्वार 1
107	कृषि उत्पादन मंडी समिति हरिद्वार	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
108	अल्यूडेकोर लैमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	हरिद्वार 2
109	ऑनवर्ड प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	हरिद्वार 2

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
110	इंलैण्ड वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 2
111	अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी	05XXXXXXXXXX2जेडएम	हरिद्वार 3
112	दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट	05XXXXXXXXXX1जेडएल	हरिद्वार 4
113	कृषि उत्पादन मंडी समिति रूड़की	05XXXXXXXXXX1जेड4	रूड़की 1
114	डेक्सबॉयो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडई	रूड़की 1
115	मै. लक्ष्मी ग्लास स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेड6	रूड़की 2
116	मै. केंट आर0ओ0 सिस्टम्स लिमिटेड।	05XXXXXXXXXX1जेडएम	रूड़की 2
117	मै. एमिनेंट इन्फ्राडेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रूड़की 4
118	चमोली जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडयू	गोपेश्वर
119	कृषि उत्पादन मंडी समिति	05XXXXXXXXXX2जेडएच	हल्द्वानी 3
120	मै. अरुण कुमार	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	काशीपुर 1
121	हिमुर्वी फॉरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	काशीपुर 1
122	मैक्रो एयरकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	काशीपुर 1
123	पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	खटीमा 1
124	कृषि उत्पादन मंडी समिति	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	खटीमा 1
125	कृषि उत्पादन मंडी समिति रूद्रपुर	05XXXXXXXXXX1जेडके	किच्छा
126	मै. चंद्र मोहन फुटेला	05XXXXXXXXXX1जेडएच	किच्छा
127	ज्वॉइन पैक मशीन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजी	रुद्रपुर 1
128	मै. हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड रूद्रपुर	05XXXXXXXXXX1जेडएम	रुद्रपुर 3
129	मै. स्पेशल बॉयोकेम प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुद्रपुर 3
130	मै. अंतरा पुरुकुल सीनियर लिविंग लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 1
131	आर्यन स्कूल	05XXXXXXXXXX1जेडएस	देहरादून 1
132	मै. ऑप्टिमिस्टिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 1
133	मै. इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी	05XXXXXXXXXX1जेडई	देहरादून 1
134	मै. राम स्वरूप अरुण कुमार	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 2

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
135	मै. के बी एम कंस्ट्रक्शन कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 4
136	मै. द्वारिका प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 31 मालवीय रोड देहरादून	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	देहरादून 4
137	मै. पंजाब ओप्टिकल हाउस आईएनसी	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 5
138	सैम रीटेल	05XXXXXXXXXX1जेडटी	देहरादून 5
139	मै. गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेड5	देहरादून 5
140	मै. नायक प्लंबिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडके	देहरादून 6
141	मै. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	देहरादून 8
142	जसकरन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडसी	देहरादून 8
143	जन स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 8
144	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	05XXXXXXXXXX1जेडएम	देहरादून 8
145	वैपकोस लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडटी	देहरादून 9
146	मै. पीयूष इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड4	ऋषिकेश 1
147	ग्लोबल कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX2जेडवी	ऋषिकेश 3
148	मै. सेफी वेटमेड प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	विकासनगर 1
149	मैर्स यूनि एजेंसीज केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	विकासनगर 1
150	राय कांट्रैक्टर	05XXXXXXXXXX1जेडएच	हरिद्वार 1
151	मै. श्री कृष्ण एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडआई	हरिद्वार 2
152	मै. श्री गीता ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडडी	हरिद्वार 2
153	सातक्षी कांट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	हरिद्वार 3
154	यूरो लाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	रूड़की 1
155	डेक्सिबो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडई	रूड़की 1
156	मै. लक्ष्मी ग्लास स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेड6	रूड़की 2
157	मै. वेल्किन ओवरसीज	05XXXXXXXXXX1जेडजी	रूड़की 3
158	मै. सीमा एसोसिएट्स	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हल्द्वानी 1
159	मै. आयत कारगो मूवर्स	05XXXXXXXXXX1जेडएच	हल्द्वानी 1

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
160	मै. भारत एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	हल्द्वानी 4
161	मै. हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड0	हल्द्वानी 4
162	मै. जगदीश सरन	05XXXXXXXXXX1जेडओ	टनकपुर
163	मै. कम्पलीट कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडजी	काशीपुर 1
164	मै. आर एम कृषि केंद्र	05XXXXXXXXXX1जेड2	काशीपुर 2
165	मै. राजलक्ष्मी बिल्डकोन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	काशीपुर 2
166	मै. दोराहा फिलिंग स्टेशन दोराहा बाजपुर	05XXXXXXXXXX1जेडएल	काशीपुर 2
167	बरार सीड्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडआई	काशीपुर 2
168	मै. ए टी ई पावर कनेक्शन प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेड5	काशीपुर 2
169	शर्मा रोड लाइन्स (एस)	05XXXXXXXXXX1जेडएल	किच्छा
170	मै. ओमैक्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	रुद्रपुर 3
171	मै. दयाल इण्डस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडडी	रुद्रपुर 4
172	मै. जी एस बी ए बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएल	देहरादून 1
173	टी के एलेवेटर इंडिया प्राइवेट	05XXXXXXXXXX1जेडके	देहरादून 1
174	टाटानेट सर्विसेज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 1
175	मै. जैन फार्मा	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	देहरादून 1
176	मै. यूनिक एसोसिएट्स	05XXXXXXXXXX1जेडजी	देहरादून 1
177	मै. पंजाब नेशनल बैंक	05XXXXXXXXXX1जेडवी	देहरादून 2
178	मै. दुर्गा मिनरल्स एण्ड केमिकल्स	05XXXXXXXXXX1जेड2	देहरादून 2
179	मै. हज़ारा मेटल मार्ट	05XXXXXXXXXX1जेडडी	देहरादून 3
180	मै. एम डी डी ए रिमकी आई एस बी टी लि0	05XXXXXXXXXX1जेड9	देहरादून 3
181	मै. भारती एयरटेल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	देहरादून 4
182	मै. फ्यूचरनेक्सा कार्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 4
183	मै. के बी एम कंस्ट्रक्शन कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 4
184	मै. स्टर्लिंग इंडो टेक कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड1	देहरादून 5

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
185	मै. विंडलास स्टील क्राफ्ट्स एलएलपी	05XXXXXXXXXX1जेडपी	देहरादून 6
186	मै. आर के सी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	देहरादून 6
187	मै. असवाल कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	देहरादून 6
188	मै. एस आर एस इंटरनेशनल	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	देहरादून 6
189	मै. पीरो एन्टरप्राईजेज	05XXXXXXXXXX1जेडबी	देहरादून 7
190	मै. बैंक ऑफ बड़ौदा	05XXXXXXXXXX3जेडए	देहरादून 9
191	मै. वैपकोस लिमिटेड	05XXXXXXXXXX3जेडटी	देहरादून 9
192	मै. डिक्सन टेक्नोलॉजीस (इंडिया) लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	ऋषिकेश 1
193	मै. भगवान दास मथुरा दास	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	ऋषिकेश 1
194	मै. साहिल ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेड9	ऋषिकेश 1
195	मै. एच एम ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	ऋषिकेश 1
196	मै. कैलाश बिल्डर्स	05XXXXXXXXXX1जेडयू	ऋषिकेश 2
197	मै. हाईकी इन्फ्राकेयर	05XXXXXXXXXX1जेड2	ऋषिकेश 2
198	मै. यूनि एजेंसीज केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	विकासनगर 1
199	मै. चौधरी गैस एजेंसी	05XXXXXXXXXX2जेडजेड	हल्द्वानी 1
200	मै. ए पी आई ऑनलाईन रिचार्ज	05XXXXXXXXXX2जेडपी	हल्द्वानी 2
201	मै. गल्फा लैबोरेटरीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडसी	हल्द्वानी 3
202	मै. नव दुर्गा ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 4
203	मै. गर्ग एंड कंपनी	05XXXXXXXXXX1जेडबी	पिथौरागढ़ 1
204	मै. एनिकेत ट्रेडमार्ट	05XXXXXXXXXX1जेड6	राम नगर
205	मै. जगदीश सरन	05XXXXXXXXXX1जेडओ	टनकपुर
206	मै. वराहमूर्ति फ्लेक्सिरब	05XXXXXXXXXX1जेडबी	हरिद्वार 1
207	मै. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 2
208	मै. सताक्षी कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	हरिद्वार 3
209	मै. डेक्सिबो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडई	रूड़की 1

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
210	मै. मैंगो कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	रूड़की 1
211	मै. रेक्लाईनर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड1	रूड़की 2
212	मै. श्री राम स्टील्स	05XXXXXXXXXX1जेडबी	रूड़की 3
213	मै. हिमालयन ऑटो एरा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुद्रपुर 1
214	मै. भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	रुद्रपुर 3
215	मै. सद्भाव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	रुद्रपुर 3
216	मै. जिंदल स्क्रैप ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेड1	काशीपुर 1
217	मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	काशीपुर 2
218	मै. मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडी	काशीपुर 2
219	मै. राज लक्ष्मी पेपर एण्ड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	काशीपुर 2
220	मै. सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	खटीमा 2
221	मै. नेल्सन ग्लोबल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडपी	किच्छा
222	मै. अरविन्द लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	देहरादून 1
223	मै. ओरवेल स्टेज़ लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	देहरादून 1
224	मै. हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	देहरादून 2
225	मै. द्वारिका प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 31 मालवीय रोड देहरादून	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	देहरादून 4
226	मै. फ्यूचरनेक्सा कार्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 4
227	मै. प्रतीक रिसॉर्ट्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडके	देहरादून 5
228	मै. ग्राफिक एरा एजुकेशनल सोसाइटी	05XXXXXXXXXX1जेड7	देहरादून 7
229	मै. वंदना डिस्ट्रीब्यूटर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजी	देहरादून 8
230	मै0 सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम जियोफिजिसिस्ट	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 9
231	मै. डिक्सन टेक्नोलॉजीस (इंडिया) लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	ऋषिकेश 1
232	मै. क्यूएच टैलब्रोस प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1ज़ीआई	विकासनगर 1
233	मै. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
234	मै. एस के एफ इंडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	हरिद्वार 6

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
235	मै. जेनस पावर इन्फ्रा लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	हरिद्वार 6
236	मै. यूरोलाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड8	रूड़की 1
237	मै. तिरुपति स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडवी	रूड़की 1
238	मै. खन्ना ऑटोमार्ट प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेड0	रूड़की 2
239	मै. ऑक्सफ़ोर्ड फार्मा	05XXXXXXXXXX1जेड9	रूड़की 3
240	मै. श्री राम स्टील्स	05XXXXXXXXXX1जेडबी	रूड़की 3
241	मै. एस आर एफ लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	काशीपुर 1
242	मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	काशीपुर 2
243	मै. एम डी प्लासटेक प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	रुद्रपुर 1
244	मै. दाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	रुद्रपुर 3
245	मै0 उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडए	खटीमा
246	मै. किच्छा एग्रो एजेंसीज	05XXXXXXXXXX1जेडएच	किच्छा
247	मै. वोडा फोन आइडिया लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	देहरादून 1
248	मै. साई ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडडी	देहरादून 2
249	मै. लक्ष्मीनारायण मित्तल	05XXXXXXXXXX1जेडआर	देहरादून 3
250	मै. हेंज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड6	देहरादून 8
251	मै. बायोलॉजिकल ई लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	विकासनगर 1
252	मै. गैमन इंजीनियर्स एंड कांट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआई	विकासनगर 2
253	मै. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 2
254	मै. यू. एस. मेटल प्रोडक्ट्स	05XXXXXXXXXX1जेड2	हरिद्वार 2
255	मै. ऑटो कंपोनेंट	05XXXXXXXXXX1जेड0	हरिद्वार 3
256	मै. एच बी एल पावर सिस्टम लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएन	हरिद्वार 4
257	मै. कॉस्मो इलेक्ट्रो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडबी	हरिद्वार 4
258	मै. कुंदन केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	हरिद्वार 4
259	मै. पैरागॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	रूड़की 1

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
260	मै. ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	रूड़की 2
261	मै. रेडियंट बार प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	रूड़की 3
262	मै. मैजिक वायर प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	रूड़की 3
263	मै. राणा इण्डस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडके	रूड़की 3
264	मै. स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रूड़की 3
265	मै. श्री अम्बा इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडएन	रूड़की 3
266	मै. चीमा पेपर्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडडी	काशीपुर 2
267	मै. प्रेसस्ट्रेस एलएलपी	05XXXXXXXXXX1जेडके	काशीपुर 2
268	मै. मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	रुद्रपुर 1
269	मै. मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेड8	रुद्रपुर 1
270	मै. माइक्रो टर्नर्स	05XXXXXXXXXX1जेड5	रुद्रपुर 1
271	मै. लाहौरिया ट्रेडर्स रुद्रपुर	05XXXXXXXXXX1जेडयू	रुद्रपुर 2
272	मै. ग्रे ईगल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	कोटद्वार 1
273	मै. श्री केमिकल्स	05XXXXXXXXXX1जेडएच	हरिद्वार 6
274	मै. श्री सिद्धबली प्लास्टिक उद्योग	05XXXXXXXXXX1जेडई	रूड़की 2
275	ब्लू ओशियन इन्फ्राटेल	05XXXXXXXXXX1जेडई	रुद्रपुर 3
276	मै. वैमसुन टेक्नोलोजी	05XXXXXXXXXX1जेड2	रुद्रपुर 1
277	आदिनाथ इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	देहरादून 1
278	मै. ए स्क्वायर सिस्टम	05XXXXXXXXXX1जेड8	रूड़की 2
279	निर्मला देवी	05XXXXXXXXXX1जेडके	किच्छा
280	मै. सेवार्थ बायो-केयर	05XXXXXXXXXX1जेडएन	देहरादून 6
281	मै. इंजीनियर्स एसोसिएट	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हल्द्वानी 2
282	लेह आर्ट्स डेवलपमेंट इम्पोरियम	05XXXXXXXXXX1जेडबी	मसूरी
283	मनसा फैशन प्वाइंट	05XXXXXXXXXX1जेड6	हरिद्वार 1
284	दुलहन साड़ी एंड सूट्स	05XXXXXXXXXX1जेडई	हरिद्वार 6

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
285	सागर जल्होत्रा	05XXXXXXXXXX1जेडआर	किच्छा
286	मै. टेक्नो इंडस्ट्रीयल इलैक्ट्रिकल्स	05XXXXXXXXXX1जेडके	रुद्रपुर 1
287	वंश इंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडवी	देहरादून 1
288	कुकरेती हार्डवियर एंड सीमेंट एजेंसी	05XXXXXXXXXX1जेड7	उत्तरकाशी
289	मै. श्रीशित प्रिंटिंग प्रेस	05XXXXXXXXXX1जेडपी	हरिद्वार 6
290	यू के एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडवी	विकासनगर 2
291	ग्रीन्ज़ सल्यूशन्स	05XXXXXXXXXX2जेड5	हल्द्वानी 2
292	बालाजी हैंडलिंग इक्यूपमेंट्स	05XXXXXXXXXX2जेडएन	रुद्रपुर 3
293	श्री श्याम जनरल स्टोर	05XXXXXXXXXX1जेडएस	हल्द्वानी 4
294	मै. ए टू जेड हर्बल इंडिया प्रोडक्ट्स	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रुद्रपुर 3
295	मै. सैको ट्रेडिंग	05XXXXXXXXXX1जेड7	हरिद्वार 6
296	मै. ए वी ऑल सल्यूशन्स इन्टरप्राईजेज	05XXXXXXXXXX1जेडओ	रूड़की 2
297	मै. एक्सप्रेस मार्केटिंग	05XXXXXXXXXX2जेडक्यू	देहरादून 3
298	भारती एयरटेल लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडटी	देहरादून 4
299	नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	देहरादून 5
300	मै. भारत कन्स्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडएस	देहरादून 6
301	मै. ऑटो गैलरी	05XXXXXXXXXX1जेडएस	ऋषिकेश 1
302	हैकेयी इन्फ्राकेयर	05XXXXXXXXXX1जेड2	ऋषिकेश 2
303	टौरस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएम	विकासनगर 1
304	मै. भसीन एजेंसी	05XXXXXXXXXX1जेड9	विकासनगर 1
305	मै. रिथविक प्रोजेक्ट प्राईवेट	05XXXXXXXXXX1जेड2	गोपेश्वर
306	मै. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
307	इंलैन्ड वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड5	हरिद्वार 2
308	मै. गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड2	रूड़की 1
309	मै. के के कंस्ट्रक्शन्स	05XXXXXXXXXX1जेड3	रूड़की 3

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
310	सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 4
311	त्रिलोक सिंह रावत	05XXXXXXXXXX2जेड4	अल्मोड़ा 1
312	जगदीश सरन	05XXXXXXXXXX1जेडओ	टनकपुर
313	मै. प्रोलिफिक पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	काशीपुर 1
314	मै. फोनिक्स उदयोग प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडए	काशीपुर 2
315	विनायक ट्रांसपोर्ट	05XXXXXXXXXX1जेडएल	किच्छा
316	आर एस लॉजिस्टिक्स	05XXXXXXXXXX1जेडओ	किच्छा
317	सीजे डी ए आर सी एल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएस	किच्छा
318	कलाकृति इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड6	रुद्रपुर 3
319	मै. गोपाल ट्रेडर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजी	रुद्रपुर 3
320	भवानी इंडस्ट्रीज इंडिया एलएलपी	05XXXXXXXXXX1जेड2	रुद्रपुर 3
321	अंकिता कंस्ट्रक्शन	05XXXXXXXXXX1जेडपी	देहरादून 3
322	मै. इमामी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	देहरादून 8
323	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (यूपीएनएल)	05XXXXXXXXXX1जेडएम	देहरादून 9
324	जेजे बिल्डटेक	05XXXXXXXXXX2जेडबी	देहरादून 5
325	अल्फा पैसिफिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडयू	ऋषिकेश 1
326	मै. मैजिक वायर प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	रूड़की 3
327	मै. श्री अम्बा इंडस्ट्रीज	05XXXXXXXXXX1जेडएन	रूड़की 3
328	अमरदीप डिजाइन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड2	रूड़की 3
329	ए एस मैन पावर एंड एलाईड सर्विसेज	05XXXXXXXXXX2जेडडी	रूड़की 2
330	मै. कोना इंडस्ट्रीज यूनिट III और IV	05XXXXXXXXXX1जेड4	हरिद्वार 1
331	मै. प्रोवेदा हर्बल्स	05XXXXXXXXXX1जेड4	हरिद्वार 2
332	न्यू कमांड सिक्योरिटी सर्विसेज	05XXXXXXXXXX1जेड9	हरिद्वार 5
333	शक्ति पॉलिमर्स	05XXXXXXXXXX1जेडजी	किच्छा
334	ग्रीनप्लाई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रुद्रपुर 1

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
335	ग्रीनप्लाई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	05XXXXXXXXXX2जेडवाई	रुद्रपुर 1
336	विन्डलास ऑटो प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएच	रुद्रपुर 1
337	मै. मोहित रबर फोम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड9	रुद्रपुर 1
338	मै. परफ़ेक्ट डायनेमिक्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	रुद्रपुर 1
339	एस एस वी हाई-टेक रुद्रपुर प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	रुद्रपुर 1
340	मै. ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड।	05XXXXXXXXXX1जेडए	रुद्रपुर 3
341	मै. स्टार ऑटो इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडआर	रुद्रपुर 3
342	बोल्ट मास्टर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडओ	रुद्रपुर 4
343	सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	खटीमा 2
344	मै. बदेशा स्टोन क्रशर	05XXXXXXXXXX1जेड6	रामनगर
345	सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड2	हल्द्वानी 4
346	मै. राजेंद्र कुमार गुप्ता	05XXXXXXXXXX1जेडई	ऋषिकेश 1
347	मै. एरेडियो फर्नीचर	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	अल्मोड़ा
348	मै. ओम फास्ट फूड सेंटर	05XXXXXXXXXX1जेडडी	हरिद्वार 2
349	मै. जया माथुर	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	हरिद्वार 3
350	मै. नवीन फर्नीचर एंड इंटेरियर डेकोरेटर (नवीन फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड की एक इकाई)	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 4
351	मै. सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजे	देहरादून 5
352	मै. लक्ष्य एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडए	देहरादून 6
353	मै. नव ज्योति एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 6
354	मै. आदर्श मेडिको प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड7	देहरादून 6
355	मै. नंदिनी एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेड8	देहरादून 7
356	मै. इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडयू	विकासनगर 1
357	मै. उषा ब्रेको लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	हरिद्वार 1
358	मै. बत्रा बेकर्स	05XXXXXXXXXX1जेड1	हरिद्वार 6

क्र. सं.	करदाता का नाम	जी एस टी आई एन	सेक्टर
359	मै. शाहिद मेटल अलॉयज	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रूड़की 1
360	मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडई	रूड़की 3
361	मै. स्टार एंटरप्राइजेज	05XXXXXXXXXX1जेडजी	रूड़की 3
362	मै. एस के टी बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडएल	काशीपुर 1
363	बिशंभर सरन विनोद कुमार प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड1	काशीपुर 1
364	मै. गंगोत्री प्लास्टिक	05XXXXXXXXXX1जेडसी	काशीपुर 2
365	मै. बिश्वास ऑटो सर्विसेज	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	खटीमा 1
366	मै. रुद्रा बैटरीज़	05XXXXXXXXXX1जेडई	रूद्रपुर 1
367	मै. फेडरेल मुगल गोएट्ज़ (इंडिया) लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडबी	रूद्रपुर 1
368	मै. टावर मैकेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	रूद्रपुर 2
369	मै. न्यूट्रॉन्स एग्रो प्रोड्यूस	05XXXXXXXXXX1जेड3	रूद्रपुर 2
370	मै. इमामी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	रूद्रपुर 3
371	मै. पूजा प्रिंट पैक	05XXXXXXXXXX3जेड8	हल्द्वानी 3
372	मै. हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड0	हल्द्वानी 4
373	मै. सुप्रीम फ्लेक्स और पैकेजिंग	05XXXXXXXXXX1जेडटी	हल्द्वानी 4
374	मै. नैचुरल दानापानी रिट्रीट	05XXXXXXXXXX1जेडटी	राम नगर
375	मै. ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेड3	देहरादून 4
376	मै0 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	05XXXXXXXXXX1जेडपी	देहरादून 9

(स) "विस्तृत लेखापरीक्षा" के लिए चयनित नमूने का विवरण

क्र. सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	सेक्टर
1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. कैंटीन स्टोर विभाग	देहरादून-3
2	05XXXXXXXXXXओज़ेडजी	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	देहरादून-3
3	05XXXXXXXXXX2ज़ेडआर	ब्रिज रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूके लिमिटेड	देहरादून-8
4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	देहरादून-8
5	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून-8
6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	देहरादून-8
7	05XXXXXXXXXX2ज़ेडबी	कैपिटल हाइट्स	देहरादून-8
8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	मै. जगदम्बा मेडिकल हॉल	हल्द्वानी-2
9	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-1
10	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	हरिद्वार-1
11	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. ईऑन इलेक्ट्रिक लिमिटेड	हरिद्वार-1
12	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	हरिद्वार-1
13	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआर	न्यू जय हिंद रोडलाइंस	हरिद्वार-1
14	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	मै. महावीर ट्रेड मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-1
15	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	अरित होटल प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-1
16	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. राम गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-6
17	05XXXXXXXXXX1ज़ेडज़ेड	मै. महेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	हरिद्वार-2
18	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सुनपू लाइटिंग कं. एल. एल. पी	हरिद्वार-2
19	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. लखानी फुटवियर प्राइवेट. लिमिटेड	हरिद्वार-3
20	05XXXXXXXXXX1ज़ेडके	एआरसी ट्रांसलॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-3
21	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	जे डी जेडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-3
22	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएच	मै. एयरविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हरिद्वार-3
23	05XXXXXXXXXX1ज़ेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	हल्द्वानी-1
24	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	मै. इनसैट फार्मा	किच्छा

क्र. सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	सेक्टर
25	05XXXXXXXXXX1ज़ेडपी	मै. काशीपुर सितारगंज हाईवे प्राइवेट लिमिटेड	किच्छा
26	05XXXXXXXXXX1ज़ेडके	यश ट्रांसपोर्ट	किच्छा
27	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	एस.आर. लॉजिस्टिक (प्रो. प्रमोद शर्मा)	किच्छा
28	05XXXXXXXXXX1ज़ेड0	बीजेआरडी लॉजिस्टिक	किच्छा
29	05XXXXXXXXXX1ज़ेड0	मै. त्रिलोक सिंह राम सिंह जमनाल कांट्रेक्टर	राम नगर
30	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मै. कोशिश फूड्स कंपनी	ऋषिकेश-1
31	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	ऋषिकेश-1
32	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	ऋषिकेश-1
33	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	एयर इंडिया लिमिटेड	ऋषिकेश-1
34	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएल	मै. ज़ैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	रुड़की-2
35	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	मै. केंट आर ओ सिस्टम्स लिमिटेड	रुड़की-2
36	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. मार्टिन एंड ब्लू लाइफकेयर	रुड़की-2
37	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	आर डी बिल्डर्स	रुड़की-4
38	05XXXXXXXXXX1ज़ेड9	एण्डुरेंस टेक्नॉलाजीस लिमिटेड	रुद्रपुर-1
39	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएल	मै. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	रुद्रपुर-3
40	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबी	मै. शक्ति पैकेजिंग	रुद्रपुर-1
41	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	रुद्रपुर-1
42	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. मैनी स्काफोल्ड सिस्टम	रुद्रपुर-1
43	05XXXXXXXXXX1ज़ेड1	मै. गोपाल ऑटो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	रुद्रपुर-1
44	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मै. दयाल फूड्स	रुद्रपुर-2
45	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएच	मै. टीनेट एजेंसीज	रुद्रपुर-2
46	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएम	एबन्स जेवेल्स लिमिटेड	रुद्रपुर-2
47	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर्स	रुद्रपुर-2
48	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएस	मै. ग्लोबस इंफोकॉम लिमिटेड यूनिट 2	विकास नगर-2
49	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआई	मै. राजीव आनंद	विकास नगर-2

क्र. सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	सेक्टर
50	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	अजय डबराल	विकास नगर-2
51	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	अल्मोड़ा-1
52	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	आनंदम	देहरादून-1
53	05XXXXXXXXXX1ज़ेडसी	सर्वाग्य कैटरिन सेवाएँ	देहरादून-1
54	05XXXXXXXXXX2ज़ेडसी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	देहरादून-1
55	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	देहरादून-1
56	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	शिवा एजेन्सीज	देहरादून-1
57	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	देहरादून-1
58	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	रेमंड एपारेल लिमिटेड	देहरादून-1
59	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन्स	देहरादून-1
60	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	देहरादून-1
61	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	सदा शिव चाय भंडार	देहरादून-2
62	05XXXXXXXXXXआईज़ेडआई	इफको	देहरादून-4
63	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजी	वॉइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	काशीपुर-2
64	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	ई एस पी ए एन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आई) लिमिटेड	देहरादून-4
65	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	ए आर सेल्स	देहरादून-4
66	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	विंडलॉस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून-6
67	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मेडिकॉन फ़ार्मा	देहरादून-6
68	05XXXXXXXXXX2ज़ेडआर	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	देहरादून-6
69	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	देहरादून-6
70	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडबल्यू	मै. हिमालयन पावर मशीन एम. एफ. जी. कंपनी	देहरादून-6
71	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	मै. मल्होत्रा हार्डवेयर	देहरादून-6
72	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआर	आर जी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड	देहरादून-7
73	05XXXXXXXXXX1ज़ेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	देहरादून-7
74	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	देहरादून-7

क्र. सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	सेक्टर
75	05XXXXXXXXXX1जेड7	एम. एण्ड एम. मशीन	हरिद्वार-4
76	05XXXXXXXXXX1ज़ेडसी	शिव कन्स्ट्रक्शन कंपनी	हरिद्वार-5
77	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	गोयल लाइटिंग्स	हरिद्वार-6
78	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआर	नैनी टिशूस लिमिटेड	काशीपुर-1
79	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	दाबका स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	काशीपुर-2
80	05XXXXXXXXXX1ज़ेड9	अपटूडेट प्लास्टिक्स एंड पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	खटीमा-2
81	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	सुमेक्स इंटरनेशनल	कोटद्वार-1
82	05XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	मै. जी. एस. मटयानी	पिथौरागढ़-1
83	05XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	मै. सिद्धि विनायक फ्रंटियर	पिथौरागढ़-1
84	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया	ऋषिकेश-2
85	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	ऋषिकेश-2
86	05XXXXXXXXXX2ज़ेडवी	ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन	ऋषिकेश-3
87	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	प्रीतम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	रुड़की-1
88	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	रेफ्रीब्कस इसेन्शियल्स	रुड़की-1
89	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	रुड़की-3
90	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआर	हुतमाकी इंडिया लिमिटेड	रुद्रपुर-3
91	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	रुद्रपुर-3
92	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	रुद्रपुर-3
93	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	एच. पी. इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	रुद्रपुर-3
94	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	मै. मित्तल ट्रेडिंग कंपनी	रुद्रपुर-3
95	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	दलीप सिंह अधिकारी	टनकपुर
96	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	कैम्पस एक्टिवेयर प्राइवेट लिमिटेड	विकास नगर-1
97	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड	विकास नगर-1
98	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	विकास नगर-1
99	05XXXXXXXXXX3ज़ेडबी	अग्रवाल ट्रेडर्स	विकास नगर-1

परिशिष्ट-3.7.2

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.7.1; पृष्ठ 165)

चयनित सेक्टरों की विवरणियों की संवीक्षा का विवरण

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	वर्ष	करदाताओं की सं.	संवीक्षा किये गये प्रकरणों की सं.
1	देहरादून	01	2017-18	1868	शून्य
			2018-19	1854	शून्य
			2019-20	1732	शून्य
			2020-21	828	शून्य
2	देहरादून	04	2017-18	1267	57
			2018-19	1499	18
			2019-20	1424	01
			2020-21	1460	01
3	देहरादून	06	2017-18	1921	शून्य
			2018-19	2058	शून्य
			2019-20	1949	शून्य
			2020-21	2014	शून्य
4	देहरादून	08	2017-18	1288	शून्य
			2018-19	1762	शून्य
			2019-20	1880	शून्य
			2020-21	1803	शून्य
5	ऋषिकेश	01	2017-18	2164	शून्य
			2018-19	2582	10
			2019-20	2889	98
			2020-21	2698	03
6	विकासनगर	01	2017-18	1830	21
			2018-19	2267	09

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	वर्ष	करदाताओं की सं.	संवीक्षा किये गये प्रकरणों की सं.
			2019-20	2621	शून्य
			2020-21	3176	01
7	हरिद्वार	01	2017-18	2116	31
			2018-19	2297	18
			2019-20	2021	शून्य
			2020-21	1954	शून्य
8	रुद्रपुर	01	2017-18	2066	09
			2018-19	2341	25
			2019-20	2545	18
			2020-21	2633	15
9	रुद्रपुर	03	2017-18	1571	17
			2018-19	1846	02
			2019-20	2110	शून्य
			2020-21	2161	शून्य
10	किच्छा	-	2017-18	1286	09
			2018-19	1729	01
			2019-20	1790	शून्य
			2020-21	1757	शून्य
योग				***79,057***	***364***

परिशिष्ट-3.7.3

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.7.3; पृष्ठ 168)

चयनित सेक्टरों के अन्य जी एस टी कर प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	वर्ष	करदाताओं की सं.	टिप्पणी
1	देहरादून	01	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	ज्वाई. कमि. (कार्य.) देहरादून की सूची के अनुसार 01 प्रकरण।
2	देहरादून	04	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य 02	
3	देहरादून	06	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	01 08 03 03	
4	देहरादून	08	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य 01	ज्वाई. कमि. (कार्य.) देहरादून की सूची के अनुसार 06 प्रकरण।
5	ऋषिकेश	01	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	ज्वाई. कमि. (कार्य.) देहरादून की सूची के अनुसार 04 प्रकरण।
6	विकासनगर	01	2017-18 2018-19	शून्य शून्य	ज्वाई. कमि. (कार्य.) देहरादून की सूची के अनुसार 04 प्रकरण।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	वर्ष	करदाताओं की सं.	टिप्पणी
			2019-20 2020-21	शून्य शून्य	
7	हरिद्वार	01	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	
8	रुद्रपुर	01	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	
9	रुद्रपुर	03	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	05 शून्य शून्य शून्य	
10	किच्छा	-	2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	शून्य शून्य शून्य शून्य	
योग				***23***	***15***

परिशिष्ट-3.7.4

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.7.4; पृष्ठ 169)

चयनित सेक्टर के विवरणी विलंब से/न जमा करने वालों का विवरण

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	वर्ष	विलंब से/न जमा करने वालों की संख्या	निर्गत जी एस टी आर-3ए की संख्या	जी एस टी आर-3ए अनुसरण की संख्या
1	देहरादून	01	2017-18	299	शून्य	शून्य
			2018-19	140	शून्य	शून्य
			2019-20	83	शून्य	शून्य
			2020-21	64	शून्य	शून्य
2	देहरादून	04	2017-18	129	129	शून्य
			2018-19	70	70	शून्य
			2019-20	27	27	शून्य
			2020-21	45	45	शून्य
3	देहरादून	06	2017-18	328	शून्य	शून्य
			2018-19	241	शून्य	शून्य
			2019-20	126	शून्य	शून्य
			2020-21	125	शून्य	शून्य
4	देहरादून	08	2017-18	127	शून्य	शून्य
			2018-19	222	शून्य	शून्य
			2019-20	194	शून्य	शून्य
			2020-21	67	शून्य	शून्य
5	ऋषिकेश	01	2017-18	123	शून्य	शून्य
			2018-19	216	शून्य	शून्य
			2019-20	37	शून्य	शून्य
			2020-21	61	शून्य	शून्य

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	वर्ष	विलंब से/न जमा करने वालों की संख्या	निर्गत जी एस टी आर-3ए की संख्या	जी एस टी आर-3ए अनुसरण की संख्या
6	विकासनगर	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	02	शून्य	शून्य
			2019-20	02	शून्य	शून्य
			2020-21	03	शून्य	शून्य
7	हरिद्वार	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	शून्य	शून्य	शून्य
			2019-20	शून्य	शून्य	शून्य
			2020-21	शून्य	शून्य	शून्य
8	रुद्रपुर	01	2017-18	828	शून्य	शून्य
			2018-19	2102	शून्य	शून्य
			2019-20	1454	शून्य	शून्य
			2020-21	1172	1172	472
9	रुद्रपुर	03	2017-18	482	शून्य	शून्य
			2018-19	1483	शून्य	शून्य
			2019-20	1361	शून्य	शून्य
			2020-21	813	578	321
10	किच्छा	-	2017-18	107	शून्य	शून्य
			2018-19	147	101	52
			2019-20	64	10	10
			2020-21	60	60	शून्य
	योग			***12,804***	***2,192***	***855***

परिशिष्ट-3.7.5

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.7.5; पृष्ठ 170)

पंजीकरण रद्द करना और अंतिम विवरणी की गैर-प्रस्तुति

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	वर्ष	प्रकरणों की संख्या जिन मामलों में उचित अधिकारी ने स्वतः रद्द करने की शुरुआत की है	करदाताओं के आवेदन पर रद्द किए गए प्रकरणों की संख्या	अंतिम विवरणी (जी एस टी आर-10) प्रस्तुत करने वाले प्रकरणों की संख्या
1	देहरादून	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	619	शून्य	शून्य
			2019-20	332	शून्य	शून्य
			2020-21	487	शून्य	शून्य
2	देहरादून	04	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	285	शून्य	शून्य
			2019-20	159	शून्य	शून्य
			2020-21	156	शून्य	शून्य
3	देहरादून	06	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	225	शून्य	शून्य
			2019-20	191	शून्य	शून्य
			2020-21	246	शून्य	शून्य
4	देहरादून	08	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	224	13	शून्य
			2019-20	317	21	शून्य
			2020-21	169	52	शून्य
5	ऋषिकेश	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	181	298	शून्य
			2019-20	563	250	शून्य
			2020-21	99	332	शून्य

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	वर्ष	प्रकरणों की संख्या जिन मामलों में उचित अधिकारी ने स्वतः रद्द करने की शुरुआत की है	करदाताओं के आवेदन पर रद्द किए गए प्रकरणों की संख्या	अंतिम विवरणी (जी एस टी आर-10) प्रस्तुत करने वाले प्रकरणों की संख्या
6	विकासनगर	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	98	69	01
			2019-20	499	30	03
			2020-21	318	65	29
7	हरिद्वार	01	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	08	08	22
			2019-20	31	31	57
			2020-21	14	14	82
8	रुद्रपुर	01	2017-18	शून्य	15	शून्य
			2018-19	168	122	शून्य
			2019-20	433	176	शून्य
			2020-21	301	107	शून्य
9	रुद्रपुर	03	2017-18	शून्य	02	शून्य
			2018-19	74	122	शून्य
			2019-20	296	165	शून्य
			2020-21	171	102	शून्य
10	किच्छा	-	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
			2018-19	132	शून्य	शून्य
			2019-20	143	शून्य	शून्य
			2020-21	204	शून्य	शून्य
योग				***7,143***	***1,994***	***194***

परिशिष्ट-3.7.6

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.8.1; पृष्ठ 174)

आई टी सी का अधिक लाभ लिया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडआई	1.19
2			05XXXXXXXXXX1जेडओ	0.67
3	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडई	1.49
4	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX3जेडटी	0.44
5	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	3.18
6			05XXXXXXXXXX1जेड0	0.93
7			05XXXXXXXXXX1जेड5	1.14
8			05XXXXXXXXXX1जेडपी	2.12
9			05XXXXXXXXXX1जेडएस	0.67
10	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	0.93
11	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	0.84
12	कोटद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	0.76
13	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	2.66
14			05XXXXXXXXXX1जेडवी	0.95
15	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड8	0.43
16	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडआर	1.19
17			05XXXXXXXXXX1जेडडी	1.11
18			05XXXXXXXXXX1जेड3	1.03
19			05XXXXXXXXXX1जेड8	1.23
20	रूद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड6	3.75
21			05XXXXXXXXXX1जेडएच	0.59

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
22			05XXXXXXXXXX1जेड8	0.91
23			05XXXXXXXXXX1जेड6	2.85
24			05XXXXXXXXXX1जेड9	0.73
योग				***31.79***

आर सी एम के अन्तर्गत लाभ उठाये गये आई टी सी के विरूद्ध कर भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.07
योग				***0.07***

आर सी एम के अन्तर्गत कर के कम भुगतान के विरूद्ध जी एस टी आर 3बी/जी एस टी आर-9 में लाभ उठाये गये आई टी सी (कर के भुगतान के बिना आर सी एम)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडई	0.18
2	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1जेडओ	0.50
3	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडआर	0.06
4	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडपी	0.39
योग				***1.13***

आई एस डी क्रेडिट का गलत लाभ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.08
2	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेड7	0.18
3	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	0.16
4	विकासनगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	0.08
5	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	0.05
6	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेड1	0.08
7	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	0.26
8	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडबी	0.04
9	रूद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड3	0.05
10	रामनगर	रामनगर	05XXXXXXXXXX1जेडटी	0.06
योग				***1.04***

गलत आई एस डी क्रेडिट विलोमित

(₹ करोड़ में)

सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेडपी	0.00139
योग			***0.00139***

वित्तीय विवरण में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आई टी सी के बीच समाधान (प्रपत्र 9सी की तालिका 14टी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	16.78
2	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेड0	8.09
3	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेड3	26.60
4	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	8.60
5	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	11.91
6			05XXXXXXXXXX1जेडके	9.31
योग				***81.29***

वार्षिक विवरणी और वित्तीय विवरणों के बीच प्राप्त आई टी सी में विसंगति (प्रपत्र 9सी की तालिका-12एफ)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	0.57
2	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडएम	0.31
3	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	0.43
4	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजी	0.87
5	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.64
6	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	5.49
7	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडएन	1.18
8	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	1.13
9	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	0.89
10	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	0.97
11	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेड9	0.53
12	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडएच	0.34
योग				***13.35***

जी एस टी आर-9सी (तालिका 5आर) में घोषित कुल आवर्त में विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXX1जेड7	0.73
2	देहरादून	1	05XXXXXXXXX2जेडआई	0.70
3	देहरादून	2	05XXXXXXXXX1जेडएच	1.87
4	देहरादून	4	05XXXXXXXXX1जेडक्यू	0.50
5	देहरादून	5	05XXXXXXXXX1जेडटी	0.52
6	देहरादून	5	05XXXXXXXXX3जेड5	0.51
7	देहरादून	6	05XXXXXXXXX1जेडएक्स	11.36
8	देहरादून	8	05XXXXXXXXX1जेड9	1.52
9	देहरादून	9	05XXXXXXXXX3जेडटी	0.51
10	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXX1जेडएक्स	0.82
11	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXX2जेडएम	2.43
12	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXX1जेडएल	0.54
13	रूड़की	2	05XXXXXXXXX1जेड6	1.60
14	रूड़की	4	05XXXXXXXXX1जेडएच	3.58
15	काशीपुर	1	05XXXXXXXXX1जेडजी	7.43
16	खटीमा	1	05XXXXXXXXX1जेडआई	1.84
17	किच्छा	-	05XXXXXXXXX1जेडके	0.63
18	किच्छा	-	05XXXXXXXXX1जेडएच	0.48
योग				***37.57***

जी एस टी आर-9सी (तालिका 7जी) में घोषित करयोग्य आवर्त में विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	0.39
2	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX3जेड5	0.51
3	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	1.10
4	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडएम	0.41
5	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX3जेडटी	0.51
6	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	0.37
7	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	1.76
8	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX2जेडई	0.51
9	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेड6	1.60
10	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडजी	0.09
11	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	0.12
12	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड0	0.42
13	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1.76
14	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड2	0.44
15	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडएन	0.41
16	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडएल	0.90
17	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेडआई	0.24
18	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX2जेड5	0.43
19	रूद्रपुर	4	05XXXXXXXXXX1जेडडी	0.50
20	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडएल	1.33
योग				***13.80***

लेखा बहियों और वार्षिक विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में विसंगति (तालिका 9आर)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएल	8.97
2			05XXXXXXXXXX1जेडके	0.1
3			05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	0.10
4	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडटी	0.13
5			05XXXXXXXXXX1जेड6	0.41
6	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडपी	0.12
7			05XXXXXXXXXX1जेड3	0.13
8			05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	0.33
9	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX3जेडए	0.20
10			05XXXXXXXXXX3जेडटी	0.57
11	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.20
12			05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	0.23
13			05XXXXXXXXXX1जेड9	0.14
14			05XXXXXXXXXX1जेडजेड	0.16
15	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1जेडयू	0.08
16			05XXXXXXXXXX1जेड2	0.30
17	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडबी	0.08
18	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडबी	0.37
19	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	0.10
20			05XXXXXXXXXX1जेडडी	10.37
21			05XXXXXXXXXX1जेडटी	0.47
22	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	0.13
23	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	0.09
24			05XXXXXXXXXX1जेड7	0.07
योग				***23.85***

कर देनदारियों का गैर-भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडटी	3.59
2	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेड9	10.41
3	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	8.93
4	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	1.93
5	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1.19
6	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	1.37
7	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेड6	1.13
8	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडजी	0.80
9	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडएल	0.77
10	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडएस	2.023
योग				***32.143***

जी एस टी आर-3बी विवरणी दाखिल न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएन	0.03
2	मसूरी	-	05XXXXXXXXXX1जेडबी	0.0004
3	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडवी	0.0004
4	उत्तरकाशी	-	05XXXXXXXXXX1जेड7	0.03
5	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	0.05
योग				**0.1108**

ब्याज का कम भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	आपत्तिगत धनराशि
1	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	0.17
2	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेडएम	0.15
3	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	0.27
4	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड4	0.10
5	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1जेड9	0.11
6	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	0.73
7			05XXXXXXXXXX1जेड9	0.15
8			05XXXXXXXXXX1जेडएफ	0.12
9			05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	0.13
10	रूद्रपुर	4	05XXXXXXXXXX1जेडओ	0.13
11	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडजी	0.18
योग				***2.24***

परिशिष्ट-3.7.7

(संदर्भः प्रस्तर-3.7.8.2; पृष्ठ 175)

उन प्रकरणों का विवरण, जहां डाटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
1.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX3जेड8	4	0.12
2.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	4	0.11
3.	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेड8	4	0.10
4.	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	2	0.06
5.	गोपेश्वर	-	05XXXXXXXXXX1जेडए	2	0.05
6.	हल्द्वानी	2	05XXXXXXXXXX1जेड2	2	0.05
7.	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1	1.36
8.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडएन	1	0.71
9.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड0	1	0.83
10.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएस	1	15.27
11.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड8	4	0.06
12.	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेड8	4	0.07
13.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेडटी	4	0.11
14.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएल	4	1.37
15.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड1	4	0.04
16.	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	2	0.06
17.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	2	0.05
18.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेड2	3	0.40
19.	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	2	0.05
20.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	6	7.94
21.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडजी	3	0.20

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
22.	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX2जेड4	3	0.04
23.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	3	0.55
24.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडबी	3	0.60
25.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	6	13.45
26.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	8	1.19
27.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2जेडक्यू	8	0.82
योग					***45.66***

उन प्रकरणों का विवरण, जहां लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पहले कार्रवाई की गई थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
1.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडएन	1	6.38
2.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	1	2.69
3.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	1	0.91
4.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXXएलजेड2	11	0.84
5.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX2जेडपी	1	0.82
6.	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	3	0.57
7.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX2जेडई	8	0.51
8.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	10	0.39
9.	रूड़की	4	05XXXXXXXXXX1जेड9	14	0.22
10.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	14	0.22
11.	रूड़की	5	05XXXXXXXXXX1जेड2	14	0.14
12.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेडपी	14	0.13
13.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड2	14	0.15
14.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	14	0.34

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
15.	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडवी	7	0.31
16.	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेड7	7	2.21
17.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	10	0.11
18.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडपी	2	0.39
19.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडके	7	0.47
20.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडवी	10	0.70
21.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड8	10	0.13
योग					***18.63***

उन प्रकरणों का विवरण, जहां विभाग के पास वैध स्पष्टीकरण थे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
1.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	6	62.14
2.	रूद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडयू	6	9.54
3.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	6	8.22
4.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	9	1.65
5.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	9	1.27
6.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेड6	9	0.89
7.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	9	0.70
8.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड6	9	0.56
9.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडटी	9	0.51
10.	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX2जेडई	10	0.36
11.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	7	0.31
12.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	8	0.30
13.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	9	0.30
14.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेड1	10	0.22
15.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेडडी	10	0.18
16.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	8	0.16
17.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड3	5	0.00[1]
18.	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	12	0.00
19.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX1जेड4	2	0.05
20.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडई	13	0.002
21.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	2	0.06
22.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजे	2	0.05
23.	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेडएन	6	7.71

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
24.	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेडबी	6	7.97
25.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	6	48.34
26.	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेड6	7	0.43
27.	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेडई	12	00
28.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडडी	12	00
29.	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	12	00
30.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड2	11	5.62
31.	खटीमा	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	10	0.44
32.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	10	0.31
33.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडपी	10	0.30
34.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX3जेड9	1	1.31
35.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	1	0.25
36.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	1	0.42
37.	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1	0.75
38.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	7	0.42
39.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX2जेडए	7	0.52
40.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेड9	10	0.58
41.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडके	6	11.43
42.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड8	7	0.51
43.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1जेडआर	6	6.96
44.	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	6	7.13
45.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड2	6	7.65
46.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	6	14.85
47.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएच	6	51.21
48.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडएन	6	16.00

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	विसंगति की धनराशि
49.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड9	6	45.55
50.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX2जेड8	6	25.32
51.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड5	6	26.13
योग					***375.583***

[1] ₹ 0.0000053 को ₹ 0.00 से पूर्णांकित किया गया।

अनुपालन विचलन (वसूली की गई) के अन्तर्गत प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडए	14	0.26
2.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडआर	14	0.23
3.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	4	0.21
4.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	2	0.17
5.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	10	0.09
6.	हल्द्वानी	2	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	13	0.01
7.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX2जेडबी	14	0.24
8.	खटीमा	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	14	0.11
9.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX2जेड2	2	0.17
10.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेड3	11	1.27
11.	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	10	0.99
12.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	1	0.01
13.	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX2जेड4	11	0.05
14.	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडबी	10	0.03
15.	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1जेडबी	10	0.09

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
16.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड1	10	0.12
17.	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेड8	2	0.05
18.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेड5	3	0.01
19.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडजी	10	0.16
20.	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	10	1.19
योग					***5.46***

अनुपालन विचलन (एस सी एन जारी किए गए) के अन्तर्गत प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	11	4.91
2.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	4	0.23
3.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX1जेड6	10	0.12
4.	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX2जेडडी	14	0.15
5.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX2जेडएन	13	0.13
6.	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	13	0.13
7.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडई	13	0.12
8.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX1जेडसी	10	0.17
9.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडके	13	0.07
10.	हल्द्वानी	2	05XXXXXXXXXX2जेड5	13	0.02
11.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडपी	13	0.02
12.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडएच	13	0.02
13.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएच	13	0.01

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
14.	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडओ	13	0.01
15.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेडएस	13	0.01
16.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडवी	13	0.002
17.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेड6	1	10.34
18.	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडसी	4	0.10
19.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड0	4	12.58
20.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड6	13	0.01
21.	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेड8	13	0.03
22.	कोटद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	13	0.03
23.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडआर	13	0.01
24.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड7	2	0.05
25.	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेडए	2	0.07
26.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	2	0.13
27.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडआई	7	0.94
28.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेडआई	7	0.56
29.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडबी	7	0.76
30.	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	10	0.01
31.	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX2जेडजेड	10	0.08
32.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजे	8	2.11
33.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडजे	9	1.04
34.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	8	6.42
35.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडआई	9	0.28
36.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजी	9	0.95
37.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडडब्ल्यू	9	1.49

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
38.	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडए	11	3.96
39.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेड9	11	3.50
40.	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1जेड2	11	6.29
41.	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडएस	11	1.22
42.	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX2जेडक्यू	11	1.74
43.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX2जेडवाई	14	1.63
44.	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	10	1.01
45.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडआई	1	0.93
46.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	1	2.44
47.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	1	0.06
48.	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1जेड7	13	0.01
49.	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1जेडएम	9	1.01
50.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेड2	11	6.29
योग					***74.20***

उन प्रकरणों का विवरण, जो लेखापरीक्षा के प्रश्नों के उत्तर में विभाग द्वारा करदाताओं के साथ पत्राचार के अधीन थे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडके	13	0.14
योग					***0.14***

उन प्रकरणों का विवरण, जिनमें विभाग के उत्तर अस्वीकार्य थे (लेखापरीक्षा खंडन)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	1	6.60
2.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	1	1.04
3.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX3जेडवी	1	0.62
4.	रूद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	14	0.83
योग					***9.09***

उन प्रकरणों का विवरण, जिनमें विभाग के उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये थे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	गोपेश्वर	-	05XXXXXXXXXX1जेडयू	8	9.25
2.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएल	8	4.81
3.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेडएल	8	3.35
4.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	8	2.50
5.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड2	11	1.66
6.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडएच	9	1.40
7.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडटी	9	1.18
8.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेड6	8	0.97
9.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX2जेडएच	8	0.84
10.	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1जेडके	9	0.81
11.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	8	0.75
12.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX1जेडएफ	8	0.54
13.	रूद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडवाई	4	0.51
14.	काशीपुर	1	05XXXXXXXXXX1जेड8	8	0.46

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
15.	रूद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडई	3	0.43
16.	रूद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1जेडजेड	3	0.41
17.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	3	0.33
18.	देहरादून	5	05XXXXXXXXXX1जेडजे	4	0.20
19.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडई	3	0.19
20.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडबी	2	0.05
21.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएम	1	1.17
22.	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेड0	1	5.88
23.	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडए	1	0.70
24.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडएन	1	0.91
25.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX1जेड3	1	8.89
26.	खटीमा	1	05XXXXXXXXXX1जेडसी	1	1.18
27.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेडजी	4	0.13
28.	रूड़की	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	3	1.55
29.	हल्द्वानी	3	05XXXXXXXXXX1जेडटी	3	0.25
30.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेड6	6	7.90
31.	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX2जेड0	7	0.52
32.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	10	0.09
33.	हल्द्वानी	2	05XXXXXXXXXX2जेडपी	10	0.26
34.	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1जेड7	8	0.60
35.	देहरादून	9	05XXXXXXXXXX1जेड4	8	2.65
36.	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1जेडयू	8	1.38
37.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेडटी	8	3.70
38.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड9	8	2.21
39.	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1जेड5	8	0.16

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
40.	रूड़की	2	05XXXXXXXXXX1जेडएम	8	1.79
41.	रूद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1जेडए	8	3.10
42.	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1जेडजे	9	0.29
43.	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1जेडक्यू	9	0.50
44.	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1जेडसी	9	0.62
45.	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1जेड4	9	2.40
46.	ऋषिकेश	3	05XXXXXXXXXX2जेडवी	9	0.30
47.	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1जेडएक्स	9	0.26
48.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेडएस	9	1.80
49.	ऋषिकश	1	05XXXXXXXXXX1जेडएस	11	1.34
50.	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1जेडएम	11	1.09
51.	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	11	0.93
52.	रूड़की	3	05XXXXXXXXXX1जेड9	7	0.52
53.	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1जेड0	2	0.19
54.	हल्द्वानी	4	05XXXXXXXXXX1जेड2	10	0.14
योग					***86.04***

प्रकरणों का विवरण, जहां विभाग ने अवगत कराया कि वे लेखापरीक्षा प्रश्न की जांच कर रहे है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	लेखापरीक्षा मापदण्ड संख्या	उत्तर के अनुसार आपत्तिगत धनराशि
1.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX1जेडओ	3	0.25
2.	रामनगर	-	05XXXXXXXXXX1जेड6	14	0.11
योग					***0.36***

परिशिष्ट-3.7.8

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.2 (अ); पृष्ठ 193)

जी एस टी आर-3बी विलम्ब से दाखिल करने पर ब्याज का भुगतान न करना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	विलंबित जी एस टी आर3बी की संख्या	3 माह तक की देरी	3 माह से 6 माह तक की देरी	6 माह से अधिक की देरी	देय ब्याज	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया (ए यूनिट ऑफ आईएचएचआर हास्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड)	6	5	1	0	545900	विभाग ने अवगत कराया कि ब्याज राशि ₹ 5,24,501 जमा की गई।
2	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	रेफ़ब्रिक्स इसेन्शियल्स	2	2	0	0	3120	
3	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. प्रीतम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	3	3	0	0	26212	विभाग ने अवगत कराया कि ब्याज राशि ₹ 26,212 जमा की गई।
4	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2	2	0	0	242798	
5	टनकपुर	_	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	9	6	3	0	1217423	
6	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	कैम्पस एक्टिवेयर लिमिटेड	1	0	1	0	1066722	
7	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडवी	ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन	8	2	0	6	855464	
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	मै. आनंदम	4	4	0	0	2206	
9	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	4	4	0	0	9329	
10	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	ई एस पी ए एन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आई) लिमिटेड	8	8	0	0	12428	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	विलंबित जी एस टी आर3बी की संख्या	3 माह तक की देरी	3 माह से 6 माह तक की देरी	6 माह से अधिक की देरी	देय ब्याज	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
11	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	6	6	0	0	10934	
12	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	9	0	2	7	470104	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 4,71,754 के ब्याज की मांग जारी की गई।
13	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजी	वॉइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	8	7	1	0	1862	
14	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX2ज़ेडआर	मै. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड यूनिट-II	3	3	0	0	36359	
15	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	मै. स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	5	2	3	0	64676	
16	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	मै. एम एंड एम मशीन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	8	8	0	0	141612	
17	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1ज़ेडसी	मै. शिव कन्स्ट्रक्शन कंपनी	8	2	0	6	2919401	
18	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	6	5	1	0	32692	
19	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	मै. दाबका स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	9	8	1	0	50282	
20	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	मै. जी. एस. मटयानी एण्ड सन्स	9	3	3	3	217617	
21	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	मै. सिद्धि विनायक फर्नीचर्स	9	4	5	0	5307	
22	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. ईऑन इलेक्ट्रिक लिमिटेड	3	3	0	0	2724	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	विलंबित जी एस टी आर3बी की संख्या	3 माह तक की देरी	3 माह से 6 माह तक की देरी	6 माह से अधिक की देरी	देय ब्याज	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
23	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	2	2	0	0	45492	
24	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडज़ेड	महेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	2	2	0	0	4821	विभाग ने अवगत कराया कि ब्याज ₹4821 जमा किया गया है।
25	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएस	मै. ग्लोबस इंफोकॉम लिमिटेड यूनिट2	6	4	0	2	1225515	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 12,25,515 का ब्याज जमा किया गया है।
26	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मै. कोशिश फूड्स कंपनी	8	5	3	0	56487	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 6,147 जमा किए गए हैं।
27	रुड़की	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	आर डी बिल्डर्स	9	1	0	8	49558	
28	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएच	मै. टेनट एजेंसीज	5	5	0	0	9535	
29	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआई	मै. राजीव आनंद	8	0	3	5	285748	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 2,85,748 का ब्याज जमा किया गया था।
30	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएल	मै. ज़ैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	5	5	0	0	42151	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 75,600 की मांग जारी की गई थी।
31	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएल	मै. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1	1	0	0	122234	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर संख्या	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	विलंबित जी एस टी आर3बी की संख्या	3 माह तक की देरी	3 माह से 6 माह तक की देरी	6 माह से अधिक की देरी	देय ब्याज	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
32	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबी	मै. शक्ति पैकेजिंग	6	6	0	0	4117	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 4,120 का ब्याज जमा किया गया था।
33	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर्स	8	4	3	1	43163	
34	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	7	7	0	0	140747	
35	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	जे डी जेडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	8	3	4	1	7152	
36	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. लखानी फुटवियर प्राइवेट. लिमिटेड	2	2	0	0	40973	
37	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग सी.ओ. एल.एल.पी	5	5	0	0	1050	
योग					***224***	***145***	***43***	***52***	***10013924***	

परिशिष्ट-3.7.9.i

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

कर भुगतान के साथ रिवर्स चार्ज तंत्र के अतंर्गत प्राप्त आई टी सी में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी तालिका 3.1 (डी) के अनुसार आर सी एम के अतंर्गत कर देयता	जी एस टी आर 9 तालिका (6सी + 6डी + 6एफ) में आई टी सी का लाभ उठाया गया है	आर सी एम के अतंर्गत लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8
1	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1129387489.00	1198532131.00	69144642.00	
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	19751204.00	25374874.00	5623670.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
योग							***7,47,68,312***	

परिशिष्ट-3.7.9.ii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

आर सी एम के अतंर्गत प्राप्त आई टी सी में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी तालिका 3.1 (डी) के अनुसार आर सी एम के अतंर्गत कर देयता	जी एस टी आर 9 तालिका 4जी के अनुसार आर सी एम के अतंर्गत कर देयता	अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	
1	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	विंडलॉस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00	296158.00	296158.00	करदाता ने आर सी एम आई टी सी का उपभोग करने और इसके उपयोग से संबंधित जी एस टी आर 3बी और 9 के आंकड़े नहीं भरे हैं।	विभाग ने अवगत कराया कि आर सी एम के अतंर्गत उक्त देयता को जी एस टी आर 9 में घोषित किया गया था और ए आर एन ए.डी.051219002205 के माध्यम से डी. आर. सी.-03 के माध्यम से ₹ 2,96,158 की अदायगी की थी।
2	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग सी.ओ. एल.एल.पी	1468.00	26724.00	25256.00	करदाता द्वारा अपलोड किए गए वर्ष 2017-18 के लिए लाभ और हानि खाते	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी तालिका 3.1 (डी) के अनुसार आर सी एम के अतंर्गत कर देयता	जी एस टी आर 9 तालिका 4जी के अनुसार आर सी एम के अतंर्गत कर देयता	अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	
								में ₹ 1574224 का माल ढुलाई और आवक भाड़ा और समुद्र/हवाई अंतर्देशीय शुल्क दिखाया गया है, जिस पर आर सी एम ₹ 283360 (₹ 1574224 x 18%) का देय कर है जिसका भुगतान नहीं किया गया है।	
3	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	2102042.00	3109056.00	1007014.00		
योग							***13,28,428.00***		

परिशिष्ट-3.7.9.iii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

शून्य/छूट प्राप्त और गैर-जी एस टी आपूर्ति के लिए आई टी सी का गैर/कम प्रत्यावर्तन

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका (5एन - 5एफ) के अनुसार कुल आवर्त	शून्य का कारोबार और छूट प्राप्त आपूर्ति (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)	सामान्य क्रेडिट (जी एस टी आर 9 तालिका 6बी + 6सी + 6डी + 6ई) (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)	आई टी सी सूत्र के अनुसार प्रत्यार्वतन के लिए उत्तरदायी है	आई टी सी जी एस टी आर 9 तालिका 7सी या 7एच (नियम-42) के अनुसार प्रत्यार्वतन किया गया है	आई टी सी का कम प्रत्यार्वतन	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6*7/5	9	10=9-8	11	12
1	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	रेफ़ब्रिक्स इसेन्शियल्स	181570562.80	16079971.50	10266681.34	909221.96	0.00	-909221.96		
2	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2ज़ेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1171580682.00	1052870557.50	8976186.00	8066676.16	4708899.00	-3357777.16		
3	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	157542017.91	436978.30	18762028.02	52040.71	0.00	-52040.71		
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	8595125377.26	7360286483.39	137801147.00	118003621.26	40441248.43	-77562372.83		विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है
5	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	271655467.76	3886677.91	30867548.46	441633.73	0.00	-441633.73		
6	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	107170639.30	651729.00	7995561.35	48622.82	0.00	-48622.82		विभाग ने अवगत

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका (5एन - 5एफ) के अनुसार कुल आवर्त	शून्य का कारोबार और छूट प्राप्त आपूर्ति (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)	सामान्य क्रेडिट (जी एस टी आर 9 तालिका 6बी + 6सी + 6डी + 6ई) (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)	आई टी सी सूत्र के अनुसार प्रत्यार्वतन के लिए उत्तरदायी है	आई टी सी जी एस टी आर 9 तालिका 7सी या 7एच (नियम-42) के अनुसार प्रत्यार्वतन किया गया है	आई टी सी का कम प्रत्यार्वतन	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6*7/5	9	10=9-8	11	12
												कराया कि उसी की मांग जारी गई थी।
7	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	2412620445.11	256106.00	218405986.11	23184.37	0.00	-23184.37		विभाग ने अवगत कराया कि इस मामले में कोईविसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
8	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडज़ेड	महेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	148964262.78	162631.78	6836931.12	7464.22	0.00	-7464.22		विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज राशि ₹18,374 जमा की गई थी।
9	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मै. कोशिश फूड कंपनी	128060520.87	30385044.37	3548622.14	841985.03	0.00	-841985.03		

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका (5एन - 5एफ) के अनुसार कुल आवर्त	शून्य का कारोबार और छूट प्राप्त आपूर्ति (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)	सामान्य क्रेडिट (जी एस टी आर 9 तालिका 6बी + 6सी + 6डी + 6ई) (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)	आई टी सी सूत्र के अनुसार प्रत्यार्वतन के लिए उत्तरदायी है	आई टी सी जी एस टी आर 9 तालिका 7सी या 7एच (नियम-42) के अनुसार प्रत्यार्वतन किया गया है	आई टी सी का कम प्रत्यार्वतन	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6*7/5	9	10=9-8	11	12
10	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	2605975290.23	189917.50	435436843.10	31733.64	0.00	-31733.64		विभाग ने अवगत कराया कि 16,872 रुपये की कर और ब्याज राशि जमा की गई थी।
11	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	अरित होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	33637423.54	172779.00	3740800.00	19214.66	0.00	-19214.66		
12	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. राम गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	141617268.00	140797418.00	54251.00	53936.93	0.00	-53936.93		विभाग ने अवगत कराया कि आई टी सी ₹ 54, 251 को रिर्वस किया गया है और ₹ 10,783 ब्याज जमा किया गया है।
13	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	187273705.00	1761908.00	32992923.00	310403.94	161965.00	-148438.94		
14	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएल	मै. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	7714788325	55,14,19,896	411353224	29401759.64	0.00	-29401759.64		

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका (5एन - 5एफ) के अनुसार कुल आवर्त	शून्य का कारोबार और छूट प्राप्त आपूर्ति (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)	सामान्य क्रेडिट (जी एस टी आर 9 तालिका 6बी + 6सी + 6डी + 6ई) (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं)	आई टी सी सूत्र के अनुसार प्रत्यावर्तन के लिए उत्तरदायी है	आई टी सी जी एस टी आर 9 तालिका 7सी या 7एच (नियम-42) के अनुसार प्रत्यावर्तन किया गया है	आई टी सी का कम प्रत्यावर्तन	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6*7/5	9	10=9-8	11	12
15	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	2894899596	13,00,19,051.00	101743884	4569638.01	0.00	-4569638.01	गैर जीएसटी आपूर्ति	
योग					***26752481584***	***9289377149***	***1428782617***	***162781137***	***45312112***	***-117469025***		

परिशिष्ट-3.7.9.iv

(सन्दर्भः प्रस्तर–3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

शून्य/छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए आई टी सी का गैर/संक्षिप्त प्रत्यावर्तन

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	नियम 43 के अनुसार वापसी (जी एस टी आर 9 तालिका 7डी))	जी एस टी आर 9 (तालिका 5डी + 5ई)-शून्य/छूट प्राप्त आवर्त का मूल्य	जी एस टी आर 9 तालिका 5एन-5एफ में कुल आवर्त (अग्रिम सहित, लेकिन गैर-जी एस टी आपूर्ति को छोड़कर)	जी एस टी आर 9 तालिका 6बी (सी. जी.) + 6सी (सी. जी.) + 6डी (सी. जी.) + 6ई (सी. जी.)	रिवर्सल वर्कआउट = (जी एस टी आर 9 तालिका 5डी + 5ई)/जी एस टी आर 9 तालिका 5एन-5एफ) एक्स जी एस टी आर 9 तालिका 6बी (सी. जी.) + 6सी (सी. जी.) + 6डी (सी. जी.) + 6ई (सी. जी.))	आई टी सी का कम प्रत्यावर्तन	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6/7)*8	10=9-5	11
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXX2ज़ेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालयास (ए यूनिट ऑफ आई एच एच आर हास्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड)	0.00	1093903.00	454991805.00	5886426.20	14152.30	14152.30	विभाग ने अवगत कराया कि सकल कर और ब्याज राशि ₹ 10,41,806 जमा की गई थी।
2	देहरादून	1	05XXXXXXXXX2ज़ेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0.00	1052870557.50	1171580682.00	166953.00	150036.53	150036.53	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
3	देहरादून	1	05XXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	0.00	7360286483.39	8595125377.26	16435708.83	14074434.08	14074434.08	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपन उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
योग						***8414250944***	***10221697864***	***22489088.03***	***14238623***	***14238623***	

परिशिष्ट -3.7.9.v

(सन्दर्भः प्रस्तर–3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

इनपुट सेवा वितरण क्रेडिट के अतंर्गत आई टी सी का लाभ लिए जाने में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं0	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका 6जी में आई. एस. डी. क्रेडिट का लाभ लिया गया	जी एस टी आर 3बी तालिका 4ए (4) में आई. एस. डी. क्रेडिट का लाभ लिया गया है।	आई. एस. डी. द्वारा वितरित आई. टी. सी	अतिरिक्त आई. एस. डी. क्रेडिट का लाभः 5-7 या 6-7 (यदि जी एस टी आर 9 दाखिल नहीं किया गया है)
	1	2	3	4	5	6	7	8=5-7 or 6-7
1	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजी	वॉइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	0.00	3156457.00	0.00	3156457.00
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	0.00	67863495.00	0.00	67863495.00
योग								***71019952.00***

परिशिष्ट-3.7.9.vi

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 195)

जी एस टी आर-2ए और जी एस टी आर-9 में आई टी सी की विसंगति होना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	5926483.40	11512859.00	5586375.60		
2	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	140449237.42	186879462.00	46430224.58		
3	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालयास (ए यूनिट ऑफ आई.एच.एच.आर. हास्पिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड)	19456648.24	27671462.54	8214814.30		जमा की गई राशि परिशिष्ट 3.7.9.iv के क्रम संख्या 01 में दर्शायी गई है।
4	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	रेफ़ब्रिक्स प्राईवेट लि0	7714619.83	8081263.88	366644.05		
5	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	67416656.42	67803204.00	386547.58		
6	टनकपुर	-	05XXXXXXXXXXज़ेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	25492711.88	31237065.88	5744354.00		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 8,77,73,459 की मांग की गई है।
7	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	मै. माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	6238137.55	8063129.00	1824991.45		
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	5017768.68	12271576.15	7253807.47		
9	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	18582248.35	18762028.02	179779.67		
10	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	7402750.52	9485308.50	2082557.98		विभाग ने अवगत कराया कि

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
									₹ 1,21,262 की राशि जमा की गई थी
11	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	2765732.27	5543572.79	2777840.52		
12	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. सदा शिव चाय भंडार	24594739.69	38181616.28	13586876.59		विभाग ने अवगत कराया कि करदाता ने ₹ 1,24,05,674 के आई टी सी के लिए सी. बी. आई. सी. परिपत्र 183/22.12.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। डी. आर. सी.-07 के माध्यम से ₹ 15,45,418 के शेष आई टी सी की मांग की गई है।
13	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईज़ेडआई	इफको	75772129.16	77004367.29	1232238.13		
14	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	ई एस पी ए एन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आई) लिमिटेड	31607026.07	63762574.79	32155548.72		
15	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. ए आर सेल्स	7722841.20	14014843.96	6292002.76		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 57,37,834 राशि

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
									को वित्त वर्ष 2019-20 में वापस कर दिया गया है, लेकिन कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
16	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	30719985.32	30867548.46	147563.14		
17	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	4866857.95	7995716.75	3128858.80		विभाग ने अवगत कराया कि कर, ब्याज और जुर्माना ₹ 86,25,725 की मांग जारी की गई है।
18	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजी	वॉइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	86137931.45	106778467.38	20640535.93		
19	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX2ज़ेडआर	मै. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड यूनिट-II	218624283.97	240067036.59	21442752.62		विभाग ने अवगत कराया कि फरवरी 2020 में ₹ 23,90,978 की राशि को वापस कर दिया गया था और शेष राशि का वाउचर प्रस्तुत किया गया था। लेकिन विभाग ने अपने

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
									उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
20	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	9070991.51	11274181.00	2203189.49		विभाग ने कहा कि राशि ₹ 11,73,688 जमा की गई थी।
21	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1ज़ेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रकशन कंपनी	8731020.10	11106469.38	2375449.28		
22	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	मै. स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	5070907.30	48537714.82	43466807.50		
23	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1ज़ेडसी	मै. शिव कन्स्ट्रकशन कंपनी	10580034.17	13908613.34	3328579.17		
24	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	341191592.80	346870133.00	5678540.20		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 9,28,795 की राशि जमा की गई थी और ₹ 53,44,154 की मांग की गई थी।
25	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	मै. दाबका स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	9520171.94	14967281.00	5447109.06		
26	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	मै. जी. एस. मटियानी एण्ड सन्स	5147242.52	9163714.00	4016471.48		विभाग ने अवगत कराया कि कर, ब्याज और जुर्माना ₹ 2,16,00,192 की मांग जारी की गई है।
27	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	278053352.69	298145820.92	20092468.23		

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
28	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2ज़ेडआर	ब्रिज रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूके लिमिटेड	31898789.59	44505816.00	12607026.41		
29	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	इनसैट फार्मा	39127604.21	39589841.38	462237.17		
30	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड1	मै. गोपाल ऑटो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	13116377.16	14698848.48	1582471.32		
31	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	454005949.78	455598330.07	1592380.29		विभाग ने अवगत कराया कि कोई विसंगति नहीं है लेकिन विभाग द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
32	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मैनी स्काफोल्ड सिस्टम	48890538.18	49044364.00	153825.82		विभाग ने अवगत कराया कि कर की राशि ₹ 1,53,825 जमा कराई गई।।
33	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएच	मै. टेनट एजेंसीज	27254997.22	27612647.80	357650.58		
34	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआई	मै. राजीव आनंद	2096817.18	3520877.24	1424060.06		
35	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	मै. एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	5926483.40	11512859.00	5586375.60		
36	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएम	एबन्स जेवेल्स लिमिटेड	1862581.80	19572441.76	17709859.96		
37	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2ज़ेडबी	कैपिटल हाइट्स	90000.00	13630623.15	13540623.15		विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज ₹ 2,52,86,465 की मांग जारी गई है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
38	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	12553359.13	24053382.58	11500023.45		विभाग ने अवगत कराया कि कोई विसंगति नहीं थी लेकिन उसके उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया था
39	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	16125058.00	17251058.92	1126000.92		विभाग ने अवगत कराया कि 73,048 का आई टी सी सही पाया गया है और ₹ 5,94,452 की मांग जारी की गई है।
40	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. लखानी फुटवियर प्राइवेट. लिमिटेड	346157022.04	347393249.46	1236227.42		
41	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	34797927.19	41943852.92	7145925.73		विभाग ने अवगत कराया कि ब्याज और जुर्माने के साथ ₹ 1,59,75,860 की मांग की गई है।
42	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	10269532.08	10349717.76	80185.68		
43	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	100070115.72	100078280.00	8164.28		
44	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX3ज़ेडबी	मै. अग्रवाल ट्रेडर्स	154421.42	5540094.82	5385673.40		विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 8ए (जी एस टी आर-2ए में पात्र आई टी सी (तालिका 3 और 5))	जी एस टी आर 9 तालिका (6बी + 8सी-7एच)	जी एस टी आर 9 में करदाता द्वारा लिया गया अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
									विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
45	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	8600621.00	9708833.00	1108212.00		
46	रुड़की	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	आर डी बिल्डर्स	2184020.00	5419571.00	3235551.00	इस प्रकरण में जी एस टी आर-9 उपलब्ध नहीं था इसलिए जी एस टी आर-2ए के आंकड़े की तुलना जी एस टी आर-3बी के आंकड़े से की जाती है।	
योग					***2609056318***	***2960981720***	***351925403***		

परिशिष्ट-3.7.9.vii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 196)

समायोजन के बाद जी एस टी आर 9 में असंबद्ध आई टी सी

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	-5586375.60	
2	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	एच. पी. इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	-138132224.70	
3	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	-46428233.01	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
4	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया (ए यूनिट ऑफ आई.एच.एच.आर. हास्पिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड)	-8447207.87	
5	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	रेफ़ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	-366644.05	
6	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	-386546.58	
7	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. प्रीतम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	-4192405.45	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
8	टनकपुर	_-	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	-5744354.00	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
9	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX3ज़ेडबी	अग्रवाल ट्रेडर्स	-5385673.40	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
10	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	मै. मित्तल ट्रेडिंग कंपनी	-86807.14	
11	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	मै. माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	-1824991.45	
12	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	मै. आनंदम	-89848.03	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
13	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	-7261747.47	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 61,69,000 की राशि की मांग की गई थी।
14	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	-179779.67	
15	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	-29228290.59	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
16	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	-1815651.49	
17	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	-2777840.52	
18	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईज़ेडआई	इफको	-1232238.13	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
19	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. ए आर सेल्स	-6292002.76	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
20	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	-147563.14	
21	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	-3128858.80	मांग का उल्लेख परिशिष्ट 3.7.9.vi के क्रम संख्या 17 में किया गया है।
22	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजी	वॉइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	-20640535.93	
23	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX2ज़ेडआर	मै. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड यूनिट-II	-21444168.62	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
24	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	-2209189.49	
25	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबल्यू	मै. हिमालयन पावर मशीन मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी	-5478267.68	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
26	देहरादून	7	05XXXXXXXXXXजे1ज़ेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	-2375449.28	
27	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	मै. स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	-43466807.52	
28	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1ज़ेडसी	मै. शिव कन्स्ट्रकशन कंपनी	-38405244.70	
29	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	-5678540.20	
30	काशीपुर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	मै. दाबका स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड	-5447109.06	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
						अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
31	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	मै. जी. एस. मटयानी एण्ड सन्स	-4016471.48	
32	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. कैंटीन स्टोर डिपार्टमेन्ट	-31465152.26	
33	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2ज़ेडआर	ब्रिज रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूके लिमिटेड	-12607026.41	
34	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडज़ेड	महेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	-982005.46	
35	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	एयर इंडिया लिमिटेड	-3284780.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
36	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड1	मै. गोपाल ऑटो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रपुर	-1582471.32	
37	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	-1592380.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
38	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. मैनी स्काफोल्ड सिस्टम रुद्रपुर	-153825.82	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
39	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआई	मै. राजीव आनंद	-1424060.00	
40	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएम	एबन्स जेवेल्स लिमिटेड	-17709860.00	
41	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर्स	-4371784.00	
42	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2ज़ेडबी	कैपिटल हाइट्स	-13540623.00	मांग का उल्लेख परिशिष्ट 3.7.9.vi के क्रम संख्या 37 में किया गया है।
43	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	-11500024.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
44	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	-3438952.00	
45	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	-1126001.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
46	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-140499.64	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
47	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. लखानी फुटवियर प्राइवेट. लिमिटेड	-1236227.00	विभाग ने कहा कि ₹ 12,36,227 की मांग जारी की गई है।
48	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	-7210928.00	मांग का उल्लेख परिशिष्ट 3.7.9.vi के क्रम संख्या 41 में किया गया है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 की तालिका 8डी के अनुसार आई टी सी (नकारात्मक आंकड़े का अर्थ है अतिरिक्त आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
49	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	-80186.00	
50	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	-1250140.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
51	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	-8164.28	
योग					***-53,26,02,153***	

परिशिष्ट-3.7.9.viii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 196)

जी एस टी आर-9सी में आई टी सी से संबंधित विसंगति देखी गई (तालिका 14टी)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं0	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी (14एस) में घोषित जी एस टी आर 9 का लाभ लिया गया आई टी सी	जी एस टी आर 9सी 14आर में प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि	जी एस टी आर 9सी तालिका 14 टी असंबद्ध आई टी सी (एसः प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि - आरः वार्षिक विवरणी में दावा किया गया आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	8	9	10=8-9	11
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	5873546.00	1062150.66	4811395.34	
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	655545487.00	202198989.00	453346498.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
3	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआर	हुतमाकी इंडिया लिमिटेड	330029006.00	329819639.00	209367.00	
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	मै. आनंदम	5582792.65	5385557.00	197235.65	
5	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	111530291.01	0.00	111530291.01	
6	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईज़ेडआई	इफको	78210526.15	78183290.33	27235.82	
7	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	ई एस पी ए एन इन्फ्रास्ट्रक्चर (आई) लिमिटेड	74868352.59	0.00	74868352.59	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं0	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी (14एस) में घोषित जी एस टी आर 9 का लाभ लिया गया आई टी सी	जी एस टी आर 9सी 14आर में प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि	जी एस टी आर 9सी तालिका 14 टी असंबद्ध आई टी सी (एसः प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि - आरः वार्षिक विवरणी में दावा किया गया आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	8	9	10=8-9	11
8	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. ए आर सेल्स	14014843.96	7715885.76	6298958.20	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
9	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	30937317.46	30867548.46	69769.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
10	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	7995716.75	7930482.43	65234.32	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज ₹ 5,54,906 की मांग जारी की गई है।
11	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	मै. एम एंड एम मशीन क्रॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	36245970.35	0.00	36245970.35	
12	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	548661807.00	548530383.00	131424.00	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं0	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी (14एस) में घोषित जी एस टी आर 9 का लाभ लिया गया आई टी सी	जी एस टी आर 9सी 14आर में प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि	जी एस टी आर 9सी तालिका 14 टी असंबद्ध आई टी सी (एसः प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि - आरः वार्षिक विवरणी में दावा किया गया आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	8	9	10=8-9	11
								₹ 2,44,067 जमा की गई थी।
13	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	232494993.22	232147373.90	347619.32	विभाग ने अवगत कराया कि राशि ₹ 3,47,619 उन वस्तुओं का आयात है जिन्हें 2017-18 में जमा किया गया था और 2018-19 में दावा किया गया था। लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
14	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएम	एबन्स जेवेल्स लिमिटेड	212646690.76	0.00	212646690.76	
15	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	61284767.76	44853912.76	16430855.00	
16	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	34018820.61	8560864.00	25457956.61	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं0	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी (14एस) में घोषित जी एस टी आर 9 का लाभ लिया गया आई टी सी	जी एस टी आर 9सी 14आर में प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि	जी एस टी आर 9सी तालिका 14 टी असंबद्ध आई टी सी (एसः प्राप्त पात्र आई टी सी की कुल राशि - आरः वार्षिक विवरणी में दावा किया गया आई टी सी)	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	8	9	10=8-9	11
17	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	696502004.00	625034821.00	71467183.00	
18	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	मै. केंट आर ओ सिस्टम्स लिमिटेड	616795264.00	510075360.00	106719904.00	
योग							***1,12,08,71,939.97***	

परिशिष्ट-3.7.9.ix

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 196)

आई टी सी का लाभ लिये जाने में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया (ए यूनिट ऑफ आई.एच.एच. आर. हॉस्पिटेलिटी प्राईवेट लिमिटेड)	52861645.00	31837283.00	-21024362.00		विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
2	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	रफ़ब्रिक्स इसेन्शियल्स	10277032.50	10266681.34	-10351.16		
3	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडवी	ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन	2897930.54	0.00	-2897930.54		
4	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	मै. मित्तल ट्रेडिंग कंपनी	4372902.02	1416322.53	-2956579.49	जी एस टी आर 9सी उपलब्ध नहीं है क्योंकि जी एस टी आर 9सी दाखिल करने के लिए करदाता का कारोबार आवश्यक राशि से कम है।	
5	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	मै. माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	8918749.00	8068529.00	-850220.00		

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
6	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2ज़ेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9235519.00	9143139.00	-92380.00		
7	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	107468204.80	18762028.02	-88706176.78		
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	मै. रेमंड एपारेल लिमिटेड	12498376.00	10020000.00	-2478376.00		
9	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईज़ेडआई	इफको	88548970.00	77128998.00	-11419972.00		
10	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	विंडलॉस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	37979709.11	37216269.00	-763440.11		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 2,06,88,838 का अंतर TRAN-1 क्रेडिट के कारण है, जो दिनांक 27.12.2017 में दायर किए गए डीलर के TRAN-I से सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए आई टी सी का कोई अतिरिक्त दावा नहीं है। विभाग उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि जी एस टी आर 9 6(आई) के अंतर का कोई कारण नहीं अवगत कराया गया था।
11	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	12461239.00	11280181.00	-1181058.00		विभाग ने अवगत कराया कि व्यापारी ने

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
									अपने जी एस टी आर-3बी में जी एस टी आर-9सी की धनराशि ₹ 1,34,85,598 के स्थान पर ₹ 1,24,61,239 के आईटीसी का दावा किया है। इसे गलत तरीके से जी एस टी आर-9सी में भरा गया था। विभाग का उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि अंतर की राशि का कोई उत्तर नहीं दिया गया था।
12	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1ज़ेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	13155949.19	10834470.55	-2321478.64		
13	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	512842287.40	507976436.00	-4865851.40		विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया है।
14	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	419454049.86	419119324.80	-334725.06		
15	किच्छा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	इनसैट फार्मा	83576682.71	39589841.38	-43986841.33		

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
16	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडज़ेड	मै. माहेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	6838892.62	6836931.12	-1961.50		
17	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मैनी स्काफोल्ड सिस्टम, रुद्रपुर	62871928.00	49044364.00	-13827564.00		
18	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएल	ज़ैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	29078693.00	25902992.00	-3175701.00		विभाग ने अवगत कराया कि कर और अर्थदण्ड ₹ 34,93,234 की मांग की गई है।
19	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड9	एण्डुरेंस टेक्नॉलाजीस लिमिटेड	739051413.00	0.00	-739051413.00		विभाग ने कहा कि ₹ 73,90,51,413 की अंतर राशि तकनीकी त्रुटि के कारण है। लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
20	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	140458982.00	70458993.00	-69999989.00		विभाग ने कहा कि इस मामले में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
21	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	अरित होटल प्राइवेट लिमिटेड	7533233.00	3740800.00	-3792433.00		

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	फॉर्म जी एस टी आर-3बी (फॉर्म जी एस टी आर-3बी की तालिका 4ए का योग) के माध्यम से प्राप्त आई टी सी की कुल राशि जी एस टी आर 9 6(ए) में दी गई है।	जी एस टी आर 9 तालिका 6आई	जी एस टी आर 3बी में प्राप्त आई टी सी और जी एस टी आर 9 6(आई) में घोषित आई टी सी के बीच अंतर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9
22	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	जे डी जेडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	20781893.81	13806424.05	-6975469.76		विभाग ने कहा कि करदाता ने डीआरसी-03 राशि जमा कर दी है। लेकिन ₹ 23,39,148 के ब्याज के स्थान पर ₹ 3,00,000 जमा किया गया है। और ₹ 20,39,148 की शेष राशि की मांग की गई है।
23	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	मै. महावीर ट्रेड मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	8224004.71	5370179.32	-2853825.39		
24	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सनप्लाइटिंग कं एल एल पी	61280674.00	44884247.00	-16396427.00		
25	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	643790073.00	643673186.00	-116887.00		
26	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. मार्टिन एंड ब्लू लाइफकेयर	2562866.00	0.00	-2562866.00		विभाग ने कहा कि कर, ब्याज और अर्थदण्ड की धनराशि ₹ 51,25,728 की मांग की गई है।
				योग	***3099021899.27***	***2056377620.11***	***-1042644279.16***		

परिशिष्ट-3.7.9.x

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 197)

कर देनदारियों के डेबिट और आई टी सी तुलनात्मक विवरण और इलेक्ट्रॉनिक नकद/क्रेडिट खाते के बीच विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी तालिका 6.1 कर देयता	ई कैश लेजर में ऋण	ई क्रेडिट लेजर में ऋण	योग	अंतर	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	10
1	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	7087396.00	0.00	0.00	0.00	7087396.00	
2	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजी	वॉइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	53227530.00	0.00	5733804.00	5733804.00	47493726.00	
3	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआर	आर जी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड	133274752.00	32271194.00	100974228.00	133245422.00	29330.00	विभाग ने अवगत कराया कि प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं दिया है।
4	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	एयर इंडिया लिमिटेड	7431668.00	3089342.00	4312127.00	7401469.00	30199.00	विभाग ने अवगत कराया कि प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं दिया है।
योग					***201021346***			***146380695***	***54640651***	

परिशिष्ट-3.7.9.xi

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 197)

2ए में आई टी सी और वस्तुओं के आयात पर आई टी सी के दावे में विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-9 तालिका 6(E input) में दावा किया गया आई टी सी	जी एस टी आर में शामिल आई टी सी	अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9
1	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएम	एबन्स जेवेल्स लिमिटेड	18,99,08,668	18,42,16,041	56,92,627	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	
2	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएच	मै. नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	11,54,58,667	10,96,12,358	58,46,309	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	
3	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	2,43,04,330	2,42,56,401	47,929	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	
4	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएस	मै. ग्लोबस इंफोकॉम लिमिटेड यूनिट2	2,35,84,782	2,33,56,088	2,28,694	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	विभाग ने अवगत कि करदाता ने कर, ब्याज और अर्थदण्ड ₹ 5,47,991 जमा किया है।
5	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	3,45,34,529	2,97,09,480	48,25,049	जी एस टी आर-2ए के विरुद्ध वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त आई टी सी का दावा।	
योग					***38,77,90,976***	***37,11,50,368***	***1,66,40,608***		

परिशिष्ट-3.7.9.xii

(सन्दर्भः प्रस्तर - 3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 197)

जी एस टी आर-9सी में आई टी सी और 2ए में आई टी सी के दावे विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी में आई टी सी का लाभ उठाया गया	आई टी सी जी एस टी आर 2ए में शामिल	अतिरिक्त आई टी सी	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9
1	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएल	मै. ज़ैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	2,90,78,694	2,59,02,992	31,75,702	जी एस टी आर-9सी के विरुद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर दावा किया गया अतिरिक्त आई टी सी	
2	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	जे डी जेडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2,11,71,752	1,38,06,424	73,65,328	आई टी सी विवरणियों (जी एस टी आर-9 एवं जी एस टी आर-9सी) में ₹ 1,38,06,424/- दिखाया गया है तथा जी एस टी आर-9 की क्रम सं0-9 में आई टी सी के माध्यम से कर का भुगतान ₹ 2,11,71,752/- दर्शाया गया है (परिशिष्ट 3.7.9.ix के पंक्ति सं. 22)।	इसके उत्तर और मांग का उल्लेख परिशिष्ट 3.7.9 ix की पंक्ति संख्या 22 में किया गया है।
योग					***5,02,50,446***	***3,97,09,416***	***1,05,41,030***		

परिशिष्ट-3.7.9.xiii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (अ); पृष्ठ 197)

सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना आई टी सी का लाभ लिया जाना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर्मचारी लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)	अन्य विविध व्यय	कोई अन्य खर्च 1	कोई अन्य खर्च 2	कोई अन्य खर्च 3	कोई अन्य खर्च 4	योग	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	0.00	4767129.00	426222.00	2033729.00	9123006.00	0.00	16350086.00	विभाग ने अवगत कराया कि कुछ चालान सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उत्तर अमान्य है क्योंकि 100 *प्रतिशत* सत्यापन किया जाना चाहिए।
2	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	रफ़ब्रिक्स इसेन्शियल्स	0.00	0.00	975114.00	1172802.00	6338681.00	0.00	8486597.00	
3	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआर	हुतमाकी इंडिया लिमिटेड	3914490.06	20148700.60	3771056.00	1997502.82	10745563.00	0.00	40577312.48	
4	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	95758513.00	0.00	0.00	0.00	95758513.00	
5	टनकपुर	_	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	0.00	0.00	10000237.00	961039.83	14400.00	235454.40	11211131.23	
6	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	कैम्पस एक्टिवेयर प्राइवेट लिमिटेड	6839022.75	17715146.32	16474098.00	0.00	0.00	0.00	41028267.07	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर्मचारी लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)	अन्य विविध व्यय	कोई अन्य खर्च 1	कोई अन्य खर्च 2	कोई अन्य खर्च 3	कोई अन्य खर्च 4	योग	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	मै. आनंदम	0.00	33378.00	347260.00	19742.00	0.00	0.00	400380.00	विभाग ने उत्तर दिया कि अधिसूचना सं0 56/2019 दिनांक 14.11.2019 के अनुसार, करदाता के पास तालिका 14 में राशि दर्ज नहीं करने का विकल्प है। तदनुसार, करदाता ने विकल्प का लाभ उठाया है और इस तालिका में जानकारी प्रदान नहीं की है।उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि अधिसूचना के अनुसार करदाता के पास इस तालिका को नहीं भरने का विकल्प है। चूँकि करदाता ने इस तालिका को भरा था, इसलिए कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए।
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	सिस्टेमा स्मार्ट टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	0.00	3020.00	0.00	3708942.00	0.00	0.00	3711962.00	विभाग ने अवगत कराया कि अधिसूचना सं0 56/2019 दिनांक 14.11.2019 के अनुसार, करदाता के पास तालिका 14 में राशि दर्ज नहीं करने का विकल्प है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर्मचारी लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)	अन्य विविध व्यय	कोई अन्य खर्च 1	कोई अन्य खर्च 2	कोई अन्य खर्च 3	कोई अन्य खर्च 4	योग	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												तदनुसार, करदाता ने विकल्प का लाभ उठाया है और इस तालिका में जानकारी प्रदान नहीं की उत्तर अस्वीकार् है क्योंकि अधिसूचना के अनुसार करदाता के पास इस तालिका को नहीं भरने का विकल्प है। चूँकि करदाता ने इस तालिका को भरा था, इसलिए कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए।
9	देहरादून	4	05XXXXXXXXXXआईज़ेडआई	इफको	0.00	506441.00	63025.00	23765.00	48950.00	38478.00	680659.00	
10	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	विंडलास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00	3547.00	3838883.00	390561.00	3642749.00	20688819.00	28564559.00	
11	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	0.00	0.00	7892460.00	5052.00	165.00	5439.00	7903116.00	
12	देहरादून	3	05XXXXXXXXXXओज़ेडजी	उत्तरखंड वन विकास निगम	82,16,314	4019822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4019822.00	विभाग ने अवगत कराया कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आई टी सी ₹ 1,03,54,708.09 को वापस करने की मांग जारी की गई है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर्मचारी लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)	अन्य विविध व्यय	कोई अन्य खर्च 1	कोई अन्य खर्च 2	कोई अन्य खर्च 3	कोई अन्य खर्च 4	योग	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएस	मै. ग्लोबस इंफोकॉम लिमिटेड	0.00	0.00	7929869.00	0.00	0.00	0.00	7929869.00	
14	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	1,55,77,963	3372636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3372636.00	विभाग ने अवगत कार्य कि कर और ब्याज की राशि ₹ 21,220 जमा किया गया था।
योग											***269994909.78***	

परिशिष्ट-3.7.9.xiv

(संदर्भः प्रस्तर-3.7.9.3 (ब); पृष्ठ 198)

अतिरिक्त संक्रमणकालीन क्रेडिट का लाभ उठाना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9 तालिका 6के में घोषित टी. आर. ए. एन.-1 के माध्यम से संक्रमण ऋण (यदि कोई हो तो संशोधन सहित)	जी एस टी आर 9 तालिका 6 एल. में घोषित टी. आर. ए. एन.-2 के माध्यम से संक्रमण ऋण	ट्रान-1 के अनुसार ट्रान-1 क्रेडिट का लाभ उठाया गया	ट्रान-2 के अनुसार ट्रान-2 क्रेडिट का लाभ उठाया गया	अंतर	अंतर	टिप्पणियां
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-7	10=6-8	11
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	मै. हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	453346497	0.00	449782022	0.00	3564475	0	ट्रान-1 दाखिल किया गया।
2	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मैनी स्काफोल्ड सिस्टम, रुद्रपुर	14293864.00	0.00	0.00	0.00	14293864.00	0.00	ट्रान-1 दाखिल किया गया।
3	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	311263686.00	0.00	0.00	0.00	311263686.00	0.00	ट्रान-1 दाखिल नहीं किया गया।
योग									***329122025***		

परिशिष्ट-3.7.10.i

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 199)

जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-3बी के बीच देय कर की विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-3बी में घोषित कर देयता [तालिका 6.1ए]	जी एस टी आर-3बी की तुलना में कर देयता में विसंगति	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	कैम्पस एक्टिवेयर लिमिटेड	478222024	475699660	2522364	विभाग ने अवगत कराया कि जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-3बी के बीच अंतर ₹ 25,22,365 था और इसे सितंबर 2018 और मार्च 2019 में समायोजित किया गया था। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि जी एस टी आर-3बी और जी एस टी आर-9 की तुलना में कर देयता में अंतर के बारे में कोई कारण नहीं दिया गया है।
2	रुड़की	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	मै. माँ भगवती कन्स्ट्रक्शन कंपनी	9760605	8233286	1527319	
3	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2ज़ेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	24415961	22846642	1569319	विभाग ने अवगत कराया कि करदाता ने जी एस टी अधिनियम की धारा 17 (4) का पालन करते हुए दो डी. आर. सी.-03 के माध्यम से ₹ 6,55,986 की राशि जमा की और पात्र आई टी सी के 50

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-3बी में घोषित कर देयता [तालिका 6.1ए]	जी एस टी आर-3बी की तुलना में कर देयता में विसंगति	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
								प्रतिशत को उलट दिया। उत्तर अस्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर देयता के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. शिवा एजेन्सीज	18593383	18592208	1175	
5	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	मै. मल्होत्रा हार्डवेयर	1461039	368944	1092095	
6	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. गोयल लाइटिंग्स	490593908	488559133	2034775	विभाग ने अवगत कराया कि वर्ष 2017-18 में, जी एस टी आर-3बी में कर की कम राशि को विक्रेता द्वारा माह जनवरी 2019 के जी एस टी आर-3बी में कर बढ़ाकर कर देयता को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था।
7	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडके	एआरसी ट्रांसलॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7216	0	7216	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि ₹14,576 जमा की गई थी।
8	किच्छा	-	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	इनसैट फार्मा	28977047	28431739	545308	
9	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	अजय डबराल	3762285	2887746	874539	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 8,74,540 की कर राशि जमा की गई थी।
10	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	16283737	16266148	17589	विभाग ने अवगत कराया कि कर, ब्याज और अर्थदण्ड ₹ 57,898 की मांग की गई है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-3बी में घोषित कर देयता [तालिका 6.1ए]	जी एस टी आर-3बी की तुलना में कर देयता में विसंगति	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
11	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1577317630	1562391673	14925957	
12	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	10360873	8677584	1683289	
13	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	87302712	55303577	31999135	विभाग ने अवगत कराया कि डीलर द्वारा ₹ 63,99,61,443 की आपूर्ति जी. टी. ए. द्वारा की गई आपूर्ति है जिस पर प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज पर कर का भुगतान किया गया है। लेकिन उनके उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।
14	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग कं एल एल पी	21962202	21595069	367133	
15	राम नगर	_	05XXXXXXXXXX1ज़ेड0	मै. त्रिलोक सिंह राम सिंह जमनाल कांट्रेक्टर	3355464	935596	2419868	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि ₹ 26,37,660 जमा की गई थी
योग							***61587081***	

परिशिष्ट-3.7.10.ii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 200)

जी एस टी आर-9 में कर भुगतान के संदर्भ में जी एस टी आर-1, जी एस टी आर-9 की अधिक से अधिक कर देयता की तुलना करने पर गैर-प्रभारित कर देयता

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	8729503.00	8708916.00	8729503.00	8708920.00	20583.00	
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	428814357.00	429119006.00	429119006.00	427125432.00	1993574.00	
3	रुड़की	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. प्रीतम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	409389379.00	408424199.70	409389379.00	407719560.00	1669819.00	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 92,776 की राशि जमा की गई थी।
4	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	729712735.00	729712735.00	729712735.00	722352361.00	7360374.00	
5	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX3ज़ेडबी	अग्रवाल ट्रेडर्स	4906653.20	4906653.20	4906653.20	4281434.00	625219.20	विभाग ने अवगत कराया कि धनराशि ₹ 6,25,226. जमा की गई थी।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
6	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडसी	मै. सर्वाग्य कैटरिन सेवाएँ	3369464.28	3369464.28	3369464.28	0.00	3369464.28	
7	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	मै. रेमंड एपारेल लिमिटेड	10056903.34	10228506.00	10228506.00	8856129.00	1372377.00	
8	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	स्टोनफील्ड कन्स्ट्रक्शन	6935301.26	8933856.70	8933856.70	7087396.00	1846460.70	विभाग ने अवगत करायाकि ₹ 18,46,461 की राशि का कर जमा किया गया था।
9	देहरादून	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. सदा शिव चाई भंडार	13261664.93	36819612.40	36819612.40	13226524.79	23593087.61	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 2,35,93,087 की मांग की गई थी।
10	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	विंडलास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	31700553.04	42755784.00	42755784.00	32081420.00	10674364.00	
11	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	12805409.66	12805409.66	12805409.66	11516632.00	1288777.66	विभाग ने अवगत कराया कर, ब्याज और अर्थदण्ड ₹ 28,48,805 की मांग की गई थी।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
12	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबल्यू	मै. हिमालयन पावर मशीन मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी	14858297.26	14831431.34	14858297.26	13744160.00	1114137.26	विभाग ने अवगत कराया कि जी एस टी आर-2ए में प्रतिबिंबित आई टी सी में वस्तुओं के आयात पर आई. जी एस टी शामिल नहीं है जो कि ₹ 54,54,347 है और इसी तरह टी. आर. ए. एन.-1 क्रेडिट जी एस टी आर-2ए में परिलक्षित नहीं होता है जो कि ₹ 17,99,859 है। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि विभाग का उत्तर आई टी सी के संबंध में है जबकि आपत्ति कर देयता से संबंधित है।

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
13	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1ज़ेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	10236135.42	9674877.44	10236135.42	7371776.00	2864359.42	
14	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	मै. स्टारगेज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	8270528.59	8297913.41	8297913.41	8270511.00	27402.41	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 4789 जमा किए गए हैं और शेष राशि ₹ 22590 की मांग की गई है।
15	हरिद्वार	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	मै. एम एंड एम मशीन क्रॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	57956684.50	57618714.40	57956684.50	57517783.00	438901.50	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 5,62,885 के कम जमा कर में से ₹ 5,14,932 के कर का भुगतान फरवरी 2019 के जी एस टी आर-3बी में कर देयता को स्वीकार करते हुए किया गया है। इसके अलावा, व्यापारी ने ₹ 47,953 का शेष कर और

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
										₹ 18,304 का ब्याज जमा किया। इस संबंध में विभाग द्वारा इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि फरवरी 2019 के जी एस टी आर-3बी में जमा किए गए कुल कर में से ₹ 5,14,932 राशि पिछली अवधि के कम जमा किए गए कर से संबंधित है।
16	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	मै. जी. एस. मटियानी एण्ड सन्स	11637471.72	10936492.56	11637471.72	10936490.00	700981.72	परिशिष्ट 3.7.9.vi की पंक्ति संख्या 26
17	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएच	मै. एयरविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7047168.00	7379780.50	7379780.50	1918270.00	5461510.50	
18	देहरादून	3	05XXXXXXXXXXओज़ेडजी	उत्तरखंड वन विकास निगम	591906720.00	609142405.00	609142405.00	441496521.00	167645884.00	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
19	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडज़ेड	माहेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	14863818.00	14861873.00	14863818.00	13352980.00	1510838.00	विभाग ने अवगत कराया कि करदाता ने सितंबर-2018 में जी एस टी आर-3बी के माध्यम से बिना भुगतान की गई कर देनदारी और ब्याज ₹ 2,95,196 DRC-03 दिनांक 29-12-23 के माध्यम से जमा किया गया।
20	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड1	मै. गोपाल ऑटो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, रुद्रपुर	14682865.00	16338509.00	16338509.00	14676826.00	1661683.00	
21	रुद्रपुर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	एल जी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड	629612424.00	647622856.00	647622856.00	647209355.00	413501.00	विभाग ने अवगत कराया कि कर की राशि और ब्याज ₹ 8,08,696 जमा किया गया था।
22	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएच	मै. टेनट एजेंसीज	32501532.00	28610737.89	32501532.00	28642751.00	3858781.00	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	कर देयता और आई टी सी तुलना विवरण के अनुसार 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-1 में घोषित कर देयता	आर सी एम के अलावा 2017-18 अवधि के लिए जी एस टी आर-9 में घोषित कर देयता [कर देय जी एस टी आर 9 तालिका 4 एन-तालिका 4 जी + तालिका 10-तालिका 11]	जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-9 के बीच अधिक देयता	जी एस टी आर-9 के अनुसार जी एस टी भुगतान [(तालिका 9 (आई टी सी और नकद दोनों) + तालिका 14-तालिका 4जी भुगतान)]	बिना प्रभारित कर देयता	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10
23	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआई	मै. राजीव आनंद	5509093.00	6627426.00	6627426.00	5509092.00	1118334.00	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि ₹ 18,25,656 जमा की गई थी।
24	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर	8677416.00	11402090.00	11402090.00	8681069.00	2721021.00	
25	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2ज़ेडबी	कैपिटल हाइट्स	15463192.00	11193288.00	15463192.00	11193288.00	4269904.00	
26	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	667059030.00	666088373.00	667059030.00	666052010.00	1007020.00	
27	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. मार्टिन एंड ब्लू लाइफकेयर	3674386.00	3674386.00	3674386.00	2547479.00	1126907.00	विभाग ने अवगत कराया कि व्यापारी पर ₹ 2,02,842 का कर लगाया गया है जबकि ₹ 11,26,907 का कर लगाया गया है।
योग					***3753638690.2***	***3820085302.48***	***3831831443.05***	***3582076177.79***	***249755266.26***	

परिशिश्ट-3.7.10.iii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 200)

जी एस टी आर-9 के कर भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और नकद खाते के ऋण के बीच विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 3बी में देय कर तालिका (6.1)	जी एस टी आर-9 तालिका 9 (ए + बी + सी) में नकद देयता रजिस्टर के अनुसार नकद में भुगतान किया गया कर	जी एस टी आर-9 तालिका 9 (ए + बी + सी) में आई टी सी के माध्यम से भुगतान किया गया)	जी एस टी आर-9 तालिका 9 में भुगतान किया गया कर	अंतर	ई कैश लेजर में ऋण	ई क्रेडिट लेजर में ऋण	अंतर	अंतर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	10	11	12=6-10	13=7-11
1	देहरादून	4	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजी	वॉइट हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	53227530.00	600332.00	52627198.00	53227530.00	0.00	0.00	5733804.00	600332.00	46893394.00
2	पिथौरागढ़	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडक्यू	मै. जी. एस. मटियानी एण्ड सन्स	10936490.00	2181046.00	8755444.00	10936490.00	0.00	9249838.00	2039736.00	0.00	6715708.00
3	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	एयर इंडिया लिमिटेड	7431668.00	3119541.00	4312127.00	7431668.00	0.00	3089342.00	4312127.00	30199.00	0.00
योग (केवल धनात्मक राशि ली जानी है)												*630531*	*53609102*

परिशिष्ट-3.7.10.iv

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 200)

जी एस टी आर-9सी में घोषित करयोग्य आवर्त में असंबद्धता

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी के 5आर और 7जी में असंबद्ध आवर्त	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	636653	
2	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	657199	विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 8,01,662 की राशि जमा की गई थी।
3	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	253647	
4	ऋषिकेश	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडवी	ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन	25105767	विभाग ने अवगत कराया कि इस असंबद्ध कारोबार पर कर दिनांक 13.05.2019 को जमा किया गया है, लेकिन इसके उत्तर का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है।
5	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	विंडलास डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	631160319	
6	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	6016568	
7	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआर	आर जी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड	537848	विभाग ने कहा कि धनराशि ₹ 96,812 की मांग की गई थी।
8	देहरादून	3	05XXXXXXXXXXओज़ेडजी	उत्तरखंड वन विकास निगम	8796334	
9	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	34216391	
10	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	मै. केंट आर ओ सिस्टम्स लिमिटेड	99688818	
योग					***807069544***	

परिशिष्ट-3.7.10.v

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 201)

जी एस टी आर-9सी के 9आर के अनुसार असंबद्ध कर भुगतान

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी के 9आर के अनुसार असंबद्ध कर भुगतान	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	एलॉयन्स एयर एविएशन लिमिटेड	1647	
2	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	एच. पी. इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	655744	
3	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	दाना आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4035441	
4	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	कैम्पस एक्टिवेयर लिमिटेड	1233530	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
5	अल्मोड़ा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. शिवालिक कन्स्ट्रक्शन	1288778	मांग जारी की गई है जैसा कि परिशिष्ट 3.7.10.ii के क्रम संख्या 12 में दिखाया गया है।
6	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड1	मै. सीमा कन्स्ट्रक्शन कंपनी	89840	
7	किच्छा	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	मै. इनसैट फार्मा	104580	
8	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2ज़ेडबी	कैपिटल हाइट्स	4269904	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
9	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	सिद्धार्थ ट्रांसपोर्ट	4067534	
10	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	358242	
योग					***1,61,05,240***	

परिशिष्ट-3.7.10.vi

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 201)

कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के मध्य विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5क्यू में शामिल जी एस टी आर-9 में घोषित आवर्त	जी एस टी आर-9 तालिका 5एन में घोषित कुल आवर्त (अग्रिम सहित)	अंतर	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	2396676981	2399723248	-3046267	विभाग ने अवगत कि ₹ 11,40,598 की राशि जमा की गई थी।
2	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX2ज़ेडजी	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1166104526	1171580682	-5476156	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
3	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	8814698104	8831771953	-17073849	
4	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड4	मै. डिक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	3019526145	3024918647	-5392502	
योग							***-30988774***	

परिशिष्ट-3.7.10.vii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 201)

कर भुगतान के संबंध में लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के मध्य विसंगति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 9क्यू में घोषित जी एस टी आर 9 में भुगतान किया गया कर	जी एस टी आर 9 तालिका 9 के अनुसार भुगतान किया गया कर (नकद + आई टी सी)	अंतर	टिप्पणियां
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	रुद्रपुर	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	एच. पी. इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	1763432119	2386220320	-622788201.00	
2	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएन	मै. आनंदा इन द हिमालया (ए यूनिट ऑफ आईएचएचआर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लि.)	120279768	124812384	-4532616.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
3	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड7	कैम्पस एक्टिवेयर प्राइवेट लिमिटेड	479588319	520696504	-41108185.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	30646256	30717042	-70786.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
5	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवी	मै. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई.डी.टी. शाखा	224232540	227742937	-3510397.00	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
6	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2ज़ेडबी	कैपिटल हाइट्स	6923384	11193288	-4269904.00	
			योग				***-676280089.00***	

परिशिष्ट-3.7.10.viii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (अ); पृष्ठ 202)

लेखा पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच विसंगति के कारण कर का गैर-भुगतान

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	कर योग्य आवर्त में बेमेलता	कर की दर	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX1ज़ेडबी	मै. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,48,00,58,451	18%	26,64,10,521	जी एस टी आर-9सी तालिका 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किन प्रविष्टियों को जोड़ा जाना चाहिए और किन प्रविष्टियों को आवर्त से घटाया जाना चाहिए। करदाता ने जी एस टी आर-9सी, तालिका 5 में आवर्त को गलत तरीके से समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप आवर्त बच गया था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, अप्रैल 2017 से जून 2017 तक आवर्त शून्य दिखाया गया था।	
2	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडज़ेड	मै. माहेश्वरी फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	15,90,92,526	12%	1,90,91,103	जी एस टी आर-9सी तालिका 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किन प्रविष्टियों को जोड़ा जाना चाहिए और किन प्रविष्टियों को आवर्त से घटाया जाना चाहिए। करदाता ने जी एस टी आर-9सी, तालिका 5 में आवर्त को गलत तरीके से समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप आवर्त बच गया था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था।	
3	हल्द्वानी	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड3	मै. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	10,32,52,744	18%	1,85,85,494	जी एस टी आर-9सी तालिका 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किन प्रविष्टियों को जोड़ा जाना चाहिए और किन प्रविष्टियों को आवर्त से घटाया जाना चाहिए। करदाता ने जी एस टी आर-9सी, तालिका 5 में आवर्त को गलत तरीके से समायोजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप आवर्त बच गया था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था।	विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।
योग					***1,74,24,03,721***		***30,40,87,118***		

परिशिष्ट-3.7.10.ix

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (ब); पृष्ठ 203)

वर्ष 2017-18 (पहली तिमाही) की वैट अवधि के आवर्त पर कर का कम अधिरोपण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (प्रतिशत में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12
1	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	मै. महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2529270972	582754660	579291514	3463146	18	623366		विभाग ने अवगत कराया कि धारा 29 (4) के अतंर्गत वैट का पुनर्मूल्यांकन और कर की मांग और ₹ 3,18,176 का ब्याज जमा किया गया था।
2	विकास नगर	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	फ्लेयर पेन्स एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	1158040519	264865774	263617768	1248006	18	224641		विभाग ने अवगत कराया कि वैट का पुनर्मूल्यांकन और ₹ 89,870 के कर और ब्याज की मांग जमा

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (प्रतिशत में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12
												की गई थी।
3	टनकपुर	–	05XXXXXXXXXX1ज़ेड2	मै. दलीप सिंह अधिकारी	838705973	434830677	254251075	180579602	12	21669552	वैट का मूल्यांकन आदेश 28/02/2022 को पारित किया गया है जबकि जी एस टी आर-9सी ठेकेदार द्वारा 11/12/2019 पर दाखिल किया गया था।	
4	देहरादून	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएस	मै. आनंदम	134332350	15351109	15253364	97745	18	17594		विभाग ने इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया है और ₹ 5,172 कर की मांग जारी की गई थी।
5	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. मेडिकॉन फ़ार्मा	362728342	85056306	83506592	1549714	12	185966		
6	देहरादून	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडजे	मै. गुरुनाम सिंह एंड कंपनी	18,77,40,134.00	7,39,01,392.00	1,82,50,000.00	5,56,51,392.00	18	81,27,022.35		
7	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेड5	मै. महावीर ट्रेड मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	64364176	18900270	18236143	664127	12	79695	व्यापारी के वर्ष 2017-18 (Q1) के लिए वैट के अतंर्गत कर निर्धारण आदेश के अनुसार, अंतिम राजस्व ₹ 10,44,541 था। जी एस टी के	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (प्रतिशत में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12
											अतंर्गत 12 प्रतिशत की दर से 1,25,345 (10,44,541 x 12 प्रतिशत) का कर लगाया जाता है।	
8	राम नगर	–	05XXXXXXXXXX1ज़ेड0	मै. त्रिलोक सिंह राम सिंह जमनाल कांट्रेक्टर	210141871	139764764	41221110	98543654+ छूट वाली आपूर्ति 70377107=168920761	12	20270491	करदाता ने 210141871 को कुल कारोबार घोषित किया है और वैट कारोबार 41221110 था। कुल कारोबार और वैट के अंतर को छूट प्राप्त कारोबार घोषित किया गया था। हालाँकि, इस पर कर प्रति वर्ष @12% देय था।	
9	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडयू	मै. ठुकराल स्टील इंजीनियर	68804077	5459134	289759	5169375	18	930488		विभाग ने अवगत कराया कि ₹ 2,89,758 की कर योग्य बिक्री पर मूल्यांकन आदेश दिनांक 28.09.21 पर पारित किया गया है। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि करदाता के

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (*प्रतिशत* में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12
												व्यापार खाते (वैट अवधि) के अनुसार ₹ 2,81,319 बिक्री थी और ₹ 51,77,814 जॉब वर्क के कारण थी और जॉब वर्क पर वैट नहीं लगता है। इसलिए जी एस टी आर-9सी तालिका-5जी में जॉब वर्क पर अर्जित राशि शामिल है। लेकिन विभाग जॉब वर्क से संबंधित आपत्ति राशि के बारे में कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रहा
10	हरिद्वार	5	05XXXXXXXXXX1ज़ेडसी	शिव कन्स्ट्रक्शन कंपनी	246692100	84976713	73944062	11032651	4	441306	करदाता द्वारा कर देय राशि चालान नं. 0040092200504383 दिनांक 12/09/2022 जमा किया था।	

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम (विधिक नाम)	जी एस टी आर 9सी तालिका 5ए के अनुसार आवर्त	जी एस टी आर 9सी तालिका 5जी के अनुसार वैट अवधि का आवर्त	वैट निर्धारण आदेश के अनुसार कर योग्य आवर्त (अप्रैल-जून, 2017)	छूट गया आवर्त	बचे हुए आवर्त पर कर की दर (प्रतिशत में)	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10=8*(9/100)	11	12
योग					***5800820514***	***1705860799***	***1347861387***	***428376519***		***52570121.35***		
11	देहरादून	7	05XXXXXXXXXX1जेडआर	आर. जी. बिल्डवेल इन्जीनियर्स लिमिटेड	1,80,09,12,219.19	533239733	53,32,39,733.00	18,81,99,114 (छूट प्राप्त, शून्य-दर, गैर-जी.एस.टी. आपूर्ति)	12	2,25,83,894	वैट कर निर्धारण जी एस टी आर 9सी दाखिल किए जाने के बाद किया गया था जो इंगित करता है कि वैट कारोबार वास्तव में जीएसटी कारोबार था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए, उस पर @12% प्रति वर्ष पर ₹ 27859700 कर देय है।	विभाग ने अवगत कराया कि कर की राशि ₹ 1,44,16,052 की मांग की गई थी।
12	देहरादून	8	05XXXXXXXXXX2जेडआर	ब्रिज रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ यू.के. लिमिटेड	551445269	232164163	232164163	232164163	12	27859700	वैट कर निर्धारण जी एस टी आर 9सी दाखिल किए जाने के बाद किया गया था जो इंगित करता है कि वैट कारोबार वास्तव में जीएसटी कारोबार था जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए, उस पर @12% प्रति वर्ष पर ₹ 27859700 कर देय है।.	
योग					***2,35,23,57,488***	***76,54,03,896***	***76,54,03,896***	***42,03,63,277***		***5,04,43,594***		

परिशिष्ट-3.7.10.x

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (स-i); पृष्ठ 204)

कर का अल्प भुगतान (जी एस टी आर-9)

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	कर योग्य आवर्त	देय कर	कर का भुगतान	अंतर कर	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
1	ऋषिकेश	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मै. कोशिश फूड कंपनी	9,76,75,476	48,83,774	36,77,298	12,06,476	
2	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX2ज़ेडएच	मै. टेनट एजेंसीज	228518264	2,86,92,585	2,86,42,751	49,834	
3	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडआई	मै. राजीव आनंद	5,05,49,465	66,27,424	55,09,092	11,18,332	विभाग ने अवगत कराया कि कर और ब्याज की राशि ₹ 18,25,656 जमा की गई थी।
4	देहरादून	3	05XXXXXXXXXXओज़ेडजी	उत्तरखंड वन विकास निगम	4773783505	1,10,97,62,085	92,60,21,592	18,37,40,493	विभाग को सितंबर 2023 को ₹ 18,45,91,271 के एससीएन (जीएसटी डीआरसी-1) का सारांश जारी किया गया है।
5	हरिद्वार	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएच	मै. एयरविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	33746634	73,79,780	19,18,270	54,61,510	
योग					***5,18,42,73,344***	***1,15,73,45,648***	***96,57,69,003***	***19,15,76,645***	

परिशिष्ट-3.7.10.xi

(सन्दर्भः प्रस्तर - 3.7.9.4 (स-ii); पृष्ठ 205)

कर का भुगतान न करना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	कर योग्य आवर्त	कर की दर	देय कर
	1	2	3	4	5	6	7
1	हरिद्वार	6	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएक्स	मै. राम गंगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	14,07,97,418	5%	70,39,871
2	रुद्रपुर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडए	मै. दयाल फूड्स	12,83,92,579	5%	64,19,629
योग					***26,91,89,997***		***1,34,59,500***

परिशिष्ट-3.7.10.xii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.4 (स-iii); पृष्ठ 207)

जॉब वर्कर से तैयार माल निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त न होने के बावजूद कर का भुगतान न करना

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	कर योग्य आवर्त	कर की दर	देय कर	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हरिद्वार	1	05XXXXXXXXXX1ज़ेडडी	मै. ईऑन इलेक्ट्रिक लिमिटेड	37371961	18%	67,26,953	जॉब वर्कर से तैयार माल निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त नहीं हुआ।	
2	रुड़की	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएल	मै. ज़ैक हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड	16595856	18%	29,87,254	जॉब वर्कर से तैयार माल निर्धारित समय के भीतर वापस प्राप्त नहीं हुआ।	विभाग ने अवगत कराया कि जांच में यह पाया गया कि जॉब वर्क को भेजे गए सामान (₹ 2,05,04,625) को करदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया था। कर और अर्थदण्ड ₹ 40,59,915 की मांग की गई थी।
योग					***53967822***		***9714207***		

परिशिष्ट-3.7.10.xiii

(सन्दर्भः प्रस्तर-3.7.9.5; पृष्ठ 209)

अतिरिक्त रिफंड की अनुमति

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	रिफंड का दावा किया गया	देय रिफंड	अतिरिक्त रिफंड	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9
1	किच्छा	_	05XXXXXXXXXX1ज़ेडवाई	मै. इनसैट फार्मा	1,00,66,039	31,70,510	68,95,529	सेवाओं की प्राप्ति पर जमा आई टी सी को धनवापसी की गणना के लिए गिना जाता है।	
2	विकास नगर	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडएम	अजय डबराल	1,16,35,614	0	1,16,35,614	सेवाओं की प्राप्ति पर जमा आई टी सी को धनवापसी की गणना के लिए गिना जाता है। कुल अतिरिक्त धनवापसी 1,16,35,614/= (वित्त वर्ष 2017-18, 61,30,088 = और वित्त वर्ष 2018-19, 55,05,526 =)	विभाग ने वर्ष 2017-18 हेतु ₹ 44,99,358 और वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 55,05,526 की धारा 73 के अतंर्गत उठाई गई आपत्ति और मांग को स्वीकार कर लिया।
3	हरिद्वार	2	05XXXXXXXXXX1ज़ेडई	मै. पी एम एस सनपू लाइटिंग सी.ओ. एल.एल.पी	1,35,25,470	1,17,03,858	18,21,612	सूत्र के अनुसार समायोजित कारोबार और आई टी सी के बीच अंतर के कारण	
4	देहरादून	3	05XXXXXXXXXX1ज़ेडओ	मै. कैंटीन स्टोर डिपार्टमेन्ट	35,09,00,870	0	35,09,00,870	धारा 54 (2) यू. जी एस टी अधिनियम के प्रावधान के विपरीत छह महीने की अवधि समाप्त	विभाग ने अवगत कराया कि वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आंतरिक आपूर्ति

क्र. सं.	सेक्टर	सेक्टर सं.	जी एस टी आई एन	करदाता का नाम	रिफंड का दावा किया गया	देय रिफंड	अतिरिक्त रिफंड	टिप्पणियां	विभाग का उत्तर
	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9
								होने पर धनवापसी की अनुमति दी गई है।	पर भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा करने की समय सीमा को तिमाही के अंतिम दिन से छह महीने से बढ़ाकर दो साल करने के लिए धारा 54 (2) में संशोधन किया गया है। यह पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है। 01 अक्टूबर 2022 से वित्त अधिनियम 2022 की धारा 113 द्वारा अधिसूचना संख्या 18/2022-CT दिनांकित 28/09/2021 के माध्यम से। लेकिन अधिसूचना में पूर्वव्यापी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।
योग					***38,61,27,993***	***1,48,74,368***	***37,12,53,625***		

परिशिष्ट-4.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-4.1.2.1; और 4.1.11.2; पृष्ठ 224 और 241)

नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सा क्षे उ के वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसके लिए लेखे प्राप्त हुए थे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	नवीनतम जिसके लिए लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूंजी	ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि (-)
सक्रिय एस पी एस ई (इस रिपोर्ट में शामिल)											
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1,474.91	1,596.43	(-)20.22	(-)151.75	114.95	6,453.92	(-)779.67	(-)2,376.10	(-)3,851.01
2	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	634.88	938.95	137.77	41.61	82.34	352.04	1,866.05	927.10	292.22
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22	1,372.68	2,085.17	169.41	121.86	43.36	913.45	4,699.52	2,614.35	1,241.67
4	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00
5	ब्रिडकुल[1]	2019-20	4.00	0.00	3.25	2.02	0.25	74.03	15.05	15.05	11.05
6	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2020-21	6.00	131.92	(-)4.53	(-)26.07	21.54	94.46	(-)287.14	(-)419.06	(-)425.06
7	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2020-21	17.99	119.32	1.70	(-)16.65	18.35	150.52	(-)177.35	(-)296.67	(-)314.66
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2020-21	1.00	0.00	9.11	9.11	0.00	419.85	66.86	66.86	65.86
9	उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि[2]	2021-22	0.10	0.00	(-)1.01	(-)0.84	0.00	0.00	(-)3.00	(-)3.00	(-)3.10
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.40	0.00	(-) 0.58	(-) 0.55	0.00	0.00	(-) 0.15	(-) 0.15	(-) 0.55
11	उ प वि नि नि लि[3]	2020-21	1.07	0.00	0.02	0.01	0.00	24.25	1.34	1.34	0.27
12	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (पेयजल निगम)	2020-21	0.00	75.47	(-)12.05	(-)20.49	8.44	92.13	(-)212.79	(-)288.26	(-)288.26

[1] पुल, रोपवे, टनल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

[2] उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड।

[3] उत्तराखण्ड परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड।

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	नवीनतम जिसके लिए लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूंजी	ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि (-)
13	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2019-20	0.00	0.00	93.06	93.06	0.00	563.51	459.35	459.35	459.35
14	उ सी त डे कॉ लि[4]	2020-21	4.08	10.00	4.98	2.57	1.85	33.15	(-)10.76	(-)20.76	(-)24.84
योग (अ)			***3,522.86***	***4,957.26***	***380.91***	***53.89***	***291.08***	***9,171.31***	***5,643.06***	***685.80***	***(-)2,837.06***
सक्रिय एस पी एस ई (इस रिपोर्ट[5] में शामिल नहीं हैं)											
15	उत्तराखण्ड बहुउद्देशयीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2008-09	8.43	3.23	1.14	0.86	0.14	1.03	14.19	10.96	2.53
16	स्टे इं इं डे कॉ उ लि6	2017-18	28.50	196.15	20.65	5.91	6.95	16.77	622.88	426.73	398.23
17	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	13.42	0.43	0.91	(-) 1.51	1.21	100.49	13.18	12.75	(-) 0.67
18	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	6.64	9.79	(-) 7.64	(-) 7.93	0.29	192.36	29.24	19.45	12.81
19	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	238.60	2.66	(-) 11.99	(-) 11.99	0.00	323.77	(-) 186.39	(-) 189.05	(-) 427.65
20	उत्तराखंड राज्य भंडारण	2018-19	0.37	0.00	5.81	3.68	0.00	16.26	26.64	26.64	26.27
21	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मार्च 2017 में शामिल; प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए									
22	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम	मार्च 2005 में शामिल; प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए									
23	एस आई आई डी सि यू एल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	मार्च 2020 में शामिल; प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए									
योग (ब)			***295.96***	***212.26***	***8.88***	***(-) 10.98***	***8.59***	***650.68***	***519.74***	***307.48***	***11.52***

4 उत्तराखण्ड सीड्स और तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी - स नि अ क)।

5 सक्रिय रा सा क्षे उ जिन्होंने पिछले तीन वर्षों यानी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में से किसी के लिए अपने खाते जमा नहीं किए हैं, उन्हें इस रिपोर्ट में विस्तार से शामिल नहीं किया गया है।

6 स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड।

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	नवीनतम जिसके लिए लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूंजी	ऋण	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	वित्तीय लागत	टर्न ओवर	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि (-)
निष्क्रिय एस पी एस ई											
24	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हिलट्रॉन*)	2013-14	8.95	0.00	(-) 2.21	(-) 2.21	0.00	1.32	(-) 15.98	(-) 15.98	(-) 24.93
25	यू पी ए आई*	1988-89	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	(-) 0.05
26	कुमट्रॉन लिमिटेड (कुमट्रॉन*)	1989-90	0.18	0.00	(-) 0.02	(-) 0.02	0.00	0.00	0.16	0.16	(-) 0.02
27	गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	2008-09	0.50	2.36	(-) 0.13	(-) 0.19	0.03	0.00	(-) 0.75	(-) 3.11	(-) 3.61
28	कुमाऊं अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1986-87	0.50	0.00	(-) 0.02	(-) 0.02	0.00	0.10	0.46	0.46	(-) 0.04
29	ट्रांस केबल्स लिमिटेड	1999-00	1.63	2.75	(-) 0.84	(-) 0.84	0.00	2.80	(-) 1.42	(-) 4.17	(-) 5.80
30	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड	1996-97	0.35	19.92	(-) 1.19	(-) 1.19	0.00	0.00	13.32	(-) 6.60	(-) 6.95
31	उत्तर प्रदेश हिल फ़ोन्स लिमिटेड	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज़ लिमिटेड	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (स)			***12.28***	***25.03***	***(-)4.41***	***(-)4.47***	***0.03***	***4.22***	***(-)4.09***	***(-)29.12***	***(-)41.40***
महा योग (अ+ब+स)			***3,831.10***	***5,194.55***	***385.38***	***38.44***	***299.70***	***9,826.21***	***6,158.71***	***964.16***	***(-)2,866.94***

**** परिसमापन के अधीन***

परिशिष्ट-4.1.2

(सन्दर्भः प्रस्तर-4.1.4.1; पृष्ठ 226)

31 मार्च 2022 तक एस पी एस ई से संबंधित इक्विटी और दीर्घावधि ऋण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

एस पी एस ई का नाम	प्रदत्त पूंजी				दीर्घावधि ऋण			
	राज्य	केंद्र	अन्य	योग	राज्य	केंद्र	अन्य	योग
ऊर्जा क्षेत्र								
1. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,489.91	0.00	0.00	1,489.91	7.83	0.00	1,431.13	1,438.96
2. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	654.88	0.00	0.00	654.88	178.51	0.00	839.63	1,018.14
3. यू जे वी एन लिमिटेड	1,372.68	0.00	0.00	1,372.68	365.42	0.00	1,719.75	2,085.17
4. किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऊर्जा क्षेत्र का योग (अ)	***3,522.47***	***0.00***	***5.00***	***3,527.47***	***551.76***	***0.00***	***3,990.51***	***4,542.27***
वित्त क्षेत्र								
5. उत्तराखण्ड बहुउदेशयीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	17.46	5.99	0.00	23.45	0.00	0.00	1.00	1.00
6. गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.20	0.00	0.30	0.50	1.00	0.04	0.17	1.21
7. कुमाऊं अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.22	0.00	0.28	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्त क्षेत्र का योग (ब)	***17.88***	***5.99***	***0.58***	***24.45***	***1.00***	***0.04***	***1.17***	***2.21***
सेवा क्षेत्र								
8. कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	13.42	0.00	0.00	13.42	28.07	0.00	0.00	28.07
9. गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	10.31	10.31
10. उत्तराखण्ड परिवहन निगम	229.36	9.24	0.00	238.60	97.02	0.00	55.33	152.35
11. उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवा क्षेत्र का योग (स)	***249.47***	***9.24***	***0.00***	***258.71***	***125.09***	***0.00***	***65.64***	***190.73***
अवसंरचना क्षेत्र								
12. इं इं डे कॉ उ लि[7]	26.00	0.00	2.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13. ब्रिडकुल[8]	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. उ मे रे अ इं बि कं कॉ लि[9]	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
15. देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.20	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16. उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	0.00	54.45	75.47

[7] उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

[8] ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड को पहले उत्तराखण्ड राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

[9] उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

एस पी एस ई का नाम	प्रदत्त पूंजी				दीर्घावधि ऋण			
	राज्य	केंद्र	अन्य	योग	राज्य	केंद्र	अन्य	योग
अवसंरचना क्षेत्र का योग (द)	***30.30***	***0.00***	***2.70***	***33.00***	***21.02***	***0.00***	***54.45***	***75.47***
अन्य क्षेत्र								
17. उत्तराखण्ड अल्पसंख्या कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	सूचना उपलब्ध नहीं है							
18. उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	0.19	0.18	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
19.एस आई आई डी सि यू एल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20. उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21. यू पी ए आई	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22. कुमट्रॉन लिमिटेड	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
23. उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
24. उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. ट्रांस केबल्स लिमिटेड	0.00	0.00	1.63	1.63	2.75	0.00	0.00	2.75
26. उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.35	0.35	1.40	18.52	0.00	19.92
27. उ ई टी डे कॉ[10]	1.20	0.00	2.88	4.08	19.50	0.00	0.00	19.50
28. डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	6.00	0.00	0.00	6.00	127.99	0.00	3.15	131.14
29. किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	17.54	0.00	0.45	17.99	119.32	0.00	0.00	119.32
30. उ प वि नि नि लि[11]	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
31. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32. उत्तराखण्ड वन विकास निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य क्षेत्र का योग (य)	***36.12***	***0.18***	***10.52***	***46.82***	***270.96***	***18.52***	***3.15***	***292.63***
महा योग (अ+ब+स+द+य)	***3,856.24***	***15.41***	***18.80***	***3,890.45***	***969.83***	***18.56***	***4,114.92***	***5,103.31***

[10] उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड (एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी - स नि अ क)।

[11] उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड।

परिशिष्ट-4.1.3

(सन्दर्भः प्रस्तर-4.1.4.3; पृष्ठ 228, 229)

31 मार्च 2022 तक इक्विटी, ऋण और गारंटी के शेष के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखें और एस पी एस ई के लेखें के बीच अंतर दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	एस पी एस ई के अभिलेखों के अनुसार			उ स के वित्त लेखें के अनुसार			अंतर		
		इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
अ	ऊर्जा क्षेत्र एस पी एस ई									
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,489.91	186.34[12]	24.49	1,434.41	107.48[35]	24.49	55.50	78.86	0.00
2	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	654.88	0.00	0.00	406.64	0.00	0.00	248.24	0.00	0.00
3	यू जे वी एन लिमिटेड	1,372.68	365.42	97.72	1,661.74	272.56	97.72	-289.06	92.86	0.00
	उप-योग अ	***3,517.47***	***551.76***	***122.21***	***3,502.79***	***380.04***	***122.21***	***14.68***	***171.72***	***0.00***
ब	ऊर्जा क्षेत्र के एस पी एस ई के अलावा									
4	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	229.36	97.02	0.00	134.42	215.47	0.00	94.94	-118.45	0.00
5	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	6.64	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
6	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	यू पी ए आई	0.17	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

[12] इसमें पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का ऋण शामिल है।

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	एस पी एस ई के अभिलेखों के अनुसार			उ स के वित्त लेखें के अनुसार			अंतर		
		इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
8	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	17.46	0.00	0.00	16.95	0.00	1.25	0.51	0.00	-1.25
9	स्टे इं इं डे कॉ उ लि[13]	26.00	0.00	0.00	110.67	0.00	0.00	-84.67	0.00	0.00
10	ब्रिडकुल[14]	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
11	उ प वि नि नि लि15	1.07	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00
12	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.20	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
13	कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	17.54	119.32	119.50	0.33	0.00	0.00	17.21	119.32	119.50
15	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	13.42	28.07	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	28.07	0.00
16	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	6.00	127.99	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.99	77.00
उप-योग ब		***331.03***	***373.40***	***196.50***	***300.63***	***215.47***	***1.25***	***30.40***	***157.93***	***195.25***
महा योग (अ +ब)		***3,848.50***	***925.16***	***318.71***	***3,803.42***	***595.51***	***123.46***	***45.08***	***329.65***	***195.25***

#जिसमें शेयर आवेदन राशि का लंबित आवंटन भी शामिल है।

[13] उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

[14] ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड को पहले उत्तराखण्ड राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

[15] उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड।

परिशिष्ट-4.1.4

(सन्दर्भः प्रस्तर-4.1.11.2; पृष्ठ 241)

उस अवधि के दौरान कार्यशील सा क्षे उ में राज्य सरकार के निवेश (ऋण और अनुदान/सब्सिडी) की स्थिति दर्शाने वाला विवरण, जिसके लिए खाते बकाया हैं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	जिस अवधि तक लेखें को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए खाते बकाया हैं	अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके खाते बकाया हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/ सब्सिडी	योग
सक्रिय कंपनियाँ								
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2021-22	1,474.91	15.00	0.00	2.94	17.94
2	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	2021-22	634.88	20.00	0.00	0.00	20.00
3	किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	2021-22	5.00	0.00			0.00
4	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2019-20	2020-21 to 2021-22	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	6.00	0.00	0.00	48.75	48.75
6	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	17.54	0.00	0.00	60.25	60.25
7	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021-22	0.20	0.00	0.00	115.00	115.00
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1.20	0.00	9.50	0.00	9.50
11	उत्तराखण्ड बहुदेशिया वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2009-10 to 2021-22	8.43	9.03	0.00	0.10	9.13
12	स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18	2018-19 to 2021-22	26.00	0.00	0.00	87.52	87.52
13	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 to 2021-22	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
14	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 to 2021-22	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
15	उत्तराखण्ड का ईको टूरिज्म विकास निगम (पहले खाते प्रस्तुत नहीं किए गए)	--	2016-17 to 2021-22	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
16	सिडकुल प्लास्टिक पार्क (पहले खाते प्रस्तुत नहीं किए गए)	--	2020-21 to 2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	एस पी एस ई का नाम	जिस अवधि तक लेखें को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए खाते बकाया हैं	अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके खाते बकाया हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/ सब्सिडी	योग
सक्रिय कंपनियाँ								
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्या कल्याण वक्फ विकास निगम (प्रथम खाते प्रस्तुत नहीं किये गये)[16]	--	2004-05 to 2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (अ)				***2,200.29***	***44.08***	***9.50***	***314.56***	***368.14***
सक्रिय सांविधिक निगम								
18	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	2016-17 to 2021-22	229.36	0.00	94.35	0.00	94.35
19	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2020-21	2021-22	0.00	0.00	0.00	1028.31	1028.31
20	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2019-20	2020-21 to 2021-22	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
21	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	2019-20 to 2021-22	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ब)				***229.55***	***0.00***	***94.35***	***1,030.31***	***1,124.66***
महा योग (अ+ब)				***2,429.84***	***44.08***	***103.85***	***1,344.87***	***1,492.80***

[16] न तो कोई सूचना प्रस्तुत की और न ही प्रथम लेखा।

परिशिष्ट-4.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर-4.2.8.2; पृष्ठ 255)

सब-स्टेशनों पर गंभीर अतिभार दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सब-स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता (एम वी ए में)	एम टी पी सी मानदंडों के अनुसार स्थापित क्षमता का 80 *प्रतिशत* (एम वी ए में)	अधिकतम भार (एम वी ए में)			
				18-19	19-20	20-21	21-22
1	132 के वी सब-स्टेशन ज्वालापुर	टी/फ 40		27	39	24	34
		टी/फ 40		38	34	39	37
		टी/फ 40		36	33	37	36
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	*120*	*96*	*101*	*106*	*100*	*107*
2	132 के वी सब-स्टेशन भगवानपुर	टी/फ 40		39	39	34	37
		टी/फ 40		38	38	35	38
		टी/फ 40		35	32	32	32
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	*120*	*96*	*112*	*109*	*101*	*107*
3	132 के वी सब-स्टेशन बाजपुर	टी/फ 40		35	36.20	30.70	37.30
		टी/फ 80		73.02	72.30	64.10	74.80
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	*120*	*96*	*108.02*	*108.50*	*94.80*	*112.10*
4	132 के वी सब-स्टेशन लक्सर	टी/फ 40		41	41	41	39
		टी/फ 40		41	41	41	39
		टी/फ 40		लागू नहीं	लागू नहीं	32	36
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	*80* *120*	*64* *96*	*82* *लागू नहीं*	*82* *लागू नहीं*	*लागू नहीं* *114*	*लागू नहीं* *114*
5	132 के वी सब-स्टेशन मजरा देहरादून	टी/फ 40		40.20	40.20	33.40	38.60
		टी/फ 40		40.50	39.50	35.20	40.20
		टी/फ 40		40.90	37.90	32.20	36.60
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	*120*	*96*	*121.60*	*117.60*	*100.80*	*115.40*
6	220 के वी सब-स्टेशन रुड़की	टी/फ 160		153	148	145	148
		टी/फ 160		156	161	157	148
	सब-स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता	*320*	*256*	*309*	*309*	*302*	*296*

परिशिष्ट-4.2.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर-4.2.8.2; पृष्ठ 255)

कंपनी द्वारा एम टी पी सी के एन-1 आकस्मिकता मानदंडों का अनुपालन नहीं करने को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	सब-स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता (एम वी ए में)	अधिकतम भार (एमवीए में)			
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	132 के वी सब-स्टेशन पुरुकुल	टी/फ 40 एम वी ए	40.46	40.00	36.11	41.14
		टी/फ 20 एम वी ए	19.00	19.00	17.00	19.43
2	132 के वी सब-स्टेशन बिंदाल	टी/फ 40 एम वी ए	42	42	40	40
		टी/फ 40 एम वी ए	42	42	40	40
		टी/फ 40 एम वी ए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	29
3	132 के वी सब-स्टेशन श्रीनगर	टी/फ 40 एम वी ए	30.17	29.72	30.40	31.55
		टी/फ 20 एम वी ए	16.68	16.23	17.14	17.37
		टी/फ 20 एम वी ए	12.00	16.68	16.68	13.71
		टी/फ 15 एम वी ए	7.30	6.50	9.30	7.54
4	132 के वी सब-स्टेशन मंगलोर	टी/फ 40 एम वी ए	39.00	35.00	36.00	40.00
		टी/फ 40 एम वी ए	39.00	35.00	33.00	38.00
5	132 के वी सब-स्टेशन चूड़ियाला	टी/फ 40 एम वी ए	33.00	32.00	30.00	28.50
		टी/फ 40 एम वी ए	31.50	31.50	30.30	29.64
6	400 के वी सब-स्टेशन काशीपुर	टी/फ 315 एम वी ए	306	229	302	287
		टी/फ 315 एम वी ए	306	229	302	287
7	132 के वी सब-स्टेशन रामनगर	टी/फ 40 एम वी ए	31.00	37.00	24.00	39.00
		टी/फ 20 एम वी ए	16.00	13.00	15.00	19.00
8	132 के वी सब-स्टेशन अल्मोड़ा	टी/फ 3X20 एम वी ए	36.50	36.70	लागू नहीं	लागू नहीं
		टी/फ 2X20 एम वी ए	लागू नहीं	लागू नहीं	37.62	36.90
9	132 के वी सब-स्टेशन पिथौरागढ़	टी/फ 3X5 एम वी ए	13	13	14	12.80
		टी/फ 3X 5 एम वी ए	13	13	14	12.80
		टी/फ 20 एम वी ए	18	18.30	19.40	19.00
		टी/फ 20 एम वी ए	18	18.30	19.40	19.00

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/uttarakhand/hi